पंचदश माला, खंड 13, अंक 2

बुधवार, 10 नवम्बर, 2010
19 कार्तिक, 1932 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र

(पंद्रहवीं लोक सभा)

10 नवम्बर 2010

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 81
3 Jan 2012

ग्ड 13 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

डा. रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

सरिता नागपाल
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

© 2010 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 13, छठा सत्र 2010/1932 (शक)]

अंक 2, बुधवार, 10 नवम्बर, 2010/19 कार्तिक, 1932 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 21	2-6
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 22 से 40	6-87
अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 460	88-709
सभा पटल पर रखे गए पत्र	709-710
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	710-712
न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अंतर्गत जांच समिति	
प्रतिवेदन और साक्ष्य	712
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
147वां प्रतिवेदन	712
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति	
(एक) 47वां प्रतिवेदन	713
(दो) साक्ष्य	713
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) देश में विशेषकर तमिलनाडु के डिंडीगुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वस्त्र उद्योग के हितों की रक्षा के लिए सूती धागे की कीमतों में कमी लाए जाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री एन.एस.वी. चितन	713-715

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(दो) केरल के कोचीन शहर में इडाप्पिल्ली, पलावरिवत्तम, वित्तिला और कुंदन्नूर में यातायात चौराहों पर उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री चार्ल्स डिएस	715
(तीन) पूर्वी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय मस्तिष्क शोथ उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री कमल किशोर कमांडो	716
(चार) केरल में कालीकट तक ट्रेन सेवाओं को बढ़ाए जाने और वेस्ट हिल में पिट लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री एम.के. राघवन	716-717
(पांच) केरल के चेंगन्नूर रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय स्टेशन घोषित किए जाने तथा स्टेशन के नजदीक रेलवे की खाली भूमि पर एक रेलवे चिकित्सा कॉलेज/अस्पताल की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्री कोडिकुन्नील सुरेश	717-718
(छह) विभिन्न अखिल भारतीय इंजीनियरिंग/मेडिकल परीक्षाओं के आयोजन के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची में राजस्थान के कोटा शहर को शामिल किए जाने की आवश्यकता	
श्री इज्यराज सिंह	718
(सात) व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने तथा अवैध तस्करी को रोकने के लिए भारत-बांग्लादेश सीमा व्यापार चौकी स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
श्री अधीर चौधरी	718-719
(आठ) छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुडको रेलवे क्रासिंग पर एक रेल उपरिपुल/रेल अंडर ब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
कुमारी सरोज पाण्डेय	719

विषय | कॉलम

(नौ) अरुणाचल प्रदेश की पारिस्थितिकी पर संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में सुबानसिरी बांध के निर्माण की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री रमेन डेका 719-720

(दस) हिमाचल प्रदेश में खड़ी फसलों को वन्य जीवों से संभावित खतरे को रोकने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 300 प्रहरियों की नियुक्ति का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता

श्री अनुराग सिंह ठाकुर 720

(ग्यारह) डोगिया और अहरोरा बांधों को जल उपलब्ध कराने के लिए सोन लिफ्ट कैनाल का पूरी क्षमता से संचालन किए जाने तथा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के किसानों की सिंचाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाणसागर परियोजना को पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री बाल कुमार पटेल 721

(बारह) केरल के विशेषकर कासरगोड और होसदुर्ग के 'मराठी' समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. करुणाकरन 721-722

(तेरह) राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 पर कार्य के बेहतर समन्वयन और उसे शीघ्र शुरू किए जाने हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना उड़ीसा के भुवनेश्वर में किए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन चरण सेठी 722

(चौदह) देश में कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री चंद्रकांत खैरे 722-723

(पंद्रह) तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में श्रीरंगम रेलवे स्टेशन के पास रेल लाइन पर रेल अंडर ब्रिज का निर्माण किए जाने तथा एरिस्टो होटल रौंताना से इडामलाइपट्टी पुडुर ओवरब्रिज के बीच रेल उपरिपुल के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री पी. कुमार 723

विषय | कॉलम

(सोलह) पश्चिम बंगाल में खड़गपुर और उसके आसपास रेलवे की खाली पड़ी भूमि पर रह रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित लोगों का समुचित पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पांडा 724

(सत्रह) केरल और देश के अन्य भागों में सीमेंट और इस्पात की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए एक विनियामक आयोग का गठन किए जाने की आवश्यकता

श्री जोस के. मणि 724-725

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 727-728

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 727-744

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 745-746

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 745-748

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
श्री बेनी प्रसाद वर्मा
डॉ. गिरिजा व्यास

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

बुधवार, 10 नवम्बर, 2010/19 कार्तिक, 1932 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदया *पीठासीन हुईं*]

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न संख्या 21

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): महोदया, हमने स्थगन का नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हो गए हैं? प्रश्न काल चलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न काल चलने दीजिए। शांत हो जाइए।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.01 बजे

इस समय श्री गणेश सिंह, श्री पी. कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब सभा, प्रश्नकाल लेगी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया मुझे एक मिनट के लिए सुनिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया मुझे सुनिए। कृपया इसे नीचे लाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न सं. 21 श्री असादूद्दीन ओवेसी

...*(व्यवधान)*

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : प्रश्न सं. 21

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

साक्षरता दर

+

***21. श्री असादूद्दीन ओवेसी :**
श्री दत्ता मेघे :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में निरक्षरों की लिंग-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या यूनेस्को द्वारा हाल ही में किये गये एक सर्वेक्षण से यह पता चला है कि विश्व के 35 प्रतिशत निरक्षर भारत में रहते हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) 'साक्षर भारत स्कीम' के अंतर्गत अब तक क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस स्कीम का वित्तपोषण करने हेतु निगमित निकायों का सहयोग प्राप्त करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) देश में 2015 तक 80 प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या रणनीति तैयार की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (छ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 2001 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रौढ़ निरक्षरों की लिंग-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण अनुबंध के रूप में संलग्न है।

(ख) यूनेस्को सांख्यिकी संस्थान (यूआईएस) द्वारा संदर्भ वर्ष 2006 के लिए प्रकाशित ग्लोबल एजुकेशन डाइजेस्ट, 2010 के अनुसार, अनुमानत: 796 मिलियन प्रौढ़ों (15 वर्ष और अधिक) को बुनियादी साक्षरता कौशल प्राप्त नहीं है जिनमें से 283 मिलियन प्रौढ़ों (लगभग 35 प्रतिशत) के भारत में होने की रिपोर्ट दी गई है।

(ग) से (छ) सरकार व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय विकास में साक्षरता की केन्द्रीय भूमिका को स्वीकार करती है और देश में निरक्षरता के उन्मूलन के लिए वचनबद्ध है। साक्षरता के स्तरों में क्षेत्रीय, सामाजिक तथा लैंगिक असमानताओं को कम करने के अलावा, 2012 तक साक्षरता दर को बढ़ाकर 80 प्रतिशत करना और लैंगिक अंतराल को घटाकर 10 प्रतिशत करना राष्ट्रीय साक्षरता का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का एक नया स्वरूप साक्षर भारत 8 सितम्बर, 2009 को लांच किया गया था और तब से अब तक यह 167 जिलों में शुरू किया जा चुका है। वर्ष 2010-11 के दौरान 118 अतिरिक्त जिलों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

इसकी मूल कार्यनीति सुशासन के अलावा प्रौढ़ शिक्षा की समानता, पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करना है। समानता सुनिश्चित करने के लिए इस मिशन का मुख्य ध्यान महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों और अन्य लाभवंचित समूहों पर है। पहुंच में सुधार करने के लिए यह कार्यक्रम प्रत्येक पात्र ग्राम पंचायत में कम-से-कम एक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र की स्थापना का प्रावधान करता है। इसे सहभागितापूर्ण बनाने के लिए तृणमूल स्तर पर समुदाय के साथ-साथ ग्राम पंचायतों की कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में परिकल्पना की गई है। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यह योजना मूल पाठ्यचर्या संरचना के विकास, उच्च-स्तरीय शिक्षण-अधिगम सामग्री, शिक्षक प्रशिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार, मूल्यांकन तथा प्रमाणन, नवीन अधिगम प्रौद्योगिकियों, साक्षर वातावरण के संवर्द्धन तथा पर्याप्त संसाधन सहायता का प्रावधान करती है। सुशासन की दिशा में निधियों की 'समयबद्ध' रिलीज को सुकर बनाने के लिए एक वेब-आधारित फंड-रिलीज तथा लेखांकन प्रणाली तैयार की गई है और कार्यान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं संगठनात्मक दक्षता लाने के लिए कड़ी अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन प्रणाली तैयार की गई है।

एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में, भारत सरकार (केन्द्र और राज्य), पंचायती राज संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों, सरकारी निजी क्षेत्र, व्यक्तियों और समूहों सहित सभी पणधारियों की सक्रिय सहभागिता एवं सहायता को बढ़ावा देता है। यह मिशन ऐसे कार्यकलापों, जिनके लिए बजटीय सहायता नहीं दी जा सकी, पर व्यय को वहन करने के लिए सार्वजनिक अवदानों और सहायता-अनुदान के जरिये गैर-बजटीय संसाधनों में वृद्धि के लिए एक राष्ट्रीय साक्षरता कोष की स्थापना का विशेष प्रावधान करता है। अवसंरचना, व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल विकास, वातावरण निर्माण, लामबंदी तथा प्रशिक्षण आदि के मामले में, सरकारी और निजी क्षेत्र से मिशन को सहयोग प्रदान करने की मांग की गई है।

अनुबंध

15 वर्ष और अधिक आयुवर्ग के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में निरक्षरों की लिंग-वार संख्या का ब्यौरा (2001 की जनगणना के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निरक्षरों की संख्या		
		व्यक्ति	पुरुष	महिला
1	2	3	4	5
	भारत	**259526614**	**91333760**	**168192854**
1.	आंध्र प्रदेश	23754840	8933633	14821207
2.	अरुणाचल प्रदेश	315023	129448	185575
3.	असम	6482914	2509464	3973450
4.	बिहार	26874169	10220683	16653486
5.	छत्तीसगढ़	5380162	1671465	3708697
6.	गोवा	204523	65797	138726
7.	गुजरात	11818812	3944144	7874668
8.	हरियाणा	5097489	1777653	3319836
9.	हिमाचल प्रदेश	1186599	367185	819414
10.	जम्मू और कश्मीर	3177799	1251451	1926348

1	2	3	4	5
11.	झारखंड	8159691	2852646	5307045
12.	कर्नाटक	13817914	4949290	8868624
13.	केरल	2390331	692513	1697818
14.	मध्य प्रदेश	15299208	5083773	10215435
15.	महाराष्ट्र	17827365	5431285	12396080
16.	मणिपुर	442116	134524	307592
17.	मेघालय	492658	220166	272492
18.	मिजोरम	60807	24668	36139
19.	नागालैंड	440596	195921	244675
20.	उड़ीसा	9917480	3229548	6687932
21.	पंजाब	5814507	2471774	3342733
22.	राजस्थान	15475682	4902561	10573121
23.	सिक्किम	119687	47567	72120
24.	तमिलनाडु	13794921	4478069	9316852
25.	त्रिपुरा	629048	219414	409634
26.	उत्तर प्रदेश	48087724	17476010	30611714
27.	उत्तराखंड	1799945	509708	1290237
28.	पश्चिम बंगाल	18323314	6689444	11633870
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	53027	20832	32195
30.	चंडीगढ़	125999	53947	72052
31.	दादरा और नगर हवेली	66200	25555	40645
32.	दमन और दीव	28157	9975	18182
33.	दिल्ली	1913001	699296	1213705
34.	लक्षद्वीप	5848	1464	4384
35.	पुदुचेरी	149058	42887	106171

स्रोत: भारत की जनगणना, 2001।

अध्यक्ष महोदया : इस पर नेताओं की बैठक में चर्चा की गई थी कि इस पर चर्चा होगी। सरकार सभी मामलों पर चर्चा करने के लिये सहमत है। इसलिए आइए अब प्रश्नकाल प्रारंभ करें।

...*(व्यवधान)*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन

***22. श्री पी. विश्वनाथन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में संस्कृत शिक्षा के प्रति रुचि धीरे-धीरे कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु क्या सुधारात्मक कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य-सरकारों को वित्तीय एवं अन्य सहायता दी है; और

(घ) यदि हां, तो संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न राज्यों को गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) संस्कृत विषय में दाखिले की संख्या स्थिर है। भारत सरकार राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति और महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के माध्यम से संस्कृत भाषा को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा, विभिन्न संस्कृत विश्वविद्यालयों जिनका

वित्तपोषण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कर रहा है, से संबद्ध 944 संस्कृत कालेज/केन्द्र हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संस्कृत भाषा में शिक्षण एवं शोध कार्य हेतु निधियों की व्यवस्था करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) के तहत संस्कृत भाषा में उच्चतर शिक्षा एवं शोध कार्य के विकास हेतु चुनिंदा विश्वविद्यालयों को अनुदान भी देता है।

(ग) और (घ) भारत सरकार संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकारों को सीधे अनुदान नहीं देती है। हालांकि, भारत सरकार अपने विभिन्न संस्थानों/विश्वविद्यालयों के जरिए अलग-अलग राज्यों में विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए सहायता देती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न संस्थानों/विश्वविद्यालयों के जरिए दी गई सहायता का ब्यौरा इस प्रकार:-

(लाख रु. में)

क्र. सं.	संस्थान/विश्वविद्यालय का नाम	2007-2008	2008-2009	2009-2010
1.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली (मा.सं.वि.मं. द्वारा)	5365.59	7012.55	8862.62
2.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली (यूजीसी)	1025.72	1858.53	372.20
3.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति, आंध्र प्रदेश (यूजीसी)	842.86	1694.45	1709.56
4.	कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार (यूजीसी)	160.74	122.37	5.40
5.	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कलाडी, केरल (यूजीसी)	142.73	122.61	75.00
6.	श्री जगन्नाथ संस्कृत विद्यापीठ, पुरी, उड़ीसा (यूजीसी)	95.24	144.22	316.20
7.	संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश (यूजीसी)	98.00	134.64	283.20
8.	महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन, मध्य प्रदेश (मा.सं.वि.मं. द्वारा)	520.00	1100.00	1200.00
	कुल	8250.88	12189.37	12824.16

[हिन्दी]

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में संशोधन

***23. श्री पन्ना लाल पुनिया : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उल्लंघन के मामलों की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान उल्लंघन के स्वरूप सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन उल्लंघनों को रोकने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, हां। पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत उत्सर्जन और बहिस्राव मानक अधिसूचित किए जाते हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) अत्यधिक प्रदूषणकारी श्रेणियों में आने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए

एक पर्यावरणीय निगरानी योजना चला रहा है। उत्सर्जन और बहिस्राव मानकों से संबंधित उल्लंघनों को केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों द्वारा मॉनीटर किया जाता है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत जारी की गयी एक अधिसूचना के तहत पर्यावरणीय मंजूरियां भी प्रदान की जाती हैं। पर्यावरणीय मंजूरियों की शर्तों के अनुपालन को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मॉनीटर किया जाता है।

सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार, उसकी पर्यावरण निगरानी योजना के अंतर्गत पता लगाए गए उल्लंघन के मामलों की राज्यवार संख्या निम्नवत् है:–

वर्ष	मानकों के उल्लंघन के संबंध में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत इकाइयों को जारी किए गए निर्देशों की संख्या		
	अनुपालन हेतु निर्देशों की संख्या	बंद किए जाने हेतु निर्देशों की संख्या	कुल
1	2	3	4
2007-08 के दौरान	21	16	37
2008-09 के दौरान	29	11	40
2009-10 के दौरान	10	8	18
2010-11 के दौरान (आज तक)	13	13	26
कुल	73	48	121

राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) सीपीसीबी उत्सर्जन और बहिस्राव मानकों से संबंधित उल्लंघन की रोकथाम हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के संगत उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ करता है। विनियामक प्राधिकरणों को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत निर्देश जारी करने की शक्तियां प्राप्त हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरणीय मंजूरियों के साथ निर्धारित की गयी शर्तों के उल्लंघनों के सूचित किए गए मामलों में कार्रवाई की जाती है। अनुपालन और प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करने की दृष्टि से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

विवरण

सीपीसीबी द्वारा जारी निर्देशों का राज्यवार विवरण

राज्य	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 2010-11 के दौरान	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 2009-10 के दौरान	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 2008-09 के दौरान	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 2007-09 के दौरान	सकल योग
1	2	3	4	5	6
छत्तीसगढ़	4	3	1	3	11
गुजरात	1			15	16
उत्तर प्रदेश	12	3	4	3	22
असम	2		3		5

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र	2	1		4	7
उत्तराखंड	1	1			2
केरल		1			1
पंजाब	1	2	6	2	11
सिक्किम		2			2
अरुणाचल प्रदेश		1			2
हरियाणा		2	6	1	9
हिमाचल प्रदेश		1	4		5
मध्य प्रदेश			4		4
पश्चिम बंगाल	1	1	7		9
तमिलनाडु			3	1	4
उड़ीसा			2		2
आंध्र प्रदेश				3	3
बिहार				1	1
राजस्थान			1	1	2
अन्य	3				3
कुल योग					121

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जल नीति

*24. श्री आर. थामराईसेलवन :
श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल नीति में 'राज्य जल नीति' बनाने की परिकल्पना की गई है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने राज्य जल नीति बनाई एवं अंगीकार की है;

(ग) केन्द्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये हैं कि प्रत्येक राज्य यह नीति बनाए एवं उसे अंगीकार करे;

(घ) क्या सरकार का विचार बेसिन लेवल प्रबंधन रणनीति सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय जल नीति में संशोधन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य जल नीतियां 12 राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश द्वारा बनाई और अपनाई गई हैं। इसके अलावा दिल्ली, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली ने राष्ट्रीय जल नीति अपनाई है।

(ग) जल संसाधन मंत्रालय राज्य सरकारों से राज्य जल नीति बनाने के लिए प्रयासरत है तथा राष्ट्रीय जल बोर्ड की बैठक में भी स्थिति की समीक्षा की गई है।

(घ) से (च) राष्ट्रीय जल नीति में उल्लेख किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर इसे समय-समय पर संशोधित किया जाए। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) में उल्लेख किया गया है कि "जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा और नदी प्रवाहों में होने वाली परिवर्तनशीलता का सामना करने के लिए बेसिन स्तर पर प्रबंधन की कार्य नीतियों को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के परामर्श से राष्ट्रीय जल नीति को संशोधित किया जाएगा।" राष्ट्रीय जल नीति की समीक्षा करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय ने विभिन्न पणधारियों के साथ परामर्श करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। राष्ट्रीय जल बोर्ड की 18 सितंबर, 2009 को आयोजित हुई बैठक के दौरान "राष्ट्रीय जल नीति की समीक्षा" के संबंध में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया गया है। दिनांक 28 जुलाई, 2010 को नई दिल्ली में जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति, जल संसाधन मंत्रालय की परामर्शदाता समिति तथा जल संरक्षण एवं प्रबंधन संबंधी संसदीय फोरम के माननीय सदस्यों के साथ एक परामर्श बैठक का आयोजन किया गया। शिक्षा-विदों, विशेषज्ञों और पेशेवरों के साथ 26 अक्तूबर, 2010 को नई दिल्ली में गहन विचार-विमर्श भी किया गया।

[हिन्दी]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अनियमितताएं

***25. श्रीमती रमा देवी :**
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न भागों में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में वित्तीय एवं अन्य अनियमितताओं के मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अनियमितताओं में कितने अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये;

(घ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में इन अनियमितताओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ङ) देश के विभिन्न भागों में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा वित्तीय अथवा अन्य अनियमितताओं की रिपोर्ट केंद्र सरकार को दिया जाना कानूनन अपेक्षित नहीं है। तथापि, हमने विगत समय में या तो स्वयं अपने स्तर पर अथवा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के आंतरिक स्रोतों से अथवा अन्य तरीके से प्राप्त सूचना के जरिये सामने आए कुछ ऐसे मामलों की जांच की थी जिन्हें हमने उस समय गंभीरता से लिया था। उनमें से कुछ मसले हल कर लिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, जिन्होंने आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी खड़गपुर के संबंध में कतिपय लेखापरीक्षा टिप्पणियां की हैं, द्वारा लेखापरीक्षा के अध्यधीन हैं। ये टिप्पणियां अतिरिक्त भुगतान और अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित हैं। इन संस्थानों की लेखापरीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है और अनियमितताओं के मामलों पर सुनिर्धारित प्रक्रिया के जरिये कार्रवाई की जाती है। पिछले तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों का ब्यौरा विवरण के रूप में दिया गया है।

विवरण

प्रारूप लेखापरीक्षा पैरा

क्र.सं.	वर्ष	आईआईटी का नाम	संक्षिप्त विषय
1.	2009-10	आईआईटी मद्रास	अंशदायी भविष्य निधि सह ग्रेच्युटी योजना से सामान्य भविष्य निधि सह पेंशन योजना में स्विचओवर की अनुमति देना
2.	2009-10	आईआईटी मद्रास	आईआईटी मद्रास में रजिस्ट्रार/डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति में भर्ती नियमों में छूट देना

लेखापरीक्षा पैरा

क्र. सं.	लेखा परीक्षा पैरा सं.	वर्ष	आईआईटी का नाम	संक्षिप्त विषय
1.	6.5	2007	आईआईटी खड़गपुर	कम्प्यूटरीकृत पे रोल लेखांकन प्रणाली में खामियां जिसके परिणामस्वरूप वेतन, पेंशन का अनुचित भुगतान और अग्रिमों का अनियमित संवितरण किया गया।
2.	4.4	2009-10	आईआईटी दिल्ली	बैंक और पोस्ट ऑफिस से लाइसेंस शुल्क की कम वसूली—बैंक और पोस्ट ऑफिस से लाइसेंस शुल्क की वसूली के लिए संपदा निदेशालय द्वारा निर्धारित दरों का कार्यान्वयन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप 71.33 लाख रु. की कम वसूली हुई।
3.	4.5	2009-10	आईआईटी खड़गपुर	छात्रवृत्ति का अनियमित भुगतान — आईआईटी खड़गपुर ने पीएच.डी. छात्रों को असिस्टेंटशिप/स्कॉलरशिप को 1 अप्रैल, 2008 के बजाय 1 अप्रैल, 2007 से संशोधित किया जिसके परिणामस्वरूप 1.35 करोड़ रु. का अनियमित व्यय हुआ।
4.	4.6	2009-10	आईआईटी खड़गपुर	अतिरिक्त भुगतान — आईआईटी खड़गपुर ने इस्पात की कीमतों में वृद्धि के कारण एक संविदाकार को संविदा का उल्लंघन करते हुए 22.23 लाख रु. का अतिरिक्त भुगतान किया।
5.	4.9	2009-10	आईआईटी खड़गपुर	किराये की कम वसूली — बैंकों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर किराया वसूलने में संस्थान की असफलता के परिणामस्वरूप 42.21 लारख रु. की राजस्व हानि हुई।

पाकिस्तान द्वारा सहायता का दुरुपयोग

*26. **योगी आदित्यनाथ :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस समय अमरीका द्वारा पाकिस्तान को दी जा रही सहायता की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने सहायता का दुरुपयोग किये जाने की जानकारी मिलने पर अपना कोई विरोध दर्ज कराया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर अमरीका सरकार द्वारा क्या उपाय किये गए हैं; और

(ङ) भारत के हितों की रक्षा करने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गए हैं?

विदेशी मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार अमरीकी स्रोतों के अनुसार 2002-10 के बीच पाकिस्तान को सुरक्षा सहायता के रूप में 12.5 बिलियन अमरीकी डॉलर तथा आर्थिक सहायता के रूप में लगभग 6 बिलियन अमरीकी डॉलर दिए गए। तथापि संयुक्त राज्य अमरीका ने हाल में पाकिस्तान को 2012-16 के बीच लगभग 2.7 बिलियन अमरीकी डॉलर की सुरक्षा सहायता उपलब्ध कराने की अपनी मंशा की घोषणा की है।

(ग) भारत सरकार ने पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक सहायता दिये जाने के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में संयुक्त राज्य अमरीका के समक्ष निरंतर अपनी चिंता प्रकट की है।

(घ) पाकिस्तान को सुरक्षा सहायता के संबंध में संयुक्त राज्य अमरीका भारत की चिन्ताओं को समझता है। 2009 में संयुक्त राज्य अमरीका ने पाकिस्तान के साथ संवर्द्धित साझेदारी अधिनियम पारित किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि पाकिस्तान को लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद सहित अन्य आतंकवादी गुटों के शिविरों को बंद करना चाहिए; अतिवादी और आतंकवादी समूहों को दी जाने वाली सहायता समाप्त करनी चाहिए; तथा पड़ोसी देशों पर हमलों की रोकथाम करनी चाहिए। संयुक्त राज्य अमरीका ने यह भी सम्प्रेषित किया है कि वह यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पाकिस्तान को दी जाने वाली सुरक्षा सहायता का उपयोग भारत के विरुद्ध नहीं किया जाए।

(ङ) भारत सरकार भारत के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।

[अनुवाद]

विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति

*27. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी :**
श्री नामा नागेश्वर राव :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषकर आंध्र प्रदेश और बिहार में स्थित अनेक ताप विद्युत स्टेशन और भट्टा उद्योग कोयला फीडस्टॉक की भारी कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष का तत्संबंधी वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ताप विद्युत स्टेशनों एवं उद्योगों की कोयले की मांग को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाये गये/जा रहे हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों, विशेषकर आंध्र प्रदेश से रक्षित कोयला ब्लाकों के आवंटन हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन पर राज्य-वार और परियोजना-वार क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण देश में स्थित विभिन्न विद्युत गृहों में कोयला स्टॉक की स्थिति को मानीटर करता है तथा उन विद्युत गृहों जहां कोयला भंडार 7 दिन से कम है को नाजुक कोयला भंडार के रूप में विचार किया जाता है। 02.11.2010 की स्थिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश में स्थित 6 तापीय विद्युत गृहों और बिहार में स्थित 3 तापीय विद्युत गृहों में से आंध्र प्रदेश और बिहार में एक-एक विद्युत गृह में 7 दिन से कम का कोयला भंडार था। तथापि, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश के विद्युत गृहों में मौजूदा कोयला भंडार पूर्व के वर्षों की तुलना में बेहतर है जैसा कि नीचे की तालिका से देखा जा सकता है:-

(आंकड़े मिलियन टन)

तारीख	अखिल भारतीय विद्युत गृह कोयला भंडार	आंध्र प्रदेश विद्युत गृहों में कोयला भंडार	बिहार विद्युत गृहों में कोयला भंडार
1	2	3	4
2.11.2010	11.854	1.644	0.107

1	2	3	4
2.11.2009	9.289	1.803	0.070
2.11.2008	4.664	0.478	0.030
2.11.2007	9.908	1.225	0.104

जहां तक ईंट भट्टा उद्योग का संबंध है, कोल इंडिया स्रोतों से कोयले की आपूर्ति राज्य सरकार नामित एजेंसियों और ई-नीलामी मार्ग के द्वारा मुख्य रूप से पूरी की जाती है। इस क्षेत्र के उपभोक्ताओं की मांग मौसमी स्वरूप की है और कोई एजेंसी ईंट भट्टा उद्योग उपभोक्ताओं के पास उपलब्ध कोयला भंडारों की पुस्तिकाएं नहीं रखती है।

अस्थायी कमी की देखरेख करने के लिए कोयला मंत्रालय में कार्यरत अंतर-मंत्रालयी समूह उपलब्धता, लाजिस्टिक्स आदि को ध्यान में रखते हुए प्रेषणों के रखरखाव हेतु आंध्र प्रदेश और बिहार में स्थित सहित विद्युत उपयोगिताओं को कोयला आपूर्ति मानीटर करता है।

(घ) और (ङ) कोयला ब्लाकों का आवंटन एक सतत प्रक्रिया है और कोयला मंत्रालय कोयला ब्लाकों के आवंटन के लिए समय-समय पर आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से विभिन्न आवेदन प्राप्त करता है। इस समय, विद्युत क्षेत्र को आवंटन के लिए कोई कोयला ब्लाक चिन्हित और निर्धारित नहीं किया है तथा इसलिए आवंटन के लिए कोई कोयला ब्लाक उपलब्ध नहीं है। तथापि, आवंटन के लिए आवेदन पर केवल तभी विचार किया जाता है जब यह कोयला ब्लाकों की पहचान और निर्धारित की प्रक्रिया पूरी होने पर आमंत्रित किया जाता है।

कोयले का आयात

*28. **श्री राजय्या सिरिसिल्ला :**
श्री मनोहर तिरकी :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत, इस्पात एवं अन्य उद्योगों द्वारा उपयोग किये जा रहे आयातित कोयले की मांग में गत तीन वर्षों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान विभिन्न देशों से देश-वार कितनी मात्रा में एवं कितने मूल्य के कोयले का आयात किया गया है;

(घ) क्या सरकार ने कोयले के उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यह लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिये जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जी, हां। देश में विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा कोयले का आयात 2007-08 के दौरान 49.80 मिलियन टन हो गया।

(ग) वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय से यथा प्राप्त, पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के अप्रैल-जुलाई, 2010 के दौरान भी देशवार और वर्ष-वार विभिन्न देशों से आयातित कोयले की मात्रा और कीमत को दर्शानेवाला विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) देश में कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार/कोल इंडिया लि. द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं:—

(i) कोल इंडिया लि. से मौजूदा खानों से उत्पादन बढ़ाने और नई परियोजनाओं से उत्पादन को सुसाध्य बनाने के लिए अनुरोध किया गया है।

(ii) 208 कोयला ब्लाक विभिन्न कंपनियों को आमंत्रित किए गए हैं। कैप्टिव खनन के प्रतिबंध के बिना कोयला खनन ब्लाक राज्य और केन्द्र सरकार की कंपनियों को आवंटित किया जा रहा है।

(iii) नए कोयला ब्लाकों के अन्वेषण में तेजी लायी गई है।

(iv) परियोजना अनुमोदनों के लिए प्रक्रिया को सुचारु बनाया गया है।

(v) 380.22 मि.ट. की अन्तिम अतिरिक्त उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए 11वीं योजना के दौरान 142 खनन परियोजनाएं आरंभ की जाएगी। इन 142 खनन परियोजनाओं में से 76 परियोजनाएं विभिन्न चरणों में कार्यान्वयन के अधीन है और 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष अर्थात 2011-12 तक 161.43 मिलियन टन का योगदान मिलने की संभावना है।

(vi) मौजूदा खानों का यंत्रीकरण/आधुनिकीकरण।

(vii) उपकरण उपयोग में सुधार।

(viii) भूमिगत और ओपनकास्ट खानों में उत्पादकता बढ़ाना।

(ix) परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन।

(x) 11वीं योजना (2011-12) के अंत तक सीएमपीडीआईएल की अन्वेषण क्षमता को मौजूदा 2 लाख मीटर प्रति वर्ष से बढ़ाकर 4 लाख मीटर प्रति वर्ष किया जा रहा है।

(xi) 7 उच्च क्षमता भूमिगत खानों पर क्षमता वृद्धि के अंतर्गत विचार किया गया है।

(xii) 18 परित्यक्त खानों का पुनरूद्धार किया जा रहा है।

(च) भारतीय कोयला अपनी ड्रिफ्ट उत्पत्ति के कारण अधिक "राख की मात्रा" वाला है और "निम्न राख कोकिंग कोयला और निम्न राख नान-कोकिंग कोयला" का भंडार सीमित है। कोकिंग कोयला और निम्न राख तापीय कोयला की अपेक्षाकृत कमी है/कम उपलब्धता है और इसलिए उपभोक्ता जो ऐसा कोयला लेना चाहता है, को अपेक्षित गुणवत्ता की सीमा तक आयात करना होगा जो स्वदेशी रूप से उपलब्ध नहीं है।

विवरण

2007-08 के लिए भारत का कोयले का आयात (देश-वार)

क्र. सं.	आयात का देश	मात्रा (टन)	रु. में कीमत
1	2	3	4
1.	आस्ट्रेलिया	20699725	111750716365
2.	कनाडा	1	123681
3.	चीन पीआरपी	552740	3149777804
4.	कोलम्बिया	140	1675960
5.	जर्मनी	67	1662715
6.	इंडोनेशिया	19516883	52844569305
7.	आयरलैंड	119	1325042
8.	लातविया	92	1298893
9.	मलेशिया	24649	150249013
10.	नीदरलैंड	169	2197673
11.	नेपाल	14	9410
12.	न्यूजीलैंड	762819	4455797398
13.	फिलीपीन्स	322917	900287354
14.	रूस	102179	484268184
15.	सिंगापुर	64151	174210324
16.	दक्षिण अफ्रीका	6972778	28690262023
17.	सेंटलूसिया	38860	152279152
18.	ताइवान	3	73548
19.	थाइलैंड	20	296395
20.	यूके	56	1120791
21.	यूएसए	537057	3396781406
22.	वियतनाम, एसओसी आरईपी	202131	1230855487
	कुल	49797570	207389837923

2008-09

क्र. सं.	देश	मात्रा (टन)	रु. में कीमत
1	2	3	4
1.	आस्ट्रेलिया	19591006	201648751874
2.	चीन पीआरपी	523380	4006357644
3.	जर्मनी	81	2742970
4.	इंडोनेशिया	28767683	126439907199
5.	ईरान	556	5156573
6.	आयरलैंड	54	545279
7.	जापान	18	325410
8.	जाईन	22552	45902003
9.	लातविया	122	2160405
10.	लिथुवानिया	23	363392
11.	नीदरलैंड	38	791673
12.	न्यूजीलैंड	839628	8862858168
13.	पाकिस्तान	115	605909
14.	फिलीपीन्स	194017	715139869
15.	रूस	436366	6367310008
16.	दक्षिण अफ्रीका	7093242	44981006831
17.	थाईलैंड	45278	417908311
18.	यू अरब ईएमटीएस	10326	152261776
19.	यू.के.	84	1911055
20.	अनिर्दिष्ट	6000	21342562
21.	यूएसए	1215033	16322039369
22.	वियतनाम, एसओसी आरईपी	257863	3419100281
	कुल	59003465	413414488561

2009-10

क्र. सं.	देश	मात्रा (टन)	रु. में कीमत
1	2	3	4
1.	आस्ट्रेलिया	12836411	183802972062
2.	आस्ट्रिया	528	3475094
3.	चीन पीआरपी	44174	235500012
4.	जर्मनी	22	867810
5.	इंडोनेशिया	32164179	115473598804
6.	आयरलैंड	91	1065400
7.	इजराइल	43603	306144662
8.	लातविया	147	2394832
9.	लिथुवानिया	69	897299
10.	मंगोलिया	16	544898
11.	मोजाम्बिक	82917	314730536
12.	नीदरलैंड	72	1414575
13.	न्यूजीलैंड	1059317	9976881500
14.	ओमान	29828	164893897
15.	फिलीपीन्स	670972	2235122102

1	2	3	4
16.	रूस	146205	1382492461
17.	दक्षिण अफ्रीका	14492320	62269478121
18.	तज़ाकिस्तान	53	504916
19.	यू अरब ईएमटीएस	200	1151209
20.	यूके	925	15870322
21	यूक्रेन	94600	610942695
22.	यूएसए	1400530	13303037775
23.	वियतनाम, एसओसी आरईपी	187869	1694285433
	कुल	73255048	391798266415

2010-11 (अप्रैल, 10 से जून, 10) (अनंतिम)

क्र. सं..	देश	मात्रा (टन)	रु. में कीमत
1	2	3	4
1.	आस्ट्रेलिया	4997686	51574836846
2.	बेल्जियम	18000	179236528
3.	चीन पीआरपी	921	17384692
4.	इस्तोनिया	23	284757
5.	जर्मनी	1	21597
6.	इंडोनेशिया	10244847	39265774013
7.	आयरलैंड	87	755997
8.	लातविया	24	393786
9.	लिथवानिया	46	477453
10.	मारीशस	15	109840
11.	नीदरलैंड	23	417778
12.	न्यूजीलैंड	219844	2541124267
13.	फिलीपीन्स	256672	783471473
14.	रूस	79987	806365515
15.	दक्षिण अफ्रीका	2446258	12578193806
16.	यूके	539	9342734
17.	यूएसए	523106	6595977523
18.	यूक्रेन	14539	105573712
19.	वियतनाम, एसओसी	111370	1081969412
	कुल	18913988	115541711729

कार्बन उत्सर्जन

***29. श्री जे.एम. आरुन रशीद :**
श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन देशों के नाम क्या हैं जो प्रतिशतता के हिसाब से सबसे बड़े कार्बन उत्सर्जक हैं;

(ग) उक्त स्थिति से हाल ही में तियानजिन, चीन में आयोजित जलवायु परिवर्तन में भारत की स्थिति किस हद तक प्रभावित हुई है तथा इसका भावी अंतर्राष्ट्रीय वार्ता पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) भारत में आर्थिक विकास किस सीमा तक कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है; और

(ङ) उत्सर्जन में कटौती करने और साथ ही साथ आर्थिक विकास के लिए संतुलन बनाए रखने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) वर्तमान उपलब्ध सूचना के अनुसार, ग्रीन हाउस गैस के प्रतिशत रूप में सर्वाधिक उत्सर्जक देश हैं: चीन-19.5%, संयुक्त राज्य अमेरिका-19.2%, भारत-5.3%, रूस-5.1%, जापान-3.6% और जर्मनी-2.6%।

हाल ही में तियानजिन, चीन में आयोजित जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में भारत का दृष्टिकोण साझा किन्तु भिन्न-भिन्न उत्तरदायित्व के सिद्धांत द्वारा निर्देशित था जैसाकि जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्यढांचा कन्वेंशन और इसके क्योटो प्रोटोकाल में परिलक्षित था।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जैसे-जैसे वृद्धि होती है, इसके उत्सर्जन में पूर्णरूपेण वृद्धि होगी किन्तु उत्सर्जनों की वृद्धि दर मध्यम होगी जैसा कि सकल घरेलू उत्पाद की कम हो रही उत्सर्जन तीव्रता से परिलक्षित है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि हमारे आर्थिक विकास पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न हो। मई 2010 में जारी की गई जलवायु परिवर्तन आकलन हेतु भारतीय नेटवर्क रिपोर्ट के अनुसार देश के जीएचजी उत्सर्जन 1994 में 1228 मिलियन टन सीओ$_2$ ईक्यू से बढ़कर 2007 में 1727 मिलियन टन सीओ$_2$ ईक्यू हो गए हैं।

योजना आयोग ने भारत के लिए एक लो कार्बन इकोनॉमी हेतु एक कार्यनीति तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। विशेषज्ञ समूह इसके लागत-लाभ और संबंधित गुणों के विश्लेषण के साथ कुछ महत्वपूर्ण कम कार्बन वाले विकल्पों का मूल्यांकन करेगा और समय-सीमा तथा लक्ष्यों का सुझाव देते हुए एक कार्य योजना तैयार करेगा जिसे बारहवीं योजना प्रक्रिया में शामिल किया जा सके।

[हिन्दी]

वनों का विकास

*30. श्री हरीश चौधरी :
श्री यशवंत लागुरी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में वनों के विकास हेतु केन्द्र सरकार से वित्तीय अथवा अन्य प्रकार की सहायता देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ग) क्या पेड़ों की गुप्त रूप से बेतहाशा कटाई के मद्देनजर सरकार का विचार इस मामले से निपटने के लिए कोई अलग कानून बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, हां। वनों के विकास हेतु राज्यों को तीन प्रमुख केन्द्रीय प्रयोजित योजनाओं अर्थात् (i) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, (ii) वन प्रबंधन योजना का तीव्रीकरण और (iii) वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास के अंतर्गत निधियां प्रदान की जाती हैं। चालू वर्ष के दौरान आवंटित और जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I, II और III में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 बनाए हैं जिनमें वृक्षों को चोरी छिपे गिराए जाने पर रोक लगाने के लिए समर्थकारी प्रावधान हैं इस समय कोई नया कानून विचाराधीन नहीं है।

विवरण-I

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम योजना

लाख रु.

क्र. सं.	राज्य का नाम	आवंटन (2010-11)	जारी की गई राशि (2010-11)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1100.00	523.00
2.	अरुणाचल प्रदेश*	500.00	0.00
3.	असम*	900.00	0.00

1	2	3	4
4.	बिहार	500.00	277.00
5.	छत्तीसगढ़	2500.00	1545.00
6.	गोवा*	0.00	0.00
7.	गुजरात	2000.00	1341.00
8.	हरियाणा	1800.00	1115.00
9.	हिमाचल प्रदेश	400.00	195.00
10.	जम्मू और कश्मीर*	600.00	0.00
11.	झारखंड	1400.00	873.00
12.	कर्नाटक	1000.00	406.00
13.	केरल	700.00	377.00
14.	मध्य प्रदेश	2500.00	1526.30
15.	महाराष्ट्र	2500.00	1617.00
16.	मणिपुर*	800.00	0.00
17.	मेघालय*	600.00	0.00
18.	मिजोरम	1300.00	611.00
19.	नागालैंड	1000.00	505.00
20.	उड़ीसा	1400.00	666.63
21.	पंजाब*	200.00	0.00
22.	राजस्थान	500.00	247.00
23.	सिक्किम	1200.00	600.00
24.	तमिलनाडु*	800.00	0.00
25.	त्रिपुरा	1200.00	520.00
26.	उत्तराखंड*	500.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	2000.00	1150.00
28.	पश्चिम बंगाल	400.00	206.00
	कुल	30300.00	14300.93

*राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

विवरण-II

वन प्रबंधन योजना का तीव्रीकरण

लाख रु.

क्र. सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित परिव्यय (2010-11)	जारी की गई राशि (2010-11)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	251.23	
2.	अरुणाचल प्रदेश	382.37	226.54
3.	असम	311.64	202.65
4.	बिहार*		
5.	छत्तीसगढ़	454.20	253.62
6.	गोवा	56.37	25.00
7.	गुजरात	584.36	322.27
8.	हरियाणा	341.88	212.89
9.	हिमाचल प्रदेश	146.74	75.60
10.	जम्मू और कश्मीर*		
11.	झारखंड*		

1	2	3	4
12.	कर्नाटक	275.94	142.89
13.	केरल*		
14.	मध्य प्रदेश	509.25	
15.	महाराष्ट्र	362.44	184.70
16.	मणिपुर	198.97	134.57
17.	मेघालय	191.14	
18.	मिजोरम	345.64	238.36
19.	नागालैंड	258.14	143.92
20.	उड़ीसा	287.75	156.27
21.	पंजाब	136.04	76.49
22.	राजस्थान*		
23.	सिक्किम	316.33	207.46
24.	तमिलनाडु	281.79	143.99
25.	त्रिपुरा	221.86	144.00
26.	उत्तराखंड	288.44	159.55
27.	उत्तर प्रदेश	233.10	134.57
28.	पश्चिम बंगाल	300.04	
	योग	6735.66	3185.34
	संघ राज्य क्षेत्र		
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	37.91	8.26
2.	दादरा और नगर हवेली*		
3.	दमन और दीव		
4.	दिल्ली		
5.	लक्षद्वीप		
6.	पुदुचेरी		
7.	संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़*		
	योग	37.91	8.26
	महायोग	6773.57	3193.60

*प्रस्ताव प्राप्त नहीं अथवा हाल ही में प्राप्त नहीं हुआ।

विवरण-III

वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास

लाख रु.

क्र. सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित परिव्यय (2010-11)	जारी की गई राशि (2010-11)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	190	58.07
2.	अरुणाचल प्रदेश	100	168.95
3.	असम	130	146.79
4.	बिहार*	100	0.00
5.	छत्तीसगढ़	340	115.77
6.	गोवा	80	24.85
7.	गुजरात	450	303.02

1	2	3	4
8.	हरियाणा	100	11.20
9.	हिमाचल प्रदेश	300	229.64
10.	जम्मू और कश्मीर*	450	389.56
11.	झारखंड	100	41.71
12.	कर्नाटक	510	235.35
13.	केरल	425	246.01
14.	मध्य प्रदेश	550	465.18
15.	महाराष्ट्र	345	220.13
16.	मणिपुर	100	88.32
17.	मेघालय	60	0.00
18.	मिजोरम	100	181.96
19.	नागालैंड	50	29.60
20.	उड़ीसा	350	255.55
21.	पंजाब	90	12.75
22.	राजस्थान	445	279.71
23.	सिक्किम	120	183.78
24.	तमिलनाडु	400	275.12
25.	त्रिपुरा	90	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	275	189.59
27.	उत्तराखंड	195	134.90
28.	पश्चिम बंगाल	380	184.40
	योग	6825	4471.915
संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	100	63.20
2.	चंडीगढ़	15	0.00
3.	दादरा और नगर हवेली	20	0.00
4.	दमन और दीव	10	0.00
5.	दिल्ली*	25	0.00
6.	लक्षद्वीप*	5	0.00
	योग	175	63.20
	महायोग	7000	4535.115

*प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

[अनुवाद]

हिंद महासागर के जलस्तर में वृद्धि

***31. श्री नित्यानंद प्रधान :**
श्री वैजयंत पांडा :

क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार हिंद महासागर का जलस्तर अन्य महासागरों/जल निकायों की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर आदि के तटवर्ती क्षेत्रों सहित इस दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की जलवायु पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या समुद्र के जलस्तर में इस वृद्धि से भारत में बाढ़ आने की संभावना भी बढ़ सकती है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने देश के तटवर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या पर इसके पड़ने वाले प्रभाव का समाधान करने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां। इस विषय पर नेचर जीओसाइंस (जुलाई 2010; कॉलोरिडो विश्वविद्यालय, बौल्डर, संयुक्त राज्य अमेरिका के डॉ. वीकिंग हेन के नेतृत्व में) में प्रकाशित लेख में यह उल्लेख है कि यदि भविष्य में मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाली गर्मी हिंद-प्रशांत पूल की प्रमुख प्राकृतिक परिवर्तनीयता को प्रभावित करती है तो मास्केरीन्स आर्किपेलेगो जैसे समूह के बीच स्थित द्वीप, इंडोनेशिया, सुमात्रा और उत्तरी हिंद महासागर के तटों पर विश्व भर में समुद्र स्तर में होने वाली वृद्धि की तुलना में काफी अधिक वृद्धि हो सकती है।

(ख) स्व-स्थाने और उपग्रह प्रेक्षणों का प्रयोग करके तथा जलवायु मॉडल अनुरूपणों से भी किए गए अध्ययनों से यह निर्धारित किया गया है कि हिंद महासागर में समुद्र स्तर में वृद्धि 1960 के दशक से भिन्न स्थानिक पैटर्न से हुई है। यह पता चला है कि दक्षिण उष्णदेशीय हिंद महासागर में समुद्र स्तर में काफी अधिक कमी हुई है, जबकि अन्यत्र, मुख्यत: उत्तरी हिंद महासागर में, इसमें वृद्धि हुई है। साथ ही यह माना गया है कि वायुमंडलीय हरित गृह गैसों में वृद्धि होने के कारण परिवर्तनशील पवन पैटर्नों की वजह से वायुमंडलीय अथवा महासागरीय परिसंचरण में बदलाव होने के कारण क्षेत्रीय समुद्र स्तरों में परिवर्तन हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) से (ज) समुद्र स्तर में वृद्धि बहुत ही धीमी प्रक्रिया है और पूरे विश्व में कई समुद्र स्तरों में वृद्धि/कमी की प्रवृत्तियों से यह स्पष्ट हो गया है। परंतु हमारे वैज्ञानिकों ने 13 मि.मी. प्रति दशक की दर से समुद्र-स्तर में वृद्धि होने का अनुमान किया है, इसके साथ-साथ विचाराधीन अध्ययन में उल्लिखित आकलन भी विश्व भर में अन्यत्र किए गए आकलनों के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त अध्ययन का मुख्य निष्कर्ष इस धारणा पर आधारित है कि मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाली गर्मी हिंद प्रशांत गर्म पूल से संबंधित प्रमुख प्राकृतिक परिवर्तनीयता को प्रभावित करती है और इसके फलस्वरूप पिछले 50 वर्षों में अब तक तापमान लगभग 0.5. सें. बढ़ गया है। परिसंचरण अनुक्रिया में संभावित परिवर्तन वर्षा पैटर्नों आदि में परिवर्तनों संबंधी अन्य प्रेक्षण विशुद्ध रूप से महासागर एवं जलवायु मॉडलों द्वारा तैयार परिदृश्य पर आधारित थे।

यह ध्यान में रखा जाए कि जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) ने अपनी चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट में यह संकेत दिया है कि जलवायु मॉडलों में भावी जलवायु एवं परिवर्तनों के सर्वसम्मत परिदृश्य तैयार करने के संबंध में काफी अनिश्चितता होती है।

सर्वसम्मत भावी जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों, संभवत: आईपीसीसी की 5वीं मूल्यांकन रिपोर्ट में, के संदर्भ में कई युग्मित समुद्र-वायुमंडलीय मॉडलों द्वारा प्रदर्शित और भविष्य में हमारे ज्वार-भाटा मापी प्रेक्षणों में ऐसी अनुक्रिया प्रदर्शित किए जाने के बाद ही देश के तटीय क्षेत्रों की आबादी पर पड़ने वाले प्रभाव को दूर करने के लिए विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने का कार्य शुरू करना संभव हो सकता है।

उपर्युक्त के बावजूद भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्य योजना (एनएपीसीसी) में ऐसी कार्यनीति निर्धारित की गई है जिसका लक्ष्य देश को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने और अपने विकास के लिए पारिस्थितिकी को बनाए रखने के उपायों में वृद्धि करना है। इस योजना में इस बात पर बल दिया गया है कि भारत की अधिकांश: आबादी के जीवन स्तरों को ऊंचा उठाने और जलवायु परिवर्तन के प्रति उनकी संवेदनशीलता को कम करने के लिए उच्च विकास दर आवश्यक है।

बाढ़ नियंत्रण

***32. डा. रतन सिंह अजनाला :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में घग्गर नदी सहित देश की कतिपय नदियों से नहरें न निकाले जाने के कारण बहुत बड़े क्षेत्र में बाढ़ आ गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पंजाब सहित कतिपय राज्यों ने केन्द्रीय जल आयोग को बाढ़ से बचाव एवं नहरों की मरम्मत से संबंधित कोई प्रस्ताव भेजे थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : (क) और (ख) जी नहीं, नहरों का निर्माण न करना ही बाढ़ का एकमात्र कारण नहीं हो सकता। यह वर्षा की तीव्रता और अवधि, प्राकृतिक नदी मार्ग की सीमाओं, मार्ग में मानव निर्मित ढांचों आदि पर भी निर्भर करता है। घग्गर बेसिन में बाढ़ का मुख्य कारण विभिन्न मौजूदा पारगामी जल निकास कार्यों/पुलों की अपर्याप्त क्षमता है जो प्रतिप्रवाह क्षेत्रों में अभिवाह पैदा कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप तटबंधों में दरारें आ रही हैं। इस तरह यद्यपि अवसादन, निकर्षण, संरेखण आदि द्वारा नहरें निकालना जल स्तर को कम करने में सहायक हो सकती हैं लेकिन और भी कारण हैं जिनकी वजह से बाढ़ आ सकती है।

(ग) जी, हां।

(घ) ग्यारहवीं योजना के दौरान केन्द्रीय जल आयोग में विस्तार, पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण (ईआरएम) श्रेणी के तहत कुल 35 परियोजनाएं प्राप्त हुई थीं। इसमें से केन्द्रीय जल आयोग द्वारा 27 परियोजनाएं मंजूर कर दी गई हैं और 8 परियोजनाएं मूल्यांकनाधीन हैं। इन 27 स्वीकृत परियोजनाओं में से 11 परियोजनाएं त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए शामिल कर ली गई हैं तथा 403.8076 करोड़ रुपए की धन राशि जारी की गई है। शेष 16 परियोजनाओं पर राज्य सरकारों द्वारा कार्यवाही की जा रही है। जहां तक बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं का संबंध है, केन्द्रीय जल आयोग में 253 परियोजनाएं प्राप्त हुई थीं, जिनमें से अब तक 151 परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है। शेष परियोजनाओं में से केन्द्रीय जल आयोग ने 68 परियोजनाओं के संबंध में संबंधित राज्यों को अपनी टिप्पणियां भेजी हैं। 13 परियोजनाओं की केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है तथा 21 परियोजनाएं लौटाई गई हैं। स्वीकृत की गई 151 परियोजनाओं में से अब तक 110 परियोजनायें ग्यारहवीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफपीएम) के अंतर्गत वित्तपोषण के लिए शामिल की गई हैं और अब तक 337.77 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। इस राशि में पूर्वोत्तर की परियोजनाएं शामिल नहीं हैं जिन पर कार्रवाई ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा की जाती है।

(ङ) परियोजनाओं को स्वीकृत करने में लगने वाला समय, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा बताई गई तकनीकी टिप्पणियों की अनुपालना प्रस्तुत करने और अन्य अभिकरणों अर्थात पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जनजातीय मामले मंत्रालय से यथावश्यक अन्य स्वीकृतियां प्रस्तुत करने में परियोजना प्राधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले समय पर निर्भर करता है।

केन्द्र संरक्षित स्मारकों के निकट निर्माण

***33. श्री जी.एम. सिद्देश्वर :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने हाल ही में देश के कुछ भागों में केन्द्र संरक्षित स्मारकों एवं स्थलों के निकट निर्माण कार्यों की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) एएसआई द्वारा ऐसे निर्माण कार्यों की अनुमति प्रदान करने के क्या कारण हैं जिनके कारण स्मारकों एवं स्थलों को नुकसान पहुंचा है; और

(घ) देश में इन स्मारकों एवं स्थलों की रक्षा करने हेतु इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने का विचार है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी ढंग से स्मारक के हित को कोई क्षति न पहुंचे, कुछेक मामलों में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों और स्थलों के निकट सीमित परिमाण में निर्माण संबंधी गतिविधियों की अनुमति दी थी। स्मारकों और स्थलों के निषिद्ध क्षेत्र में विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सिफारिशों पर 2006 से 2009 तक महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा दी गई अनुमतियों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

2. सरकार ने प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियमावली, 1959 के नियम 31 के अधीन अपनी शक्तियों

का प्रयोग करते हुए, कानूनी आदेश सं. 1764, दिनांक 16.06.1992 द्वारा, संरक्षित स्मारकों के निकट निर्माण को विनियमित करने के लिए कुछेक विनियम अधिसूचित किए थे। अधिसूचना में स्मारकों के निषिद्ध और विनियमित क्षेत्र भी परिभाषित किए गए थे। तथापि, कुछ प्राचीन स्मारकों और स्थलों के निषिद्ध अथवा विनियमित क्षेत्रों में उक्त अधिसूचना के जारी करने की तारीख से पूर्व भी आवासीय मकान/निर्माण मौजूद थे।

3. केन्द्रीय सरकार ने 2006 में एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया जिसमें प्रतिष्ठित नगर योजनाकारों, संरक्षण वास्तुविदों, पुरातत्वविदों, इतिहासकारों और भूदृश्य वास्तुविदों को सदस्य के रूप में रखा गया ताकि ऐसे प्रस्तावों पर विचार किया जा सके और निषिद्ध/विनियमित क्षेत्रों में निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत आदि के लिए अनुमति देने हेतु महानिदेशक को सिफारिश की जा सके।

विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सिफारिशें मुख्यतया निषिद्ध क्षेत्रों में विद्यमान संरचनाओं के मालिकों को अपने मकानों की न्यूनतम मरम्मत, परिवर्तन, पुनर्निर्माण अथवा निर्माण करने के लिए अनुमति देने के संबंध में थीं। इन विनियमों के कारण, ऊपर उल्लिखित अन्य नागरिकों के अलावा, राष्ट्रमंडल खेल, 2010, मैट्रो रेल परियोजनाएं और अन्य सार्वजनिक परियोजनाएं भी प्रभावित हुईं क्योंकि राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित स्मारकों के निषिद्ध क्षेत्र में निर्माण करने की कोई अनुमति नहीं थी।

4. विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन और इसकी सिफारिशों पर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लिए गए निर्णयों को दिल्ली उच्च न्यायालय ने एल.पी.ए. सं. 417/2009 में दिनांक 30.10.2009 के अपने आदेश में 1992 की अधिसूचना की भावना के अनुकूल नहीं माना।

5. दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के फलस्वरूप, केन्द्र सरकार ने 23.01.2010 को प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2010 प्रख्यापित किया जिसे यथा विचार-विमर्श के बाद प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, इसे 30.03.2010 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया। संशोधन अधिनियम से केन्द्र सरकार की कुछेक कार्रवाइयों को वैधता मिल गई और इसमें निर्माण गतिविधियों के प्रयोजन के लिए निषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के अलावा, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का गठन करने और अनेक सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

6. राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण और सक्षम प्राधिकारी अब निषिद्ध/विनियमित क्षेत्रों में निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत और नवीकरण करने संबंधी आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे, उन पर कार्रवाई और विचार करेंगे। इसके अलावा, निषिद्ध क्षेत्र में नए निर्माण कार्यों (जल निकास, मल निकास, बिजली आपूर्ति आदि जैसे कुछेक सार्वजनिक निर्माण कार्यों को छोड़कर) पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया गया है। संशोधन अधिनियम में दंड प्रावधान तीन महीने के कारावास को बढ़ाकर दो वर्ष अथवा जुर्माना पांच हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये अथवा दोनों कर दिए हैं। ये उपाय राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित स्मारकों और स्थलों पर अतिक्रमण रोकने/दवाब कम करने के लिए प्रमुख सरकारी पहल है।

विवरण

निर्माण/पुनर्निर्माण/मरम्मत और नवीकरण के लिए अनुमति देने हेतु राज्यवार प्राप्त और स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या

क्र. सं..	राज्य	संरक्षित स्मारकों के निषिध क्षेत्र में दी गई अनुमति
1	2	3
1.	असम	1
2.	पंजाब	2
3.	छत्तीसगढ़	—
4.	दिल्ली	93
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	24
7.	हिमाचल प्रदेश	—
8.	जम्मू और कश्मीर	1
9.	कर्नाटक	3

1	2	3
10.	केरल	17
11.	मध्य प्रदेश	–
12.	महाराष्ट्र	4
13.	उड़ीसा	9
14.	राजस्थान	3
15.	तमिलनाडु	3
16.	उत्तराखंड	1
17.	उत्तर प्रदेश	7
18.	पश्चिम बंगाल	2
	जोड़	171

[हिन्दी]

कोयला ब्लॉकों का आवंटन

*34. श्री हर्ष वर्धन :
श्री चौधरी लाल सिंह :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को आवंटित कोयला ब्लॉकों का राज्य-वार एवं कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी आवंटित कोयला ब्लॉकों में कोयले का उत्पादन प्रारंभ हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा चूककर्ता कंपनियों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उन रक्षित कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द करने का है जिन्होंने अभी कोयला खनन शुरू नहीं किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन कंपनियों द्वारा आवंटित कोयला ब्लॉकों का उचित प्रयोग करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) आज तक की तारीख के अनुसार कुल 208 कोयला ब्लाक आवंटित किए गए हैं जिनका संयुक्त भूवैज्ञानिक भंडार लगभग 50 बिलियन टन है। 208 कोयला ब्लॉकों में से 90 कोयला ब्लॉक पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आवंटित किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक राज्यवार और कम्पनीवार आवंटित कोयला ब्लॉकों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आवंटित किसी भी कोयला ब्लॉक में उत्पादन आरंभ नहीं हुआ है। तथापि, आज की स्थिति के अनुसार, 208 आवंटित कोयला ब्लॉकों में से 26 कोयला ब्लॉकों में उत्पादन आरंभ हुआ है।

(ग) से (च) अधिकांश कोयला ब्लॉक 2005 के बाद आवंटित किए गए हैं। कोयला ब्लॉकों के विकास में उत्पादन स्तर तक पहुंचने के लिए उसे 3 से 7 वर्षों की जेस्टेशन अवधि लगती है और इष्टतम उत्पादन क्षमता तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त 2 से 3 वर्षों का समय लगता है। दिशा-निर्देशों के अनुसार आवंटन की तारीख से केप्टिव कोयला ब्लॉकों से कोयले का उत्पादन ओपनकास्ट खानों के मामले में 36 महीने (वन भूमि में आने वाले क्षेत्र के मामले में 42 महीने) तथा भूमिगत खान के मामले में 48 महीने (वन भूमि में आने वाले क्षेत्र के मामले में 54 महीने) के भीतर कोयले का उत्पादन शुरू हो जाना चाहिए। यदि कोयला ब्लॉक का अन्वेषण नहीं किया गया है तो विस्तृत अन्वेषण के लिए अतिरिक्त दो वर्ष और भूवैज्ञानिक रिपोर्ट को तैयार करने हेतु तीन माह की अनुमति दी जाती है। कोयला ब्लॉकों के जिन आवंटियों ने अभी तक उत्पादन शुरू नहीं किया है, वे सांविधिक अनुमोदनों तथा खनन पट्टा, खनन योजना तैयार करने, भूमि अधिग्रहण, खनन एवं अन्त्य उपयोग (एंड यूज) परियोजना दोनों के लिए मशीनरी तथा उपकरण आदि की खरीद की विभिन्न स्तरों पर है।

आवंटन पत्र के साथ संलग्न निर्धारित दिशा-निर्देशों और लक्ष्य चार्ट के अनुसार कोयला ब्लॉक को विकसित करने की जिम्मेवारी

पूर्ण रूप से आवंटिती कम्पनी की है। आवंटन पत्रों की शर्तों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कोयला ब्लॉकों को विकसित करने और अन्त्य उपयोग परियोजना को स्थापित करने में जानबूझ कर किए गए विलम्ब की स्थिति में सरकार उक्त ब्लॉक का आवंटन रद्द करने की उचित कार्रवाई करेगी। सरकार समीक्षा बैठकों में आवंटिती कंपनियों द्वारा आवंटित ब्लॉकों और अन्त्य उपयोग संयंत्रों के विकास को आवधिक रूप से मानीटर करती है और उसकी समीक्षा करती है। जहां कहीं भी विलम्ब का पता चलता है, सरकार ऐसी आवंटिती कंपनियों को दिशा-निर्देशों/लक्ष्य चार्ट के अनुसार कोयला ब्लॉकों को उत्पादन में लाने की चेतावनी देते हुए कारण बताओ नोटिस और एडवाइजरी जारी करती है। जून, 2009 में सम्पन्न समीक्षा बैठक के बाद 48 कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों के आबंटितियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। आवंटिती कंपनियों द्वारा की गई प्रगति के आधार पर समीक्षा समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार 10 ब्लॉकों का आवंटन रद्द किया गया है और एक ब्लॉक से संबंधित खनन पट्टे को आज तक अमान्य घोषित किया गया है। राज्य सरकारों से कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों के तेजी से विकास को सुसाध्य बनाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मानीटरिंग समिति का गठन करने का अनुरोध किया गया। कोयला नियंत्रक का कार्यालय भी विभिन्न लक्ष्यों की उपलब्धि को नियमित आधार पर मानीटर कर रहा है।

कोयला ब्लॉकों और अन्त्य उपयोग परियोजनाओं के विकास की समीक्षा करने के लिए सभी कोयला ब्लॉक आबंटितियों के साथ पिछली समीक्षा बैठक 20 और 21 जुलाई, 2010 को सम्पन्न हुई। तद्नुसार, समीक्षा समिति ने 45 सरकारी कम्पनियों और 48 निजी कंपनियों के कारण बताओ नोटिस जारी करने की सिफारिश की है।

विवरण

आवंटित ब्लॉक का क्र.सं.	आवंटित ब्लॉक	पार्टी का नाम	आवंटन की तारीख	राज्य	अंत्य उपयोग	भूगर्भीय भंडार (मि.ट. में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	कोसर डोंगरगांव	चमन मेटलिक्स लि.	20.02.2007	महाराष्ट्र	स्पोंज आयरन	22.51
2.	बिहारीनाथ	बांकुरा डीआरआई माइनिंग मैन्युफैक्चरर्स कम्पनी प्रा.लि.	20.02.2007	पश्चिम बंगाल	स्पोंज आयरन	95.16
3.	चकला	एस्सार विद्युत जनरेशन लि.	20.02.2007	झारखंड	विद्युत	83.05
4.	जीतपुर	जिंदल स्टील एंड विद्युत लि.	20.02.2007	झारखंड	विद्युत	81.09
5.	वरोरा वेस्ट (नार्थ)	भाटिया इंटरनेशनल लि.	20.02.2007	महाराष्ट्र	स्पोंज आयरन	10
6.	अनेस्टीपाली	आंध्र प्रदेश विद्युत जनरेशन निगम लि.	20.02.2007	आंध्र प्रदेश	विद्युत	26.89
7.	पुंकूला-चिलका	आंध्र प्रदेश विद्युत जनरेशन निगम लि.	20.02.2007	आंध्र प्रदेश	विद्युत	38.11
8.	सीतानाला	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.	11.04.2007	झारखंड	स्टील	108.8
9.	पैंगाडप्पा	आंध्र प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लि.	29.05.2007	आंध्र प्रदेश	विद्युत	110.87

1	2	3	4	5	6	7
10.	सिअल गोघरी	प्रिज्म सीमेंट लि.	29.05.2007	मध्य प्रदेश	सीमेंट	30.38
11.	रावनवारा नोथ	एसकेएस इस्पात लि.	29.05.2007	मध्य प्रदेश	स्पोज आयरन	174.07
12-13.	चेंडीपडा, चेन्डी-II	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.	25.07.2007	उड़ीसा	विद्युत	794.5
12-13.	चेंडीपडा, चेन्डी-II	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लि.	25.07.2007	उड़ीसा	विद्युत	500
12-13.	चेंडीपडा, चेन्डी-II	महाजेनको	25.07.2007	उड़ीसा	विद्युत	294.5
14.	बैतरनी वेस्ट	केरला राज्य विद्युत बोर्ड	25.07.2007	उड़ीसा	विद्युत	200.66
14.	बैतरनी वेस्ट	उड़ीसा हाइड्रो विद्युत जनरेशन निगम	25.07.2007	उड़ीसा	विद्युत	200.66
14.	बैतरनी वेस्ट	गुजरात विद्युत जनरेशन निगम	25.07.2007	उड़ीसा	विद्युत	200.66
15.	मंदाकिनी बी	असम खनिज विकास निगम	25.07.2007	उड़ीसा	विद्युत	300
15.	मंदाकिनी बी	मेघालय खनिज विकास निगम	25.07.2007	उड़ीसा	विद्युत	300
15.	मंदाकिनी बी	तमिलनाडु राज्य विद्युत बोर्ड चेन्नई	25.07.2007	उड़ीसा	विद्युत	300
15.	मंदाकिनी बी	उड़ीसा खनन निगम	25.07.2007	उड़ीसा	विद्युत	300
16.	**छटी बरियातू साउथ**	नेशनल तापीय विद्युत निगम	25.07.2007	झारखंड	विद्युत	354
17.	**साहारपुर जमरपाणि**	दामोदर घाटी निगम	25.07.2007	झारखंड	विद्युत	600
18.	**मनोहरपुर**	उड़ीसा विद्युत जनरेशन निगम	25.07.2007	उड़ीसा	विद्युत	181.68
19.	डीप साइड मनोहरपुर	उड़ीसा पावर जनरेशन कारपोरेशन	25.07.2007	उड़ीसा	विद्युत	350
20.	नैनी	गुजरात खनिज विकास निगम	25.07.2007	उड़ीसा	विद्युत	500
20.	नैनी	पीआईपीडीआईसीएल	25.07.2007	उड़ीसा	विद्युत	
21.	ऊरमा पहाड़ीटोरा	झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड	25.07.2007	झारखंड	विद्युत	437
21.	ऊरमा पहाड़ीटोरा	बिहार राज्य खनिज विकास निगम	25.07.2007	झारखंड	विद्युत	263
22.	पतरातू	झारखंड राज्य खनिज विकास निगम	25.07.2007	झारखंड	वाणिज्यिक	450
23.	राबोडीह ओसीपी	झारखंड राज्य खनिज विकास निगम	25.07.2007	झारखंड	वाणिज्यिक	133

1	2	3	4	5	6	7
24.	जगन्नाथपुर ए	पश्चिम बंगाल मिनरल डेव. ट्रेडिंग कारपोरेशन	25.07.2007	पश्चिम बंगाल	वाणिज्यिक	273
25.	जगन्नाथपुर बी	पश्चिम बंगाल मिनरल डेव. ट्रेडिंग कारपोरेशन	25.07.2007	पश्चिम बंगाल	वाणिज्यिक	176
26.	सुलियारी	आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम लि.	25.07.2007	मध्य प्रदेश	वाणिज्यिक	75
27.	मरकी बरका	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	25.07.2007	मध्य प्रदेश	वाणिज्यिक	80
28.	शंकरपुर भटगांव II	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लि.	25.07.2007	छत्तीसगढ़	वाणिज्यिक	80.13
29.	मोरगा III	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	25.07.2007	छत्तीसगढ़	वाणिज्यिक	35
30.	मोरगा IV	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	25.07.2007	छत्तीसगढ़	वाणिज्यिक	35
31.	सोन्धिया	छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लि.	25.07.2007	छत्तीसगढ़	वाणिज्यिक	70
32.	सेमरिया/पीपरिया	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	25.07.2007	मध्य प्रदेश	वाणिज्यिक	38.62
33.	शाहपुर ईस्ट	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	25.07.2007	मध्य प्रदेश	वाणिज्यिक	42
34.	शाहपुर वेस्ट	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	25.07.2007	मध्य प्रदेश	वाणिज्यिक	42
35.	बिचारपुर	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	25.07.2007	मध्य प्रदेश	वाणिज्यिक	36
36.	मांडला साउथ	मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम	25.07.2007	मध्य प्रदेश	वाणिज्यिक	72
37.	वरोरा	महाराष्ट्र राज्य खनन निगम	25.07.2007	महाराष्ट्र	वाणिज्यिक	73
38.	परसा ईस्ट	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.	25.06.2007	छत्तीसगढ़	विद्युत	180
39.	कांताबासन	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.	25.06.2007	छत्तीसगढ़	विद्युत	180
40.	ब्रह्मपुरी	पुष्प इस्पात एवं माइनिंग लि.	16.07.2007	मध्य प्रदेश	स्पोंज आयरन	55.05
41.	केरनदारी बीसी	विद्युत वित्त निगम तिलैया यूएमपीपी झारखंड	20.07.2007	झारखंड	विद्युत	972
42.	तुबेड	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज	01.08.2007	झारखंड	विद्युत	189
42.	तुबेड	टाटा पावर लि.	01.08.2007	झारखंड	विद्युत	
43.	मांडला नार्थ	जयप्रकाश एसोसिएट लि.	17.09.2007	मध्य प्रदेश	सीमेंट	194.96

1	2	3	4	5	6	7
44.	अशोक करकट्टा सेन्ट्रल	एस्सार पावर लि.	06.11.2007	झारखंड	विद्युत	110
45.	पत्तल ईस्ट	भूषण विद्युत एवं इस्पात लि.	06.11.2007	झारखंड	विद्युत	200
46.	सयांग	एईएस छत्तीसगढ़ एनर्जी प्रा.लि.	06.11.2007	छत्तीसगढ़	विद्युत	150
47.	दुर्गापुर-II/सारया	डीबी विद्युत लि.	06.11.2007	छत्तीसगढ़	विद्युत	91.67
48.	दुर्गापुर-II/ताराईमर	बाल्को	06.11.2007	छत्तीसगढ़	विद्युत	211.37
49.	लोहारा वेस्ट विस्तार	अदानी विद्युत लि.	06.11.2007	महाराष्ट्र	विद्युत	169.832
50.	अर्धग्राम	सोवा इस्पात लि.	06.12.2007	पश्चिम बंगाल	स्पोंज आयरन	121
50.	अर्धग्राम	जयबालाजी स्पोंज लि.	06.12.2007	पश्चिम बंगाल	स्पोंज आयरन	122
51.	सीतारामपुर	पश्चिम बंगाल खनिज विकास ट्रेडिंग निगम	27.12.2007	पश्चिम बंगाल	वाणिज्यिक	210
52.	मंदाकिनी	मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लि.	09.01.2008	उड़ीसा	विद्युत	96.84
52.	मंदाकिनी	जिंदल फोटो लि.	09.01.2008	झारखंड	विद्युत	96.84
52.	मंदाकिनी	टाटा पावर कंपनी लि.	09.01.2008	झारखंड	विद्युत	96.84
53.	सेरेगढ़	आर्सेलर मित्तल इंडिया लि.	09.01.2008	झारखंड	विद्युत	83.33
53.	सेरेगढ़	जीवीके पावर (गोंविदवाल साहिब) लि.	09.01.2008	झारखंड	विद्युत	66.67
54.	माहुआगढ़ी	सीईएससी लि.	09.01.2008	झारखंड	विद्युत	110
54.	माहुआगढ़ी	जैश इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल प्रा.लि.	09.01.2008	झारखंड	विद्युत	
55.	अमरकोंडा मुर्गादांगल	जिंदल इस्पात एवं विद्युत लि.	17.01.2008	झारखंड	विद्युत	205
55.	अमरकोंडा मुर्गादांगल	गगन स्पोंज आयरन प्रा.लि.	17.01.2008	झारखंड	विद्युत	205
56-57.	रामपिया एंड डीप साईड आफ रामपिया	स्टरलाइट एनर्जी लि. (आईपीपी)	17.01.2008	उड़ीसा	विद्युत	112.22

1	2	3	4	5	6	7
56-57.	रामपिया एंड डीप साईड आफ रामपिया	जीएमआर एनर्जी (आईपीपी)	17.01.2008	उड़ीसा	विद्युत	112.22
56-57.	रामपिया एंड डीप साईड आफ रामपिया	आर्सेलर मित्तल इंडिया लि. (आईपीपी)	17.01.2008	उड़ीसा	विद्युत	84.16
56-57.	रामपिया एंड डीप साईड आफ रामपिया	लेन्को ग्रुप लि. (आईपीपी)	17.01.2008	उड़ीसा	विद्युत	112.22
56-57.	रामपिया एंड डीप साईड आफ रामपिया	नवभारत विद्युत प्रा.लि. (सीईपीपी)	17.01.2008	उड़ीसा	विद्युत	112.22
56-57.	रामपिया एंड डीप साईड आफ रामपिया	रिलांयस एनर्जी लि. (आईपीपी)	17.01.2008	उड़ीसा	विद्युत	112.22
58.	फतेहपुर ईस्ट	जेएलडी यवतमाल एनर्जी लि.	23.01.2008	छत्तीसगढ़	विद्युत	99.12
58.	फतेहपुर ईस्ट	आर.के.एम. पावरजेन प्रा.लि.	23.01.2008	छत्तीसगढ़	विद्युत	99.12
58.	फतेहपुर ईस्ट	वीसा विद्युत लि.	23.01.2008	छत्तीसगढ़	विद्युत	99.12
58.	फतेहपुर ईस्ट	ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.	23.01.2008	छत्तीसगढ़	विद्युत	99.12
58.	फतेहपुर ईस्ट	वंदना विद्युत लि.	23.01.2008	छत्तीसगढ़	विद्युत	53.52
59.	फतेहपुर	एसकेएस इस्पात एवं विद्युत लि.	06.02.2008	छत्तीसगढ़	विद्युत	73.85
59.	फतेहपुर	प्रकाश इंडस्ट्रीज लि.	06.02.2008	छत्तीसगढ़	विद्युत	46.15
60.	जोगेश्वर एंड खास जोगेश्वर	झारखंड स्टेट मिनरल डेव. कार्पोरेशन लि.	11.04.2008	झारखंड	वाणिज्यिक	84.03
61.	चोरीटांडा तैलिया	रूंगटा माइन्स लि.	14.05.2008	झारखंड	स्पोंज आयरन	18.7
61.	चोरीटांडा तैलिया	सनफ्लेग आयरन स्टील लि.	14.05.2008	झारखंड	स्पोंज आयरन	8.72
62.	रोहने	जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	05.06.2008	झारखंड	स्पोंज आयरन	172.53
62.	रोहने	भूषण पावर एंड स्टील लि.	05.06.2008	झारखंड	स्पोंज आयरन	60.23
62.	रोहने	जयबालाजी इंडस्ट्रीज लि.	05.06.2008	झारखंड	स्पोंज आयरन	17.23

1	2	3	4	5	6	7
63.	भिवकुण्ड	महाजेनको (मैसर्स औरंगाबाद का.लि. एसपीवी)	17.07.2008	महाराष्ट्र	विद्युत	100
64.	केसला नार्थ	राठी उद्योग लि.	05.08.2008	छत्तीसगढ़	स्पोंज आयरन	36.15
65.	मचरकुण्डा	बिहार स्पंज आयरन लि.	05.08.2008	झारखंड	स्पोंज आयरन	23.86
66.	टांडसी-III एवं टांडसी-III (विस्त.)	मिडईस्ट इंटीग्रेटिड स्टील्स लि.	05.08.2008	मध्य प्रदेश	स्टील	17.39
67.	बिक्रम	बिरला कारपोरेशन लि.	12.08.2008	मध्य प्रदेश	सीमेंट	20.98
68.	तेनुघाट-झिरकी	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.	10.09.2008	झारखंड	स्टील	215.756
69.	गारे पालमा सेक्टर-III	गोवा इंडस्ट्रीयल विकास निगम	12.11.2008	छत्तीसगढ़	पावर	210.2
70.	राजहारा नार्थ (सेंटल एंड ईस्टर्न)	मुकुंद लिमिटेड	20.11.2008	झारखंड	स्टील	10.05
70.	राजहारा नार्थ (सेंटल एंड ईस्टर्न)	विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लि.	20.11.2008	झारखंड	स्टील	7.04
71.	गोंडखारी	महाराष्ट्र सिमलेस लि.	21.11.2008	महाराष्ट्र	स्पोंज आयरन	29.1
71.	गोंडखारी	धारीवाल इन्फ्रास्टक्चर (प्रा.) लि.	21.11.2008	महाराष्ट्र	स्पोंज आयरन	23.93
71.	गोंडखारी	केसोराम इंडस्ट्रीज लि.	21.11.2008	महाराष्ट्र	सीमेंट	44.87
72.	थेसगोरा-बी/रुद्रपुरी	कमल स्पोंज स्टील एवं पावर लि.	21.11.2008	मध्य प्रदेश	स्पोंज आयरन	30.67
72.	थेसगोरा-बी/रुद्रपुरी	रेवती सीमेंट प्रा.लि.	21.11.2008	मध्य प्रदेश	सीमेंट	14.37
73.	भाष्करपारा	इलैक्ट्रोथर्म (इंडिया) लि.	21.11.2008	छत्तीसगढ़	स्पोंज आयरन	24.69
73.	भाष्करपारा	ग्रासिम इंडस्टीज लि.	21.11.2008	छत्तीसगढ़	स्पोंज आयरन	22.22
74.	ईस्ट ऑफ दामोगोरी (कल्याणेश्वरी)	पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लि.	27.02.2009	पश्चिम बंगाल	विद्युत	337
75.	रामचांदी प्रोमोशन ब्लॉक	जिन्दल स्टील एंड पावर लि.	27.02.2009	उड़ीसा	सीटीएल	1500

1	2	3	4	5	6	7
76.	नार्थ ऑफ अरखापल श्रीरामपुर	स्ट्रेटजिक एनर्जी टेक्नोलॉजी सिस्टम्स लि. (एसइटीएसएल)	27.02.2009	उड़ीसा	सीटीएल	1500
77.	मेदनीराई	रूंगटा खान लि.	28.05.2009	झारखंड	विद्युत	80.83
77.	मेदनीराई	कोहिनूर स्टील (प्रा.) लि.	28.05.2009	झारखंड	स्पोंज आयरन	
78.	गणेशपुर	टाटा स्टील लि.	28.05.2009	झारखंड	विद्युत	137.88
78.	गणेशपुर	आधुनिक थर्मल एनर्जी लि.	28.05.2009	झारखंड	विद्युत	
79.	बंदेर	एएमआर आयरन एंड स्टील्स प्रा.लि.	29.05.2009	महाराष्ट्र	स्टील	31.53
79.	बंदेर	सेंचूरी टेक्सटाईल्स एंड इंडस्ट्रीज लि.	29.05.2009	महाराष्ट्र	सीमेंट	47.29
79.	बंदेर	जे.के. सीमेंट लि.	29.05.2009	महाराष्ट्र	सीमेंट	47.29
80.	खप्पा एवं विस्तार	सनफ्लैग आयरन स्टील लि.	29.05.2009	महाराष्ट्र	स्टील	53.6
80.	खप्पा एवं विस्तार	डालमिया सीमेंट (भारत) लि.	29.05.2009	महाराष्ट्र	सीमेंट	31.12
81.	राजगमर डीपसाईड (साउथ आफ पुलाकडीह नाला)	मोनेट इस्पात और एनर्जी लि.	03.06.2009	छत्तीसगढ़	स्टील	49.93
81.	राजगमर डीपसाईड (साउथ आफ पुलाकडीह नाला)	टोपवर्थ स्टील प्रा.लि.	03.06.2009	छत्तीसगढ़	स्पोंज आयरन	11.77
82.	दाहेगांव/ मकरधोकरा IV	आईएसटी स्टील एंड पावर लि.	17.06.2009	महाराष्ट्र	स्टील एंड स्पोंज आयरन	70.74
82.	दाहेगांव/ मकरधोकरा IV	गुजरात अंबुजा सीमेंट लि.	17.06.2009	महाराष्ट्र	सीमेंट	36
82.	दाहेगांव/ मकरधोकरा IV	लफार्ज इंडिया प्रा.लि.	17.06.2009	महाराष्ट्र	सीमेंट	25.26
83.	मौर्या	करनपुरा एनर्जी लि. (एसपीवी ऑफ जेएसईबी)	26.06.2009	झारखंड	विद्युत	225.35
84.	अंदल ईस्ट	भूषण स्टील लि.	03.07.2009	पश्चिम बंगाल	स्टील	237.23

1	2	3	4	5	6	7
84.	अंदल ईस्ट	जय बालाजी इंडस्ट्रीज लि.	03.07.2009	पश्चिम बंगाल	स्पोंज आयरन	229.5
84.	अंदल ईस्ट	रशमी सीमेंट लि.	03.07.2009	पश्चिम बंगाल	स्पोंज आयरन	233.27
85.	गौरंगडीह एबीसी	हिमाचल ईएमटीए पावर लि.	10.07.2009	पश्चिम बंगाल	विद्युत	68.85
85.	गौरंगडीह एबीसी	जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	10.07.2009	पश्चिम बंगाल	विद्युत	68.85
86.	पुटा परोगिया	अकलतारा पावर लि. (एसपीवी ऑफ छत्तीसगढ़ यूएमपीपी)	09.09.2009	छत्तीसगढ़	विद्युत	692.16
87.	पिनदराखी	अकलतारा पावर लि. (एसपीवी ऑफ छत्तीसगढ़ यूएमपीपी)	09.09.2009	छत्तीसगढ़	विद्युत	421.51
88.	मोइरा मधुजोर	रामस्वरूप लौह उद्योग लि.	06.10.2009	पश्चिम बंगाल	स्टील एंड स्पोंज आयरन	685.39
88.	मोइरा मधुजोर	आधुनिक कारपोरेशन लि.	06.10.2009	पश्चिम बंगाल	स्पोंज आयरन	
88.	मोइरा मधुजोर	राठी उद्योग लि.	06.10.2009	पश्चिम बंगाल		36.15
88.	मोइरा मधुजोर	उत्तम गालवा स्टील्स लि.	06.10.2009	पश्चिम बंगाल	स्टील एंड स्पोंज आयरन	
88.	मोइरा मधुजोर	हावड़ा गैसेज लि.	06.10.2009	पश्चिम बंगाल	स्पोंज आयरन	
88.	मोइरा मधुजोर	विकास मेटल एंड पावर लि.	06.10.2009	पश्चिम बंगाल	स्टील एंड स्पोंज आयरन	
88.	मोइरा मधुजोर	एसीसी लि.	06.10.2009	पश्चिम बंगाल	सीमेंट	
89.	उर्तन नार्थ	जिंदल स्टील एंड पावर लि.	12.10.2009	मध्य प्रदेश	स्पोंज आयरन	46.55
89.	उर्तन नार्थ	मोनेट इस्पात और एनर्जी लि.	12.10.2009	मध्य प्रदेश	स्पोंज आयरन	23.27
90.	बनखुई	साखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लि. (प्रथम अतिरिक्त उड़ीसा यूएमपीपी का एसपीवी	21.06.2010	उड़ीसा	विद्युत	800

[अनुवाद]

वन्यजीव अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों में अवैध खनन

*35. **श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :**
श्रीमती जयाप्रदा :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वन्यजीव अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों में अवैध खनन पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय के प्रतिबंध के बावजूद सरिस्का अभ्यारण्य में 30-40 खानें कार्य कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 4 अगस्त, 2006 के अपने आदेश द्वारा राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्यों की सीमाओं के अंदर और साथ ही सीमाओं के बाहर एक किलोमीटर तक खनन कार्य का निषेध किया है। राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और अन्य संरक्षित क्षेत्र संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों में अवैध रूप से होने वाले खनन कार्य, यदि कोई हों, का विवरण सामान्यतया मंत्रालय में समेकित नहीं किया जाता।

राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, सरिस्का बाघ रिजर्व में कोई खान प्रचालन में नहीं है।

(घ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों में अवैध खनन की रोकथाम हेतु वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत शक्तियां प्राप्त हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में छात्र संघों का चुनाव

*36. **श्री कपिल मुनि करवारिया :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में छात्र संघों के चुनाव लिंगदोह समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार हुए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में छात्र संघों के चुनाव अब तक नहीं हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन विश्वविद्यालयों में चुनाव कब तक कराए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ङ) विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर अपेक्षित विश्वविद्यालय-वार विवरण संलग्न कर दिया गया है।

भारत में सम्बन्धित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में छात्र संघों के चुनाव उनके अपने अधिनियमों, संविधियों, यदि कोई हैं, के प्रावधानों और सभी कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में लिंगदोह समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन संबंधी 2004 की एसएलपी (सी) संख्या 24295 तथा 24299 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 22 सितम्बर, 2006 के आदेश के अनुसार कराए जाते हैं।

विवरण

लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में छात्र संघों के चुनाव के ब्यौरे

क्र.सं.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय का नाम	क्या चुनाव हुए	चुनाव न कराए जाने के कारण	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
1.	दिल्ली विश्वविद्यालय	जी, हां		

1	2	3	4	5
2.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	जी, नहीं	यह मामला भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है।	
3.	जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली	जी नहीं	विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा विश्वविद्यालय परिसर की स्थिति अनुकूल नहीं पाई गई है।	
4.	बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	जी, नहीं	विश्वविद्यालय ने अभी तक सिफारिशों को नहीं अपनाया है।	
5.	अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ	चुनाव हो रहे हैं		
6.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	जी, हां		
7.	नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा	जी, हां		
8.	असम विश्वविद्यालय, सिल्चर	जी, नहीं	इस विश्वविद्यालय की संविधियों में छात्र परिषद् की व्यवस्था है।	
9.	विश्व भारती, शांतिनिकेतन	जी, नहीं	इस विश्वविद्यालय की संविधियों में छात्र परिषद् की व्यवस्था है।	
10.	उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग	जी, हां		
11.	मणिपुर विश्वविद्यालय, इम्फाल	जी, नहीं	इस विश्वविद्यालय की संविधियों में छात्र परिषद् की व्यवस्था है।	
12.	सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक	जी, नहीं	विश्वविद्यालय ने अपना शैक्षिक कार्यकलाप, अक्तूबर, 2008 से प्रारंभ किए हैं।	
13.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	जी, नहीं	विश्वविद्यालय, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत कार्य करता है।	
14.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद	जी, नहीं	विश्वविद्यालय संविधियों में छात्र परिषद् का प्रावधान नहीं है। तथापि, सेक्शन-वार/पाठ्यक्रम-वार छात्र प्रतिनिधि विद्यमान हैं।	
15.	मिजोरम विश्वविद्यालय	जी, हां		

1	2	3	4	5
16.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला	जी, नहीं	विश्वविद्यालय संविधियों में छात्र परिषद् का प्रावधान है।	
17.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, ईटानगर	जी, हां		
18.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	जी, नहीं	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार आवश्यक विनियम तैयार कर रहा है।	
19.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	जी, नहीं	लिंगदोह समिति की सिफारिश 6.1.2 के अनुसार एक छात्र परिषद् कार्य कर रही है।	
20.	महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा	जी, नहीं	विश्वविद्यालय संविधियों में संघ का प्रावधान नहीं है।	
21.	पुदुचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी	जी, नहीं	विश्वविद्यालय संविधियों में छात्र परिषद् का प्रावधान है।	
22.	तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर	जी, नहीं	विश्वविद्यालय की सांविधिक प्रावधानों के अनुसार छात्र परिषद् है।	
23.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	जी, नहीं	लिंगदोह समिति की सिफारिशों के अनुसार छात्र संघ का चुनाव कराने के लिए विनियमों में अपेक्षित संशोधनों का सुझाव देने के लिए एक समिति गठित की गई है।	
24.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक	जी, नहीं	यह विश्वविद्यालय, विकास के अपने प्रारम्भिक स्तर पर है।	
25.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के अधीन स्थापित 15 केन्द्रीय विश्वविद्यालय	जी, नहीं	ये विश्वविद्यालय, विकास के अपने प्रारम्भिक स्तरों पर हैं।	

[अनुवाद]

हज यात्रा

*37. **श्री नीरज शेखर : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार कितने व्यक्तियों द्वारा हज यात्रा किए जाने की आशा है;

(ख) क्या जेद्दाह में हज यात्रियों के लिए आवास सहित की गई अन्य व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उनके मंत्रालय को इस संबंध में कतिपय क्षेत्रों में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) व्यवस्था में सुधार करने हेतु क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है तथा इस संबंध में हज मिशन को जारी किए गए नए अनुदेशों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) इस वर्ष हज समिति के जरिए हज करने वाले हज यात्रियों की अनुमानित संख्या 125,850 है। इसके अतिरिक्त निजी टूर आपरेटरों (पीटीओ) को 45,637 सीटें आवंटित की गई हैं। भारतीय हज समिति के जरिए हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों का राज्य-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। चूंकि 21 केंद्रों से उड़ानें परिचालित की जा रही हैं इसलिए अंतिम उड़ान के बाद ही सही-सही आंकड़े उपलब्ध हो सकेंगे।

(ख) मक्का और मदीना में प्रवास व्यवस्था सहित हज यात्रियों के लिए अन्य सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) प्रश्न नहीं उठता। सरकार का निरंतर यह प्रयास रहता है कि सभी संबंधित लोगों से प्राप्त सूचना के आधार पर हजयात्रियों के लिए किए जाने वाले प्रबंधों में सुधार किया जाए और उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएं।

विवरण

विदेश मंत्रालय (हज सैल)

क्र. सं.	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	कुल तीर्थयात्री (हज, 2010)
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार (संघ शा.)	119
2.	आंध्र प्रदेश	6792
3.	असम	4220
4.	बिहार	6268
5.	चंडीगढ़ (संघ शा.)	43
6.	छत्तीसगढ़	398
7.	दादरा नगर हवेली (संघ शा.)	15
8.	दमन और दीव (संघ शा.)	55
9.	दिल्ली (संघ शा.)	1579
10.	गोवा	341
11.	गुजरात	4466
12.	हरियाणा	1189
13.	हिमाचल प्रदेश	187
14.	जम्मू और कश्मीर	6605
15.	झारखंड	2896
16.	कर्नाटक	6284
17.	केरल	7645
18.	लक्षद्वीप (संघ शा.)	56
19.	मध्य प्रदेश	3735
20.	महाराष्ट्र	9986
21.	मणिपुर	354
22.	उड़ीसा	740
23.	पुदुचेरी (संघ शा.)	321

1	2	3
24.	पंजाब	372
25.	राजस्थान	4656
26.	तमिलनाडु	3374
27.	त्रिपुरा	108
28.	उत्तर प्रदेश	29887
29.	उत्तराखंड	984
30.	पश्चिम बंगाल	10325
31.	सरकारी कोटा (खादीमुल-हुज्जाज, मेहरम, भारतीय हज समिति के सदस्यों सहित)	11000
32.	अतिरिक्त कोटा	850
	कुल	1,25,850

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष

*38. **श्री ओम प्रकाश यादव : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष में 31 अक्तूबर, 2010 की स्थिति के अनुसार कुल कितनी धनराशि उपलब्ध है;

(ख) गत तीन वर्षों में एवं चालू वर्ष के दौरान उक्त कोष से राज्य-वार कितना आवंटन किया गया है;

(ग) क्या राष्ट्रीय सांस्कृतिक कोष योजना के अंतर्गत सुरक्षा/संरक्षण परियोजनाओं के निष्पादन हेतु सरकारी/निजी भागीदारी को अनुमति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार राज्यों में इस प्रकार के कोष का गठन करने हेतु राज्य सरकारों को राजी करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (च) 31 अक्तूबर, 2010 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय संस्कृति निधि के पास 19.50 करोड़ रु. की अक्षय निधि तथा 11.49 करोड़ रु. की गौण निधि (गत वर्षों से अर्जित ब्याज की राशि) है।

गौण निधि का उपयोग, **निधि** के प्रशासन संबंधी व्ययों को वहन करने के लिए किया जाता है। मूर्त विरासत से संबंधित सभी परियोजनाओं का वित्त पोषण निगमित क्षेत्र से अंशदान द्वारा किया जाता है। तथापि, अमूर्त विरासत से संबंधित परियोजनाओं का वित्त पोषण एनसीएफ द्वारा इसकी गौण निधि से बराबर की हिस्सेदारी के आधार पर किया जाता है। गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में एनसीएफ द्वारा की गई/की जाने वाली बराबर की हिस्सेदारी का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। ये हिस्सेदारी परियोजनावार की जाती है, न कि राज्यवार की जाती है।

एनसीएफ की स्थापना निगमित निकायों सहित नागरिक समाज को विरासत परिरक्षण में शामिल करने के प्राथमिक उद्देश्य से की गई थी। निर्मित विरासत के संरक्षण व सुरक्षा के अलावा, एनसीएफ के कार्य क्षेत्र में अमूर्त विरासत के क्षेत्र में कला व संस्कृति की मौजूदा परम्पराओं का संवर्धन भी शामिल है। एनसीएफ द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

राज्य सरकारों को निगमित क्षेत्र सहित नागरिक समाज के साथ मिलकर ऐसे ही उद्यम स्थापित करने के लिए एनसीएफ माडल का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

विवरण-I

2007-08 से 2010-11 (आज तक) के दौरान राष्ट्रीय संस्कृति निधि की परियोजना हिस्सेदारी

वर्ष	परियोजनाओं की संख्या	निहित कुल परियोजना लागत (लाख रुपये)	राष्ट्रीय संस्कृति निधि (लाख रुपये)
1	2	3	4
2007-08	5	205	39

1	2	3	4
2008-09	4	5740	160
2009-10	4	582.30	शून्य
2010-11 (31 अक्तूबर, 2010 तक)	5	286.37	46.45

विवरण-II

राष्ट्रीय संस्कृति निधि के अंतर्गत आरंभ की गई परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	परियोजना	समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित होने की तिथि
1	2	3
1.	हुमायूं का मकबरा, नई दिल्ली (कार्य पूरा हुआ)	अप्रैल, 1999
2.	शानीवरवादा, पूणे (कार्य पूरा हुआ)	22 जनवरी, 2001
3.	ज्ञान प्रवाह ट्रस्ट	4 जनवरी, 2000
4.	जन्तर मन्तर, नई दिल्ली	11 अक्तूबर, 2000
5.	बाल संस्कृति अकादमी, दुर्गापुर	12 जनवरी, 2000
6.	रमण महर्षि अध्ययन केन्द्र, बंगलौर-1 (कार्य पूरा हुआ)	14 मार्च, 2001
7.	रामकृष्ण मिशन संस्कृति संस्थान, कोलकाता (कार्य पूरा हुआ)	22 मार्च, 2002
8.	किषकिंधा ट्रस्ट, अनीगुंडी, कर्नाटक (कार्य पूरा हुआ)	18 अप्रैल, 2000
9.	राजा दिनकर केलकर संग्रहालय, पुणे	2002, 2008 में उसका पुनरुद्धार किया गया
10.	परदेसी साइनागोग क्लाक टावर, कोचीन, केरल (कार्य पूरा हुआ)	12 नवम्बर, 2001
11.	इंडियन आयल फाउंडेशन	30 मार्च, 2001
12.	ताजमहल, आगरा	21 जून, 2001
13.	जैसेलमेर का किला, जैसेलमेर	13 अगस्त, 2003
14.	लोदी मकबरा परियोजना, नई दिल्ली	10 जनवरी, 2006

1	2	3
15.	रमण महर्षि विरासत केन्द्र, बंगलौर-2	28 जुलाई, 2007
16.	ज्ञान प्रवाह ट्रस्ट, वाराणसी	14 नवम्बर, 2007
17.	लारिया नन्दन मठ, चंकी मठ तथा बिहार के उत्तरी चम्पारन जिले में रामपूरवा	18 दिसम्बर, 2007
18.	मीरो का संगीत (कार्य पूरा हुआ)	14 मार्च, 2006
19.	मैं. मार्ग प्रकाशन (कार्य पूरा हुआ)	24 मार्च, 2006
20.	वजीरपुर का गुम्बद, नई दिल्ली	28 मार्च, 2008
21.	कृष्णा मन्दिर, हम्पी	12 जून, 2008
22.	हिडिम्बा देवी मन्दिर, मनाली	15 जुलाई, 2008
23.	आलमबाजार मठ, कोलकाता	14 अक्तूबर, 2008
24.	गोल गुम्बद, बीजापुर	11 दिसम्बर, 2009
25.	एनटीपीसी द्वारा स्मारकों का समूह	22 दिसम्बर, 2009
26.	प्राचीन शिव मन्दिर, अमरनाथ	25 फरवरी, 2010
27.	ओएनजीसी के साथ सहयोग का सामूहिक ज्ञापन	18 दिसम्बर, 2009
28.	अहोम स्मारक, शिवसागर, असम	29 जून, 2010
29.	राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली	29 जून, 2010
30.	हज़ारदुरई का महल, जिला मुशिराबाद	13 जुलाई, 2010
31.	किशोरी अमोनकर पर फिल्म, शास्त्रीय गायक	21 सितम्बर, 2010
32.	श्रीमती मृणालिनी साराभाई पर फिल्म, शास्त्रीय नृत्यांगना	13 सितम्बर, 2010
33.	भारतीय फोटो अभिलेख फाउंडेशन	25 अक्तूबर, 2010

[अनुवाद]

पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता

*39. **श्री संजय धोत्रे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न कक्षाओं की राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) की पाठ्य पुस्तकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एवं वर्ष-वार मांग एवं आपूर्ति क्या है;

(ख) क्या एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग को पूरा करने में असमर्थ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गयी है कि छात्रों को पाठ्य पुस्तकें शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पर्याप्त समय पहले उपलब्ध कराई जाएं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) पर्याप्त संख्या में पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण करवाती है ताकि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की जरूरतें पूरी हो सकें, क्योंकि ये स्कूल सामान्यत: एनसीईआरटी द्वारा तैयार की गई पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रमों का अनुसरण करते हैं और एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों का ही प्रयोग करते हैं। वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा पाठ्य पुस्तकों की क्रमश: 46920948, 34496501 तथा 30320508 प्रतियां छापी गईं। राज्य बोर्डों अथवा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों द्वारा पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकें निर्धारित की जाती हैं।

(ख) एनसीईआरटी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के छात्रों की मांगें पूरी करने में सक्षम रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एनसीईआरटी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के छात्रों को समय पर पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। यह देश भर में 340 से भी अधिक थोक विक्रेताओं और एनसीईआरटी के 4 क्षेत्रीय केन्द्रों के एक नेटवर्क के जरिए पाठ्यपुस्तकों का प्रिंटरवार, विषयवार उत्पादन और स्टॉक जारी करने की प्रक्रिया का अनुवीक्षण करती है।

विभिन्न परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी मंजूरी

*40. **श्री पी. कुमार :**
डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण और वन मंत्रालय के पास मंजूरी हेतु लंबित सिंचाई, विद्युत संयंत्र, खनन आदि जैसी विकास परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनके लंबित होने के क्या कारण हैं तथा प्रत्येक परियोजना कितने समय से लंबित है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार इनमें से कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई;

(घ) गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी परियोजनाएं अस्वीकार की गईं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) लंबित परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): *(क) 31.10.2010 की स्थिति के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी हेतु कुल 259 परियोजनाएं लंबित हैं और वन भूमि के विपथन हेतु 723 प्रस्ताव लंबित हैं। ऐसी परियोजनाओं का क्षेत्र-वार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

---

*दिनांक 10.11.2010 के वाद-विवाद में तारांकित प्रश्न सं. 40 के उत्तर के भाग (क) में बाद में 24.11.2010 को सभा में दिये गये एक सुधारात्मक विवरण के माध्यम से शुद्धि की गई और तदनुसार उत्तर को निम्नलिखित रूप में संशोधित किया गया है:

(क) 31.10.2010 की स्थिति के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी हेतु कुल 239 परियोजनाएं लंबित हैं और वन भूमि के विपथन हेतु 723 प्रस्ताव लंबित हैं। ऐसी परियोजनाओं का क्षेत्र-वार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

विवरण-I में कॉलम "विद्युत" के अंतर्गत दिए गए ब्यौरे में आंकड़े को संशोधित करके 45 के स्थान पर 25 कर दिया गया है जो कि निम्नलिखित है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विद्युत
1	2
आंध्र प्रदेश	2

1	2
अरुणाचल प्रदेश	2
असम	—
बिहार	—
छत्तीसगढ़	2
दमन और दीव	—
दिल्ली	1
गोवा	—
गुजरात	1
हरियाणा	—
हिमाचल प्रदेश	1
जम्मू और कश्मीर	—
झारखंड	3
कर्नाटक	2
केरल	—
मध्य प्रदेश	—
महाराष्ट्र	1
मेघालय	—
उड़ीसा	—
पंजाब	1
राजस्थान	2
सिक्किम	1
तमिलनाडु	3
त्रिपुरा	—
उत्तराखंड	—
उत्तर प्रदेश	2
पश्चिम बंगाल	—
अन्य (अपतट)	—
कुल	25

(ख) ई आई ए अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के अनुसार, परियोजनाओं पर अंतिम निर्णय सामान्यतया संपूर्ण विवरणों को प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 105 दिनों की निर्धारित समयावधि में लिया जाता है। इसी प्रकार, वनभूमि के विपथन संबंधी प्रस्तावों के लिए अंतिम निर्णय 90 दिनों की निर्धारित अवधि में लिया जाता है।

पर्यावरणीय और वानिकी संबंधी मंजूरी हेतु प्रतीक्षित प्रस्तावों के लंबित होने के मुख्य कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) प्रस्तावों पर सम्पूर्ण सूचना की प्राप्ति न होना।

(ii) पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों, उच्च वन घनत्व और संरक्षित क्षेत्रों में/आसपास परियोजनाओं की अवस्थिति।

(iii) गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में अवस्थित परियोजनाएं।

(ग) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जिन परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी दी गई उनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान जिन परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी और वानिकी संबंधी मंजूरी अस्वीकृत की गई है, उनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। परियोजना प्रस्तावों की अस्वीकृति के कारणों में उनकी पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में अवस्थिति, तथ्यों को छिपाया जाना, आदि शामिल हैं।

(ङ) लंबित परियोजनाओं की शीघ्र मंजूरी के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) क्षेत्र-विशिष्ट विशेषज्ञ मूल्यांकन समितियों और वन सलाहकार समिति की नियमित बैठकें।

(ii) मंत्रालय में और संबंधित मंत्रालयों के साथ लंबित परियोजनाओं की नियमित समीक्षा।

(iii) क्षेत्र विशिष्ट मैनुअलों की तैयारी।

(iv) मंत्रालय की वेबसाइट पर स्पष्टीकरण परिपत्रों को रखा जाना।

विवरण-I

वानिकी तथा पर्यावरणीय मंजूरी हेतु लंबित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा

क. पर्यावरणीय मंजूरी हेतु लंबित प्रस्ताव

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खनन	विद्युत	सिंचाई	उद्योग
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	3	4	–	26
अरुणाचल प्रदेश	–	2	–	1
असम	2	–	–	6
बिहार	–	–	–	2
छत्तीसगढ़	8	4	–	4
दमन और दीव	–	–	–	1
दिल्ली	–	2	–	–
गोवा	1	–	–	–
गुजरात	5	2	–	19
हरियाणा	–	–	–	–
हिमाचल प्रदेश	1	1	–	–
जम्मू और कश्मीर	–	–	–	1
झारखंड	16	6	–	8
कर्नाटक	4	3	–	4
केरल	–	–	–	–
मध्य प्रदेश	7	–	–	–
महाराष्ट्र	9	2	–	9
मेघालय	–	–	–	–
उड़ीसा	22	2	–	5
पंजाब	–	2	–	3
राजस्थान	17	4	–	2
सिक्किम	–	1	–	–
तमिलनाडु	1	6	–	4
त्रिपुरा	–	–	–	–
उत्तराखंड	10	–	–	1
उत्तर प्रदेश	–	4	–	2
पश्चिम बंगाल	–	–	–	7
अन्य (अपतट)	–	–	–	2
कुल	106	45	1	107

ख. वानिकी मंजूरी हेतु लंबित प्रस्ताव

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खनन	विद्युत	सिंचाई	अन्य
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	1

1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	19	0	2	7
अरुणाचल प्रदेश	0	2	0	0
असम	0	0	0	0
बिहार	0	0	0	0
चंडीगढ़	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	16	0	3	2
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	2
दमन और दीव	0	0	0	1
दिल्ली	0	0	0	2
गोवा	2	0	1	0
गुजरात	1	1	2	5
हरियाणा	0	1	2	160
हिमाचल प्रदेश	5	12	2	77
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0
झारखंड	24	0	3	1
कर्नाटक	9	4	1	7
केरल	0	0	0	2
लक्षद्वीप	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	29	0	5	6
महाराष्ट्र	8	1	7	9
मणिपुर	0	2	0	0
मेघालय	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	1
नागालैंड	0	0	0	0
उड़ीसा	10	0	0	2
पुदुचेरी	0	0	0	0
पंजाब	0	4	0	193
राजस्थान	3	0	4	4
सिक्किम	0	0	0	0
तमिलनाडु	2	0	0	5
त्रिपुरा	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	0	1	0	10
उत्तराखंड	3	6	0	30
पश्चिम बंगाल	1	0	0	0
कुल	130	34	32	527

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पर्यावरणीय मंजूरी और वानिकी मंजूरी दिए गए परियोजना प्रस्तावों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

क. पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त प्रस्ताव

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	0	0	0
आंध्र प्रदेश	84	68	67	33

1	2	3	4	5
अरुणाचल प्रदेश	1	1	—	2
असम	27	13	15	6
बिहार	4	6	7	5
छत्तीसगढ़	7	34	28	6
दमन और दीव	—	4	5	—
दिल्ली	2	—	—	—
गोवा	—	4	7	—
गुजरात	128	234	145	38
हरियाणा	12	16	3	—
झारखंड	10	10	16	17
जम्मू और कश्मीर	2	1	3	—
हिमाचल प्रदेश	—	3	7	5
कर्नाटक	14	26	25	14
केरल	1	3	2	—
मध्य प्रदेश	4	20	14	9
महाराष्ट्र	39	76	79	18
मणिपुर	—	1	—	—
मेघालय	—	2	4	3
मिजोरम	—	—	1	—
उड़ीसा	24	39	24	15
पुदुचेरी	2	—	—	—
पंजाब	8	9	7	3
राजस्थान	33	28	19	6
सिक्किम	—	1	1	1
तमिलनाडु	38	57	20	9
त्रिपुरा	5	2	1	—
उत्तराखंड	2	24	9	1
उत्तर प्रदेश	29	8	10	2
पश्चिम बंगाल	21	38	36	16
अन्य (अपतट)	8	6	8	1

ख. वानिकी मंजूरी प्राप्त प्रस्ताव

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	6	2	0
आंध्र प्रदेश	8	85	41	31
अरुणाचल प्रदेश	1	17	12	41
असम	5	26	17	5
बिहार	0	21	10	29
चंडीगढ़	0	1	0	2
छत्तीसगढ़	4	46	27	32
दादरा और नगर हवेली	0	24	4	6
दमन और दीव	0	1	0	0
दिल्ली	0	6	0	1

1	2	3	4	5
गोवा	0	9	13	7
गुजरात	2	91	143	128
हरियाणा	52	375	198	292
हिमाचल प्रदेश	36	126	88	161
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0
झारखंड	6	29	30	82
कर्नाटक	11	39	36	26
केरल	2	6	11	4
लक्षद्वीप	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	12	52	68	56
महाराष्ट्र	6	66	65	68
मणिपुर	1	2	0	3
मेघालय	2	8	3	2
मिजोरम	0	3	0	0
नागालैंड	0	0	0	0
उड़ीसा	6	41	25	18
पुदुचेरी	0	0	0	0
पंजाब	25	253	181	265
राजस्थान	4	82	62	32
सिक्किम	6	49	24	6
तमिलनाडु	1	20	23	20
त्रिपुरा	3	48	17	2
उत्तर प्रदेश	2	54	86	141
उत्तराखंड	21	218	436	388
पश्चिम बंगाल	1	1	8	16

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पर्यावरणीय मंजूरी और वानिकी मंजूरी हेतु अस्वीकृत किए गए परियोजना प्रस्तावों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

क. पर्यावरणीय मंजूरी हेतु अस्वीकृत प्रस्ताव

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	—	—	—	—
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—
असम	—	—	—	—
बिहार	—	—	—	—
छत्तीसगढ़	—	—	—	2
दिल्ली	—	—	—	—
गोवा	—	—	—	—
गुजरात	1	—	—	3
हरियाणा	—	—	—	—
झारखंड	—	—	1	—
जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—
कर्नाटक	—	—	—	1

1	2	3	4	5
केरल	—	—	—	—
मध्य प्रदेश	—	—	—	—
महाराष्ट्र	—	—	—	—
मणिपुर	—	—	—	—
मेघालय	—	—	—	—
मिजोरम	—	—	—	—
उड़ीसा	—	—	—	—
राजस्थान	3	—	1	—
सिक्किम	—	—	—	—
तमिलनाडु	—	—	—	—
उत्तराखंड	—	—	—	—
उत्तर प्रदेश	—	—	—	—
पश्चिम बंगाल	—	—	—	—

ख. वानिकी मंजूरी हेतु अस्वीकृत प्रस्ताव

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	0	0	6	0
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
असम	0	0	0	0
बिहार	0	0	0	0
चंडीगढ़	0	0	0	0

1	2	3	4	5
छत्तीसगढ़	0	1	5	1
दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
दमन और दीव	0	0	0	0
दिल्ली	0	0	0	0
गोवा	0	0	0	2
गुजरात	0	1	1	0
हरियाणा	0	0	0	1
हिमाचल प्रदेश	0	0	2	4
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0
झारखंड	0	1	1	3
कर्नाटक	0	2	4	1
केरल	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	0	3	6	1
महाराष्ट्र	0	2	1	2
मणिपुर	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0
नागालैंड	0	0	0	0
उड़ीसा	0	0	1	1
पुदुचेरी	0	0	0	0
पंजाब	0	2	4	0

1	2	3	4	5
राजस्थान	0	0	1	0
सिक्किम	0	0	0	0
तमिलनाडु	0	1	2	0
त्रिपुरा	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	0	0	2	1
उत्तराखंड	1	1	47	64
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0

ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर व्यय

231. **श्री पी.आर. नटराजन :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वर्ष-वार जीडीपी के समानुपात में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सरकारी व्यय का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : ग्रामीण विकास विभाग, भू-संसाधन विभाग तथा पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग सहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सरकारी व्यय के साथ-साथ सकल घरेलू उत्पाद (वर्ष 2004-05 मूल्यों में कारक लागत पर) तथा वार्षिक बजट के ब्यौरे नीचे दर्शाए गए हैं।

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	वर्ष	वर्ष 2004-05 मूल्यों में कारक लागत पर जीडीपी	ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सरकारी व्यय	जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सरकारी व्यय	कुल वार्षिक बजट (अखिल भारत) (बीई)	ग्रामीण विकास मंत्रालय का शेयर (बीई)	कुल वार्षिक बजट के लिए प्रतिशत
1.	2007-08	3893457	37682.44 (ए)	0.97	680520.51	36588.38	5.38
2.	2008-09	4154973 (क्यूई)	67168.19 (ए)	1.62	750883.53	42429.86	5.65
3.	2009-10	4453064 (एई)	73431.24 (आर)	1.65	1020837.68	74315.43	7.28
4.	2010-11	उपलब्ध नहीं*	79387.44 (बीई)	—	1108749.24	79387.44	7.16

क्यू ई - क्विक एस्टीमेट

एई - एडवांस एस्टीमेट

ए - एक्चुअल, आर - रिवाईज्ड, बीई - बजट एस्टीमेट

* वर्ष 2010-11 के लिए अग्रिम अनुमान फरवरी, 2011 में जारी किए जाएंगे।

कोयला उत्पादन की वृद्धि

232. **श्री एस. पक्कीरप्पा :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कोयले के मूल्य बढ़ाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो कोयले के मूल्य किस सीमा तक बढ़ाए गए हैं और इसके परिणामस्वरूप कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा संभावित वार्षिक रूप से कितना लाभ अर्जित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने कोयला उत्पादन क्षेत्र में लाभ की इस

संभावित राशि को निवेश करने का निर्णय लिया है ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कोयला उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) जी, हां। कोयले की कीमतों में संशोधन पिछली बार 16 अक्तूबर, 2009 को किया गया था। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल) और भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) को छोड़कर कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सभी कोयला कंपनियों में रन आफ माइन (आरओएम) कोयला कीमतों में कोयले के सभी ग्रेडों के लिए उस समय की प्रचलित दरों की तुलना में 10% वृद्धि की गई है और ईसीएल तथा बीसीसीएल द्वारा उत्पादित कोयला के संबंध में इस प्रकार की वृद्धि ईसीएल की ऐसी खानों से ग्रेड ए एवं बी ग्रेड के रानीगंज कोयले के उस भाग को छोड़कर 15% है, जिसकी आपूर्ति विशिष्ट कीमत पर विशिष्ट उपभोक्ताओं को समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की जाती है।

सीआईएल और इसकी सहायक कोयला कंपनियों के सभी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन और इनपुट्स की लागत में भारी वृद्धि होना मूल्य वृद्धि के प्रमुख कारण थे। यद्यपि 4628.67 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई इससे उपर्युक्त कारणों के चलते हुए घाटे की पूर्ति पूर्णतः कर ली गई है। इस प्रक्रिया में प्राप्त अन्य अतिरिक्त राशि का उपयोग नई परियोजनाओं में नए निवेशों के लिए किया जाएगा जिसके फलस्वरूप कोयले के उत्पादन में वृद्धि होगी। किए गए अनुमानों के अनुसार, सीआईएल का उत्पादन 2009-10 में 431.27 मि.ट. से बढ़कर 2011-12 तक 486.50 मि.ट. हो जाने की संभावना है।

एफपीएआरपी

233. श्री जयंत चौधरी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 'फार्मर्स पार्टिसिपेटरी एक्शन रिसर्च प्रोग्राम' को लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या कार्यक्रम ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) से (ङ) जल संसाधन मंत्रालय ने 60 संस्थानों नामतः कृषि विश्वविद्यालयों, इंस्टीट्यूटस ऑफ इंडियन कांउसिल ऑफ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीस, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन कांउसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी-ऐरिड ट्रॉपिक (आईसीआरआईएसटी), जल और भूमि प्रबंधन संस्थान (वालमिस) और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से 24.4685 करोड़ रु. की लागत से 5000 फसल प्रदर्शनों को शामिल करने वाले कृषक सहभागिता कार्य अनुसंधान कार्यक्रम को अनुमोदित किया। कार्यक्रम का उद्देश्य जल में सहक्रिया को उत्पन्न करके विविधता, कृषि संबंधी पद्धतियों इत्यादि के द्वारा पैदावार में वृद्धि और प्रति जल की बूंद आय को प्रदर्शित करना है। संस्थानों द्वारा प्रदर्शनों के मूल्यांकन संबंधी प्रारंभिक रिपोर्ट में संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार जल की पर्याप्त बचत और फसलों की पैदावार में वृद्धि का उल्लेख किया गया है।

विवरण

कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार एफपीएआरपी के कारण जल की बचत, पैदावार में वृद्धि तथा आय

राज्य	फसल	जल की बचत (% में)	पैदावार में वृद्धि (% में)	आय में वृद्धि (% में)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	धान	54.1	13.2	19.3

1	2	3	4	5
	कपास	17.3	33.3	8.3
असम	धान	30	25	25.63
गुजरात	गेहूं	33	18	12.59
	सब्जियां	40	10–23	15.80
	मूंगफली	26	18	20
	चना	22	15	16
हरियाणा, हिमाचल प्रदेश	गेहूं	66.67	8.15	4.91
जम्मू और कश्मीर	गेहूं	5	16.38	7.55
	धान	31	10	12
कर्नाटक	सब्जियां	23.3	22.4	11
केरल	धान	40	13.7	11.19
	नारियल	50	24	10
मध्य प्रदेश	चना	33	30	18
महाराष्ट्र	गेहूं	20	42.85	30
	कपास	20.94	25.71	25
	मक्का	12	48	34.22
उड़ीसा	धान	31	18	6
राजस्थान	गेहूं	15.54	7.3	7.41
तमिलनाडु	धान	55	23	44
	गन्ना	38.6	34	10
उत्तर प्रदेश	धान	35	30	32
उत्तराखंड	गेहूं	31	43	22.23
पश्चिम बंगाल	धान	25	62	40

पोलिटेक्निकों की स्थापना

234. श्रीमती श्रुति चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा राज्य में स्थापित अथवा स्थापना किए जाने हेतु प्रस्तावित पोलिटेक्निकों की संख्या कितनी है;

(ख) ये पोलिटेक्निक किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जायेंगे;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजन हेतु स्वीकृत और जारी निधियां कितनी हैं;

(घ) इन पोलिटेक्निकों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) राज्य के पिछड़े जिलों में शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार हेतु विशेष बल देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ङ) "कौशल विकास हेतु समन्वित कार्रवाई के तहत पोलिटेक्निक उप-मिशन" की योजना के अंतर्गत प्रति पोलिटेक्निक 12.30 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता देश के लाभवंचित और कम लाभान्वित जिलों में नए पोलिटेक्निकों की स्थापना हेतु प्रदान की जाती है। हरियाणा राज्य में सात जिलों में नए पोलिटेक्निकों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। जिलों, पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन हेतु जारी की गई निधियां और इन पोलिटेक्निकों की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है। अब तक चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई भी निधियां जारी नहीं की गई हैं।

क्र. सं..	जिले का नाम	पिछले 3 वर्षों के दौरान जारी की गई निधियां लाख रु. में	पोलिटेक्निकों की वर्तमान स्थिति
1.	रेवाड़ी	712.00	वर्ष 2010-11 से कक्षाएं इसके अपने परिसर में स्थानांतरित हो गई हैं।
2.	कैथल	712.00	वर्ष 2009-10 से कक्षाएं इसके अपने परिसर में स्थानांतरित हो गई हैं।
3.	यमुना नगर	200.00	कार्य पीडब्लयूडी, बी एंड आर हरियाणा को सौंप दिया गया है।
4.	कुरुक्षेत्र	200.00	कार्य मैसर्स राइटस लिमिटेड, गुड़गांव को सौंप दिया गया है।
5.	पानीपत	200.00	कार्य मैसर्स राइटस लिमिटेड, गुड़गांव को सौंप दिया गया है।
6.	पंचकुला	200.00	कार्य मैसर्स राइटस लिमिटेड, गुड़गांव को सौंप दिया गया है।
7.	फतेहाबाद	200.00	कार्य मैसर्स राइटस लिमिटेड, गुड़गांव को सौंप दिया गया है।

नए पोलिटेक्निकों की स्थापना के अतिरिक्त, सरकार ने अवसंरचनात्मक सुविधाओं को स्तरोन्नत करने हेतु सात मौजूदा पोलिटेक्निकों के लिए प्रति पोलिटेक्निक 10 लाख रु. और पोलिटेक्निकों में महिला नामांकन प्रोत्साहन हेतु महिला छात्रावास के निर्माण हेतु 11 मौजूदा पोलिटेक्निकों के लिए प्रति पोलिटेक्निक 20 लाख रु. जारी किए हैं जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	पोलिटेक्निक का नाम	अवसंरचनात्मक सुविधाओं का स्तरोन्नयन (जारी किया गया अनुदान-लाख रु. में)	महिला के छात्रावास का निर्माण (जारी किया गया -लाख रु. में)
1.	राजकीय पोलिटेक्निक, मानेसर	10.00	20.00
2.	राजकीय पोलिटेक्निक, सिरसा	10.00	20.00
3.	राजकीय महिला पोलिटेक्निक, सिरसा	10.00	--
4.	राजकीय पोलिटेक्निक, अम्बाला	10.00	20.00
5.	राजकीय पोलिटेक्निक मंडी, आदमपुर	10.00	20.00
6.	कल्पना चावला राजकीय महिला पोलिटेक्निक, अम्बाला	10.00	20.00
7.	राजकीय पोलिटेक्निक, नीलोखेड़ी	10.00	20.00
8.	राजकीय पोलिटेक्निक, सोनीपत	--	20.00
9.	राजकीय पोलिटेक्निक, झज्जर	--	20.00
10.	राजकीय पोलिटेक्निक, लोहारू	--	20.00
11.	राजकीय पोलिटेक्निक, उत्तवर	--	20.00
12.	राजकीय पोलिटेक्निक, हिसार	--	20.00

तटीय विनियम क्षेत्र के विरुद्ध असंतोष

235. **श्री वरूण गांधी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटीय विनियम क्षेत्र (सीआरजेड) 2010 के उपबंधों के विरुद्ध सभी तटीय राज्यों में विरोध के स्वर उठ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) जब तक अध्ययन पूरा नहीं हो जाता तब तक पत्तनों के समग्र प्रभाव अध्ययन और अधिस्थगन पर स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 15 सितम्बर, 2010 को प्रारूप तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना, 2010 जारी कर दी है जिसमें पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। प्रारूप सी आर जेड अधिसूचना, 2010 के संबंध में टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 नवम्बर, 2010 है।

(ग) दिनांक 16 जुलाई, 2009 को प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन समिति द्वारा प्रस्तुत "फाइनल फ्रंटियर" शीर्षक की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय ने 21 अगस्त, 2009 को बंदरगाहों के विकास पर एक विलम्बन लगा दिया था। एकीकृत तटीय एवं समुद्री क्षेत्र प्रबंधन (आई.सी.एम.ए.एम.), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को तटीय क्षेत्रों के साथ उच्च अपरदन वाले क्षेत्रों की पहचान करने

हेतु एक परियोजना सौंपी गई थी। आई.सी.एम.ए.एम. की रिपोर्ट के आधार पर, मंत्रालय ने दिनांक 3.11.2009 के अपने पत्र द्वारा उच्च अपरदन वाले एवं पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों के निकट बंदरगाहों के विकास पर रोक लगा दी है। इसके अतिरिक्त, एक माइक्रो स्तर पर तटरेखा का क्षेत्र विशिष्ट विश्लेषण प्राप्त करने के लिए मंत्रालय ने महासागर प्रबंधन संस्थान, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई को टाइम सीरीज सेटेलाइट इमेजों के आधार पर देश में तटीय परिवर्तनों के अध्ययन का कार्य सौंपा है।

अन्तरिक्ष कार्यक्रमों के लिए निधियां

236. **श्री सी. शिवासामी :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न अन्तरिक्ष कार्यक्रमों पर भारत की खर्च राशि का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान विभिन्न अन्तरिक्ष कार्यक्रमों के जरिए अर्जित राशि कितनी है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न अन्तरिक्ष कार्यक्रमों पर खर्च की गयी राशि निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये)

	व्यय का मद	वास्तविक 2007-2008	वास्तविक 2008-2009	वास्तविक 2009-2010
1.	प्रमोचक राकेट प्रौद्योगिकी	1307.01	1484.82	1811.48
2.	उपग्रह प्रौद्योगिकी	424.48	571.81	674.14
3.	प्रमोचन सहायता, अनुवर्तन नेटवर्क और रेन्ज सुविधाएं	284.85	420.79	459.97
4.	अन्तरिक्ष उपयोग	374.02	396.19	599.53
5.	अन्तरिक्ष विज्ञान	275.12	239.47	196.28
6.	इन्सैट प्रचालनात्मक	544.28	231.80	249.82
7.	केन्द्रीय प्रबंधन	68.25	148.68	171.74
	सकल (ए+बी+सी+डी+ई)	3278.01	3493.56	4162.96

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न अन्तरिक्ष कार्यक्रमों द्वारा प्राप्त आय निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये)

	मद	के दौरान आय		
		2007-2008	2008-2009	2009-2010
	1	2	3	4
ए.	एन्ट्रिक्स की आय (प्रेषानुकरों को पट्टे पर देने, आई.आर.एस. आंकड़ों की बिक्री, प्रमोचन सेवाएं आदि सहित)	940.26	1058.90	883.92

1	2	3	4
बी. इन्टेलसैट को पट्टे पर प्रेषानुकर देने से आय	37.78	46.14	38.07
सी. राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र की आय (आई.आर.एस. आंकड़ों की बिक्री, मूल्यवर्धित सेवाएं, हवाई सर्वेक्षण एवं शिक्षा)	109.11	62.34	50.92
कुल	1087.15	1167.38	972.91

प्राणी उद्यानों में बाघ

237. **श्री पोन्नम प्रभाकर :**
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर प्रत्येक प्राणी उद्यान में रक्षित बाघों की वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक प्राणी उद्यान में कितने बाघों की मृत्यु की रिपोर्ट मिली है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्राणी उद्यानों में बाघों के स्वास्थ्य की उचित देखभाल के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) दिनांक 31.03.2010 की स्थिति के अनुसार, देश के 54 प्राणी उद्यानों में 275 रॉयल बंगाल टाइगर हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के लिए प्राणी उद्यानों में रॉयल बंगाल टाइगर की मृत्यु-संख्या निम्नवत है:

2007-08	22
2008-09	25
2009-10	28

मृत्यु के मुख्य कारण बुढ़ापा, बीमारी और आपसी संघर्ष हैं।

(ग) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने चिड़ियाघर को मान्यता नियमावली, 2009 के अंतर्गत मानक निर्धारित किए हैं जिसमें पशुओं, पशु-संबंधी और अवसंरचना सुविधाओं की समुचित देखभाल तथा स्वास्थ्य की देख-रेख और पशुओं की अधि प्राप्ति आदि के संबंध में मानक निर्धारित किए गए हैं। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान-चिड़ियाघर, भोपाल को सहभागी चिड़ियाघरों के रूप में नई दिल्ली, हैदराबाद, भुवनेश्वर, छतबीर, चेन्नई के साथ बाघों की योजनाबद्ध संरक्षण ब्रीडिंग के लिए समन्वयन चिड़ियाघर के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है।

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने चिड़ियाघरों को सुपर स्पेशलिटी सेवाएं तथा डायग्नॉस्टिक सुविधाएं उपलब्ध कराने और आपातकालीन स्थितियों और अन्य गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय रेफरल केन्द्र (एन.आर.सी.) के रूप में कार्य करने हेतु भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

विवरण

क्र.सं.	स्थान	राज्य	शहर	कुल
1	2	3	4	5
1.	अलीपुर प्राणी-उद्यान	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	6

1	2	3	4	5
2.	पशु विमुक्ति केन्द्र	आंध्र प्रदेश	तिरूपति	0
3.	अरिग्नार अन्ना प्राणी उद्यान	तमिलनाडु	चेन्नई	3
4.	असम राज्य चिड़ियाघर-सह-वनस्पति उद्यान	असम	गुवाहाटी	8
5.	औरंगाबाद म्यूनिसिपल चिड़ियाघर	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	8
6.	भगवान बिरसा जैविक उद्यान	झारखंड	रांची	3
7.	जैविक उद्यान, इटानगर	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर	6
8.	बोन्डला चिड़ियाघर	गोवा	उसगांव	2
9.	वन्यजीव पुनर्वास एवं संरक्षण केन्द्र	असम	गोलाघाट	1
10	डॉ. के. शिवर्मा कारंत पिल्लिकुला जैविक उद्यान	कर्नाटक	मंगलौर	8
11.	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्राणी उद्यान	गुजरात	सूरत	2
12.	गांधी जैविक उद्यान	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	2
13.	इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान	आंध्र प्रदेश	विशाखापटनम	14
14.	इंद्रोदा प्रकृति उद्यान	गुजरात	गांधीनगर	2
15.	जयपुर चिड़ियाघर	राजस्थान	जयपुर	6
16.	जवाहर लाल नेहरू जैविक उद्यान	झारखंड	बोकारो	2
17.	जोधपुर चिड़ियाघर	राजस्थान	जोधपुर	3
18.	कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय चिड़ियाघर	मध्य प्रदेश	इंदौर	3
19.	कमला नेहरू प्राणी उद्यान	गुजरात	अहमदाबाद	3
20.	कानपुर प्राणी उद्यान	उत्तर प्रदेश	कानपुर	3
21.	कोटा चिड़ियाघर	राजस्थान	कोटा	2
22.	लखनऊ प्राणी उद्यान	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	3
23.	लुधियाना चिड़ियाघर	पंजाब	लुधियाना	5

1	2	3	4	5
24.	कहाराजबाग चिड़ियाघर	महाराष्ट्र	नागपुर	4
25.	महेन्द्र चौधरी प्राणी उद्यान	पंजाब	छतबीर, चंडीगढ़	10
26.	मैत्री बाग चिड़ियाघर	छत्तीसगढ़	भिलाई	7
27.	मिनि चिड़ियाघर, भिवानी	हरियाणा	भिवानी	3
28.	मिनि चिड़ियाघर, पीपली	हरियाणा	पीपली	1
29.	नंदनकानन जैविक उद्यान	उड़ीसा	भुवनेश्वर	16
30.	राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा प्राणी उद्यान	कर्नाटक	बंगलौर	36
31.	राष्ट्रीय प्राणी उद्यान	दिल्ली	दिल्ली	6
32.	नेहरू प्राणी उद्यान	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	10
33.	पद्मजा नायडु हिमालयन प्राणी उद्यान	पश्चिम बंगाल	दार्जीलिंग	2
34.	पं. गोविंद बल्लभ पंत हाई ऐल्टीट्यूट चिड़ियाघर	उत्तराखंड	नैनीताल	2
35.	राजीव गांधी प्राणी उद्यान एवं वन्यजीव अनुसंधान केन्द्र	महाराष्ट्र	पुणे	4
36.	विमुक्ति केन्द्र, बनेरघट्टा	कर्नाटक	बंगलौर	2
37.	रोहतक चिड़ियाघर	हरियाणा	रोहतक	2
38.	रूक्कर बाग चिड़ियाघर	गुजरात	जुनागढ़	6
39.	संजय गांधी चिड़ियाघर	बिहार	पटना	2
40.	सायाजीबाग चिड़ियाघर	गुजरात	बडौदरा	5
41.	सिपाहीजाला प्राणी उद्यान	त्रिपुरा	सिपाहीजाला, अगरतला	2
42.	साउथ खैरबारी लियोपार्ड सफारी एंड रिहैबिलिटेशंन सेंटर	पश्चिम बंगाल	मदारीहाट	8
43.	श्री चामराजेन्द्र प्राणी उद्यान	कर्नाटक	मैसूर	5
44.	श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान	आंध्र प्रदेश	तिरूपति	3

1	2	3	4	5
45.	राज्य संग्रहालय एवं चिड़ियाघर	केरल	त्रिसूर	2
46.	टाटा स्टील प्राणी उद्यान	झारखंड	जमशेदपुर	3
47.	तिरुवनंतपुरम चिड़ियाघर	केरल	तिरुवनंतपुरम	9
48.	टाइगर एंड लाइन सफारी	कर्नाटक	शिमोगा	11
49.	उदयपुर चिड़ियाघर	राजस्थान	उदयपुर	1
50.	संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान एवं चिड़ियाघर	महाराष्ट्र	बोरीवली	4
51.	राजकोट चिड़ियाघर	गुजरात	राजकोट	1
52.	बेल्लारी बाल उद्यान-सह-चिड़ियाघर (बेल्लपारी चिड़ियाघर)	कर्नाटक	बेल्लारी	1
53.	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान	मध्य प्रदेश	भोपाल	11
54.	नंदन वन चिड़ियाघर	छत्तीसगढ़	रायपुर	1
	कुल योग			275

संयुक्त प्रवेश परीक्षा को एकल अभिरुचि परीक्षा में बदला जाना

238. **श्री प्रताप सिंह बाजवा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) को एकल अभिरुचि परीक्षा (एसएटी) में परिवर्तित किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई रूपरेखा तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा को एकल अभिरुचि परीक्षा में परिवर्तित करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

जापानी बैंक के साथ समझौता

239. **श्री एन. पीताम्बर कुरूप : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वन प्रबंधन दक्षता विकास और कार्मिक प्रशिक्षण (आईडीपी-199) हेतु विदेशी सहयोग के लिए जापानी बैंक ऑफ इन्टरनेशनल को-ऑपरेशन (जे.आई.सी.ए.) के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेन्सी (जेसीए) और केन्द्र सरकार ने इस संबंध में आवश्यक राशि जारी कर दी है;

(ग) यदि नहीं, तो सहायता राशि जारी करने में ऐसे असाधारण विलंब का कारण क्या है; और

(घ) राशि कब तक जारी करने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) जी, हां। केन्द्र सरकार ने वन प्रबंधन एवं कार्मिकों के प्रशिक्षण (आई डी-पी-199) के लिए क्षमता विकास हेतु बाह्य सहायता के लिए जैपनीज बैंक आफ इंटरनेशनल को-ऑपरेशन के साथ एक समझौता किया है। यह परियोजना प्रतिपूर्ति योग्य पद्धति में है अर्थात् व्यय भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और इसकी प्रतिपूर्ति जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी से प्राप्त की जाएगी। वर्तमान वर्ष में, अनुदान के रूप में राज्यों को निधियां उपलब्ध कराने के लिए 34.90 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। राज्यों से आग्रह किया गया है कि वे राज्य वन प्रशिक्षण संस्थाओं के पुनर्वास हेतु एक चतुष्पक्षीय समझौता और योजनाएं प्रस्तुत करें। निधियों की रिलीज राज्यों से प्रस्तावों की प्राप्ति और उनकी जांच पर निर्भर करेगी।

विदेशों के साथ जल समझौता

240. **श्रीमती जे. शांता : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन नदियों के संबंध में पड़ोसी देशों के साथ समझौते/संधियां की गई हैं;

(ख) प्रत्येक संधि तथा समझौते की प्रकृति क्या है;

(ग) किन-किन क्षेत्रों में विवाद है तथा कौन-कौन सी परियोजनाएं इससे प्रभावित हो रही हैं;

(घ) प्रत्येक मुद्दे पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई;

(ङ) क्या इन संधियों/समझौतों की समीक्षा की जा सकती है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) और (ख) उन नदियों के नाम, जिनके संबंध में पड़ोसी देशों के साथ संधियां/समझौते पर हस्ताक्षरित किए गए और संधि/समझौते की प्रकृति इस प्रकार हैं-

जिस नदी के लिए संधि समझौता हस्ताक्षरित किया गया	पड़ोसी देश जिसके साथ हस्ताक्षर किया गया	संधि/समझौते की प्रकृति
शारदा (महाकाली)	नेपाल	1996 की महाकाली संधि जो पंचेश्वर बहु-उद्देशीय परियोजना को शामिल करती है।
कोसी	नेपाल	नेपाल में कोसी बराज के निर्माण के संबंध में 1954 का समझौता (1966 में संशोधित)
गंडक	नेपाल	नेपाल में गंडक बराज निर्माण के संबंध में 1959 का समझौता।
गंगा	बांग्लादेश	फरक्का में गंगा जल की भागीदारी के संबंध में 1996 की भारत-बांग्लादेश संधि।
सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और उनकी सहायक नदियों को शामिल करते हुए नदियों की सिंधु प्रणाली	पाकिस्तान	नदियों की सिंधु प्रणाली के जल की संपूर्ण एवं संतोषजनक उपयोग के लिए सिंधु जल संधि 1960।

(ग) पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के बांडी पोरा जिले में गुरेज घाटी में झेलम नदी की एक सहायक नदी किशनगंगा पर किशनगंगा एचई परियोजना के निर्माण पर विवाद उठाया है।

(घ) भारत ने सिंधु जल संधि 1960 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई शुरू की है। माध्यस्थम न्यायालय के लिए कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए पाकिस्तान द्वारा अपने दो मध्यस्थों की नियुक्ति की सूचना देने के बाद भारत ने भी दो मध्यस्थों की नियुक्ति की है। दोनों देशों ने माध्यस्थम न्यायालय के लिए तीन निर्णायकों को चुनने हेतु संधि में विनिर्दिष्ट संबंधित व्यक्तियों से अनुरोध किया है। अनुरोध किए गए व्यक्तियों में से एक नामतः संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने निर्णायकों में से एक नामतः माध्यस्थम न्यायालय के अध्यक्ष की नियुक्ति की है।

(ङ) और (च) 1996 की महाकाली संधि 75 वर्ष के लिए वैध होगी। दोनों पक्षों द्वारा 10 साल के अंतराल या किसी भी पक्ष द्वारा आवश्यकता अनुसार समयपूर्व इसकी समीक्षा की जाएगी और यदि आवश्यकता हो तो संशोधन किया जाएगा।

1996 की भारत-बंगलादेश संधि 30 वर्ष के लिए वैध होगी। इसमें पांच वर्ष बाद संधि की समीक्षा का प्रावधान है।

दोनों सरकारों के बीच किए गए अन्य विधिवत अभिपुष्ट संधि द्वारा सिंधु जल संधि 1960 के प्रावधानों को संशोधित/समाप्त किया जा सकता है।

रायगढ़ किले का जीर्णोद्धार

241. श्री निलेश नारायण राणे : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार ने रायगढ़ किले के जीर्णोद्धार हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्ताव की अनुमानित लागत और अन्य ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इसे पर्यटक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए कोई पहल की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) वर्ष 2006-07 के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम के जरिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास रायगढ़ किले के संरक्षण के लिए निक्षेप कार्य के रूप में 1.5 करोड़ रुपए मुहैया कराए थे।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ङ) वर्ष 2007 से रायगढ़ किले पर संरक्षण कार्य किए गए हैं जिसमें मुख्यतया खलबत खाना की मरम्मत और जीर्णोद्धार, टकसाल, नगरखाना के सामने रास्ते, मीना गेट पर बुकिंग कार्यालय की मरम्मत, धर्मशाला की मरम्मत, नगरखाना की मरम्मत और समाधी क्षेत्र का विकास और भूदृश्यकरण शामिल है।

इसके अलावा, शौचालय ब्लाक, सूचनापट्ट और ब्रोशर भी स्मारक पर मुहैया कराए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष (2010-11) के दौरान मलबा हटाना और उघाड़ी गई संरचनाओं का जीर्णोद्धार करना, सूचनापट्ट में समस्त सूचना देना और मूर्ति शेड का विकास करना, किले पर प्रस्तावित मुख्य कार्य हैं।

चारमीनार को हुई क्षति

242. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हैदराबाद की प्रसिद्ध चारमीनार की एक मीनार का कुछ भाग गिर गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके द्वारा क्या क्षति हुई;

(ग) क्षतिग्रस्त मीनार की मरम्मत और स्मारक के रख-रखाव हेतु क्या योजना है; और

(घ) प्रसिद्ध स्मारक में पर्यटकों/आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए चारमीनार और इसके परिसर को सुन्दर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) जी, हां। दक्षिण-पूर्वी मीनार की बालकनी के गच (स्टूको) का लगभग 3 फुट लम्बा भाग हाल ही में 29.08.2010 को बारिश के मौसम के दौरान गिर गया था। गचकारी का गिरा हुआ भाग जो सामान्यतः पहले किए गए प्लस्तर पर बाद में किया जाता है और इसलिए यह मुख्य संरचना से अलग हो गया। स्मारक की संरचना को इससे कोई क्षति नहीं पहुंची है।

(ग) मीनार को कोई क्षति नहीं हुई है। केवल फूलों के डिजाइन वाली गचकारी गिरी है। न केवल गचकारी की मरम्मत के लिए बल्कि स्मारक के अन्य भागों की मरम्मत के लिए भी एक व्यापक अनुमान तैयार किया गया है। जे.एन.टी.यू., हैदराबाद के सिविल इंजीनियरी विभाग से स्मारक की संरचनात्मक मजबूती की जांच पड़ताल करने और स्मारक के चारों ओर कंपन और साथ ही प्रदूषण को कम करने के उपाय सुझाने के लिए भी संपर्क किया गया है।

(घ) ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने पर्यटकों/आगंतुकों के लिए स्मारक के चारों ओर स्थान मुहैया कराने के लिए चारमीनार के चारों ओर लगभग 15 फुट भूमि दी है क्योंकि सड़क चारों तरफ से स्मारक से जुड़ी हुई थी। स्मारक के चारों ओर वाहनों के ट्रैफिक से होने वाले कंपन को कम करने के लिए उपलब्ध कराई गई जगह को लगभग दो फुट गहरा खोदा गया। स्मारक के चारों ओर किए गए उत्खनन के दौरान स्मारकों के सौन्दर्यकरण और पर्यटकों/आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए दक्षिण, पश्चिम और पूर्व की तरफ मूल सीढ़ियों को भी उघाड़ा गया।

आईआईआईटी के लिए स्थानों को अंतिम रूप देना

243. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के स्थानों को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

तालाबों की मरम्मत और नवीकरण

244. **श्री हंसराज गं. अहीर : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार किसी केन्द्रीय योजना के अंतर्गत भू-राजस्व तालाब (मालगुजारी तालाब) की मरम्मत और नवीकरण हेतु निधियां स्वीकृत करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार से विदर्भ क्षेत्र में तालाबों की मरम्मत और नवीकरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु विशेषकर महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र को कितनी निधियां स्वीकृत की गई हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) जी, हां। भारत सरकार की जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार की एक स्कीम है। इस स्कीम का उद्देश्य पुनरुद्धार, टैंक के आवाह क्षेत्रों में सुधार, कृषि/बागवानी उत्पादकता में सुधार और भूजल पुनर्भरण में बढ़ोतरी, पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों के विकास आदि समेत चुनी गई टैंक प्रणालियों में व्यापक सुधार करना है।

(ख) विदर्भ क्षेत्र के विभिन्न जिलों से तालाबों/जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार के लिए जल संसाधन मंत्रालय में 37 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) महाराष्ट्र सरकार को अभी तक इस उद्देश्य के लिए कोई निधि जारी नहीं की गई है।

यू एस-टाइप स्कोलास्टिक टेस्ट

245. **श्री सर्वे सत्यनारायण : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में नए यू एस-टाइप स्कोलास्टिक एप्टीट्यूट टेस्ट शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या निर्धारण किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वाणिज्य हेतु कोर पाठ्यक्रम

246. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार सभी स्कूल बोर्डों में +2 स्तर पर वाणिज्यक हेतु समान कोर पाठ्यक्रम को लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) भारतीय स्कूल शिक्षा बोर्ड परिषद (सीओबीएसई), जो देश में स्कूल बोर्डों का संघ है, ने उच्चतर माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य (व्यापार शिक्षा, लेखाशास्त्र तथा अर्थशास्त्र) में कोर पाठ्यचर्या सामग्री तैयार की है। अलग-अलग बोर्डों को इस पाठ्यचर्या को अपनाने अथवा इस अनुकूलित करने के लिए अपनी स्वयं की कार्यविधि का अनुसरण करना होता है।

(ग) सीओबीएसई ने इसे 2012-13 के शैक्षिक सत्र से अपनाने की सिफारिश की है। तथापि, प्रत्येक बोर्ड को इस पर स्वयं निर्णय लेना है।

भारत-नेपाल प्रत्यर्पण संधि

247. **श्री नरहरि महतो :**
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल ने वर्तमान प्रत्यर्पण संधि में संशोधन करने का निर्णय लिया है जो दोनों देशों को अपने देश के अपराधियों को दूसरे देश को सौंपने की अनुमति देगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीमा-पार अपराधियों के बीच सांठ-गांठ बढ़ रही है और प्रत्यर्पण संधि न होने के कारण अपराधी बेखौफ मजे ले रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या संशोधित संधि पर दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर कब तक हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) से (छ) भारत और नेपाल ने 2 अक्तूबर, 1953 को प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे जो अभी भी लागू है। समकालीन वास्तविकताओं के अनुरूप अपराध और आतंकवाद का प्रभावपूर्ण ढंग से मुकाबला करने के लिए संस्थागत विधायी व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से भारत और नेपाल ने जनवरी, 2005 में अद्यतन प्रत्यर्पण संधि पर आद्यक्षर किए हैं। औपचारिक हस्ताक्षर के लिए नेपाल सरकार की पुष्टि की भारत को प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

आधार (यूआईडी) परियोजनाएं

248. **कुमारी सरोज पाण्डेय :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सभी राज्यों में "आधार" परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो उन राज्यों और जिलों के नाम क्या हैं जहां परियोजना को क्रियान्वित किया गया है;

(ग) क्या उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों को वांछित सहायता मुहैया करायी गयी है; और

(घ) यदि नहीं, तो वांछित सहायता कब तक मुहैया करायी जाएगी?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) जी, नहीं। पंजीयन की प्रक्रिया कर्नाटक (मैसूर और टुमकुर), दिल्ली (निजामुद्दीन), आंध्र प्रदेश (चित्तूर, हैदराबाद और रंगारेड्डी), महाराष्ट्र (तेम्बुली गांव में नन्दरबार औपचारिक आरंभ), झारखंड (रांची, धनबाद, देवगढ़ और हजारीबाग) तथा मध्य प्रदेश (होशंगाबाद) राज्यों में शुरू हो गई है।

(ग) राज्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक नीतिगत ढांचा पहले से ही विकसित किया जा चुका है। उन राज्य सरकार विभागों को जो इस पंजीयन कार्यकलाप को मार्च, 2011 तक शुरू

करते हैं, प्रत्येक सफल यूआईडी (आधार संख्या) के सृजन के लिए पंजीयन लागत भुगतान हेतु 50/- रुपए की सहायता मुहैया कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार विभागों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना के सृजन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश पहले से ही तैयार किए गए हैं तथा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित किए गए हैं।

(घ) विभागों को पंजीयन लागत के लिए 50 रुपए की सहायता, आधार संख्या सफलतापूर्वक सृजित करने तथा नियत प्रक्रिया के अनुसरण के बाद जारी की जाएगी। राज्य सरकार विभागों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अवसंचना के सृजन के लिए सहायता तब दी जाएगी जब नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुसार तथा नियत प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद प्रस्ताव प्राप्त हो जाएं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा निपटाए गए मामले

249. **श्री रामसिंह राठवा : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अक्तूबर, 2010 तक कितने मामले निपटाए गए हैं;

(ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा पांच, दस तथा पन्द्रह वर्षों से अधिक समय से जांच किए जा रहे मामलों की संख्या कितनी है;

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या वर्तमान अनुमोदित संख्या बढ़े हुए कार्यभार को प्रभावशाली तरीके से निपटाने के लिए पर्याप्त है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) दिनांक 31.10.2010 तक की स्थिति के अनुसार, सी.बी.आई. द्वारा 949 मामलों की जांच की जा रही है।

(ख) सी.बी.आई. द्वारा जांच किए जाने वाले मामलों की संख्या निम्नानुसार है:

5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम	10 वर्ष से अधिक और 15 वर्ष से कम	15 वर्ष से अधिक
7	शून्य	शून्य

(ग) से (ङ) (दिनांक 1.10.2010 तक की स्थिति के अनुसार, सी.बी.आई. की संस्वीकृत स्टाफ संख्या 6502 है जिसमें से 5165 पद भरे हुए हैं)। रिक्तियों का होना तथा भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। सी.बी.आई. में कुछ रिक्तियों के बावजूद, विद्यमान कार्मिकों के प्रभावी प्रयोग और तैनाती के माध्यम से विभिन्न मामलों की त्वरित जांच सुनिश्चित की जाती है।

सरकार ने इन रिक्तियों को शीघ्रतापूर्वक भरने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, इनमें भर्ती नियमों में छूट, प्रतिनियुक्ति कोटा के बनिस्बत पदोन्नति द्वारा कुछ रिक्तियों को भरने की अनुमति, और निश्चित अवधि के लिए, लोक अभियोजकों तथा तकनीकी अधिकारियों के संविदात्मक विनियोजन को भी अनुमति प्रदान करना, शामिल है।

तटीय विनियम क्षेत्र अधिसूचना, 1991 में संशोधन

250. **श्री मिलिंद देवरा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकास संबंधी विशेष आवश्यकताओं के कारण वृहत् मुंबई तथा केरल को विशेष दर्जा दिया गया है;

(ख) संशोधित मार्गनिदेशों के कब तक लागू होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार 1991 के तटीय विनियम क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना में संशोधन कर मुंबई के तटवर्ती क्षेत्र में मलिन बस्तियों के पुनर्विकास की अनुमति प्रदान कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सां.आ.सं. 2291(ई)

दिनांक 15 सितम्बर, 2010 द्वारा प्रारूप तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना जारी की है, जिसमें पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (ईपीए), 1986 के अंतर्गत सुझाव तथा आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं, जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप अंतिम रूप दिया जाएगा। विशिष्ट पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, इस अधिसूचना में ग्रेटर मुंबई और केरल के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी।

(ग) और (घ) प्रारूप सी आर जेड अधिसूचना में पैरा V (i) द्वारा प्रचलित मानकों के अनुसार सार्वजनिक निजी भागीदारी अथवा फ्लोर स्पेस इंडेक्स अथवा फ्लोर एरिया रेशियो सहित संयुक्त उद्यम के साथ और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक के कार्यालय द्वारा लेखा-परीक्षा सहित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की प्रयोज्यता के अध्यधीन ग्रेटर मुंबई में झुग्गी झोपड़ी पुनर्विकास स्कीमों की व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

ग्राम शिक्षा समितियां

251. **श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में ग्राम शिक्षा समितियों का गठन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने में इनकी क्या भूमिका है;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से जन सहभागिता बढ़ाने हेतु चेतना अभियान शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं तथा इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि विनिर्दिष्ट की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ग्राम/स्कूल स्तरीय समितियां गठित की गई हैं। तथापि, समितियों की नामावली प्रत्येक राज्य में अलग-अलग होती हैं; इन्हें विभिन्न राज्यों में ग्राम शिक्षा समिति, स्कूल विकास और प्रबंधन समिति/स्कूल मानीटरिंग समिति/ विद्यालय शिक्षा समिति, विद्यालय कल्याण समिति, जन भागीदारी और विकास समिति के नाम से जाना जाता है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 दिनांक 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी हुआ है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में स्कूल प्रबंधन समितियों के गठन का प्रावधान है जिसमें स्थानीय प्राधिकरण के चयनित प्रतिनिध, स्कूलों में दाखिल बच्चों के माता-पिता अथवा अभिभावक और शिक्षक शामिल होंगे। अधिनियम में यह प्रावधान भी है कि स्कूल प्रबंधन समितियों के कम-से-कम तीन-चौथाई सदस्य माता-पिता अथवा अभिभावक होंगे, जिनमें लाभवंचित समूह और कमजोर वर्ग के बच्चों के माता-पिता और अभिभावकों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा और स्कूल प्रबंधन समिति में 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत स्कूल के कार्यपालन की मॉनीटरिंग, स्कूल विकास योजना की तैयारी और सिफारिश और उपयुक्त सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदानों के उपयोग की मॉनीटरिंग का कार्य स्कूल प्रबंधन समिति को सौंपा गया है।

(ग) और (घ) सामुदायिक लामबंदी के सर्व शिक्षा अभियान मानकों को हाल ही में सामुदायिक लामबंदी और अभियानों के लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिला परिव्यय के 0.5 प्रतिशत तक आवंटन के लिए संशोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम/स्कूल स्तरीय समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण मानकों को शिक्षण प्रशिक्षण के मानकों के समान बनाने के लिए उनमें संशोधन किया गया है। विभिन्न राज्यों में सामुदायिक प्रशिक्षण के लिए वर्ष 2010-11 में वार्षिक कार्य योजना और बजट में 237 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

कंबोडिया को सहायता

252. **श्री चंद्रकांत खैरे : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंबोडिया ने भारत से सतत सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसी सहायता हेतु कंबोडिया के अनुरोध पर सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारत और कंबोडिया के बीच परस्पर लाभ के मुद्दों को उठाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) जी, हां।

(ख) कोलम्बिया ने क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास पर भारत से सहायता मांगी है। अंकोरवाट, टा-प्रोहम मंदिर जैसे पुरा स्मारकों और सिएम रीप स्थित स्मारकों के रखरखाव और पुनर्स्थापना के लिए भी भारत की सहायता मांगी गई है।

(ग) और (घ) भारत भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटेक) तथा मेकाँग-गंगा सहयोग (एमजीसी) के अधीन अन्य कार्यक्रमों तथा आसियान एकीकरण (आईएआई) परियोजनाओं के लिए पहल के माध्यम से कम्बोडिया की सहायता करता रहा है। क्षमता निर्माण के लिए भारत कम्बोडिया को विभिन्न स्कीमों के तहत ऋण शृंखलाएं (एलओसी), सहायता अनुदान आदि प्रदान कर रहा है। हाल ही में कम्बोडिया सरकार के आग्रह पर स्टंग तसल सिंचाई परियोजना के लिए 15 मिलियन अमरीकी डालर की अतिरिक्त ऋण शृंखलाएं प्रदान की गई हैं।

पीएचडी छात्रों हेतु अध्येतावृत्ति में वृद्धि

253. **श्री मानिक टैगोर :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के छात्रों द्वारा पीएचडी पाठ्यक्रमों हेतु अध्येतावृत्ति में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में पीएचडी छात्रों के लिए अध्येतावृत्ति में 1 अप्रैल, 2010 से निम्नानुसार वृद्धि की गई है:

क्र. सं.	अर्हक डिग्री	प्रतिमाह मौजूदा दर	संशोधित प्रतिमाह परिलब्धियां
1.	व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्नातक डिग्री (बीई/बी.टेक. अथवा समकक्ष) और 'गेट' अथवा समकक्ष अर्हताएं	प्रथम और द्वितीय वर्ष 12000/-रु.	प्रथम और द्वितीय वर्ष 16000/-रु.
		तृतीय और चतुर्थ वर्ष 14000/-रु.	पांचवें वर्ष तक 18000/-रु.
	अथवा		
	बुनियादी विज्ञानों में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.एस.सी. अथवा समकक्ष) और 'नेट' अर्हता प्राप्त	पांचवें वर्ष 15000/-रु.	
2.	व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर डिग्री (एमई/एम.टेक. अथवा समकक्ष)	प्रथम और द्वितीय वर्ष 14000/-रु.	प्रथम और द्वितीय वर्ष 18000/-रु.
		तृतीय और चतुर्थ वर्ष 15000/-रु.	तृतीय और चतुर्थ वर्ष 20000/-रु.

मोजांबिक के साथ समझौता

254. **श्री सुरेश कुमार शेटकर :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा मोजांबिक ने अवसंरचना परियोजनाओं हेतु 500 मिलियन अमेरिकी डालर की क्रेडिट लाइन पर सहमत होने के अलावा तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक कितने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए एवं इनकी क्रियान्वयन स्थिति क्या है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) और (ख) मोजांबिक के राष्ट्रपति अरमांडो गुएबुजो की 29 सितम्बर-4 अक्तूबर, 2010 की राजकीय यात्रा के दौरान भारत और मोजांबिक के बीच निम्नलिखित तीन करार/समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए: (i) खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत सरकार और मोजांबिक सरकार के बीच समझौता ज्ञापन; (ii) भारत और मोजांबिक के बीच दोहरे कराधान के परिहार पर करार (डीटीएए); (iii) भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और मोजांबिक के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के बीच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।

भारत के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की कि भारत अवसंरचना से जुड़ी परियोजनाओं, कृषि एवं ऊर्जा को सहायता देने के लिए 500 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण-शृंखला प्रदान करेगा। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि मई, 2010 में भारत ने ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए 25 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण-शृंखला देने की घोषणा की और 140 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की सभी छह ऋण-शृंखलाएं या तो प्रकार्यात्मक हैं या पूरी हो गई हैं।

उपर उल्लेख किये गए तीनों करारों/समझौता ज्ञापनों के अलावा भारत और मोजांबिक के बीच अभी तक हस्ताक्षर किए गए करारों/समझौता ज्ञापनों की सूची और उनकी कार्यान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है:

(i) भारत और मोजांबिक के बीच अंतर-सरकारी संयुक्त आयोग स्थापित करने संबंधी करार पर मार्च, 1999 में हस्ताक्षर किये गए। इस करार के अंतर्गत दिसंबर, 2002 और फरवरी, 2009 में बैठकें आयोजित की गई थीं। इन बैठकों में विस्तृत द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किये गए।

(ii) भारत और मोजांबिक के विदेश मंत्रालयों के बीच राजनीतिक परामर्शों के प्रोतोकॉल पर दिसंबर, 2002 में हस्ताक्षर किये गए थे। इस प्रोतोकॉल में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच प्रत्येक वर्ष भिन्न-भिन्न स्तरों पर मपुतो और नई दिल्ली में बारी-बारी से परामर्श करने की व्यवस्था है।

(iii) भारत और मोजांबिक के बीच व्यापार करार पर 19 फरवरी, 2982 को हस्ताक्षर किये गए थे। करार को अद्यतन करने के लिए विचार-विमर्श किये जा रहे हैं।

(iv) कृषि के क्षेत्र में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन पर मई, 2003 में हस्ताक्षर किये गए थे। इस समझौता ज्ञापन को एक कार्य योजना के जरिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

(v) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन पर मई, 2003 में हस्ताक्षर किये गए थे। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत वर्ष 2005-09 की अवधि के लिए सहयोग संबंधी एक कार्यक्रम तैयार किया गया था।

(vi) द्विपक्षीय निवेश संवर्धन एवं परस्पर सुरक्षा संबंधी करार (बीआईपीए) पर 18-19 फरवरी, 2009 को हस्ताक्षर किये गए थे। करार को 23 सितंबर, 2009 के प्रभाव से अनुसमर्थित किया गया था।

(vii) स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में सहयोग संबंधी करार पर फरवरी, 2004 में हस्ताक्षर किये गए थे। सहयोग के क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है।

(viii) कोयला संसाधन के क्षेत्र में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन पर 26 मई, 2006 को हस्ताक्षर किये गए थे। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दोनों पक्षों के बीच चर्चाएं आयोजित की गई थीं।

(ix) भारत और मोजांबिक के बीच रक्षा सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर मार्च, 2006 में हस्ताक्षर किये गए थे। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत दोनों पक्षों के बीच विचार-विमर्श किये गए थे।

(x) भारत और मोजांबिक के बीच संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध करार पर 9 अप्रैल, 1982 को हस्ताक्षर किये गए थे।

(xi) श्रम के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर अप्रैल, 2003 में हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौता ज्ञापन में संयुक्त कार्य दल स्थापित करने की व्यवस्था थी, जिसकी पहली बैठक अप्रैल, 2004 में मोजांबिक में आयोजित हुई थी।

भारतीय शिक्षा सेवा

255. **श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिथू अलूर की अध्यक्षता में समिति ने भारतीय शिक्षा सेवा के गठन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ग) सरकार ने भारतीय शिक्षा सेवा के सृजन हेतु मिथू अलूर की अध्यक्षता में किसी भी समिति का गठन नहीं किया है। तथापि, सरकार ने भारतीय शिक्षा सेवा के गठन की संभावना तथा वांछनीयता की जांच करने हेतु भूतपूर्व शिक्षा सचिव, श्री अनिल बोर्दिया की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति की रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है।

बढ़ता भ्रष्टाचार

256. **श्री रूद्रमाधव राय : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी विभागों में घूस से संबंधित उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी 'नथिंग मूव्स विदाउट मनी' नामक से परिचित है जिसमें इसने मीडिया द्वारा रिपोर्ट की गई सरकारी मशीनरी विशेष रूप से आयकर, बिक्री कर तथा उत्पाद शुल्क विभागों में बढ़ते भ्रष्टाचार पर चिंता व्यक्त की;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में जन संपर्क विभागों में व्यापक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने श्री मदन मोहन लाल वर्मा, निरीक्षक, आयकर, डब्ल्यू-2 (6), जालंधर के विरुद्ध 25,000 रुपए की रिश्वत मांगने तथा स्वीकार करने का एक मामला दर्ज किया है। जांच-पड़ताल हेतु यह मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को स्थानांतरित कर दिया गया; विशेष न्यायाधीश, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, पटियाला, पंजाब की अदालत में एक आरोप-पत्र दायर किया गया तथा आरोपी को 25,00/- रुपए के जुर्माना सहित एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई। आरोपी ने अपनी सजा के विरुद्ध चंडीगढ़ स्थित माननीय पंजाब एवं हरियाणा न्यायालय में एक अपराधिक अपील दायर की जिसने आरोपी की सजा समाप्त करते हुए उसे दोषमुक्त कर दिया। उपर्युक्त दौषमुक्ति के विरुद्ध सी.बी.आई. ने माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील करने की इजाजत मांगी। इसे एक आपराधिक अपील में परिवर्तित कर दिया गया है तथा इसे दिनांक 08.10.2010 को स्वीकृत कर लिया गया।

(ग) सरकार 'भ्रष्टाचार को कतई बर्दास्त नहीं करने' की अपनी नीति के कार्यान्वयन के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है तथा जीवन के सभी क्षेत्रों से भ्रष्टाचार के उन्मूलन की दिशा में पारदर्शिता तथा दायित्व निर्वहन में सुधार करते हुए निरंतर आगे बढ़ रही है। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए तथा सरकारी काम-काज में सुधार लाने हेतु कई उपाय किए गए हैं। उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) भंडाफोड़ संकल्प, 2004 जारी करना;

(ii) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियमन;

(iii) निवारक उपाय के रूप में सतर्कता संबंधी वार्षिक कार्रवाई योजना द्वारा मंत्रालयों/विभागों की सक्रिय भूमिका;

(iv) केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा संविदा तथा करार प्रक्रिया के संबंध में पारदर्शिता बरतने हेतु व्यापक अनुदेश जारी करना;

(v) सरकार द्वारा वस्तुओं की बड़ी खरीद-फरोख्त में संगठनों को इंटिग्रिटी पैक्ट अपनाने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अनुदेश जारी करना; इसी तरह के अनुदेश केन्द्र सरकार द्वारा 16 जून, 2009 को जारी किए गए जिनमें राज्य सरकारों को बड़ी खरीद-फरोख्त के इंटिग्रिटी पैक्ट अपनाने की सलाह दी गई है;

(vi) भारत उन देशों में शुमार है जिन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(vii) ई-गवर्नेंस की शुरूआत कर तथा प्रक्रियाओं एवं प्रणालियों को सरल बनाना;

(viii) नागरिक चार्टर जारी करना।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

257. **श्री एल. राजगोपाल :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को बच्चों की विशेषताएं पता लगाने के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि 15 वर्ष की आयु पूरा करने के पहले उनकी असंतुलित बायोमेट्रिक विशेषताएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 8 वर्ष की आयु तक आयरिस भी पूरी तरह विकसित नहीं होते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तथा उन्हें यूआईडीएआई प्रदान करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (घ) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने प्रूफ आफ कांसेप्ट (पीओसी) अध्ययन कराया है जिसमें 5-15 वर्ष की आयु के बच्चों के बायोमेट्रिक नमूने लिए गए थे। इस प्रक्रिया के परिणामों से पता चला कि वयस्क व्यक्तियों के फिंगर प्रिंट और आइरिस दोनों की ही भांति बच्चों के भी बायोमेट्रिक नमूने लिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त लिए गए नमूनों में से मिन्युटिई/टेम्पलेट्स लिए गए थे और यह पाया गया था कि बच्चों के बायोमेट्रिक्स यूआईडी प्रमाणीकरण की भांति पंजीकरण के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। तथापि, 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स को अद्यतन किये जाने की जरूरत होगी। इससे संबंधित सूचना पंजीकृत बच्चों को आधार संख्या सूचित करने वाले मूल पत्र का हिस्सा है।

[हिन्दी]

नदियों का प्रदूषण

258. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :**
श्री जयवंत गंगाराम आवले :
डॉ. संजय सिंह :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री विश्व मोहन कुमार :
श्री इज्यराज सिंह :
राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न नदियों की सफाई हेतु विभिन्न एजेंसियों को अब तक प्रदान की गई धनराशि का नदी-वार, एजेंसी-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रमुख नदियों की सफाई हेतु नदी-वार तथा राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित तथा व्यय की गई है;

(ग) नदी-वार तथा राज्य-वार किन-किन नदियों के प्रदूषण स्तर में सुधार हुआ है तथा किन-किन में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने नदियों को प्रदूषणमुक्त बनाने के लिए राज्य सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों से परामर्श किया है तथा जन चेतना अभियान चलाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन प्रदूषित नदियों की सफाई हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के अंतर्गत इस समय 20 में से अधिक राज्यों में विस्तृत 38 नदियां शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा अब तक 3727.06 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध कराई गई है और 4064 एमएलडी की सीवेज उपचार क्षमता सृजित की गई है। एनआरसीपी हेतु वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान 2065 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है, जिसकी तुलना में केन्द्र सरकार द्वारा अक्तूबर, 2010 तक 1154.38 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। ब्यौरे विवरण के रूप में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा

विघटित ऑक्सीजन (डीओ), जैवी रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) और फीकल कोलीफोर्म्स की दृष्टि से 353 नदियों के 980 स्थलों पर नदियों की जल – गुणवत्ता की मॉनीटरिंग की जा रही है। सीपीसीबी द्वारा 150 प्रदूषित नदी क्षेत्रों की पहचान की गई है।

एनआरसीपी के अंतर्गत कुछ प्रमुख नदियों पर सुविख्यात संस्थाओं द्वारा की गई स्वतंत्र मॉनीटरिंग के आधार पर बीओडीवेल्यू के संदर्भ में अधिकांश स्थानों पर जल की गुणवत्ता में प्रदूषण उपशमन स्कीमें शुरू होने से पूर्व की गुणवत्ता के मुकाबले सुधार आया है। उदाहरणार्थ, गंगा नदी की जल-गुणवता के संबंध में, 1986 में 1.7 से 15.5 एमजी/लीटर के बीच बीओडी वेल्यू की तुलना में प्रमुख मॉनीटरिंग स्थलों के वर्ष 2010 में बीओडी वेल्यू 1.48 से 5.51 एमजी/लीटर के बीच है। तथापि, गंगा नदी के अनेक स्थलों का फीकल कोलीफोर्म की दृष्टि से बैक्टेरियल कॉन्टेमिनेशन के स्तर अधिकतम स्वीकृति योग्य सीमा से अधिक होने की रिपोर्ट है।

हरियाणा में ताजेवाला से पल्ला तक यमुना नदी के क्षेत्र में जल गुणवत्ता निर्धारित सीमाओं में पायी गई है। तथापि, दिल्ली (वजीराबाद बैराज के डाउनस्ट्रीम से ओखला बैराज के अपस्ट्रीम तक) के आस-पास और उत्तर प्रदेश के भागों में यमुना नदी के क्षेत्र में बीओडी की दृष्टि से मानकों की पूर्ति नहीं होती है। सीवेज उपचार क्षमता की मांग और उपलब्धता के बीच बड़े अंतर तथा नदी में ताजा जल के अभाव के कारण यमुना की जल-गुणवत्ता में वांछित सुधार नहीं देखा गया है।

राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है कि वे परियोजनाओं की मॉनीटरिंग, कार्यान्वियन में युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करें। प्रदूषण के प्रभावी उपशमन और नदी बेसिन को योजना की एक इकाई के रूप में लेकर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाकर गंगा नदी के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार ने फरवरी, 2009 में एक अधिकार प्राप्त प्राधिकरण के रूप में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) का गठन किया है। एनजीआरबीए के अंतर्गत अब तक लगभग 1450 करोड़ रु. की स्कीमें मंजूर की गई हैं।

नदियों के संरक्षण का कार्य केन्द्र तथा राज्य सरकारों का एक जारी और सामूहिक प्रयास है। सीवेज प्रबंधन एवं निपटान के लिए नागरिक अवसंरचना का सृजन जैसी संरक्षण परियोजनाएं अन्य केन्द्रीय स्कीमों जैसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, छोटे तथा मझौले शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम, तथा अन्य राज्य क्षेत्र की स्कीमों के अंतर्गत भी कार्यान्वित की जा रही है।

विवरण

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत जारी केन्द्रीय निधियां

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य	राज्य कार्यान्वयन एजेंसी	नदी	अक्तूबर, 2010 तक जारी धनराशि	
				वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	– जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग – हैदराबाद मैट्रोपोलिटन जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड	गोदावरी और मूसी	130.62	260.19

1	2	3	4	5	6
		– एपी टूरीज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड			
2.	बिहार	– बिहार राज्य जल पर्षद	गंगा	35.37	92.07
3.	दिल्ली	– दिल्ली जल बोर्ड	यमुना	166.62	373.16
		– दिल्ली नगर निगम			
4.	गोवा	– विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग	मंडोवी	0.70	9.26
5.	गुजरात	– अहमदाबाद नगर निगम	साबरमती	1.74	89.66
6.	हरियाणा	– जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग	यमुना	42.85	231.61
7.	झारखंड	– खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण	दामोदर, गंगा और सुवर्णरेखा	0.00	4.41
8.	कर्नाटक	– कर्नाटक नगर जल आपूर्ति एवं ड्रेनेज बोर्ड	भद्रा, तुंगभद्रा, कावेरी, टुंगा और पेन्नार	5.96	47.83
		– कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड			
9.	केरल	– केरल जल प्राधिकरण	पाम्बा	2.00	2.78
10.	मध्य प्रदेश	– मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	बेतवा, ताप्ती, वैनगंगा,	11.00	79.00
		– जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग	खान, नर्मदा, क्षिप्रा, बीहर,		
		– पर्यावरण विभाग योजना एवं समन्वयन संगठन	चम्बल और मंदाकिनी		
11.	महाराष्ट्र	– महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण	कृष्णा, गोदावरी, तापी	16.70	115.65
		– नासिक नगर निगम	और पंचगंगा		
12.	नागालैंड	– नागालैंड सरकार	दिफू और धंसीरी	0.00	4.50
13.	उड़ीसा	– उड़ीसा जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड	ब्राह्मणी एवं महानदी	23.50	56.41
14.	पंजाब	– पंजाब जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड	सतलुज	57.97	196.72
15.	राजस्थान	– जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग	चम्बल	20.00	21.12

1	2		3	4	5	6
16.	सिक्किम	—	जल सुरक्षा एवं जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग	रानी छू	42.37	50.90
17.	तमिलनाडु	—	चेन्नई मैट्रोपोलिटन जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड	कावेरी, अडयार, कूम, वेन्नार, वेगाई और तम्बरानी	31.02	623.65
		—	तमिलनाडु जल आपूर्ति एवं ड्रेनेज बोर्ड			
		—	नगर प्रशासन आयुक्त			
18.	उत्तर प्रदेश	—	उत्तर प्रदेश जल निगम	यमुना, गंगा और गोमती	344.36	869.32
19.	उत्तराखंड	—	उत्तरांचल पेयजल निगम	गंगा	45.55	71.06
20.	पश्चिम बंगाल	—	कोलकाता मैट्रोपोलिटन विकास प्राधिकरण	गंगा, दामोदर और महानंदा	176.05	527.76
		—	सीईटीपी के लिए वाणिज्य एवं उद्योग विभाग			
	कुल				1154.38	3727.06

[अनुवाद]

राष्ट्रीय उद्यानों का दुरुपयोग

259. **श्री आनंदराव अडसुल :**
श्री एस.आर. जेयदुरई :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री अब्दुल रहमान :
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य जीव अभयारण्यों को उनके आस-पास के क्षेत्रों का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्राप्त प्रस्तावों का अभयारण्य-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन प्रस्तावों की जांच करने हेतु राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अंतर्गत एक स्थायी समिति का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) गैर-वानिकी उद्देश्यों हेतु राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्यजीव अभयारण्यों की भूमि के प्रयोग की अनुमति वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों और माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अंतर्गत उचित जांच के बाद दी जाती है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिनांक 14 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति का पुनर्गठन किया है। गैर-वानिकी प्रयोगों हेतु राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और संरक्षण रिजर्वों के क्षेत्र

के विपथन हेतु राज्य/संघ राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा विचार किए जाते हैं।

स्थायी समिति की दिनांक 13.10.2010 को सम्पन्न बैठक में विचार किए गए अभयारण्य-वार और राज्यवार प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की दिनांक 13.10.2010 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त को अंतिम रूप दे दिया गया है और कार्यान्वियन हेतु संबंधित राज्य सरकारों को भेजा गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सामान्यतया स्थायी समिति के विचारार्थ रखे गए प्रस्ताव पर समिति की सिफारिशों को स्वीकृत कर दिया जाता है।

विवरण

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को स्थायी समिति द्वारा दिनांक 13.10.2010 को संपन्न बैठक के दौरान समिति द्वारा प्राप्त तथा विचारित प्रस्तावों का विवरण

क्र. सं.	प्रस्ताव का विवरण	राष्ट्रीय उद्यान/ अभयारण्य के नाम	राज्य का नाम
1	2	3	4
1.	खजाड़िया से तलाला, गुजरात तक फाईबर कम्पोजिट केबिल बिछाना	गिर अभयारण्य	गुजरात
2.	जिला पोशीत्रा-जामनगर पर बंदरगाह की स्थापना के लिए जोखिम मूल्यांकन और पर्यावरण प्रभाव जोखिम (ईआईए) के अध्ययन करने के लिए अनुमति।	मेरीन राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य	गुजरात
3.	हिमाचल प्रदेश, कोल डेम परियोजना का निर्माण।	माजाथल वन्यजीव अभयारण्य	हिमाचल प्रदेश
4.	आर्थिक पुन:निर्माण एजेंसी (ईआरए), जम्मू और कश्मीर द्वारा मौजूदा एकल लेन की मध्य की सिध्रा सूरीनसर मंसार रोड का उन्नयन।	सूरीनसर-मंसार वन्यजीव अभयारण्य	जम्मू और कश्मीर
5.	कस्बा शिवपुरी, एम.पी. के लिए पेय जल की आपूर्ति के लिए भूमिगत पाइपलाइन बिछाने संबंधी जांच पड़ताल/सर्वेक्षण किया जा रहा है।	माधव राष्ट्रीय उद्यान	मध्य प्रदेश
6.	मध्य प्रदेश, पीडब्ल्यूडी भोपाल, मध्य प्रदेश द्वारा टीकमगढ़ ओरछा-झांसी रोड में जामनी नदी के पार 74/6 कि.मी. पर पुल एवं संपर्क मार्ग का निर्माण।	ओरछा वन्यजीव अभयारण्य	मध्य प्रदेश
7.	मध्य प्रदेश, पीडब्ल्यूडी भोपाल, मध्य प्रदेश द्वारा टीकमगढ़ ओरछा-झांसी रोड में बेतवा नदी के पार 81/2 कि.मी. पर पुल एवं संपर्क मार्ग का निर्माण।	ओरछा वन्यजीव अभयारण्य	म्ध्य प्रदेश

1	2	3	4
8.	मध्य प्रदेश से होकर जाने वाले टीकमगढ़ ओरछा एस एच-37 में अनुरक्षण/रखरखाव कार्य के लिए मंजूरी हेतु प्रस्ताव।	ओरछा वन्यजीव अभयारण्य	मध्य प्रदेश
9.	गांवों को जोड़ने के लिए बारहमासी सड़कें बनाने के लिए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 12 मौजूदा ग्रामीण सड़कों का निर्माण और उन्नयन।	बंगलोर अभयारण्य	मध्य प्रदेश
10.	पीएमजीएसवाई, मध्य प्रदेश के अधीन ओबेदुल्ला गंज-रेथी सड़क से मथार इहावा से खेरपुर तक 6.30 कि.मी. सड़क का निर्माण और उन्नयन	रातापानी वन्यजीव अभयारण्य	मध्य प्रदेश
11.	पीएमजीएसवाई, मध्य प्रदेश के अधीन गगनबाड़ा से करतौली तक 5.30 कि.मी. सड़क का निर्माण और उन्नयन	सिंगहोरी वन्यजीव अभयारण्य	मध्य प्रदेश
12.	पीएमजीएसवाई, मध्य प्रदेश के अधीन दामोन-जबलपुर तक विद्यमान 5.80 कि.मी. राज्य राजमार्ग-37 के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्ताव	वीरांगना रानी दुर्गावती अभयारण्य	मध्य प्रदेश
13.	17.15 कि.मी. इंदवार-ताला-पारसी, मध्य प्रदेश सड़क का रख-रखाव/मरम्मत कार्य	पनपथा वन्यजीव अभयारण्य और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान	मध्य प्रदेश
14.	केरकेली-रायपुर-बगदारी सड़क से चेचरिया, मध्य प्रदेश तक ऑल वेदर ब्लैक टॉप्ड तक गांवों को जोड़ने के लिए पीएमजीएसवाई के अधीन ग्रामीण सड़क का निर्माण और उन्नयन	बांधवगढ़ राष्ट्रीय अभयारण्य	मध्य प्रदेश
15.	धारा से भीलवाड़ा, राजस्थान तक 400 केवी शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाईन बिछाया जाना	राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य	राजस्थान
16.	छाबरा-टीपीएस से हिंदुआन तक 400 केवी शॉर्ट सर्किट ट्रांसमिशन लाईन बिछाया जाना	राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य	राजस्थान
17.	पूर्वी सिक्किम में लाली चौक से संग तक संग नया बाजार जल आपूर्ति योजना का निर्माण	फमबोंगलहो वन्यजीव अभयारण्य	सिक्किम
18.	दक्षिण सिक्किम में मिथुने से रेहनोक तक जल आपूर्ति का निर्माण	पनगोलाखा वन्यजीव अभयारण्य	सिक्किम

1	2	3	4
19.	उत्तरी सिक्किम में जिलेप ला स्ट्रीम से कुपुप तक जल आपूर्ति का निर्माण	पनगोलाखा वन्यजीव अभयारण्य	सिक्किम
20.	पूर्वी सिक्किम में फ्लैग हिल से डोकाला के बीच रक्षा सड़क का निर्माण	पनगोलाखा वन्यजीव अभयारण्य	सिक्किम
21.	भालेदूंगा (दक्षिण) सिक्किम में स्काईवाक का निर्माण	मेनम वन्यजीव अभयारण्य	सिक्किम
22.	नागर कोइल नगर पालिका, तमिलनाडु को पेयजल सुविधा प्रदान करने हेतु अनुमति	कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्य	तमिलनाडु
23.	शेरपुर गांव से ठेट गांव, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के बाएं किनारें पर एक घाट के निर्माण हेतु अनुमति	हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य	उत्तर प्रदेश
24.	सेला आर्थिंग एचइपी (230 मेगावाट), उत्तराखंड हेतु अनुमति	अस्कोट मुस्क हिरण अभयारण्य	उत्तराखंड
25.	आयुष ग्राम, उत्तराखंड की स्थापना	राजाजी राष्ट्रीय उद्यान	उत्तराखंड

क्र. सं.	प्रस्ताव का विवरण	राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य के नाम	राज्य का नाम
1	2	3	4
1.	मेसर्स पराशक्ति सीमेंट्स लि. द्वारा सीमेंट संयंत्र की क्षमता में वृद्धि-पुनर्विचार मामला पुनर्विचार	नागार्जुन सागर श्री सैलम बाघ रिजर्व की सीमाओं से 6 कि.मी.	आंध्र प्रदेश
2.	श्री जयसिंह मगनलाल, गोवा द्वारा क्यूपेम तालुका में पिरला गांव में स्थित क्यरेमोल लॉ अयस्क खान (16/11/1959 का टी.सी. नं. 80) पर पट्टा क्षेत्र के नवीकरण हेतु नेत्रावली वन्यजीच अभयारण्य से 98.76 हेक्टेयर वन भूमि का वनेतर उपयोग	नेत्रावली अभयारण्य की सीमाओं से 3.25 कि.मी.	गोवा
3.	श्री जयसिंह मगनलाल, गोवा द्वारा क्यूपेम तालुका में पिरला गांव में स्थित क्यरेमोल लॉ अयस्क खान (16/11/1959 का टी.सी. नं. 80) पर पट्टा क्षेत्र के नवीकरण हेतु प्रस्ताव	नेत्रावली अभयारण्य से 6 कि.मी.	गोवा

1	2	3	4
4.	महाराष्ट्र राज्य में एनएच-6 के 485 कि.मी. से छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा-वेइनगंगा सैक्शन का निर्माण	नागजीरा वन्यजीव अभयारण्य और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान के बीच कोरीडोर से होते हुए	महाराष्ट्र
5.	मैसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लि., जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के लिए मांडला नॉर्थ भूमिगत खनन कोयला ब्लॉक	पेंच बाघ रिजर्व सतपुड़ा बाघ रिजर्व के बीच कोरीडोर	मध्य प्रदेश
6.	बडगावना राजस्व, जिला सिंधी-68.910 हे. (राजस्व भूमि) मंझीगावन विस्तार जिला सिंधी-54.825 हे. (वन भूमि) हिनौती विस्तार जिला सतना-258.864 हे. (वन भूमि) के लिए खनन पट्टा, मध्य प्रदेश हेतु प्रस्ताव	सोन घड़ियाल मगरमच्छ अभयारण्य से 8 कि.मी.	मध्य प्रदेश
7.	पश्चिम जिला, सिक्किम में 96 मेगावाट लेथांग जल विद्युत परियोजना का निर्माण	कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के बाहर	सिक्किम

आधार योजना

260. **प्रो. रंजन प्रसाद यादव :**
श्री सी. राजेन्द्रन :
श्री एम. राजामोहन रेड्डी :
श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशिष्ट पहचान पत्र योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) अब तक योजना हेतु कुल कितनी राशि वर्ष-वार आवंटित तथा व्यय की गई;

(ग) क्या विशिष्ट पहचान पत्र परियोजना हाल में महाराष्ट्र के नंदरबार जिले में शुरू की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) किन उद्देश्यों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र का उपयोग किया जा सकता है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) विशिष्ट पहचान (यूआईडी) मिशन का लक्ष्य देश में प्रत्येक नागरिक को यूआईडी संख्या (आधार) जारी करना है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने अगस्त, 2009 में अपना कार्य करना शुरू कर दिया है। सरकार ने 12 से 18 महीनों में विशिष्ट पहचान संख्या का प्रथम सेट जारी करने का वचन दिया था। परियोजना के लिए अवसंरचना जिसमें मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रौद्योगिकी केन्द्र और डाटा केन्द्र शामिल है, परियोजना के फेज-I के रूप में पूरी कर ली गई है। परियोजना का फेज-II, जिसमें मार्च 2011 तक 10 करोड़ आधार संख्या जारी करना शामिल है, शुरू हो चुका है। दिनांक 25-10-2010 तक 27,446 यूआईडी (आधार) संख्या जारी की जा चुकी है।

(ख) निधियों का आवंटन एवं वर्ष वार खर्च की गई राशि के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपये)

वर्ष	कुल बजट अनुमान	कुल संशोधित अनुमान	कुल अंतिम अनुमान	कुल व्यय
2009-10	120.00	30.92	26.38	26.21
2010-11	1900.00	—	—	34 (सित. 2010 तक)

(ग) और (घ) विशिष्ट पहचान कार्यक्रम महाराष्ट्र में नंदरबार जिले के तेम्भलीगांव में 29 सितम्बर 2010 को शुरू किया गया था। तेम्भलीगांव के निवासियों को यूआईडी (आधार) संख्या का पहला सेट जारी कर दिया गया है।

(ङ) आधार के माध्यम से हमें सुविधाएं मिलती हैं। विशिष्ट पहचान कार्यक्रम (आधार) का मूल इस तथ्य में है कि भारत में गरीबों एवं उपेक्षितों के पास पहचान दस्तावेज नहीं होने के कारण वे सामाजिक कल्याण स्कीमों एवं कार्यक्रमों से वंचित हो सकते हैं। आधार का उद्देश्य एक साधारण पहचान अवसंरचना प्रदान करना है जिसका प्रयोग सार्वजनिक सेवाएं पैदा करने के लिए किया जा सके जिससे कि इससे साम्यता, कुशलता एवं सेवाओं की बेहतर डिलीवरी हो सके।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना

261. **श्री सुरेन्द्र सिंह नागर :**
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे :
श्री दत्ता मेघे :
श्री सर्वे सत्यनारायण :

क्या जल **संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में घोषित करने के कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के क्या मापदंड हैं;

(घ) राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में घोषित सिंचाई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा अनुमानित परियोजना लागत कितनी है तथा इन पर कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ङ) गोसीखुर्द परियोजना सहित उन प्रत्येक राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्य की परियोजना-वार प्रगति की वर्तमान स्थिति क्या है जिन्हें त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम से धनराशि मंजूर की गई; और

(च) लंबित परियोजनाओं पर सरकार द्वारा परियोजना-वार क्या कार्रवाई की गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दिशा-निर्देशों के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाओं के रूप में घोषित करने के लिए मानक/मानदंड निम्नानुसार हैं:—

(i) अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं जहां संधि के तहत भारत में जल की आवश्यकता है अथवा जहां आयोजना और परियोजना को शीघ्र पूरा करना देश के हित के लिए आवश्यक है।

(ii) अंतर्राज्यीय परियोजनाएं जो नदियों को परस्पर जोड़ने सहित लागतों के बंटवारे, पुनर्वास, विद्युत उत्पादन के कारक इत्यादि के संबंधित अंतर्राज्यीय मुद्दों का समाधान न किए जाने के कारण विलंबित हैं।

(iii) अंतर्राज्यीय परियोजना जिसकी अतिरिक्त क्षमता 2,00,000 हेक्टेयर से अधिक है तथा जिसके संबंध में जल के बंटवारे से संबंधित कोई विवाद नहीं है तथा जिसकी जलविज्ञानीय क्षमता कायम है।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां केवल महाराष्ट्र की गोसीखुर्द और पंजाब की शाहपुर कांडी परियोजना को प्रदान की गई हैं। शाहपुर कांडी परियोजना को 31.3.2010 को 10.80 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है तथा इसका कार्य प्रगति पर है। गोसीखुर्द परियोजना को वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान क्रमशः 450 करोड़ रुपये, 720 करोड़ रुपये और 635.28 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है तथा इसका कार्य प्रगति पर है। गोसीखुर्द परियोजना के लिए वर्ष 2008-09 के लिए 2600 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन करने का लक्ष्य था जिसमें से अप्रैल, 2009 तथा 2400 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था तथा बकाया 200 हेक्टेयर क्षमता जून, 2009 तक सृजित कर ली गई। वर्ष 2009-10 के लिए सिंचाई क्षमता का लक्ष्य 21817 हेक्टेयर है जिसमें से वर्ष 2009-10 के दौरान 1750 हेक्टेयर क्षमता सृजित कर ली गई है।

(च) परियोजना के प्रस्तावों की जांच की गई है तथा राज्य सरकारों को राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वियन के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया है।

विवरण-I

विभिन्न राज्य सरकारों से राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किए जाने के संबंध में प्राप्त किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य का नाम	राष्ट्रीय परियोजना के लिए पात्रता
1.	केंहर सिंचाई परियोजना	उत्तर प्रदेश	नहीं
2.	बागेह बांध	उत्तर प्रदेश	नहीं
3.	बाणसागर नहर	उत्तर प्रदेश	हां
4.	सरयु नहर	उत्तर प्रदेश	हां
5.	शारदा सहायक नहर की पुनरुद्धार क्षमता	उत्तर प्रदेश	हां
6.	राजघाट नहर चरण-II	उत्तर प्रदेश	नहीं
7.	रेगांली	उड़ीसा	हां
8.	पुलाक्स्म	आंध्र प्रदेश	हां
9.	जे. चोकाराम लिफ्ट सिंचाई स्कीम	आंध्र प्रदेश	हां
10.	बारगी डायवर्ज़न परियोजना	मध्य प्रदेश	हां
11.	सुवर्णरेखा परियोजना	उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम	हा

विवरण-I

राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	परियोजना का नाम	(1) सिंचाई (हेक्टैयर) (2) विद्युत (मेगावाट) (3) भंडारण (एमएफ)	राज्य	नवीनतम अनुमातिम लागत (करोड़ रु.)	राष्ट्रीय परियोजनाओं की स्कीम के अंतर्गत जारी की गई केन्द्रीय सहायता (करोड़ रु.)	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	तीस्ता बैराज	(1) 9.23 लाख (2) 1000 मेगावाट (3) बेराज	पश्चिम बंगाल	2989.61	0	राज्य सरकार द्वारा निष्पादन के अधीन
2.	शाहपुर कांडी	(1) 3.80 लाख (2) 300 मेगावाट (3) 0.016 एमएएफ	पंजाब	2285.81	10.8	राज्य सरकार द्वारा निष्पादन के अधीन
3.	बुरसर	(1) 1 लाख (अप्रत्यक्ष) (2) 1230 मेगावाट (3) 1 एमएएफ	जम्मू और कश्मीर	7500	0	विस्तृत परियोजना तैयार करने के चरण में
4.	द्वितीय रावी व्यास सम्पर्क	सीमा पर प्रवाहित लगभग 3 एमएएफ जल का दोहन करना	पंजाब	4000	0	विस्तृत परियोजना तैयार करने के चरण में
5.	उझ बहुउद्देश्यीय परियोजना	(1) 0.32 लाख हेक्टेयर (2) 280 मेगावाट (3) 0.66 एमएएफ	जम्मू और कश्मीर	1400	0	विस्तृत परियोजना तैयार करने के चरण में
6.	जिस्पा परियोजना	(1) 0.50 लाख हेक्टेयर (2) 240 मेगावाट (3) 0.6 एमएएफ	हिमाचल प्रदेश	1200	0	विस्तृत परियोजना तैयार करने के चरण में

1	2	3	4	5	6	7
7.	लखवर व्यासी	(1) 0.49 लाख (2) 420 मेगावाट (3) 0.325 एमएएफ	उत्तराखंड	4620	0	विस्तृत परियोजना तैयार करने के चरण में
8.	किशाऊ	(1) 0.97 लाख (2) 600 मेगावाट (3) 1.04 एमएएफ	हिमाचल प्रदेश/ उत्तराखंड	7156	0	विस्तृत परियोजना तैयार करने के चरण में
9.	रेणुका	(1) पेयजल (2) 40 मेगावाट (3) 0.44 एमएएफ	हिमाचल प्रदेश	3572	0	डीपीआर मूल्यांकन के अधीन
10.	नवदेहग बांध परियोजना	(1) 8000 हेक्टेयर (2) 75 मेगावाट (3) 0.26 एमएएफ	अरुणाचल प्रदेश	800	0	विस्तृत परियोजना तैयार करने के चरण में
11.	कंलसी बांध परियोजना	(1) 23,900 लाख (2) 29 मेगावाट (3) 0.28 एमएएफ	असम	800	0	विस्तृत परियोजना तैयार करने के चरण में
12.	ऊपरी संयग	(1) अप्रत्यक्ष (2) 9500 मेगावाट (3) 17.50 एमएएफ (4) बाढ़ नियंत्रण	अरुणाचल प्रदेश	8500	0	विस्तृत परियोजना तैयार करने के चरण में
13.	गोसीखुर्द	(1) 2.50 लाख (2) 3 मेगावाट (3) 0.93 एमएएफ	महाराष्ट्र	7777.85	1805.28	राज्य सरकार द्वारा निष्पादन के अधीन
14.	केन बेतवा	(1) 6.46 लाख (2) 72 मेगावाट (3) 2.25 एमएएफ	मध्य प्रदेश	4100	0	विस्तृत परियोजना तैयार करने के चरण में

[अनुवाद]

कोयला माफिया

262. **श्री मनीष तिवारी : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के मध्य तथा पूर्वी हिस्सों में कोयला उद्योग में दस हजार छोटे तथा बड़े कोयला माफिया सक्रिय हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कोयला माफियाओं की गतिविधियों के चलते सरकार को कितने वार्षिक राजस्व की हानि उठानी पड़ रही है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) माफिया गतिविधियों में कानून एवं व्यवस्था के मुद्दे शामिल हैं जो राज्य सरकारों के विषय हैं। राज्य सरकारों से कोयला उद्योग में माफिया गतिविधियों की कोई सूचना नहीं है। तथापि, प्राय: यह देखा गया है कि कोयले की ढुलाई/ओबर बर्डन को हटाने एवं अन्य कार्य, जिन्हें ठेकेदारों के माध्यम से किया जाता है, जैसी सेवाएं लेने के लिए निविदा की प्रक्रिया के दौरान, भावी बोलीकर्त्ताओं से उचित उत्तर संभवत: कुछ लोगों अथवा लोगों के समूहों के भय से प्राप्त नहीं होते हैं। अत: कुछ मामलों में पुन: निविदा मंगानी पड़ी हैं।

यह भी देखा गया है कि ठेका दिये जाने के बाद कुछ कोलफील्डों में ठेकेदार कार्य पूरा नहीं कर पाते हैं और कभी-कभी संभवत: कुछ लोगों अथवा लोगों के समूहों के भय से कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं।

उपर्युक्त को देखते हुए, सरकार को हुई हानि का आकलन नहीं किया जा सकता है।

सीबीएसई स्कूलों की संबद्धता

263. **श्री जोस के. मणि : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास संबद्धता हेतु कितने स्कूलों के आवेदन लंबित हैं;

(ख) विभिन्न राज्यों में सीबीएसई स्कूल शुरू करने की मंजूरी के लिए किन मानदंडों का पालन किया जाता है;

(ग) सीबीएसई स्कूलों को संबद्धता प्रदान करने में राज्य सरकारों की क्या भूमिका है;

(घ) क्या सीबीएसई प्राधिकारी संबद्धता प्रदान करने के पूर्व तत्संबंधी राज्य सरकार से आवश्यक 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करते हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबद्धता प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) शैक्षिक वर्ष 2011-12 हेतु केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को संबंधन तथा संबंधन के स्तरोन्नयन हेतु 2161 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) स्कूलों के संबंधन के मानदंड केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संबंधन उप-नियमों में निर्धारित है। उप-नियमों के अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्धारित हैं:

(i) उस राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से अनापत्ति प्रमाणपत्र जहां पर स्कूल स्थित है।

(ii) स्कूल भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत पंजीकृत किसी पंजीकृत सोसाइटी/न्यास/कंपनी द्वारा संचालित होना चाहिए तथा गैर-मालिकाना स्वरूप का होना चाहिए।

(iii) स्कूल के पास अपेक्षित भूमि अवश्य होनी चाहिए तथा भूमि के एक भाग पर निर्मित एक भवन तथा भूमि के शेष भाग पर उपयुक्त खेल का मैदान होना चाहिए।

(iv) भूमि का स्वामित्व स्कूल अथवा स्कूल संचालित करने वाली सोसाइटी के पास होना चाहिए। यदि भूमि को पट्टे पर लिया गया है तो इसकी अवधि कम से कम 30 वर्षों की होनी चाहिए।

(v) संस्था के पास उपयुक्त बुनियादी सुविधा तथा आवश्यकता के अनुरूप अन्य सुविधाएं होनी चाहिए तथा क्लासरूम में प्रति छात्र 1 वर्ग मीटर की न्यूनतम फ्लोर जगह उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संबंधन प्रदान करने से पूर्व राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' मांगता है।

(च) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने संबंधन उप नियमों में पहले ही किए गए प्रावधानों के अतिरिक्त निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) आवेदन को 'आनलाइन' प्रस्तुत करना तथा इनकी ऑनलाइन प्रोसेसिंग।

(ii) संबंधन प्रदान करने से पूर्व सुविधाओं की जांच के लिए स्कूलों का निरीक्षण।

(iii) संबंधन प्रक्रिया को पूरी करने के लिए 6 माह की समय सीमा।

(iv) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से स्कूलों तथा आम जनता को सूचना का ऑनलाइन प्रेषण।

(v) व्यक्तिपरकता से बचने के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाकर जांच समिति की नियुक्ति।

स्मारकों का अतिक्रमण

264. **श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े :**
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई संरक्षित स्मारकों का अवैध अतिक्रमण हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा सर्किल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार अतिक्रमित भूमि को खाली कराने के लिए ईमानदारीपूर्वक प्रयास कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो ऐतिहासिक स्मारकों को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (घ) जी, हां। तीव्र शहरीकरण, भूमि पर बढ़ते दबाव, वाणिज्यीकरण आदि जैसे अनेक घटकों की वजह से 249 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों पर अवैध अतिक्रमण की घटनाएं हुई हैं। अतिक्रमण वाले स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा नियम, 1959 के प्रावधानों के तहत संबंधित मंडलों के अधीक्षण पुरातत्वविदों को अतिक्रमणों को हटाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

उन्हें सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध तुरन्त कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए सम्पदा अधिकारी की शक्तियां भी सौंपी गई हैं। वे ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने और अतिक्रमण को हटाने के लिए नियमित आधार पर जिला प्राधिकारियों और राज्य पुलिस से बातचीत भी करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अतिक्रमण की संभावना वाले सभी संवेदनशील स्मारकों पर पहरा तथा निगरानी स्टाफ के साथ-साथ निजी सुरक्षा गार्डों को तैनात किया है। कुछ संवेदनशील स्मारकों पर पुलिस सशस्त्र गार्ड, होम गार्ड और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भी तैनात किए हैं। जहां कहीं भी आवश्यक और व्यवहार्य है, केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों के चारों ओर बाड़ लगाने के प्रयास किए गए हैं।

विवरण

ऐसे केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची जहां अतिक्रमण किया गया है

क्रम सं.		स्मारक/स्थल का नाम	स्थान/जिला
1		2	3
1.	आगरा मंडल, उत्तर प्रदेश		
1.	1.	बरहिया का ताल	इतिमादपुर, आगरा
2.	2.	जामा मस्जिद	इतिमादपुर, आगरा

1		2	3
3.	3.	जामा मस्जिद	आगरा
4.	4.	उत्खनित स्थल	कंकाली टीला, मथुरा
5.	5.	कोटा टीला	मथुरा
6.	6.	गेटवे तथा सराय, एकदिल	इटावा
7.	7.	मस्जिद तथा सराय	खुदागंज, फर्रुखाबाद
8.	8.	कन्नौज के पुराने किले के नाम से प्रसिद्ध टीला	—
9.	9.	लाखा मंडप, बरनावा के नाम से प्रसिद्ध टीला	बड़ौत, बागपत, जिला बागपत
10.	10.	खानकाह फतेहपुर सीकरी	आगरा
11.	11.	खाटिया खाना, फतेहपुर सीकरी	आगरा
12.	12.	लाल दरवाजा फतेहपुर सीकरी के पास किला दीवार	आगरा
13.	13.	जगनेर किला	आगरा
2.	**औरंगाबाद,**		
	महाराष्ट्र		
14.	1.	बारह इमामों का कोटला	अहमदनगर
15.	2.	मक्का मस्जिद	अहमदनगर
16.	3.	लादमोद के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन स्थल	नेवासा, अहमदनगर
17.	4.	बीबी का मकबरा	औरंगाबाद
18.	5.	प्राचीन स्थल, पैठन	पैठन, जिला औरंगाबाद
19.	6.	एलोरा गुफाएं	एलोरा, जिला औरंगाबाद
20.	7.	ग्रिशनेश्वर मंदिर	एलोरा, जिला औरंगाबाद
21.	8.	पाटन स्थित देवी मंदिर	पाटन, जिला जलगांव
22.	9.	चंगदेव मंदिर	चंद देव, जिला जलगांव

1		2	3
23.	10.	बालापुर किला	बालापुर, जिला अकोला
24.	11.	अंचलेश्वर मंदिर	चन्द्रपुर
25.	12.	महाकाली मंदिर	चन्द्रपुर
26.	13.	महल के अवशेष तथा दरवाजे सहित किला दीवार, बलारशा	बलारशा, जिला चन्द्रपुर
27.	14.	मार्कंडदेव स्थित मंदिर समूह	तालुक चमोरशी, जिला गढ़ चिरौली
28.	15.	तपोनेश्वर मंदिर	तपोना, जिला यवतमाल
3.	**बंगलौर मंडल,**		
	कर्नाटक		
29.	1.	गौरीश्वरा मंदिर	येलंदूर
30.	2.	सोमेश्वरा मंदिर	कोलार
31.	3.	चेलुबनारयाआना मंदिर	मेलकोटे
32.	4.	जैन मकबरा	मूदाबीदरी
4.	**भोपाल मंडल,**		
	मध्य प्रदेश		
33.	1.	सात खंडा नामक गोंड किला तथा शहबुर्ज नामक राजघाट पर मीनार एवं इसमें स्थित मंदिर	मंडला, जिला मंडला
34.	2.	भीमबैठका स्थित प्रागैतिहासिक शैलाश्रय	जिला रायसेन
35.	3.	गोरीझामर स्थित गोरीझामर किला	जिला सागर
5.	**भुवनेश्वर मंडल,**		
	उड़ीसा		
36.	1.	बारबटी किला	कटक
37.	2.	खंडगिरी तथा उदयगिरि गुफाएं	भुवनेश्वर

1		2	3
38.	3.	सिसुपालगढ़	भुवनेश्वर
6.	**चेन्नई मंडल,**		
	तमिलनाडु		
39.	1.	महापाषाणी स्थल, त्रिपुरूर	कांचीपुरम जिला
7.	**चंडीगढ़ मंडल**		
	पंजाब		
40.	1.	मडफोर्ट नामक टीला	अबोहर, जिला फिरोजपुर
41.	2.	पृथ्वीराज चौहान का किला	हांसी, हिसार, हरियाणा
42.	3.	प्राचीन स्थल, थेह	पोलार, सिवान, जिला कैथल
43.	4.	प्राचीन स्थल, खोकरा कोट	जिला रोहतक
44.	5.	थेर टीला, सिरसा	जिला सिरसा
45.	6.	मुगल सराय के गेटवे, घरोंदा	घरोंदा
46.	7.	जरासंध का किला नामक प्राचीन स्थल, असंध	जिला करनाल
47.	8.	मुगल कोस मीनार	अम्बाला सिटी, जिला अम्बाला
8.	**दिल्ली मंडल (रा.रा.क्षेत्र दिल्ली)**		
48.	1.	नीली मस्जिद, हौजखास	हौजखास
49.	2.	प्राचीन मस्जिद, पालम	पालम
50.	3.	कुदसिया मस्जिद, कुदसिया गार्डन	कुदसिया गार्डन
51.	4.	लाल किला के निकट सुनहरी मस्जिद दिल्ली किला	लाल किला के निकट दिल्ली किला
52.	5.	पुराना किला (इन्द्रप्रस्थ), दो मील दक्षिण में	(इन्द्रप्रस्थ), दो मील दक्षिण में
53.	6.	तुगलकाबाद, बदरपुर जेल	बदरपुर
54.	7.	बेगमपुरी मस्जिद, बेगमपुर	बेगमपुर

1		2	3
55.	8.	सराय शाहजी, शिवालिक मालवीय नगर के निकट	मालवीय
56.	9.	राजपुर (म्यूटिनी कब्रिस्तान), पुराना राजपुर कैन्टूमेंट, उत्तर जिला	पुराना राजपुर केंटूमेंट
57.	10.	डी एरेमाओ कब्रिस्तान	किशनगंज
58.	11.	मोहल्ला बुलबुलीखाना में रजिया बेगम का मकबरा, शाहज़हानाबाद	शाहजहानाबाद
9.	देहरादून मंडल (उत्तराखंड)		
59.	1.	महाशु मंदिर	हनोल, चकराता, देहरादून
60.	2.	गंगोलीहाट स्थित मंदिर	गंगोलीहाट, पिथौरागढ़
61.	3.	आदिबद्री मंदिर समूह	आदिबद्री, चमोली
10.	धारवाड़ मंडल,		
	कर्नाटक		
62.	1.	अली शहीद पीर मस्जिद	बीजापुर (पूर्व)
63.	2.	अल्लाहपुर गेट	बीजापुर (पूर्व)
64.	3.	अम्बर खाना	बीजापुर (पूर्व)
65.	4.	बड़ी कमान	बीजापुर (पूर्व)
66.	5.	बहमनी गेट	बीजापुर (पूर्व)
67.	6.	बथुल्ला खान की मस्जिद	बीजापुर (पूर्व)
68.	7.	किला दीवार (मंगोली गेट से बहमनी गेट तक)	बीजापुर (पूर्व)
69.	8.	संरक्षित क्षेत्र में गोलगुम्बज तथा अन्य संरचनाएं	बीजापुर (पूर्व)
70.	9.	हाजी हसन साहेब का मकबरा	बीजापुर (पूर्व)

1		2	3
71.	10.	मंगोली गेट अथवा फतेह गेट	बीजापुर (पूर्व)
72.	11.	किला दीवार की खाइयां (बहमनी गेट से मंगोली गेट तक)	बीजापुर (पूर्व)
73.	12.	मुबारक खान महल	बीजापुर (पूर्व)
74.	13.	मुस्तफाबाद गन	बीजापुर (पूर्व)
75.	14.	मुस्तफा खान मस्जिद	बीजापुर (पूर्व)
76.	15.	नागथन गेट	बीजापुर (पूर्व)
77.	16.	नव गुम्बज	बीजापुर (पूर्व)
78.	17.	पादशाहपुर गेट	बीजापुर (पूर्व)
79.	18.	मुबारक खान मस्जिद के उत्तर में वाटर पैवेलियन	बीजापुर (पूर्व)
80.	19.	जल मीनार संख्या 114 एवं असर महल के दक्षिण के अभिलेख	बीजापुर (पूर्व)
81.	20.	चिन्च दीदी मस्जिद के दक्षिण में जल मीनार संख्या 115	बीजापुर (पूर्व)
82.	21.	वन गुम्बज के उत्तर पश्चिम तथा कवास खान के महल के पश्चिम में जल मीनार संख्या 142	बीजापुर (पूर्व)
83.	22.	बड़ी कमान के दक्षिण में जल मीनार संख्या 147	बीजापुर (पूर्व)
84.	23.	मक्का मस्जिद के उत्तर पूर्व में जल मीनार संख्या 286	बीजापुर (पूर्व)
85.	24.	सांडा बुर्ज	बीजापुर (पश्चिम)
86.	25.	शाहपुर गेट	बीजापुर (पश्चिम)
87.	26.	जोरापुर गेट	बीजापुर (पश्चिम)
88.	27.	मक्का गेट	बीजापुर (पश्चिम)

1		2	3
89.	28.	गन फरंगी शाहीबुर्ज	बीजापुर (पश्चिम)
90.	29.	सरवद मस्जिद	बीजापुर (पश्चिम)
91.	30.	लांडा खासबा गन	बीजापुर (पश्चिम)
92.	31.	असर महल के सामने छोटा पैवेलियन	बीजापुर (पश्चिम)
93.	32.	वाटर पैवेलियन	बीजापुर (पश्चिम)
94.	33.	अरकिला खाई	बीजापुर (पश्चिम)
95.	34.	चिन्च दीदी मस्जिद	बीजापुर (पश्चिम)
96.	35.	अन्दु मस्जिद	बीजापुर (पश्चिम)
97.	36.	इब्राहिम पुरानी जामी मस्जिद	बीजापुर (पश्चिम)
98.	37.	गुम्मट बावडी	बीजापुर (पश्चिम)
99.	38.	सिकन्दर शाह मकबरा	बीजापुर (पश्चिम)
100.	39.	याकूब दाबुली महल (30)	बीजापुर (पश्चिम)
101.	40.	इक्लास खान मस्जिद	बीजापुर (पश्चिम)
102.	41.	शाह नवाज खान की मस्जिद/मकबरा	बीजापुर (पश्चिम)
103.	42.	मोती दरगा (महल)	बीजापुर (पश्चिम)
104.	43.	हैदर खान का मकबरा	बीजापुर (पश्चिम)
105.	44.	नित्य नववरस मस्जिद	बीजापुर (पश्चिम)
106.	45.	मकबरा संख्या 47	बीजापुर (पश्चिम)
107.	46.	सुनेरी मस्जिद	बीजापुर (पश्चिम)
108.	47.	चांद बावड़ी के निकट मकबरा संख्या 22	बीजापुर (पश्चिम)
109.	48.	मस्जिद कटिजापुर	बीजापुर (पश्चिम)
110.	49.	तोरवी गांव से ताज बावड़ी के दक्षिण पश्चिम में भाट बावड़ी से जाने वाला एक्वेडक्ट	बीजापुर (पश्चिम)

1	2	3
111.	50. चांद बावड़ी	बीजापुर (पश्चिम)
112.	51. मुल्ला मस्जिद	बीजापुर (पश्चिम)
113.	52. जहान बेगम की मस्जिद की जंजीरी मस्जिद (20)	बीजापुर (पश्चिम)
114.	53. मलिक संदल मस्जिद	बीजापुर (पश्चिम)
115.	54. किला	गुलबर्गा
116.	55. खान जहान बरीद के मकबरे	बीदर
117.	56. बीदर किला (भीतरी और बाहरी)	बीदर
11.	**गुवाहाटी मंडल,**	
	असम	
118.	1. श्री सूर्यपहाड़ खंडहर	जिला गोलपाड़ा
119.	2. शैलकृत गुफाएं	जोगीघोपा, जिला बोगाईगांव
120.	3. कछारी खंडहर	खासपुर, जिला कछार
121.	4. चतुरदास देवता का मंदिर	उदयपुर, जिला दक्षिण त्रिपुरा
12.	**हैदराबाद मंडल,**	
	आंध्र प्रदेश	
122.	1. गोलकोंडा किला	हैदराबाद
13.	**जयपुर मंडल,**	
	राजस्थान	
123.	1. चित्तौड़गढ़ किला	चित्तौड़गढ़
124.	2. रणथम्भौर किला	रणथम्भौर
14.	**लखनऊ मंडल,**	
	उत्तर प्रदेश	
125.	1. बारा स्थित लघु उच्च टीला	इलाहाबाद

1		2	3
126.	2.	झूसी स्थित समुद्रगुप्त तथा हंसागुप्त का ध्वस्त किला	इलाहाबाद
127.	3.	सालार सैफुद्दीन का मकबरा	बहराइच
128.	4.	रजब सालार अलियास हटीला सालार का मकबरा	बहराइच
129.	5.	जामा मस्जिद	बांदा
130.	6.	जनरल व्हाइट लौक्स फोर्स की स्मृति में स्मारक	बांदा
131.	7.	असोथर स्थित विस्तृत ईंट स्ट्रन	फतेहपुर
132.	8.	खजूहा स्थित बाग बादशाही	फतेहपुर
133.	9.	हथगांव स्थित हाथीखाना मस्जिद अथवा जयचन्द मस्जिद	फतेहपुर
134.	10.	चौकोर टीला, खैराई स्थित मंदिर का स्थल	फतेहपुर
135.	11.	टिकरिया विस्तृत टीला एवं हिन्दू मूर्मि स्थल	फतेहपुर
136.	12.	कुरारी चार मंदिर	फतेहपुर
137.	13.	टाउन हाल से लगे नगर निगम उद्यान में 974 ईसवी का वर्गाकार बुलई प्रस्तर स्तम्भ जिस पर सम्राट महिपाल देव का अभिलेख उत्कीर्ण है	फ़तेहपुर
138.	14.	बहुबेगम का मकबरा	फैजाबाद
139.	15.	सुजाउद्दौला का मकबरा (गुलाब बारी)	फैजाबाद
140.	16.	हाजी इकबाल का मकबरा	फैजाबाद
141.	17.	पिहानी स्थित नवाब सदरजहान का मकबरा	हरदोई
142.	18.	खसौरा स्थित स्मारकीय मकबरा	हरदोई
143.	19.	गंडवा, बांकेरगढ़ के स्थानीय नाम से प्रसिद्ध ईंट टीला	हरदोई
144.	20.	सुमेरपुर स्थित जैन मंदिर टीले	हमीरपुर
145.	21.	पंच महल परिसर, झांसी किला	झांसी

1		2	3
146.	22.	बिठुर स्थित टीला	कानपुर सिटी
147.	23.	स्मारकीय कुआं उद्यान	कानपुर सिटी
148.	24.	सूबेदार का तालाब	कानपुर सिटी
149.	25.	बेहटा, घाटमपुर स्थित मंदिर के अहाते में तीन मूर्तियां एवं एक गुप्त स्तम्भ	कानपुर देहात
150.	26.	बानपुर स्थित बुंदेला मंदिर	ललितपुर
151.	27.	बानपुर स्थित जैन मंदिर	ललितपुर
152.	28.	पंच मारहिया के सामने बड़ा मंदिर, मदनपुर	ललितपुर
153.	29.	सिरोन खुर्द स्थित जैन मंदिर एवं तोरण अथवा गेटवे	ललितपुर
154.	30.	कैसरबाग बस स्टैंड के निकट कब्रिस्तान कैसर पासंद	लखनऊ
155.	31.	अमीनाबाद स्थित कलन की लाट	लखनऊ
156.	32.	सप्रु मार्ग पर चिरिया झील स्थित ब्रिटिश कब्रिस्तान	लखनऊ
157.	33.	लखनऊ फैजाबाद रोड पर स्थित दो कब्रिस्तान, 4.5 मील	लखनऊ
158.	34.	जपाब-ए-आलिया का मकबरा	लखनऊ
159.	35.	बारा इमामबाड़ा (आसफउद्दौला का इमामबाड़ा)	लखनऊ
160.	36.	आसफी मस्जिद	लखनऊ
161.	37.	मकबरा शाहनजफ अथवा गाजीउद्दीन हैदर का मकबरा	लखनऊ
162.	38.	रोजा-ए-काजमें/काजमें भवन	लखनऊ
163.	39.	पिक्चर गैलरी	लखनऊ
164.	40.	हुसैनाबाद स्थित जामा मस्जिद	लखनऊ
165.	41.	छोटा इमामबाड़ा/मुहम्मद अली शाह का मकबरा	लखनऊ
166.	42.	तहसीन अली मस्जिद	लखनऊ
167.	43.	अमजद अली शाह का मकबरा	लखनऊ

1		2	3
168.	44.	शेर दरवाजा/नील का गेट	लखनऊ
169.	45.	कैसरबाग गेट	लखनऊ
170.	46.	जनरल वाली कोठी	लखनऊ
171.	47.	करबला तालकटोरा	लखनऊ
172.	48.	दरगाह हजरत अब्बास	लखनऊ
173.	49.	दियानत दौला करबला	लखनऊ
174.	50.	मलका जहान करबला	लखनऊ
175.	51.	नसीरूद्दीन हैदर का करबला, डालीगंज	लखनऊ
176.	52.	नगरम टीला	लखनऊ
177.	53.	पहार नगर टिकुरिया टीला	लखनऊ
178.	54.	सिकेहावाली कोठी	लखनऊ
179.	55.	जामा मस्जिद	महोबा
180.	56.	कीरत सागर झील	महोबा
181.	57.	मदन सागर झील	महोबा
182.	58.	विजय सागर झील	महोबा
183.	59.	उरवारा स्थित एक सपाट छत वाला मंदिर	महोबा
184.	60.	पठारी खादिन स्थित बड़ा हौज	महोबा
185.	61.	इसौली मस्जिद	सुल्तानपुर
186.	62.	मंझन गांव नामक बड़ी डीह एवं चारों कोनों पर ईंट मीनारें	सुल्तानपुर
187.	63.	कुट्टी शत्रुहन दास नामक टीली	श्रावस्ती
188.	64.	छोटा गोलाकार टीला, टंड़वा	श्रावस्ती
189.	65.	बांगेरमऊ स्थित कुरबान मोहम्मद का मकबरा	उन्नाव

1	2	3
190.	66. पुरानी नवाबी मस्जिद	अम्बेडकर नगर
15.	**मुम्बई मंडल, (महाराष्ट्र)**	
191.	1. शोलापुर किला	जिला शोलापुर
192.	2. अर्द्धनारी नटेश्वर मंदिर	वेलापुर, जिला शोलापुर
193.	3. रायगढ़ किला	जिला रायगढ़
194.	4. कोलाबा किला	अलीबाग, जिला रायगढ़
195.	5. सोनार भाट के स्थानीय नाम से प्रसिद्ध टीला	नालासोपारा (गास), जिला ठाणे
196.	6. स्मारक समूह, अगरकोट	जिला रायगढ़
197.	7. जोगेश्वरी गुफाएं	जिला मुम्बई, सुबुरबन
198.	8. ब्रहमपुरी स्थित प्राचीन स्थल	जिला कोल्हापुर
199.	9. भूलेश्वर महादेव मंदिर	मलसिरास, जिला पुणे
200.	10. हीराकोट पुराना किला	अलीबाग, जिला रायगढ़
201.	11. बसाइन किला	बसई, जिला ठाणे
202.	12. गुफा के ऊपर पुर्तगाली मठ एवं इससे लगी पहाड़ी पर बड़ी वाच टावर, मंडापेश्वर	जिला मुम्बई सुबुरबन
203.	13. दिलावर खान का मकबरा, राजगुरू नगर	जिला पुणे
204.	14. मलवान स्थित सिंधुदुर्ग किला	जिला सिंधुदुर्ग
16.	**पटना मंडल,**	
	बिहार	
205.	1. शेरशाह मकबरा	सासाराम
206.	2. बौद्ध स्तूप	केसरिया, जिला चम्पारन
17.	**रांची मंडल,**	
	झारखंड	
207.	1. कुलूगरहा, बासपट के स्थानीय नाम से प्रसिद्ध प्राचीन टीला एवं इससे लगी भूमि, सर्वेक्षण भूखंड संख्या 1095 एवं 1096	इटागढ़, खंड गमहारिया, जिला सरायकेला खार्सवान

1		2	3
208.	2.	पुराना किला एवं प्राचीन हौज स्थल	रूवम, खंड मुसाबनी, जिला पूर्व सिंहभूम
209.	3.	असुर स्थल	खुंटीटोला, खंड खुंटी, जिला रांची
210.	4.	असुर स्थल	कुंजला, खंड मुरूहू, जिला रांची
211.	5.	असुर स्थल	सरीदकेल, खंड खुंटी, जिला रांची
212.	6.	असुर स्थल	कथरटोली, खंड मुरूहू, जिला राची
213.	7.	असुर स्थल	हंसा, खंड मुरूहू, जिला रांची
18.	रायपुर मंडल		
214.	1.	दन्तेश्वरी मंदिर	दंतेवाड़ा जिला
215.	2.	चैतुरगढ़ किला	लेफा, जिला कोरण
216.	3.	कोटमी किला	कोटमी, बिलासपुर
217.	4.	रामचन्द्र मंदिर	राजिम, रायपुर
218.	5.	सीता बेंगरा गुफाएं	रामगढ़ हिम उदयापुर, सरगुजा
219.	6.	जोगीमरा गुफाएं	रामगढ़ हिम उदयापुर, सरगुजा
19.	**श्रीनगर मंडल, जम्मू और कश्मीर**		
220.	1.	राजा सुचेत सिंह रानी का प्राचीन किला एवं समाधि	रामनगर, जिला उधमपुर
221.	2.	प्राचीन महल	रामनगर, जिला उधमपुर
222.	3.	प्राचीन स्थल एवं अवशेष	बुर्जहोम, श्रीनगर
223.	4.	हेमिस मठ	हेमिस, जिला लेह
224.	5.	फियांग मठ	फियांग, जिला लेह
225.	6.	लिकिर मठ	जिला लेह
226.	7.	लामायुरू मठ	लामायुरू, जिला लेह

1		2	3
227.	8.	मैत्रेय की शैलकृत मूर्ति	मूलबेग, जिला कारगिल
228.	9.	अलची, लद्दाख स्थित बौद्ध मठ	मठ परिसर के भीतर एक आधुनिक आवासीय भवन उवं गेस्टहाउस का निर्माण किया गया है। प्रबंधन ने मंजूश्री एवं लोतस्वा लाखंग में एक रेस्टोरेंट भी खोला हुआ है।
229.	10.	शे महल	शे, लद्दाख
20.	**शिमला मंडल, हिमाचल प्रदेश**		
230.	1.	गौरी शंकर मंदिर	नग्गर, तहसील कुल्लू, जिला कुल्लू
231.	2.	नरबदेश्वर मंदिर	सुजानपुर, तहसील टीहरा सुजानपुर, जिला हमीरपुर
21.	**त्रिसूर मंडल, केरल और तमिलनाडु**		
232.	1.	बेकल किला 16वी शताब्दी ईसवी	पल्लीकेरे, पल्लीकेरे पंचायत, कासरगोड
233.	2.	किला 16वीं शताब्दी ईसवी के अवशेष	थंगासेरी, थंगासेरी पंचायत, कोल्लम तालुक, कोल्लम
234.	3.	किला (यक्कारादेसम) 16वीं शताब्दी ईसवी	पलक्कड, पलक्कड नगर निगम, पलक्कड
235.	4.	अंजेंजो किला 17वीं-18वीं शताब्दी ईसवी	अंजेंजो, अंजेंजो पंचायत, तिरूवनन्तपुरम
236.	5.	जैन मंदिर 14वीं शताब्दी ईसवी	किडंगनाड, सुल्तान बैटरी, सुल्तानबैटरी पंचायत, वायनाड
237.	6.	दफन गुफा (प्राचीन स्थल) 500 शताब्दी ईसा पूर्व से 500 शताब्दी ईसवी	कंडानासेरी, कंडानासेरी पंचायत पास्ट मट्टम, त्रिसूर
22.	**वडोदरा मंडल, गुजरात**		
238.	1.	मलिक आलम की मस्जिद	अहमदाबाद
239.	2.	सैयद उस्मान मस्जिद, अहमदाबाद	उस्मानपुरा/अहमदाबाद
240.	3.	छोटी प्रस्तर मस्जिद, अहमदाबाद	पालदी/अहमदाबाद
241.	4.	दरियाखान मकबरा, अहमदाबाद	दूधेश्वर के पीछे/अहमदाबाद
242.	5.	अच्युत बीबी की मस्जिद, अहमदाबाद	दूधेश्वर/अहमदाबाद

1		2	3
243.	6.	डोलका स्थित बहलोल खान मस्जिद	ढोलका/अहमदाबाद
244.	7.	प्राचीन स्थल, गोहिलवाड टिम्बो	अमरेली जिला
245.	8.	पहाड़ी के शिखर पर ध्वस्त हिन्दू मंदिर एवं जैन मंदिर	पावागढ़/गोधरा पंचमहल
246.	9.	नवाब सरदार खान रोजा एवं इसकी अहाता दीवार	जमालपुर/अहमदाबाद
247.	10.	मीर अबू तुरब मकबरा, अहमदाबाद	जमालपुर/अहमदाबाद
248.	11.	राम लक्ष्मण मंदिर, बारादिया	बारादिया/जिला जामनगर
249.	12.	शाह कुपई मस्जिद, अहमदाबाद	करियन खास बाजार/अहमदाबाद

बाघों का अवैध शिकार

265. **श्री के.आर.जी. रेड्डी :**
श्री नवजोत सिंह सिद्धू :
श्री भूदेव चौधरी :
श्री महाबल मिश्रा :
श्री सी. राजेन्द्रन :
श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्रीमती दीपा दासमुंशी :
श्री पोन्नम प्रभाकर :
डॉ. एम. तम्बिदुरई :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :
डॉ. मन्दा जगन्नाथ :
श्री नरहरि महतो :
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :
श्री पी. बलराम :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन में बाघ के अंगों की मांग तथा अन्य कारकों के चलते देश के विभिन्न बाघ रिजर्वों में बाघों का बड़े पैमाने पर अवैध शिकार हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक बाघ रिजर्व में कथित रूप से वर्ष-वार कितने बाघ मारे गए;

(ग) क्या राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने हाल में बाघों की संख्या में कमी के कारणों का आकलन करने के लिए कोई समीक्षा कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(ङ) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान बाघ संरक्षण हेतु राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि मंजूर की गई, जारी की गई तथा व्यय की गई; और

(च) देश में बाघों के अवैध शिकार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) परंपरागत चीनी औषधि में खान पान में बाघ के शरीरांगों की जारी मांग से भारत सहित विश्व में जंगली बाघों की स्थिति पर घातक प्रभाव पड़ा है। बाघों की संख्या में कमी के लिए अन्य सामान्य प्रेरणार्थ तथ्य संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों और वर्तमान के दौरान (राज्यवार) बाघ मर्त्यता के आंकड़े संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) बाघ, सहभक्षियों, शिकारी पशुओं और उनके पर्यावास की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए हर चार वर्ष में एक बार परिष्कृत कार्यपद्धति का प्रयोग करते हुए देश स्तरीय बाघ आकलन किया जाता है। 2008 में एक परिष्कृत कार्य पद्धति का उपयोग करके हाल ही में किए गए अखिल भारतीय बाघ अनुमान के निष्कर्षों के अनुसार बाघों की देश भर में कुल संख्या 1411 (मध्यमान) है; निम्नतर और उच्चतर सीमाएं क्रमश: 1165 और 1657 हैं। नए निष्कर्ष स्टेटिस्टिकल फ्रेमवर्क में कैमरा ट्रैप्स का उपयोग करते हुए बाघों की स्थान व्याप्तता और ऐसे वनों की की गई सैंपलिंग पर आधारित हैं जोकि पूर्व में पगमार्क के प्रयोग द्वारा पूर्व में की गई गणना के साथ तुलनीय नहीं है। उक्त निष्कर्ष बाघ रिजर्वों के बाहर और सुरक्षित क्षेत्रों में बाघों की संख्या काफी कम दर्शाते हैं। वर्ष 2008 में किए गए ऐसे अंतिम मूल्यांकन का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। उपर्युक्त परिष्कृत कार्य पद्धति का प्रयोग करते हुए बाघों की दूसरे अखिल भारतीय आकलन की पहल की गई है।

(ङ) वर्तमान योजना अवधि के दौरान राज्यों द्वारा मंजूर की गई/जारी की गई/उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(च) बाघों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है।

विवरण-I

1. अवैध शिकार के कारण वन्य जीवों की मृत्यु।
2. मानवीय दबाव, पशुधन दबाव और पारिस्थितिकीय रूप से असतत भू-उपयोगों के कारण सुरक्षित क्षेत्रों/बाघों रिजर्वों के बाहर वन स्थिति का डिग्रेडेशन।
3. विखंडन के कारण स्रोत संख्या के जीन प्रवाह में कमी आना।
4. मानव-पुश भिड़ंत के कारण वन्य जीवों की मृत्यु।
5. हाइवे आदि जैसी अत्यधिक उपयोग वाली अवसंरचना से होने वाली अशांति के कारण पुनर्जनन में कमी होना।
6. बाहरी क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा की कमी।
7. बाघ और तेंदुआ जैसे मांसाहारियों की सहायता के लिए प्रे-बायोमास के रूप में वन गुणवत्ता में कमी आना।
8. कुछ बाघ रिजर्वों/संरक्षित क्षेत्रों/ वन क्षेत्रों में विद्रोह/कानून और व्यवस्था की समस्याएं।

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान (रिजर्व-वार) बाघ मर्त्यता

क्रप सं.	बाघ रिजर्व का नाम	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
1.	बांदीपुर	3	—	4	3
2.	कार्बेट	5	2	6	2
3.	कान्हा	—	1	7	3
4.	मानस	—	—	—	—
5.	मेलघाट	—	1	—	—
6.	पलामू	—	—	—	—
7.	रणथम्भौर	3	1	3	3
8.	सिमलीपाल	—	—	—	—
9.	सुंदरवन	—	2	1	—
10.	पेरियार	1	—	—	—
11.	सरिस्का	—	—	—	—
12.	बुक्सा	—	—	—	—
13.	इन्द्रावती	—	—	—	—
14.	नागार्जुन सागर	1	—	—	—
15.	नामदफा	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
16.	दुधवा	3	2	—	—
17.	कालाकड-मुंडनथुरई	—	—	—	—
18.	वाल्मीकि	—	1	—	1
19.	पेंच	—	—	3	3
20.	ताडोबा-अंधरी	—	1	2	2
21.	बांधवगढ़	—	1	4	2
22.	पन्ना	—	1	—	—
23.	डाम्पा	—	—	—	—
24.	भद्रा	—	—	1	—
25.	पेंच	—	—	—	—
26.	पक्के	—	—	—	—
27.	नामेरी	—	—	—	—
28.	सतपुड़ा	—	—	—	—
29.	अनामलई	—	—	—	—
30.	उदंती-सीतानदी	—	—	—	—
31.	सतकोसिया	—	—	—	—
32.	काजीरंगा	—	—	—	1
33.	अचानकमार	—	—	—	—
34.	डांडेली-आंशी	—	—	—	—
35.	संजय-डुब्री	—	5	9	2
36.	मुदुमलाई	—	—	—	—
37.	नागरहोल	—	—	6	—
38.	परम्बीकुलम	—	—	—	—
39.	सहयाद्रि	—	—	—	—
	योग	16	18	46	22

विवरण-III

परिष्कृत कार्य पद्धति के अनुसार वनों में बाघों की विद्यमानता और उनकी संख्या के अनुमान

राज्य	बाघ वर्ग कि.मी.	बाघों की संख्या		
		सं.	निचली सीमा	ऊपरी सीमा
1	2	3	4	5
शिवालिक गंगा मैदानी लैंडस्केप काम्प्लैक्स				
उत्तराखंड	1901	178	161	195
उत्तर प्रदेश	2766	109	91	127
बिहार	510	10	7	13
शिवालिक गंगाई क्षेत्र	5177	297	259	335
मध्य भारतीय लैंडस्केप काम्प्लैक्स और पूर्वी घाट लैंडस्केप काम्पलैक्स				
आंध्र प्रदेश	14126	95	84	107
छत्तीसगढ़	3609	26	23	28
मध्य प्रदेश	15614	300	236	364
महाराष्ट्र	4273	103	76	131
उड़ीसा	9144	45	37	53
राजस्थान	356	32	30	35

1	2	3	4	5
झारखंड**	1488	मूल्यांकन नहीं किया गया		
मध्य भारतीय	48610	601	486	718
पश्चिमी घाट लैंडस्केप काम्प्लैक्स				
कर्नाटक	18715	290	241	339
केरल	6168	46	39	53
तमिलनाडु	9211	76	56	95
पश्चिमी घाट	34094	412	336	487
पूर्वोत्तर पहाड़ियां और ब्रह्मपुत्र बाढ़ मैदान				
असम*	1164	70	60	80
अरुणाचल प्रदेश*	1685	14	12	18
मिजोरम*	785	6	4	8
पश्चिमोत्तर बंगाल*	596	10	8	12
पूर्वोत्तर पहाड़ियां और ब्रह्मपुत्र	**4230**	**100**	**84**	**118**
सुन्दरवन	1586	मूल्यांकन नहीं किया गया		
बाघों की कुल सं.		1411	1165	1657

*संख्या का अनुमान बाघों द्वारा वासित क्षेत्र में उनकी संभावित संख्या पर आधारित है, न कि डबल सैंपलिंग आधार पर।

**ये आंकड़े बाघों की संख्या के अनुसार नहीं थे। लेकिन लैंडस्केप के बारे में उपलब्ध सूचनाएं यह संकेत करती हैं कि इस क्षेत्र में बाघों की संख्या 0.5 से 1.5 प्रति 100 वर्ग कि.मी. तक कम घनत्व में है।

विवरण-IV

बाघ परियोजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार जारी की गई और उपयोग की गई निधियां (08.11.2010 तक)

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11	
		जारी की गई	उपयोगिता	जारी की गई	उपयोगिता	जारी की गई	उपयोगिता	जारी की गई	उपयोगिता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	73.9175	50.0005	56.9830	80.8100	138.2540	103.2600	108.9150	0.0000
2.	अरुणाचल प्रदेश	110.2542	110.0347	246.1710	54.7800	64.7100	337.7000	164.2500	0.0000
3.	असम	95.6140	66.8830	1092.3790	210.0000	194.2900	1074.9200	573.8120	0.0000
4.	बिहार	98.3205	47.9936	49.6730	0.0000	8.8560	0.0000	158.3550	0.0000
5.	छत्तीसगढ़	35.2250	32.3547	169.8700	131.4300	1383.5020	1293.1600	1084.3430	0.0000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	झारखंड	45.1600	18.3765	115.3770	112.9000	117.1386	141.3800	130.6160	0.0000
7.	कर्नाटक	1159.7149	1126.8433	689.8390	640.9900	657.0620	703.2900	555.9950	0.0000
8.	केरल	153.2449	134.8449	267.0900	257.2900	311.4200	302.1300	257.3220	0.0000
9.	मध्य प्रदेश	2975.9411	2878.0761	6998.5420	5339.1600	2,582.4762	3943.7200	1472.8920	0.0000
10.	महाराष्ट्र	295.7191	253.8468	411.1250	391.2200	373.5170	367.6400	448.1120	0.0000
11.	मिजोरम	82.9000	82.9000	241.4500	241.4500	2171.0000	128.0000	150.1520	0.0000
12.	उड़ीसा	43.2800	42.0400	625.9900	422.7300	221.7400	301.3400	781.4100	0.0000
13.	राजस्थान	410.6800	325.9826	2708.9500	1092.2800	10694.1700	11619.9000	370.2600	0.0000
14.	तमिलनाडु	45.0000	44.2360	690.8060	431.2600	258.3540	471.9000	463.6540	0.0000
15.	उत्तराखंड	202.0050	188.5550	462.8500	358.9600	246.2050	217.6400	237.8500	0.0000
16.	उत्तर प्रदेश	134.8900	260.2435	417.5130	243.9700	431.5170	406.5900	418.1530	0.0000
17.	पश्चिम बंगाल	308.6741	117.4000	228.3940	231.5300	298.7850	321.2200	234.3850	0.000
	योग	6,270.5403	5,780.6112	15,473.002	10,240.7600	20,152.997	21,733.7900	7,610.476	—

विवरण-V

बाघों और अन्य वन्य प्राणियों के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपाय (हाल ही में किए गए उपायों सहित) इस प्रकार हैं:

वैधानिक उपाय

1. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए उपबंधों का प्रावधान कराने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन।

2. बाघ आरक्षित क्षेत्र अथवा इसके कोर क्षेत्र में अपराध के मामलों में दंड को और कड़ा करना।

प्रशासनिक उपाय

3. बाघ रिजर्व राज्यों से यथा-प्रस्तावित बाघ रिजर्वों को वित्तीय सहायता द्वारा वर्षा ऋतु में पेट्रोलिंग के लिए विशेष कार्यनीति सहित चोरी छिपे शिकार को रोकने की गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण, सूचना/बेतार सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करने के अतिरिक्त, स्थानीय लोगों के कार्यबल सहित भूतपूर्व सैनिकों/होमगार्डों को शामिल करके अवैध शिकार रोधी दस्तों की तैनाती।

4. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 4.9.2006 से गठित किया गया है, जिसके द्वारा बाघ रिजर्व प्रबंधन में मानकों की सुनिश्चितता, रिजर्व विशेष बाघ संरक्षण योजना तैयार करना, संसद में वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों

का गठन करना और बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना के द्वारा बाघ संरक्षण को सुदृढ़ किया जाना है।

5. वन्यजीवों के अवैध व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए दिनांक 6.6.2007 से बहु आयामी बाघ और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्यजीव अपनराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन।

6. आठ नए बाघ आरक्षित क्षेत्रों की घोषणा और चार नए रिजर्वों अर्थात् महाराष्ट्र में सहयाद्री, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, मध्य प्रदेश में रातापानी और उड़ीसा में सूनाबेड़ा के सृजन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देना।

7. बाघ संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों को संशोधित बाघ परियोजना दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ जारी गतिविधियों के अलावा कोर अथवा संवेदनशील बाघ पर्यावासों में निवास कर रहे लोगों के लिए ग्राम पुनर्वास/पैकेज बढ़ाने के लिए राज्यों को निधिकरण सहायता (1 लाख रु. प्रति परिवार से 10 लाख रु. प्रति परिवार) परंपरागत शिकार में लगे समुदायों के पुनर्वास, वनों के बाहर बाघ आरक्षित क्षेत्र में आजीविका हेतु मुख्य धारा में लाने और वन्यजीव सरोकार और पर्यावास विखंडन को रोकने के लिए रेस्टोरेटिव रणनीति द्वारा फोस्टरिंग कारीडोर संरक्षण शामिल है।

8. बाघों का (सह-परभक्षियों, शिकार होने वाले जानवरों और पर्यावास स्तरों का मूल्यांकन करने के लिए) आकलन के लिए एक वैज्ञानिक कार्य प्रणाली विकसित की गई है और उसे मुख्य धारा में लाया गया है। इस आकलन/मूल्यांकन के परिणाम, भविष्य की बाघ संरक्षण रणनीति के लिए बेंचमार्क हैं।

9. 16 बाघ राज्यों द्वारा (17 राज्यों में से) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972, जिसे 2006 में संशोधित किया गया था, की धारा 38V के अंतर्गत कोर क्षेत्र अथवा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के रूप में 31047.11 किलोमीटर का क्षेत्र अधिसूचित किया गया है (ये राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल)। बिहार राज्य ने कोर अथवा क्रिटीकल टाइगर हैबिटेट्स (840 वर्ग किलोमीटर) अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश राज्य ने अपने नये गठित बाघ रिजर्व (संजय नेशनल पार्क और संजय डुब्री वन्यजीव अभयारण्य) में कोर/क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट अभिनिर्धारित/अधिसूचित नहीं किया है।

वित्तीय उपाय

10. वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा मुहैया कराने हेतु राज्यों की क्षमता और अवसंरचना में बढ़ोतरी के लिए राज्यों को विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों अर्थात् बाघ परियोजना तथा वन्यजीव पर्यावासों का स्वीकृत विकास के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

11. चीन के साथ बाघ संरक्षण के संबंध में प्रोटोकॉल के अलावा भारत का नेपाल के साथ वन्यजीव और संरक्षण में सीमा पार अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन विद्यमान है।

12. बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का निराकरण करने के लिए बाघ रेंज देशों का एक ग्लोबल बाघ मंच सृजित किया गया है।

13. साइट्स (सी.आई.टी.ई.एस.) के पक्षकारों के सम्मेलन की चौदहवीं बैठक के दौरान, जो हेग में 3 से 15 जून, 2007 तक आयोजित हुई थी, भारत ने चीन, नेपाल और रूसी फेडरेशन के साथ एक संकल्प प्रस्तुत किया है, जिसमें वाणिज्यिक पैमाने पर ऑपरेशन्स ब्रीडिंग बाघों के साथ पक्षकारों के लिए दिशानिर्देश दिए गए हैं, ताकि ऐसी बंधक संख्या को ऐसे स्तर तक सीमित रखा जा सके, जो केवल वन्य बाघों के संरक्षण के लिए सहायक हो। इस संकल्प को किंचित संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा, भारत ने हस्तक्षेप करते हुए चीन से अपील की कि बाघ फार्मिंग को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाए और एशियाई बड़े बाघों के अंगों और व्युत्पन्नों के भंडार को समाप्त किया जाए। बाघों के शरीर के अंगों के व्यापार पर रोक जारी रखने के महत्व पर बल दिया गया।

14. दिनांक 6 जुलाई से 10 जुलाई, 2009 तक जेनेवा में आयोजित साइट्स की स्थायी समिति की 58वीं बैठक में भारत द्वारा किए गए जोरदार हस्तक्षेप के आधार पर साइट्स सचिवालय ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किए हैं कि वे 20.10.2009 से 90 दिनों के भीतर 14.69 और 16.65 पर हुए निर्णयों के अनुपालन के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करें (बाघों आदि के केप्टिव ब्रीडिंग ऑपरेशन्स को रोकने पर हुई प्रगति)। पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक के दौरान, भारत ने वाणिज्यिक पैमाने पर बाघों की ब्रिडिंग ऑपरेशन्स को रोकने पर हुई प्रगति)। पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक के दौरान, भारत ने वाणिज्यिक पैमाने पर बाघों की ब्रिडिंग ऑपरेशन्स से संबंधित निर्णय 14.69 को बरकरार रखने के लिए हस्तक्षेप किया।

नए बाघों को छोड़ा जाना

15. सरिस्का और पन्ना बाघ रिजर्वों, जहां से बाघ स्थानीय रूप से विलुप्त हो गए हैं; के पुनर्निर्माण हेतु सक्रिय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए नए बाघों/बाघिनों को छोड़ने का कार्य किया गया है।

16. बाघों और उनके शिकार जानवरों की कम संख्या वाले बाघ रिजर्वों से सक्रिय प्रबंधन द्वारा शिकार आधार और बाघों की संख्या के स्वस्थाने वृद्धि के लिए विशेष एडवाइजरीज जारी की गई है।

विशेष बाघ सुरक्षा बल (एस.टी.पी.एफ.) का सृजन

17. वित्त मंत्री द्वारा अपने 29.2.2008 के बजट अभिभाषण में घोषित की गई नीतिगत पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ बाघ सुरक्षा से संबंधित कार्य बिन्दु भी शामिल किए गए हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एन.टी.सी.ए.) को एक विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन, हथियारों से लैस करने और तैनाती के लिए 50.00 करोड़ रु. का एकमुश्त अनुदान मंजूर किया गया था। उक्त बल से संबंधित प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी द्वारा 13 बाघ रिजर्वों के मामले में मंजूरी प्रदान कर दी गई है। वर्ष 2008-09 के दौरान एस.टी.पी.एफ. के सृजन के लिए कार्बेट, रणथम्भौर और दुधवा बाघ रिजर्व के लिए प्रत्येक को 93 लाख रु. जारी किए गए हैं। तब से बन गूजर जैसे स्थानीय लोगों को शामिल करने के लिए पुलिस के स्थान पर वन कार्मिकों की तैनाती के लिए एसटीपीएफ के दिशानिदेशों में संशोधन किया गया है।

18. ट्रेफिक-इंडिया के सहयोग से ऑनलाइन बाघ अपराध डाटा बेस आरम्भ किया गया है और रिजर्व विशिष्ट सुरक्षा योजना तैयार करने के लिए जेनेरिक दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।

हाल ही के उपाय

19. बाघ संरक्षण उपायों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने के लिए बाघ बहुल राज्यों के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन किए गए और उन्हें निधि प्रवाह के साथ जोड़ा गया।

20. बाघ रिजर्वों का तेजी से मूल्यांकन किया गया।

21. लेफ्ट विंग उग्रवाद प्रभावित बाघ रिजर्वों में तथा कम बाघ और उनके शिकार जानवरों वाले क्षेत्रों में विशेष छापा दल भेजे गए थे।

22. तात्कालिक मामलों अर्थात् त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन का कार्यान्वयन, बाघ संरक्षण फाउंडेशन का सृजन, सुरक्षा को बढ़ाना आदि विषय पर पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के स्तर पर बाघ बहुल राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संबोधित किया गया।

23. लेफ्ट विंग प्रभावित तथा कम बाघ और उनके शिकार जानवरों वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विशेष उपाय करने के लिए संबोधित किया गया।

24. प्रभावी तरीके से क्षेत्र पेट्रोलिंग और मॉनीटरिंग हेतु 'एम-स्ट्रिप्स' की शुरूआत के अलावा ढांचागत सुविधाओं का आधुनिकीकरण करने और फील्ड सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए।

25. जारी अखिल भारतीय बाघ अनुमान में गैर-सरकारी विशेषज्ञों की भागीदारी के लिए कदम उठाए गए।

26. प्रशासनिक समस्याओं के समाधान हेतु राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठन करने के साथ-साथ स्थिति का आकलन

करने के लिए सिमिलिपाल को विशेष स्वतंत्र दल भेजा गया।

27. चीन के प्राधिकारियों के साथ पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के स्तर पर बाघ फार्मिंग और बाघ के शरीरांगों की तस्करी के मामले पर चर्चा की गई थी।

28. प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 में संशोधन करने हेतु कार्रवाई की गई।

29. प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के अलावा, फील्ड अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाते हुए फील्ड डिलीवरी में सुधार के लिए उपाय किए गए।

30. बाघ रिजर्वों की स्वतंत्र मॉनीटरिंग और मूल्यांकन हेतु कदम उठाए गए।

31. बाघ रिजर्वों में निगरानी सुदृढ़ करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए कार्रवाई आरंभ की गई।

32. समस्याग्रस्त क्षेत्रों में मानव-बाघ टकराव को कम कर करने के लिए विशेष सहायता उपलब्ध कराना।

33. नई दिल्ली में आयोजित चौथी सीमापार परामर्शदात्री समूह की बैठक के परिणामस्वरूप, जैव विविधता बाघ संरक्षण के लिए नेपाल के साथ एक संयुक्त संकल्प पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

तेंदुओं का अवैध शिकार

266. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू :**
श्री जगदम्बिका पाल :
श्री मिलिंद देवरा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेंदुओं को संकटापन्न प्रजाति के रूप में घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में तेंदुओं की वर्तमान संख्या कितनी है;

(घ) क्या विशेष रूप से उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में तेंदुओं के अवैध शिकार के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी मौतें रिपोर्ट की गईं; और

(च) देश में तेंदुओं के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, हां। तेंदुआ एक संकटापन्न प्रजाति है इसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में शामिल किया गया है जिससे इसे उच्च श्रेणी की सुरक्षा दी जा रही है।

(ग) से (ङ) मंत्रालय में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में तेंदुओं की संख्या और उनके अवैध शिकार का विवरण संकलित नहीं किया जाता है। तथापि, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों से प्राप्त विवरणों से उत्तराखंड में तेंदुओं की संख्या 2335 और उत्तर प्रदेशों में 210 होने का अनुमान लगाया गया है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान अवैध शिकार से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) देश में तेंदुआ सहित वन्यजीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित है:

1. अत्यधिक संकटापन्न और संकटापन्न वन्यजीवों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में रखकर उन्हें उच्च श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है।

2. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं और वन्यजीवों से संबंधित अपराधों के विरुद्ध इसे और अधिक कठोर बनाया गया है।

3. तेंदुओं और उनके पर्यावासों सहित वन्यजीव संरक्षण के लिए सुरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

4. वन्यजीव और उनके उत्पादों का अवैध व्यापार रोकने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो स्थापित किया गया है।

5. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से क्षेत्र प्रशिक्षण सुदृढ़ करने और वन्यजीव बहुल क्षेत्रों और उनके चारों ओर गश्त बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

6. वन्यजीवों की बेहतर सुरक्षा और संरक्षण के लिए विभिन्न केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों अर्थात् वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास, 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की वित्तीय और तकनीकी सहायता बढ़ाई गई है।

विवरण

उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में तेंदुओं के अवैध शिकार

वर्ष	उत्तराखंड			उत्तर प्रदेश		
	अवैध शिकार के कारण मृत्यु	मानव तेंदुआ भिड़ंत में तेंदुओं की मृत्यु	कुल	अवैध शिकार के कारण मृत्यु	मानव तेंदुआ भिड़ंत में तेंदुओं की मृत्यु	कुल
2007	6	4	10	—	1	1
2008	—	3	3	—	2	2
2009	5	11	16	1	3	4
		कुल	29		कुल	7

परीक्षा केन्द्र

267. **श्री के.पी. धनपालन :**
श्री पी.टी. थॉमस :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में जवाहर नवोदय विद्यालय तथा केन्द्रीय विद्यालय शिक्षकों के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जवाहर नवोदय विद्यालय तथा केन्द्रीय विद्यालयों में अध्यापकों के चयन हेतु लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए केन्द्रों का निर्धारण किसी विशेष क्षेत्र से परीक्षा में दाखिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखकर किया जाता है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सीधी भर्ती के लिए अध्यापकों की लिखित परीक्षा आयोजित करने हेतु केरल राज्य के कोच्चि में एक परीक्षा केन्द्र स्थापित किया है! नवोदय विद्यालय समिति के मामले में, मार्च 2008 में विज्ञापित स्नातकोत्तर एवं प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों की भर्ती के लिए तिरूवनंतपुरम एक परीक्षा केन्द्र था जबकि दिसम्बर, 2008 में विज्ञापित स्नातकोत्तर कम्प्यूटर विज्ञान में शिक्षकों की भर्ती हेतु देशभर में केवल 8 केन्द्र थे और केरल में इनमें से कोई केन्द्र नहीं था।

पारिस्थितिकी संवेदी जोन में खनन पट्टे

268. **श्री डी.बी. चन्द्रे गौड़ा :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने पारिस्थितिकी संवेदी पश्चिमी घाट में लोहे तथा बाक्साइड अयस्कों के खनन पट्टे जारी किए हैं

जिससे इस सघन वन क्षेत्र के अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कंपनियों को किन शर्तों पर ये खनन पट्टे दिए गए;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने समुचित पर्यावरण प्रभाव आकलन के पश्चात् पश्चिमी घाट में लौह तथा बाक्साइट अयस्कों के खनन हेतु इन खनन पट्टों के लिए अनुमोदन दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उद्योगों को दिए गए खनन पट्टे की शर्तों का इन उद्योगों द्वारा पालन नहीं किया गया तथा खनन के बाद क्रेटर को खुला छोड़ दिया गया;

(छ) यदि हां, तो इन मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ज) इन सभी मामलों पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ज) संबंधित राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन

269. **श्रीमती चन्द्रेश कुमारी :**
श्री जगदीश ठाकोर :
श्री सी. शिवासामी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन-कौन से राज्य हैं जिन्होंने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु माडल नियम तथा विनियम तैयार किये हैं;

(ख) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के बाद स्कूल जाने वाले बच्चों के अनुपात में वृद्धि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए;

(घ) क्या सरकार की प्राथमिक शिक्षा के निजीकरण को रोकने के लिए शिक्षा उपकर में वृद्धि करने की योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा और सिक्किम राज्यों ने नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत राज्य नियम अधिसूचित किए हैं।

(ख) चयनित शैक्षिक आंकड़े 2007-08 के अनुसार कक्षा I से VIII में छात्रों का राज्य-वार नामांकन संलग्न विवरण में दिया गया है। सामाजिक एवं ग्रामीण अनुसंधान संस्थान-अंतर्राष्ट्रीय विपणन अनुसंधान ब्यूरो की एक इकाई के माध्यम से किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार स्कूल-बाह्य बच्चों की संख्या 2005 में 1.34 करोड़ से घटकर 2009 में 81.5 लाख बच्चे रह गयी है।

(ग) केन्द्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कई कदम उठाए हैं; जिनमें शामिल हैं– (क) अधिनियम के तहत राज्य नियम बनाने में राज्यों को सहायता प्रदान करने हेतु मॉडल नियम तैयार करना; (ख) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 अधिसूचित करना; (ग) शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23(1) के तहत शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को यथा अधिनियम की धारा 29(1) के तहत शैक्षिक प्राधिकरण के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को अधिसूचित करना; (घ) अधिनियम की धारा 33(1) के तहत एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन करना; (ङ) सर्व शिक्षा अभियान के मानदंडों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बनाना; (च) स्कूलों में अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता हेतु न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित करना; (छ) अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में 18 जून, 2010 को राज्य शिक्षा मंत्रियों की बैठक और 19 जून, 2010 को केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक सहित राज्य सरकारों तथा अन्य भागीदारों के साथ विभिन्न मंचों पर परामर्श करना; (ज) शिक्षा का अधिकार के मानदंडों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच निधीयन शेयरिंग पद्धति में संशोधन करना।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नामांकन 2007-08	
	प्राथमिक (कक्षा I-V)	उच्च प्राथमिक (कक्षा VI-VIII)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	7173537	3786202
अरुणाचल प्रदेश	199478	73029
असम	4193867	1508568
बिहार	12412315	3297791
छत्तीसगढ़	3234343	1382248
गोवा	123093	64782
गुजरात	6687859	2604729
हरियाणा	2233720	1163643
हिमाचल प्रदेश	659579	424656
जम्मू और कश्मीर	1134528	479336
झारखंड	5464268	1255404
कर्नाटक	5596700	2996247
केरल	2476329	1613855
मध्य प्रदेश	12045591	4679119
महाराष्ट्र	10358054	5398019
मणिपुर	371376	147595
मेघालय	564713	180466
मिजोरम	150977	54332
नागालैंड	219804	90226
उड़ीसा	4515307	1958667
पंजाब	2274000	1080202
राजस्थान	9061113	3754045
सिक्किम	82992	31366
तमिलनाडु	6047131	3709961
त्रिपुरा	485237	205865
उत्तर प्रदेश	25832158	9347607
उत्तराखंड	1202456	572895
पश्चिम बंगाल	9463730	3807261
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	36637	22448
चंडीगढ़	79800	44838
दादरा और नगर हवेली	39979	14833
दमन और दीव	16313	8420
दिल्ली	1674560	955433
लक्षद्वीप	7244	4358
पुदुचेरी	111174	69423
भारत	136229962	56787869

(चुनिंदा शैक्षिक सांख्यिकी 2007-08)

[हिन्दी]

दिल्ली के प्राणी उद्यान में काले हिरणों की मौत

270. श्री भूदेव चौधरी :
श्री रूद्रमाधव राय :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली प्राणी उद्यान में कई काले हिरण तथा अन्य जंगली जानवरो की मौत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्राणी उद्यान में भारी संख्या में हुई मौत के कारणों की हाल ही में जांच करायी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) भविष्य में मौत की ऐसी घटनाएं न होने देना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली में सितम्बर, 2010 के दौरान कई काले हिरणों सहित कुल 43 वन्यजीवों की मौत हुई है इन मौतों को विवरण के रूप में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। डॉ. पी.के. मलिक, प्रोफेसर और अध्यक्ष, वन्यजीव स्वास्थ्य प्रबंधन विभाग, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून द्वारा इसकी जांच पड़ताल की गई थी। इसके अतिरिक्त, भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली के विशेषज्ञ पशुचिकित्सा अधिकारियों की एक टीम ने 18.10.2010 को राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली का दौरा किया था और पशु स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए विभिन्न उपाय सुझाए थे।

अत्यधिक वर्षा और सीवेज के बैक फ्लो/ओवर फ्लो से अत्यधिक पानी इकट्ठा हो गया था जिसके परिणाम स्वरूप संदूषित वर्षा जल राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली के पशु बाड़ों में घुस गया था। संदूषित पानी जिससे पशुओं की आंतों और फेफड़ों में तीव्र संक्रमण हो गया था, जिसके कारण पशुओं, विशेष रूप से काले हिरणों की मौत हो गई थी।

(ङ) राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली में पशुओं की मौतें की ऐसी घटनाएं न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय निम्नलिखित हैं:—

(i) पशुओं की मौत के पश्चात् शीघ्र ही स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए पर्यावरण और वन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 29.09.2010 को राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नई दिल्ली का दौरा किया था। पानी की नाली में सुधार और ट्रंक तथा राष्ट्रीय प्राणी उद्यान से होकर गुजरने वाली सीवर लाइन की मरम्मत के लिए राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली नगर निगम ने उपाय किए हैं।

(ii) पशु बाड़ों को संक्रमण रहित किया गया है।

(iii) संक्रमण में कमी लाने के लिए काले हिरणों के बाड़े की ऊपरी मिट्टी को हटाकर दूसरी मिट्टी डाली गई है।

(iv) पशुओं को प्रोफाइलेमिटक के रूप में औषधि सपलिमेंट और संक्रमित पशुओं को एंटीबायोटिक दिए गए हैं।

(v) संदूषित पानी को पम्प द्वारा पशुओं के बाड़ों से निकाला गया है।

(vi) गैंडों को संदूषित पानी पीने से रोकने के लिए गैंडों की खाई के चारों और विद्युत की चार दीवारी बनाई गई है।

विवरण

नई दिल्ली चिड़ियाघर में मृत पशुओं का विवरण

क्र. सं.	प्रजातियां	वयस्क	मृगशावक	कुल	मौत का कारण
1	2	3	4	5	6
1.	काला हिरण	15	17	32	गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल संक्रमण

1	2	3	4	5	6
2.	बर्किंग हिरण	1	0	1	सेप्टीसीमिया
3.	स्वाम्प हिरण	1	0	1	निमोनाइटिस
4.	हॉग हिरण	0	1	1	सेप्टीसीमिया
5.	सांभर	1	1	2	एसफाइक्सिया
6.	चित्तीदार हिरण	1	1	2	एसफाइक्सिया और निमोनाइटिस
7.	संघाई हिरण	0	1	1	निमोनाइटिस
8.	जिराफ	1	0	1	ट्रामा, आहत होना और मौत
9.	तेंदुआ	1	0	1	एसाइटिस
10.	जंगली सुअर	1	0	1	सेप्टीसीमिया
	कुल	21	22	43	

[अनुवाद]

सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर संबंधी लक्ष्य

271. श्री पूर्णमासी राम : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद में 9 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर की परिकल्पना की गयी है तथा योजनावधि के पहले दो वर्षों 2006-07 एवं 2007-08 में वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही है तथा वर्ष 2008-09 में वृद्धि दर में भारी गिरावट होकर यह 6.7 प्रतिशत रही थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या ग्यारहवीं योजना में परिकलित वृद्धि प्रक्रिया जनसंख्या के सभी वर्गों तक नहीं पहुंची है या इससे उनको लाभ नहीं हुआ है;

(घ) यदि हां,, तो क्या योजना आयोग ने इन क्षेत्रों पर ध्यान दिया है तथा वंचित वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए समुचित सुधारात्मक उपाय तैयार किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) जी, हां। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) का लक्ष्य योजना अवधि के लिए 9% औसतन वार्षिक जीडीपी विकास दर हासिल करना है। योजना के प्रथम वर्ष (2007-08) के दौरान, 9% जीडीपी विकास दर का अनुमान लगाया गया। लेकिन, वर्ष 2008-09 के दौरान वैश्विक मंदी और सूखे जैसी स्थिति के कारण कृषि क्षेत्रक में कम विकास दर के कारण विकास दर में मंदी आई। वर्ष 2008-09 के लिए जीडीपी विकास दर गिरकर 6.7% हो गई और योजना अवधि के प्रथम दो वर्षों में प्राप्त जीडीपी विकास औसतन 7.85% हो गया।

(ग) से (ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में विकास प्रक्रिया को व्यापक बनाने के दृष्टिकोण से समावेशी विकास को विकास रणनीति के रूप में अपनाया गया है जिसमें विकास लक्ष्यों को बहु-आयामी आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों में परिवर्तित किया गया

है। समावेशी विकास हासिल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर छः प्रमुख श्रेणियों में 27 मॉनीटरण योग्य लक्ष्य हैं जैसे– (क) आय और गरीबी (ख) शिक्षा (ग) स्वास्थ्य (घ) महिला एवं बाल (ङ) अवसंरचना (च) पर्यावरण।

समावेशी विकास हासिल करने के लिए कार्यक्रम हस्तक्षेपों में अन्यों के साथ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) स्कीम, मध्याहन भोजन स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) आदि हैं। भारत निर्माण का कार्यान्वियन ग्रामीण अवसंरचना निर्माण के लिए प्रमुख पहल है।

विभिन्न व्यय वर्गों में आय वितरण तथा उपभोग स्तरों संबंधी विकास प्रक्रिया के प्रभाव का आकलन ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी ह्रास और उन्नत उपभोग स्तर के आधार पर लगाया जा सकता है। तथापि, वर्ष 2004-05 के बाद गरीबी या जीवन स्तर के सरकारी अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। परिवार उपभोग व्यय पर वर्ष 2011 तक उपलब्ध होने वाले राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के 66वें दौर के परिणामों से गरीबी प्रति व्यक्ति अनुपात में मात्रात्मक कमी का आकलन करने में सहायता मिलेगी। तथापि, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में प्रमुख कार्यक्रमों में आवश्यक शोधक कदमों का सुझाव देने के साथ समावेशी विकास हासिल करने के लिए किए गए प्रयासों में हुई प्रगति पर प्रकाश डाला गया है।

[हिन्दी]

प्राचीन विरासतों का संरक्षण

272. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश की प्राचीन विरासतों के संरक्षण, सुरक्षा और रख-रखाव पर धनराशि नियत करने और व्यय करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे प्रत्येक राज्य हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि नियत की गई है जहां प्राचीन विरासतों के विकास, संरक्षण और रख-रखाव पर धनराशि व्यय किए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्वावधान में देश भर में प्राचीन विरासतों, जिसमें केन्द्रीय संरक्षित स्मारक और पुरातत्वीय स्थल शामिल हैं, के संरक्षण, रख-रखाव और अनुरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष बजट आवंटन के अनुसार धनराशि आवंटित की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार और मंडलवार प्राचीन विरासत के संरक्षण और अनुरक्षण के लिए खर्च की गई राशि और आवंटित राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन संरक्षण के लिए वर्षवार खर्च और वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए आवंटन

(लाख रुपए)

क्र. सं.	स्मारक का नाम	मंडल/शाखा	खर्च 2007-2008	खर्च 2008-2009	खर्च 2009-2010	आवंटन 2010-211
1	2	3	4	5	6	7
1.	उत्तर प्रदेश	आगरा मंडल	633.00	774.00	738.00	515.00

1	2	3	4	5	6	7
2.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ मंडल	775.00	1201.39	1371.00	900.00
3.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद मंडल	738.95	285.00	590.00	900.00
4.	महाराष्ट्र	मुम्बई मंडल	415.00	465.15	500.00	350.00
5.	कर्नाटक	बंगलौर मंडल	1035.22	1088.94	1200.00	800.00
6.	कर्नाटक	धारवाड़ मंडल	593.00	423.64	619.46	600.00
7.	मध्य प्रदेश	भोपाल मंडल	906.69	997.96	674.33	565.00
8.	उड़ीसा	भुवनेश्वर मंडल	278.29	234.16	276.49	215.00
9.	पश्चिम बंगाल, सिक्किम	कोलकाता मंडल	338.13	419.34	435.23	380.00
10.	तमिलनाडु, पुदुचेरी	चेन्नई मंडल	531.00	505.00	460.50	430.00
11.	पंजाब, हरियाणा	चंडीगढ़ मंडल	494.82	512.48	694.46	425.00
12.	हिमाचल प्रदेश	शिमला मंडल	125.00	118.00	70.87	80.00
13.	दिल्ली	दिल्ली मंडल	786.36	728.64	1747.00	1000.00
14.	गोवा	गोवा मंडल	92.20	118.00	120.61	105.00
15.	पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम को छोड़कर	गुवाहाटी मंडल	103.52	175.25	135.08	140.00
16.	राजस्थान	जयपुर मंडल	285.00	280.00	275.55	255.00
17.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद मंडल	743.23	865.00	610.00	535.00
18.	बिहार और उत्तर प्रदेश	श्रीनगर मंडल	427.97	377.72	314.99	260.00
19.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर मंडल	300.00	405.30	338.44	305.00
20.	केरल	त्रिसूर मंडल	261.75	286.17	300.01	260.00
21.	गुजरात	वडोदरा मंडल	339.98	405.62	459.98	325.00
22.	उत्तराखंड	देहरादून मंडल	177.50	169.40	130.52	140.00
23.	छत्तीसगढ़	रायपुर मंडल	235.00	285.00	332.00	255.00

1	2	3	4	5	6	7
24.	झारखंड	रांची मंडल	74.92	78.45	64.75	60.00
25.	रसायन परिरक्षण (अखिल भारत)	विज्ञान शाखा देहरादून	609.90	555.36	655.45	675.00
26.	उद्यान गतिविधि (अखिल भारत)	मुख्य उद्यानविद् आगरा	1584.76	1743.63	2185.71	1550.00
27.		महानिदेशक का कार्यालय	00	00	00	1565.00
		जोड़	12886.19	13498.60	15300.43	13,590.00

एआईबीपी के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाएं

273. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा :**
श्री एंटो एंटोनी :
श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री नारनभाई कछाड़िया :
राजकुमारी रत्ना सिंह :
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे :
श्री संजय निरूपम :
श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई रादड़िया :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत चालू सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति क्या है और प्रत्येक परियोजना के लिए परियोजना-वार कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई है;

(ख) प्रत्येक पूरी हुई और चालू परियोजनाओं द्वारा परियोजना-वार कितने लक्षित सिंचाई लाभ सृजन होने की संभावना है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में एआईबीपी के अंतर्गत परियोजना-वार और राज्य-वार धनराशि के अनुदान हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का प्रस्ताव सिंचाई की संभावना को बढ़ाने हेतु एआईबीपी के अंतर्गत परिव्यय बढ़ाने का है; और

(च) यदि हां, तो दसवीं योजना की तुलना में ग्यारहवीं योजना हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) 1996-97 में एआईबीपी के प्रारंभ से आज की तारीख तक, एआईबीपी के तहत 283 वृहद/मध्यम परियोजनाओं/परियोजना घटकों का वित्तपोषण किया गया है, जिनमें से 129 परियोजनाएं/परियोजना घटक पूरे हो चुके हैं, 5 परियोजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा आस्थगित किया गया है और बकाया परियोजनाएं चल रही हैं। वृहद/मध्यम परियोजनाओं की लक्षित सिंचाई क्षमता के साथ परियोजना-वार स्थिति संलग्न विवरण-I के रूप में दी गयी है। इसी तरह, एआईबीपी के तहत अब तक 11655 सतही जल लघु सिंचाई स्कीमों का वित्तपोषण किया गया है जिसमें से, 7969 सतही जल लघु सिंचाई स्कीमें पूरी की जा चुकी हैं। राज्यवार ब्यौरा विवरण-II और III में दिया गया है।

(ग) और (घ) सूचना संकलित की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ङ) XIवीं योजना के दौरान एआईबीपी के तहत परिव्यय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए परिव्यय 12398 करोड़ रुपए था और ग्यारहवीं योजना के लिए आवंटन 39850 करोड़ रुपए है।

विवरण-I

एआईबीपी के तहत वृहद/मध्यम परियोजनाओं की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/परियोजना का नाम (योजना में प्रारंभ)	वर्तमान स्थिति	लक्षित क्षमता (हजार हेक्टेयर)	जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए)				
				2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	1996-97 से कुल जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाएं								
	आंध्र प्रदेश							
1.	श्री राम सागर (चरण-III)	पूर्ण	122.5630	0.0000	0.0000	0.0000		327.1700
2.	चेयल (अन्नामाया) (V) (सी)	पूर्ण	5.2610	0.0000	0.0000	0.0000		25.3300
3.	जुराला (VI) (सी)	पूर्ण	40.1600	0.0000	0.0000	0.0000		245.1690
4.	सोमासिला (V) (सी)	पूर्ण	32.2600	0.0000	0.0000	0.0000		164.5250
5.	नागार्जुन सागर (II) (सी)	पूर्ण	27.9440	0.0000	0.0000	0.0000		77.1400
6.	मडुवासला (V) (सी)	पूर्ण	9.3920	0.0000	0.0000	0.0000		66.8000
7.	गुंडायालगु (V) (सी)	पूर्ण	1.0450	0.0000	0.0000	0.0000		4.0050
8.	मंडीगेडडा (V) (सी)	पूर्ण	0.6050	0.0000	0.0000	0.0000		3.7920
9.	कानपुर नहर (III) (सी)	आस्थगित	0.5610	0.0000	0.0000	0.0000		1.9200
10.	येरेकालवा (V)	निर्माणाधीन	9.9960	0.0000	0.0000	0.0000		28.4630
11.	यामरोधरा चरण-I (सी)	पूर्ण	17.1030	0.0000	0.0000	0.0000		37.1160
12.	एसआरएसपी की बाढ़ बहाव नहर (पीएमपी)	निर्माणाधीन	89.0330	74.0000	61.0000	0.0000		382.4000
13.	श्रीरामसागर परियोजना-II (पीएमपी)	निर्माणाधीन	178.0660	0.0000	0.0000	65.1980		139.4670
14.	टडीपुरी एलआईएस	निर्माणाधीन	83.6090	0.0000	0.0000	0.0000		48.2200

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	पुशकरा एसआईएस	निर्माणाधीन	75.2400	13.9692	0.0000	0.0000		47.0847
16.	रेलीवागु (पीएमपी)	निर्माणाधीन	2.4280	0.0000	0.0000	0.0000		6.7095
17.	गोलायागु (पीएमपी)	निर्माणाधीन	3.8450	32.1200	0.0000	0.0000		60.4700
18.	माथाडियागु (पीएमपी)	निर्माणाधीन	3.4400	8.6700	0.0000	0.0000		37.0200
19.	पेडडायागु (पीएमपी)	निर्माणाधीन	5.2600	0.0000	0.0000	55.4000		106.0250
20.	गुंडलाकममा जलाशय (पीएमपी)	निर्माणाधीन	32.4000	0.0000	0.0000	0.0000		99.3525
21.	वेलीगालू ज़लाशय (पीएमपी) (सी)	पूर्ण	9.7310	26.2500	0.0000	0.0000		62.3355
22.	अलीसागर एलआईएस (पीएमपी) (सी)	पूर्ण	21.7700	2.8700	0.0000	0.0000		16.3700
23.	जे. चुक्काराव एलआईएस (पीएमपी)	निर्माणाधीन	266.2310	405.0000	0.0000	180.0000		883.1300
24.	एआर गुधपा एलआईएस (पीएमपी) (सी)	पूर्ण	15.6990	6.5500	0.0000	0.0000		17.5000
25.	निलवाई (पीएमपी)	निर्माणाधीन	5.2600	15.5600	0.0000	0.0000		18.4000
26.	खोमराम भीमा (पीएमपी)	निर्माणाधीन	9.9150	109.8300	27.9300	0.0000		145.5400
27.	थोटापल्ली बराज	निर्माणाधीन	74.4830	24.8400	11.9500	0.0000		99.7310
28.	ताराकरमा तीर्थसागरम परियोजना	निर्माणाधीन	10.0000	0.0000	0.0000	0.0000		33.0080
29.	स्वर्णमुखी मध्यम सिंचाई परियोजना (सी)	पूर्ण	4.6560	0.0000	0.0000	0.0000		11.8620
30.	पलेमयागु (पीएमपी)	निर्माणाधीन	4.1000	0.0000	0.0000	0.0000		9.5355
31.	मुसुरीमिल्ली परियोजना	निर्माणाधीन	9.1600	35.1800	27.7700	0.0000		62.9500
32.	राजीव भीमा एलआईएस (पीएमपी)	निर्माणाधीन	82.1500	233.1400	259.8700	662.6610		1165.6710

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.	इंद्र सागर पोलावरम 2008-09 (XI)	निर्माणाधीन	436.0000		225.0000	337.4690		562.4890
	(आंध्र प्रदेश)-कुल		1689.3460	987.7692	623.5200	1300.7280		4996.6987
	अरुणाचल प्रदेश							
						0.0000		0.0000
	(अरुणाचल)-कुल			0.0000	0.0000	0.0000		0.0000
	असम							
34.	पहुमारा (एपी 1978-80) (सी)	पूर्ण	11.7550	1.2600	1.8900	0.0000		9.2900
35.	हवाईपुर एलआईएस (VI) (सी)	पूर्ण	3.0400	0.0000	0.0000	0.0000		4.9650
36.	रूपाही एलआईएस (एपी 1978-80) (सी)	पूर्ण	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000		0.6550
37.	धनसीरी (पी)	निर्माणाधीन	68.3680	5.2900	59.1170	0.0000		96.0970
38.	चमपायती (VI)	निर्माणाधीन	24.9940	0.0000	0.0000	12.0040		25.7370
39.	बोरोलिया (एपी 1978-80)	निर्माणाधीन	13.5620	4.3200	6.4800	0.0000		23.3370
40.	कोलांगा (V) (सी)	पूर्ण	2.6900	0.0000	0.0000	0.0000		0.5000
41.	बुढ़ी विहिंग एलआईएस (एपी 1978-80)	निर्माणाधीन	4.4900	0.0000	0.0000	0.0000		4.2240
42.	योरडीकरई (V) (सी)	पूर्ण	6.5900	0.0000	0.0000	0.0000		7.0130
43.	जमुना सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण (IX) (सी)	पूर्ण	13.7580	4.3200	15.7626	0.0000		36.3628
44.	एकीकृत सिंचाई स्कीम कलंग बेसिन (V) (सी)	पूर्ण	9.2870	0.0000	0.0000	0.0000		12.9820
	(असम)-कुल		160.7320	15.1900	83.2498	12.0040	0.0000	221.1628

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	बिहार							
45.	पश्चिम कोसी नहर (III)	निर्माणाधीन	212.0500	21.8200	32.1300	0.0000		228.6990
46.	ऊपरी क्यूल (V) (सी)	पूर्ण	12.1800	0.0000	0.0000	0.0000		22.5790
47.	दुर्गावती (V)	निर्माणाधीन	20.2970	0.0000	0.0000	0.0000		65.0900
	बैनसागर (V)	निर्माणाधीन	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		83.5000
48.	ओरनी जलाशय (V) (सी)	पूर्ण	9.5570	0.0000	0.0000	0.0000		11.4005
49.	बिलासी जलाशय (V) (सी)	पूर्ण	4.0000	0.0000	0.0000	0.0000		3.3900
50.	सोम नहर आधुनिकीकरण (VII) (सी)	पूर्ण	314.5800	27.5900	19.9700	0.0000		188.4490
51.	बताने (V)	निर्माणाधीन	2.4900	0.0000	0.0000	0.0000		3.3350
52.	पुनपुम बैराज परियोजना	निर्माणाधीन	13.6800	9.2800	23.3540	11.2500		43.8840
53.	कोसी बैराज का पुर्नस्थान (XI)	निर्माणाधीन	658.0000			66.6630		66.6630
	(बिहार)-कुल		1248.8340	58.6900	74.8540	77.9130		696.9895
	छत्तीसगढ़							
54.	हस्देओं बंगों (एपी 1978-80) (सी)	पूर्ण	86.6000	0.0000	0.0000	0.0000		243.7800
55.	शिवनाथ डाइवर्जन (V) (सी)	पूर्ण	5.2380	0.0000	0.0000	0.0000		3.5400
56.	जांक डाइवर्जन (IV) (सी)	पूर्ण	9.5690	0.0000	0.0000	0.0000		7.6000
57.	कोसटेंरा	निर्माणाधीन	11.1200	9.3800	0.0000	14.5000	10.3437	46.4227
58.	महानदी जलाशय	निर्माणाधीन	13.8830	8.3440	12.5100	0.0000		25.9545
59.	बरनाई (सी)	पूर्ण	1.5080	0.0000	0.0000	0.0000		2.6500
60.	केलो 2008-09 (XI)	निर्माणाधीन	22.8100			13.5230	13.5000	27.0230
61.	मिमीमातस (हसदेओं बेगो चरण-IV)	निर्माणाधीन	38.4000	19.6700	29.5100	16.8240		66.0040
	(छत्तीसगढ़)-कुल		1891280	37.3940	42.0200	44.6470	23.8437	423.9742

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	गोवा							
62.	सलोली-1 (IV) (सी)	पूर्ण	64390	0.0000	0.0000	0.0000		17.7500
63.	तिलारी (V)	निर्माणाधीन	21.0560	32.4800	39.2300	20.2500		207.1700
	(गोवा)-कुल		27.4950	32.4800	39.2300	20.2500		224.9200
	गुजरात							
64.	सरदार सरोवर (VI)	निर्माणाधीन	1792.0000	585.7200	251.9000	0.0000		5375.3585
65.	झुज (एपी 1978-80) (सी)	पूर्ण	2.9070	0.0000	0.0000	0.0000		4.7400
66.	सिपु (एपी 1978-80) (सी)	पूर्ण	1.0160	0.0000	0.0000	0.0000		6.4550
67.	मुक्तेशवर (VI) (सी)	पूर्ण	5.0680	0.0000	0.0000	0.0000		10.8630
68.	हरनेव-II (V) (सी)	पूर्ण	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		0.0650
69.	उमेरिया (V) (सी)	पूर्ण	0.1620	0.0000	0.0000	0.0000		0.1350
70.	वमनगंगा (IV) (सी)	पूर्ण	8.6860	0.0000	0.0000	0.0000		9.4700
71.	करजन (V) (सी)	पूर्ण	5.9890	0.0000	0.0000	0.0000		7.8000
72.	सुखी (V) (सी)	पूर्ण	3.4880	0.0000	0.0000	0.0000		5.6500
73.	वेओ (V) (सी)	पूर्ण	0.1030	0.0000	0.0000	0.0000		0.5000
74.	वाटरेक कडाना आरवी नहर (एपी 1978-80) (सी)	पूर्ण	3.7140	0.0000	0.0000	0.0000		3.1100
75.	अंजी-IV (IX) (सी)	पूर्ण	3.7500	0.0000	2.2500	1.3480		14.7060
76.	ओजत (VIII) (सी)	पूर्ण	1.8000	0.0000	1.4900	0.0000		13.6000
77.	ब्रहमीमी-II (IX)	निर्माणाधीन	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000		4.0000
78.	भावर-II (सी)	पूर्ण	9.9650	0.0000	2.9700	4.7317		8.5677
	(गुजरात)-कुल		1837.6460	585.7200	258.6100	6.0797		5464.8202

1	2	3	4	5	6	7	8	9
हरियाणा								
79.	गुड़गांव नहर (III) (सी)	पूर्ण	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000		2.5000
80.	डब्ल्यू आरसीपी (VIII) (सी)	पूर्ण	131.9700	0.0000	0.0000	0.0000		78.0400
81.	जेएलएन लिफ्ट सिंचाई (V) (डी)	आस्थगित	69.0000	0.0000	0.0000	0.0000		12.0000
	(हरियाणा)-कुल		220.9700	0.0000	0.0000	0.0000		90.5400
	हिमाचल प्रदेश							
82.	शाहनिहार सिंचाई परियोजना (VIII)	निर्माणाधीन	24.7000	21.4100	46.9800	18.8602		149.5852
83.	सिघाता (IX)	निर्माणाधीन	5.3480	25.7300	10.5800	0.0000		48.0300
84.	चेंजर लिफ्ट (IX)	निर्माणाधीन	3.0410	23.4000	24.3000	0.0000		51.5875
85.	माल घाटी (वायां किनारा)-XI	निर्माणाधीन	4.3500			36.0000		36.0000
	2009-10							
	(हिमाचल प्रदेश)-कुल		37.4990	70.5400	81.8100	52.6602		285.1827
	जम्मू और कश्मीर							
86.	मारयाल लिफ्ट @ (IV) (सी)	पूर्ण	11.3900	0.0000	0.0000	0.0000		0.3000
87.	लेथपोरा लिफ्ट @ (IV) (सी)	पूर्ण	3.1980	0.0000	0.0000	0.0000		3.3161
88.	कोइल लिफ्ट @ (V) (सी)	पूर्ण	2.1500	0.0000	0.0000	0.0000		0.5000
89.	रणबीर नहर का आधुनिकीकरण (VII)	निर्माणाधीन	13.6660	20.0800	9.5050	0.0000	24.9760	83.7330
90.	प्रताप नहर का आधुनिकीकरण (VII) (सी)	पूर्ण	1.2300	2.6300	3.9400	0.0000		18.6760
	वई नहर का आधुनिकीकरण	निर्माणाधीन	1.2190		4.7697	4.9739		9.7436
91.	कथुआ नहर का आधुनिकीकरण (VII) (सी)	पूर्ण	3.2070	0.0000	0.0000	0.0000		7.6160

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92.	रोपोरा लिफ्ट (एपी 1978-80) (सी)	पूर्ण	2.4300	12.8600	17.5422	0.0000		45.6362
93.	तरल लिफ्ट (एपी 1978-80)	निर्माणाधीन	6.0000	12.5400	12.2103	0.0000		44.6971
94.	इगोफी (IX) (सी)	पूर्ण	3.4730	0.0000	0.0000	0.0000		9.6300
95.	रफीआबाद लिफ्ट सिंचाई (IX)	निर्माणाधीन	2.9320	10.5400	9.9157	0.0000	2.3372	35.3227
96.	जैनगिरी नहर (IX) (सी)	पूर्ण	2.1400	0.0000	0.0000	0.0000		4.8492
97.	दारी नहर परियोजना का आधुनिकीकरण	निर्माणाधीन	2.5733	16.7100	11.5764	0.2584		31.8118
98.	मार्ट्ंड नहर परियोजना का आधुनिकीकरण	निर्माणाधीन	6.4980	2.9200	7.5188	0.0000		14.8988
99.	मयकुल का आधुनिकीकरण	निर्माणाधीन	9.3520	1.4600	3.2149	0.0000		7.1049
100.	बाबुल नहर का आधुनिकीकरण	निर्माणाधीन	3.0770	2.3100	4.4484	0.0000		6.7534
101.	कंडी नहर परियोजना का आधुनिकीकरण	निर्माणाधीन	3.2300	10.3900	5.8100	0.0000		16.2000
102.	प्राचिक नोज नहर परियोजना	निर्माणाधीन	2.2620	1.6200	2.4300	4.3919		8.4419
103.	अहजी नहर XI परियोजना का आधुनिकीकरण	निर्माणाधीन	1.4198		2.4300	4.0500		6.4800
	(जम्मू और कश्मीर)-कुल		81.4471	94.0400	95.3114	13.6742	27.3122	355.7157
	झारखंड							
104.	गुमामी (V)	निर्माणाधीन	16.1940	3.7100	0.0000	0.0000		31.4020
105.	तोराई (V) (डी)	आस्थगित	8.0000	0.0000	0.0000	0.0000		2.5000
106.	लतरातु (VII) (सी)	पूर्ण	6.1000	0.0000	0.0000	0.0000		2.1300
107.	कसजोड़ (VII)	निर्माणाधीन	8.2900	0.0000	0.0000	0.0000		11.0400
108.	सोनुआ (VI)	निर्माणाधीन	8.0100	0.9000	0.0000	0.0000		19.2480

1	2	3	4	5	6	7	8	9
109.	सुरंगी (VII)	निर्माणाधीन	2.6010	1.1344	0.0000	0.0000		13.2844
110.	टपकारा रेस स्कीम (VI) (सी)	पूर्ण	1.8190	0.0000	0.0000	0.0000		0.5150
111.	ऊपरी शंखा	निर्माणाधीन	7.0690	1.8000	2.7000	0.0000		15.1100
112.	पंचखेरौ	निर्माणाधीन	3.0850	1.6800	1.0200	0.0000		6.2420
	(झारखंड)-कुल		59.1680	9.2244	3.7200	0.0000	0.0000	103.4694
कर्नाटक								
113.	यूकेपी चरण-I (IV)	निर्माणाधीन	169.0050	0.0000	0.0000	0.0000		853.8530
114.	मालप्रभा (III) (पीएमपी)	निर्माणाधीन	56.6340	35.3400	18.9000	110.5250		288.8250
115.	हीरेहल्ला (VI) (सी)	पूर्ण	8.3300	0.0000	0.0000	0.0000		64.2400
116.	वाटप्रभा (V) (पीएमपी)	निर्माणाधीन	139.9620	29.0400	43.5700	58.1620		428.6820
117.	करंजो (V)	निर्माणाधीन	30.9400	0.0000	12.2500	0.0000		189.0300
118.	यूकेपी चरण-II (IX)	निर्माणाधीन	178.3210	145.6400	61.2400	93.0200		1367.1298
119.	गंडोरीनाल (VIII)	निर्माणाधीन	8.0940	45.5300	0.0000	18.5200		115.7610
	यूकेपी चरण-III (IX)	निर्माणाधीन	148.5080	72.0100	134.6600	152.9770		392.3052
120.	मक्कीनाला (सी)	पूर्ण	3.0010	0.0000	0.0000	0.0000		3.2200
121.	वोटहोल मध्यम परियोजना (पीएमपी) (सी)	पूर्ण	0.0000	0.2900	0.0000	0.0000		0.2900
122.	वराही परियोजना	निर्माणाधीन	31.4000	22.0500	20.1690	26.3160		68.5350
123.	दुधगंगा अंतराज्य परियोजना (पीएमपी) (XI)	निर्माणाधीन	11.3670		3.8300	0.0000		3.8300
124.	भादरा का आधुनिकीकरण (पीएमपी) (XI)	निर्माणाधीन	177.3370		32.4400	108.4980		140.9380
125.	हिपारगी परियोजना (पीएमपी) (XI)	निर्माणाधीन	87.4970		115.3800	114.7804		230.1404

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126.	भीमसमुद्र टेंक का पुनर्स्थापना एवं पुनरुद्धार—2009-10 (XI) (पीएमपी)	निर्माणाधीन	2.0500			3.4830		3.4630
127.	भीम लिफ्ट सिंचाई स्कीम, 2009-10 (XI)	निर्माणाधीन	24.2920			55.6400		58.6400
128.	गुडडा मालापुरा एलआईएस डीपीएपी 2009-10 (XI)	निर्माणाधीन	5.2610			32.4000		32.4000
	(कर्नाटक)-कुल		1061.9990	349.9000	442.4190	775.3214		4219.3024
	केरल							
129.	कलाडा परियोजना (III) (सी)	पूर्ण	9.2760	0.0000	0.0000	0.0000		32.5000
130.	मावातुपुज्जा (V)	निर्माणाधीन	28.2340	0.0000	0.0000	3.8120		133.1291
131.	कारापुज्जा (पीएमपी)	निर्माणाधीन	8.7210	0.0000	0.0000	0.0000		2.7188
132.	क्रनहीरापुजा इआरएम (पीएमपी)	निर्माणाधीन	1.2470		0.9045	0.0000		0.9045
133.	चितुरपुजा (पीएमपी) 2010-11	निर्माणाधीन					5.8522	5.8522
	(केरल)-कुल		47.4780	0.0000	0.9045	3.8120	5.8522	175.1048
	मध्य प्रदेश							
134.	इंदिरा सागर (VI)	निर्माणाधीन	62.2000	94.7700	0.0000	0.0000		604.7144
135.	येनसागर (यूनिट-I) (V) (सी)	पूर्ण	0.0000	13.2400	0.0000	7.3670		364.9840
	येनसागर (यूनिट-II) (V)	निर्माणाधीन	154.5430	56.6000	26.8600	59.6100		273.8920
136.	ऊपरी येनगंगा (V) (सी)	पूर्ण	35.2530	0.0000	0.0000	0.0000		50.1060
	राजघाट बांध (V)		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		42.2030
137.	सिंध चरण-II (VI)	निर्माणाधीन	162.0000	6.3100	45.8470	6.9750		432.5210
138.	सिंध चरण-I (IV) (सी)	पूर्ण	10.5800	0.0000	0.0000	0.0000		14.8760
139.	माही (VI)	निर्माणाधीन	26.4290	49.4700	37.1860	0.0000		182.6070

1	2	3	4	5	6	7	8	9
140.	वेरियारपुर (V)	निर्माणाधीन	43.8500	12.0400	7.5300	6.5700		100.5810
141.	उर्मिल (V) (सी)	पूर्ण	1.6920	0.0000	0.0000	0.0000		2.3910
142.	बंजार (V) (सी)	पूर्ण	1.0950	0.0000	0.0000	0.0000		1.1960
143.	भवनथाडी (VI)	निर्माणाधीन	29.4120	10.8300	5.2810	0.0000		65.2911
144.	मेहर (VI)	निर्माणाधीन	19.7400	6.6400	2.7000	0.0000		31.4800
145.	ओमकारेश्वर (VIII) PH-I	निर्माणाधीन	24.0000	26.7800	11.5600	10.9200		151.8859
146.	बारगी डेम आरबीसी 16 किमी.-63 किमी. (V) PH-I	निर्माणाधीन	21.1940	0.0000	6.7500	10.3170		140.6450
	बारगी डेम परियोजना (63 किमी. से 104 किमी.) PH-II	निर्माणाधीन	31.8990	25.9500	10.1300	0.0000		114.4702
	बारगी डाइवर्जन चरण-III	निर्माणाधीन	26.0000	9.4500	14.1800	33.3640		55.9940
	बारगी डाइवर्जन चरण-III (VI) (2008-09)	निर्माणाधीन	34.0000		0.0000	7.3890		7.3690
147.	पंच डाइवर्जन चरण-I	निर्माणाधीन	28.2680	3.3000	3.3800	9.7180		16.3780
	ओमकारेश्वर परियोजना चरण-II	निर्माणाधीन	19.5780	16.1100	49.6000	0.0000		65.7100
	ओमकारेश्वर नहर चरण-III	निर्माणाधीन	48.5920	16.0400	24.0600	41.9660		82.0660
	इंदिरा सागर नहर चरण-III	निर्माणाधीन	20.7000	24.4900	61.7700	0.0000		86.2600
	इंदिरा सागर नहर चरण-IV (2008-09-XI)	निर्माणाधीन	19.6000		19.6830	12.6000		32.2830
	इंदिरा सागर इकाई-II (Ph. I & II) (2008-08-XI)	निर्माणाधीन	0.0000			42.6400		42.6400
148.	पुनसा लिफ्ट सिंचाई परियोजना (XI) 2008-09	निर्माणाधीन	35.0080		48.6000	227.6370		276.2370
149.	निचली गोई (XI) 2008-09	निर्माणाधीन	13.7600		32.5860	60.1020		92.6880

1	2	3	4	5	6	7	8	9
150.	ऊपरी बेडा (XI) 2008-09	निर्माणाधीन	13.3650		14.3400	49.1984		63.5384
	(मध्य प्रदेश)-कुल		880.7580	372.0200	422.0230	585.3734		3595.0270
	महाराष्ट्र							
151.	गोसीखुर्द (VI)	निर्माणाधीन	18.9050	59.5900	143.3000	0.0000		423.1757
	गोसीखुर्द राष्ट्रीय परियोजना (XI)	निर्माणाधीन	231.0800		450.0000	720.0000	635.2800	1805.2800
152.	सूर्या (एपी 1978-80) (सी)	पूर्ण	2.9680	0.0000	0.0000	0.0000		13.5500
153.	यागुर (V)	पूर्ण	26.3250	67.8700	109.5130	0.0000		284.3898
154.	भीमा (III) (सी)	पूर्ण	58.7580	0.0000	0.0000	0.0000		44.5050
155.	ऊपरी तापी (IV) (सी)	पूर्ण	1.3980	0.0000	0.0000	0.0000		7.7000
156.	ऊपरी वर्धा (V) (पीएमपी) (सी)	पूर्ण	37.2580	22.0800	26.9500	0.0000		247.0245
157.	येन (VI) (सी) (पीएमपी)	पूर्ण	15.2750	0.0000	0.0000	0.0000		59.5836
158.	जायकवाड़ी (V) (सी)	पूर्ण	7.2730	0.0000	0.0000	0.0000		43.7350
159.	विशनुपूरी (एपी 1978-80) (सी)	पूर्ण	2.6360	0.0000	0.0000	0.0000		5.4145
160.	बहुला (V) (सी)	पूर्ण	4.3020	0.0000	0.0000	0.0000		11.5240
161.	कृष्णा (III) (सी)	पूर्ण	19.5880	23.8900	23.4700	0.0000		213.1066
162.	कुकड़ी (एपी 66-69) (सी)	पूर्ण	53.1430	55.4600	0.0000	0.0000		270.1856
163.	ऊपरी मन्नार	निर्माणाधीन	8.2800	11.6600	11.8550	0.0000		59.4885
164.	हटवाने (सी)	पूर्ण	6.1680	0.0000	0.0000	0.0000		50.4955
165.	चस्कमान (सी)	पूर्ण	26.1890	12.3400	0.0000	0.0000		95.3777
166.	ऊपरी पेन गेगा	निर्माणाधीन	24.8220	23.9500	37.6253	0.0000	43.6900	163.7559
	वावनथडी	निर्माणाधीन	27.7080	10.0200	28.8800	0.0000		83.2590

1	2	3	4	5	6	7	8	9
167.	निचली दुधना	निर्माणाधीन	29.1230	8.3000	48.6800	18.2700		126.0118
	तिल्लाड़ी	निर्माणाधीन	8.5000	23.0650	9.2750	12.1650		53.7450
168.	वर्ना	निर्माणाधीन	54.7490	22.5000	16.8750	0.0000		48.3750
169.	यान चरण-II (सी)	पूर्ण	0.3540	0.0000	0.0000	0.0000		2.0295
170.	पुनाड	निर्माणाधीन	10.8460	3.2400	31.0800	44.8700		95.1713
171.	पोथरा नल्ला (पीएमपी) (सी)	पूर्ण	5.9600	4.5300	5.2380	5.1990		20.5925
172.	उतावली (पीएमपी) (सी)	पूर्ण	5.0700	8.3000	17.1700	5.3300		41.0546
173.	पुरना (पीएमपी) (सी)	पूर्ण	7.5100	20.3700	5.0200	0.0000		47.5111
174.	मुदूर गंदमेश्वर		24.6230	47.8300	154.3380	0.0000		218.7020
	मुदूर गंदमेश्वर चरण-II		20.5000			34.0200		34.0200
175.	कर (पीएमपी) (सी)	पूर्ण	3.2440	7.8820	8.0050	0.0000		18.5970
176.	निचली वर्धा (पीएमपी)	निर्माणाधीन	51.6550	7.4900	42.7800	19.3590		99.5590
177.	लाल नल्ल (पीएमपी (सी)	पूर्ण	7.1440	14.2700	0.0000	0.0000		20.1700
178.	खडगपुर्ण (पीएमपी)	निर्माणाधीन	24.6640	98.8600	181.5870	112.0896		398.4286
179.	अरूणावती (पीएमपी) (सी)	पूर्ण	0.7690	12.5400	8.5100	0.0000		21.6400
180.	तजनपोर एलआईएस (सी)	पूर्ण	3.6220	0.0000	3.9300	0.0000		6.4300
181.	खडगवातला (II) (सी)	पूर्ण	0.6240	0.0000	0.0000	0.0000		5.5600
182.	कडवी (सी)	पूर्ण	0.3650	0.0000	0.0000	0.0000		14.0000
183.	कतरताई (सी)	पूर्ण	3.0360	0.0000	0.0000	0.0000		3.3700
184.	जवल गांव (सी)	पूर्ण	1.8070	0.0000	0.0000	0.0000		2.7300
185.	गुभी (सी)	पूर्ण	5.4340	0.0000	0.0000	0.0000		18.6000
186.	केसरी (सी)	पूर्ण	1.2350	0.0000	0.0000	0.0000		1.5100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
187.	पडगांव (सी)	पूर्ण	1.9920	0.0000	0.0000	0.0000		13.9750
188.	मदन टेंक (सी)	पूर्ण	3.2800	0.0000	0.0000	0.0000		1.5105
189.	डोंगरागांव	निर्माणाधीन	2.7660	0.0000	0.0000	15.3900		16.8990
190.	शिवना टकली (सी)	पूर्ण	6.3890	0.0000	0.0000	0.0000		16.4002
191.	अमरावती (सी)	पूर्ण	2.6060	0.0000	0.0000	0.0000		1.1620
192.	गुल मध्यम सिंचाई परियोजना	निर्माणाधीन	3.0250	1.1500	7.9332	0.0000		13.8247
193.	बेमला सिंचाई परियोजना (पीएमपी)	निर्माणाधीन	52.5430	173.5430	176.6430	120.8800		471.0680
194.	चंद्र भागा सिंचाई परियोजना (पीएमपी) (सी)	पूर्ण	1.9200	11.4900	11.2000	0.0000		22.6900
195.	सपन सिंचाई परियोजना (पीएमपी) (सी)	पूर्ण	4.4260	45.9500	32.6550	0.0000		78.6050
196.	उत्तराखंड परियोजना	निर्माणाधीन	4.7300	1.3200	3.0540	1.1250		5.4990
197.	संगोला शाखा नहर	निर्माणाधीन	11.2900	11.3000	67.3700	0.0000		78.6700
198.	पंटकली परियोजना (पीएमपी) (सी)	पूर्ण	3.2200	9.4700	13.7500	0.0000		23.2200
199.	तरली परियोजना	निर्माणाधीन	14.2800	10.0600	39.9900	44.0800		94.1300
200.	थोम वलकवाड़ी परियोजना	निर्माणाधीन	18.1000	17.2200	23.9260	0.0000	20.0200	61.1680
201.	मोरना गुड़ेचर परियोजना	निर्माणाधीन	3.0800	2.6200	7.2000	0.0000		9.8200
202.	अर्जुन परियोजना	निर्माणाधीन	5.7000	1.5800	20.1850	18.9279		40.6729
203.	प्रकाश बैराज (सी)	पूर्ण	10.3100	9.7900	32.4990	1.9785		44.2675
204.	सुलवाडे बैराज (सी)	पूर्ण	8.5800	13.6800	55.8040	0.0000		69.4840
205.	सारंगखेड़ा बैराज (सी)	पूर्ण	11.5200	10.5500	38.3990	0.0000		48.9490

1	2	3	4	5	6	7	8	9
206.	निचलीपेडी परियोजना (पीएमपी) (XI) 2008-09	निर्माणाधीन	17.0230		129.4200	0.0000		129.4200
207.	बांग (XI) 2008-09	निर्माणाधीन	7.0680		6.7500	7.7760		14.5260
208.	ऊपरी कुंडलीका परियोजना (XI) 2008-09	निर्माणाधीन	2.8000		18.5000	15.3196		33.8196
209.	निचली पंजारा परियोजना (XI) 2009-10	निर्माणाधीन	7.5850			47.7500		47.7500
210.	नर्दवे परियोजना (XI) 2009-10 - नई मध्यम	निर्माणाधीन	12.5300			6.7500		6.7500
211.	अरुणा परियोजना (XI) 2009-10 - नई मध्यम	निर्माणाधीन	9.0270			10.1250		10.1250
212.	कृष्णा कोयना लिकट सिंचाई (XI) 2009-10 - नई	निर्माणाधीन	109.1270			111.9200		111.9200
213.	मरानदी सिंचाई (XI) 2009-10 - नई	निर्माणाधीन	4.2960			17.5500		17.5500
214.	कुडली सिंचाई परियोजना	निर्माणाधीन	5.3270			4.5000		4.5000
	(महाराष्ट्र)-कुल		1185.4500	885.7600	2046.8395	1395.3946	698.9900	6667.7277
	मणिपुर							
215.	खुगा (VI)	निर्माणाधीन	15.0000	11.8800	14.7000	0.0000	23.2065	163.3845
216.	थाउबल (एपी (1978-80)	निर्माणाधीन	29.4000	28.8000	136.3743	0.0000	80.0000	438.4993
217.	दोलाईथवी बैराज परियोजना	निर्माणाधीन	7.5450	13.5000	31.0390	0.0000	37.0000	104.2415
	(मणिपुर)-कुल		51.9450	54.1800	182.1133	0.0000	148.2065	706.1253
	मेघालय							
218.	रोंगाई घाटी (VIII) (डी)	आस्थगित	4.7750	0.0000	0.0000	0.0000		4.0000
	(मेघालय)-कुल		4.7750	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	4.0000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मिजोरम							
	(मिजोरम)-कुल			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	नागालैंड							
	(नागालैंड)-कुल			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	उड़ीसा							
219.	ऊपरी इंद्रावती (केवीके) (एपी 1978-80)	निर्माणाधीन	86.3900	92.9100	45.8616	56.3276		387.9562
220.	सुवर्णरेखा बहुदेशीय (VII)	निर्माणाधीन	169.9100	179.9500	178.7654	341.7710		841.5336
221.	रंगाली (IV)	निर्माणाधीन	35.0200	9.1900	22.7446	24.1549		281.5638
222.	आनंदपुर बैराज (IV)	निर्माणाधीन	5.8770	0.0000	0.0000	0.0000		21.8500
	एकीकृत आनंदपुर बैराज (केवीके)	निर्माणाधीन	60.0000	4.9300	6.4200	19.8000		34.8355
223.	ऊपरी कोलाव (V) (सी)	पूर्ण	17.9500	0.0000	0.0000	0.0000		58.5122
224.	टिटलागढ़ (VIII)	निर्माणाधीन	2.2000	17.3300	0.0000	0.0000		49.7065
225.	निचली इंद्र (केवीके) (IX)	निर्माणाधीन	38.8700	85.1500	132.6448	269.6002		743.7553
226.	निचली सकटेल (IX)	निर्माणाधीन	40.4240	53.5368	97.2261	0.0000		232.3875
227.	पोटेल (IX) (सी)	पूर्ण	4.0300	0.0000	0.0000	0.0000		25.4300
228.	नाराज बैराज (IV) (सी)	पूर्ण	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		35.8050
229.	तेलंगिरि सिंचाई परियोजना (केवीके)	निर्माणाधीन	13.8300	31.5500	4.7800	18.8350		76.1700
230.	रेट सिंचाई परियोजना (केवीके)	निर्माणाधीन	9.7800	33.5300	31.6661	0.0000		94.3176
231.	कानुपुर (VIII)	निर्माणाधीन	47.7100	95.8784	180.1604	95.5195		379.5083
232.	चेलीगाडा बांच	निर्माणाधीन	3.8760	5.5340	0.0000	0.0000		13.1275

1	2	3	4	5	6	7	8	9
233.	सासन नहर का सुधार (सी)	पूर्ण	16.2820		0.0000	0.0000		26.0090
234.	सलांडी बायी मुख्य नहर (सी)	पूर्ण	3.6500		0.0000	0.0000		6.1900
235.	सलकी सिंचाई परियोजना में सुधार (सी)	पूर्ण	19.8910		0.0000	0.0000		8.6500
236.	सकरा (XI) 2009-10 - नई	निर्माणाधीन	7.6480			7.0635		7.0635
	(उड़ीसा)-कुल		583.3880	609.4890	700.2690	831.0717		3302.3715
	पंजाब							
237.	रंजीत सागर बांध (VI) (सी)	पूर्ण	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		249.7900
238.	यूवीडीसी का रिमोडलिंग (IX) (सी)	पूर्ण	118.0000	0.0000	0.0000	0.0000		99.3300
239.	तलवाड़ा से नीचे हिमाचल प्रदेश को सिंचाई (IX)	निर्माणाधीन	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		38.0966
240.	शाहपुर खांडी (IX)	निर्माणाधीन	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		29.8500
	शाहपुर खांडी (XI), 2009-10 (राष्ट्रीय परियोजना)	निर्माणाधीन				10.8000		10.6000
241.	कंडी नहर विस्तार चरण-II	निर्माणाधीन	23.3260	0.0000	9.5400	0.0000		34.2600
242.	पहली पटियाला और कोटला शाखा की पुनर्स्थापना (नई ईआरएम)	निर्माणाधीन	68.6200	13.5000	0.0000	11.2500		24.7500
	(पंजाब)-कुल		209.9480	13.5000	9.5400	22.0500		486.8766
	राजस्थान							
243.	जयसमंद (आधुनिकीकरण) (VI) (सी)	पूर्ण	2.3980	0.0000	0.0000	0.0000		3.1250
244.	छापी (V) (सी)	पूर्ण	1.7020	0.0000	0.0000	0.0000		38.2250
245.	पंचना (V) (सी)	पूर्ण	2.3850	0.0000	0.0000	0.0000		43.3770

1	2	3	4	5	6	7	8	9
246.	आईजीएनपी चरण-II (V)	निर्माणाधीन	964.0000	0.0000	0.0000	0.0000		582.7202
247.	विशालपुर (VII) (सी)	पूर्ण	1.8000	0.0000	0.0000	0.0000		41.5800
248.	नर्मदा नहर (VI)	निर्माणाधीन	246.0000	140.5000	178.6200	135.2970		967.1320
249.	गंभीरी (आधुनिकीकरण) (VI) (सी)	पूर्ण	0.9250	0.0000	0.0000	0.0000		1.3150
250.	चौली (VIII) (सी)	पूर्ण	8.9630	0.0000	0.0000	0.0000		48.2810
251.	माही बजाज सागर (IV) (सी)	पूर्ण	27.2000	0.0000	0.0000	0.0000		113.6520
252.	गंगा नहर का आधुनिकीकरण (VI)	निर्माणाधीन	69.6900	18.0300	0.0000	8.1100		214.3630
	(राजस्थान)-कुल		1325.0830	156.5300	178.6200	143.4070		2073.7502
	त्रिपुरा							
253.	गुमटी (V)	निर्माणाधीन	5.3300	0.0000	7.6543	0.0000		22.5470
254.	मनु (VI)	निर्माणाधीन	7.6000	0.0000	7.4842	0.0000		26.0116
255.	खोगई (VI)	निर्माणाधीन	9.3200	0.0000	7.5300	4.8600		29.7300
	(त्रिपुरा)-कुल		22.2500	0.0000	22.6685	4.8600		78.2886
	तमिलनाडु							
256.	डब्ल्यूआरसीपी (VIII) (सी)	पूर्ण	0.0000	0.0000	0.0000	0.000		20.0000
	तमिलनाडु (कुल)			0.0000	0.0000	0.0000		20.0000
	उत्तर प्रदेश							
257.	ऊपरी गंगा मध्य गंगा (V) (सी)	पूर्ण	17.2700	0.0000	0.0000	0.0000		233.6900
258.	मध्य गंगा नहर चरण-II (XI)	निर्माणाधीन	148.5320		11.2500	50.0000		61.2500
259.	शारदा सहायक (III) (सी)	पूर्ण	388.4600	0.0000	0.0000	0.0000		131.0000
260.	सरयु नहर (V) (सी)	पूर्ण	545.0000	57.1000	134.3100	0.0000	10.0192	757.7442

1	2	3	4	5	6	7	8	9
261.	एत्र के दोआद में खरीफ नहर (VII) (सी)	पूर्ण	11.0400	0.0000	0.0000	0.0000		73.2700
262.	राजघाट बांध (V) (सी)	पूर्ण	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		3.0000
263.	गुटा नाला बांध (VI) (सी)	पूर्ण	3.8800	0.0000	0.0000	0.0000		1.0000
264.	बांधसागर (V)	निर्माणाधीन	150.1320	41.5200	136.7320	94.9870		553.1305
265.	लखवर व्यासी (V) (डी)	आस्थगित	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		20.0000
266.	तहेरी (VII) (सी)	पूर्ण	270.0000	0.0000	0.0000	0.0000		589.7530
267.	ज्ञानपुर पंप नहर (VII) (सी)	पूर्ण	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000		30.9000
268.	पूर्वी गंगा नहर (V)	निर्माणाधीन	72.2880	20.1000	17.1460	9.0600		194.8729
269.	राजघाट नहर (V) (सी)	पूर्ण	43.3530	4.7600	0.0000	0.0000		70.1680
270.	आगरा नहर का आधुनिकीकरण (V) (सी)	पूर्ण	35.0000	10.8000	0.0000	0.0000		44.6190
271.	जरोली पंप नहर (1990-91) (सी)	पूर्ण	39.7480	0.5900	0.0000	0.0000		7.0710
272.	लहचुरा बांध का आधुनिकीकरण	निर्माणाधीन	14.5750	3.9800	3.5348	28.3800		41.6488
273.	हरदोई शाखा प्रणाली का कार्यान्वयन (ईआरएम)	निर्माणाधीन	95.9610	11.8400	12.5004	0.0000		24.7904
274.	कचनोरा बांध (XI) नई 2009-10	निर्माणाधीन	10.8500			10.0000		10.0000
275.	शारदा सहायक का पुनर्स्थापन केंप (XI) नई 2009-10	निर्माणाधीन	790.0000			21.3750		21.3750
276.	अर्जुन सहायक (XI) नई 2009-10	निर्माणाधीन	44.3810			24.3000	160.3150	184.6150
	(उत्तर प्रदेश)-कुल		2879.9660	150.6900	315.4732	238.0820	170.3342	3053.8978
	उत्तराखंड							
	(उत्तराखंड)-कुल			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	पश्चिम बंगाल							
277.	तीस्ता बैराज (V)*	निर्माणाधीन	174.3900	0.0000	21.9300	0.0000		152.9240
278.	कंगसाबती (II) (सी)	पूर्ण	82.0800	0.0000	0.0000	0.0000		26.7100
279.	डीवीसी के बैराज एवं सिंचाई प्रणाली का (VI) (सी)	पूर्ण	8.0000	0.0000	0.0000	0.0000		1.0000
280.	टटको (V)	निर्माणाधीन	1.1980	0.4200	0.6200	0.0000		2.2520
281.	पटलोई (V)	निर्माणाधीन	2.1580	0.4100	0.2600	0.9144		3.4974
282.	हनुमाता (VII) (सी)	पूर्ण	1.2540	0.0000	0.0000	0.0000		1.7827
283.	सुवर्णरिखा बैराज (VII)*	निर्माणाधीन	136.0140	0.0000	0.0000	0.0000		13.2880
	(पश्चिम बंगाल)-कुल		405.0740	0.8300	22.8100	0.9144	0.0000	201.4541
	सिक्किम							
	(सिक्किम)-कुल			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	कुल जोड़		14005.5341	4483.9466	5646.0050	5526.6426	1074.5388	37447.3988

विवरण-II

एआईबीपी के तहत प्रारंभ से 3.11.2010 तक एमआई स्कीमों का विवरण

क्र. सं.	राज्य	शामिल स्कीमों की कुल संख्या	लक्षित क्षमता ('000 हेक्टेयर)	30.6.2010 तक पूरी हो चुकी स्कीमों की संख्या	36.11.2010 तक जारी कुल सीएलए/अनुदान
1	2	3	4	5	6
क.	**विशेष श्रेणी राज्य**				
1.	अरुणाचल प्रदेश	1881	59.931	1800	218.4180
2.	असम	1114	387.5559	381	1101.5828
3.	मणिपुर	843	43.652	678	164.0395

1	2	3	4	5	6
4.	मेघालय	149	33.8729	71	88.0953
5.	मिजोरम	300	24.593	226	204.1737
6.	नागालैंड	1131	44.452	1131	192.3811
7.	सिक्किम	658	14.9131	433	30.1643
8.	त्रिपुरा	1204	55.543	1145	183.9219
9.	हिमाचल प्रदेश	256	52.7019	203	143.2113
10.	जम्मू और कश्मीर	533	181.5749	208	606.8732
11.	उड़ीसा (आईकेबी)	81	27.496	20	125.7297
12.	उत्तराखंड	2454	207.8302	1421	1154.9495
क.	कुल	10604	1134.1159	7717	4213.5403
ख.	**गैर-श्रेणी राज्य**				
1.	आंध्र प्रदेश	88	37.937	13	258.66
2.	छत्तीसगढ़	197	54.417	86	237.3345
3.	मध्य प्रदेश	232	72.4972	26	375.9568
4.	महाराष्ट्र	186	121.5340	101	678.4562
5.	बिहार	60	23.4660	3	56.8204
6.	पश्चिम बंगाल	66	6.27640	23	16.220
7.	राजस्थान	7	4.411	0	14.170
8.	कर्नाटक	98	10.5132	0	48.5066
9.	झारखंड	117	22.0770		78.5700
ख.	कुल	1051	353.1288	252	1764.6945
	कुल जोड़	11655	1487.2447	7968	5978.2348

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान एचआईबीपी के अंतर्गत वित्त पोषित लघु सिंचाई स्कीमों की संख्या और लघु सिंचाई स्कीमों को जारी अनुदान का राज्यवार ब्यौरा (4.11.2010 तक)

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11	
		स्कीमों की संख्या	जारी अनुदान	स्कीमों की संख्या	जारी अनुदान	स्कीमों की संख्या	जारी अनुदान	स्कीमों की	स्कीमों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अरुणाचल प्रदेश	231 नई और 243 निर्माणाधीन	47.1800	145 नई और 231 निर्माणाधीन	33.9580	198 निर्माणाधीन	30.7800	शून्य	0
2.	असम	102 नई और 47 निर्माणाधीन	62.1480	320 नई और 102 निर्माणाधीन	322.7044	505 नई और 333 निर्माणाधीन	577.9694	51 निर्माणाधीन	47.1550
3.	मणिपुर	211 निर्माणाधीन	49.8070	242 निर्माणाधीन	39.5600	165 नई और 242 निर्माणाधीन	42.5403	शून्य	0
4.	मेघालय	27 नई	1.1600	53 नई और 27 निर्माणाधीन	24.8009	23 नई और 71 निर्माणाधीन	22.5018	32 निर्माणाधीन	24.3000
5.	मिजोरम	62 नई और 47 निर्माणाधीन	34.3430	73 नई और 62 निर्माणाधीन	50.7176	73 निर्माणाधीन	36.4500	41 नई और 73 निर्माणाधीन	39.1968
6.	नागालैंड	71 नई और 173 निर्माणाधीन	40.5100	166 नई और 72 निर्माणाधीन	48.5979	236 निर्माणाधीन	57.2860	शून्य	0
7.	सिक्किम	63 नई	3.2400	शून्य	0.0000	63 निर्माणाधीन	2.6049	225 नई	14.075
8.	त्रिपुरा	87 नई और 80 निर्माणाधीन	8.1000	167 निर्माणाधीन	20.5065	37 नई और 167 निर्माणाधीन	31.3488	शून्य	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	हिमाचल प्रदेश	116 नई और 95 निर्माणाधीन	43.5100	116 निर्माणाधीन	37.5078	116 निर्माणाधीन	37.8195	शून्य	0
10.	जम्मू और कश्मीर	244 नई और 62 निर्माणाधीन	105.1851	131 नई और 244 निर्माणाधीन	297.7547	1 नई और 272 निर्माणाधीन	158.0534	शून्य	0
11.	उड़ीसा (केबीके)	20 नई और 21 निर्माणाधीन	14.8700	40 नई और 20 निर्माणाधीन	24.1697	60 निर्माणाधीन	40.5000	शून्य	0
12.	उत्तराखंड	976 नई	265.6500	30 नई और 976 निर्माणाधीन	371.6580	20 नई और 898 निर्माणाधीन	127.0063	464 नई और 59 निर्माणाधीन	135.7600
13.	आंध्र प्रदेश	शून्य	0.0000	29 नई और 59 निर्माणाधीन	231.6600	शून्य	0	शून्य	0
14.	छत्तीसगढ़	77 नई और 39 निर्माणाधीन	59.5700	59 नई और 70 निर्माणाधीन	151.0212	22 नई	16.0383	शून्य	0
15.	मध्य प्रदेश	146 नई और 17 निर्माणाधीन	128.3250	69 नई	51.7594	शून्य	173.3724	शून्य	0
16.	महाराष्ट्र	38 नई और 96 निर्माणाधीन	86.4900	6 नई और 132 निर्माणाधीन	210.9920	शून्य	0.0000	46 नई	256.1439
17.	बिहार	4 नई	3.5500	56 नई	34.8489	शून्य	0.0000	56 निर्माणाधीन	18.4215
18.	पश्चिम बंगाल	32 नई	8.1200	0	0	शून्य	0.0000	34 नई	8.1000
19.	राजस्थान	शून्य	0	0	0	7 नई	14.1700	शून्य	0
20.	कर्नाटक	शून्य	0	0	0	98 नई	48.5066	शून्य	0
21.	झारखंड	शून्य	0	0	0	शून्य	0	117 नई	78.57
	कुल		961.7581		1952.2170		1416.9477		621.7217

[अनुवाद]

राष्ट्रीय हरित अधिकरण

274. श्री के. सुगुमार :
श्री लालचन्द कटारिया :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय हरित अधिकरण विधेयक, 2009 के पारित किए जाने पर सरकार का विचार देश के विभिन्न हिस्सों में इन अधिकरणों को स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन अधिकरणों की स्थापना हेतु किन-किन स्थानों की पहचान की गई है;

(ग) इन अधिकरणों के क्या उद्देश्य और शक्तियां हैं;

(घ) क्या इस बात की आशंका है कि इससे वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का समापन हो जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने दिनांक 18 अक्तूबर, 2010 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 2559 (इ) के तहत 18 अक्तूबर, 2010 को दिल्ली में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की है। बैठकों के उन अन्य चार सामान्य स्थानों के लिए भी अधिकरण की स्थापना की जायेगी जिनका निर्धारण बैठक के ऐसे प्रत्येक स्थान के अंतर्गत आने वाले प्रादेशिक क्षेत्राधिकार सहित सरकार द्वारा किया जाएगा।

(ग) राष्ट्रीय हरित अधिकरण का उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा और पर्यावरण से संबंधित किसी कानूनी अधिकार को लागू करने सहित वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के मामलों के संरक्षण से संबंधित तथा व्यक्तियों और संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति और राहत देने या उनसे जुड़े अथवा उसके आनुसंगिक मामलों का प्रभावी और शीघ्र निस्तारण करना है। अधिकरण के अधिकार क्षेत्र के तहत सभी सिविल मामले जिनमें पर्यावरण से संबंधित किसी कानूनी अधिकार को लागू करने सहित पर्यावरण से संबंधित संपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। अधिकरण को प्रारंभिक और अपीलीय दोनों न्यायाधिकार होंगे। इस अधिकार को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जोकि सिविल प्रक्रिया कोड, 1908 के अंतर्गत सिविल न्यायालय में निहित हैं। तथापि, यह उपर्युक्त कोड में दी गई प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा अपितु वास्तविक न्याय के सिद्धांत से मार्ग निर्देशित होगा।

(घ) राष्ट्रीय हरित अधिकरण, 2010 किसी भी रूप में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों को हल्का नहीं करेगा क्योंकि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अंतर्गत किए गए आदेशों या निर्णयों के विरुद्ध की गई अपीलें राष्ट्रीय हरित अधिकरण में स्वीकार्य होंगी।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षकों की कमी

275. श्री गजानन ध. बाबर :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री जगदम्बिका पाल:
श्री रुद्रमाधव राय :
श्री अब्दुल रहमान :
श्री सी. शिवासामी :
कुमारी सरोज पाण्डेय :
श्री आनंदराव अडसुल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों और तकनीकी संस्थानों विशेषकर नवस्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में संकायों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक नवस्थापित भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों में सरकार द्वारा शिक्षकों के कितने पदों को अब तक स्वीकृत किया गया है और भरा गया है;

(घ) क्या भारतीय प्रौद्योगिक संस्थानों का इरादा स्थायी संकाय सदस्यों के रूप में विदेशी नागरिकों को लेने का है और उनके लिए अनुमति मांगी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है;

(छ) क्या सरकार ने ऐसे संस्थानों में रिक्त पदों को भरने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) नए स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों सहित केन्द्र द्वारा वित्तपोषित अधिकांश तकनीकी संस्थाओं में स्वीकृत संख्या और कार्यरत अध्यापकों के बीच अंतर है। वैश्वीकरण के आकर्षक वेतन-पैकेजों सहित अत्यधिक अच्छे रोजगार अवसरों के कारण कम संख्या में बी.टेक. छात्र उच्च अध्ययन अर्थात एम.टेक./पीएच.डी./शोध कार्य का विकल्प चुन रहे हैं। आईआईटी अपने गुणवान संकाय सदस्यों को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए समुचित नीतियां लागू कर रहे हैं जिसमें अच्छे आवासीय स्थान, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं, आरंभिक शोध अनुदान और परामर्श प्रभारों के बंटवारे की समुचित योजनाएं प्रदान करना शामिल है। अधिक पात्र व्यक्तियों द्वारा संकाय पदों को भरने के उद्देश्य से आईआईटी ने पीएच.डी. कार्यक्रमों में अपनी प्रवेश क्षमता में भी वृद्धि की है।

(ग) प्रत्येक नए आईआईटी को पहले तीन वर्ष के प्रत्येक वर्ष के लिए 30 संकाय पद संस्वीकृत किए गए हैं। 8 नए आईआईटी की संकाय स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

आईआईटी हैदराबाद	आईआईटी पटना	आईआईटी जोधपुर	आईआईटी भुवनेश्वर	आईआईटी गांधीनगर	आईआईटी रोपड़	आईआईटी मंडी	आईआईटी इंदौर
57	45	21	46	43	40	29	36

(घ) से (च) आईआईटी विभिन्न संकाय पदों के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों और प्रवासी भारतीय नागरिकों की भर्ती कर रहे हैं। विज्ञापन की प्रतियां वृहत प्रचार के लिए विदेश अर्थात यूएसए, यूके, कनाडा, इटली, आस्ट्रिया, जापान इत्यादि में स्थित भारतीय दूतावासों/उच्चायोगों को भी भेजी जाती हैं जिसके लिए विडियो-कांफ्रेंसिंग/टेली-कांफ्रेंसिंग के जरिए साक्षात्कार हेतु प्रबंध किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जब भी अन्य कार्यों के लिए निदेशक, उप निदेशक, डीन और वरिष्ठ संकाय सदस्य विदेश का दौरा करते हैं, वे उत्कृष्ट संभाव्य आवेदकों को आईआईटी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

(छ) और (ज) संकाय की भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और संस्थानों द्वारा रिक्त पद भरने के सभी प्रयास किए जाते हैं। आईआईटी अपने गुणवान संकाय सदस्यों को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए समुचित नीतियां लागू कर रहे हैं जिनमें अच्छे आवासीय स्थान, अच्छी चिकित्सा सुविधाएं, आरंभिक शोध अनुदान, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदारी हेतु वित्तीय सहायता, परामर्शी प्रभारों के हिस्से की समुचित योजनाएं इत्यादि शामिल हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्यालयों में उपस्थिति में कमी

276. श्रीमती मीना सिंह :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति में तेजी से कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में देश में शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) देश में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों और छात्रों की बेहतर उपस्थिति को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ङ) वर्ष 2006-07 में 20 मुख्य राज्यों में "अध्यापक उपस्थिति" पर आयोजित स्वतंत्र अध्ययन के अनुसार अध्यापकों की औसत उपस्थिति दर प्राथमिक स्तर पर 81.7 प्रतिशत तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 80.5 प्रतिशत थी। विभिन्न मंचों पर राज्यों के साथ अध्ययन के निष्कर्षों पर चर्चा की गई है। जिसमें उनसे अध्यापक उपस्थिति एवं विश्वसनीयता में सुधार हेतु एक तंत्र बनाने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ स्कूलों का गहन निरीक्षण करना तथा अध्यापकों को गैर-अध्यापन कार्य में लगाने से अधिकारियों को हतोत्साहित करना शामिल है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 जिसे 1 अप्रैल, 2010 से लागू किया गया है, में दशवार्षिक जनगणना, आपदा राहत कार्य या स्थानीय प्राधिकरण या राज्य विधान सभा या संसद के चुनाव संबंधी ड्यूटी को छोड़कर गैर-शैक्षिक प्रयोजनों हेतु अध्यापकों की ड्यूटी लगाने का निषेध किया गया है। आशा है कि इससे कक्षा में अध्यापकों की उपस्थिति में सुधार होगा तथा जिससे छात्रों की उपस्थिति में भी सुधार होगा।

कोयले की ढुलाई के संबंध में शिकायत

277. **श्री महाबल मिश्रा :**
श्रीमती दीपा दासमुंशी :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में कोयले की ढुलाई में अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन मामलों की जांच हेतु सीबीआई जांच कराई है/इन मामलों की जांच के लिए सीबीआई के पास भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जांच की मौजूदा स्थिति क्या है और सरकार द्वारा दोषियों को दंडित करने हेतु शीघ्र जांच करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार को कोयला परिवहन में अनियमितताओं से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं। शिकायतों को संबंधित कोयला कंपनी को उपयुक्त कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया जाता है।

कोल इंडिया लि. (सीआईएल) ने सूचित किया है कि इस अवधि के दौरान निम्नलिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं:-

1.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	—	2009-10 में 1
2.	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि.	—	2007 में 10, 2008 में 9, 2009 में 1 और 2010 में 3
3.	भारत कोकिंग कोल लि.	—	2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 में प्रत्येक में एक-एक
4.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	—	2007-08 के दौरान — 07
5.	महानदी कोलफील्ड्स लि.	—	2007-08 — 01, 2008-09 — 02
6.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	—	2009-10 में 02
7.	नार्दर्न कोलफील्ड्स लि.	—	2010-11 में 01

सामान्यतः ये शिकायतें वास्तविक परिवहन की तुलना में बिलों में अधिक मात्रा का दावा, कोयले का अधिक लदान, ठेका अवार्ड करने में अनियमितताएं, परिवहन की उच्च दरों पर ठेके अवार्ड करना भूतपूर्व सैनिकों की स्वामित्व वाली कंपनियों में न्यूनतम 75% भूतपूर्व सैनिकों को नियोजित न किए जाने से संबंधित होती हैं।

(ग) और (घ) मंत्रालय को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (एसईसीएल) में तैनात ईएसएम कंपनियां में अनियमितताओं से संबंधित कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। रक्षा मंत्रालय को एसईसीएल में, वित्त पोषण के स्रोत और लेखा परीक्षा रिपोर्ट ईएसएम कंपनियों को आवंटित किए जा रहे कार्य के अंतिम लाभग्राही से संबंधित सभी संगत अभिलेखों तथा दस्तावेजों की जांच करने के लिए अनुरोध किया गया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं अन्य कंपनियों द्वारा ईएसएम कंपनियों का फ्रंट कंपनी के रूप में निजी उपयोग तो नहीं किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने सूचित किया है कि सभी प्रचालनरत

ईएसएम कंपनियों के विरुद्ध सीबीआई की प्रारंभिक जांच बंद हो गयी है क्योंकि जांच से पता चला है कि रिकार्ड के अनुसार ईएसएम कंपनियां वास्तव में निदेशकों के स्वामित्व में हैं और यह साबित करने का कोई साक्ष्य नहीं मिला कि अन्य कंपनियों का उपयोग निहित स्वार्थ से फ्रन्ट कंपनियों के रूप में किया जा रहा है।

कोयले का उत्पादन

278. **श्री सुदर्शन भगत :**
श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री रामसिंह राठवा :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कोल इंडिया लिमिटेड की प्रत्येक अनुषंगी कंपनी द्वारा कोयले का कितना उत्पादन, आयात और निर्यात किया गया है; और

(ख) सरकार द्वारा भूमिगत और खुले मुहाने वाली खानों से कोयले के निष्कान हेतु नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जहां तक सीआईएल की सहायक कंपनियों द्वारा कोयले के आयात का संबंध है, किसी भी सहायक कंपनी ने कभी कोयले का आयात नहीं किया है। कोयले का आयात और निर्यात का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है:-

(आंकड़े मिलियन टन)

सहायक कंपनी	उत्पादन			निर्यात		
	2007-08	2008-09	2009-10	2007-08	2008-09	2009-10
ईसीएल	24.06	28.13	30.06	0.01	0.02	0.01
बीसीसीएल	25.22	25.51	27.51	0.00	0.00	0.00
सीसीएल	44.15	43.24	47.08	0.00	0.00	0.00
एनसीएल	59.62	63.65	67.67	0.00	0.00	0.00
डब्ल्यूसीएल	43.51	44.70	45.74	0.00	0.00	0.00
एसईसीएल	93.79	101.15	108.01	0.00	0.00	0.00
एमसीएल	88.01	96.34	104.08	0.00	0.00	0.00
एनईसी	1.10	1.01	1.11	0.00	0.00	0.00
सीआईएल	379.46	403.73	431.26	0.01	0.02	0.01

(ख) भूमिगत और ओपनकास्ट खानों से कोयले के निष्कर्षण के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए सीआईएल द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है:-

भूमिगत खानें:-

- व्यापक उत्पादन और उपयुक्त स्थलों पर लांगवाल प्रौद्योगिकी लागू की जा रही है।

- जहां भू-खनन परिस्थितियां अनुमेय होती हैं, उन खानों में हाई वाल टेक्नोलॉजी की भी योजना भी बनायी गयी है।
- जहां भी व्यवहार्य होता है, मैनअुल लोडिंग के स्थान पर एसडीएल/एलएचडी को तैनात किया जा रहा है तथा परिवहन प्रणाली का पुनर्गठन किया जा रहा है।
- अतिरिक्त शाफ्ट और इन्कलाइन/ड्रिफ्ट को लगाकर निकासी क्षमता में वृद्धि की जा रही है।
- अतिरिक्त कोयला चुनने वाले उपकरण लगाए जा रहे हैं।
- जोखिम – लाभ शेयरिंग आधार पर निजी सार्वजनिक भागीदारी के साथ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके विकास करने के लिए सात उच्च क्षमता वाली ग्रीनफील्ड भूमिगत खानों की पहचान की गयी है।
- विख्यात खनन कंपनियों के साथ जेवी गठित करके उपयुक्त प्रौद्योगिकी के साथ ईसीएल, बीसीसीएल तथा सीसीएल नामक इसकी तीन सहायक कंपनियों से संबंधित कुछ परित्यक्त खानों में खनन पुनः आरम्भ करना।

ओपनकास्ट खानें

- बेंच की ऊंचाई और स्ट्रिपिंग अनुपात के समतुल्य उच्च क्षमता वाले उपकरणों को लगाया जा रहा है। डम्परों के लिए 35/50 टी से 60 टी, 85 टी से 100 टी, और 120 टी एवं 150 टी से 190 टी और 240 टी तक उन्नयन किया जा रहा है। अन्य हैम के स्तरीकरण के लिए समान कार्रवाई की गयी है।
- पुराने और सर्वेड ऑफ उपकरण के स्थान पर उच्च आकार के उपकरण लगाए जा रहे हैं।
- स्वचालन और आईटी के उपयोग पर जोर दिया जाता है। 11 मौजूदा खानों को प्रचालक स्वतंत्र ट्रक प्रेषण प्रणाली (ओआईटीडीएस) से युक्त किया जाना है।
- रिकवरी में वृद्धि करने के लिए आउटसोर्सिंग पद्धति के माध्यम से सीआईएल की लगभग सभी सहायक कंपनियों में कई छोटे और ओसी पैंच प्रचालित किए जा रहे हैं।
- मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) के साथ रखरखाव और मरम्मत ठेका (एमएआरसी) आरम्भ किया जा रहा है।

भूमिगत और ओपनकास्ट खानों से कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, एससीसीएल प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित क्षमता वृद्धि की प्लानिंग तथा प्रतिपादन करती रही है:–

- दो उच्च क्षमता वाली (2.0 एमटीपीए से अधिक) लांगवाल परियोजनाएं निम्नलिखित हैं।
- स्टैंडिंग पिल्लरों तथा वर्जिन कोयला सीमों का परिसमापन करने के लिए दो सतत खनिक कार्य कर रहे हैं। उत्पादन सम्भावना में वृद्धि करने के लिए एससीसीएल की अपनी भूमिगत खानों में पर्याप्त सतत खनिजों को लागू किए जाने की योजना है।
- इन परियोजनाओं की सफलता के आधार पर एससीसीएल की इन्हें भावी परियोजनाओं प्रतिवलित किए जाने की योजना है।
- उत्पादन की सम्भावना तथा ओवरवर्डेन रिमूवल में वृद्धि करने के लिए एससीसीएल की ओपनकास्ट खानों में 100 टन की क्षमता वाले डम्पर तथा 12 घन मी. शावेल लगाए गए हैं।

विद्यालयों का खोला जाना

279. **श्री राम सुन्दर दास :**
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :
श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के सुचारु क्रियान्वयन हेतु आवश्यक प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या प्राथमिक विद्यालयों की मौजूदा संख्या देश में आवश्यक संख्या से कम है;

(ग) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार कमी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा इन विद्यालयों की कमी को पूरा करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) देश में ऐसे प्राथमिक विद्यालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिनके पास अपने भवन नहीं हैं; और

(च) सरकार द्वारा ऐसे विद्यालयों हेतु भवनों के निर्माण के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ग) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए आवश्यक है कि निकटवर्ती क्षेत्र अथवा सीमाओं में, यदि पहले से स्कूल स्थापित नहीं हैं, वहां तीन वर्ष की अवधि के भीतर स्कूल की स्थापना करें। राज्य सरकारों द्वारा स्पष्ट किए गए पड़ोस संबंधी मानकों के अनुसार पहले ही सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूलों की संस्वीकृति के मानकों में संशोधन कर दिया गया है।

6-14 वर्ष की आयु वर्ग में बच्चों की अनुमानित संख्या को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर के अनुमानों का सुझाव है कि राज्यों के लिए नए और वर्तमान स्कूलों हेतु 14.23 लाख अतिरिक्त शिक्षण कक्ष आवश्यक होंगे।

(घ) राज्य सरकारों द्वारा उनके शिक्षा का अधिकार नियमों में स्पष्ट किए गए निकटवर्ती स्कूलों के प्रावधान के लिए पहले ही विभाग ने सर्व शिक्षा अभियान मानकों में संशोधन कर दिया गया है। सरकार ने वर्ष 2010-11 से 2014-15 की पांच वर्ष की अवधि के लिए शिक्षा का अधिकार सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के प्रावधान के कार्यान्वियन हेतु 2.31 लाख रुपए की निधियों की कुल आवश्यकता का भी अनुमान लगाया है। इसके अलावा केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय और राज्य सरकारों के मध्य निधियों के बंटवारे की पद्धति के पूर्ववर्ती स्लाइडिंग स्केल को संशोधित कर 65:35 के शेयरिंग अनुपात में कर दिया है।

(ङ) और (च) देश में 44,468 प्राथमिक स्कूल ऐसे हैं जिनके अपने मानक नहीं हैं। राज्य-वार आंकड़े विवरण के रूप में संलग्न हैं। इनमें से 19717 स्कूल भवन निर्माणाधीन हैं। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए कुल परियोजना परिव्यय की 33 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के भीतर वर्ष-दर-वर्ष आधार पर स्कूलों के निर्माण की संस्वीकृति दी जाती है।

विवरण

बिना अपने स्कूल भवन वाले प्राथमिक स्कूलों की संख्या (डीआईएसई 2009-10)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बिना अपने भवन वाले स्कूल
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3
आन्ध्र प्रदेश	1978
अरुणाचल प्रदेश	51
असम	1134
बिहार	10388
चंडीगढ़	1
छत्तीसगढ़	2716
दादरा और नगर हवेली	30
दमन और दीव	2
दिल्ली	33
गोवा	90
गुजरात	2166
हरियाणा	159
हिमाचल प्रदेश	23
जम्मू और कश्मीर	5042
झारखंड	6287
कर्नाटक	661

1	2
केरल	247
लक्षद्वीप	1
मध्य प्रदेश	1865
महाराष्ट्र	4407
मणिपुर	42
मेघालय	63
मिजोरम	20
नागालैंड	4
उड़ीसा	1128
पुदुचेरी	13
पंजाब	114
राजस्थान	2346
सिक्किम	14
तमिलनाडु	128
त्रिपुरा	3
उत्तर प्रदेश	2134
उत्तराखंड	210
पश्चिम बंगाल	965
कुल	44468

बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन

280. **डॉ. संजय सिंह :**
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री विश्व मोहन कुमार :
श्री प्रताप सिंह बाजवा :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :
श्री शत्रुघ्न सिन्हा :
श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाढ़ नियंत्रण और प्रबंधन में केन्द्र सरकार द्वारा क्या पहल की गई है और क्या-क्या जिम्मेदारी उठाई गई है;

(ख) क्या चालू मानसून के दौरान विभिन्न राज्यों में बांध, नहर और तटबंध टूटने की खबर सामने आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी मरम्मत और रख-रखाव हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा निचले क्षेत्रों में बाढ़ के पानी को रोकने तथा नदी बेसिन में जान-माल के नुकसान को कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण बाढ़ प्रबंधन स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण तथा निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा उनकी स्वयं की प्राथमिकता के आधार पर किये जाते हैं। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को बाढ़ प्रबंधन कार्यों जोकि प्राकृतिक रूप से गंभीर होते हैं, को करने के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। XIवीं योजना के दौरान, राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए 2.11.2007 को केन्द्रीय सरकार द्वारा 8000 करोड़ रु. की अनुमोदित लागत की राज्य क्षेत्र के अंतर्गत "बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम" नामक एक स्कीम को अनुमोदित किया गया है। एफएमपी के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने बाढ़ सहित प्राकृतिक विपदाओं के प्रबंधन हेतु विपदा प्रबंधन अधिनियम, 2008 के अंतर्गत राष्ट्रीय विपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की स्थापना की है। जनवरी, 2008 में एनडीएमए द्वारा 'बाढ़ों के प्रबंधन' पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए जिसमें कार्यान्वियन अनुसूची तथा मानीटरिंग प्रणाली सहित विपदा प्रबंधन चक्र के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर बाढ़ प्रबंधन योजना की तैयारी उपलब्ध करवाता है।

(ख) और (ग) बिहार राज्य सरकार ने सितम्बर, 2010 में बिहार के गोपालगंज जिले में गण्डक नदी पर सरन तटबंध में दरार की रिपोर्ट दी है। हरियाणा में पानीपत के पास यमुना तटबंध तथा पंजाब में घग्गर तटबंध में भी वर्तमान बाढ़ के परिणामस्वरूप द्वारा दरार की भी रिपोर्ट की गई है। बिहार सरकार द्वारा एकत्र की गई सूचना के अनुसार सरन तटबंध के दरार वाले भाग का पुनरुद्धार प्रगति पर है। जल संसाधन मंत्रालय से राज्य सरकार द्वारा इस कार्य हेतु किसी वित्त का अनुरोध नहीं किया गया है। यमुना तथा घग्गर तटबंधों में दरारों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों द्वारा बंद किया गया है।

(घ) भारत सरकार ने गंगा बेसिन राज्यों में बाढ़ नियंत्रण उपायों हेतु व्यापक मास्टर योजनाओं की तैयारी के लिए 1972 में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) की स्थापना की गई। जीएफसीसी द्वारा गंगा बेसिन को बनाने वाले सभी 23 नदी प्रणाली हेतु विस्तृत व्यापक मास्टर योजना तैयार की गई तथा कार्यान्वियन के लिए संबंधित राज्य सरकारों को परिचालित की गई। इसी प्रकार, ब्रह्मपुत्र तथा बराक घाटी में बाढ़ नियंत्रण हेतु व्यापक मास्टर योजनाओं की तैयारी के लिए 1960 में ब्रह्मपुत्र बोर्ड की स्थापना की गई। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने क्षेत्र के 52 मुख्य वितरिकाओं के साथ ब्रह्मपुत्र तथा बराक नदियों के लिए मास्टर योजना तैयार की तथा इसे शीघ्र कार्यान्वियन हेतु संबंधित राज्यों को भेजी।

विवरण

XIवीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माणाधीन स्कीम और जारी की गई निधियों की राज्यवार स्थिति

(करोड़ रुपये)

क्र. सं.	राज्य	एफएमपी के अंतर्गत शामिल की गई स्कीमें			XIवीं योजना के दौरान जारी की गई राशि (31.10.2010 तक)				
		संख्या	कुल लागत	केन्द्रीय	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अरुणाचल प्रदेश	11	67.80	61.02	—	16.39	12.93	—	29.33
2.	असम	85	817.79	736.01	—	219.87	100.86	21.60	342.33
3.	बिहार	41	1226.51	919.88	46.81	117.08	210.94	70.21	445.04
4.	गोवा	2	22.73	17.05	—	1.82	2.41	—	4.22
5.	गुजरात	1	7.94	5.96	—	—	—	—	0.00
6.	हरियाणा	1	173.75	130.31	—	—	46.91	—	46.91
7.	हिमाचल प्रदेश	2	218.94	197.04	—	—	43.20	33.75	76.95
8.	जम्मू और कश्मीर	20	308.79	277.91	6.75	30.02	41.18	—	77.95
9.	झारखंड	1	20.12	15.09	—	6.00	4.53	—	10.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	केरल	2	143.61	107.71	—	—	—	22.43	22.43
11.	मणिपुर	22	109.34	98.41	—	17.16	7.16	—	24.32
12.	मिजोरम	2	9.13	8.22	—	—	—	2.06	2.06
13.	नागालैंड	5	13.90	12.51	—	6.95	2.73	—	9.68
14.	उड़ीसा	70	204.02	153.02	—	45.90	25.87	—	71.77
15.	पुदुचेरी	1	139.67	104.75	—	—	—	—	0.00
16.	पंजाब	4	142.38	106.78	—	21.51	13.08	—	34.59
17.	सिक्किम	24	86.21	77.59	—	15.76	29.96	—	45.72
18.	तमिलनाडु	5	635.54	476.66	—	—	1.11	—	1.11
19.	त्रिपुरा	11	26.57	23.92	—	5.00	2.98	—	7.98
20.	उत्तर प्रदेश	21	557.19	417.89	5.25		128.94	—	134.19
21.	उत्तराखंड	5	42.92	36.83	3.47	8.22	4.70	—	16.39
22.	पश्चिम बंगाल	17	1822.08	1366.57	1.00	10.08	221.40	16.50	248.98
	कुल	353	6796.93	5351.13	63.28	521.76	900.86	166.54	1652.45
	Xवीं योजना के आगे लाए गए कार्य			85.15	44.54	39.31	1.30	—	85.15
			कुल जोड़	5436.28	107.82	561.07	902.16	166.54	1737.60

[अनुवाद]

एपीएल परिवारों का निष्कासन

281. श्रीमती सुप्रिया सुले :
डॉ. संजीव गणेश नाईक :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीबों की संख्या का पता लगाने का निर्णय किया है तथा इस संबंध में अधिकार प्राप्त मंत्री दल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से एपीएल परिवारों के निष्कासन का समर्थन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित अधिनियम की जांच कर रहे वित्त मंत्री की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त मंत्री दल ने योजना आयोग द्वारा आकलित गरीबी रेखा से नीचे रह रही आबादी की गरीबी रेखा का पालन करने वाले राज्यों का समर्थन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या प्रस्तावित अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में एपीएल को शामिल नहीं करने का भी अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (च) गरीबों की संख्या की पहचान एक सतत प्रक्रिया है जिसे देश में गरीबी का अनुमान लगाने हेतु सरकार की नोडल एजेंसी योजना आयोग द्वारा आकलित गरीबी अनुमानों को ध्यान में रखते हुए राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से पूरा किया जाता है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन और प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल से संबंधित मामलों के लिए नोडल एजेंसी है। वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाले अधिकार प्राप्त मंत्री दल (इजीओएम) ने दिनांक 05.04.2010 को हुई अपनी बैठक में एपीएल परिवारों को प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा बिल से अलग करने का कोई भी संकेत नहीं दिया है। प्रस्तावित विधान को अंतिम रूप दिए जाने पर लक्षित आबादी हेतु खाद्यान्न के मूल्य एवं हकदारी की मात्रा से संबंधित मुद्दों का समाधान हो जाने की आशा है। इस संबंध में सरकार द्वारा कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अनिवासी भारतीयों के लिए कल्याण निधि

282. **श्री एम.बी. राजेश :** क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास अनिवासी भारतीय के लिए कल्याणकारी कोष गठित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने अपने राज्य में अनिवासी भारतीयों हेतु कल्याणकारी निधि गठित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी भारतीय नागरिकों (अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों), जो कठिनाई में हैं, को मौके पर कल्याण सुविधाएं प्रदान करने के लिए 42 देशों में भारतीय मिशनों में "भारतीय समुदाय कल्याण कोष" की स्थापना की है। भारतीय समुदाय कल्याण कोष के द्वारा प्रदान की जा रही कल्याण सुविधाओं में घरेलू/कामकाजी कामगारों और अकुशल श्रमिकों, जो कठिनाई में हैं, के लिए रहने और खाने की व्यवस्था, जरूरतमंद प्रवासी भारतीयों को आपात चिकित्सा सुविधा, बेदखल प्रवासी भारतीयों, जो कठिनाई में हैं, को हवाई भाड़े की सुविधा, उचित मामलों में प्रवासी भारतीयों को प्रारम्भिक कानूनी सहायता और आकस्मिक घटनाओं पर खर्च तथा ऐसे मामलों में जहां प्रायोजक संविदा के अनुसार सहायता करने में असमर्थ अथवा इच्छुक न हो और परिवार उस लागत को पूरा करने में असमर्थ हो, मृतक प्रवासी भारतीयों को स्थानीय शमशान/कब्रिस्तान तक ले जाने अथवा पार्थिव शरीर को भारत भेजने के खर्च को वहन करना शामिल है। भारतीय समुदाय कल्याण कोष का वित्त पोषण कोन्सूलर सेवाओं पर भारतीय मिशनों द्वारा लिए जाने वाले सेवा प्रभारों, भारतीय समुदाय से स्वैच्छिक अंशदानों और प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से बजटीय सहायता द्वारा किया जाता है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है।

पास्को को स्वीकृति

283. **श्री तथागत सत्पथी :**
श्री रामकिशुन :
श्री गुरुदास दासगुप्त :
श्री कौशलेन्द्र कुमार :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में पास्को परियोजना को हरी झंडी दे दी है जबकि इसने पर्यावरणीय मानदंडों का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने पास्को द्वारा कथित उल्लंघन की जांच करने हेतु एक समिति गठित की थी;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात पास्को-इंडिया प्रा.लि. द्वारा उड़ीसा के जगतसिंहपुर जिले में एक एकीकृत स्टील संयत्र और कैप्टिव पोर्ट की स्थापना के लिए निम्नलिखित अनुमोदन/मंजूरियां दे दी हैं:

(i) पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों की शर्त के अधीन 19.07.2010 को 400 मेगावाट कैप्टिव पॉवर परियोजना सहित 4.0 एटीपीए के एकीकृत इस्पात संयत्र को पर्यावरणीय मंजूरी।

(ii) 15.05.2007 को लघु कैप्टिव पोर्ट के लिए तटीय विनियमन जोन मंजूरी।

(iii) निर्धारित शर्तों के अधीन 1253.225 हेक्टेयर वनभूमि के वनेतर उपयोग के लिए 19.09.2008 को चरण-I की वन मंजूरी।

(iv) 1253.225 हेक्टेयर वनभूमि के वनेतर उपयोग के लिए 29.12.2009 को चरण-II की वन मंजूरी, कुछ निश्चित शर्तों जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल है कि परियोजना के कार्यान्वयन से पहले अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार जन जातीय लोगों को अधिकार दिए जाएंगे। 08.01.2010 को उड़ीसा राज्य सरकार को आगे यह सूचित किया गया था कि चरण-II की जारी की गई वन मंजूरी में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2008 के अंतर्गत अधिकार देने की शर्त लगाई गई थी। राज्य सरकार को विशेष रूप से यह निर्देश दिया गया था कि उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत अधिकार देने से पहले उपभोक्ता एजेंसी को वनभूमि नहीं सौंपी जानी चाहिए।

(ग) से (ङ) अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना (आर एंड आर) उपबंधों के अधिक्रमण की शिकायतें प्राप्त होने पर केन्द्र सरकार ने 28.07.2010 को सुश्री मीना गुप्ता, डॉ. देवेन्द्र पांडेय, डॉ. उर्मिला पिंगली और डॉ. बी. सुरेश को शामिल करते हुए चार सदस्यीय एक समिति गठित की थी। उपर्युक्त समिति के 27.08.2010 को यथा संशोधित विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:

(i) उपर्युक्त वन भूमि में और उसके चारों ओर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 को कार्यान्वयन की जांच पड़ताल और उसे सुनिश्चित करना;

(ii) उपर्युक्त परियोजना के बारे में पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना उपबंधों के कार्यान्वयन की स्थिति की जांच पड़ताल और उसे सुनिश्चित करना;

(iii) पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा अन्य केन्द्रीय राज्य और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा दी गई पर्यावरणीय (ईआईए), तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड) और अन्य मंजूरियों/अनुमोदनों के अनुपालन की समीक्षा;

(iv) विभिन्न अध्यादेशों, नियमों, अधिसूचनाओं आदि के अंतर्गत सांविधिक उपबंधों, अनुमोदनों, मंजूरियों और अनुमतियों के अनुपालन की समीक्षा;

(v) उपर्युक्त मद (iii) और (vi) में लगाई गई समरूप शर्तों के अनुपालन की समीक्षा;

(vi) उपर्युक्त उद्देश्यों को प्रोत्साहित करने वाला कोई अन्य मामला।

समिति ने अपनी रिपोर्ट 18.10.2010 को प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट वन सलाहकार समिति, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (उपयोग) और विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (तटीय विनियमन जोन और अवसंरचना) को भेज दी गई है।

सामाजिक क्षेत्र की सेवाओं हेतु आवंटन

284. **श्री सी. राजेन्द्रन : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में सामाजिक क्षेत्र की स्कीमों और सेवाओं हेतु स्कीम-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या सामाजिक सेवाओं/स्कीमों पर व्यय धीमी गति से हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) चालू पंचवर्षीय योजना हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सामाजिक क्षेत्रों हेतु व्यय में तेजी लाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (ग) विभिन्न सामाजिक क्षेत्रक स्कीमों के अंतर्गत निधियों का आवंटन ग्यारहवीं योजना के तीव्र एवं समावेशी विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ग्रामीण विकास सहित सामाजिक सेवाओं हेतु पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कुल आवंटित/खर्च की गई निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	बीई	एई/आरई	बीई के प्रतिशत के रूप में एई/आरई
2007-08	91,402	80,291	88
2008-09	1,09,002	1,27,841	117
2009-10	1,46,671	1,41,896 (आरई)	97 (अनुमानित व्यय)
2010-11	1,72,133	एन.ए	एन.ए

बीई = बजट अनुमान; आरई = संशोधित अनुमान;
एई = वास्तविक व्यय

टिप्पणी: सामाजिक क्षेत्रक में सामाजिक सेवाएं तथा ग्रामीण विकास शामिल है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, स्वच्छता, शहरी विकास, श्रम, समाज कल्याण व पोषाहार, एससी, एसटी एवं पिछड़ा वर्गों के कल्याण तथा ग्रामीण विकास को व्यापक रूप से कवर किया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप में वास्तविक व्यय/संशोधित अनुमान 88 प्रतिशत और 117 प्रतिशत के बीच रहा है। विभिन्न सामाजिक क्षेत्रक स्कीमों के अंतर्गत निधियों के आवंटन का स्कीमवार/मुख्य शीर्षवार ब्यौरे केन्द्रीय बजट दस्तावेज के व्यय बजट, खंड II में संबंधित वर्षों के लिए उपलब्ध हैं।

(घ) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत केन्द्रीय नोडल मंत्रालय/विभाग वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियों को मॉनीटर करते हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को निधियां जारी करने हेतु उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का अधिदेश दिया जाता है। इसके अलावा, जबकि केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के व्यय की प्रवृति व प्रणाली की वित्त मंत्रालय द्वारा नियमित अंतराल पर समीक्षा की जाती है, योजना आयोग सभी क्षेत्रकों की अर्ध वार्षिक समीक्षा करता है तथा निधियों की उपयोगिता में तेजी लाने हेतु सुधारात्मक उपायों का सुझाव देता है। इस प्रकार की मॉनीटरिंग प्रक्रिया वांछित परिणाम हासिल करने में संसाधनों की कुशल एवं प्रभावी उपयोगिता सुनिश्चित करती है।

[हिन्दी]

आतंकवाद से निपटने के लिए समझौता

285. डॉ. संजय जायसवाल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने लगातार आतंकी हमलों के मद्देनजर अमेरिका और अन्य देशों के साथ आतंकवाद के मामले को उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या परिणाम निकले और किन-किन देशों के साथ गत तीन वर्षों के दौरान इस मामले को उठाया है; और

(ग) किन-किन देशों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं या किए जाने की संभावना है तथा समझौते का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) से (ग) आतंकवाद और आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग से संबद्ध मामले को भारत सरकार द्वारा विभिन्न मैत्रीपूर्ण देशों की सरकारों के साथ सर्वोच्च सहित अन्य सभी स्तरों पर निरंतर उठाया जाता रहा है, इन देशों में अमरीका भी शामिल है। ऐसा द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय दोनों मंचों पर किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों (2007-2009) में 18 देशों/समूहों के साथ विदेश मंत्रालय द्वारा द्विपक्षीय बैठकों का समन्वय किया गया है।

द्विपक्षीय स्तर पर भारत सरकार आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्यकारी दलों (सीटी-जेडब्ल्यूजी) के जरिए आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग करती है। फिलहाल विदेश मंत्रालय 25 देशों और 2 क्षेत्रीय समूहों (सूची विवरण के रूप में संलग्न है) के साथ सीटी-जेडब्ल्यूजी का समन्वय कर रहा है। गृह मंत्रालय भी यही कार्य हमारे कुछ निकटस्थ पड़ोसी देशों के साथ कर रहा है।

ये बैठकें आतंकी खतरों और गुटों, खुफिया जानकारियों के आदान-प्रदान, प्रशिक्षण एवं क्षमता-निर्माण में सहयोग, आतंकवाद को धन-मुहैया कराने की समस्या का मुकाबला, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान, आतंकवाद का मुकाबला करने में बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने और एजेंसियों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाने में काफी सहायक साबित हुई हैं।

विवरण

आतंकवाद का मुकाबला करने संबंधी संयुक्त कार्यकारी दलों की सूची

क्र.सं.	देश का नाम	स्थापना वर्ष
1	2	3
1.	मिस्र	1995
2.	कनाडा	1997
3.	जर्मनी	1998
4.	ब्रिटेन	2000
5.	संयुक्त राज्य अमरीका	2000
6.	फ्रांस	2001
7.	यूरोपीय संघ*	2001
8.	चीन	2002
9.	इजराइल	2002
10.	कजाखस्तान	2002
11.	रुस	2002
12.	क्रोएशिया	2002
13.	उज्बेकिस्तान	2003
14.	थाइलैंड	2003
15.	तुर्की	2003
16.	सिंगापुर	2003
17.	आस्ट्रेलिया	2003
18.	तजाकिस्तान	2003
19.	बिमस्टेक*	2004
20.	मॉरीशस	2004
21.	इंडोनेशिया	2004
22.	म्यांमार	2004
23.	पोलैंड	2004
24.	जापान	2005
25.	कंबोडिया	2005
26.	पाकिस्तान	2006
27.	इटली	2007

*क्षेत्रीय समूह

[अनुवाद]

बीपीएल परिवारों का उत्थान

286. श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री यशवंत लागुरी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु और उड़ीसा में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे

लोगों की प्रतिशतता कितनी है और गरीबी रेखा से कितने लोगों को ऊपर उठाया गया है;

(ख) तमिलनाडु और उड़ीसा में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को ऊपर उठाने हेतु शुरू की गई विभिन्न स्कीमों का कितना प्रभाव पड़ा है;

(ग) राज्यों में इन स्कीमों के क्या परिणाम/निष्कर्ष निकले;

(घ) सरकार ने राज्यों में गरीब लोगों के जीवन-यापन स्तर को ऊपर उठाने में क्या उपाय किए हैं; और

(ङ) ऐसे राज्यों में जिलों की संख्या कितनी है जहां गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) योजना आयोग राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा लगभग 5 वर्षों के अंतराल पर कराए गए परिवार उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षण से कराता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को घर-घर जाकर सर्वेक्षण के माध्यम से बीपीएल जनगणना आयोजित कराने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है और बीपीएल सूचियों का रख-रखाव ग्राम पंचायत स्तर पर भी किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी), योजना आयोग द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2010 को स्वीकृत तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार, जनसंख्या के राष्ट्रीय औसत 37.2% की तुलना में उड़ीसा में वर्ष 2004-05 के दौरान प्रति व्यक्ति गरीबी अनुपात 57.2% था और तमिलनाडु में प्रति व्यक्ति गरीबी अनुपात 28.9% था।

(ख) और (ग) तमिलनाडु में पिछली बीपीएल जनगणना वर्ष 2002 में कराई गई थी और अगली बीपीएल जनगणना 2011 में की जानी प्रस्तावित है, जिसके बाद गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या में हुए परिवर्तन ज्ञात होंगे। उड़ीसा में ग्रामीण बीपीएल सर्वेक्षण 2002 को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, अभी बीपीएल सूची 1997 ही लागू है। उड़ीसा में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के समग्र प्रतिशत में गिरावट आई है, वर्ष 1992 में यह 78.68% था और वर्ष 1997 में 66.23% हो गया। चौदह जिलों में गिरावट 0.89 से 32.93 प्रतिशत के बीच है।

(घ) भारत सरकार गरीबी उपशमन के लिए विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित कर रही है, जैसे—महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए), स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी), एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस), मध्याह्न भोजन स्कीम (एमडीएम), जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)।

(ङ) उड़ीसा में वर्ष 1992 और वर्ष 1997 की ग्रामीण बीपीएल सूचियों के बीच की गई तुलना दर्शाती है कि उड़ीसा के 16 जिलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

विदेश जाने वाले भारतीय छात्र

287. **श्री जितेन्द्र सिंह मलिक :**
श्री एंटो एंटोनी :
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :
श्री एन. चेलुवरया स्वामी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी संख्या में भारतीय छात्र उच्चतर अध्ययनों के लिए विदेश जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आस्ट्रेलियाई और अमेरिकी विश्वविद्यालय जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या आस्ट्रेलियाई और अमेरिकी सरकार ने इस संबंध में भारत सरकार से संपर्क किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) इस समय भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे अन्य देशों के छात्रों की संख्या कितनी है; और

(ज) सरकार द्वारा विदेशों में अध्ययन कर रहे भारतीय छात्रों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ग) विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों से संबंधित विशिष्ट सूचना इस मंत्रालय में नहीं रखी जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों से संबंधित विशिष्ट सूचना इस मंत्रालय में नहीं रखी जाती है।

(ज) भारत सरकार ने छात्रों के कल्याण और सुरक्षा के विषय को आस्ट्रेलियाई सरकार के साथ उच्चतम स्तर पर उठाया है।

सीआईएल का आईपीओ

288. **श्री प्रबोध पांडा :**
श्री देवजी एम. पटेल :
श्री गुरुदास दासगुप्त :
श्री के.सी. वेणुगोपाल :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में अपनी इक्विटी का विनिवेश करने के लिए आईपीओ जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आईपीओ का कतिपय प्रतिशतता को अपने कर्मचारियों के लिए आरक्षित रखा गया था लेकिन उनके लिए पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) उपरोक्त आईपीओ पर निवेशकों की क्या प्रतिक्रिया है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने कोयला मंत्रालय के माध्यम से कोल इंडिया लि. (सीआईएल) में इक्विटी शेयरों की अपनी होल्डिंग का 10% विनिवेश किया है।

(ग) और (घ) जी, हां। सीआईएल शेयरों के विनिवेश किए गए 10% में से 1% (कुल 6,31,63,644 शेयर) शेयर सीआईएल के कर्मचारियों के लिए आरक्षित थे। कर्मचारियों ने उसके लिए सब्सक्राइब किया और उन्हें 60,76,550 शेयर आवंटित किए गए। व्यापक भागीदारी के लिए सभी कर्मचारियों में पर्याप्त जागरूकता पैदा करने के प्रयास किए गए हैं। तथापि, केवल उन कर्मचारियों को शेयर आवंटित किए गए हैं जिन्होंने वैध आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए हैं।

(ङ) कुल मिलाकर, सीआईएल का आईपीओ 15.14 गुणा अधिक सब्सक्राइब हुआ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में क्रियान्वित योजना

289. **श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में केन्द्र सरकार/मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की गई स्कीमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या स्कीम अपनी समयावधि से पीछे चल रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा स्कीमों के सुचारु संचालन और समय पर पूरा करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान संस्कृति मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश सहित समूचे भारत में कार्यान्वयन हेतु शुरू की गई स्कीमों का ब्यौरा विवरण के रूप में दिया गया है।

(ख) से (घ) संलग्न विवरण में दी गई स्कीमें काफी हद तक अनुसूची के अनुसार चल रही हैं। स्कीम के तहत सहायता, निर्धारित मानदंड के अनुसार दी जाती है।

विवरण

स्कीमों का ब्यौरा

1. सांस्कृतिक संगठनों को भवन व उपस्कर अनुदान हेतु वित्तीय सहायता।

2. विशिष्ट मंच कला परियोजनाओं के लिए व्यावसायिक समूहों तथा व्यक्तियों को वित्तीय सहायता। इस स्कीम के दो भाग हैं:–

   (क) इन क्षेत्रों में अनुमोदित परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए दिए जाने वाले निर्माण अनुदान

   (ख) मंच कला समूहों को उनके क्षेत्र में स्वयं को स्थापित करने के लिए उन्हें वेतन अनुदान सहायता

3. जनजातियों लोक कला व संस्कृति के संवर्धन व प्रसार हेतु वित्तीय सहायता।

4. मानवता की अर्मूत विरासत के उत्कृष्ट नमूनों की सुरक्षा व सहायता हेतु वित्तीय सहायता।

5. सांस्कृतिक कार्यकलापों में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुसंधान सहयोग हेतु वित्तीय सहायता।

6. हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण व विकास हेतु वित्तीय सहायता।

7. क्षेत्रीय व स्थानीय संग्रहालयों के संवर्धन व सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय सहायता।

8. बौद्ध/तिब्बती कला व संस्कृति के विकस हेतु वित्तीय सहायता।

9. राष्ट्रीय समारकों के विकास व रखरखाव हेतु स्वैच्छिक संगठनों/सोसायटियों को सहायता अनुदान।

10. महापुरुषों की शताब्दियां/वर्षगांठ मनाने हेतु वित्तीय सहायता।

11. विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को शिक्षावृत्ति की स्कीम।

12. संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्तियां देने की स्कीम।

13. लाभ न कमाने वाले संगठनों द्वारा सांस्कृतिक विषयों पर सेमिनारों, उत्सवों तथा प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम।

14. एनजीओ/व्यक्तियों को पाण्डुलिपियों तथा दुर्लभ पुस्तकों के परिरक्षण हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम।

15. इसके अलावा, 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र मध्य प्रदेश सहित देश में निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन करते हैं:–

   (i) **गुरु शिष्य परम्परा स्कीम :** इस स्कीम के तहत दुर्लभ लोक कलाओं, दुर्लभ शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य रूपों, मार्शल आर्ट्स और लोक व पारम्परिक कला रूपों में मौखिक परम्पराओं को परिरक्षित और सम्पोषित करने के लिए विभिन्न कला रूपों की पहचान करने के बाद उभरते कलाकारों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस स्कीम में लुप्त हो रहे कला रूपों का उत्थान भी शामिल है।

   (ii) **रंगमंच सुदृढ़ीकरण की स्कीम :** इस स्कीम के तहत रंगमंच उत्सव आयोजित किए जाते हैं और रंगमंच कलाकारों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करके रंगमंच संबंधी कार्यकलापों को प्रोत्साहित किया जाता है।

   (iii) **युवा प्रतिभावान कलाकारों को पुरस्कार की स्कीम :** इस स्कीम के तहत विजेताओं को पुरस्कार देने के लिए संबंधित क्षेत्र के मंच/लोककला रूपों में एक या दो प्रतिभावान कलाकारों को चुना जाता है।

   (iv) **मध्य प्रदेश में विभिन्न कला रूपों का शोध व प्रलेखन :** इस स्कीम के तहत लोक कथाओं का संग्रहण किया जाता है और सदियों पुरानी कथाओं के परिरक्षण हेतु राज्य स्तर के विशषज्ञों की सहायता से इनका प्रकाशन किया जाता है।

[अनुवाद]

मानसून संबंधी राष्ट्रीय मिशन

290. श्री बाल कुमार पटेल : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मानसून संबंधी राष्ट्रीय मिशन (एनएमएम) शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एनएमएम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या दीर्घावधि या मौसम पूर्वानुमान के लिए प्रयोग में लायी जा रही वर्तमान प्रणाली/प्रचालनात्मक मॉडल डायनेमिक नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या प्रस्तावित मिशन प्रभावी और गतिशील होगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने विभिन्न स्थानों और समय पैमानों में मानसून वर्षा और इसकी परिवर्तनशीलता का पूर्वानुमान करने के लिए भारत के लिए सर्वाधिक प्रतिनिधिक और उन्नत गतिशील मॉडल ढांचे का विकास करने के लिए राष्ट्रीय मानसून मिशन शुरू करने का प्रस्ताव पेश किया है। मॉडलों का विषय क्षेत्र, उनकी पहचान और उन्हें सूचीबद्ध करने, विभिन्न भागीदार समूहों के कार्य-कलापों का समय निर्धारित करने, उनकी भूमिका, समय-सीमा आदि को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्र स्तरीय परामर्श के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी शुरू की गई। राष्ट्र मानसून मिशन के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्र स्तरीय मॉनीटरन एवं कार्यान्वयन तंत्र रखे जाएंगे।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्तमान में, आईएमडी भारत में ऋतुकालिक मानसून वर्षा के पूर्वानुमान के लिए सांख्यिकीय मॉडलों का उपयोग करता है। भारत में मानसून वर्षा की वास्तविक परिवर्तनीयता का पता लगाने के लिए प्रमाणित कार्य-निष्पादन वाले उपयुक्त युग्मित महासागर वायुमंडलीय मॉडल उपलब्ध न होने के कारण ऐसे मॉडलों का उपयोग जारी है।

(ङ) और (च) चालू वर्ष के दौरान, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे में उच्च कार्य-निष्पादन वाली संगणन प्रणाली को चालू करने के साथ ही राष्ट्रीय महासागरीय-वायुमंडलीय प्रशासन (एनओएए), संयुक्त राज्य अमेरिका के अपनाए गए युग्मित महासागर-वायुमंडलीय मॉडल के कार्य-निष्पादन की मानसून, 2010 के लिए मासिक और ऋतुकालिक पैमानों पर अत्यधिक तथा कम वर्षा वाले स्थानों का ठीक ढंग से पता लगाने के संबंध में विवेचनात्मक ढंग से जांच की जा रही है। उपर्युक्त के आधार पर, उपर्युक्त गतिकीय ढांचे का उपयोग करके मानसून के पूर्वानुमान में सुधार करने के लिए सभी संबंधित संगठनों और अनुसंधान संस्थानों को शामिल करके मानसून मिशन के सभी कार्यकलापों को तैयार करने की योजना है।

देश में शोध संस्थान

291. श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी :
श्री बद्रीराम जाखड़ :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के अंतर्गत गुजरात तथा राजस्थान सहित कार्यशील शोध संस्थानों/निकायों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान इन प्रत्येक संस्थानों को किए गए बजटीय आवंटन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन अनुसंधान सस्थानों/संगठनों के स्थान-वार ब्यौरे और वर्ष 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 और 2010-2011 के दौरान इन संस्थानों को जारी की गई निधियों का विवरण नीचे दिया गया है:

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी)

क्र. सं.	संस्थान/संगठन का नाम (स्थान-वार)	आवंटित निधियां (करोड़ रुपये)			
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6
*1	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान, (आईएएसएसटी), गुवाहाटी, असम	—	—	7.00	5.67
2.	इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेन्टर फॉर पाउडर मैटलर्जी एंड न्यू मैटिरियल्स (एआरसीआई), हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	45.00	41.63	46.00	37.26
*3.	राष्ट्रीय नवप्रर्वतन फाउंडेशन (एन आई एफ), अहमदाबाद गुजरात	0	0	0	7.00
**4.	तरल क्रिस्टल अनुसंधान केन्द्र/मृदु सामग्री अनुसंधान केन्द्र (सी एस एम आर) बंगलौर, कर्नाटक	4.00	3.80	3.30	2.67
5.	भारतीय ताराभौतिकी संस्थान, (आई आई ए) बंगलौर, कर्नाटक.	39.08	43.27	48.08	39.69
6.	जवाहर लाल नेहरू सेंटर फार एडवान्स्ड साइंटिफिक रिसर्च, (जे एन सी ए एस आर) बंगलौर, कर्नाटक	35.00	30.69	37.00	38.07
7.	रमन अनुसंधान संस्थान (आर आर आई), बंगलौर, कर्नाटक	25.23	35.30	38.00	30.78
8.	भारतीय विज्ञान अकादमी (आई ए एस) बंगलौर, कर्नाटक	4.51	4.68	9.00	7.29
9.	श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एससीटीआईएमएसटी) तिरुवनंतपुरम, केरल	78.98	90.91	88.07	81.00
10.	अघारकर अनुसंधान संस्थान (एआरआई), पुणे, महाराष्ट्र	9.93	11.30	16.16	13.09
11.	भारतीय भू चुम्बकत्व संस्थान, (आईआईजी) नवी मुंबई, महाराष्ट्र	22.55	23.98	27.10	21.95
12.	राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एन ए बी एल), नई दिल्ली	0	0	6.00	4.86

1	2	3	4	5	6
13.	प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद (टी आई एफ ए सी), नई दिल्ली	4.09	2.68	17.28	13.99
14.	भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आई एन एस ए), नई दिल्ली	8.86	11.83	15.01	12.16
15.	भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरी अकादमी (आई एन ए ई), नई दिल्ली	2.00	2.09	3.00	2.43
#16.	नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली	0	20.00	0	0
17.	बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	6.30	11.23	19.00	15.39
18.	विज्ञान प्रसार (वी.पी.) नोएडा, उत्तर प्रदेश	8.00	9.26	10.00	8.10
19.	राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (एन ए एस) इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	2.98	0.54	6.00	4.86
20.	आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, (एआरआईईएस), नैनीताल, उत्तराखंड	23.00	45.63	37.00	29.97
21.	वाडिया हिमालयी भूविज्ञान संस्थान, (डब्ल्यूआईएचजी) देहरादून, उत्तराखंड	14.11	17.67	26.58	21.53
22.	बोस संस्थान (बीआई), कोलकाता, पश्चिम बंगाल	26.23	32.59	43.00	34.83
23.	इण्डियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस (आईएसीएस), कोलकाता, पश्चिम बंगाल	44.25	42.50	52.00	42.12
24.	एस एन बोस राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केन्द्र (एसएनबीएनसीबीएस), कोलकाता, पश्चिम बंगाल	14.37	15.66	29.75	24.09
25.	भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन, (आई एस सी ए) कोलकाता, पश्चिम बंगाल.	2.27	2.40	2.57	2.08

* डी एस टी ने मार्च, 2009 में आई ए एस एस टी गोवाहाटी और जुलाई, 2010 में एन आई एफ को सहायता अनुदान प्राप्त संस्थान के रूप में अधिग्रहित किया है।

नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान को वर्ष 2008 में स्थापित किया गया था।

** तरल क्रिस्टल अनुसंधान केन्द्र (सी एल सी आर) को 01 सितम्बर, 2010 से मृदु सामग्री अनुसंधान केन्द्र (सी एस एम आर) के रूप में नया नाम प्रदान किया गया है।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी बी टी)

क्र. सं.	संस्थान/संगठन का नाम (स्थान-वार)	आवंटित निधियां (करोड़ रुपये)			
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6
1.	नैशनल इंस्टीट्यूट आफ एनिमल बायोटेक्नोलोजी, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	5.00
2.	डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग एवं निदान केन्द्र, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	21.60	25.90	24.00	24.00
3.	राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र, मानेसर, हरियाणा	17.10	28.00	24.00	24.00
4.	ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलोजी इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद, हरियाणा	शून्य	20.00	17.00	24.00
5.	यूनेस्को रिजनल सेंटर फार साइंस, एजुकेशन एंड इनोवेशन, फरीदाबाद, हरियाणा	शून्य	शून्य	13.00	22.00
6.	इंस्टीट्यूट आफ स्टेम सेल रिसर्च एंड रिजेनरेटिव मेडीसिन, बंगलौर, कर्नाटक	शून्य	शून्य	14.00	18.00
7.	राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, तिरुवनंतपुरम, केरल	शून्य	25.00	24.00	25.00
8.	नेशनल सेंटर फार सेल साइंस, पुणे, महाराष्ट्र	31.50	43.00	34.00	34.00
9.	इंस्टीट्यूट ऑफ बायोरिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इम्फाल, मणिपुर	4.00	3.89	0.10	0.10
10.	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	36.00	55.00	53.00	53.00
11.	नेशनल सेंटर फार प्लांट जिनोम रिसर्च, नई दिल्ली	13.00	26.00	29.00	29.00
12.	इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर, उड़ीसा	10.00	12.00	13.00	15.00
13.	इंस्टीट्यूट ऑफ एग्री-फूड बायोटेक्नोलोजी, मोहाली, पंजाब	शून्य	शून्य	20.00	30.00
14.	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ बायोमेडिकल जिनोमिक्स, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	14.00	25.0

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर)

क्र. सं.	संस्थान/संगठन का नाम (स्थान-वार)	आवंटित निधियां (करोड़ रुपये)			
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6
1.	कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केन्द्र, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	60.12	68.38	73.28	51.17
2.	भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	70.27	79.97	102.83	76.85
3.	राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	53.67	49.76	60.59	56.16
4.	पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, जोरहाट (पूर्व में आरआरएल), असम	22.97	30.49	39.21	36.23
5.	केन्द्रीय वैज्ञानिक यंत्र संगठन, चंडीगढ़	23.02	33.43	36.85	49.87
6.	इंस्टीट्यूट आफ माइक्रोबायल टेक्नोलोजी, चंडीगढ़	22.08	38.86	38.85	36.72
7.	सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली	16.60	34.63	26.23	35.56
8.	इंस्टीट्यूट आफ जिनोमिक्स एंड इंटिग्रेटिव बायोलोजी, नई दिल्ली	32.71	55.07	52.53	62.56
9.	राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना संसाधन संस्थान, नई दिल्ली	24.36	41.74	40.92	36.38
10.	राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली	8.49	10.22	11.15	11.36
11.	राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली	45.90	99.15	102.65	125.21
12.	राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान, गोवा	93.16	95.96	78.10	111.11
13.	सेन्ट्रल साल्ट एंड मेरीन कैमीकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, भावनगर, गुजरात	19.61	32.61	29.51	27.98
14.	हिमालयी जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश	21.32	26.96	27.91	21.84

1	2	3	4	5	6
15.	इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटेग्रेटिव मेडिसिन, जम्मू (पूर्व में आरआरएल) जम्मू और कश्मीर	28.56	27.71	37.33	33.06
16.	केन्द्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद, झारखंड	31.28	40.18	44.10	44.82
17.	नेशनल मैटलर्जिकल लेबोरेट्री, जमशेदपुर, झारखंड	33.47	55.46	43.59	44.43
18.	केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर कर्नाटक	23.10	44.53	39.97	50.01
19.	नेशनल एरोस्पेस लेबोरेट्रीज, बंगलूरू, कर्नाटक	107.41	132.34	157.98	192.63
20.	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनेरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तिरूवनंतपुरम, केरल	19.00	24.01	25.05	21.53
21.	एडवांस्ड मेटीरियल्स एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट (पूर्व में आरआरएल), भोपाल मध्य प्रदेश	10.70	18.41	20.18	18.76
22.	राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे महाराष्ट्र	56.40	73.56	92.40	69.76
23.	राष्ट्रीय पर्यावरणिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, नागपुर, महाराष्ट्र	23.53	23.55	26.81	29.74
24.	इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मेटेरिल्स टेक्नोलोजी (पूर्व में आरआरएल), भुवनेश्वर, उड़ीसा	24.60	31.04	42.70	39.29
25.	केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान, पिलानी, राजस्थान	21.77	31.76	41.59	44.55
26.	केन्द्रीय इलेक्ट्रो रसायनिक अनुसंधान संस्थान, कराइकुडी, तमिलनाडु	29.33	37.71	40.74	38.25
27.	सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई, तमिलनाडु	25.15	32.71	36.82	39.13
28.	स्ट्रक्चरल इंजीनियरिग रिसर्च सेंटर, चेन्नई, तमिलनाडु	17.23	20.44	24.74	28.12
29.	सेंट्रल बिल्डिग रिसर्च इंस्टीट्यूट, रुड़की, उत्तराखंड	12.49	17.04	21.34	22.49
30.	भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, देहरादून, उत्तराखंड	18.68	31.93	29.96	38.90

1	2	3	4	5	6
31.	केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	96.74	85.80	132.20	69.31
32.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडीसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	20.68	32.46	34.35	33.40
33.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टोक्सिकोलोजी रिसर्च, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	19.34	28.10	27.88	24.53
34.	नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	41.73	41.43	38.88	36.00
35.	सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	33.74	46.49	51.09	47.70
36.	सेंट्रल मेकेनिकल इंजीनियरिग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल	31.52	37.73	44.30	41.05
37.	भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	35.28	48.06	54.96	60.24

[हिन्दी]

राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्मारक/दाय स्थल

292. श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :
श्री एस. पक्कीरप्पा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन ऐतिहासिक स्मारकों/दाय स्थलों का राज्य-वार, सर्किल-वार एवं स्थान-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें राष्ट्रीय महत्व के स्थल घोषित किया गया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक स्मारकों/दाय स्थलों की सूची में और ऐतिहासिक स्मारकों/दाय स्थलों को शामिल करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार तथा सर्किल-वार ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) देश में 3676 स्मारकों/स्थलों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। राज्यवार और मंडलवार सूची विवरण-I में दी गई है। ब्यौरे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वेबसाइट (*www.asi.nic.in*) पर उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। कुछेक स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों और व्यक्तियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 4 के अनुसार, केन्द्रीय सरकार को सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अपने इरादे को घोषित करने और दो महीने के अन्दर इच्छुक व्यक्तियों से आपत्तियां आमंत्रित करने के बाद, प्राचीन संस्मारकों अथवा पुरातत्वीय स्थल और अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का प्राधिकार है। केन्द्रीय संरक्षण के लिए प्रस्तावित स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों की सूची विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन राज्य-वार तथा मंडल-वार केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्मारकों की संख्या	मंडल का नाम	स्मारकों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	137	हैदराबाद	137
2.	अरुणाचल प्रदेश	03	गुवाहाटी	03
3.	असम	55	गुवाहाटी	55
4.	बिहार	70	पटना	70
5.	छत्तीसगढ़	47	रायपुर	47
6.	दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	12	वडोदरा	12
7.	गोवा	21	गोवा	21
8.	गुजरात	202	वडोदरा	202
9.	हरियाणा	90	चंडीगढ़	90
10.	हिमाचल प्रदेश	40	शिमला	40
11.	जम्मू और कश्मीर	69	श्रीनगर	69
12.	झारखंड	12	रांची	12
13.	कर्नाटक	507	बंगलौर	208
			धारवाड़	299
14.	केरल	26	त्रिशूर	26
15.	मध्य प्रदेश	292	भोपाल	292
16.	महाराष्ट्र	285	औरंगाबाद	168
			मुम्बई	117
17.	मणिपुर	01	गुवाहाटी	01

1	2	3	4	5
18.	मेघालय	08	गुवाहाटी	08
19.	नागालैंड	04	गुवाहाटी	04
20.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	174	दिल्ली	174
21.	उड़ीसा	78	भुवनेश्वर	78
22.	पुदुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	07	चेन्नई	07
23.	पंजाब	32	चंडीगढ़	32
24.	राजस्थान	162	जयपुर	162
25.	सिक्किम	03	कोलकाता	03
26.	तमिलनाडु	413	चेन्नई	403
			त्रिशूर	10
27.	त्रिपुरा	08	गुवाहाटी	08
28.	उत्तर प्रदेश	743	आगरा	266
			लखनऊ	365
			पटना	112
29.	उत्तराखंड	042	देहरादून	042
30.	पश्चिम बंगाल	133	कोलकाता	133
	कुल	3676	कुल	3676

विवरण-II

देश के ऐसे स्मारकों/स्थलों की सूची जिनकी राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किए जाने के लिए विचार करने हेतु पहचान की गई है

क्र.सं.	स्मारक/स्थल का नाम तथा स्थान/जिला	राज्य का नाम
1	2	3
1.	जूनी करान स्थित प्राचीन स्थल, कच्छ	गुजरात

1	2	3
2.	फिरोजशाह पैलेस तथा तहखाना के पास पैलेस भवन, हिसार, जिला हिसार	हरियाणा
3.	हारादिब स्थित मंदिर समूह, जिला रांची	झारखंड
4.	शाहपुर किला, शाहपुर, जिला पलामू	झारखंड
5.	नवरतनगढ़ किला तथा मंदिर परिसर, गुमला	झारखंड
6.	तिलियागढ़ किला, साहेबगंज	झारखंड
7.	किला तथा जैन शैलकृत मूर्तिया, कोल्हुआ, पहाड़ी चतरा	झारखंड
8.	जनार्दन मंदिर, पानामारमा, वायनाड जिला	केरल
9.	विष्णु मंदिर, नादवयाल, जिला वायनाड	केरल
10.	दौलताबाद किला की किला दीवार, औरंगाबाद	महाराष्ट्र
11.	प्राचीन हाईकोर्ट भवन, नागपुर, जिला नागपुर	महाराष्ट्र
12.	किला गिन्नूरगढ़, जिला सेहोर	मध्य प्रदेश
13.	बिरांची नारायण मंदिर, बुगुदा	उड़ीसा
14.	मंदिर समूह, रानीपुर झरियल, जिला बोलनगीर	उड़ीसा
15.	सीता राम जी मंदिर, डीग, भरतपुर	राजस्थान
16.	रामबाग पैलेस, डीग, जिला भरतपुर	राजस्थान
17.	जामवान रामगढ़ किला, जयपुर, जिला जयपुर	राजस्थान
18.	बाला किला, अलवर तथा नीवराना, अलवर में सीढ़ीदार कुआं	राजस्थान
19.	सैंट थामस चर्च, देहरादून, जिला देहरादून	उत्तराखंड
20.	उत्खनित स्थल, श्रृंगवेरपुरा, जिला इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
21.	नौसेरी बानू मस्जिद तथा चौक मस्जिद, केल्ला निजामत, जिला मुर्शीदाबाद	पश्चिम बंगाल
22.	पुरातत्वीय स्थल (सकीसेना टीला), मोगलबारी, जिला पश्चिमी मेदिनापुर	पश्चिम बंगाल
23.	ख्वाजा अनवर बेर (नवाब बाड़ी) जिला बर्धमान	पश्चिम बंगाल
24.	वृन्दावन चन्द्र मंदिर तथा राधा दामोदर मंदिर जिला बांकुरा	पश्चिम बंगाल
25.	मोतीझील जामा मस्जिद, मुर्शीदाबाद	पश्चिम बंगाल

[अनुवाद]

आर.टी.आई. के माध्यम से प्राप्त सूचना

293. **श्री सी.आर. पाटिल :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर.टी.आई. अधिनियम के अंतर्गत कुछ प्रतिशत आवेदकों को अपेक्षित सूचना प्राप्त होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या अधिकांश सूचना आयुक्त भूतपूर्व नौकरशाह हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस क्षेत्र में संतुलन लाने के लिए सरकार की क्या योजना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

(ग) इस अधिनियम में, अपेक्षित सूचना नहीं भेजने के मामलों से निपटने के लिए अपील, शिकायत और शक्ति की एक अन्तर्निहित स्कीम है।

(घ) केन्द्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित सात सूचना आयुक्तों में से तीन पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी, एक पूर्व पुलिस अधिकारी, एक पूर्व सूचना सेवा अधिकारी और दो सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

(ङ) सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (5) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, मास मीडिया अथवा प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले और सार्वजनिक क्षेत्र में लब्धप्रतिष्ठ व्यक्ति होंगे। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसके सदस्य लोक सभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं।

साक्षरता दिवस

294. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हाल ही में 'साक्षरता दिवस' मनाया गया था;

(ख) यदि हां, तो समारोहों की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं; और

(ग) देश में शत-प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, हां। 'अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस' देश में राष्ट्रीय स्तर पर 8 सितंबर, 2010 को हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में मनाया गया था। समारोह में संपूर्ण देश से साक्षर विशेषज्ञों, साक्षर कार्यकर्ताओं, पंचायती राज संस्था कार्यकर्ताओं, नव-साक्षरों, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के लाभभोगियों के अतिरिक्त केन्द्र और राज्य सरकारों के उच्चाधिकारियों ने भाग लिया। साक्षर भारत कार्यक्रम के कार्यान्वियन में हुई द्रुतगामी प्रगति हेतु विभिन्न राज्य साक्षर मिशन प्राधिकरणों/साक्षर भारत जिलों तथा ग्राम पंचायतों को सत्येन मैत्रा अवार्ड वितरित किए गए थे। राज्य संसाधन केन्द्रों/जन-शिक्षण संस्थानों जैसे विभिन्न संगठनों को व्यवसायोन्मुख शिक्षा और साक्षरता के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन-यूनेस्को अवार्ड भी प्रदान किए गए थे। मुख्य समारोह के साथ-साथ अतिरिक्त कार्यकलाप भी आयोजित किए गए जिसमें पैनल चर्चा (साक्षरता चौपाल), कृति (जन शिक्षण संस्थानों के लाभभोगियों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी), साक्षरता गीत संगीत, साक्षरता खेल और साक्षरता मार्च शामिल है।

(ग) सरकार ने वर्ष 2012 तक 80 प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य

295. **श्री एस.आर. जेयदुरई :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां सरकार द्वारा खनन की अनुमति प्रदान की गई है;

(ख) क्या इन उद्यानों/अभयारण्यों में अनियंत्रित/अत्यधिक खनन के कारण वन्य जीवों का जीवन खतरे में पड़ गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अनुसार राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों के पर्यावासों का विनाश करना निषिद्ध है। इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 4 अगस्त, 2006 के अपने आदेश द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों के अंदर तथा राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों की समीमाओं से एक कि.मी. के अंदर खनन निषिद्ध किया है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 13.08.2008 के आदेशों के अनुसार मध्य प्रदेश में गंगाऊ वन्यजीव अभयारण्य के मझगावन में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा हीरा खनन की अनुमति है।

(ख) और (ग) अंधाधुंध खनन से पर्यावास विखंडन और अवक्रमण, वायु एवं जल प्रदूषण और प्रदूषण और पशुओं और पक्षियों का उनकी प्रजनन भूमि से विस्थापन होता है जिससे वन्यजीवों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। केन्द्रीय सरकार आवश्यकता पड़ने पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से अनुरोध कर रही है कि वे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों का सख्ती से पालन करें और राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों से एक कि.मी. के अंदर और चारों ओर खनन निषिद्ध करने के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करे।

यमुना नदी की सफाई

296. **श्री अम्बिका बनर्जी :**
श्री रमेश बैस :
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :
श्री राधा मोहन सिंह :
श्री अधीर चौधरी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए राज्य-वार तथा परियोजना-वार कुल कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) क्या करोड़ों रुपये व्यय करने के बावजूद यमुना नदी में प्रदूषण में कमी नहीं आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से यमुना के पानी को गंदा बनाने वाले स्रोतों का पता नहीं लगा सकी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) नदी में प्रदूषण फैलाने/प्रदूषण को रोकने में असफल रहने के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा और कौन-से कदम उठाए जाने का विचार है और इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) कम प्रवाह की अवधि के दौरान मल-जल शोधन क्षमता की मांग और उपलब्धता के बीच बड़े अंतर और नदी में ताजे/शुद्ध जल की कमी के कारण यमुना नदी के जल की गुणवत्ता में वांछित सुधार नहीं दिखाई दिया है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के तीन राज्यों में यमुना कार्य योजना, चरण-I और चरण-II के अंतर्गत यमुना नदी के प्रदूषण के उपशमन में अभी तक खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	राज्य का नाम	यमुना कार्य योजना		कुल (करोड़ रु.)
		चरण-I	चरण-II	
1	हरियाणा	248.26	64.55	312.81
2	दिल्ली	160.70	312.96	473.66
3	उत्तर प्रदेश	273.23	89.97	363.20
	कुल	682.19	467.48	1149.67

(ङ) संबंधित प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/समितियों द्वारा यमुना नदी के स्रोतों की नियमित मानीटरिंग/निरीक्षण संबंधी कार्य किया जाता है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के

अनुसार समय-समय पर चूककर्त्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए कि यमुना नदी के दिल्ली में विस्तार, जो नदी पर अधिकतम प्रदूषण भार डालता है, में केवल शोधित बहिस्राव छोड़े जाएं, दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने तीन प्रमुख अप्रवाहिकाओं, अर्थात् नजफगढ़, शाहदरा के साथ-साथ अंतरावरोधन मल निर्यास तंत्र को बिछाना है इसके साथ-साथ मलजल शोधन क्षमता का अनुपूरक संवर्धन, अप्रवाहिकाओं का अंतरावरोधन, ट्रंक सीवर की पुनःस्थापना, मलजल व्यवस्था से रहित कालोनियों और ग्रामीण क्षेत्रों में मल-निर्यास तंत्र को बिछाना और परिधि क्षेत्रों और आंतरिक मल निर्यास तंत्रों में से गाद हटाने के लिए स्कीमें तैयार की हैं। अंतरावरोधन मलजल परियोजना को हाल ही में 1357 करोड़ रुपये की लागत पर जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत अनुमोदित किया गया है।

सुनामी पूर्वानुमान प्रणाली

297. **श्री एंटो एंटोनी : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में वैसे क्षेत्रों की पहचान की है जो सुनामी प्रवण हैं;

(ख) यदि हां, तो अभी तक पहचान किए गए क्षेत्रों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में स्थान-वार कितने सुनामी चेतावनी केंद्र चल रहे हैं;

(घ) किसी भी संभावित घटना से बचने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कितनी निधियां दी गई हैं; और

(ङ) विद्यमान सुनामी पूर्वानुमान क्षमता में उन्नयन के लिए मांगी गई तथा प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) अंडमान तथा निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपसमूह के साथ-साथ भारत की संपूर्ण मुख्य भूमि सुनामी के प्रति संवेदनशील है।

(ग) भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (इंकॉइस) केवल 24 घंटे और सातों दिन काम करने वाली राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी प्रणाली (एनटीडब्ल्यूएस) की देखरेख करता है, जो तत्वतः पूरे हिंद महासागर को कवर करती है। एनटीडब्ल्यूएस सुनामी जनित भूकंपों का पता लगाने तथा सुनामी को मॉनीटर करने में सक्षम है ताकि संबंधित सरकारी विभागों और संवेदनशील समुदायों को नवीनतम संचार अवसंरचना का प्रयोग कर समय पर परामर्श सूचनाएं उपलब्ध की जा सकें।

(घ) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने इस प्रयोजन के लिए राज्यों को कोई धनराशि नहीं दी है।

(ङ) मौजूदा सुनामी चेतावनी पूर्वानुमान क्षमता को अपग्रेड करने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय सहायता नहीं मांगी/प्राप्त की गई है। परंतु भारत ने राष्ट्रीय महासागरीय और वायु मंडलीय प्रशासन (एनओएए), संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कार्यान्वयन करार पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि हिंद महासागर में स्थित एनओएए के सुनामी मॉडल के कार्य-निष्पादन की तुलना में एनटीडब्ल्यूएस मॉडल का मूल्यांकन किया जा सके।

[हिन्दी]

जल क्षेत्र योजनाएं

298. **डॉ. राजन सुशान्त : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में आरंभ की गई केन्द्र प्रायोजित जल क्षेत्र परियोजनाओं का ब्यौरा तथा उनकी स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश से प्राप्त प्रस्तावों तथा उन पर केन्द्र सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का योजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में स्वीकृत प्रस्तावों के लिए योजनावार कितनी राशि आवंटित तथा जारी की गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) वर्तमान में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किसी केन्द्र प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) XIवीं योजना के दौरान जल संसाधन मंत्रालय की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को कोई वित्त जारी नहीं किया गया है। तथापि, विभिन्न राज्य क्षेत्र स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करवाई गई है। गत तीन वर्षों के दौरान तथा वर्तमान वर्ष के दौरान जल संसाधन मंत्रालय की विभिन्न राज्य क्षेत्र स्कीमों के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार को जारी केन्द्र सहायता निम्न प्रकार से है।

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	स्कीम/कार्यक्रम	जारी केन्द्र सहायता			
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)	114.05	119.32	90.68	शून्य
2.	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	0.67	शून्य	43.20	33.75

कोयले की कमी

299. श्री धनंजय सिंह :
श्री एल. राजगोपाल :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा कोयला उत्पादन के लिए घोषित "गो" तथा "नो-गो" क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त वर्गीकरण के कारण अगले कुछ वर्षों में 500 मिलियन टन से अधिक कोयले की कमी होगी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का कोयले की कमी से किस प्रकार निपटने का विचार है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (ग) कोयला मंत्रालय ने कोई "गो" और "नो-गो" जोन घोषित नहीं किए हैं। कोयला खनन के लिए प्रथम दृष्ट्या "गो" और "नो गो" क्षेत्र की पहचान करने के उद्देश्य से नौ कोलफील्डों के मामले में वन क्षेत्र के कोयलाधारी क्षेत्रों के मानचित्रों को अध्यारोपित करने के लिए कोयला मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई आरंभ की गई है। कोयला खनन के लिए "गो" और "नो गो" क्षेत्र को दर्शाने के लिए एक स्वीकार्य मानदंड की रूपरेखा प्रस्तुत करने हेतु प्रधानमंत्री के कार्यालय और योजना आयोग के बीच इस संबंध में अनेक बैठकें भी हुई हैं। यह कार्रवाई अग्रिम चरण में है और उत्पादन पर प्रभाव का अनुमान लगाना जल्दबाजी होगा।

यूजीसी परियोजनाएं

300. श्रीमती दीपा दासमुंशी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मांगे गए अनुदान का परियोजना-वार, वर्ष-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान यूजीसी द्वारा स्वीकृत तथा यूजीसी के पास लंबित परियोजनाओं का परियोजना-वार, वर्ष-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों में अकादमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त कॉलेजों को शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और इस संबंध में क्या वित्तीय प्रावधान किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 ख के अंतर्गत शैक्षिक संस्थाओं को विकास सहायता प्रदान करता है, बशर्ते उस संस्था को धारा 2 (च) की परिभाषा के तहत शामिल किया गया हो तथा वह ऐसा अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र हो। हालांकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को राज्य सरकारों को अनुदान जारी करने की अनुमति प्रदान नहीं करता है।

(ग) केन्द्र सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बी.टी. बैंगन की खेती

301. **डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :**
श्री पी. लिंगम :
श्री गुरुदास दासगुप्त :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वैज्ञानिकों तथा किसान समुदाय द्वारा उठायी गयी आपत्तियों के बावजूद देश में बी.टी. बैंगन की वाणिज्यिक खेती की अनुमति प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस विषय पर विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट का ब्यौरा तथा निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) इस रिपोर्ट पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा वैज्ञानिकों तथा अन्य समूहों द्वारा क्या आपत्तियां उठाई गई हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार ने बी.टी. बैंगन ईवेंट ईई-I के वाणिज्यिक उपयोग पर तब तक के लिए रोक लगा दी है जब तक कि स्वतंत्र वैज्ञानिक अध्ययनों से जनता और व्यवसायी दोनों की संतुष्टि के लिए यह बात प्रमाणित नहीं हो जाती है कि हमारे देश में बैंगन में मौजूद समृद्ध आनुवंशिक प्रचुरता सहित बी.टी. बैंगन का उत्पाद मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर दीर्घकालिक प्रभाव की दृष्टि से सुरक्षित है। यह निर्णय सात स्थलों (मुख्यत: बैंगन उगाने वाले क्षेत्र), नामत: कोलकाता, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, नागपुर, चंडीगढ़, हैदराबाद और बंगलौर में लोक विचार-विमर्शों के बाद जनवरी-फरवरी, 2010 के दौरान लिया गया था।

(ग) से (ङ) जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी (जीईएसी) ने लोक विचार-विमर्शों के दौरान प्राप्त दस्तावेजों और पृष्ठभूमि का लागत की जांच की जिसमें लोक विचार-विमर्शों से सामने आई चिन्ताओं का निराकरण करने के लिए अतिरिक्त अध्ययन के सुझाव उजागर हुए हैं, जो कि इसकी तुलना में अध्ययनों में उपलब्ध आंकड़े के साथ-साथ प्रौद्योगिकी प्रदाताओं द्वारा पूरे किए गए, उन्हें तैयार किया गया था। ये दस्तावेज, जीईएसी सदस्यों, प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को टिप्पणियों/विचारों के लिए संवितरित किए गए। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य (i) पर्यावरण और स्वास्थ्य दोनों दृष्टियों से बी.टी. बैंगन की सुरक्षा को आकलित करने के लिए अतिरिक्त अध्ययन की आवश्यक (यदि कोई हों), की जांच करना; और (ii) निर्धारित अतिरिक्त अध्ययन के लिए अपनाए जाने वाले प्रोटोकॉल और पद्धतियों का अनुकरण करना। विशेषज्ञों से टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं।

पाकिस्तानी हस्तक्षेप

302. **श्री धर्मेन्द्र यादव :**
श्री पोन्नम प्रभाकर :
श्री के.आर.जी. रेड्डी :
श्री रायापति सांबासिवा राय :
श्री पी. बलराम :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है और जम्मू और कश्मीर के बारे में अस्वीकार्य टिप्पणियां की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में हमारे देश के बारे में ऐसी अस्वीकार्य टिप्पणियों से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) से (ग) पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर में सीमा-पार आतंकवाद के अपने प्रायोजन को औचित्यपूर्ण ठहराने के लिए अक्सर जम्मू और कश्मीर पर शत्रुतापूर्ण वक्तव्य देता है। जम्मू और कश्मीर का पूरा राज्य भारतीय संघ का अभिन्न अंग है और रहेगा। इस राज्य के भूक्षेत्र का एक भाग पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। सरकार देश की एकता और क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए कृत संकल्प है।

[अनुवाद]

एन.एल.सी. में हड़ताल

303. **श्री ए. गणेशमूर्ति :**
श्री मानिक टैगोर :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एन.एल.सी.) के अनेक कर्मचारी वेतन संशोधन तथा रोजगार सुरक्षा की मांग कर रहे हैं तथा हाल ही में पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस चल रही हड़ताल के कारण एन.एल.सी. के उत्पादन में कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस हड़ताल को खत्म करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) नियमित कर्मचारी हड़ताल पर नहीं गए। एनएलसी में कार्यान्वयन कार्य के लिए निजी ठेकेदारों द्वारा नियुक्त ठेके के कामगारों ने वेतन में संशोधन और अन्य लाभों की मांग की थी और 19.09.2010 से हड़ताल पर चले गए। यह हड़ताल 27.10.2010 को खत्म हो गई।

(ख) अपने ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधित्व में ठेके के कामगारों ने अगस्त, 2010 के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ मजदूरी में और अन्य लाभों में वृद्धि की मांग करते हुए हड़ताल नोटिस जारी किए। चूंकि विभिन्न सुलह बैठकों के बावजूद कोई समझौता नहीं हो सका, इसलिए उन्होंने 19.09.2010 से हड़ताल शुरू कर दिया। विभिन्न स्तरों पर चर्चाओं के अनेक दौर के बाद, एक समझौता ज्ञापन पर 27.10.2010 को सहमति बनी जिसके फलस्वरूप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के समक्ष 30.10.2010 को अंतिम समझौता हुआ।

(ग) और (घ) उत्पादन सामान्य स्तर पर रहा।

(ङ) हड़ताल की अवधि के दौरान, स्थिति की दैनिक स्तर पर मानीटरिंग की गयी थी, और एनएलसी को कोयला मंत्रालय द्वारा समय-समय पर सलाह दी गई थी कि वह इस मसले का मैत्रीपूर्ण समाधान करे और तदनुसार हड़ताल 27.10.2010 को समाप्त हो गई।

गण्यमान्य व्यक्तियों का दौरा

304. **श्री अधीर चौधरी :**
श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री पी. लिंगम :
श्री गुरुदास दासगुप्त :
डॉ. एम. तम्बिदुरई :
डॉ. ए.के.एस. विजयन :
श्री पी. विश्वनाथन :
श्री ई.जी. सुगावनम :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार महीनों के दौरान आज की तिथि तक भारत के दौरे पर आने वाले विदेशी गण्यमान्य व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) हस्ताक्षर किए गए द्विपक्षीय समझौतों/समझौता ज्ञापनों/संधियों सहित उनके साथ विचार-विमर्शित मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री द्वारा किए गए दौरों का ब्यौरा क्या है;

(घ) की गई वार्ताओं, हस्ताक्षर किए गए समझौतों/समझौता ज्ञापनों/संधियों तथा इनके परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) द्विपक्षीय समझौतों/समझौता ज्ञापनों/संधियों पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणामस्वरूप देश को क्या लाभ मिलने की संभावना है और इन देशों के साथ संबंधों में और सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) जुलाई से अक्तूबर, 2010 तक विदेशी राज्याध्यक्षों, उपराष्ट्रपतियों, शासनाध्यक्षों तथा विदेश मंत्रियों की यात्राओं का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) जुलाई से अक्तूबर, 2010 तक माननीय प्रधानमंत्री तथा माननीय विदेश मंत्री की यात्राओं का ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ख), (घ) और (ङ) ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

आगंतुक व्यक्तियों की यात्राएं

क्रम सं.	प्रतिष्ठित व्यक्ति	तारीख
1.	महामहिम डॉ. सईद शमसेद्दिन हुसेनी, ईरान इस्लामिक गणराज्य के आर्थिक कार्य एवं वित्त मंत्री (सरकारी)	7-9 जुलाई, 2010
2.	महामहिम सीनियर जनरल थान श्वे, अध्यक्ष, राज्य शांति एवं विकास परिषद, म्यांमार संघ (राजकीय)	25-29 जुलाई, 2010
3.	परम माननीय डेविड केमरून, संसद सदस्य, प्रधानमंत्री, यूनाइटेड किंगडम (राजकीय)	27-29 जुलाई 2010
4.	महामहिम श्री जॉर्ज यियो, सिंगापुर के विदेश मंत्री (राजकीय)	31 जूलाई-4 अगस्त, 2010
5.	महामहिम श्रीमती पेट्रिसिया एसपिनोसा केंटिलानो, मैक्सिको की विदेश मंत्री	15-17 अगस्त, 2010
6.	महामहिम डॉ. ममाडो तंगारा, गांबिया गणराज्य के विदेश मंत्री	16-22 अगस्त, 2010
7.	महामहिम श्री कत्सुआ ओकादा, जापान के विदेश मंत्री	21-22 अगस्त, 2010
8.	महामहिम डॉ. जालमे रसोल, अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य के विदेश मंत्री	24-26 अगस्त, 2010
9.	महामहिम श्रीमती मिशलिन कामी-रे, संघीय कौंसुलर, स्विट्जरलैंड के संघीय विदेश कार्य विभाग की अध्यक्ष	29-31 अगस्त, 2010
10.	महामहिम डॉ. डोनाल्ड टर्स, पोलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री (राजकीय यात्रा)	6-8 सितंबर, 2010
11.	महामहिम श्री अरमांडो इमलियों गुएबुजा, मोजांबिक गणराज्य के राष्ट्रपति (राजकीय यात्रा)	29 सितंबर-4 अक्तूबर, 2010
12.	महामहिम गाइडो वेस्टरवेली, जर्मनी के विदेश मंत्री	17-19 अक्तूबर, 2010
13.	महामहिम यूसुफ बिन अलावी बिन अब्दुल्ला, ओमान सल्तनत के विदेश मंत्री	20-22 अक्तूबर, 2010
14.	महामहिम जिग्मे खेशर नामग्याल वांगचुक, भूटान नरेश	20-29 अक्तूबर, 2010
15.	महामहिम लियेन चेन जिग्मे वाइ थिनले, भूटान के प्रधानमंत्री	30 अक्तूबर-3 नवंबर, 2010

विवरण-II

विदेश यात्राएं जुलाई-अक्तूबर, 2010

क्रम सं.	प्रतिष्ठित व्यक्ति	तारीख
1.	विदेश मंत्री की मॉरीशस, मोजांबिक, सेशल्स की यात्रा	जुलाई, 2010
2.	विदेश मंत्री की पाकिस्तान इस्लामिक गणराज्य की यात्रा	14-16 जुलाई, 2010
3.	विदेश मंत्री की अफगानिस्तान की यात्रा	19-20 जुलाई, 2010
4.	विदेश मंत्री की न्यूयार्क, संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा	21 सितंबर-2 अक्तूबर, 2010
5.	भारत के प्रधानमंत्री की जापान, मलेशिया व वियतनाम की यात्रा	24-30 अक्तूबर, 2010
6.	विदेश मंत्री की जापान की यात्रा	24-26 अक्तूबर, 2010
7.	विदेश मंत्री की सिंगापुर की यात्रा	26-28 अक्तूबर, 2010

विवरण-III

(क) भारत की यात्रा

ईरान: भारत-ईरान संयुक्त आयोग का 16वां सत्र 8-9 जुलाई, 2010 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। संयुक्त आयोग की बैठक में द्विपक्षीय आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग की समीक्षा करने का अवसर मिला।

संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों/करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे:—

1. वायु सेवा करार
2. सजायाफ्ता व्यक्तियों के अंतरण पर करार
3. नवीन एवं पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग से संबंधित समझौता-ज्ञापन
4. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) तथा ईरानी लघु उद्योग एवं औद्योगिक पार्क संगठन (आईएसआईपीओ) के बीच लघु उद्योगों में सहयोग से संबंधित समझौता-ज्ञापन
5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित सहयोग कार्यक्रम
6. सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्ज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तथा गोरेगांव कृषि विज्ञान एवं प्राकृतिक संसाधन विश्वविद्यालय के बीच सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन।

म्यांमार: दोनों पक्ष सुरक्षा, व्यापारिक व आर्थिक संबंध संपर्क, अवस्थापना विकास, तेल व प्राकृतिक गैस, कृषि, रेलवे, विद्युत तथा सांस्कृतिक इत्यादि क्षेत्रों सहित बहुआयामी संबंधों को और मजबूत व व्यापक बनाने के लिए सहमत हुए थे।

निम्नलिखित करारों/समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे:-

1. आपराधिक मामलों में पारस्परिक सहायता
2. सूचना सहयोग से संबंधित समझौता-ज्ञापन
3. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित करार
4. लघु विकास परियोजनाओं से संबंधित समझौता ज्ञापन

5. बागान में आनंद मंदिर के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार के लिए समझौता ज्ञापन

6. रेलवे अवस्थापना परियोजना के लिए 60 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण-शृंखला के लिए करार।

भारत एक निकट एवं मैत्रीपूर्ण पड़ोसी के रूप में विभिन्न मुद्दों पर म्यांमार के साथ सहयोग कर रहा है। भारत विशेष रूप से अवस्थापना (सड़कें व रेलवे) संपर्क, क्षमता निर्माण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी तथा दूर-संचार के क्षेत्र में म्यांमार के विकास में भी सहायता कर रहा है। हमारा सुरक्षा सहयोग भी मजबूत हुआ है।

यूनाइटेड किंगडम: यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान पारस्परिक हितों से संबद्ध द्विपक्षीय क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मुद्दों पर न केवल प्रधानमंत्री के स्तर पर बल्कि विभिन्न मंत्रियों के स्तर पर भी व्यापक विचार-विमर्श किए गए थे। दोनों पक्ष निम्नलिखित पर सहमत हुए थे:

> व्यापार व निवेश बढ़ाने में सहायता करने के लिए नए भारत यूके सीईओ मंच की स्थापना

> भारत में अवस्थापना क्षेत्र में निवेश संवर्धित करने के लिए दोनों सरकारों के नेतृत्व में भारत-यूके अवस्थापना समूह की स्थापना

> 2011-2015 तक यूके-भारत द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित शिक्षा एवं अनुसंधान पहल का नया चरण शुरू करना

> दोनों देशों की राष्ट्रीय संसदों के बीच वार्ता एवं आदान-प्रदान संवर्धित करना।

सांस्कृतिक सहयोग के संबंध में भारत-यूके समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। सड़क क्षेत्र में निवेश संवर्धित करने के लिए भारत सरकार तथा यूके व्यापार व निवेश संघ के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार विमर्श किए गए थे।

इसके अलावा भावी सहयोग के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की गयी थी:

(क) व्यापार, निवेश व ऊर्जा

(ख) शिक्षा, विज्ञान व अनुसंधान

(ग) रक्षा व सुरक्षा

(घ) हमारी संसदों के बीच वार्ता एवं आदान-प्रदान।

सिंगापुर: सिंगापुर के विदेश मंत्री ने नालंदा मेंटर समूह की छठी बैठक में भाग लेने के लिए भारत का कार्यकारी दौरा किया। इस यात्रा के दौरान किसी करार/समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

मैक्सिको: मैक्सिको के विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गयी थी तथा क्षेत्रीय एवं विश्वस्तरीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया था। इस यात्रा के दौरान किसी करार/समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

कोस्टारिका: कोस्टारिका के विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में अपने दूतावास के उद्घाटन के लिए भारत की यात्रा की थी। यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों तथा पारस्परिक चिंता के बहुपक्षीय मुद्दों की समीक्षा की तथा क्षेत्रीय विकास पर विचारों का आदान-प्रदान किया। इस यात्रा के दौरान किसी करार/समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

गांबिया: गांबिया पक्ष के साथ विचार-विमर्श में द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ पारस्परिक हित के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के सभी आयाम शामिल थे।

भारत के विदेश मंत्रालय तथा गांबिया गणराज्य के विदेश मामले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तथा प्रवासी गांबियाई मंत्रालय के बीच विचार-विमर्श के लिए एक प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों पक्षों के बीच परामर्श के लिए प्रोटोकोल पर हस्ताक्षर करने के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के बीच नियमित आवधिक विचार-विमर्श के लिए संस्थागत संरचना की स्थापना हुई।

शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए 500.000 अमरीकी डालर (5 मिलियन अमरीकी डालर) की अनुदान राशि की घोषणा की गयी थी।

भारत ने गांबिया में एक होल-इन-द-वाल वर्क स्टेशन स्थापित करने की पेशकश की है।

जापान: जापान के विदेश मंत्री ने भारत-जापान रणनीतिक वार्ता के लिए भारत की यात्रा की थी। दोनों पक्षों ने विचारों का आदान प्रदान किया कि राजनीतिक, आर्थिक व सुरक्षा के क्षेत्र में भारत-जापान रणनीतिक सहभागतिता तथा लोगों में आपसी संपर्क को कैसे और मजबूत बनाया जा सकता है? उन्होंने सामान्य हितों के क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विनिमय किया। इस यात्रा के दौरान किसी करार/समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

अफगानिस्तान: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की यात्रा दोनों पक्षों के बीच नियमित उच्चस्तरीय आदान-प्रदान का भाग थी तथा इसमें भारत व अफगानिस्तान दोनों द्वारा अपनी रणनीतिक व विकास सहभागिता को दर्शाया गया था। दोनों पक्ष इस बारे में सहमत थे कि आतंकवाद क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता भंग करने वाला मुख्य खतरा है तथा उन्होंने उनसे प्रभावशाली ढंग से निपटने तथा समाप्त करने के लिए अपना संकल्प दोहराया। दोनों पक्षों ने भारत व अफगानिस्तान के बीच एक साथ ऐतिहासिक व सांस्कृतिक गठबंधन पर आधारित रणनीतिक सहभागिता तथा सामान्य हितों व मूल्यों पर जोर दिया। भारत ने एक सशक्त, स्थिर, शांतिपूर्ण व समृद्ध अफगानिस्तान को देखने की अपनी इच्छा व्यक्त की तथा अफगानिस्तान के लोगों की इच्छाओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार अफगानिस्तान के विकास प्रयासों में सहायता करने के लिए अपनी वचनबद्धता दोहरायी। इस यात्रा के दौरान किसी करार/समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

स्विट्जरलैंड: बातचीत में पारस्परिक हितों के विभिन्न प्रकार के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे शामिल थे। इस यात्रा के दौरान स्विट्जरलैंड के साथ दोहरे कराधान परिहार्य करार में संशोधन करने के लिए प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए गए थे।

दोहरे कराधान परिहार्य करार पर संशोधन करने वाले प्रोटोकोल से भारत से स्वीस परिसंघ में तथा स्वीस परिसंघ से भारत में निवेश, प्रोद्योगिकी तथा कार्मिकों के प्रवाह में तेजी आएगी।

पोलैंड: पोलैंड ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन दोहराया। दोनों पक्षों ने व्यापार व निवेश के क्षेत्र में अपने संबंधों को घनिष्ठ बनाने के लिए विचार-विमर्श किया तथा वे अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार के मूल्यों को दोगुना करने के लिए ठोस प्रयास करने के लिए सहमत थे। दोनों पक्षों ने प्रदूषण रहित कोयला प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भी सहमति व्यक्त की थी।

दोनों पक्षों ने वर्ष 2010-2013 के दौरान सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर भी हस्ताक्षर किए थे, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सांस्कृतिक संपर्क संवर्धित होंगे।

इस यात्रा से व्यापार निवेश रक्षा व संस्कृति के क्षेत्रों सहित पारंपरिक रूप से धनिष्ठ भारत-पोलैंड संबंध और मजबूत होंगे।

मोजांबिक: मोजांबिक के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय हितों के विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया तथा वे रणनीतिक सहभागिता के लिए संबंध स्थापित करने हेतु कार्य करने के लिए सहमत थे। इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों/करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(i) खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन;

(ii) दोहरे कराधान परिहार्य करार; तथा

(iii) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन।

भूटान: भूटानी गणमान्य व्यक्तियों की यात्रा के दौरान साझा हितों के विभिन्न मुद्दों तथा सहयोग के क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किए गए थे। इन यात्राओं के दौरान किसी द्विपक्षीय करार/समझौता ज्ञापन/संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

भारत-भूटान सहयोग अच्छे पड़ोसी संबंधों का उदाहरण है। इनका पोषण दोनों देशों के बीच नियमित उच्चस्तरीय आदान-प्रदान के माध्यम से हुआ है। भारत सरकार पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक सहयोग सहित भूटान के साथ ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ इन संबंधों को और संवर्धित करने के लिए वचनबद्ध है।

जर्मनी: भारतीय नेताओं के साथ जर्मनी के निवेश मंत्री की चर्चा पारस्परिक चिंता के विभिन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय व बहुपक्षीय मुद्दों पर केंद्रित थी।

इस यात्रा के दौरान भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद तथा जर्मन संघीय विदेश कार्यालय के बीच पारस्परिक आधार पर 2011-2012 में भारत में जर्मन वर्ष तथा 2012-13 में जर्मन में भारतीय दिवस आयोजितकरने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों देशों के बीच सामरिक सहभागिता तथा सहयोग को और मजबूत बनाने तथा साथ ही जर्मनी व भारत के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ बनाने के उद्देश्य से 2011-2012 में भारत में जर्मनी वर्ष तथा 2012-13 में जर्मन में भारतीय दिवस आयोजित किए गए थे।

दो वर्षों में दोनों देशों के लोगों के बीच पारस्परिक सूझबूझ व पारंपरिक मित्रता संवर्धित होगी। दोनों पक्ष अपने समारोह कार्यक्रमों से राजनीतिक, व्यापार, संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान व अनुसंधान के क्षेत्रों में अपने सहयोग का पूरा परिदृश्य प्रदर्शित करने का इरादा रखते हैं।

ओमान: दोनों पक्षों द्वारा आयोजित वार्ता में पारस्परिक हितों के विभिन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे शामिल थे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्चस्तरीय आदान-प्रदान का भाग थी, जिससे हमारे संबंधों में और प्रगाढ़ता तथा गतिशीलता आयी है। इस यात्रा के दौरान किसी करार/समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे।

राष्ट्रमंडल खेल: दिल्ली में आयोजित 19वें राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने के लिए नेरू के राष्ट्रपति, वेल्स के राजकुमार, मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति, न्यूजीलैंड के गवर्नर जनरल, श्रीलंका के राष्ट्रपति तथा मोनाको के प्रिंस अल्बर्ट ने भारत की यात्रा की।

(ख) विदेश के दौरे

विदेश मंत्री की मॉरीशस यात्रा: मॉरीशस के नेताओं के साथ व्यापक चर्चा हुई, जिसमें भारत और मॉरीशस के बीच द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्र शामिल थे और जिसमें परस्पर रुचि और चिंता के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस यात्रा से भारत और मॉरीशस के बीच परंपरागत, समय की कसौटी पर खरे और ऐतिहासिक संबंधों को और अधिक समेकित और विकसित करने का एक अन्य अवसर भी मिला।

इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए:

(i) अपतटीय गश्ती नौकाओं की आपूर्ति पर समझौता ज्ञापन;

(ii) भारतीय महासागर सूचना सेवा राष्ट्रीय केंद्र (आईएनसीओआईएस) और दी मेटियोरोलॉजिकल सर्विसेज, मॉरीशस के बीच तटीय खतरों की पूर्व चेतावनी पर करार;

(iii) भारत और मॉरीशस के बीच वर्ष 2010-2013 के लिए सांस्कृतिक सहयोग कार्यक्रम;

(iv) मानकीकरण, जांच और गुणवत्ता नियंत्रण निदेशालय (एसटीक्यूसी), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और नेशनल कंप्यूटर बोड, मॉरीशस सरकार के बीच करार;

(v) महत्मा गांधी संस्थान, मॉरीशस में संस्कृत और भारतीय दर्शन की एक अतिथि पीठ स्थापित करने पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और महात्मा गांधी संस्थान (एमजीआई) मॉरीशस के बीच करार।

विदेश मंत्री की मोजांबिक यात्रा: यात्रा के दौरान द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर चर्चा की गयी।

यात्रा के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए/घोषणा की गई:

(i) मोजांबिक के काबो डेलगाडो, निआस्सा और मनीका प्रांतों में ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए भारत के बीच भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले 25 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण-श्रृंखला के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए गए।

(ii) मोजांबिक में कोयला के क्षेत्र में एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए 40 मिलियन अमरीकी डालर प्रदान करने और स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में परियोजना आधारित प्रस्तावों के लिए 5 मिलियन अमरीकी डालर के अनुदान की भारत सरकार के निर्णय की भी घोषणा की गयी।

विदेश मंत्री की सेशल्स यात्रा: यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की और सेशल्स के राष्ट्रपति की जून, 2010 में हुई भारत की राजकीय यात्रा के

दौरान उद्घोषित अनुवर्ती निर्णयों की समीक्षा की। यात्रा के दौरान किसी भी करार/समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा: दोनों मंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की और भरोसा एवं विश्वास को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। परस्पर रुचि और चिंता के सभी मुद्दों को शामिल करने के लिए वार्ता-प्रक्रिया का विस्तार करने के चरणबद्ध, निर्मित और प्रगतिशील दृष्टिकोण के भाग के रूप में भारत ने महत्वपूर्ण मानवीय मुद्दों पर और अधिक तालमेल करने के प्रति अपनी इच्छा प्रकट की, जिसमें विशेष रूप से दोनों देशों की जेलों में बंद कैदियों और मछुआरों की शीघ्र रिहाई और वापसी; व्यापार एवं वाणिज्य का संवर्धन; जम्मू व कश्मीर के लोगों के कल्याण के लिए आपसी विश्वासोत्पादक उपायों को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ करना; और लोगों का लोगों के साथ और अधिक संपर्क/मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान शामिल है।

विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के नेताओं द्वारा शीर्षस्थ स्तरों पर अपने नियंत्रण वाले भूभाग का उपयोग भारत की ओर निर्देशित किसी भी आतंकी कार्य के लिए करने की अनुमति नहीं देने की व्यक्त की गई औपचारिक प्रतिबद्धता को सही भावना से पूरा किया जाना सबसे बड़ा विश्वासोत्पादक उपाय होगा। इसके अलावा विदेश मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि पाकिस्तान की जमीन से भारत पर होने वाले किसी भी भावी आतंकी हमले से संबंधों के सामान्य होने की प्रक्रिया को गंभीर क्षति पहुंचेगी। विदेश मंत्री ने भारत के विरुद्ध हिंसा भड़काना जारी रखने वाले जमात-उद्-दावा जैसे आतंकी गुटों और हाफिज सईद जैसे उनके नेताओं के विरुद्ध विश्वसनीय और ठोस कार्रवाई करने की मांग की। यात्रा के दौरान किसी भी करार/समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

विदेश मंत्री की अफगानिस्तान यात्रा: अफगानिस्तान के समुन्नत विकास, शासन-पद्धति और स्थिरता के लिए अफगान सरकार के नेतृत्व वाली योजना पर चर्चा करने और समर्थन देने के लिए 20 जुलाई, 2010 को अफगानिस्तान पर काबुल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान की यात्रा की। यात्रा के दौरान किसी भी करार/समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

विदेश मंत्री की न्यूयार्क, अमरीका की यात्रा: विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 65वें सत्र की आम बहस में भाग लेने के लिए 21 से 30 सितंबर तक न्यूयार्क में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

विदेश मंत्री ने 29 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक वक्तव्य देने के अलावा सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य शिखर बैठक और निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन के कार्यों को पुन: सक्रिय बनाने संबंधी बैठक, सूडान पर उच्च स्तरीय बैठक, जी-4, इब्सा, गुट निरपेक्ष आंदोलन, सार्क, जी-15, राष्ट्रमंडल जैसी अन्य मंत्रिस्तरीय बैठकों सहित कई महत्वपूर्ण बहुपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकों में सम्मिलित हुए।

प्रधानमंत्री की जापान यात्रा: प्रधानमंत्री ने वार्षिक शिखर बैठक में भाग लेने के लिए टोक्यो की यात्रा की। प्रधानमंत्री की यात्रा और जापान के नेताओं के साथ उनकी बैठकों से जापान के साथ हमारी "सामरिक और वैश्विक सहभागिता" की पुष्टि हुई। दोनों प्रधानमंत्री ने भारत-जापान गहन आर्थिक भागीदारी करार पर वार्ताओं की समाप्ति की घोषणा की। यात्रा के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए:

(क) संयुक्त वक्तव्य: अगले दशक में भारत-जापान सामरिक एवं वैश्विक सहभागिता के लिए दृष्टिकोण;

(ख) गहन आर्थिक भागीदारी करार की समाप्ति पर भारत और जापान के नेताओं के बीच संयुक्त घोषणा-पत्र;

(ग) भारत और जापान के बीच वीजा प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी ज्ञापन।

ऊपर के पहले दोनों दस्तावेज प्रधानमंत्री जी की यात्रा के दौरान हुई राजनीतिक समझ को दर्शाते हैं। भारत और जापान के नागरिकों को पर्यटन, व्यापार, रोजगार और शैक्षिक प्रयोजनवश एक-दूसरे देश की यात्रा करने के लिए वीजा प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी ज्ञापन सुलभ बनाता है।

प्रधानमंत्री की मलेशिया की यात्रा: प्रधानमंत्री की मलेशिया के अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं के साथ-साथ परस्पर रुचि के क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। दोनों प्रधानमंत्री भारत-मलेशिया द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और उसे और प्रगाढ़ बनाने के लिए एक सामरिक

भागीदारी स्थापित करने पर सहमत हुए। यात्रा के दौरान निम्नलिखित छह समझौता ज्ञापन/करार पर हस्ताक्षर किए गए:

> व्यापक आर्थिक सहयोग करार को कार्यान्वित करने के लिए करार;

> पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग करने (सीईसीए) के लिए समझौता ज्ञापन;

> औषधि की पारंपरिक पद्धतियों पर समझौता ज्ञापन;

> सूचना प्रौद्योगिकी एवं सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन;

> वर्ष 2013 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम;

> अनुसंधान और विकास सहयोग पर भारत के सीएसआईआर और मलेशिया के यूएनआई के बीच करार।

ये समझौता ज्ञापन मलेशिया के साथ सहयोग को मजबूत बनाएंगे, बढ़ावा देंगे और विकसित करेंगे।

प्रधानमंत्री की वियतनाम यात्रा: प्रधानमंत्री ने 8वें भारत-आसियान शिखर बैठक और पांचवीं पूर्व एशिया शिखर बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए हनोई, वियतनाम की यात्रा की।

8वां भारत-आसियान शिखर बैठक आसियान के अंदर विकास के अंतर को कम करने, भारत-म्यांमार-थाइलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग का निर्माण कर आसियान और दक्षिण एशिया के बीच परिवहन नेटवर्क, आईसीटी संपर्क, व्यापार एवं पर्यटन सुविधा, विमानन सहयोग लोगों का लोगों के साथ आदान-प्रदान इत्यादि के लिए आसियान एकीकरण और आसियान संपर्क के पहल पर केंद्रित थी।

पांचवीं पूर्व एशिया शिखर बैठक में चर्चाएं प्राथमिकता वाले पांच क्षेत्रों—वित्त, शिक्षा, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और एवियन-फ्लू की रोकथाम पर केंद्रित थी। आसियान के अंदर संपर्क, ऊर्जा पर क्षेत्रीय सहयोग, जलवायु परिवर्तन, दोहा दौर जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। शिखर बैठक में कोरिया प्रायद्वीप में शांति और स्थिरता बनाए रखने, म्यांमार में चुनाव, लोगों की अवैध आवाजाही और संबंधित सीमा-पार अपराध पर भी चर्चा हुई।

आठवें भारत-आसियान शिखर बैठक और पांचवीं पूर्व एशिया शिखर बैठक के संदर्भ में किसी भी समझौता ज्ञापन/संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

विदेश मंत्री की सिंगापुर यात्रा: विदेश मंत्री ने सिंगापुर की अपनी यात्रा के दौरान अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। इस यात्रा के दौरान किसी भी करार/समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

भारत-पाक वार्ता

305. श्री यशवंत सिन्हा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने उनके तथा भारत के विदेश मंत्री के बीच संभावित वार्ता की कार्य-सूची के संबंध में नई दिल्ली को कुछ "सुझाव" भेजे थे;

(ख) यदि हां, तो इन "सुझावों" का ब्यौरा क्या है;

(ग) यू.एन.जी.ए. की बैठक के दौरान भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों के बीच कोई बैठक नहीं होने के क्या कारण हैं; और

(घ) भारत और पाकिस्तान के बीच और वार्ता का रोडमैप क्या है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) से (घ) भारत के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बीच 15 जुलाई, 2010 को इस्लामाबाद में हुई बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और आस्था एवं विश्वास को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। इस चर्चा से दोनों देश विभिन्न मुद्दों पर एक-दूसरे की स्थिति के प्रति बेहतर समझ बनाने में समर्थ हुए। भारत ने हमेशा ही पारस्परिक हित और चिंता के सभी मुद्दों को शामिल करने के लिए संवाद में कदम-दर-कदम, सतत एवं प्रगतिशील दृष्टिकोण की वकालत की है। कुछ मुद्दों पर आगे के मार्गों के संबंध में विचारों की भिन्नता के बावजूद अनेक मुद्दों पर व्यापक सहमति थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने उपयुक्त तिथियों को दिल्ली का दौरा करने संबंधी विदेश मंत्री के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है, जिसका निर्णय राजनयिक माध्यमों से लिया जाएगा।

नेपाली मीडिया द्वारा भारत विरोधी प्रचार

306. **श्री जगदम्बिका पाल : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नेपाली मीडिया के एक भाग द्वारा भारत-विरोधी शत्रुतापूर्ण प्रचार की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे प्रचार के पीछे के उद्देश्यों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस मामले को नेपाल सरकार के साथ उठाया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर नेपाल सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) से (घ) सरकार को नेपाली मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा किए जा रहे भारत-विरोधी दुष्प्रचार की जानकारी है। भारत और नेपाल के बीच युगों पुराने सभ्यतामूलक संपर्क हैं। साथ ही एक खुले एवं मुक्त समाज के रूप में नेपाल में मीडिया सहित अन्य क्षेत्रों में विभिन्न मतों के लोग रहते हैं, भारत के संबंध में जिनके विचार यदा-कदा शत्रुतापूर्ण होते हैं।

(ङ) और (च) नेपाल में संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में हमारी चिंताओं से अवगत करा दिया गया है।

बारहवीं कक्षा के लिए एकसमान स्तर

307. **श्री एम.के. राघवन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में प्रवेश के लिए बारहवीं कक्षा के अंकों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो देश में विभिन्न स्कूल बोर्डों में बारहवीं कक्षा के अंकों के एकसमान स्तर के लिए ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक राज्य बोर्ड के स्तर के माप के लिए क्या मानदंड तैयार किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) देश के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में दाखिले हेतु कक्षा XII के अंकों को शामिल करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

वेदान्ता परियोजना

308. **श्री रामकिशुन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वेदान्ता परियोजना पर एन.सी. सक्सेना की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति का ब्यौरा तथा इसकी सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने दिनांक 29.06.2010 को डॉ. एन. सी. सक्सेना, डॉ. एस. परसुरमन, डॉ. प्रमोद कांत और डॉ. अमिता बाविसकार को शामिल करते हुए निम्नलिखित विचारार्थ विषयों पर एक समिति का गठन किया:—

(i) परियोजना के प्रस्तावित क्षेत्र के भीतर और उसके आस-पास वनाधिकार अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन की स्थिति की जांच करना और सुनिश्चित करना।

(ii) वन प्रयोक्ताओं के 'संसाधन विस्थापन' और पुनर्वास योजना सहित परियोजना में संभावित वास्तविक और आर्थिक विस्थापन की जांच करना।

(iii) पुरातन जनजाति डोंगरिया कोंध के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच करना।

(iv) उस क्षेत्र की जैव-विविधता, वन्यजीव और पारिस्थितिक संभावित प्रभाव की जांच करना।

(v) यदि समिति के सदस्य अपनी रिपोर्ट के संबंध में किसी भी मुद्दे की जांच अथवा पूछताछ करना चाहें, तो इसके लिए समिति स्वतंत्र होगी।

(ग) और (घ) समिति ने निम्न सिफारिशों सहित अपनी रिपोर्ट 16.08.2010 को प्रस्तुत की:

- समिति द्वारा लिए गए मौखिक और कागजी साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध किया गया है कि डोंगरिया और कुटिया कोंध जनजातियां, प्रस्तावित खनन पट्टा (पीएमएल) क्षेत्र तथा उससे घिरे सघन वन में, विभिन्न प्रकार के वन उत्पाद एकत्र करने के लिए ढलानों पर परंपरागत, रीति-रिवाजों के अनुरूप एवं औपचारिक रूप से अकसर जाते रहे हैं और यदि इस क्षेत्र को खनन के लिए उपयोग करने हेतु परिवर्तित किया जाता है तो इससे उनके ये अधिकार समाप्त हो जाएंगे।

- पर्यावरण और वन मंत्रालय, वन क्षेत्र का उपयोग वनेत्तर उद्देश्यों हेतु करने की मंजूरी नहीं दे सकता क्योंकि इस मंजूरी के लिए 3 अगस्त, 2009 को इसके परिपत्र द्वारा निर्धारित विधिक शर्तें पूरी नहीं की गई हैं। इनमें निम्नलिखित शर्तें शामिल हैं: वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत, अधिकारों को मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं की गई हैं, संबंधित वर्ग की सहमति न ही मांगी गई और न ही प्राप्त की गई; और संबंधित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं (अनुसूचित क्षेत्र में स्थापित कस्बे) द्वारा यथापेक्षित इन दोनों बिन्दुओं को प्रमाणित नहीं किया गया।

- खनन के कारण नियामगिरि पहाड़ियों की पारि-व्यवस्था; जो एक समृद्ध वन्यजीव पर्यावास होने के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण एवं मान्यता-प्राप्त हाथी गलियारा भी है, बुरी तरह अवक्रमित हो जाएगी और डोंगरियां कोंध की पर्याप्त वन आधारित आजीविका खतरे में पड़ जाएगी और धीरे-धीरे उनकी संस्कृति समाप्ति की ओर अग्रसर होती चली जाएगी।

- पर्वत के शीर्ष पर, कई वर्षों से डोंगरिया कोंध द्वारा उनके देवता, नियाम राजा की तरह पवित्र मानकर सुरक्षित रखा गया और क्षेत्र की उर्वरता के लिए अनिवार्य 7 किमी. से अधिक क्षेत्र का पवित्र अबाधित वन क्षेत्र, अपनी वनस्पति मृदा से वंचित हो जाएगा तथा एक वृहत बंजर परिव्यक्त भूमि में बदल जाएगा।

- खनन से बाहरी लोगों के आने के लिए डोंगरिया के क्षेत्रों से गुजरने वाली सड़कें बनेंगी, जो एक ऐसी प्रवृति है जो पहले ही पहाड़ियों की समृद्ध जैव विविधता को खतरे में डालती है।

- प्रस्तावित खनन पट्टे स्थल का खनन 1 एमपीटीए की मौजूदा क्षमता से 6 एमटीपीए तक इसके चालू विस्तार (जिसके लिए उन्होंने अनुमति प्रदान करने से पूर्व, काफी कार्य पहले ही पूरा कर लिया है) के बाद रिफाइनरी की 18 एमटीपीए की कुल वार्षिक आवश्यकता में से केवल 3 एमटीपीए उपलब्ध कराएगा। प्रस्तावित खनन स्थल की रिफाइनरी के भविष्य से कम संबद्धता है और इसकी कार्य प्रणाली के लिए यह बिल्कुल भी संकटपूर्ण नहीं है जैसाकि कम्पनी और राज्य अधिकारियों द्वारा दावा किया जा रहा है।

- वेदान्त कम्पनी ने राज्य अधिकारियों के साथ सक्रिय सांठ-गांठ से एफसीए, एफआरए, ईपीए और उड़ीसा वन अधिनियम का लगातार उल्लंघन किया है। उनका अपनी रिफाइनरी के भीतर लगभग 26,123 हेक्टेयर ग्राम वन भूमियों को अवैध रूप से घेरते और कब्जा करते हुए, आदिवासियों, दलितों और अन्य ग्रामीण निर्धनों को उनके अधिकारों से वंचित करना शायद इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है।

(ङ) रिपोर्ट की सावधानी से जांच के बाद केन्द्र सरकार ने इस विषय पर निम्नलिखित कार्रवाई की:—

(i) उड़ीसा में कालाहांडी और रायगढ़ जिलों में लांजीगढ़ बाक्साइट रिजर्व में बाक्साइट अयस्क के खनन के लिए उड़ीसा खनन कॉरपोरेशन के पक्ष में 660.749 हेक्टेयर वन भूमि के अपवर्तन हेतु स्टेज-II वन मंजूरी अस्वीकृत की।

(ii) चूंकि स्टेज-II वन मंजूरी को अस्वीकृत कर दिया गया, इसलिए उक्त खान के लिए पर्यावरण मंजूरी अमान्य हो गई।

(iii) मैसर्स वेदान्त एल्युमिनियम लिमिटेड द्वारा उड़ीसा में कालाहांडी जिले में लांजीगढ़ में 1 एमपीटीपीए एल्युमिना रिफाइनरी और 75 मेगावाट केपेटिव विद्युत संयंत्र पर अतिरिक्त पर्यावरणीय सुरक्षोपाय तैयार करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत निर्देश जारी किए गए।

(iv) एल्युमिना रिफाइनरी के 1 एमटीपीए से 6 एमटीपीए तक और 75 मेगावाट सीपीपी के 300 मेगावाट सीपीपी तक विस्तार के लिए 12 मार्च, 2009 को जारी विचारार्थ विषय वापिस लिए गए और परिणामस्वरूप 25 अप्रैल, 2009 को आयोजित की गई जन सुनवाई निरस्त मानी गई।

(v) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत मैसर्स वेदान्त एल्युमिनियम लिमिटेड को स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने और परियोजना के विस्तार के संबंध में आगे निर्माण न करने के लिए निर्देश जारी किए गए।

(vi) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत निर्देश, जारी किए गए कि सचिव, वन और पर्यावरण विभाग, उड़ीसा सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना 2006 के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई करेगा।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय असमानताएं

309. **श्री नृपेन्द्र नाथ राय : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अवसंरचना का विकास तथा कनेक्टिविटी क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए एकल सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने कतिपय गरीबी निवारण कार्यक्रम तैयार किए हैं जिनका जोर उड़ीसा तथा झारखंड राज्यों सहित देश में अवसंरचना तथा कनेक्टिविटी पर है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) क्षेत्रीय असमानताएं विभिन्न कारकों जैसे संसाधन संपन्नता में भिन्नताओं, भौगोलिक और ऐतिहासिक विशेषताओं, अवसंरचना की उपलब्धता आदि के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं। किसी क्षेत्र की आयोजना और विकास मुख्यत: संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का उत्तरदायित्व है। केन्द्र सरकार अपनी ओर से विभिन्न विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रमों, महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

(ग) और (घ) उड़ीसा और झारखंड सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी उपशमन और अवसंरचना तथा सम्पर्कता पर भी ध्यान केन्द्रण वाली विभिन्न स्कीमें प्रचालन में हैं। प्रमुख विकास कार्यक्रम/स्कीमें जो देश में इस समय प्रचालन में हैं, इस प्रकार हैं: (i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआईजीए), (ii) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), (iii) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), (iv) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), (v) एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), (vi) पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी), (vii) मध्याह्न भोजन स्कीम (एमडीएम), (viii) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), (ix) इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), (x) जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), (xi) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), (xii) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई), (xiii) राजीव गांधी पेयजल मिशन (आरजीडीडब्ल्यूएम), (xiv) त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी), (xv) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और (xvi) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ)।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी रोजगार ब्यूरो

310. **श्री नारनभाई कछाड़िया : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थापित विदेशी रोजगार ब्यूरो का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान गुजरात में ब्यूरो के पास पंजीकृत व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान गुजरात के कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) मंत्रालय ने देश में कोई विदेशी रोजगार ब्यूरो स्थापित नहीं किया है। प्रवासी रोजगार के लिए भर्ती या तो सीधे ही विदेशी नियोक्ता द्वारा अथवा उनकी ओर से अधिकृत भर्ती एजेन्सियों द्वारा की जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल सहित कुछ राज्यों की अपनी प्रवासी रोजगार भर्ती एजेंसियां हैं।

(ग) 17 अधिसूचित देशों में रोजगार चाहने वाले भारतीय कामगारों की उत्प्रवास जांच अपेक्षित वाली श्रेणी का उत्प्रवास, उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत विनियमित होता है। गुजरात से ऐसे लोगों, जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान ईसीआर देशों में उत्प्रवास किया है की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	गुजरात से उत्प्रवासियों की संख्या
2007	20066
2008	15716
2009	9185
2010 (अक्तूबर तक)	6865

के.वी.एस. कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना

311. **श्री पी.टी. थॉमस : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2004 के पूर्व केन्द्रीय विद्यालय संगठन में योगदान करने वाले केन्द्रीय विद्यालय संगठन के नियमित कर्मचारी किसी पेंशन योजना के अंतर्गत कवर नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन कर्मचारियों को किसी पेंशन योजना के दायरे में लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या 1988 के पश्चात् कर्मचारियों को पुरानी अंशदायी भविष्य निधि से पेंशन योजना में स्विच ओवर करने का विकल्प दिया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केन्द्रीय विद्यालय शिक्षकों तथा कर्मचारियों को विद्यमान सीजीएचएस सुविधाओं के अंतर्गत शामिल किया गया है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) के नियमित कर्मचारी जिन्होंने 2004 से पहले कार्यभार ग्रहण किया है वे या तो सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) एवं पेंशन योजना या अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) योजना के अंतर्गत आते हैं। कुछ नियमित अधिकारी जिन्होंने 2004 से पहले कार्यभार ग्रहण किया है और अंशदायी भविष्य निधि को अपनाया है, को अभी तक केन्द्रीय विद्यालय संगठन की किसी पेंशन योजना में शामिल नहीं किया गया है। प्रभावी कर्मचारियों के अभ्यावेदन को नियमित पेंशन योजना में शामिल करने पर विचार किया गया था लेकिन कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग) के दिनांक 1/5/1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/1/87-पीआईसी में निहित आदेशों के अनुसार 31.01.1989 के बाद इसे स्वीकार नहीं किया जा सका जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि वे कर्मचारी जिन्होंने 31/12/03 को या उससे पहले कार्यभार ग्रहण किया है और अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा अभिशासित किए गए थे, सामान्य भविष्य निधि एवं पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं हैं और वे अंशदायी भविष्य निधि योजना द्वारा अभिशासित किए जाएंगे।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) सुविधाएं, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिल्ली स्थित मुख्यालय के कर्मचारियों तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिल्ली स्थित छः क्षेत्रीय कार्यालय के स्टाफ को प्रदान की गई हैं जिसकी सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(छ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना अधिकारियों से अनुरोध किया है कि सीजीएसएच सुविधाएं, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सभी कर्मचारियों को दी जाएं, परंतु इस अनुरोध को इस आधार पर नहीं माना गया कि लाभग्राहियों के नए वर्गों को सीजीएचएस सुविधाएं प्रदान न करने तथा मौजूदा लाभग्राहियों के लिए सुविधाएं समेकित करने की नीति है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों जिन्हें सीजीएचएस सुविधाओं में शामिल नहीं किया गया है, को केन्द्रीय सेवा (मेडिकल अटेंडेंस) नियमावली के तहत शामिल किया गया है।

विवरण

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के छः क्षेत्रिय कार्यालयों का ब्यौरा

दिल्ली क्षेत्र

(1) केवीएस, क्षेत्रीय कार्यालय (क्षे.का.), दिल्ली

मुंबई क्षेत्र

(1) केवीएस, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई

(2) केन्द्रीय विद्यालय (केवी), सं. 1, कोलाबा

(3) केवी, सं. 2, कोलाबा

(4) केवी, सं. 3 कोलाबा

(5) केवी, भानदूप

(6) केवी, आईआईटी पोवाई

(7) केवी, कोलीवाड़ा

(8) केवी, मानखुर्द

हैदराबाद क्षेत्र

(1) केवीएस, क्षे.का. हैदराबाद

(2) केवी सं. 1 डिंडीगल

(3) केवी, बोलारम

(4) केवी बारकस सीआरपीएफ

(5) केवी, गोलकोंडा सं. 1

(6) केवी, कंचनबाग

(7) केवी, तिरुमालागिरि

(8) केवी, उप्पल सं. 1

(9) केवी, उप्पल सं. 2

(10) केवी, बेगमपेट, एएफएस

(11) केवी, हाकिमपेट

(12) केवी, शिवरामपल्ली

(13) केवी, गोलकोंडा सं. 2

(14) केवी, डुंडीगल

(15) केवी, गाचीबावली

(16) केवी, बोवनपल्ली

(17) पिकेट

कोलकाता क्षेत्र

(1) केवीएस, क्षे.का., कोलकाता

(2) केवी, संत्रागाची

(3) केवी, कोसीपोर

(4) केवी, फोर्ट विलियम

(5) केवी, बेलीगुंगे

(6) केवी, कॉम. हॉस्पिटल

(7) केवी, एएफ दमदम

(8) केवी, गार्डन रिच

(9) केवी, साल्ट लेक सं. 1

(10) केवी, साल्ट लेक सं. 2

(11) केवी, आईआईएम जोका

चेन्नई क्षेत्र

(1) केवीएस, क्षे.का., चेन्नई

(2) केवी, अन्ना नगर

(3) केवी, अशोक नगर

(4) केवी, एएफएस अवाडी

(5) केवी, सीआरपीएफ अवाडी

(6) केवी, एचवीएफ अवाडी

(7) केवी, ओसीएफ अवाडी

(8) केवी, सीएलआरआई

(9) केवी, डीजीक्यूए

(10) केवी, आईलैंड ग्राउंड

(11) केवी, गिल नगर

(12) केवी, आईआईटी कैम्पस

(13) केवी, मिनाम्बकम

(14) केवी, सं. 2, तामबरम

बैंगलोर क्षेत्र

(1) केवीएस, क्षे.का., बैंगलोर

(2) केवी, एएससी बैंगलोर

(3) केवी, डीआरडीओ बैंगलोर

(4) केवी, हेबल

(5) केवी, आईआईएससी बैंगलोर

(6) केवी, सं. 1, जालाहल्ली

(7) केवी, सं. 2 जालाहल्ली

(8) केवी, एमईजी एंड सेंटर

(9) केवी, एमजी रेलवे कॉलोनी

(10) केवी, मल्लेश्वरम

(11) केवी, एनएएल

(12) केवी, येलाहंका

(13) केवी, सीआरपीएफ येलाहंका

(14) केवी, आरडब्ल्यूएफ येलाहंका

ई-पासपोर्ट

312. **श्री के.सी. वेणुगोपाल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना ई-पासपोर्ट पायलट परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा होने के आधार पर वर्तमान वर्ष से ई-पासपोर्ट प्रणाली प्रारंभ करने की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की योजना उन सभी आवेदकों को ई-पासपोर्ट जारी करने की है जो आगामी वर्ष से पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार सामान्य श्रेणी पासपोर्ट के लिए ई-पासपोर्ट परियोजना की व्यवहार्यता का मूल्यांकन कर रही है।

सी.बी.आई. न्यायालय

313. **श्री ए. सम्पत** : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे राज्यों की राजधानियों में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) न्यायालयों की स्थापना करने की मांग की जाती रही है जहां ऐसे न्यायालय नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तिरुवनंतपुरम, केरल में सी.बी.आई. की खंडपीठ की स्थापना करने हेतु किए गए अनुरोध पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान सी.बी.आई. द्वारा जांच किए जा रहे मामलों तथा दर्ज किए गए आरोप-पत्रों में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश से पत्र प्राप्त होने पर, केन्द्रीय सरकार ने, विभिन्न राज्यों में सी.बी.आई. मामलों से संबंधित मुकदमों की सुनवाई के लिए 71 अतिरिक्त विशेष न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। इन न्यायालयों का स्थान-वार तथा राज्य-वार विस्तृत विवरण संलग्न है।

(ग) तिरुवनंतपुरम, केरल में विशेष न्यायालय स्थापित करने की आवश्यक मंजूरी दिनांक 09.09.2010 को जारी की चुकी है।

(घ) और (ङ) पिछले 3 वर्षों के दौरान सी.बी.आई. द्वारा जांच किए गए मामलों की संख्या तथा दर्ज किए गए आरोप पत्रों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	जांच किए गए मामलों की संख्या	दर्ज आरोप पत्रों की संख्या
2007	940	851
2008	991	843
2009	1119	806
2010 (सितम्बर, 2010 तक)	803	592

राज्य-वार सूचना केन्द्रीकृत रूप में नहीं रखी जाती।

विवरण

सीबीआई मामलों की सुनवाई से संबंधित विशेष तौर पर गठित अतिरिक्त विशेष न्यायालयों को स्थानवार तथा राज्यवार दर्शाने वाला विस्तृत विवरण

राज्य	स्थान	अतिरिक्त प्रस्तावित न्यायालयों की सं.
1	2	3
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	3
	विशाखापटनम	2
असम	गुवाहाटी	2
बिहार	पटना	3
छत्तीसगढ़	रायपुर	1
दिल्ली	दिल्ली	15
गुजरात	अहमदाबाद	2
गोवा	गोवा	1
हिमाचल प्रदेश	शिमला	1
हरियाणा	अम्बाला	1
झारखंड	रांची	2
	धनबाद	4
जम्मू और कश्मीर	जम्मू	1
कर्नाटक	बेंगलूरू	2
	धारवाड़	1
केरल	एर्नाकुलम	1
मध्य प्रदेश	भोपाल	1
	जबलपुर	1

1	2	3
महाराष्ट्र	मुम्बई	3
	पुणे	1
	नागपुर	1
	अमरावती	1
उड़ीसा	भुवनेश्वर	4
राजस्थान	जयपुर	2
तमिलनाडु	चेन्नई	3
उत्तर प्रदेश	लखनऊ	4
	गाजियाबाद	2
पश्चिम बंगाल	कोलकाता	6
कुल		71

कार्नेटिक और हिन्दुस्तानी संगीत सीखने हेतु छात्रवृत्ति

314. **डॉ. एम. तम्बिदुरई :** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कार्नेटिक संगीत तथा हिन्दुस्तानी संगीत आदि सीखने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी छात्रवृत्ति राशि स्वीकृत की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष-वार और राज्य-वार कुल कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई है;

(घ) क्या छात्रवृत्ति राशि तथा वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए छात्रों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, हां।

(ख) संस्कृति मंत्रालय के तहत स्वायत्त संगठन, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा कार्यान्वित की जा रही "सांस्कृतिक प्रतिभा खोज शिक्षावृत्ति स्कीम" के तहत कर्नाटक संगीत, हिंदुस्तानी संगीत आदि की कला सीखने के लिए प्रतिभावान बच्चों को शिक्षावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इस शिक्षावृत्ति में (i) ट्यूशन फीस के रूप में गुरु/संस्थान को दी जाने वाली प्रतिवर्ष 9000/- रु. तक की राशि का भुगतान (ii) संबंधित बच्चे को प्रतिवर्ष 3600/- रु. का भुगतान शामिल है।

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में जिन बच्चों को शिक्षावृत्तियां दी गईं उनकी वर्ष-वार तथा राज्यवार कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। एक वर्ष में दी जा सकने वाली शिक्षावृत्तियों की कुल संख्या वर्ष 2008-09 से 400 से बढ़ाकर 520 कर दी गई है और 1 अप्रैल, 2010 से गुरु/संस्थान का शिक्षावृत्ति धारक द्वारा अदा की जाने वाले ट्यूशन फीस के भुगतान की राशि को प्रतिवर्ष 3600/- रु. से बढ़ाकर 9000/- रु. कर दिया गया है।

विवरण

सांस्कृतिक प्रतिभा खोज स्कीम के तहत दी गई शिक्षावृत्तियों का राज्यवार तथा वर्षवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	28	30	23	20

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	2	7	1
3.	असम	43	63	58	58
4.	बिहार	8	8	5	7
5.	छत्तीसगढ़	8	12	10	6
6.	गोवा	1	4	3	4
7.	गुजरात	7	11	10	7
8.	हरियाणा	5	7	7	4
9.	हिमाचल प्रदेश	1	3	1	0
10.	जम्मू और कश्मीर	10	7	10	5
11.	झारखंड	8	6	7	6
12.	कर्नाटक	35	24	26	28
13.	केरल	28	40	30	28
14.	मध्य प्रदेश	11	21	13	21
15.	महाराष्ट्र	30	29	35	35
16.	मणिपुर	13	14	12	16
17.	मेघालय	2	11	9	9
18.	मिजोरम	0	5	0	3
19.	नागालैंड	2	2	6	1
20.	उड़ीसा	27	33	39	50
21.	पंजाब	6	6	5	3
22.	राजस्थान	9	10	8	9
23.	सिक्किम	3	2	0	1

1	2	3	4	5	6
24.	तमिलनाडु	13	21	20	13
25.	त्रिपुरा	19	25	18	25
26.	उत्तराखंड	5	5	5	6
27.	उत्तर प्रदेश	12	22	10	14
28.	पश्चिम बंगाल	23	30	48	36
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	3	0	0
30.	चंडीगढ़	1	3	2	1
31.	दिल्ली	34	31	39	44
32.	दादरा और नगर हवेली	0	3	0	0
33.	दमन और दीव	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	5	10	6	7
	कुल	400	503	472	473

विदेश सचिव-स्तरीय वार्ता

315. **डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई पर हुए आतंकी हमलों के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जब तक हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाती तब तक भारत, पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि संबंधित राष्ट्र द्वारा आतंकवादियों के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने के बावजूद भी सरकार अन्य देश के दबाव में सचिव-स्तरीय वार्ता करने की तैयारी कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा भविष्य में विदेशी आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) और (ख) सरकार की यह एकमत व्यक्त स्थिति है कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध ठोसपूर्ण और अर्थपूर्ण ढंग से आगे बढ़ते हैं, तो आतंक अथवा आतंक के भय से मुक्त वातावरण तैयार करना आवश्यक है। सरकार को आशा है कि पाकिस्तान मुंबई आतंकवादी हमले के कर्ताओं को सजा देगा, हमले के पीछे के पूर्ण षड्यंत्र का रहस्योद्घाटन करेगा, आतंकवाद के आधरभूत ढांचे का भंडाफोड़ करने तथा इसकी भूमि से परिचालित होने वाले सभी आतंकवादी समूहों को शरण न प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेगा।

मुंबई आतंकवादी हमले के पश्चात भी, हालांकि समग्र वार्ता प्रक्रिया रुक गई थी, पाकिस्तान के साथ वार्ता का द्वार कभी बंद नहीं हुआ था। विशेषकर पाकिस्तान से भारत के विरुद्ध निर्देशित आतंकवाद से संबंधित हमारी महत्वपूर्ण चिंता को संप्रेषित करने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत सुनिश्चित करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच विभिन्न उच्च स्तरीय विचार-विमर्श हुए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने राजनयिक चैनलों के जरिए निर्धारित होने वाली उपयुक्त तिथि पर दिल्ली आने के विदेश मंत्री के निमंत्रण को स्वीकार किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सरकार अपने नागरिकों और क्षेत्र की सुरक्षा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

परमाणु ऊर्जा शिक्षा संस्थान

316. **श्रीमती दर्शना जरदोश : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार परमाणु ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में वैज्ञानिकों तथा अन्य लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए परमाणु ऊर्जा शिक्षा संस्थान की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह संस्थान किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा तथा इसके क्या उद्देश्य हैं;

(ग) क्या वैज्ञानिकों को इस संस्थान में परमाणु आपदा के मामले में किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (एचबीएनआई) जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अंतर्गत समविश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है, की स्थापना की जा चुकी है। परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के निम्नलिखित दस संघटक संस्थानों के शैक्षणिक कार्यक्रम, होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं:

1. भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
2. इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र
3. राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र
4. परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र
5. टाटा स्मारक केन्द्र
6. प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान
7. भौतिकी संस्थान
8. गणित विज्ञान संस्थान
9. हरीश चन्द्र अनुसंधान संस्थान
10. साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान

होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान का मुख्यालय मुंबई में है। होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(i) विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में (अभियांत्रिकी विज्ञान सहित) उत्कृष्टता की खोज को इस तरह से प्रोत्साहन देना कि वह स्वदेशी नाभिकीय प्रौद्योगिकीय क्षमता की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हो।

(ii) परमाणु ऊर्जा विभाग के सहायता प्राप्त संस्थानों और अनुसंधान केन्द्रों में किए जा रहे मूलभूत अनुसंधान कार्य, जिसके अंतर्गत अनुसंधान केन्द्रों में प्रौद्योगिकी का विकास करना आता है, को एकीकृत करने के लिए एक शैक्षणिक रूपरेखा प्रदान करना। परमाणु ऊर्जा विभाग के वे संस्थान जोकि होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (एचबीएनआई के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, उसके संघटक संस्थान होंगे।

(iii) किसी संस्थान में या संस्थानों में किए जाने वाले अंतर-विषयी अनुसंधान, जोकि संघटक संस्थानों के

अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों का प्रमाणक (हॉल मार्क) रहा है, को प्रोत्साहित करना।

(iv) विज्ञान जिसमें अभियांत्रिकी विज्ञान भी शामिल है, के क्षेत्र में उच्च स्तर के कार्मिकों को, परमाणु ऊर्जा विभाग के नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा संबद्ध क्षेत्रों में या अन्य कहीं जीविका प्राप्त करने के लिए आकर्षित करने हेतु एक वातावरण तैयार करना। यह संस्थान, परमाणु ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों को सेवा में रहते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाने और अद्यतन करने के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है।

(ग) और (घ) आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, नाभिकीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण उस प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जोकि उन व्यक्तियों को दिया जाना है जिन्हें आपदाओं का प्रबंधन करना है। इस प्रयोजन के लिए प्रशिक्षण देने हेतु, नई दिल्ली के निकट हरियाणा में नाभिकीय ऊर्जा भागीदारी के लिए एक वैश्विक केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है। इस केन्द्र में चार स्कूल होंगे और एक स्कूल नाभिकीय सुरक्षा को समर्पित होगा।

एमपीलैड लागू करने में शिकायतें

317. **डॉ. रत्ना डे :**
श्री ए. सम्पत :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान एमपीलैड योजना को लागू करने में कोई शिकायत मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने कि एमपीलैड योजना को लागू करने में आ रही समस्याओं को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल किया जा सके, हेतु तंत्र का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान शिकायतों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) जैसा कि एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों के पैरा 6.2 (iv) में निर्धारित किया गया है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, स्कीम के सहज, शीघ्र और कारगर कार्यान्वयन में आने वाली किसी भी प्रकार की कठिनाई को दूर करने के लिये राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों के अधिकारियों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित करता है। एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों के पैरा 6.3 के अनुसार, मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति को जिला प्राधिकारियों और सांसदों के साथ वर्ष में कम से कम एक बार एमपीलैड्स के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करनी होती है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र क्षेत्र	निर्वाचन क्षेत्र	शिकायत का ब्यौरा
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	बोबिली	14वीं लोक सभा में बोबिली निर्वाचन क्षेत्र की माननीय सांसद श्रीमती बी.जे. लक्ष्मी ने अपने दिनांक 23.6.2007 के पत्र में बताया है कि उनके पूर्ववर्ती, स्व. श्री के.पी. नायडु पूर्व लोक सभा सांसद के नाम से एमपीलैड्स स्कीम के अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति और उसके लिए निधि जारी करने के प्रस्ताव के संबंध में जिला अधिकारी को संबोधित पत्रों में फर्जी हस्ताक्षर पाए गए हैं।

1	2	3	4
			इस मामले को आंध्र प्रदेश सरकार के साथ उठाया गया है। आंध्र प्रदेश फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एपीएफएसएल) की रिपोर्ट के आधार पर उन व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करने के लिए एफ.आई.आर. दर्ज करा दी गई है, जो इस मामले में शामिल हैं।
2.	बिहार	सहरसा	श्रीमती रंजीत रंजन, सांसद (लोक सभा) ने शिकायत की है कि जिला प्राधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण उनके सहरसा निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में बकाया किश्त (II/ 2008-09) जारी नहीं हो पा रही है। अपेक्षित दस्तावेज तुरंत प्रस्तुत करने हेतु राज्य सरकार को निदेश दिया गया है।
		झंझारपुर	श्री मगनी लाल मंडल, सांसद (लोक सभा) ने अपने द्वारा अनुशंसित एमपीलैड्स कार्यों के कार्यान्वयन में देरी के बारे में शिकायत की है। संबंधित जिला अधिकारी को निदेश दिया गया है कि वह दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें।
		मधुबनी	श्री हुकुमदेव नारायण यादव, सांसद (लोक सभा) ने बिहार राज्य में एमपीलैड्स स्कीम के कार्यान्वयन में विलंब के बारे में शिकायत की है। बिहार राज्य सरकार से वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। जिला मजिस्ट्रेट, मधुबनी से प्राप्त उत्तर के आधार पर लोक सभा सचिवालय को उत्तर भेजा गया है।
3.	कर्नाटक	दावणगेरे	श्री एम.जी. थिप्पेस्वामी ने आरोप लगाया है कि दावणगेरे के माननीय सांसद (लोक सभा) श्री जी.एम. सिद्धेश्वर द्वारा 47 बस शेल्टर्स के निर्माण हेतु एमपीलैड्स निधि का दुरुपयोग हुआ है। मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र स्तर पर जांच में यह पाया गया है कि जिला प्राधिकारी ने एमपीलैड्स कार्यों के कार्यान्वयन में प्रक्रिया संबंधी अनेक उल्लंघन किए हैं। मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार को संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का निदेश दिया गया है।
4.	झारखंड	हजारीबाग	हजारीबाग निर्वाचन क्षेत्र से सांसद (लोक सभा) श्री यशवंत सिन्हा ने उनके (राज्य सभा) सांसद के रूप में कार्यकाल (8.7.2004-16.5.2009) के दौरान एमपीलैड्स स्कीम के अंतर्गत उनके द्वारा अनुशंसित कार्यों को पूरा तथा निष्पादित न करने के बारे में शिकायत की है।

1	2	3	4
		रांची (नोडल जिला)	झारखंड के सांसद (राज्य सभा) सुश्री माबेल रिबेलो ने नोडल जिला तथा झारखंड के अन्य जिलों में उनके द्वारा अनुशंसित एमपीलैड्स कार्यों को निष्पादित न करने के बारे में शिकायत की है।
		देवघर (नोडल जिला)	झारखंड से श्री एस.एस. अहलूवालिया, सांसद (राज्य सभा) ने अपने नोडल जिला में उनके द्वारा अनुशंसित कार्यों तथा झारखंड के अन्य जिलों, जहां उन्होंने कार्यों की अनुशंसा की है, में कार्य पूरा न करने के संबंध में शिकायत की है।

[हिन्दी]

समान शैक्षणिक सत्र

318. **श्री शत्रुघ्न सिन्हा :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में केन्द्र सरकार को आगामी शैक्षणिक सत्र से देश के सभी विश्वविद्यालयों में समान शैक्षणिक सत्र लागू करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कार्रवाई की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐसे किसी ऐसे निर्देशों की जानकारी नहीं है। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक समान अकादमिक कैलेंडर हेतु दो विनियम नामत: (1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (औपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्रथम डिग्री प्रदान करने हेतु अनुदेशों का न्यूनतम मानक) विनियम, 2003 (प्रथम संशोधन, 2007) तथा (2) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (औपचारिक शिक्षा के माध्यम से मास्टर डिग्री प्रदान करने हेतु अनुदेशों का न्यूनतम मानक) विनियम, 2003 (प्रथम संशोधन, 2007) जारी किए हैं जिनमें देश के सभी विश्वविद्यालयों द्वारा एक समान अकादमिक कैलेंडर का अनुसरण किया जाना निर्धारित किया गया है। उपर्युक्त विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट अर्थात् *www.ugc.ac.in* पर उपलब्ध है।

[अनुवाद]

इन्सपायर स्कीम

319. **श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आंध्र प्रदेश सहित कुछ राज्यों में इंसपायर 'इनोवेशन इन साइंस पर्सूइट फोर इंसपायर्ड' (आई.एन.एस.पी.आई.आर.ई.) कार्यक्रम लागू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इस कार्यक्रम के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित और खर्च की गई है;

(घ) इसके परिणामस्वरूप कितने छात्र लाभान्वित हुए हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने प्रतिभावान युवाओं को विज्ञान का अध्ययन करने तथा विज्ञान से युक्त कैरियर अपनाने हेतु आकर्षित करने के लिए दिसम्बर, 2008 में "अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए

विज्ञान खोज में नवोन्मेष (आई.एन.एस.पी.आई.आर.ई.)" नामक एक नई स्कीम प्रारंभ की है। तब से, आंध्र प्रदेश सहित अधिकांश राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों (यू.टी.) में यह स्कीम चल रही है। इंस्पायर के मुख्य घटक इस प्रकार हैं: (क) मौजूदा योजना अवधि के दौरान 10-15 वर्षों के आयु वर्ग के कुल दस लाख युवा विद्यार्थियों के लिए उनके स्कूल कैरिअर में एक बार 5000 रु. का इंस्पायर पुरस्कार प्रदान करने तथा पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ष दसवीं कक्षा की परीक्षा में शीर्ष 1% निष्पादकों के लिए विज्ञान शिविर में विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं तथा भारत के अग्रणी वैज्ञानिक सहित विज्ञान के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी विद्वानों के माध्यम से परामर्श देने के लिए विज्ञान के प्रति प्रतिभावान विद्यार्थियों के प्रारंभिक आकर्षण की स्कीम (सीट्स); (ख) बी.एस.सी. और एम.एस.सी. स्तरों पर विज्ञान शिक्षा जारी रखने के लिए प्रति वर्ष 80,000/- रु. की दर पर 17-22 वर्ष के आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्तियां (एस.एच.ई.), तथा (ग) विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टोरल अनुसंधान करने के लिए 5 वर्षों के लिए 22-32 वर्ष के आयु वर्ग के युवा अनुसंधानकर्ताओं हेतु अनुसंधान कैरिअरों के लिए सुनिश्चित अवसर (ए.ओ.आर.सी.) जिसके अतिरिक्त उनके पी.एच.डी. के पूरा होने पर पांच वर्षों की आगामी अवधि के लिए सुनिश्चित कैरिअर अवसर को स्कीम है।

(ग) जबकि इंस्पायर स्कीम में निधियां राज्य-वार आवंटित नहीं की जाती हैं, विद्यार्थियों को स्कीम के सभी घटकों में पुरस्कार/छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति सीधी प्रदान की जाती है। स्कीम की शुरूआत से आवंटित और इस कार्यक्रम पर व्यय की गई निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(घ) इंसपायर स्कीम से लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या विवरण-II में दी गई है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं के साथ अंतर-कार्यकलाप के लिए स्कूली विद्यार्थियों को चुनने हेतु अवसर प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न भागों में ग्यारहवीं कक्षा स्तर के लगभग 45,000 विद्यार्थियों को शामिल करते हुए अब तक 150 से अधिक विज्ञान शिविर आयोजित किए गए हैं।

(ङ) सभी इंसपायर घटकों में अपनाए गए व्यापक मानदंड द्वारा अभिनव और पारदर्शी मानदंड से युक्त चयन प्रक्रिया के रूप में मौजूदा परीक्षा पद्धतियों का प्रयोग करते हुए अध्ययन के विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों को पुरस्कार/छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति प्रदान करना होता है जबकि देश में प्रत्येक विद्यालय की छठी कक्षा से दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थी इंसपायर पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र हैं तथा चयन प्रिंसिपल/हेडमास्टर/हेडमिस्ट्रेस द्वारा योग्यता आधार पर किया जाता है, विज्ञान शिविरों में वे विद्यार्थी भाग लेते हैं जो दसवीं कक्षा की अपनी बोर्ड परीक्षाओं में शीर्ष 1% निष्पादक हैं। इंसपायर छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को प्रदान की जाती है जो दसवीं कक्षा तथा बारहवीं कक्षा दोनों की बोर्ड परीक्षाओं में शीर्ष 1% हैं तथा स्नातक स्तर पर मौलिक और प्राकृतिक विज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं। जबकि पी.एच.डी. करने के लिए इंसपायर अध्येतावृत्ति विज्ञान, इंजीनियरी, आयुर्विज्ञान और कृषि की किसी भी शाखा के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाओं में प्रथम स्थान धारक को प्रदान की जाती है, इंसपायर पोस्ट-डॉक्टोरल कार्यक्रम प्रतिस्पर्धी अनुसंधान आधार पर प्रदान की जाती है।

विवरण-I

वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक इंस्पायर स्कीम और एसएचई में आवंटन/व्यय

क्र. सं.	स्कीम का नाम	व्यय (करोड़ रु.)		आवंटन (करोड़ रु.)
		2008-09	2009-10	2010-11
1.	अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान में नवोन्मेष (इंस्पायर)#	40.0	78.5	240.0
2.	उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति (एसएचई)	85.0	26.5	40.0

#विज्ञान के प्रति प्रतिभाओं के प्रारंभिक आकर्षण हेतु स्कीम (एसईएटीएस) और अनुसंधान कैरिअर हेतु सुनिश्चित अवसर (ए.ओ.आर.सी.) नामक दो घटक इंस्पायर में शामिल हैं।

विवरण-II

वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान इंस्पायर स्कीम और एसएचई में विद्यार्थियों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	2009-10		2010-11		इंस्पायर पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के लिए प्रदर्शनियों को आयोजित करने हेतु वर्ष 2009-10 में जारी की गई राशि (लाख रु.)	अब तक इंस्पायर छात्रवृति के लिए चयनित विद्यार्थियों की संख्या	अब तक इंस्पायर अध्येतावृति के लिए चयनित विद्यार्थियों की संख्या
		इंस्पायर पुरस्कार हेतु चयनित विद्यार्थियों की संख्या	प्रति पुरस्कार 5000 रु. की दर से इंस्पायर पुरस्कार प्रदान करने के लिए अनुमोदित राशि (लाख रुपये)	इंस्पायर पुरस्कार हेतु चयनित विद्यार्थियों की संख्या	प्रति पुरस्कार 5000 रु. की दर से इंस्पायर पुरस्कार प्रदान करने के लिए अनुमोदित राशि (लाख रुपये)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	राजस्थान	35217	1760.85			340.0	49	4
2.	पंजाब	5934	296.70	4665	233.25	150.0	23	26
3.	मध्य प्रदेश	31379	1568.95	1591	79.55	505.0	4	5
4.	हिमाचल प्रदेश	943	47.15			40.0	8	4
5.	त्रिपुरा	47	2.35			3.0	—	—
6.	दिल्ली	673	33.65	630	31.50	35.0	23	26
7.	कर्नाटक	89	4.45	15128	756.40	6.0	10	22
8.	गोवा	50	2.50			3.0	5	—
9.	मेघालय	106	5.30			6.0	—	—
10.	पुदुचेरी	122	6.10			6.0	—	2
11.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	21	1.05			3.0	—	—
12.	दमन और दीव	45	2.25			3.0	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	चंडीगढ़	85	4.25			6.0	—	—
14.	लक्षद्वीप	09	0.45			3.0	—	—
15.	पश्चिम बंगाल	3736	186.80			100.0	640	23
16.	गुजरात	16249	812.45			150.0	1	3
17.	केरल	2342	117.10			70.0	33	3
18.	तमिलनाडु	10267	513.35			185.0	7	14
19.	हरियाणा	2273	113.65			120.0	12	8
20.	बिहार	6645	332.25			170.0	15	2
21.	सिक्किम	22	1.10			3.0	—	—
22.	उत्तर प्रदेश	9975	498.75			730.0	127	12
23.	आंध्र प्रदेश			26797	1339.85		31	5
24.	असम			1093	54.65		3	11
25.	जम्मू और कश्मीर			3400	170.00		5	4
26.	महाराष्ट्र			16040	802.00		11	10
27.	झारखंड						20	3
28.	उड़ीसा						10	6
29.	उत्तराखंड						31	2
30.	मणिपुर						20	—
31.	छत्तीसगढ़						1	—
	उप-योग	126229	6311.45	69344	3467.20	2637.0	1089	195
	राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से आईआईटी, आईआईएसईआर आदि में प्रवेश दिए गए छात्र						2500	
	कुल योग	126229	6311.45	69344	3467.20	2637.0	3589	195

मानसून का पूर्वानुमान

320. **श्री कालीकेश नारायण सिंह देव : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानसून के पूर्वानुमान के लिए वर्तमान में कौन-सी तकनीक का उपयोग किया जाता है;

(ख) वर्षा के पूर्वानुमान की सटीक जानकारी में यह तकनीक कितनी सफल रही है;

(ग) क्या सरकार के पास मानसून मिशन के माध्यम से मानसून के पूर्वानुमान के लिए एक बहुआयामी मॉडल शुरू करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो इस मॉडल के उपयोग से कितनी सफलता मिली है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) वर्तमान ऋतुकालिक मानसून वर्षा पूर्वानुमान प्रणाली की दीर्घावधिक औसत वर्षा (एलपीए) के संबंध में पूरे देश में तथा चार भौगोलिक क्षेत्रों (उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, उत्तर पूर्व भारत तथा दक्षिण प्रायद्वीप) में मासिक और ऋतुकालिक वर्षा पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए उन्नत सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग किया जाता है।

(ख) इन मॉडलों के कार्य-निष्पादन मूल्यांकन से पता चलता है कि इनमें वर्षा की ऋतुकालिक मात्रा संबंधी अत्यधिक परिवर्तनशीलता (अधिकता/कमी) ज्ञात करने की कमी है।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे में मासिक और ऋतुकालिक पैमानों पर अत्यधिक तथा कम वर्षा वाले स्थानों का ठीक ढंग से पता लगाने के संबंध में राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन (एनओएए), संयुक्त राज्य अमेरिका के अपनाए गए युग्मित महासागर-वायुमंडलीय मॉडल के कार्य-निष्पादन की मानसून, 2010 के लिए विवेचनात्मक ढंग से जांच की जा रही है। उपर्युक्त के आधार पर, मानसून के पूर्वानुमान में सुधार करने के लिए उपयुक्त गतिशील मॉडल तैयार करने की योजना है।

आवासीय विद्यालयों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट

321. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में आवासीय विद्यालयों में दाखिले के लिए छात्रों के स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा छात्रों को आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु इस स्क्रीनिंग टेस्ट से बचाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ग) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 13(1) में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि कोई स्कूल या व्यक्ति बच्चे को दाखिला देते समय बच्चे या उसके माता-पिता की कोई 'संवीक्षा प्रक्रिया' नहीं अपनाएगा। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (ओ) के अनुसार 'संवीक्षा प्रक्रिया' का अर्थ है बच्चे के दाखिले हेतु चयन प्रक्रिया में यादृच्छिक प्रक्रिया के स्थान पर अन्य प्रक्रियाओं को वरीयता देना।

[हिन्दी]

चीन-पाकिस्तान परमाणु करार

322. **श्री विलास मुत्तेमवार : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन पाकिस्तान को परमाणु हथियार बनाने के लिए रिंग मैगनेट अंतरित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में चीन के साथ कोई वार्ता की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर चीन की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) से (घ) सरकार को चीन-पाकिस्तान सहयोग की जानकारी है। इस संबंध में

भारत की चिंताओं से चीनी पक्ष को अवगत करा दिया गया है। चीन सरकार ने कहा है कि परमाणु ऊर्जा में पाकिस्तान के साथ इसका सहयोग शांतिपूर्ण प्रयोजनों के लिए है। सरकार भारत के हितों को प्रभावित करने वाले सभी घटनाक्रमों पर निरंतर नजर रखती है और राष्ट्रीय हितों के संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय भी करती है।

विकिरण तकनीक के उपयोग से बीज किस्मों का विकास

323. **श्री जगदानंद सिंह :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी दो वर्षों से विकिरण तकनीक का उपयोग करके कृषि उत्पादन के लिए कोई नया लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान विकिरण तकनीक के माध्यम से विकसित बीज किस्मों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार खाद्य वस्तुओं के परिरक्षण के लिए विकिरण तकनीक का उपयोग करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) से (ङ) परमाणु ऊर्जा विभाग किरणन प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है। तथापि, यह नई उत्परिवर्ती फसली किस्में, विशेष रूप से तिलहन और दालें, विकसित करने के लिए व्यापक अनुसंधान कार्य कर रहा है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा विकसित की गई 39 फसली किस्में देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से किसानों के उपयोग के लिए जारी की गईं। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र प्रत्येक वर्ष औसतन 2 से 3 नई फसली किस्मों को राष्ट्रीय स्तर पर वाणिज्यिक उत्पादन के लिए जारी करता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने खाद्य पदार्थों जैसेकि मसाले, प्याज, आलू, चावल, आम आदि को विकिरण प्रसंस्करण द्वारा परिरक्षित करने की प्रौद्योगिकी भी विकसित की है। इसके महाराष्ट्र में दो संयंत्र हैं, एक नवी मुम्बई में और दूसरा नासिक के समीप लासलगांव में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संगरोध (क्वारान्टाइन) अवरोध को खत्म करने और बाजार में अपनी पहुंच बनाने के लिए विकिरण प्रौद्योगिकी की वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्रदर्शित करने में सफलता हासिल की गई है। वर्ष 2008 में अमरीका को विकिरण प्रसंस्कृत आम का निर्यात प्रारंभ किया गया था। इस क्षेत्र में हासिल की गई सफलता के परिणामस्वरूप परमाणु ऊर्जा विभाग ने निजी और सहकारिता क्षेत्रों में विकिरण प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करने के लिए उद्यमियों के साथ 24 से भी अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

[अनुवाद]

नई रेल लाइन परियोजनाएं

324. **श्री प्रहलाद जोशी :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आधार पर नई रेल लाइनों की विभिन्न परियोजनाओं को अस्वीकार कर दिया है कि इसमें वन भूमि के विपथन की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिए अपेक्षित वन भूमि क्षेत्र सहित गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त अस्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान कतिपय ऐसी रेल लाइनों की परियोजनाओं को स्वीकृति दी है जबकि इसमें वन भूमि का विपथन होगा; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान उक्त परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी वन भूमि का विपथन किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार ने नई रेलवे लाइनों की कुछ परियोजनाओं को अस्वीकृत किया है। वन भूमि के अपवर्तन के अलावा, जिन आधारों पर उन्हें अस्वीकृत किया गया है उनमें हाथी, बाघ जैसे महा-प्राणिजात को खतरा उत्पन्न कर रहे महत्वपूर्ण वन्यजीव वास-स्थलों का द्वि-शाखन किया जाना और जनजातियों को स्थान से हटाया जाना शामिल है। ऐसी अस्वीकृत परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने इस अवधि के दौरान रेलवे लाइन परियोजनाओं को अपवर्तित की जा रही वन भूमि पर उनके संभावित प्रतिकूल प्रभाव का मूल्यांकन करने और उपशमन उपायों को निर्धारित करने के बाद उन्हें मंजूरी प्रदान कर दी है। अधिकांश मामलों में, परियोजनाओं के अनुमोदन में कम लागत-लाभ अनुपात का भी ध्यान रखा गया है। ऐसी स्वीकृत की गई परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

1.1.2007 से 8.11.2010 : की अवधि के दौरान

मामले की स्थिति : अस्वीकृत

परियोजना की श्रेणी : रेलवे 11.08.2010 तक

क्र. सं.	फाइल नम्बर	प्रस्ताव का नाम	राज्य	जिला	दिनांक
1.	8-जेएचए 072/2008-एफसीडी	टोरी से शिवपुर तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के निर्माण हेतु वन भूमि का अपवर्तन	झारखंड	लातेहार	31/08/2010
2.	8-जेएचए 106/2007-एफसीडी	हजारीबाग से शिवपुर तक नई ब्रॉड गेज रेलवे लाइन में निर्माण हेतु वन भूमि का अपवर्तन	झारखंड	हजारीबाग	06/09/2010

विवरण-II

1.1.2007 से 8.11.2010 की अवधि के दौरान

मामला : अनुमोदित 08/11/2010 तक

वर्ष	2007		2008		2009		2010		कुल	
राज्य/संघ शासित क्षेत्र	मामलों की संख्या	अपवर्तित क्षेत्र	मामलों की संख्या	अपवर्तित क्षेत्र	मामलों की संख्या	अपवर्तित क्षेत्र	मामलों की संख्या	अपवर्तित क्षेत्र	मामलों की संख्या	अपवर्तित क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
आंध्र प्रदेश	0	0.00	1	33.28	1	20.78	4	28.86	6	82.92

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
अरुणाचल प्रदेश*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
असम*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
बिहार	1	1.19	0	0.00	0	0.00	2	204.39	3	205.58
चंडीगढ़*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
छत्तीसगढ़	0	0.00	0	0.00	0	0.00		83.12	1	83.12
दादरा और नगर हवेली*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
दमन और दीव*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
दिल्ली*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
गोवा	1	1.11	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.11
गुजरात	1	0.06	0	0.00	0	0.00	2	0.66	3	0.72
हरियाणा	1	0.02	4	1.68	1	0.06	3	7.94	9	9.70
हिमाचल प्रदेश*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
जम्मू और कश्मीर*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
झारखंड	1	373.66	2	5.24	2	156.83	0	0.00	5	535.73
कर्नाटक*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
केरल*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
लक्षद्वीप*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मध्य प्रदेश	2	23.22	0	0.00	3	141.92	1	2.10	6	167.24
महाराष्ट्र	0	0.00	0	0.00	1	4.94	2	0.87	3	5.80
मणिपुर*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मेघालय*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मिजोरम*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
नागालैंड*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
उड़ीसा	2	9.65	0	0.00	1	48.25	1	1.24	4	59.14
पुदुचेरी*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पंजाब	2	2.53	3	2.27	1	2.86	0	0.00	6	7.66
राजस्थान	1	2.83	2	15.10	1	3.53	1	4.40	5	25.86
सिक्किम*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
तमिलनाडु	0	0.00	0	0.00	1	0.35	0	0.00	1	0.35
त्रिपुरा	1	4.96	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	4.96
उत्तर प्रदेश	15	117.51	12	59.94	5	2.86	6	11.62	38	191.92
उत्तराखंड*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पश्चिम बंगाल	1	31.76	0	0.00	0	0.00	1	14.31	2	46.07
कुल	29	568.494	24	117.499	17	382.368	24	359.509	94	1427.87

*इन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के संदर्भ में कोई प्रस्ताव प्राप्त/मंजूर नहीं हुआ।

जलाशयों की भंडारण स्थिति

325. **श्री प्रदीप माझी : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संपूर्ण देश में विभिन्न जलाशयों की भंडारण स्थिति की निगरानी की है;

(ख) यदि हां, तो 31 अक्तूबर, 2010 तक विभिन्न जलाशयों की भंडारण क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में विभिन्न जलाशयों में उपलब्ध पानी से लाभ प्राप्त करने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) देश के 81 जलाशयों की भंडारण स्थिति की दैनिक आधार पर मॉनीटरिंग कर रहा है तथा इन जलाशयों की भंडारण स्थिति संबंधी साप्ताहिक बुलेटिन जारी कर रहा है।

(ख) दिनांक 4.11.2010 को जारी किए गए बुलेटिन के अनुसार मानीटर किए गए 81 जलाशयों की कुल सक्रिय भंडारण 113.19 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) है जो समस्त जलाशय स्तर की संयुक्त सक्रिय भंडारण क्षमता का 75% है। मौजूदा वर्ष के दौरान केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मॉनीटरिंग किए गए 81 जलाशयों के जल स्तर और निर्मित सक्रिय क्षमता का जलाशय-वार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जल राज्य का विषय होने के कारण बांधों/जलाशयों में जल का प्रचालन और विनियमन संबंधित परियोजना प्राधिकरण/राज्य सरकार द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार किया जाता है।

विवरण

भारत के 81 महत्वपूर्ण जलाशयों की साप्ताहिक रिपोर्ट 04.11.2010 को समाप्त सप्ताह

क्र. सं..	जलाशयों के नाम	(राज्य)	एफआरएल (मीटर्स)	एफआरएल पर सक्रिय क्षमता (बिलियन क्यूबिक मीटर) (बीसीएम)	उपलब्ध नवीनतम	मौजूदा मौसम स्तर (एमटीएस)	मौजूदा मौसम सक्रिय क्षमता (बीसीएम)	वर्तमान वर्ष में भंडारण एफआरएल की सक्रिय क्षमता की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
*1.	श्रीसैलम	(आंध्र प्रदेश)	269.75	8.288	02/11/10	269.66	8.239	99
*2.	नागार्जुन सागर	(आंध्र प्रदेश)	179.83	6.841	02/11/10	179.71	6.806	99
3.	श्रीरामसागर	(आंध्र प्रदेश)	332.54	2.300	03/11/10	332.54	2.300	100
4.	सोमासिला	(आंध्र प्रदेश)	100.58	1.994	04/11/10	98.01	1.484	74
5.	निचला मन्नार	(आंध्र प्रदेश)	280.42	0.621	03/11/10	280.41	0.621	100
6.	तेनुघाट	(झारखंड)	269.14	0.821	04/11/10	260.19	0.350	43
7.	मैथन	(झारखंड)	146.30	0.471	04/11/10	145.60	0.400	85
*8.	पंचेट हिल	(झारखंड)	124.97	0.184	04/11/10	123.06	0.100	54
9.	कोनार	(झारखंड)	425.81	0.176	04/11/10	420.03	0.083	47
10.	तिलैया	(झारखंड)	368.81	0.142	04/11/10	364.96	0.028	20
*11.	उकाई	(गुजरात)	105.16	6.615	03/11/10	102.95	5.476	83
12.	साबरमती (धरोई)	(गुजरात)	189.59	0.735	03/11/10	186.37	0.441	60
*13.	कडाना	(गुजरात)	127.70	1.472	03/11/10	123.01	0.755	51
14.	शतरंजी	(गुजरात)	55.53	0.300	03/11/10	55.47	0.295	98
15.	भादर	(गुजरात)	107.89	0.188	03/11/10	107.77	0.183	97
16.	दमन गंगा	(गुजरात)	79.86	0.502	03/11/10	79.90	0.502	100
17.	दांतेवाड़ा	(गुजरात)	184.10	0.399	03/11/10	172.29	0.078	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	पणम	(गुजरात)	127.41	0.697	03/11/10	123.00	0.417	60
*19.	गोविन्द सागर (भाखड़ा)	(हिमाचल प्रदेश)	512.06	6.229	04/11/10	511.54	5.875	94
*20.	पोंग बांध	(हिमाचल प्रदेश)	423.67	6.157	04/11/10	422.78	5.704	93
21.	कृष्णराजा सागर	(कर्नाटक)	752.50	1.163	04/11/10	752.47	1.159	100
*22.	तुंगभद्रा	(कर्नाटक)	497.74	3.276	02/11/10	497.58	2.894	88
23.	घाटप्रभा	(कर्नाटक)	662.95	1.391	29/10	662.95	1.387	100
24.	भादरा	(कर्नाटक)	657.76	1.785	29/10	657.58	1.764	99
25.	लिंगानामाक्की	(कर्नाटक)	554.43	4.294	29/10	552.61	3.749	87
26.	नारायणपुर	(कर्नाटक)	492.25	0.863	02/11/10	491.94	0.825	96
27.	मालप्रभा (रेनुका)	(कर्नाटक)	633.83	0.972	29/10	631.90	0.738	76
28.	कबिनी	(कर्नाटक)	696.16	0.275	04/11/10	693.69	0.140	51
29.	हेमाबती	(कर्नाटक)	890.63	0.927	04/11/10	888.41	0.739	80
30.	हेरांगी	(कर्नाटक)	871.42	0.220	04/11/10	869.42	0.162	74
31.	सूपा	(कर्नाटक)	564.00	4.120	29/10	548.42	2.449	59
32.	बनीविलास सागर	(कर्नाटक)	652.28	0.802	28/10	641.79	0.221	28
*33.	अलमत्ती	(कर्नाटक)	519.60	3.105	02/11/10	519.63	3.066	99
*34.	गेरूसोप्पा	(कर्नाटक)	55.00	0.130	16/10	51.62	0.110	85
35.	कलाडा (परप्पर)	(केरल)	115.82	0.507	04/11/10	115.62	0.482	95
*36.	इदामलायर	(केरल)	169.00	1.018	04/11/10	161.42	0.800	79
*37.	इडुक्की	(केरल)	732.43	1.460	04/11/10	728.01	1.217	83
*38.	कक्की	(केरल)	981.46	0.447	03/11/10	976.29	0.362	81
*39.	पेरियार	(केरल)	867.41	0.173	04/11/10	861.31	0.061	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*40.	गांधी सागर	(मध्य प्रदेश)	399.90	6.827	02/11/10	386.64	0.999	15
41.	तावा	(मध्य प्रदेश)	355.40	1.944	03/11/10	354.94	1.944	100
*42.	बारगी	(मध्य प्रदेश)	422.76	3.180	03/11/10	422.05	3.022	95
*43.	बाण सागर	(मध्य प्रदेश)	341.64	5.166	28/10	332.95	1.904	37
*44.	इंदिरा सागर	(मध्य प्रदेश)	262.13	9.745	03/11/10	259.01	7.041	72
*45.	मिनीमाटा बंगोई	(छत्तीसगढ़)	359.66	3.046	03/11/10	348.83	1.387	46
46.	महानदी	(छत्तीसगढ़)	348.70	0.767	03/11/10	348.73	0.767	100
47.	जायकवाड़ी (पैठान)	(महाराष्ट्र)	463.91	2.171	03/11/10	461.39	1.295	60
*48.	कोयाना	(महाराष्ट्र)	657.90	2.652	03/11/10	659.31	2.652	100
49.	भीमा (उज्जेनी)	(महाराष्ट्र)	496.83	1.517	03/11/10	496.83	1.517	100
50.	ईसापुर	(महाराष्ट्र)	441.00	0.965	03/11/10	441.00	0.964	100
51.	मूला	(महाराष्ट्र)	552.30	0.609	03/11/10	551.66	0.575	94
52.	यलडारी	(महाराष्ट्र)	461.77	0.809	03/11/10	461.77	0.809	100
53.	गिरना	(महाराष्ट्र)	398.07	0.524	03/11/10	389.14	0.171	33
54.	खड़गवासला	(महाराष्ट्र)	582.47	0.056	03/11/10	578.82	0.013	23
*55.	ऊपरी वैतरणा	(महाराष्ट्र)	603.50	0.331	03/11/10	603.47	0.330	100
56.	ऊपरी तापी	(महाराष्ट्र)	214.00	0.255	03/11/10	214.00	0.255	100
*57.	पंथ (टोटलडोह)	(महाराष्ट्र)	490.00	1.091	03/11/10	488.10	0.909	83
*58.	हिराकुड	(उड़ीसा)	192.02	5.378	02/11/10	191.74	5.231	97
*59.	बालीमेला	(उड़ीसा)	462.08	2.676	02/11/10	459.06	2.124	79
60.	सालांडी	(उड़ीसा)	82.30	0.558	27/10	62.39	0.078	14
*61.	रंगाली	(उड़ीसा)	123.50	3.432	02/11/10	118.61	1.862	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
*62.	मंचकुड (जलपुट)	(उड़ीसा)	838.16	0.893	02/11/10	836.95	0.778	87
*63.	ऊपरी कोलाब	(उड़ीसा)	858.00	0.935	02/11/10	856.00	0.746	80
*64.	ऊपरी इंद्रावती	(उड़ीसा)	642.00	1.456	03/11/10	639.42	1.177	81
65.	थीन	(पंजाब)	527.91	2.344	04/11/10	520.90	1.792	76
*66.	माही बजाज सागर	(राजस्थान)	280.75	1.711	03/11/10	274.15	0.965	56
67.	जाखम	(राजस्थान)	359.50	0.132	03/11/10	351.50	0.065	49
*68.	राणा प्रताप सागर	(राजस्थान)	352.81	1.436	03/11/10	349.18	0.772	54
69.	निचली भवानी	(तमिलनाडु)	278.89	0.792	03/11/10	268.97	0.281	35
*70.	मेट्टूर (स्टेनले)	(तमिलनाडु)	240.79	2.647	04/11/10	226.39	0.994	38
71.	वेगाई	(तमिलनाडु)	279.20	0.172	04/11/10	273.74	0.069	40
72.	परांबिकुलन	(तमिलनाडु)	556.26	0.380	04/11/10	552.32	0.299	79
73.	एलियार	(तमिलनाडु)	320.04	0.095	04/11/10	319.95	0.095	100
*74.	शोलायार	(तमिलनाडु)	1002.79	0.143	04/11/10	1000.17	0.130	91
75.	गुमटी	(त्रिपुरा)	93.55	0.312	02/11/10	91.18	0.210	67
76.	माताटीला	(उत्तर प्रदेश)	308.46	0.707	03/11/10	306.35	0.494	70
*77.	रिहंद	(उत्तर प्रदेश)	268.22	5.649	04/11/10	257.89	1.458	26
*78.	रामगंगा	(उत्तराखंड)	365.30	2.196	02/11/10	365.44	2.196	100
*79.	टिहरी	(उत्तराखंड)	830.00	2.615	04/11/10	819.43	2.183	83
80.	मयुराक्षी	(पश्चिम बंगाल)	121.31	0.480	04/11/10	112.61	0.108	23
81.	कंगसाबती	(पश्चिम बंगाल)	134.14	0.914	04/11/10	124.14	0.096	11
	कुल 81 जलाशयों के लिए		151.768			113.219		
	प्रतिशत						75	

विदेशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा

326. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने देशों में अनिवासी भारतीय रह रहे हैं;

(ख) क्या भर्ती अभिकरणों की निगरानी के कार्य को सुचारु बना दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ब्रिटेन में दासोचित रोजगार के लिए भारतीय नर्सों को प्रलोभित करने की शिकायतें सरकार के ध्यान में आई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) भारतीय मिशनों से संकलित की गई सूचना के अनुसार प्रवासी भारतीय 189 देशों में रह रहे हैं।

(ख) और (ग) भर्ती एजेंसियों की मानीटरिंग का काम उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार की जाती है। पंजीकृत एजेंटों, जो अधिसूचित उत्प्रवास जांच अपेक्षित वाले देशों के लिए उत्प्रवास जांच अपेक्षित श्रेणी के कामगारों की भर्ती करते हैं, के विनियमन में और सुधार करने और उसे कारगर बनाने के लिए जुलाई, 2009 में नियमों में संशोधन किया गया था। इन पंजीकृत एजेंटों को कार्यालय सुविधाएं और रिकार्ड रखना होता है और ये उत्प्रवासी के कल्याण के लिए उत्तरदायी हैं। यदि उत्प्रवासी और विदेशी नियोक्ताओं के बीच कोई विवाद होता है तो इन्हें हस्तक्षेप करना होता है। यदि ये ऐसा नहीं करते तो नियमों के अंतर्गत उनके पंजीकरण प्रमाण-पत्र को निलम्बित अथवा रद्द किया जा सकता है और/अथवा उनकी सुरक्षा राशि को जब्त किया जा सकता है।

(घ) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

कोयला खानों में कामगार

327. **श्री अशोक कुमार रावत : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) की प्रत्येक सहायक कंपनी में कोयला कामगारों की वर्तमान संख्या कितनी है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक सहायक कंपनी में शारीरिक श्रम तथा मशीनों के माध्यम से कंपनी-वार कितने कोयले का उत्पादन किया गया है तथा इसका मूल्य कितना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) 1.10.2010 की स्थिति के अनुसार कोयला कामगार की सहायक कंपनीवार संख्या निम्नलिखित है:—

सहायक कंपनी	कोयला कामगारों की संख्या
ईस्टर्न कोल्फील्ड्स लिमिटेड	80,475
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	67,352
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	50,822
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	57,191
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	75,889
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	20,025
नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड	14,994
नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	2,572
सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड	2,317
दानकुनी कोल कॉम्प्लेक्स	557
कोल इंडिया लिमिटेड (मुख्यालय)	689
कुल	3,72,883

(ख) वर्ष 2007-08, 2008-09 और 2009-10 के लिए मैनुअल उत्पादन और यंत्रीकृत उत्पादन एवं उनका मूल्य निम्नानुसार है:-

कंपनी	2007-08					
	मैनुअल उत्पादन		यंत्रीकृत उत्पादन		कुल उत्पादन	
	मात्रा (लाख टन)	करोड़ रु.	मात्रा (लाख टन)	करोड़ रु.	मात्रा (लाख टन)	करोड़ रु.
ईसीएल	44.09	724.04	196.50	2532.46	240.59	3256.50
बीसीसीएल (अनंतिम)	23.44	32.48	228.71	2636.19	252.15	2668.67
सीसीएल	18.30	251.36	423.20	3598.12	441.50	3849.48
एनसीएल	—	—	596.23	5491.33	596.23	5491.33
डब्ल्यूसीएल	10.04	125.22	425.08	4728.28	435.12	4853.50
एसईसीएल	10.43	133.87	927.48	6993.69	937.91	7127.56
एमसीएल	0.66	5.37	879.46	6014.70	880.12	6020.06
एनईसी	—	—	11.01	209.18	11.01	209.18
समग्र सीआईएल	106.96	1272.34	3687.67	32203.95	3794.63	33476.29

कंपनी	2008-09					
	मैनुअल उत्पादन		यंत्रीकृत उत्पादन		कुल उत्पादन	
	मात्रा (लाख टन)	करोड़ रु.	मात्रा (लाख टन)	करोड़ रु.	मात्रा (लाख टन)	करोड़ रु.
1	2	3	4	5	6	7
ईसीएल	39.56	733.02	241.79	3179.85	281.35	3912.87
बीसीसीएल (अनंतिम)	20.66	33.60	234.48	3218.76	255.14	3252.36
सीसीएल	15.60	209.27	416.80	4119.70	432.40	4328.97
एनसीएल	—	—	636.50	6522.59	636.50	6522.59
डब्ल्यूसीएल	8.17	120.37	438.83	5435.00	447.00	5555.37
एसईसीएल	8.17	122.38	1003.33	8261.23	1011.50	8383.61
एमसीएल	0.62	7.69	962.75	7584.01	963.37	7591.70

1	2	3	4	5	6	7
एनईसी	—	—	10.09	336.25	10.09	336.25
समग्र सीआईएल	92.78	1226.33	3944.57	38657.40	4037.35	39883.72

कंपनी	2009-10					
	मैनुअल उत्पादन		यंत्रीकृत उत्पादन		कुल उत्पादन	
	मात्रा (लाख टन)	करोड़ रु.	मात्रा (लाख टन)	करोड़ रु.	मात्रा (लाख टन)	करोड़ रु.
ईसीएल	36.45	1079.47	264.13	4147.54	300.58	5227.01
बीसीसीएल (अनंतिम)	8.56	15.26	266.57	4476.18	275.13	4491.44
सीसीएल	14.70	180.82	456.10	4542.42	470.80	4723.24
एनसीएल	—	—	676.70	7293.60	676.70	7293.60
डब्ल्यूसीएल	6.57	97.75	450.78	5690.36	457.35	5788.10
एसईसीएल	4.40	72.49	1075.69	9335.63	1080.09	9408.12
एमसीएल	0.62	5.42	1040.17	8690.20	1040.79	8695.62
एनईसी	—	—	11.12	449.24	11.12	449.24
समग्र सीआईएल	71.30	1451.20	4241.26	44625.18	4312.56	46076.38

[अनुवाद]

भारतीय प्रबंध संस्थानों को स्वायत्तता

328. **श्री अब्दुल रहमान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में भारतीय प्रबंध संस्थानों (आई.आई.एन.) को स्वायत्तता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ भारतीय प्रबंध संस्थानों ने उन्हें और अधिक शक्तियां देने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) सरकार विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट की जांच कर रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आई.आई.एम.) की स्वायत्तता से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।

भारतीय प्रबंधन संस्थान बोर्ड के मामले में, सिद्धांत रूप से इस बात पर सहमति हुई है कि उनके पास अनुमोदित मानकों के भीतर पद सृजित करने, भारत और विदेश में केन्द्र खोलने, संगम ज्ञापन

और नियमों के कार्य ढांचे के भीतर नियमों को संशोधित करने, उनको अपने बजट को अनुमोदित करने, संस्थान द्वारा जुटाई गई अपनी निधियों का प्रबंधन करने इत्यादि शक्तियां होंगी।

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय प्रबंधन संस्थानों ने दिनांक 13 अक्टूबर, 2010 को हाल ही में आयोजित बैठक में उपर्युक्त रूपरेखाओं के आधार पर बढ़ाई गई स्वायत्तता हेतु एक मामला तैयार किया।

(ङ) 'नए अभिशासन ढांचे', 'संकाय एवं अनुसंधान' और 'निधियां जुटाने' पर गठित तीन विशेषज्ञ समितियों ने अपने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिनकी इस मंत्रालय में जांच की जा रही है।

जलवायु परिवर्तन

329. **श्री निलेश नारायण राणे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जलवायु परिवर्तन और हिमालयी हिमनदों और जैव-विविधता में ह्रास संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए अनुसंधान हेतु पड़ोसी देशों के साथ कोई संयुक्त-तंत्र पर कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सहित इस संबंध में होने वाली व्यय-भागीदारी का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे संयुक्त अनुसंधान के लिए भारत सरकार द्वारा अब तक आवंटित की गयी राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) संयुक्त अनुसंधान के परिणामस्वरूप क्या प्रगति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) संगत द्विपक्षीय समझौतों और समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, जलवायु परिवर्तन अनुसंधान से संबंधित गतिविधियों पर पड़ोसी देशों के साथ विचारों का नियमित आदान-प्रदान होता है। तथापि, कोई भी विशिष्ट सुयंक्त गतिविधियां वित्त पोषित नहीं हैं।

गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान

330. **श्री पी.आर. नटराजन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) भारतीय मूल के गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में विभिन्न शैक्षिक संवर्द्धन क्रियाकलापों के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में गैर-सरकारी संगठनों को गैर-सरकारी संगठन-वार तथा वर्ष-वार अनुदान के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) क्या इन गैर सरकारी संगठनों द्वारा धनराशि के उपयोग पर निगरानी रखने के लिए कोई सरकारी तंत्र मौजूद है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान गैर-सरकारी संगठनों द्वारा उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, आयोग को डिग्री प्रदान करने वाले पत्र संस्थानों को, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12ख के तहत इस तरह के अनुदान को प्राप्त करने के पात्र हैं, वित्तीय सहायता प्रदान करने का अधिकार प्रदान करता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

गांधी और नेहरू के विचारों को बढ़ावा देना

331. **श्री निलेश नारायण राणे : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश और विदेश में गांधी और नेहरू के विचारों के संवर्द्धन तथा परिरक्षण के लिए गांधी के विचारों संबंधी परीक्षा को हिन्दी में आयोजित करने के अलावा कोई अन्य योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत और विदेशों में गांधी और नेहरू के विचारों को बढ़ावा देने के लिए क्या तंत्र अपनाया गया है; और

(घ) भारत और विदेशों में गांधी और नेहरू के विचारों को प्रोत्साहन देने के लिए अब तक कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (घ) संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्वायत्त संगठन, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति तथा नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू के आदर्शों का परिरक्षण, प्रसार व प्रचार करते हैं। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इन संगठनों के विशिष्ट कार्यक्रम हैं जिनके लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन संगठनों को गत चार वर्षों में प्रदान की गई राशियों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

तथापि, ये संगठन विदेशों में कार्यक्रम नहीं चलाते।

विवरण

1. गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति (जी एस डी एस)

(लाख रुपये)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
योजनागत	396.00	680.00	1000.00	718.00
योजनेत्तर	234.00	278.86	487.00	444.00

2. नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय (एन एम एम एल)

(लाख रुपये)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
योजनागत	207.40	244.95	919.99	1429.55
योजनेत्तर	550.00	669.98	792.31	1033.16

इसके अलावा वित्त वर्ष 2007-08 में एन एम एम एल को इसके आधुनिकीकरण के लिए 20 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है।

पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करना

332. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द सरकार ने ई.आई.ए. 2006 में संशोधन करने राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) की पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति को केन्द्रीयकृत किया है और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पहचान किए गए अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र से 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर पड़ने वाले क्षेत्रों हेतु इसे पर्यावरण और वन मंत्रालय को सौंपा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में राज्यों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) दिनांक 14.9.2006 को सा.का. 1533(अ) के तहत जारी पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना ने परियोजनाओं को इसके उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के उद्देश्य से उनके संभावित प्रभाव पर आधारित श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' में वर्गीकृत किया है। श्रेणी 'क' परियोजनाएं केन्द्र स्तर पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मूल्यांकित की जाती हैं, जबकि श्रेणी 'ख' परियोजनाओं पर, राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) के माध्यम से विचार किया जाता है। अधिसूचना के अंतर्गत निर्धारित सामान्य स्थिति के अनुसार श्रेणी 'ख' परियोजनाएं श्रेणी 'क' के रूप में मानी जाएगी, यदि वे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथा-अभिज्ञात अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों की सीमा के 10 किलोमीटर के पूर्णतया भीतर अथवा आंशिक रूप से इसके अंतर्गत स्थित हो। ईआईए अधिसूचना, 2006 में किए गए दिनांक 1 दिसंबर, 2009 के संशोधन में इस संबंध में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को पर्यावरण संबंधी मंजूरी

333. **कुमारी सरोज पाण्डेय : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरणीय मंजूरी हेतु लंबित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं को मंजूरी न मिलने के कारण इन संयंत्रों की लागत में वृद्धि हो गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इन संयंत्रों को पर्यावरणीय और वन संबंधी मंजूरी शीघ्र देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में जैतापुर परमाणु विद्युत परियोजना के लिए पर्यावरण संबंधी अनुमति लंबित है।

(ख) जी, नहीं। सरकार द्वारा परियोजना के अनुमोदन हेतु, लागत सहित ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए पर्यावरण तथा वन मंत्रालय (एमओईएफ) की अनुमति सहित सांविधिक अनुमति प्राप्त करना एक पूर्वापेक्षा है।

(ग) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) शीघ्र अनुमति प्राप्त करने की दृष्टि से सभी पणधारकों (स्टेक होल्डरों) की चिंताओं के निवारण के लिए उनके साथ सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधियों द्वारा विकसित दाय स्थल

334. श्री रामसिंह राठवा : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि द्वारा वर्ष 2009-10 के दौरान विकसित दाय स्थलों तथा इससे आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विदेशी सहायता के माध्यम से वर्ष 2010-11 के दौरान विशेषकर गुजरात में विकास के लिए प्रस्तावित दाय स्थलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन स्थलों के विकास हेतु विदेशों तथा अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से सरकार को कितनी धनराशि प्राप्त हुई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) वर्ष 2009-10 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा विकसित विरासत स्थल और समझौता ज्ञापन के अनुसार दाताओं द्वारा निधियों की प्रतिबद्धता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) वर्ष 2010-11 के दौरान, विशेष रूप से गुजरात में विदेशी सहायता से विरासत स्थलों के विकास का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

विवरण-I

राष्ट्रीय संस्कृति निधि योजना, संस्कृति मंत्रालय के अधीन परियोजनाएं और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन

क्र. सं	स्मारक का नाम	प्रायोजक एजेंसी का नाम	राज्य	इस परियोजना के लिए निर्धारित निधि (रुपए)	समझौता ज्ञापन के हस्ताक्षर की तारीख़
1	2	3	4	5	6
1.	लोधी गार्डन स्थित स्मारक नई दिल्ली	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	1.00 करोड़	2006
2.	जंतर मंतर, नई दिल्ली	एपीजे सुरेन्द्रा पार्क होटल्स लिमिटेड	राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली	10 लाख	2000

1	2	3	4	5	6
3.	जैसलमेर का किला, जैसलमेर	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और विश्व स्मारक निधि	राजस्थान	भा.पु.सा. द्वारा 4 करोड़ रुपए और विश्व स्मारक निधि द्वारा 5,00,000 डालर	2003
4.	सूर्य मंदिर, कोणार्क	इंडियन ऑयल फाउंडेशन	उड़ीसा	25 करोड़	2001
5.	कन्हेरी गुफाएं, बोरीवल्ली, मुम्बई		महाराष्ट्र		
6.	मंदिर समूह, खजुराहो		मध्य प्रदेश		
7.	वैशाली और कोलहुआ स्थित पुरातत्वीय अवशेष		बिहार		
8.	वारंगल किला, वारंगल		आंध्र प्रदेश		
9.	ताजमहल, आगरा	इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (टाटा समूह)	उत्तर प्रदेश	1.87 करोड़	2001
10	कृष्णा मंदिर परिसर, हंम्पी	हम्पी फाउंडेशन और विश्व स्मारक निधि	कर्नाटक	4 करोड़	2008
11.	लौरिया नन्दनगढ़, पश्चिम चम्पारन	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) बोकारो स्टील प्लांट	बिहार	50 लाख	2007
12.	वजीरपुर का गुम्बद, मुनीरका	मैसर्स पीई सी लिमिटेड	दिल्ली	25 लाख	2008
13.	हिडिम्बा देवी का मंदिर, शिमला	यूको बैंक, कोलकाता	हिमाचल प्रदेश	20 लाख	2008
14.	गोल गुम्बज, बीजापुर	राज्य व्यापार निगम लिमिटेड	कर्नाटक	50 लाख	2008
15.	तुगलकाबाद किला, नई दिल्ली	गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	दिल्ली	30 लाख	2008
16.	इब्राहिम रोजा तथा गोल गुम्बज, बीजापुर	नौरस न्यास	कर्नाटक	30 लाख	2009
17.	स्मारक समूह, मांडू (मध्य प्रदेश) मंदिर समूह, जागेश्वर (उत्तराखंड) पुरातत्वीय स्थल, ललितगिरि/धौली (उड़ीसा)	नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन	मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा	5 करोड़	2009
18.	अम्बेरनाथ शिव मंदिर	नागरिक सेवा मंडल	महाराष्ट्र	22 लाख	2009

1	2	3	4	5	6
19.	अहोम स्मारक, शिव सागर	ओएनजीसी	असम	30 लाख	2010
20.	हजारद्वारी पैलेस, मुर्शीदाबाद	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	75 लाख	2010

विवरण-II

विरासत स्थलों के विकास के लिए परियोजनाएं और विदेशी एजेंसियों द्वारा वचनबद्ध निधियां/दिया गया ऋण

क्र. सं	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन संरक्षित स्मारक का नाम	विदेशी एजेन्सियां दाता एजेंसी का नाम	राज्य	परियोजना के लिए वचनबद्ध निधि (रुपए)
1.	जैसलमेर, जिला जैसलमेर	विश्व स्मारक निधि	राजस्थान	2 करोड़ (5,00,000 डॉलर)
2.	कृष्णा मंदिर परिसर, हम्पी	विश्व स्मारक निधि	कर्नाटक	2 करोड़
3.	अजन्ता, एलोरा, पीतलखोरा, औरंगाबाद गुफाएं दौलताबाद किला, बीबी का मकबरा, पटनी देवी मंदिर और लोनार मंदिर समूह	जापान बैंक ऑफ इन्टरनेशनल कोऑपरेशन (ऋण)	महाराष्ट्र	37.68 करोड़ (परियोजना परिव्यय)
4.	अलम्बाजार मठ (केन्द्रीय सरकार के संरक्षण के अधीन नहीं)	डॉ. अंजली सरकार	पश्चिम बंगाल	4221/-

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में गैर-सरकारी संगठन

335. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों तथा निजी भागीदारों हेतु स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस मिशन में लगे उपरोक्त गैर-सरकारी संगठनों/निजी भागीदारों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) गैर-सरकारी संगठनों को पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या (राज्य-वार) विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा आंतरिक के साथ-साथ तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन के माध्यम से आवधिक तौर पर गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा की जाती है। उन समीक्षाओं से पता चलता है कि कार्य-निष्पादन की मानीटरिंग प्रणाली के और सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है; वित्तीय मानकों का कठोरता से पालन किया जाना आवश्यक है; स्टाफ के क्षमता निर्माण की आवश्यकता है; दी गई भूमिकाओं को निभाने के लिए पर्याप्त अवसंरचना की उपलब्धता आवश्यक है और उनके कार्य मांग-आधारित और योजना के मूल लाभग्राहियों से संबद्ध होने चाहिए।

विवरण

वर्ष 2007-08 से 2009-10 के लिए चालू वर्ष के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को संस्वीकृत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन परियोजनाओं का विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	2007-08			2008-09			2009-10			2010-11		
		जेएसएस	एसआरसी	एनजीओ	जेएसएस	एसआरसी	एनजीओ	जेएसएस	एसआरसी	एनजीओ	जेएसएस	एसआरसी	एनजीओ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	2	–	–	3	–	–	–	–	–	–	1	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
3.	असम	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
4.	बिहार	2	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	1	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–
6.	दिल्ली	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
7.	गुजरात	1	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–
8.	गोवा	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9.	हरियाणा	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10.	हिमाचल प्रदेश	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
11.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
12.	झारखंड	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	कर्नाटक	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
14.	केरल	2	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–
15.	मध्य प्रदेश	3	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16.	महाराष्ट्र	2	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	उड़ीसा	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	पंजाब	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	राजस्थान	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—
23.	तमिलनाडु	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	उत्तर प्रदेश	3	—	—	8	—	—	—	—	—	—	1	—
26.	उत्तराखंड	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	पश्चिम बंगाल	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30.	दादरा और नगर हवेली	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
31.	दमन और दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
33.	पुदुचेरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	कुल	23	—	—	50	—	—	—	—	—	—	4	—

[अनुवाद]

कोयला खनन में सुधार

336. **श्री चंद्रकांत खैरे :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयला खनन क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कोयला खनन में निजी तथा विदेशी निवेशकों को शामिल करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के कोयला खनन क्षेत्र में उक्त सुधारों के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने कोयला क्षेत्र में सुधार के उपायों का सुझाव देने हेतु श्री टी.एल. शंकर की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की थी। समिति ने रिपोर्ट का भाग-I तथा भाग-II प्रस्तुत कर दिया है। इन रिपोर्टों में उल्लिखित सिफारिशें और उन पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। विद्युत उत्पादन, लोहा और इस्पात उत्पादन, सीमेंट उत्पादन, कोयला गैसीकरण तथा कोयला द्रवीकरण और ऐसे अन्य अन्त्य उपयोगों जैसाकि सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए, में लगी निजी कंपनियों द्वारा अब कोयले का केप्टिव खनन अनुमत्य है। जहां तक कोयला क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का संबंध है, सरकार द्वारा स्वत: मार्ग के तहत शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2000 अप्रैल, 2000 में राज्य सभा में पेश किया गया था जिसमें देश में कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए केप्टिव उपयोग के मौजूदा प्रतिबंध के बिना कोयला खनन में निजी भागीदारी की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 2000 से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक नए मंत्री समूह (जीओएम) का गठन किया गया है। उक्त मंत्री समूह (जीओएम) इस विधेयक को आगे बढ़ाने संबंधी मुद्दों सहित कोयले के अन्वेषण और खनन में नीतिगत उपायों पर निर्दिष्ट सिफारिश करेगा।

विवरण

कोयला क्षेत्र में पुनर्गठन/सुधार के संबंध में विशेषज्ञ समिति की प्रमुख सिफारिशें तथा उन पर सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली कार्रवाई निम्नवत है:

क्र.सं.	प्रमुख सिफारिशें	की गई/की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई
1	2	3
1.	कैप्टिव कोयला खनन पर जोर देते हुए मांग तथा पूर्ति के बीच के अंतर को पाटने हेतु घरेलू कोयला उत्पादन में वृद्धि करना।	मांग तथा पूर्ति के बीच के बीच अंतर को पाटने के लिए कोयले के उत्पादन को बढ़ाने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला उपक्रमों के अधीन कई नयी कोयला परियोजनाओं को शुरू करने के अलावा सरकार ने कई नए कैप्टिव कोयला ब्लाक आवंटित किए हैं।
2.	चूंकि कोयला भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत बना रहेगा इसलिए 15 वर्षों में समस्त भारत को क्षेत्रीय मैपिंग द्वारा कवर करने के लिए भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण, सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट (सीएमपीडीआईएल)	5438 वर्ग किलोमीटर के शेष कोयलाधारी क्षेत्र को क्षेत्रीय अन्वेषण के अंतर्गत लाने हेतु एक कार्य योजना तैयार कर ली गई है। 11वीं योजना के दौरान 2791 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तथा शेष क्षेत्र को उसके बाद कवर करने का विचार है।

1	2	3
	और कोयला मंत्रालय (एमओसी), भारत सरकार द्वारा एक समयबद्ध योजना तैयार की जानी चाहिए।	सीएमपीडीआईएल की अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग क्षमता को दुगना किया जा रहा है।
3.	कोल इंडिया लि. (सीआईएल) को नवरत्न कम्पनी का दर्जा दिया जाए तथा सी.आई.एल. की सहायक कम्पनियों को मिनीरत्न कम्पनियों का दर्जा दिया जाए जिसमें इस प्रकार की सहायक कम्पनी के उन प्रस्तावों पर सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता होगी जिनमें पूंजी व्यय 500 करोड़ रु. से अधिक का होगा।	सीआईएल को नवरत्न का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। इसके अलावा, इसकी 6 सहायक कंपनियों (साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि., वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि., महानदी कोलफील्ड्स लि., नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. और सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि., सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लि.) तथा नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. को मिनीरत्न श्रेणी-I का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। जुलाई, 2009 में सरकार ने परियोजनाओं को अनुमोदित करने तथा 100 करोड़ रु. से 500 करोड़ रु. तक पूंजीगत व्यय करने के लिए एससीसीएल बोर्ड की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाने की अनुमति दे दी है।
4.	12वीं योजना अवधि के दौरान सीआईएल की प्रमुख पुनर्संरचना के मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिए।	इसे मान लिया गया है।
5.	कोयला परियोजना के संबंध में पर्यावरणीय मुद्दे पर सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।	सरकार ने 14.9.2006 को नयी पर्यावरण अधिसूचना जारी की है जिसके अनुसार कोयला खनन परियोजनाओं के प्रस्तावों पर पर्यावरणीय अनुमोदन हेतु कार्रवाई की जा रही है।
6.	कोयले के योजनाबद्ध आयातों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।	आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक वर्ष अग्रिम रूप में विद्युत क्षेत्र द्वारा आयातों की आयोजना की जाती है। सीआईएल भी कोयले का आयात करने पर विचार कर रही है।
7.	उस समस्त घरेलू कोयले के अनुपात में बढ़ोतरी करना जो कोयला विद्युत क्षेत्र के लिए निर्धारित नहीं है, उसे अगले 2 से 3 वर्षों में ई-निलामी बाजार के अंतर्गत लाया जाए।	कोयले की ई-निलामी पहले ही शुरू कर दी गई है।
8.	पावर सेक्टर को फीड कर रहे लिंकेजों की मौजूदा पद्धति के स्थान पर औपचारिक दीर्घावधि ईंधन आपूर्ति एवं परिवहन करार हों जिसमें रेलवे भी शामिल हो।	सरकार की नयी कोयला वितरण नीति में दीर्घावधि ईंधन आपूर्ति तथा परिवहन करारों की व्यवस्था है जिसमें रेलवे भी शामिल है।
9.	यदि आवंटी ने आवंटित खानों में उत्पादन करने के लिए अथवा अन्त्य उपयोग यूनिटों को स्थापित करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए हैं तो पूर्व में जारी किए गए लाइसेंसों को रद्द करने के लिए सभी संभव कानूनी उपाय किए जाने चाहिए।	कैप्टिव ब्लॉकों की प्रगति की नियमित समीक्षा के आधार पर कुछ कोयला ब्लॉकों का आवंटन समाप्त कर दिया गया है। आवधिक रूप से प्रगति की समीक्षा हेतु नियमित निगरानी की जा रही है।

1	2	3
10.	बाजार की वास्तविकताओं को देखते हुए कोयले की कीमत को विनियमित करने की आवश्यकता होगी। कोयला कीमत के विनियमन में विद्युत उत्पादन के लिए कोयले के मूल्य-निर्धारण में भिन्नता करनी है क्योंकि यह 80% घरेलू उत्पादन की खपत करता है और कोयले की जिस कोटि की यह खपत करता है, वह इस्पात तथा सीमेंट क्षेत्रों को सुलभता से बिक्री योग्य नहीं है।	जहां तक कोयला मंत्रालय का संबंध है, कोलियरी नियंत्रण आदेश, 1945 का अधिक्रमण करते हुए 1 जनवरी, 2000 के प्रभाव से अधिसूचित कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 के बाद कोयले के मूल्य निर्धारण को पूर्ण रूप से नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया है। कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 के तहत केन्द्र सरकार को कोयले के मूल्य को निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं है। कोयला कंपनियों को कोयले का मूल्य निर्धारित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।
11.	भूमिगत खनन को प्रोन्नत करना।	मुख्यत: प्रचालनों के यंत्रीकरण को अपनाकर सतत खनिक प्रौद्योगिकी और लांगवाल प्रौद्योगिकी को लागू करके भूमिगत खानों से 2006-07 में लगभग 44 मि.ट. से बढ़ाकर 2011-12 में लगभग 67 मि.ट. के उत्पादन के स्तर में वृद्धि करने हेतु सीआईएल ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस उत्पादन के स्तर को प्राप्त करने के लिए 5185.59 करोड़ रु. के अतिरिक्त निवेश का अनुमान लगाया गया है। सीआईएल ने 7 ब्लॉकों की भी पहचान की है जिन्हें विदेशी विशेषज्ञता के साथ आधुनिक परामर्शी एवं प्रौद्योगिकी के साथ मेगा खानों (प्रतिवर्ष 2 मिलियन टन से अधिक उत्पादन) में विकसित किया जा सकता है।
12.	प्रौद्योगिकी उन्नयन पर ध्यान देते हुए कामगारों तथा मशीनरी के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करना।	मुख्यत: प्रचालन के घंटों की संख्या में बढ़ोतरी करके और अनुरक्षण एवं मरम्मत ठेकों का अवार्ड करके, पुराने उपकरणों की बदली को कारगर बनाकर और बड़े आकार के उपकरणों को तैनात करके ओपनकास्ट खानों में हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी (हैम) की उत्पादकता में सुधार करने हेतु कार्रवाई शुरू कर दी गई है। भूमिगत खानों में साइड डिस्चार्ज लोडरों, लोड हाल डम्परों, कन्वेयर बेल्टों आदि को अपनाकर तथा जहां कहीं व्यवहार्य हो, सतत खनिक प्रौद्योगिकी एवं लांगवाल प्रौद्योगिकी को लागू करके यंत्रीकृत कोयला लदान के माध्यम से उत्पादकता में सुधार का समाधान किया जा रहा है। शार्टवाल प्रौद्योगिकी को भी परीक्षण आधार पर लागू किया गया है। कुछ ओपनकास्ट खानों में हाईवाल प्रौद्योगिकी को अपनाने पर भी विचार किया गया है।
13.	सीआईएल में आधुनिक नए उपकरणों की खरीद के लिए प्रौद्योगिकी मूल्यांकन तथा मानीटरिंग एवं सुव्यवस्थित प्रचालन क्रियाविधियों में सुधार लाने हेतु एक स्थायी सेल की आवश्यकता है।	नयी प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु कोल इंडिया एवं सीएमपीडीआईएल में भी एक विभाग का सृजन किया गया है। कोल इंडिया के एक आयोजना स्कन्ध के रूप में सीएमपीडीआईएल नयी प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रारंभिक सूचना प्रदान करती है।

1	2	3
14.	सकल कैलोरिफिक मूल्य (जीसीवी) आधारित कोयले के मूल्य-निर्धारण तथा ग्रेडिंग को अपनाना।	कोयले की ग्रेडिंग की जीसीवी पद्धति को अपनाने हेतु प्रारंभ में 60 दिनों के लिए एनटीपीसी के कुछ विद्युत संयंत्रों में कोयले की आपूर्ति के लिए 300 किलो कैलोरी/कि.ग्रा. के साथ प्रस्तावित बैंडविथ मूल्य संरचना का प्रयोग करने के वास्ते कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और एनटीपीसी के बीच सहमति हुई थी। तथापि, एनटीपीसी और कोल इंडिया लि. के बीच सहमत समय के बीत जाने के कारण तथा लदान बिन्दुओं पर स्वचालित यांत्रिक सैम्पलरों की स्थापना की कमी के कारण भी यह सफल नहीं हो सका है। तदनुसार, सीआईएल ने उस समय-सीमा जिसके दौरान इसने प्राथमिकता आधार पर लदान बिन्दुओं पर स्वचालित सैम्पलरों (एएमएस) को संस्थापित करने का प्रस्ताव किया है, के साथ निम्न ग्रेडेड यूएचवी बैंडों के तदनुरूपी जीएसवी मूल्यों तथा संबंधित मूल्य के प्रकारों का उल्लेख करते हुए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
15.	कोयले की धुलाई को प्रोन्नत करना।	सरकार ने कोयला कंपनी की भूमि पर वाशरियां स्थापित करने की निजी उद्यमियों को अनुमति प्रदान करके धुले हुए कोयले के उपयोग को प्रोत्साहित करने का नीतिगत निर्णय लिया है। सीआईएल ने बिल्ड ओन मेनटेन (बीओएम) आधार पर नयी वाशरियों की स्थापना करके विद्युत क्षेत्र को धुले हुए कोयले की आपूर्ति करने का भी निर्णय लिया है और वित्त व्यवस्था सीआईएल द्वारा की जाएगी। अगले पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष लगभग 140 मिलियन टन की अतिरिक्त धुलाई क्षमता सृजित की जाएगी।
16	भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी), कोल बेड मीथेन (सीबीएम), कोल माइन मीथेन (सीएमएम), कोयले से द्रवीकरण (सीटीएल) आदि जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।	सरकार ने वाणिज्यिक लाइनों पर सीबीएम प्रचालनों की अनुमति पहले ही दे दी है तथा विभिन्न उद्यमियों को 26 ब्लाक आवंटित किए गए हैं। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) सीबीएम प्रचालनों को विनियमित करता है। सीएमएम के लिए मौजूदा खानों से मीथेन गैस निकालने हेतु कोयला कंपनियां कार्रवाई कर रही हैं और भारत कोकिंग कोल लि. (बीसीसीएल) की खानों में से एक खान में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)/वैश्विक पर्यावरणीय निधि (जीईएफ) के सहयोग से एक निदर्शन परियोजना कार्यान्वयनाधीन है। सरकार ने हाल ही में केप्टिव खनन नीति के अंतर्गत एक अनुमत्त अन्त्य उपयोग के रूप में कोयला गैसीकरण तथा कोयला द्रवीकरण को अनुमति प्रदान की है।

1	2	3
17.	यद्यपि भारत उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोतोकोल के अधीन किसी बाध्यता के तहत नहीं है किन्तु यह सिफारिश की जाती है कि कोयला उत्सर्जन स्तर को कम करने के साथ-साथ इसकी खपत के लिए सभी प्रयास करके एक उत्तरदायी कोयला उपयोगकर्ता की अपनी भूमिका धारण करनी चाहिए।	स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु कार्रवाई कर दी गई है। सीआईएल अपने सभी उपभोक्ताओं को धुला हुआ कोयला बेचने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने कोल बेड मीथेन के निष्कर्षण हेतु काफी जोर दिया है जिससे आखिरकार कोयले के जलने से उत्सर्जन कम होगा।
18.	ठेका श्रमिक रोजगार से आउटसोर्सिंग को अलग किया जाए। अकुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिकों से अधिक काम लेने तथा कम भुगतान करने का यह तरीका नहीं है। वास्तव में यह कार्यों में संगत और अनिवार्य हो जाता है जिसमें विशेषज्ञता कौशल की आवश्यकता होती है।	सीआईएल तथा उसकी सहायक कंपनियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है और श्रमिकों के शोषण को दूर करने हेतु निविदाओं/संविदाओं में धाराओं को शामिल किया गया है एवं अपने कामगारों के कौशल के उन्नयन के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए हैं।
19.	कोयला संसाधनों के विकास के सभी संगत मुद्दों का समाधान निकालने और कोयला कीमतों के विनियमन (जहां आवश्यक हो) तथा सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी कोयला कंपनियों तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की छोटी कोयला कंपनियों तथा कैप्टिव खनन क्षेत्र के बीच मोर्चाबंदी को समाप्त करने के लिए कोयला गवर्नेंस एवं विनियमन प्राधिकरण (सीजीआरए) की स्थापना।	कोयला विनियामक प्राधिकरण के सृजन हेतु कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कोयला विनियामक की नियुक्ति हेतु प्रारूप विधेयक को अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसे सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।
20.	खान को उचित रूप से बंद करने तथा खनित क्षेत्रों का पुनरुद्धार करना सुनिश्चित किया जाए। कोयला विनियामक प्राधिकरण को पुनरुद्धार कार्य की निगरानी करने का उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए। खनित किए गए कोयले पर 10 रुपये प्रतिटन खान पुनरुद्धार लेवी के रूप में प्रतिवर्ष एकत्र किया जाए और ऐसे कार्य के लिए अनुदान के रूप में रिलीज किया जाए।	खान को बंद करने से संबंधित प्रारूप दिशा-निर्देशों को कोयला मंत्रालय द्वारा जारी कर दिया गया है। इन्हें तब तक कोयला नियंत्रक द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा जब तक कोयला विनियामक प्राधिकरण नहीं बन जाता है।
21.	कोयला अनुसंधान तथा विकास निधि का सृजन किया जाना चाहिए जिसमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की सभी कोयला कंपनियों के कारोबार के एक प्रतिशत का आधा जमा हो। सीजीआरए निधि का प्रबंधन कर सकता है।	अनुसंधान तथा विकास निधि के सृजन पर सहमति हो गई है। यह वांछनीय होगा कि प्रस्तावित निधि को कोयला विनियामक प्राधिकरण की अपेक्षा उद्योग के पास रखा जाए। मौजूदा पद्धति में अनुसंधान और विकास कार्यकलापों की स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एसएसआरसी) द्वारा पहचान की जाती है, निगरानी की जाती है और वित्त व्यवस्था की जाती है जिसकी अध्यक्षता सचिव (कोयला) द्वारा की जाती है।

[हिन्दी]

जनजातीय क्षेत्रों हेतु सिंचाई कार्यक्रम

337. **श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई हेतु विशेष कार्यक्रम बनाया गया है/बनाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जनजातीय किसानों को आवंटित वन भूमि को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित तथा प्रदान की गई?

जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) से (घ) जल संसाधन मंत्रालय ने जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं बनाया है। तथापि, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत चालू वृहद और मध्यम सिंचाई स्कीमों को पूर्ण करने के लिए राज्य सरकारों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों, पर्वतीय राज्यों और उड़ीसा के सूखा-ग्रस्त के बी के जिलों की सतही लघु सिंचाई स्कीमों (नई और चालू दोनों) के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत भी केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के लिए, लघु सिंचाई स्कीम, जो जनजातीय क्षेत्रों और सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों को सेवा प्रदान करती है; को भी अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार एआईबीपी के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है। जनजातीय क्षेत्रों के लिए लाभकारी परियोजनाओं के लिए अनुदान के रूप में, परियोजना लागत के 90% की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

'जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरुद्धार' नामक एक अन्य स्कीम भी मौजूद है, जिसके लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत, जनजातीय क्षेत्रों के लिए लाभकारी परियोजनाएं, परियोजना लागत के 90% की सीमा तक केंद्रीय सहायता प्रदान करती हैं।

[अनुवाद]

भारत-अमरीका संबंध

338. **श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सीट हेतु भारत के दावे के लिए कश्मीर विवाद को सुलझाने की पूर्व शर्त रखी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस वर्ष सितंबर-अक्तूबर में अमरीकी विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान हमारे विदेश मंत्री ने उनसे इस मुद्दे पर चर्चा की थी;

(घ) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या बहुत से मुद्दों पर भारत की विदेश नीति अमरीका के दबाव में है; और

(च) यदि हां, तो अमरीका द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी, नहीं। सितम्बर, 2010 में यूएनजीए के सत्र के अवसर पर विदेश मंत्री और अमरीकी विदेश मंत्री के बीच न्यूयॉर्क में आयोजित बातचीत में जम्मू एवं कश्मीर के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की गई थी।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) और (च) भारत केवल अपने राष्ट्रीय हितों द्वारा निर्देशित एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करता है।

बाघ अभ्यारण्य

339. **श्री एस.एस. रामासुब्बू : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न स्थानों पर और अधिक बाघ अभ्यारण्यों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए किन-किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ग) नए बाघ अभ्यारण्यों की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चार नए बाघ रिजर्वों के निर्माण के लिए ''सिद्धांत रूप'' में अनुमोदन प्रदान किया है। ये बाघ रिजर्व हैं बिलिगिरी रंगनाथ मंदिर अभ्यारण्य (कर्नाटक), पीलीभीत (उत्तर प्रदेश), रातापानी (मध्य प्रदेश) और सूनाबेड़ा (उड़ीसा)। इसके अलावा राज्यों को निम्नलिखित क्षेत्रों को बाघ रिजर्वों में घोषित करने के प्रस्ताव भेजने की सलाह दी गई है:

(i) बोर (महाराष्ट्र)

(ii) सुहेलवा (उत्तर प्रदेश)

(iii) नवेगांव (महाराष्ट्र)

(iv) नागजीरा (महाराष्ट्र)

(v) सत्यामंगलम (तमिलनाडु)

[हिन्दी]

शिक्षा मित्रों की नियुक्ति

340. **श्री पन्ना लाल पुनिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने हेतु कितने शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई है;

(ख) शिक्षा मित्रों को दिए जा रहे मानदेय संबंधी मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने हेतु ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ङ) जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, 2009-10 के अनुसार देश के प्रारंभिक स्कूलों में तकरीबन 6.31 लाख पैरा अध्यापक हैं जिन्हें कुछ राज्यों में शिक्षा मित्र के नाम से भी जाना जाता है। पैरा अध्यापकों, शिक्षा मित्र सहित अध्यापकों की नियुक्ति राज्य सरकार के नियमों एवं विनियमों द्वारा शासित होती है। शिक्षा मित्र सहित पैरा अध्यापकों के मानदेय से संबंधित मानदंडों पर राज्यों द्वारा निर्णय लिया जाता है। शिक्षा मित्रों के मानदेय के संबंध में प्राप्त ज्ञापन संबंधित राज्य सरकारों को भेजे जाते हैं क्योंकि मानदेय का मामला तथा उनकी सेवा के अन्य नियम एवं शर्तें राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं।

[अनुवाद]

अंतर्राज्यीय जल विवाद

341. **श्री आर. थामराईसेलवन : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले काफी समय से कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण सहित कुछ अंतर्राज्यीय जल न्यायाधिकरणों की बैठकें नहीं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी न्यायाधिकरण-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विवादों के समाधान हेतु इन न्यायाधिकरणों की बैठकें बुलाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम तथा नदी बोर्ड अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) से (ग) अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित अधिकरणों की हुई बैठकों का अधिकरण-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

- रावी एवं व्यास जल अधिकरण ने अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5(2) के अंतर्गत दिनांक 30.01.1987 को रिपोर्ट और निर्णय प्रस्तुत किया। राज्यों और केन्द्र सरकार ने अधिनियम की धारा 5(3) के अंतर्गत अधिकरण से स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन मांगे हैं। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित पंजाब करार समाप्ति अधिनियम, 2004 की वैधता पर राष्ट्रपतीय संदर्भ के कारण अधिकरण की सुनवाई जुलाई, 2008 से रुकी हुई है।

- कावेरी जल विवाद अधिकरण ने अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5(2) के अंतर्गत दिनांक 5.2.2007 को रिपोर्ट और निर्णय प्रस्तुत किया। पक्षकार राज्यों और केन्द्र सरकार ने अधिनियम की धारा 5(3) के अंतर्गत अधिकरण से स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन मांगे हैं। इसके अतिरिक्त, पक्षकार राज्यों ने अधिकरण की रिपोर्ट और निर्णयों के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। अधिकरण ने अपने दिनांक 10 जुलाई, 2007 के आदेश में टिप्पणी की कि उक्त अधिनियम की धारा 5(3) के अंतर्गत आवेदनों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपीलों के निस्तारण के बाद आदेशों के लिए सूचीबद्ध जाना चाहिए।

- कृष्णा जल विवाद अधिकरण के समक्ष मामले की सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी है और रिपोर्ट तथा निर्णय को सुरक्षित रखा गया है। पक्षकार राज्यों द्वारा कुछ वादकालीन आवेदन दायर किए गए, जिनकी सुनवाई 28, 29 और 30 जून, 2010 को की गई और अधिकरण द्वारा उन्हें निपटा दिया गया।

(घ) और (ङ) 18 सितंबर, 2009 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के राष्ट्रीय जल बोर्ड की 13वीं बैठक में संघ सूची की प्रविष्टि 56 और अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अंतर्गत नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 के संशोधन हेतु प्रस्तावों पर चर्चा की गई। चर्चा किए गए संशोधन, एक वर्ष तक अधिकरण द्वारा आगे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अन्तर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उप-धारा 3 के अंतर्गत एक वर्ष से अधिक आगे विस्तार सीमित करने तथा नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित नदी बोर्डों को अनिवार्य भूमिका प्रदान करने के बारे में थे।

[हिन्दी]

काम के बदले अनाज योजना की समीक्षा

342. **श्रीमती रमा देवी :**
श्री हरीश चौधरी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने हाल ही में "काम के बदले अनाज" योजना के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) इस योजना के क्रियान्वयन में राज्य-वार क्या खामियां पाई गईं; और

(घ) इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (घ) 'काम के बदले अनाज' राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए), 2005 के पूर्वाभास के रूप में नवंबर, 2004 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम को 2.2.2006 से एमजीएनआरइजीए में पूरी तरह से शामिल किया गया था जिसकी मॉनीटरिंग एवं समीक्षा योजना आयोग द्वारा नियमित आधार पर की जा रही है।

अन्य देशों में भारतीय संस्कृति के पुरावशेष

343. **योगी आदित्यनाथ :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न देशों में पड़े भारतीय संस्कृति के कई महत्वपूर्ण पुरावशेषों के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पुरावशेषों को वापस लेने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (ग) संगत सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नए आई.आई.एम. एवं आई.आई.टी. की स्थापना

344. **श्रीमती श्रुति चौधरी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में हरियाणा राज्य में भारतीय प्रबंध संस्थान (आई.आई.एम.) तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है।

(ख) यदि हां, तो इन संस्थानों की स्थापना किन स्थानों पर किए जाने का प्रस्ताव है तथा इस प्रयोजनार्थ आज की तारीख तक कितनी धनराशि स्वीकृत एवं जारी की जा चुकी है; और

(ग) प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ग) ग्राम गरनावथी, रोहतक (हरियाणा) में एक नए भारतीय प्रबंधन संस्थान अर्थात भारतीय प्रबंधन संस्थान-रोहतक ने एमडीयू विश्वविद्यालय, रोहतक स्थित अपने अस्थाई परिसर से जून, 2010 से कार्य करना शुरू कर दिया है। संस्थान का निदेशक नियुक्त कर दिया गया है। संस्थान हेतु ग्यारह (11) संकाय पदों तथा सोलह (16) गैर-संकाय पदों को संस्वीकृत किया गया है। 1 अक्टूबर, 2010 को भारतीय प्रबंधन संस्थान—रोहतक के स्थाई परिसर के स्थल पर आधारशिला रख दी गई है। संस्थान को 2009-10 में 2.00 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान नए भारतीय प्रबंधन संस्थानों हेतु 25.00 करोड़ रु. का बजटीय प्रावधान किया गया है।

इस समय हरियाणा में कोई नया भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बी.पी.एल. जनसंख्या

345. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के बारे में अलग-अलग आंकड़े प्रस्तुत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को इस समय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के सटीक प्रतिशत की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस जनसंख्या को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (घ) माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा वर्ष 2004 में स्थापित असंगठित क्षेत्रक में राष्ट्रीय उद्यम आयोग ने "असंगठित क्षेत्रक में कार्य की स्थिति तथा आजीविका के प्रोन्नयन" संबंधी रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि वर्ष 2004-05 में 77% जनसंख्या की प्रति व्यक्ति दैनिक खपत 20 रु. तक थी और जनसंख्या के इस वर्ग को गरीब और कमजोर कहा गया। समिति ने दैनिक 20 रु. की राशि की कट-ऑफ प्रयोग करने का कोई सही कारण नहीं बताया। तथापि, आर्थिक सर्वेक्षण 2008-09 में पता चला कि वर्ष 2004-05 के लिए परिवार उपभोग व्यय संबंधी आंकड़ों पर आधारित परिकलन में (एनएसएस का 61वां दौर 2004-05), दैनिक 20 रु. प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय से कम वाली जनसंख्या 60.5% थी। किसी भी स्थिति में, असंगठित क्षेत्रक में राष्ट्रीय उद्यम आयोग की रिपोर्ट उस मापदण्ड पर आधारित है जो योजना आयोग द्वारा अपनाई गई गरीबी रेखा से भिन्न है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए उचित पद्धति की सिफारिश करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डॉ. एन.सी. सक्सेना की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह ने अपनी रिपोर्ट अगस्त, 2009 में प्रस्तुत की। बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए नई पद्धति की सिफारिश करते हुए 50 प्रतिशत पर राष्ट्रीय स्तरीय गरीबी अनुपात मानने का सुझाव दिया जो किसी विशेष औचित्य पर आधारित नहीं था।

योजना आयोग एक मात्र नोडल सरकारी एजेंसी है जो ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी अनुमान के सरकारी अनुमान उपलब्ध कराता है। ये गरीबी अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा लगभग पांच वर्षों के अंतराल के बाद किए जाने वाले परिवार उपभोग व्यय के बड़े प्रतिदर्श सर्वेक्षण पर आधारित होते हैं।

योजना आयोग ने गरीबी की वैकल्पिक अवधारणाओं की समीक्षा करने तथा गरीबी के सरकारी अनुमानों के लिए प्रयोग की जाने वाली मौजूदा प्रक्रियाओं में परिवर्तन करने हेतु सिफारिश करने के लिए दिसंबर, 2005 में प्रो. सुरेश डी. तेन्दुलकर की अध्यक्षता में

एक विशेषज्ञ समूह नियुक्त किया। तेन्दुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर, 2009 में प्रस्तुत की। समिति ने सिफारिश की कि ग्रामीण गरीबी रेखा को पुन: परिकलित किया जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग की उसी बास्केट के लिए राशि का मूल्य परिलक्षित हो सके जो मौजूदा शहरी गरीबी रेखा से संबंधित है। वर्ष 2004-05 के लिए अखिल भारत ग्रामीण गरीबी प्रति व्यक्ति अनुपात का परिणामी अनुमान 41.8 प्रतिशत था, शहरी गरीबी प्रति व्यक्ति अनुपात 25.7 प्रतिशत तथा अखिल भारत स्तर पर 37.2 प्रतिशत था। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में इंगित हुआ है कि वर्ष 2004-05 के लिए तेन्दुलकर समिति द्वारा यथा संस्तुत संशोधित गरीबी रेखा योजना आयोग द्वारा स्वीकार कर ली गई है। योजना आयोग के ताजा सरकारी राज्यवार अनुमानों का विवरण तथा तेन्दुलकर समिति की सिफारिशों पर आधारित अनुमान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) देश में गरीबी का उपशमन ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मानीटरन-योग्य लक्ष्यों में एक है तथा इसका लक्ष्य योजनावधि (2007-12) के दौरान प्रति व्यक्ति उपभोग गरीबी अनुपात को 10 प्रतिशत बिन्दुओं तक कम करना है। सरकार ने देश में गरीबी कम करने के लिए कार्यान्वयन कार्यक्रमों जैसे—महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एनजीएनआईजीएस), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार (एसजेएसआरवाई), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई), आदि के सीधे हस्तक्षेप से विभिन्न कदम उठाए हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम (आईजीएनओएपीएस) आदि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पहलें हैं।

विवरण

वर्ष 2004-05 के लिए राज्य-वार गरीबी अनुमान—प्रति व्यक्ति अनुपात (% में)

क्रम. सं.	राज्य/सं.रा.क्षे. का नाम	सरकारी अनुमान			तेंदुलकर समिति अनुमान		
		ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	11.2	28.0	15.8	32.3	23.4	29.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	22.3	3.3	17.6	33.6	23.5	31.1
3.	असम	22.3	3.3	19.7	36.4	21.8	34.4
4.	बिहार	42.1	34.6	41.4	55.7	43.7	54.4
5.	छत्तीसगढ़	40.8	41.2	40.9	55.1	28.4	49.4
6.	दिल्ली	6.9	15.2	14.7	15.6	12.9	13.1
7.	गोवा	5.4	21.3	13.8	28.1	22.2	25.0
8.	गुजरात	19.1	13.0	16.8	39.1	20.1	31.8
9.	हरियाणा	13.6	15.1	14.0	24.8	22.4	24.1

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	हिमाचल प्रदेश	10.7	3.4	10.0	25.0	4.6	22.9
11.	जम्मू और कश्मीर	4.6	7.9	5.4	14.1	10.4	13.2
12.	झारखंड	46.3	20.2	40.3	51.6	23.8	45.3
13.	कर्नाटक	20.8	32.6	25.0	37.5	25.9	33.4
14.	केरल	13.2	20.2	15.0	20.2	18.4	19.7
15.	मध्य प्रदेश	36.9	42.1	38.3	53.6	35.1	48.6
16.	महाराष्ट्र	29.6	32.2	30.7	47.9	25.6	38.1
17.	मणिपुर	22.3	3.3	17.3	39.3	34.5	38.0
18.	मेघालय	22.3	3.3	18.5	14.0	24.7	16.1
19.	मिजोरम	22.3	3.3	12.6	23.0	7.9	15.3
20.	नागालैंड	22.3	3.3	19.0	10.0	4.3	9.0
21.	उड़ीसा	46.8	44.3	46.4	60.8	37.6	57.2
22.	पंजाब	9.1	7.1	8.4	22.1	18.7	20.9
23.	राजस्थान	18.7	32.9	22.1	35.8	29.7	34.4
24.	सिक्किम	22.3	3.3	20.1	31.8	25.9	31.1
25.	तमिलनाडु	22.8	22.2	22.5	37.5	19.7	28.9
26.	त्रिपुरा	22.3	3.3	18.9	44.5	22.5	40.6
27.	उत्तर प्रदेश	33.4	30.6	32.8	42.7	34.1	40.9
28.	उत्तराखंड	40.8	36.5	39.6	35.1	26.2	32.7
29.	पश्चिम बंगाल	28.6	14.8	24.7	38.2	24.4	34.3
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22.9	22.2	22.6	37.5	19.7	28.9
31.	चंडीगढ़	7.1	7.1	7.1	18.7	18.7	20.9

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	दादरा और नगर हवेली	39.8	19.1	33.2	47.9	25.6	38.1
33.	दमन और दीव	5.4	21.2	10.5	39.1	20.1	25.0
34.	लक्षद्वीप	13.3	20.2	16.0	20.2	18.4	19.7
35.	पुदुचेरी	22.9	22.2	22.4	22.9	9.9	14.1
	कुल	28.3	25.7	27.5	41.8	25.7	37.2

टिप्पणी:

1. असम के गरीबी अनुपात का प्रयोग सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए किया गया है।
2. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और गोवा के व्यय वितरण का प्रयोग गोवा के गरीबी अनुपात का अनुमान लगाने के लिए किया गया है।
3. तमिलनाडु के गरीबी अनुपात का प्रयोग पुदुचेरी तथा अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह के लिए किया गया है।
4. पंजाब के शहरी गरीबी अनुपात का प्रयोग चंडीगढ़ के ग्रामीण तथा शहरी गरीबी दोनों के लिए किया गया है।
5. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा तथा दादरा व नगर हवेली के व्यय वितरण का प्रयोग दादरा व नगर हवेली के गरीबी अनपात के अनुमान के लिए किया गया है।
6. गोवा के गरीबी अनुपात का प्रयोग दमन व दीव के लिए किया गया है।
7. केरल के गरीबी अनुपात का प्रयोग लक्षद्वीप के लिए किया गया है।

कोयला खानों की नीलामी

346. **श्री जे.एम. आरुन रशीद : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में निजी कंपनियों को कई कोयला खानों की नीलामी की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार तथा मूल्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ निजी कंपनियों को अवैध खनन में लिप्त पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इन कंपनियों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इन कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) और (ख) पिछले एक वर्ष के दौरान कोयला मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों में निजी कंपनियों को किसी कोयला खान की नीलामी नहीं की गई है।

(ग) और (घ) अवैध खनन में निजी कंपनियों के लिप्त होने की कोई घटना इस मंत्रालय को पिछले एक वर्ष के दौरान सूचित नहीं की गयी है।

[हिन्दी]

साक्षरता योजनाओं की समीक्षा

347. **श्री हरीश चौधरी :**
श्री इज्यराज सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न चालू साक्षरता योजनाओं की कोई समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का नया स्वरूप 'साक्षर भारत' 1.10.2009 से कार्यान्वयन के लिए 8 सितम्बर, 2009 को लांच किया गया है। इसकी समीक्षा करना अभी जल्दबाजी होगी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत-म्यांमार समझौता

348. श्री नित्यानंद प्रधान :
श्री बैजयंत पांडा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और म्यांमार का विचार अपने-अपने क्षेत्रों में आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा संबंधी मामलों में सहयोग बढ़ाने के लिए कतिपय समझौतों पर हस्ताक्षर करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन प्रस्तावित विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है, जिससे यह सुनिश्चित हो कि उल्फा उग्रवादी म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल न कर सकें;

(घ) दोनों देशों के बीच आर्थिक विकास को बढ़ावा देने हेतु प्रस्तावित समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दोनों देशों ने प्रत्यर्पण संधि भी की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत और म्यांमार के बीच सुरक्षा से संबद्ध मुद्दों को सभी स्तरों पर उठाया गया है, जिसमें सर्वोच्च स्तर भी शामिल है। सीनियर जनरल थान श्वे की हाल की भारत यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच किए जा रहे सुरक्षा सहयोग को और संवर्धित करने पर सहमति व्यक्त की। म्यांमार पक्ष ने यह भी आश्वासन दिया कि वह भारत विरोधी गतिविधियों के लिए अपने भूक्षेत्रों का उपयोग किए जाने की अनुमति नहीं देगा। दोनों पक्षों ने उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सहयोग और प्रयासों को बढ़ावा देने पर भी अपनी सहमति व्यक्त की।

(घ) फिलहाल भारत और म्यांमार के बीच आर्थिक मोर्चे पर कोई करार संपन्न करने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यावरणीय विकास कार्य

349. श्री जी.एम. सिद्देश्वर :
श्री रघुवीर सिंह मीणा :
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों से पर्यावरणीय विकास कार्यों हेतु राज्य-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान आपके मंत्रालय द्वारा राज्य-वार कितने प्रस्ताव स्वीकृत किये गये हैं;

(ग) देश के विभिन्न राज्यों में आपके मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत खर्च की गई धनराशि तथा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन योजनाओं के क्रियानन्वयन में धनराशि के दुरुपयोग की खबरें मिली हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय अपनी अनुमोदित 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के आधार पर पर्यावरण की सुरक्षा, संरक्षण और विकास के लिए केन्द्र क्षेत्र और केन्द्रीय प्रायोजित दोनों तरह की कई स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है। स्कीमें पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान चालू प्रकृति की हैं। राज्यों को इन स्कीमों के अंतर्गत धनराशि उनके पुराने कार्य निष्पादन वर्तमान आवश्यकताओं और एक स्कीम के अंतर्गत निधियों की समग्र उपलब्धता को देखते हुए उन्हें दिशानिर्देश देते हुए जारी की गई।

(ग) और (घ) मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के ब्यौरे, अब तक तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यों को जारी की गई धनराशि सहित स्कीम-वार और राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) भाग (ङ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पर्यावरण और वन मंत्रालय

वर्ष 2007-08 से 2010-11 के लिए सीएसएस स्कीमों के अंतर्गत राज्य-वार जारी धनराशि

(करोड़ रुपये)

क्रम सं.	राज्य/स्कीम	2007-08 जारी धनराशि	2008-09 जारी धनराशि	2009-10 जारी धनराशि	2010-11 (8.11.2010 तक) धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	**जीवमंडल रिजर्व**				
	असम	0.25	0.40	0.50	0.44
	अरुणाचल प्रदेश	0.35	0.30	0.18	0.35
	छत्तीसगढ़	0.32	1.34	0.72	0.45
	कर्नाटक	0.32	0.47	0.70	
	केरल	2.08	1.05	0.63	1.23
	मध्य प्रदेश	1.27	1.37	1.19	0.24
	मेघालय	0.30	0.30	0.42	
	उड़ीसा	1.10	0.25	0.50	0.43
	सिक्किम	0.59	0.50	0.40	
	तमिलनाडु	1.31	1.70	2.53	1.81
	उत्तराखंड	0.73	0.60	0.25	

1	2	3	4	5	6
	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह			0.15	
	गुजरात				0.62
	हिमाचल प्रदेश				
	पश्चिम बंगाल	0.64	1.08	1.10	0.79
	कुल	9.26	9.36	9.27	6.36
2.	**कच्छ वनस्पति, प्रवाल भित्तियों और नमभूमियों का संरक्षण और प्रबंधन**				
	आंध्र प्रदेश	0.34	0.47	1.26	
	असम	0.50	0.00		
	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00		0.10
	गोवा	0.05	0.15		
	गुजरात	2.40	2.25	2.90	2.95
	हिमाचल प्रदेश	0.40	0.31		
	हरियाणा	0.00	0.00		0.71
	जम्मू और कश्मीर	0.33	1.29	0.61	
	केरल	0.15	0.26	0.37	0.77
	कर्नाटक	0.36	0.88	0.24	0.15
	मणिपुर	0.30	0.00		0.16
	उड़ीसा	1.61	1.13	1.72	0.30
	पंजाब	1.03	0.74	0.77	
	राजस्थान	1.02	0.13	0.98	1.21
	सिक्किम	0.16	0.53	0.85	
	तमिलनाडु	1.44	3.47	2.79	2.31

1	2	3	4	5	6
	त्रिपुरा	0.00	0.25		
	पश्चिम बंगाल	2.71	3.99	2.99	2.77
	मिजोरम	0.53	0.72	0.96	
	महाराष्ट्र	0.00	0.00		
	मध्य प्रदेश	0.49	0.43	0.11	
	उत्तर प्रदेश	0.60	1.20	0.93	1.32
	उत्तराखंड	0.00	0.02	0.02	
	अन्य	0.44	0.05	0.10	
	लक्षद्वीप			0.99	
	आर एण्ड डी	0.73	1.14	0.78	
	कुल	15.59	19.41	19.37	12.75
3.	**राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना**				
	आंध्र प्रदेश	67.96	25.38	36.89	0.39
	बिहार	0.00	0.00	15.37	20.00
	गुजरात	0.25	1.49	0.00	
	गोवा	0.70	0.00	0.00	
	हरियाणा	3.15	20.80	14.90	4.00
	झारखंड	0.00	0.00		
	कर्नाटक	2.75	2.25		0.96
	केरल	1.00	1.00		
	मध्य प्रदेश	6.75	3.35	0.90	
	महाराष्ट्र	5.21	0.35	7.38	3.75

1	2	3	4	5	6
	नागालैंड	0.00	0.00		
	उड़ीसा	7.06	16.44		
	पंजाब	44.30	0.00		13.67
	राजस्थान	0.00	0.00	20.00	
	तमिलनाडु	18.40	9.52	3.10	
	उत्तर प्रदेश	37.66	105.60	112.80	88.30
	उत्तराखंड	3.37	2.50	17.94	21.74
	पश्चिम बंगाल	23.70	29.60	57.08	83.25
	दिल्ली	14.87	47.57	66.50	39.39
	अन्य				4.82
	सिक्किम	4.79	5.00	15.00	5.70
	कुल	241.92	270.85	367.86	285.97
4.	**राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना**				
	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00		
	जम्मू और कश्मीर	31.66	12.50	27.85	17.43
	कर्नाटक	2.59	4.84		6.50
	महाराष्ट्र	1.00	0.76	3.77	0.29
	तमिलनाडु	0.00	0.00		
	राजस्थान	13.44	13.53	4.64	6.28
	उत्तराखंड	4.28	3.40		3.00
	पश्चिम बंगाल	0.00	4.00		1.30
	उत्तर प्रदेश	1.00	4.00	2.73	12.72

1	2	3	4	5	6
	उड़ीसा	0.00	1.00		
	नागालैंड			5.81	
	मध्य प्रदेश	8.75	0.60	0.20	
	केरल				
	एनएलसीपी सामान्य	0.49	0.29		
	कुल	63.21	44.92	45.00	47.52
5.	**मूली बांस का यूथचारी पुष्पण**				
	अरुणाचल प्रदेश	0.50	0.25		
	असम	1.65	2.20		
	मणिपुर	3.00	1.46		
	मेघालय	3.50	1.59		
	मिजोरम	5.26	5.00		
	नागालैंड	1.68	0.00		
	त्रिपुरा	5.69	4.20		
	आईसीएफआरई	0.00	0.30		
	कुल	21.28	15.00		
6.	**वन प्रबंधन का तीव्रीकरण**				
	आंध्र प्रदेश	1.80	2.70		
	अरुणाचल प्रदेश	3.08	2.82	3.14	2.27
	असम	4.96	4.00	3.60	2.03
	बिहार	0.84	0.94	1.17	
	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह			0.12	0.08

1	2	3	4	5	6
	चंडीगढ़				
	छत्तीसगढ़	6.13	4.64	4.60	2.54
	दादरा और नगर हवेली				
	दमन और दीव		0.18	0.08	
	दिल्ली				
	गोवा	0.19	0.27	0.25	0.25
	गुजरात	5.69	4.62	5.02	3.22
	हरियाणा	0.96	1.12	0.70	0.76
	हिमाचल प्रदेश	1.24	2.61	2.82	2.13
	जम्मू और कश्मीर			1.35	
	झारखंड	2.22	2.76	2.60	
	कर्नाटक	1.60	2.64	2.52	1.42
	केरल	2.84	4.67	4.91	
	लक्षद्वीप		0.00		
	मध्य प्रदेश	6.65	5.65	4.15	
	महाराष्ट्र	2.33	2.32	4.59	1.85
	मणिपुर	1.44	2.07	1.98	1.35
	मेघालय	0.86	1.89	1.66	
	मिजोरम	4.14	4.10	3.01	2.38
	नागालैंड	3.65	2.22	2.74	1.44
	उड़ीसा	1.80	2.34	1.22	1.56
	पंजाब	1.00	1.34	0.74	0.76
	पुदुचेरी				

1	2	3	4	5	6
	राजस्थान	1.00	1.50	1.50	
	सिक्किम	1.21	2.74	2.87	2.07
	तमिलनाडु	4.31	3.90		1.44
	त्रिपुरा	0.99	1.56	1.38	1.44
	उत्तर प्रदेश	2.36	2.55	1.82	1.60
	उत्तराखंड	2.83	3.05	3.17	1.35
	पश्चिम बंगाल	1.87	3.38	2.62	
	कुल	67.99	74.58	66.33	31.94
7.	वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास				
	आंध्र प्रदेश	1.68	0.92	1.02	0.58
	अरुणाचल प्रदेश	1.25	1.93	1.93	1.69
	असम	0.82	1.61	1.30	1.47
	बिहार	0.04	0.38	0.42	
	छत्तीसगढ़	3.79	3.23	8.51	1.16
	गोवा	0.32	0.42	0.71	0.25
	गुजरात	3.32	3.19	4.26	3.03
	हरियाणा	0.70	0.86	0.17	0.11
	हिमाचल प्रदेश	2.33	2.42	2.66	2.30
	जम्मू और कश्मीर	2.22	4.71	3.75	3.90
	झारखंड	0.98	1.00	0.80	0.42
	कर्नाटक	6.31	6.25	5.67	2.35
	केरल	4.94	8.65	4.12	2.46

1	2	3	4	5	6
	मध्य प्रदेश	8.00	6.13	5.35	4.65
	महाराष्ट्र	3.31	3.90	2.18	2.20
	मणिपुर	1.06	1.01	1.18	0.88
	मेघालय	0.65	0.58	0.60	
	मिजोरम	1.69	2.89	1.87	1.82
	नागालैंड	0.19	0 28	0.34	0.30
	उड़ीसा	3.57	5.76	3.84	2.25
	पंजाब	0.00	0.40	0.36	0.12
	राजस्थान	3.47	4.15	4.97	2.80
	सिक्किम	1.59	1 88	2.41	1.84
	तमिलनाडु	2.75	7.28	5.19	2.75
	त्रिपुरा	0.36	0.00	0.13	
	उत्तर प्रदेश	3.32	3.07	2.89	1.90
	उत्तराखंड	0.77	2.16	1.36	1.35
	पश्चिम बंगाल	3.56	3.46	3.81	1.84
	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.83	0.73	0.86	0.63
	चंडीगढ़	0.00	0.00		
	दमन और दीव	0.04	0.06	0.06	
	दादरा और नगर हवेली	0.12	0.17	0.15	
	लक्षद्वीप	0.00	0.00		
	दिल्ली	0.00	0 00		
	कुल	63.98	79.48	72.87	45.05

1	2	3	4	5	6
8.	बाघ परियोजना				
	आंध्र प्रदेश	0 74	0.57	1.38	1.09
	अरुणाचल प्रदेश	1.10	2.46	0.65	1.64
	असम	0.96	10.93	1.94	5.75
	बिहार	0.98	0.50	0.09	1.58
	छत्तीसगढ़	0.35	1.69	13.83	10.84
	झारखंड	0.45	1.15	1.17	1.31
	कर्नाटक	11.60	6.90	6.57	5.56
	केरल	1.53	2.67	3.11	2.57
	मध्य प्रदेश	29.76	69.99	25.82	14.73
	महाराष्ट्र	2.96	4.11	3.74	4.48
	मिजोरम	0.83	2.41	21.71	1.50
	उड़ीसा	0.43	6.26	2.22	7.81
	राजस्थान	4.11	27.09	106.94	3.70
	तमिलनाडु	0.45	6.91	2.58	4.64
	उत्तराखंड	2.02	4.63	2.46	2.37
	उत्तर प्रदेश	1.35	4.18	4.32	2.34
	पश्चिम बंगाल	3.09	2.28	2.99	4.18
	एनटीसीए को अनुदान सहायता		0.00		
	कुल	62.71	154.73	201.52	76.09
9.	हाथी परियोजना				
	आंध्र प्रदेश	0.60	0.45	0.18	

1	2	3	4	5	6
	अरुणाचल प्रदेश	0.55	0.65	0.60	0.10
	असम	1.44	1.75	1.60	1.00
	झारखंड	1.32	0.80	0.80	0.80
	हरियाणा				
	छत्तीसगढ़	0.84	0.60	1.11	0.75
	कर्नाटक	2.12	2.49	2.47	2.20
	केरल	1.47	3.57	2.87	1.80
	मेघालय	0.68	0.50	0.80	
	मिजोरम	0.01			
	नागालैंड	0.27	0.17	0.50	0.20
	उड़ीसा	1.49	1.81	1.00	1.14
	तमिलनाडु	1.25	2.69	3.59	1.70
	त्रिपुरा	0.12	0.29	0.15	
	उत्तर प्रदेश	0.55	0.58	0.38	0.60
	उत्तराखंड	1.26	2.09	2.22	1.49
	पश्चिम बंगाल	1.86	1.76	2.07	1.40
	महाराष्ट्र	0.57	0.78	0.50	0.19
	कुल	16.40	20.98	20.84	13.37
10.	राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम				
	आंध्र प्रदेश	9.97	11.54	11.03	5.23
	छत्तीसगढ़	42.71	25.66	25.12	15.45
	गुजरात	30.93	25.75	24.44	13.41

1	2	3	4	5	6
	हरियाणा	12.93	20.14	20.57	11.15
	हिमाचल प्रदेश	7.43	6.72	3.59	1.95
	जम्मू और कश्मीर	8.13	8.47	9.81	
	कर्नाटक	31.02	15.46	11.95	4.06
	मध्य प्रदेश	13.84	22.55	22.53	15.26
	महाराष्ट्र	29.92	21.87	20.53	16.17
	उड़ीसा	19.01	21.63	8.82	6.64
	पंजाब	5.88	3.30	3.01	
	राजस्थान	2.50	7.32	10.67	2.47
	तमिलनाडु	9.46	8.86	7.98	
	उत्तर प्रदेश	36.77	30.80	30.20	11.50
	उत्तराखंड	12.39	9.24	7.00	
	गोवा	0.00	0.00		
	झारखंड	24.56	26.32	21.06	8.73
	बिहार	6.92	6.48	7.74	2.77
	केरल	8.81	9.45	4.02	3.77
	पश्चिम बंगाल	7.23	9.06	3.11	2.06
	अरुणाचल प्रदेश	4.85	3.25	2.37	
	असम	8.58	9.78	14.48	
	मणिपुर	12.37	9.51	5.93	
	नागालैंड	7.75	6.64	10.67	5.05
	सिक्किम	11.28	6.63	8.86	6.00
	त्रिपुरा	5.02	0.89	3.20	5.20

1	2	3	4	5	6
	मिजोरम	16.75	13.61	17.27	6.11
	मेघालय	5.94	4.69	2.21	
	कुल	392.95	345.62	318.17	142.98

[हिन्दी]

अत्यधिक वर्षा

350. **श्री हर्ष वर्धन :**
श्री एम.के. राघवन :
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :

क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में जून तथा सितंबर, 2010 के बीच कितनी वास्तविक वर्षा दर्ज की गई है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में दर्ज वर्षा की तीव्रता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों की पहचान की है जहां वर्षा असमान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इस अंतर के क्या कारण हैं; और

(ङ) उत्पादक प्रयोजनों हेतु इस वर्षा के प्रभावी इस्तेमाल के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) से (घ) राज्यवार वर्षा तीव्रता के साथ-साथ प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश में रिकॉर्ड की गई वर्षा तथा सामान्य वर्षा से इसकी परिवर्तनीयता का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ङ) सिंचाई की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रमुख/मध्यम सिंचाई संरचनाओं का निर्माण करके जीवन-निर्वाह के लिए काफी बड़ी मात्रा में पानी का भंडारण करने के पूल तैयार करने के लिए वर्षा के पानी का उपयोग करने के लिए भारत और राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप, देश में पूर्ण किए गए बांधों की कुल जल भंडारण क्षमता 225 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) तक पहुंच गई है। इसके अलावा, निर्माणाधीन बांधों में 64 बिलियन घन मीटर की अतिरिक्त जल भंडारण क्षमता तैयार होगी। इसी प्रकार योजना बनाए जा रहे/विचाराधीन बांधों से लगभग 108 बिलियन घनमीटर अतिरिक्त जल भंडारण सुविधा तैयार होगी। इसके अलावा, छोटी भंडारण परियोजनाओं, बाढ़ प्रवाह विचलन संरचनाओं, सतही जल तथा भूमिगत जल का उपयोग कर चलाई जा रही लघु सिंचाई स्कीमों से भी जल की समग्र आवश्यकता को पूरा किया जाता है।

विवरण

राज्य-वार वर्षा वितरण

क्र. सं.	राज्य	अवधि 01.06.2010 से 30.09.2010				औसत तीव्रता मिमी./दिन
		वास्तविक	सामान्य	प्रत्यंतर %	श्रेणी	
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (संघशासित क्षेत्र)	1769.5	1693.1	5%	सामान्य	14.5

1	2	3	4	5	6	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	1589.3	1709.5	-7%	सामान्य	13
3.	असम	1378.1	1461.2	-6%	सामान्य	11.3
4.	मेघालय	2293.0	3573.7	-36%	कम	18.8
5.	नागालैंड	1347.2	1427.6	-6%	सामान्य	11
6.	मणिपुर	791.0	1707.3	-54%	कम	6.5
7.	मिजोरम	1565.5	1580.4	-1%	सामान्य	12.8
8.	त्रिपुरा	1177.4	1449.3	-19%	सामान्य	9.7
9.	सिक्किम	1997.2	1901.4	5%	सामान्य	16.4
10.	पश्चिम बंगाल	1147.4	1336.0	-14%	सामान्य	9.4
11.	उड़ीसा	992.7	1169.3	-15%	सामान्य	8.1
12.	झारखंड	644.0	1084.4	-41%	कम	5.3
13.	बिहार	794.0	1024.3	-22%	कम	6.5
14.	उत्तर प्रदेश	729.6	854.5	-15%	सामान्य	6
15.	उत्तराखंड	1690.3	1208.1	40%	अत्यधिक	13.9
16.	हरियाणा	557.4	460.2	21%	अत्यधिक	4.6
17.	चंडीगढ़ (संघशासित क्षेत्र)	1121.8	846.6	33%	अत्यधिक	9.2
18.	दिल्ली	821.1	667.1	23%	अत्यधिक	6.7
19.	पंजाब	459.0	495.7	-7%	सामान्य	3.8
20.	हिमाचल प्रदेश	882.6	773.9	14%	सामान्य	7.2
21.	जम्मू और कश्मीर	673.9	524.2	29%	अत्यधिक	5.5
22.	राजस्थान	539.5	421.2	28%	अत्यधिक	4.4
23.	मध्य प्रदेश	825.7	984.0	-16%	सामान्य	6.8

1	2	3	4	5	6	7
24.	गुजरात	1003.9	677.7	48%	अत्यधिक	8.2
25.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन (संघशासित क्षेत्र)	2496.0	2306.9	8%	सामान्य	20.5
26.	दीव (संघशासित क्षेत्र)	1183.1	574.2	106%	अत्यधिक	9.7
27.	गोवा	3484.3	2742.9	27%	अत्यधिक	28.6
28.	महाराष्ट्र	1229.2	999.0	23%	अत्यधिक	10.1
29.	छत्तीसगढ़	1034.6	1203.2	-14%	सामान्य	8.5
30.	आंध्र प्रदेश	832.7	607.8	37%	अत्यधिक	6.8
31.	तमिलनाडु	402.9	313.6	28%	अत्यधिक	3.3
32.	पुदुचेरी (संघशासित क्षेत्र)	651.4	337.3	93%	अत्यधिक	5.3
33.	कर्नाटक	934.4	840.9	11%	सामान्य	7.7
34.	केरल	1933.3	2139.7	-10%	सामान्य	15.8
35.	लक्षद्वीप (संघशासित क्षेत्र)	1152.6	985.2	17%	सामान्य	9.4
	पूरे देश में	912.8	893.2	2%		

[अनुवाद]

रक्षित खानों का अधिशेष कोयला

351. **श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :**
श्री डी.बी. चन्द्रे गौड़ा :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ :
श्री मधु गौड़ यास्खी :
श्री अब्दुल रहमान :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपके मंत्रालय ने रक्षित खानों से अधिशेष कोयले को अपनी-अपनी अनुषंगी फर्मों को देने हेतु कंपनियों को अनुमति देने के संबंध में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है जैसी कि मीडिया में रिपोर्टें आयी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने भी इस संबंध में आपके मंत्रालय को लिखा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कितनी कंपनियों ने रक्षित खानों से अधिशेष कोयला निकालने का कार्य अपनी अनुषंगी कंपनियों को सौंपने की अनुमति मांगी है;

(ङ) अनुमति दी गई तथा अनुमति प्रदान न की गई कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(च) कुछ कंपनियों को अनुमति न देने के क्या कारण हैं; और

(छ) क्या इस संबंध में जांच कराने का सरकार का कोई प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) योजना आयोग ने इस मंत्रालय को कैप्टिव खान से अधिशेष कोयले का अपनी अनुषंगी कंपनियों के लिए उपयोग किए जाने के संबंध में एक कंपनी के अभ्यावेदन पर लिखा है। उन्होंने इस मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वे इस संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करें।

(घ) और (ङ) दो कंपनियों ने कैप्टिव खानों से अपनी अनुषंगी फर्मो के लिए अतिरिक्त कोयला निकालने के लिए आवेदन दिया है। सरकार ने मोहर, मोहर अमलोर एक्सटेंशन और छत्रसाल के कोयला खदानों से अधिकतम 9 मि.ट. प्रतिवर्ष तक कोयले की अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति एक अन्त्य प्रयोग के रूप में निर्दिष्ट किया है, जिसका उपयोग अबतक मैसर्स ससन पॉवर लि., मैसर्स रिलायंस पॉवर लि. की एक सहायक कंपनी द्वारा मैसर्स चितरंगी पॉवर प्राइवेट लि., चितरंगी तहसील, सिंगरौली जिला, मध्य प्रदेश द्वारा प्रबंधित और इसकी स्वामित्व वाले 3960 मे.वा. थर्मल पॉवर प्लांट को अनन्य आधार पर किया जाता था, जो इस शर्त के अध्याधीन कि मैसर्स रिलायंस पॉवर लि. दिनांक 17.02.2010 की अधिसूचना द्वारा उपर्युक्त संदर्भित पॉवर प्रोजेक्ट और खानों के जारी रहने के दौरान हर समय मैसर्स चितरंगी पॉवर प्राइवेट लि. की वोटिंग इक्विटी शेयर पूंजी का न्यूनतम 51% अपने पास रखेगी, थर्मल पॉवर के उत्पादन के लिए मैसर्स रिलायंस पॉवर लि. की सहायक कंपनी भी है। अभी तक किसी आवेदन को नामंजूर नहीं किया गया है।

(च) और (छ) उपर्युक्त (घ) और (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

आर.टी.आई. अधिनियम में संशोधन

352. **श्री नीरज शेखर : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यकरण में कतिपय खामियों के मद्देनजर इसमें संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधनों के संबंध में कुछ प्रगति हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह संशोधन कब तक किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) से (ङ) पिछले पांच वर्ष से अधिक समय से सूचना के अधिकार के कार्यकरण के अनुभव और इस संबंध में प्राप्त कुछ सिफारिशों/प्रस्तावों के आधार पर सरकार का प्रस्ताव कानून में समुचित संशोधन कर सूचना के अधिकार व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का है। जबकि अंतिम रूप में समाविष्ट किए जाने वाले परिवर्तनों को इंगित कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि पणधारियों के साथ इन पर अभी विचार-विमर्श किया जाना है, इस प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ सूचना आयोगों में खण्डपीठों के गठन का प्रावधान, स्वेच्छा से रहस्योद्घाटन के दायरे का विस्तार, विनियम बनाने हेतु सूचना आयोगों का सशक्तिकरण, कष्टप्रद और तुच्छ आवेदनों को हतोत्साहित करना और भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय की संवेदनशीलता को बचाए रखना शामिल है। विधि में संशोधन हेतु कोई समय-सीमा निश्चित नहीं की गई है।

[हिन्दी]

बी.पी.एल. अनुमानों में असमानता

353. **श्री ओम प्रकाश यादव : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा गरीबी के प्राक्कलन तथा राज्यों द्वारा तैयार राज्य-वार लाभार्थियों की सूची के बीच असमानता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की सूची की समीक्षा करने हेतु फिर से सर्वेक्षण कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्यों को राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्न के आवंटन हेतु निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है तथा राज्य किस आधार पर लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरित करते हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) योजना आयोग, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग-अलग राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या एवं अनुपात का अनुमान लगाने हेतु एक मात्र सरकारी नोडल एजेंसी है। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान हेतु गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की जनगणना कराता है। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (एचयूपीए) एक नोडल मंत्रालय के रूप में शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान हेतु सामान्य दिशा-निर्देश जारी करता है। तथापि, शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाली कोई समरूप कार्य प्रणाली नहीं है। योजना आयोग का नवीनतम सरकारी राज्य-वार गरीबी अनुमान तथा तेंदुलकर समिति की सिफारिशों पर आधारित अनुमानों संबंधी ब्यौरा विवरण-I पर दिया गया है। बीपीएल जनगणना 2002 के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पहचान की गई ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की संख्या विवरण-II में दी गई है।

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय बीपीएल परिवारों की सूची तैयार करने हेतु अगली बीपीएल जनगणना कराने के लिए कार्य प्रणाली को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर चुका है। योजना आयोग ने शहरी क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कार्य प्रणाली को सिफारिश करने हेतु प्रो. एस.आर. हाशिम की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। नया सर्वेक्षण, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए पणधारियों के साथ विचार-विमर्श के पश्चात् कार्य प्रणाली को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् किया जाएगा।

(ङ) राज्यों/संघ राज्यों को खाद्यान्न का आवंटन भारत के महापंजीयक द्वारा 1 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार अनुमानित आबादी के लिए लागू 1993-94 के सरकारी गरीबी अनुपात पर आधारित 6.52 करोड़ बीपीएल परिवारों के अनुमानित वितरण के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2002 से प्रति परिवार प्रतिमाह 35 किग्रा. खाद्यान्न आवंटित किया जाता है। बीपीएल कार्ड धारियों की पहचान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाती है।

विवरण-I

वर्ष 2004-05 के लिए राज्य-वार गरीबी अनुमान — प्रति व्यक्ति अनुपात (% में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सरकारी अनुमान			तेंदुलकर समिति अनुमान		
		ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	11.2	28.0	15.8	32.3	23.4	29.9
2.	अरुणाचल प्रदेश	22.3	3.3	17.6	33.6	23.5	31.1
3.	असम	22.3	3.3	19.7	36.4	21.8	34.4
4.	बिहार	42.1	34.6	41.4	55.7	43.7	54.4
5.	छत्तीसगढ़	40.8	41.2	40.9	55.1	28.4	49.4
6.	दिल्ली	6.9	15.2	14.7	15.6	12.9	13.1

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	गोवा	5.4	21.3	13.8	28.1	22.2	25.0
8.	गुजरात	19.1	13.0	16.8	39.1	20.1	31.8
9.	हरियाणा	13.6	15.1	14.0	24.8	22.4	24.1
10.	हिमाचल प्रदेश	10.7	3.4	10.0	25.0	4.6	22.9
11.	जम्मू और कश्मीर	4.6	7.9	5.4	14.1	10.4	13.2
12.	झारखंड	46.3	20.2	40.3	51.6	23.8	45.3
13.	कर्नाटक	20.8	32.6	25.0	37.5	25.9	33.4
14.	केरल	13.2	20.2	15.0	20.2	18.4	19.7
15.	मध्य प्रदेश	36.9	42.1	38.3	53.6	35.1	48.6
16.	महाराष्ट्र	29.6	32.2	30.7	47.9	25.6	38.1
17.	मणिपुर	22.3	3.3	17.3	39.3	34.5	38.0
18.	मेघालय	22.3	3.3	18.5	14.0	24.7	16.1
19.	मिजोरम	22.3	3.3	12.6	23.0	7.9	15.3
20.	नागालैंड	22.3	3.3	19.0	10.0	4.3	9.0
21.	उड़ीसा	46.8	44.3	46.4	60.8	37.6	57.2
22.	पंजाब	9.1	7.1	8.4	22.1	18.7	20.9
23.	राजस्थान	18.7	32.9	22.1	35.8	29.7	34.4
24.	सिक्किम	22.3	3.3	20.1	31.8	25.9	31.1
25.	तमिलनाडु	22.8	22.2	22.5	37.5	19.7	28.9
26.	त्रिपुरा	22.3	3.3	18.9	44.5	22.5	40.6
27.	उत्तर प्रदेश	33.4	30.6	32.8	42.7	34.1	40.9
28.	उत्तराखंड	40.8	36.5	39.6	35.1	26.2	32.7
29.	पश्चिम बंगाल	28.6	14.8	24.7	38.2	24.4	34.3

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22.9	22.2	22.6	37.5	19.7	28.9
31.	चंडीगढ़	7.1	7.1	7.1	18.7	18.7	20.9
32.	दादरा और नगर हवेली	39.8	19.1	33.2	47.9	25.6	38.1
33.	दमन और दीव	5.4	21.2	10.5	39.1	20.1	25.0
34.	लक्षद्वीप	13.3	20.2	16.0	20.2	18.4	19.7
35.	पुदुचेरी	22.9	22.2	22.4	22.9	9.9	14.1
	कुल	28.3	25.7	27.5	41.8	25.7	37.2

टिप्पणी:

1. असम के गरीबी अनुपात का प्रयोग सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए किया गया है।
2. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और गोवा के व्यय वितरण का प्रयोग गोवा के गरीबी अनुपात का अनुमान लगाने के लिए किया गया है।
3. तमिलनाडु के गरीबी अनुपात का प्रयोग पुदुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए किया गया है।
4. पंजाब के शहरी गरीबी अनुपात का प्रयोग चंडीगढ़ के ग्रामीण तथा शहरी गरीबी दोनों के लिए किया गया है।
5. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा तथा दादरा व नगर हवेली के व्यय वितरण का प्रयोग दादरा और नगर हवेली के गरीबी अनुपात के अनुमान के लिए किया गया है।
6. गोवा के गरीबी अनुपात का प्रयोग दमन और दीव के लिए किया गया है।
7. केरल के गरीबी अनुपात का प्रयोग लक्षद्वीप के लिए किया गया है।

विवरण-II

समायोजित शेयर अथवा गरीबी अनुमान 1999-2000 के अनुसार पहचान के लिए अनुमत ग्रामीण बीपीएल परिवारों तथा बीपीएल जनगणना 2002 के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पहचान किए गए ग्रामीण बीपीएल परिवारों को दर्शाते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिया गया विवरण

(परिवार लाख)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	समायोजित शेयर के अनुसार बीपीएल परिवारों की संख्या	कालम 3 का 10%	10% सहित पहचान के लिए अनुमत बीपीएल परिवारों की कुल संख्या	पहचान की गई बीपीएल परिवारों की संख्या	वर्तमान स्थिति/अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	27.526	2.753	30.279	29.893	

1	2	3	4	5	6	7
2.	अरुणाचल प्रदेश $	0.760	0.076	0.836	0.830	
3.	असम $	18.434	1.843	20.277	18.728	
4.	बिहार	66.322	6.632	72.954	113.410	
5.	छत्तीसगढ़	15.019	1.502	16.521	17.892	
6.	दिल्ली	—	—	—	—	आरडी कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किए गए हैं।
7.	गोवा	0.063	0.006	0.069	0.071	
8.	गुजरात	10.361	1.036	11.397	14.512	
9.	हरियाणा	6.096	0.610	6.706	8.583	
10.	हिमाचल प्रदेश	2.567	0.257	2.824	2.823	
11.	जम्मू और कश्मीर	3.177	0.318	3.495	6.179	
12.	झारखंड	23.851	2.385	26.236	25.480	
13.	कर्नाटक	20.786	2.079	22.865	19.190	
14.	केरल	9.327	0.933	10.260	—	बीपीएल सूची को राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
15.	मध्य प्रदेश	30.687	3.069	33.756	40.842	
16.	महाराष्ट्र	41.089	4.109	45.198	45.025	
17.	मणिपुर $	1.306	0.131	1.437	1.693	
18.	मेघालय $	1.578	0.158	1.736	2.052	
19.	मिजोरम $	0.280	0.028	0.308	0.374	
20.	नागालैंड $	1.042	0.104	1.146	1.558	
21.	उड़ीसा @	31.484	3.148	38.000	—	बीपीएल सूची को राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
22.	पंजाब	2.962	0.296	3.258	3.445	

1	2	3	4	5	6	7
23.	राजस्थान	15.784	1.578	17.362	17.362	
24.	सिक्किम $	0.400	0.040	0.440	—	बीपीएल सूची को राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
25.	तमिलनाडु	24.339	2.434	26.773	34.848	
26.	त्रिपुरा	2.506	0.251	2.757	—	बीपीएल सूची को राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
27.	उत्तर प्रदेश	93.768	9.377	103.145	100.271	
28.	उत्तराखंड	5.468	0.547	6.015	6.238	
29.	पश्चिम बंगाल $	36.022	3.602	39.624	39.250	
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह *	0.146	0.015	0.161	0.107	
31.	चंडीगढ़	—	—	—	—	आरडी कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किए गए हैं।
32.	दादरा और नगर हवेली	0.146	0.015	0.161	0.160	
33.	दमन और दीव	0.005	0.001	0.006	0.005	
34.	लक्षद्वीप	0.010	0.001	0.011	—	बीपीएल सूची को राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
35.	पुदुचेरी	0.185	0.019	0.204	—	बीपीएल सूची को राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
		493.496	49.350	546.213	550.821	

स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय।

*केवल अंडमान के लिए।

$समायोजित शेयर अथवा 1999-2000 के गरीबी अनुमान जो भी अधिक हो, के अनुसार, परिवारों की संख्या।

@योजना आयोग द्वारा निर्धारित संशोधित सीलिंग।

[अनुवाद]

भूकंप का पूर्वानुमान

354. श्री पी. कुमार :
श्री जयवंत गंगाराम आवले :

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में भूकंप का पूर्वानुमान लगाने हेतु राष्ट्रीय भूकंपीय अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी स्थिति क्या है;

(ग) इस अनुसंधान केंद्र की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं तथा इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) इस अनुसंधान केंद्र की स्थापना के बाद इससे क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है।

नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा ग्रंथालय को मंजूरी

355. **चौधरी लाल सिंह : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा ग्रंथालय हेतु धनराशि स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संस्थान द्वारा धनराशि के विपथन संबंधी कतिपय अनियमितता का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा विपथन की मात्रा कितनी है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/प्रस्तावित कदम क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (ङ) नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, संस्कृति मंत्रालय द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित एक स्वायत्त संगठन है और इसे योजनागत और योजनेत्तर शीर्ष के तहत अनुदान प्रत्येक वर्ष जारी किए जाते हैं। गत तीन वर्षों के दौरान जारी अनुदानों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(लाख रुपये)

	योजनागत	योजनेत्तर
2007-08	244.95	669.98
(इसके अलावा, वित्त वर्ष 2007-08 में एन.एम.एम.एल. को इसके आधुनिकीकरण के लिए 20 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।)		
2008-09	919.99	792.31
2009-10	1429.55	1033.16

वर्ष 2008-09 के दौरान, एन.एम.एम.एल. ने जवाहर लाल की चुनिंदा कृतियों के प्रकाशन हेतु 5 करोड़ रु. का एकबारगी का अनुदान मांगा था। इसे दो आदेशों अर्थात् 25 मार्च, 2009 का 3.30 करोड़ रु. तथा 31 मार्च, 2009 का 1.70 करोड़ रु., के जरिए मंजूर किया गया। यह राशि एन.एम.एन.एल. द्वारा जवाहर लाल स्मारक निधि में अन्तरित कर दी गई।

चूंकि एन.एम.एम.एल. की वित्त समिति और कार्यकारी परिषद के निर्णय के अनुसार उक्त निधियां जवाहर लाल नेहरू स्मारक निधि में अन्तरित की गई थीं, अतः इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 1 सितम्बर, 2010 के आदेश संख्या 9-9/2008-सी एण्ड एम द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

हाथियों की सुरक्षा

356. **श्री नामा नागेश्वर राव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान हाथियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई और उपयोग में लाई गई;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में हाथी को एक विरासत पशु घोषित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे क्या लाभ अर्जित होने की संभावना है;

(घ) क्या एक राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का भी प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 'हाथी परियोजना' के अंतर्गत हाथियों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए निर्धारित और उपयोग की गई निधियां निम्न प्रकार हैं:-

वित्तीय वर्ष	परिव्यय (करोड़ रुपए)	उपयोग (करोड़ रुपए)
2007-08	17.00	16.76
2008-09	21.50	21.47
2009-10	21.50	21.16
2010-11	21.50	13.36 (अक्तूबर, 2010 तक)

(ख) और (ग) जी, हां। देश की विविध पारि-व्यवस्था और सांस्कृतिक विविधता के प्रतीक के रूप में इसे उचित स्थान दिलाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया।

(घ) और (ङ) जी, हां। तथापि राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण (एनईसीए) के गठन के विस्तृत ब्यौरे को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

[हिन्दी]

लंबित कोयला परियोजनाएं

357. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) और इसकी सहायक कंपनियों की चल रही और लंबित परियोजनाओं का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक स्वीकृत परियोजना के लिए आवंटित धनराशि और प्रत्येक कंपनी द्वारा इन पर किए गए खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सी.आई.एल. और इसकी सहायक कंपनियों की कुछ परियोजनाएं गत कुछेक वर्षों से लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) लंबित परियोजनाओं के पुनरुद्धार के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों में और चालू वर्ष में स्वीकृत वर्षवार परियोजनाओं और उनके लिए आवंटित निधि तथा हुए व्यय का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:-

क्र. सं.	वर्ष	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु.)	ब.अ. 2010-11 (करोड़ रु.)	(करोड़ रु.) (अगस्त, 2010)
1	2	3	4	5	6	7
1.	2007-08	22	105.52	3322.95	303.87	574.80
2.	2008-09	34	96.68	6020.16	383.88	817.84

1	2	3	4	5	6	7
3.	2009-10	13	37.51	3472.77	117.47	687.12
4.	2010-11 (अगस्त, 10)	—	—	—	—	—

कंपनीवार ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की जाने वाली अभिज्ञात परियोजनाओं की सूची में से 189.90 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीवाई) की अनुमानित अंतिम क्षमता और 24846.44 करोड़ रु. के पूंजीगत परिव्यय वाली 65 परियोजनाएं प्रतिपादन/अनुमोदन के विभिन्न चरणों पर हैं। ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ङ) कोल इंडिया लि. को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है और इसकी सहायक कंपनियों अर्थात् वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. नार्दन कोलफील्ड्स लि., महानदी कोलफील्ड्स लि., साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. और सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. को मिनीरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी प्रत्यायोजित शक्तियों में वृद्धि की गई है और इन कंपनियों को उन परियोजनाओं के लिए सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है जो उनकी प्रत्यायोजित शक्तियों के अंतर्गत होती हैं।

विवरण-I

क्र. सं.	विषय	परियोजना	प्रकार	स्वीकृति की तारीख	क्षमता (मि.ट. प्रतिवर्ष)	स्वीकृत क्षमता (करोड़ रु.)	ब.अ. 10-11 (करोड़ रु.)	अगस्त, 10 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		वर्ष 2007-08 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं						
1.	ईसीएल	नकराकोंडा-बी चितरा	ओसी	अक्तूबर-07	1.50	17.13	0.00	2.55
2.	ईसीएल	चितरा ईस्ट (250 मि.ट. प्रतिवर्ष)	ओसी	अगस्त-07	1.30	112.69	5.00	0.00
3.	ईसीएल	हूरा-सी साउथ ईस्ट	ओसी	जनवरी-08	2.00	19.98	0.00	0.00
4.	ईसीएल	सोनीपुर-बाजरी ब्लॉक से. 1	ओसी	अक्तूबर-07	2.91	2.73	0.00	0.00
5.	सीसीएल	अशोक विस्तार (10 मि.ट. प्रतिवर्ष)	ओसी	दिसम्बर-07	10.00	341.63	2.20	100.97
6.	सीसीएल	नार्थ ऊरीमरी	ओसी	दिसम्बर-07	3.00	179.87	2.20	59.50
7.	सीसीएल	चूरी-बेन्ती सीएम	यूजी	अगस्त-07	0.81	165.51	74.00	0.00
8.	एनसीएल	निगाही विस्तार फेस-11 (15 मि.ट. प्रतिवर्ष)	ओसी	अक्तूबर-07	5.00	259.40	136.27	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	डब्ल्यूसीएल	भाटडीह विस्तार	ओसी	मई-07	0.65	99.68	16.64	23.64
10.	डब्ल्यूसीएल	जुनाद	ओसी	नवम्बर-07	0.60	38.76	5.82	19.87
11.	डब्ल्यूसीएल	गौरी-I एवं विस्तार-II	ओसी	नवम्बर-07	1.80	13.00	5.65	6.47
12.	डब्ल्यूसीएल	दुर्गापुर डीप	ओसी	मई-07	2.00	42.98	4.28	11.64
13.	डब्ल्यूसीएल	बैलोरा-नाईगांव डीप स्कीम	ओसी	दिसम्बर-07	1.00	3.04	6.70	7.39
14.	एसईसीएल	सारेपाली	ओसी	जून-07	1.40	42.89	2.00	15.44
15.	एसईसीएल	कंचन	ओसी	सितम्बर-07	0.65	26.01	0.50	14.85
16.	एसईसीएल	छाल	ओसी	सितम्बर-07	3.00	50.38	2.00	42.65
17.	एमसीएल	शामलेश्व विस्तार-III	ओसी	अप्रैल-07	2.00	87.95	0.00	133.73
18.	एमसीएल	भुवनेश्वरी ओसीपी	ओसी	दिसम्बर-07	20.00	490.10	10.72	57.31
19.	एमसीएल	कनिहा ओसीपी	ओसी	दिसम्बर-07	10.00	457.77	14.43	51.42
20.	एमसीएल	गोपालप्रसाद	ओसी	फरवरी-08	15.00	395.87	3.90	24.33
21.	एमसीएल	एचबीआई (अग.)	यूजी	अप्रैल-07	0.90	27.86	5.50	0.00
22.	एमसीएल	तालाबीरा	ओसी	मार्च-08	20.00	447.72	6.06	3.04
					105.52	3322.95	303.87	574.80
		वर्ष 2008-09 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं						
1.	ईसीएल	बेलबैड (धासल)	यूजी	फरवरी-09	0.48	69.11	5.00	0.00
2.	ईसीएल	नारैनकुरी	यूजी	फरवरी-09	0.54	149.06	2.00	0.00
3.	ईसीएल	झांझरा सैकेंड सीएम	यूजी	फरवरी-09	0.51	122.35	5.00	0.00
4.	ईसीएल	सारपी (आरसीई) अग.	यूजी	जून-08	0.76	147.86	60.00	37.88
5.	ईसीएल	मोहनपुर विस्तार	ओसी	जून-08	0.60	14.23	2.00	0.00
6.	सीसीएल	पुरनडीह	ओसी	जुलाई-08	3.00	210.98	30.00	18.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	सीसीएल	तारमी (आरपीआर)	ओसी	मार्च-09	1.00	35.54	1.00	0.00
8.	सीसीएल	पारेज ईस्ट	यूजी	मई-08	0.51	128.89	1.00	0.00
9.	सीसीएल	मगध विस्तार	ओसी	अगस्त-08	20.00	706.40	3.70	12.17
10.	सीसीएल	तापिन	ओसी	अगस्त-08	2.50	264.68	37.00	66.92
11.	सीसीएल	रोहिनी विस्तार (ईपीआर)	ओसी	सितम्बर-08	2.00	105.67	22.00	49.89
12.	सीसीएल	तेतराईखर	ओसी	जनवरी-09	2.00	78.60	2.00	14.66
13.	सीसीएल	उरीमरी (ईपीआर)	ओसी	जनवरी-09	2.00	143.57	21.00	98.85
14.	सीसीएल	अमलो विस्तार (ईपीआर)	ओसी	मार्च-09	2.50	56.32	2.00	52.36
15.	एनसीएल	धुधीचुआ विस्तार (15.00)	ओसी	जुलाई-08	5.00	326.57	51.11	0.00
16.	डब्ल्यूसीएल	बल्लरपुर डीप स्कीम	ओसी	जून-08	0.54	4.67	0.96	0.00
17.	डब्ल्यूसीएल	वघोडा	यूजी	अप्रैल-08	0.39	71.73	3.69	2.86
18.	डब्ल्यूसीएल	पेनगंगा	ओसी	अक्तूबर-08	3.00	339.77	0.90	0.05
19.	डब्ल्यूसीएल	घोंसा (आरपीआर)	ओसी	अगस्त-08	0.45	44.66	3.99	6.96
20.	डब्ल्यूसीएल	तेलवासा विस्तार स्कीम	ओसी	अक्तूबर-08	0.70	5.12	0.48	0.00
21.	डब्ल्यूसीएल	दुरवासा विस्तार स्कीम	ओसी	जून-08	0.90	6.89	0.55	0.00
22.	एसईसीएल	बारूद विस्तार (रॉय वेस्ट)	ओसी	जुलाई-08	3.00	135.58	2.00	28.84
23.	एसईसीएल	कुसमुंडा विस्तार-II	ओसी	जून-08	5.00	450.56	75.00	6.00
24.	एसईसीएल	बतुरा ओसी	ओसी	सितम्बर-08	2.00	203.82	0.50	0.00
25.	एसईसीएल	जगन्नाथपुर (महान-III एवं IV)	ओसी	सितम्बर-08	3.00	152.43	0.50	0.00
26.	एसईसीएल	चुरचा आरई-ओआरजी	यूजी	जून-08	1.35	462.35	0.00	251.65
27.	एसईसीएल	पेलमा	ओसी	जुलाई-08	10.00	448.32	5.00	0.00
28.	एसईसीएल	करताली ईस्ट	ओसी	जुलाई-08	2.50	178.44	3.00	0.00
29.	एमसीएल	बसुन्धरा (डब्ल्यू) ईएक्सपीएन	ओसी	मार्च-09	4.60	46.52	5.97	23.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30.	एमसीएल	लखनपुर विस्तार फेस-II (15 मि.ट. प्रतिवर्ष)	ओसी	सितम्बर-08	5.00	116.54	20.50	85.97
31.	एमसीएल	अनंत विस्तार फेस-II (15 मि.ट. प्रतिवर्ष)	ओसी	अगस्त-08	3.00	207.28	5.98	29.39
32.	एमसीएल	हिंगुला विस्तार (15 मि.ट. प्रतिवर्ष)	ओसी	नवम्बर-08	7.00	479.53	10.05	37.49
33.	**एनईसी**	लेखापानी	ओसी	जुलाई-08	0.25	56.39	0.00	0.00
34.	एनईसी	तिराप	ओसी	जुलाई-08	0.60	49.71	0.00	0.00
					96.68	6020.16	383.88	817.84
		वर्ष 2009-10 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं						
1.	ईसीएल	राजमहल विस्तार (17)	ओसी	सितम्बर-09	6.50	153.82	12.00	3.15
2.	बीसीसीएल	ब्लॉक-II यूजी सीएम (IèII एसएम)	यूजी	दिसम्बर-09	0.45	113.37	1.50	0.00
3.	सीसीएल	राजरप्पा (आरसीई)	ओसी	दिसम्बर-09	3.00	510.85	0.40	296.05
4.	सीसीएल	**कर्मा**	ओसी	जून-09	1.00	162.46	3.00	24.96
5.	सीसीएल	गोविन्दपुर फेस-II	ओसी	दिसम्बर-09	1.20	142.11	1.00	33.15
6.	डब्ल्यूसीएल	कोलगांव (आरपीआर)	ओसी	अप्रैल-09	0.50	49.59	2.21	26.11
7.	डब्ल्यूसीएल	नन्दा-2 विस्तार (दाऊ-एन ब्लॉक)	यूजी	सितम्बर-09	0.36	41.70	0.00	0.00
8.	एसईसीएल	अमलाई विस्तार सेक्टर-बी	ओसी	नवम्बर-09	1.50	198.59	0.00	91.68
9.	एसईसीएल	मानिकपुर विस्तार	ओसी	नवम्बर-09	3.50	321.50	0.00	211.81
10.	एसईसीएल	घेवरा विस्तार (35 मि.ट. प्रतिवर्ष)	ओसी	मार्च-10	10.00	1008.12	0.00	0.00
11.	एसईसीएल	दीपका विस्तार (20-25 मि.ट. प्रतिवर्ष)	ओसी	दिसम्बर-09	5.00	675.13	92.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	एमसीएल	लिंगराज विस्तार (फेस-III)	ओसी	फरवरी-10	3.00	52.25	0.00	0.00
13.	एमसीएल	लाजकुरा विस्तार (फेस-I)	ओसी	जून-09	1.50	43.27	5.36	0.81
					37.51	3472.77	117.47	687.72

वर्ष 2010-11 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं

शून्य

विवरण-II

अनुमोदन/प्रतिपादन के लिए प्रतीक्षारत 11वीं योजना की पहचान की गयी परियोजनाएं

क्र. सं.	कम्पनी	परियोजना का नाम	किस्म	स्थापित क्षमता (एमटीवाई)	स्थापित पूंजी (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6
1.	सीआईएल	कुनुस्तोरिया दोबराना	यूजी	0.54	149.88
2.	सीईएल	रनगामती "ए"	यूजी	0.36	65.00
3.	सीईएल	रनगामती "बी"	यूजी	0.51	125.29
4.	बीसीसीएल	कपुरिया (2.00)	यूजी	2.00	900.00
5.	बीसीसीएल	मधुबंद एवं फुलारीटांड री-आर्गन (0.40)	यूजी	1.00	250.00
6.	बीसीसीएल	नार्थ एंड साउथ तेसरा (2.00)	ओसी	4.50	1004.85
7.	बीसीसीएल	ब्लॉक-IV	ओसी	3.25	600.00
8.	बीसीसीएल	ब्लॉक-III ओसीपी (एसओसीपी एवं एमओसीपी सहित) (5.00)	ओसी	3.50	223.10
9.	बीसीसीएल	ब्लॉक-II ओसीपी अगस्त	ओसी	1.00	250.00
10.	सीसीएल	कोएद/मनातू ओसी	ओसी	10.00	1265.26
11.	सीसीएल	अशोक विस्तार/अशोक वेस्ट ओसी	ओसी	13.50	968.50
12.	सीसीएल	पचरा इन्टीग्रेटेड ओसी	ओसी	15.00	2156.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	सीसीएल	ओसी डीआरडी ओसी			ओसी	4.00		1811.18
14.	सीसीएल	केदला ईपीआर ओसी			ओसी	5.00		2689.29
15.	सीसीएल	पिचरी/पिचरी विस्तार			ओसी	3.00		250.00
16.	सीसीएल	अश्वा नार्थ साउथ ओसी			ओसी	2.00		200.00
17.	सीसीएल	गोडो ओसी			ओसी	2.00		308.80
18.	सीसीएल	एल चानो–रिकबा ओसी			ओसी	2.00		175.00
19.	सीसीएल	गोसे–परसाबेरा इन्टी. ओसी			ओसी	2.00		175.00
20.	सीसीएल	पारेज वेस्ट ओसी			ओसी	1.30		215.15
21.	सीसीएल	रामगढ़-II वेस्ट			ओसी	1.00		175.00
22.	सीसीएल	कैसाईडीह ओसी			ओसी	1.00		100.00
23.	एनसीएल	जयंत विस्तार ओसी (15.00)			ओसी	5.00		1060.03
24.	डब्ल्यूसीएल	मुरपुर विस्तार यूजी (भानसुली एवं सुरमांजरी सहित)			यूजी	3.00		250.00
25.	डब्ल्यूसीएल	धनबा यूजी			यूजी	0.50		150.00
26.	डब्ल्यूसीएल	नन्द-I यूजी			यूजी	0.70		316.61
27.	डब्ल्यूसीएल	बोर्दा (नार्थ आफ घोसा) यूजी			यूजी	0.96		258.12
28.	डब्ल्यूसीएल	चिकलगांव एवं चिचंला मिश्रित ओसी			ओसी	4.50		406.26
29.	डब्ल्यूसीएल	न्यू माजरी सेक्सन ए विस्तार ओसी			ओसी	1.50		100.00
30.	डब्ल्यूसीएल	उकनी दीप ओसी			ओसी	2.00		185.79
31.	डब्ल्यूसीएल	मोटाघाटा ओसी			ओसी	1.00		115.00
32.	डब्ल्यूसीएल	नीलजय दीप ओसी			ओसी	1.50		95.00
33.	डब्ल्यूसीएल	परमपुर दीप ओसी			ओसी	1.00		120.00
34.	डब्ल्यूसीएल	पौनी-III ओसी			ओसी	1.25		173.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	डब्ल्यूसीएल	काम्पटी दीप ओसी			ओसी	1.50		58.93
36.	डब्ल्यूसीएल	पौनी दीप ओसी			ओसी	0.60		80.00
37.	डब्ल्यूसीएल	येकोना-I विस्तार			ओसी	0.50		92.69
38.	डब्ल्यूसीएल	येकोना-I विस्तार			ओसी	0.60		70.00
39.	डब्ल्यूसीएल	भाटडी नार्थ ईस्ट ओसी			ओसी	0.65		50.00
40.	एसईसीएल	राई-ईस्ट-वेस्ट काम्ब.			ओसी	15.00		500.00
41.	एसईसीएल	बदौली विस्तार यूजी			यूजी	0.78		149.76
42.	एसईसीएल	बोदरी यूजी			यूजी	0.78		155.31
43.	एसईसीएल	अमृतधारा यूजी*			यूजी	0.48		133.27
44.	एसईसीएल	बकुलमुनी*			यूजी	0.36		85.59
45.	एसईसीएल	जामदाई यूजी			यूजी	0.36		53.00
46.	एसईसीएल	गुमगारा यूजी			यूजी	0.36		53.00
47.	एसईसीएल	पाहकपुर			यूजी	0.72		280.01
48.	एसईसीएल	अम्बा यूजी*			यूजी	0.24		60.48
49.	एसईसीएल	विजय (ईस्ट)			यूजी	0.40		53.00
50.	एसईसीएल	मदन नगर साउथ ओसी (महान-II/III भाग)			ओसी	3.00		225.00
51.	एसईसीएल	चिंतापानी ओसी			ओसी	5.00		250.00
52.	एसईसीएल	दुर्गापुर ओसी			ओसी	6.00		360.21
53.	एससीएल	सियारमल/सियारमल (वेस्ट) विस्तार			ओसी	30.00		1618.48
54.	एससीएल	बालभद्र			ओसी	6.00		175.00
55.	एमसीएल	कलिंगा ओसी विस्तार (कोणार्क)			ओसी	2.00		300.00
56.	एमसीएल	कलिंगा (वेस्ट) ओसी			ओसी	4.00		150.00
57.	एमसीएल	चेंदीवादा विस्तार/बैतरणी (ई)			ओसी	4.65		400.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58.	एमसीएल	मधुपुर			ओसी	2.00		150.00
59.	एनईसी	जगुन ब्लॉक			ओसी			
60.	एनईसी	लचितखानी ओसीपी			ओसी	1.00		1000.00
61.	एनईसी	तिपांग ओसीपी			ओसी	1.00		604.85
62.	एनईसी	पी एंड ब्लॉक ओसीपी			ओसी	0.15		50.00
63.	एनईसी	तिकाक विस्तार ओसी			ओसी	0.40		400.00
						189.90		24846.44

[अनुवाद]

ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण सुविधाएं

358. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सरकारी-निजी भागीदारी के आधार पर ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण सुविधाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) परिसंकटमय अपशिष्ट, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट और ई-अपशिष्ट हेतु शोधन, भंडारण और निपटान सुविधाएं स्थापित करने के लिए "परिसंकटमय पदार्थों हेतु प्रबंधन संरचना का सृजन" शीर्षक से संशोधित केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम (सीएसएस) के अंतर्गत, राज्य सरकार द्वारा अनुरूप अंशदान की शर्त पर, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक-निजी भागीदारी आधार पर समेकित ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण सुविधा स्थापित करने के लिए कुल लागत के 25% तक वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है। केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा 12.5 करोड़ रुपए होगी।

महाविद्यालय खोलना

359. **श्री आनंदराव अडसुल :**
श्री जोस के. मणि :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री गजानन ध. बाबर :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यालयों में व्यावसायिक अध्ययन शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सही है कि लगभग 20 मिलियन बच्चे विद्यालय जाते हैं किन्तु उनमें से केवल 12.4 प्रतिशत बच्चे महाविद्यालय जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या देश भर में महाविद्यालयों की संख्या उनकी वास्तविक आवश्यकता से कम है जिसके फलस्वरूप बारहवीं कक्षा से उत्तीर्ण होने वाले अनेक छात्रों को महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं मिल पाता;

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) देश भर में महाविद्यालयों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) माध्यमिक

शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाने संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना जो 1987-88 में शुरू की गई थी, के तहत सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त उच्च माध्यमिक स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उच्च माध्यमिक स्तर पर कई व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए हैं। वर्तमान सत्र 2010-11 के दौरान, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आतिथ्य एवं पर्यटन, जन मीडिया अध्ययन और मीडिया निर्माण तथा भू-आकाशीय प्रौद्योगिकी जैसे विषयों में नए व्यवसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं।

(ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित स्कूल शिक्षा आंकड़े (2007-08) के अनुसार वर्ष 2007-08 के दौरान स्कूल स्तर (कक्षा 1 से 12) पर दिनांक 30.9.2007 तक 23.72 करोड़ नामांकन हुए थे। इनमें से माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 तथा 10) पर 2.82 करोड़ बच्चे अध्ययनरत थे और उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 तथा 12) पर नामांकन 1.59 करोड़ था। चुनिंदा शैक्षिक आंकड़े 2006-07 के अनुसार, उच्चतर शिक्षा हेतु सकल नामांकन अनुपात अर्थात् 18-24 आयु वर्ग में कुल आबादी की तुलना में उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में नामांकन का अनुपात 12.4% था।

(घ) से (च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2008-09 में अनुरक्षित आंकड़े के अनुसार देश में कुल 25951 कॉलेज थे। वर्ष 2004-05 तथा 2008-09 के बीच कॉलेजों की संख्या में 44% की वृद्धि हुई है। उच्चतर शिक्षा दूरस्थ शिक्षा पद्धति से भी प्रदान की जाती है। कॉलेजों की स्थापना एवं संचालन सामान्यत: राज्य सरकारों, शैक्षिक सोसाइटियों तथा न्यासों आदि द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात से कम सकल नामांकन अनुपात वाले 374 जिलों में से प्रत्येक जिले में एक मॉडल डिग्री कॉलेज स्थापित करने संबंधी एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना प्रारंभ की गई है जिसमें 8.00 करोड़ रु. के पूंजीगत निवेश (आधा हिस्सा विशेष श्रेणी दर्जा वालों के लिए) में से एक-तिहाई धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है।

रेल दुर्घटनाओं में हाथियों की मौत

360. **प्रो. रंजन प्रसाद यादव :**
श्री राम सुन्दर दास :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी :
श्री एस. पक्कीरप्पा :
श्री प्रदीप माझी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में वर्ष-वार और राज्य-वार रेल दुर्घटनाओं में हाथियों की कितनी मौतें जानकारी में आई हैं;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने रेल मंत्रालय और राज्य प्राधिकारियों के साथ यह मामला उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में चिहिनत प्रमुख हाथी गलियारों की रक्षा के लिए कोई कृतिक बल तैयार किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उक्त कृतिक बल ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, रेल दुर्घटनाओं में मारे गए हाथियों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:

राज्य	हाथियों की मौतों की राज्य-वार संख्या			
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
असम	2	2	8	2
पश्चिम बंगाल	5	3	1	9
तमिलनाडु	1	3	1	0
झारखंड	1	0	0	0
केरल	1	0	3	0
उड़ीसा	2	0	0	0

(ख) और (ग) जी, हां। ऐसी दुर्घटनावश हुई मौतों की रोकथाम के लिए रेलवे और राज्य वन विभागों द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न

कार्रवाइयां नियोजित तथा शुरू की गई हैं जिनमें गति सीमा को लागू करना, ट्रैक के दोनों तरफ के क्षेत्र को वनस्पतिमुक्त रखना, रैम्प्स/फेन्सिंग आदि का निर्माण करना शामिल है।

(घ) से (छ) मंत्रालय ने देश में गलियारों सहित प्रजातियों के लिए अधिकाधिक प्रभावी संरक्षण और प्रबंधन व्यवस्था हेतु उपाय सुझाने के लिए हाथी परियोजना पर कृतिक बल गठित किया था। कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। कृतिक बल की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

1. राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण (एनईसीए) का गठन।
2. ग्यारहवीं योजना में परियोजना के वित्तीय परिव्यय में 81.99 करोड़ रुपये की तुलना में बारहवीं योजना में 600 करोड़ तक की वृद्धि करना।
3. सुदृढ़ और वैज्ञानिक हाथी मॉनीटरिंग कार्यक्रम अभिकल्पित करने के लिए हाथी अनुसंधान और आकलन संघ (सीईआरई) को गठित करना।
4. हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित करना।
5. अभिज्ञात क्षेत्रों में संघर्ष प्रबंधन कृतिक बल गठित करना।
6. हाथियों द्वारा मानवीय मृत्यु के मामले में अनुग्रही अदायगी वर्तमान न्यूनतम दर में एक लाख के बजाय कम से कम 3 लाख रुपये तक की वृद्धि करना।
7. संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अभिज्ञात गलियारों पर अधिसूचना।
8. फ्रंटलाइन स्टाफ के रिक्त पदों को स्थानीय युवाओं से तत्काल भरना।
9. दैनिक चौकीदारों के साथ फ्रंटलाइन स्टाफ के लिए नि:शुल्क राशन/खाद्य भत्ता।
10. सुरक्षा संबंधी कर्तव्यों के निर्वहन में शामिल फ्रंटलाइन स्टाफ का बीमा आवरण।
11. वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना।
12. भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय हाथी कांग्रेस की मेजबानी।
13. वैश्विक बाघ फोरम के अनुरूप एशियाई हाथी मंच को स्थापित करना।

जैव संसाधित खाद्यों की लेबलिंग के लिए कानून

361. श्री जोस के. मणि :
श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जैव संसाधित (जीएम) खाद्यों के आयात के संबंध में सरकारी नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या जैव संसाधित खाद्यों की अनिवार्य लेबलिंग का कोई कानून मौजूद है और इसको देश में कड़ाई से लागू किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) जैव अभियांत्रिकी परियोजनाओं के लिए लेब्लिंग व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए गए ईपीए, 1986 के उपबंधों के अंतर्गत जारी किए गए परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों/जैव संसाधित रीति से तैयार किए गए जीवों अथवा कोशिकाओं का विनिर्माण, उपयोग आयात और निर्यात और भंडारण के लिए 'नियमावली, 1989' जो सामान्य रूप से 'नियमावली 1989' के रूप में जानी जाती है उसके अनुसार जैव संसाधित खाद्य का आयात विनियमित किया जाता है। इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 में जैव संसाधित खाद्य-पदार्थों के आयात को विनियमित करने का उपबंध है किंतु इस उपबंध को विनियमित किया जाना शेष है।

(ख) से (घ) जी, नहीं। सभी पणधारियों की टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए जैव संसाधित (जीएम) लेबलिंग पर अधिसूचना प्रारूप को दिनांक 10 मार्च, 2006 को सामान्य सांविधिक नियम 152(अ) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। जैव संसाधित

खाद्य पदार्थों की लेबलिंग पर भिन्न-भिन्न और विरोधाभासी मतों के कारण उसें अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था। यह भी नोट किया गया था कि कोडेक्स ऐलीमेन्टेरिअस आयोग (विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य और कृषि संगठन का एक संयुक्त निकाय) द्वारा इस मुद्दे पर सिफारिशें करना अभी बाकी था। अत: जैव संसाधित खाद्य पदार्थों पर लेबलिंग उपबंधों को अधिसूचित करना समय-पूर्व कार्रवाई समझा गया।

विदेशी कारागारों में भारतीय

362. **श्री मनोहर तिर्की :**
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार :
डॉ. एम. तम्बिदुरई :
श्री संजय निरुपम :
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, अपराध-वार, लिंगभेद-वार और देश-वार प्रवासी कामगारों सहित कितने भारतीय विदेशी कारागारों में बंद हैं और उन देशों द्वारा उन्हें क्या-क्या सजाएं दी गई हैं;

(ख) कारागार में बंद इन व्यक्तियों के राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार विदेशी कारागारों में बंद भारतीयों की किस प्रकार सहायता करती है, और उन्हें शीघ्र रिहा करवाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान अन्य देशों में वर्ष-वार और देश-वार कितने भारतीय नागरिकों को मृत्यु दंड दिया गया?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सीपीसीबी और एसपीसीबी के कार्यकरण की समीक्षा

363. **श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े :**
श्री हंसराज गं. अहीर :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री मिलिंद देवरा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश के प्रमुख शहरों में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए उनके कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई) ने इन शहरों में पर्यावरणीय प्रदूषण के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो उस अध्ययन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) इन निष्कर्षों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने देश भर में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न प्रदूषण उपशमन और नियंत्रण गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए वित्तीय, प्रशासनिक, जनशक्ति और अपेक्षित अवसंरचना के संदर्भ में इसके कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए 'केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मूल्यांकन' पर एक अध्ययन प्रायोजित किया था। यह अध्ययन भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), लखनऊ द्वारा आयोजित किया गया था। आईआईएम ने अपनी रिपोर्ट मार्च, 2010 में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ मानव संसाधनों के सुदृढ़ीकरण, कम्प्यूटरीकरण, प्रयोगशाला को अद्यतन बनाया जाना और अवसंरचनात्मक विकास के लिए सिफारिश की है ताकि विभिन्न पर्यावरणीय कानूनों के अंतर्गत यथा परिकल्पित प्रदूषण के प्रभावी निवारण और नियंत्रण के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

(ग) से (ङ) वर्षों से देश में विभिन्न शहरों, कस्बों और औद्योगिक क्षेत्रों में एकत्रित किए गए परिवेशी वायु गुणवत्ता मॉनीटरिंग डाटा दर्शाता है कि विभिन्न स्थलों पर 10 माइक्रोन (PM_{10}) से कम आकार के विविक्त कण अधिसूचित मानकों से अधिक हैं। तदनुसार, छः प्रमुख शहरों (दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, चेन्नई और कानपुर) में वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों और उत्सर्जन की प्रमात्रा का पता लगाने के लिए,

तेल कंपनियों द्वारा अगस्त, 2003 में एक अध्ययन शुरू किया गया था। तदुपरांत यह अध्ययन अग्रणी अनुसंधान संस्थानों जैसे कि पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई) और ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई) के सहयोग से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आरंभ किया गया था। एनईईआरआई ने यह अध्ययन केवल दो शहरों अर्थात् दिल्ली और मुंबई में किये थे, जबकि अन्य शहरों में ये अध्ययन उपरोक्त वर्णित संस्थानों द्वारा किए जा रहे हैं। इस अध्ययन के निष्कर्ष भविष्य में नीति निर्णयों के आधार बनेंगे जिसमें 'ऑटो ईंधन नीति' जिसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, की समीक्षा भी शामिल होगी।

[हिन्दी]

सी.बी.आई. छापों के दौरान पकड़े गए अधिकारी

364. श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण :
श्री विश्व मोहन कुमार :
श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान सी.बी.आई. द्वारा भ्रष्टाचार के कितने मामले पंजीकृत किए गए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई;

(ग) चालू वर्ष के दौरान सी.बी.आई. द्वारा राज्यवार कितने अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ छापा मारा गया;

(घ) इनमें से कितने व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और किस प्रकार की कार्रवाई की गई;

(ङ) क्या इनमें से कुछ व्यक्तियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी संख्या क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) से (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने वर्तमान वर्ष में दिनांक 31.10.2010 तक भ्रष्टाचार के 566 मामले दर्ज किए हैं जिनमें 382 दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और 566 अधिकारियों के विरुद्ध छापे मारे गए थे। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा राज्यवार विवरण केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखा जाता है।

(घ) से (च) सूचना व्यक्तिगत मामला रिकार्ड का भाग है और केन्द्रीकृत रूप में नहीं रखा जाता है। पदधारियों के अभियोजन के अलावा, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो संबंधित मंत्रालयों को नियमित विभागीय कार्रवाई की भी सिफारिश करता है। विभिन्न मंत्रालयों के अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

सूखा प्रवण क्षेत्रों में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

365. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुंदेलखंड और विंध्याचल सहित राज्य सरकारों से सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत 90 प्रतिशत अनुदान के लिए प्राप्त प्रस्तावों का परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार क्या कार्रवाई की गई और कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ग) लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकर ने सूखा प्रवण जिलों की सूची में और अधिक जिलों को शामिल किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या मापदंड अपनाया गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा। सूखा प्रवण

क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली वृहद/मध्यम परियोजनाओं के लिए 2007-08 से 2010-11 के दौरान जारी की गई केन्द्रीय सहायता का परियोजनावार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। एआईबीपी के अंतर्गत विशेष श्रेणी के राज्यों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड की सभी वृहद/मध्यम एवं सतही जल लघु सिंचाई स्कीमें एआईबीपी के अंतर्गत 90% सहायता अनुदान पाने के लिए पात्र हैं, इन राज्यों में सूखा प्रवण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाएं अभिज्ञात नहीं की गई हैं। गैर-विशेष श्रेणी राज्यों के सूखा प्रवण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली 701 सतही जल लघु सिंचाई स्कीमों को अभी तक एआईबीपी में शामिल किया गया है जैसाकि विवरण-II में राज्यवार ब्यौरा दिया गया है। सूखा प्रवण क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली 2007-08 से 2010-11 के दौरान एआईबीपी में शामिल सतही जल लघु सिंचाई स्कीमों का राज्यवार ब्यौरा तथा सूखा प्रवण/जनजातीय क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमों के लिए इस अवधि के दौरान जारी की गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

(ग) प्रस्ताव का अनुमोदन, राज्य अभिकरणों द्वारा केंद्रीय जल आयोग द्वारा प्रस्तावों पर की गई टिप्पणियों के अनुपालन पर निर्भर करता है। इस संबंध में विशिष्ट अवधि नहीं बताई जा सकती है।

(घ) सूखा प्रभावित जिलों में कोई नया जिला शामिल नहीं किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण-I

सूखा प्रवण क्षेत्र में लाभ पहुंचाने वाली वृहद/मध्यम परियोजना को 2007-08 से 2010-11 के दौरान जारी केन्द्रीय सहायता अनुदान

क्र. सं.	राज्य/परियोजना का नाम (योजना में प्रारम्भ)	राशि (करोड़ रु.)			
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1	2	3	4	5	6
	वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं				
	आंध्र प्रदेश				
1.	गोलाबागु (पीएमपी)	32.1200	0.0000	0.0000	
2.	माथादिवागु (पीएमपी)	8.6700	0.0000	0.0000	
3.	पैडावागु (पीएमपी)	0.0000	0.0000	55.4000	
4.	वलीगलु जलाशय (पीएमपी) (सी)	26.2500	0.0000	0.0000	
5.	खुमारम बीमा (पीएमपी)	109.8300	27.9300	0.0000	
6.	राजीव भीमा एलआईएस (पीएमपी)	233.1400	209.8700	662.6610	
	(आंध्र प्रदेश)-कुल	410.0100	297.8000	718.0610	

1	2	3	4	5	6
	अरुणाचल प्रदेश				
	(अरुणाचल प्रदेश)-कुल	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	असम				
	(असम)-कुल	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	बिहार				
	(बिहार)-कुल	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	छत्तीसगढ़				
7.	मीनीमाटा (हासडयु वगो वीए-IV)	19.6700	29.5100	16.8240	
	(छत्तीसगढ़)-कुल	19.6700	29.5100	16.8240	0.0000
	गोवा				
	(गोवा)-कुल	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	गुजरात				
8.	सरदार सरोवर	585.7200	251.9000	0.0000	
	(गुजरात)-कुल	585.7200	251.9000	0.0000	0.0000
	हरियाणा				
	(हरियाणा)-कुल	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	हिमाचल प्रदेश				
	(हिमाचल प्रदेश)-कुल	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	जम्मू और कश्मीर				
	(जम्मू और कश्मीर)-कुल	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

1	2	3	4	5	6
	झारखंड				
	(झारखंड)-कुल	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	कर्नाटक				
9.	मालप्रभा (III) (पीएनपी)	35.3400	18.9000	110.5250	
10.	घाटप्रभा (V) (पीएनपी)	29.0400	43.5700	56.1620	
11.	करजा (V)	0.0000	12.2500	0.0000	
12.	यूएफपी-II (IX)	145.6400	61.2400	93.0200	
13.	गंदोरिनाला (VIII)	45.5300	0.0000	18.5200	
14.	यूकेपी एसटी चरण-III	72.0100	134.6600	152.9770	
15.	मोड आफ भदरा (पीएनपी) (XI)		32.4400	106.4980	
16.	हिमप्रारगी परियोजना (पीएनपी) (XI)		115.3600	114.7804	
17.	भीम समुद्र टैक-2009-10 का पुनरुद्धार एवं नवीकरण (XI) (पीएनपी)			3.4830	
18.	भीमा लिफ्ट सिंचाई स्कीम, 2009-10 (XI)			58.6400	
19.	गुदाटा मालापुरा एलआईएस, डीपीएपी 2009-10 (XI)			32.4000	
	(कर्नाटक)-कुल	327.5600	418.4200	749.0054	
	केरल				
	(केरल)-कुल	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	मध्य प्रदेश				
20.	इंदिरा सागर (VI)	94.7700	0.0000	0.0000	
21.	बाणसागर (यूनिट-II) (V)	56.6000	26.8600	59.6100	
22.	माही (VI)	49.4700	37.1860	0.0000	

1	2	3	4	5	6
23.	ओंकारेश्वर परियोजना चरण-II	16.1100	49.6000	0.0000	
	इंदिरा सागर नहर चरण-III	24.4900	61.7700	0.0000	
	इंदिरा सागर नहर चरण-IV (2008-09-XI)	24.4900	19.6830	12.6000	
	इंदिरा सागर यूनिट-II (चरण-I एवं चरण-II) (2008-09-XI)		-	42.6400	
24.	पुनासा लिफ्ट सिंचाई परियोजना (XI) 2008-09		48.6000	227.6370	
25.	निचली गोई (XI) 2008-09		32.5860	60.1020	
26.	ऊपरी वैदा (XI) 2008-09		14.3400	49.1984	
	(मध्य प्रदेश)-कुल	241.4400	290.6250	451.7874	
	महाराष्ट्र				
27.	गोसीखुर्द (VI)	59.5900	142.3000	0.0000	
	गोसीखुर्द राष्ट्रीय परियोजना (XI)		450.0000	720.0000	635.2800
28.	वाघुर (V)	67.8700	109.5130	0.0000	
29.	उँपरी वरधा (V) (पीएमपी)	22.0800	26.9500	0.0000	
30.	कृष्णा (III) (सी)	23.8900	23.4700	0.0000	
31.	कुकादी (एपी 65-69) (सी)	55.4600	0.0000	0.0000	
32.	चचकमान (सी)	12.3400	0.0000	0.0000	
33.	उँपरी घेन गंगा	23.9500	37.6253	0.0000	43.6900
34.	पोथरी नाला (पीएमपी)	4.5300	5.2380	5.1990	
35.	उतवाली (पीएमपी)	8.3000	17.1700	5.3300	
36.	पुरणा (पीएमपी)	20.3700	5.0200	0.0000	

1	2	3	4	5	6
37.	नदूर माधमेश्वर	47.8300	154.3380	0.0000	
	नदूर माधमेश्वर चरण-II			34.0200	
38.	लाल नाला (पीएमपी)	14.2700	0.0000	0.0000	
39.	खडगपुरणा (पीएमपी)	98.8600	181.5870	112.0896	
40.	अरुणावती (पीएमपी)	12.5400	8.5100	0.0000	
41.	तंजनपुर एलआईएस	0.0000	3.9300	0.0000	
42.	डुगरापुर	0.0000	0.0000	15.3900	
43.	शिवनातंकली (सी)	0.0000	0.0000	0.0000	
44.	बेमला सिंचाई परियोजना (पीएमपी)	173.5430	176.6430	120.8800	
45.	चन्द्रभागा सिंचाई परियोजना (पीएमपी)	11.4900	11.2000	0.0000	
46.	संपन सिंचाई परियोजना (पीएमपी)	45.9500	32.6550	0.0000	
47.	सनगोला शाखा नहर	11.3000	67.3700	0.0000	
48.	पेनटक्ली परियोजना (पीएमपी)	9.4700	13.7500	0.0000	
49.	तराली परियोजना	10.0600	39.9900	44.0800	
50.	डोम बालकवाड़ी परियोजना	17.2200	23.9260	0.0000	20.0200
51.	प्रकाश बैराज	9.7900	32.4990	1.9785	
52.	सुलवाडें बैराज	13.6800	55.8040	0.0000	
53.	शारण खेडा बैराज	10.5500	38.3990	0.0000	
54.	निचली पैदा परियोजना (पीएमपी) (XI) 2008-09		129.4200	0.0000	
55.	उंपरी कुण्डीलीका परियोजना (XI) 2009-10		18.5000	15.3196	
56.	निचली पंजारा परियोजना (XI) 2009-10			47.7500	

1	2	3	4	5	6
57.	रूणा-कोयना लिफ्ट सिंचाई (XI) 2009-10 — नई			111.9200	
	(महाराष्ट्र)-कुल	784.9330	1805.8073	1233.9567	898.9900
	मणिपुर				
	(मणिपुर)-कुल	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	मेघालय				
	(मेघालय)-कुल	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	मिजोरम				
	(मिजोरम)-कुल	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	नागालैंड				
	(नागालैंड)-कुल	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	उड़ीसा				
58.	ऊपरी इंदिरा वती (केवीके) (एपी 1978-80)	92.9100	45.8616	56.3276	
59.	शुभरणरेखा बहुउद्देशीय (VII)	179.9500	178.7654	341.7710	
60.	तितलागढ़ (VIII)	17.3300	0.0000	0.0000	
61.	निचली (केवीके) (IX)	85.1500	132.6448	269.6002	
62.	निचली सुकटैल (IX)	53.5366	97.2261	0.0000	
63.	तेलनगिरि सिंचाई परियोजना (केवीके)	31.5500	4.7800	16.8350	
64.	रेट. सिंचाई परियोजना (केवीके)	33.5300	31.6661	0.0000	
65.	कानुपुर (VIII)	95.8784	180.1604	95.5195	
	(उड़ीसा)-कुल	589.8350	671.1044	780.0533	

1	2	3	4	5	6
	पंजाब				
	(पंजाब)-कुल	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	राजस्थान				
66.	आईजीएनपी चरण-II (V)	0.0000	0.0000	0.0000	
67.	नर्मदा नहर (VI)	140.500	178.6200	135.2970	
	(राजस्थान)-कुल	140.500	178.6200	135.2970	
	त्रिपुरा				
	(त्रिपुरा)-कुल	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	तमिलनाडु				
	(तमिलनाडु)-कुल	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	उत्तर प्रदेश				
68.	बाणसागर (V)	41.5200	136.7320	94.9670	
69.	मोड़ आफ लहचुरा बांध	3.9800	3.5348	28.3800	
70	अर्जुन सहायक (XI) नई 2009-10			24.3000	160.3150
	(उत्तर प्रदेश)-कुल	45.5000	140.2668	147.6470	160.3150
	उत्तराखंड				
	(उत्तराखंड)-कुल	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	पश्चिम बंगाल				
71.	तातको (V)	0.4200	0.6200	0.0000	
72.	पटलोई (V)	0.4100	0.2600	0.9144	
	(पश्चिम बंगाल)-कुल	0.8300	0.8800	0.9144	0.0000

1	2	3	4	5	6
	सिक्किम				
	(सिक्किम)-कुल	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	कुल योग	3145.9980	4084.9335	4233.5462	859.3050

विवरण-II

एआईबीपी के अंतर्गत शामिल किए गए सूखा प्रवण क्षेत्रों में राज्य-वार लघु सिंचाई स्कीमों का ब्यौरा (08.11.2010 तक)

क्र. सं.	राज्य	शामिल की गई स्कीमों की कुल संख्या	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)	लक्षित क्षमता (000 हे.)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	78	322.76	32.276
2.	बिहार	60	65.8437	23.466
3.	छत्तीसगढ़	29	65.82	7.606
4.	मध्य प्रदेश	139	443.3366	44.963
5.	महाराष्ट्र	184	1217.889	125.48
6.	झारखंड	52	73.3	8.749
7.	कर्नाटक	98	98.852	10.493
8.	राजस्थान	6	29.372	3.111
9.	पश्चिम बंगाल	55	21.7994	4.924
	कुल	701	2338.9727	261.068

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान एआईबीपी के अंतर्गत वित्तपोषित लघु सिंचाई स्कीमों की संख्या तथा डीपीएपी क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र में लघु सिंचाई स्कीमों को जारी अनुदान का राज्यवार ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11	
		डीपीएपी क्षेत्र में वित्तपोषित स्कीमों की संख्या	डीपीएपी व जनजातीय क्षेत्रों में एमआई स्कीमों हेतु जारी अनुदान	डीपीएपी क्षेत्र में वित्तपोषित स्कीमों की संख्या	डीपीएपी व जनजातीय क्षेत्रों में एमआई स्कीमों हेतु जारी अनुदान	डीपीएपी क्षेत्र में वित्तपोषित स्कीमों की संख्या	डीपीएपी व जनजातीय क्षेत्रों में एमआई स्कीमों हेतु जारी अनुदान	डीपीएपी क्षेत्र में वित्तपोषित स्कीमों की संख्या	डीपीएपी व जनजातीय क्षेत्रों में एमआई स्कीमों हेतु जारी अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0	0.0000	24 नई व 54 निर्माणाधीन	231.66	0	0.0000	शून्य	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	बिहार	4 नई	3.5500	56 नई	34.8489	0	0.0000	56 निर्माणाधीन	18.4215
3.	छत्तीसगढ़	8 नई	59.57 (77 नई एम आई स्कीमों के लिए)	14 नई	151.0212 (59 नई व 52 निर्माणाधीन)	7	16.038 (22 नई एमआईएस के लिए)	शून्य	0
4.	मध्य प्रदेश	78 नई	128.325 (146 नई एमआईएस के लिए)	61 नई	51.7594 (69 नई एमआईएस के लिए)	77 निर्माणाधीन	173.3724 (139 निर्माणाधीन के लिए)	0	0.0000
5.	महाराष्ट्र	38	86.4900	6 नई	210.9923 (6 नई व 132 निर्माणाधीन)	0	0.0000	46 नई	256.1439
6.	झारखंड	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	52 नई	72.80 116 नई के लिए
7.	कर्नाटक	0	0.0000	0	0.0000	98 नई	48.5076	0	0
8.	राजस्थान	0	8.12 32 नई के लिए	0	0.0000	6 नई	14.170 7 नई के लिए	0	0
9.	पश्चिम बंगाल	21 नई		0	0.0000	0.0	0.0000	34 नई	8.10
	कुल		286.055		680.2818		252.0582		355.4654

[अनुवाद]

चीन का रेल संपर्क

366. **श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि चीन अरुणाचल प्रदेश सीमा तक रेल संपर्क का निर्माण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय हितों और इसकी सीमाओं की रक्षा के लिए केन्द्र सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) से (ग) सरकार इससे अवगत है कि नियांगची तक किंघाई तिब्बत रेलवे लाइन के प्रस्तावित विस्तार सहित तिब्बत और जिंगजियाग स्वायत्तशासी क्षेत्रों में

भारत के निकट सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन रेल सम्पर्क विकसित कर रहा है। हमारी रणनीतिक और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने तथा इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास को कारगर बनाने के उद्देश्य से सरकार चीन के निकट सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे के विकास की तरफ सावधानीपूर्वक और विशेष ध्यान दे रही है। इसमें जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्य शामिल हैं। सरकार भारत की सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले सभी घटनाक्रमों पर सतत नजर रखती है तथा इसकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।

[हिन्दी]

पब्लिक स्कूलों में बच्चों को प्रवेश

367. **श्री भूदेव चौधरी :**
श्री पूर्णमासी राम :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के पब्लिक स्कूलों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को अपने स्कूलों में अध्ययनरत गरीब बच्चों की सूची उपलब्ध कराने से मना कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो पब्लिक स्कूलों द्वारा भूमि आवंटन की शर्तों का अनुपालन और अपने स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) भूमि आवंटन की शर्तों का उल्लंघन करने वाले पब्लिक स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह जानकारी दी है कि उसने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटा के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर विद्यार्थियों को सीटें आवंटित न करने के लिए तीन विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह भी जानकारी दी है कि इन विद्यालयों ने वर्तमान शैक्षिक वर्ष 2010-11 के लिए आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग श्रेणी के विद्यार्थियों को सीटें आवंटित की हैं। यह मामला इस समय न्यायाधीन है।

पुलों का निर्माण

368. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को दिल्ली में यमुना नदी पर निर्मित रेल पुल के स्थान पर एक अन्य पुल के निर्माण के संबंध में रेल मंत्रालय की ओर से स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने रेल मंत्रालय को उक्त प्रस्ताव हेतु स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) जी, हां। 3.4.2005 को मुख्य इंजीनियर (निर्माण), कश्मीरी गेट, दिल्ली ने केन्द्रीय संरक्षित स्मारक, सलीमगढ़ किले के संरक्षित क्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानी स्मारक के निकट उत्तरी रेलवे के दिल्ली शाहदरा सेक्शन पर मौजूदा पुल के ऊपर विद्यमान पुराना पुल सं. 249 के स्थान पर एक नये यमुना पुल का निर्माण करने का अनुरोध किया था।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। समस्त प्रस्ताव की विस्तृत जांच की गई थी और यह पाया गया था कि खम्भों का निर्माण न केवल केन्द्रीय संरक्षित क्षेत्र अर्थात् सलीमगढ़ किले के निषिद्ध क्षेत्र में बल्कि संरक्षित क्षेत्र के अंदर भी करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव में सलीमगढ़ किले के अंदर लगभग 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र को छोड़ना भी अन्तर्ग्रस्त है। इसके अलावा, बीम खड़ी करने के लिए किले की दीवार के एक भाग को भी गिराया जाएगा जो रेल पथ को सहारा देने के लिए खम्भों पर टिकाई जाएगी। अतः अनुमति नहीं दी गई।

[अनुवाद]

देश में अनुसंधान और विकास

369. **श्री के. सुगुमार :**
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :

श्री शत्रुघ्न सिन्हा :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए वर्षवार और क्षेत्रवार कितनी धनराशि आवंटित की गई और उपयोग में लाई गई;

(ख) इस क्षेत्र में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप क्या प्रगति हुई है;

(ग) वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में विश्व स्तरीय सुविधाएं और अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार ने प्रौद्योगिकीय और वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास में गैर-सरकारी संगठनों, सरकारी और निजी संस्थाओं तथा उद्योगों की भूमिका की पहचान की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ग्यारहवीं योजना के लिए क्या कार्ययोजना तैयार की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विभागों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए आवंटित और उपयोग में लाई गई योजना निधियां संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) और (ग) भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रणाली में अनुसंधान और विकास सहायता से अनुसंधान के क्षेत्र में भारतीय क्षमता और वैश्विक दृष्टि का विकास हुआ है तथा प्रति वैज्ञानिक निधिकरण सहायता प्रणाली का स्तर महत्वपूर्ण स्तरों तक बढ़ा है। स्कोपस इंटरनेशनल डाटाबेस के अनुसार, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की वैश्विक स्थिति, जैसाकि प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या द्वारा मापा गया है, 1996 में 13वें स्थान से सुधरकर 2009 में 10वें स्थान पर आ गई है। गत चार वर्षों के दौरान भारत का शोध प्रकाशन 12.6 प्रतिशत विकास दर से बढ़ा है। सरकार द्वारा अनुसंधान एवं विकास सहायता से प्लाजमा भौतिकी; संरचनात्मक जीव विज्ञान; तंत्रिका विज्ञान; आर्गनिक सिंथेसिस; स्टेम सेल; समुद्री जैव प्रौद्योगिकी; नैनोप्रौद्योगिकी; औषधि एवं भेषज; रोबोटिक्स और मैन्यूफैक्चरिंग; जैवचिकित्सा इंजीनियरी, आदि जैसे अग्रणी क्षेत्रों में क्षमता का सृजन और पोषण हुआ है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख अनुसंधान सुविधाओं/उत्कृष्टता केन्द्रों, जैसे ओसनोग्राफिक रिसर्च वेस्सेल, आधुनिकतम मल्टी-टेराफ्लोप हाई परफोर्मेन्स कम्प्यूटिंग (एचपीसी) सुविधा, नेशनल फैसिलिटी फॉर फंक्शनल जिनोमिक रिसर्च, नेशनल बायोसेफ्टी लेवल 4 (बीएसएल 4) सुविधा, भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली के लिए पशु सुविधा, लिपिड अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता केन्द्र, फ्लाइट मेकेनिक्स और नियंत्रण में उत्कृष्टता केन्द्र, प्लाज्मा प्रसंस्करण के लिए नवोन्मेष केन्द्र आदि की भी स्थापना की गई है। विश्वविद्यालयों और उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवंसरचना के सुधार के लिए निधि (एफआईएसटी) नामक प्रमुख पहल के माध्यम से देश में विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अन्य शैक्षिक संस्थानों के विज्ञान विभागों की विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना में काफ़ी सुधार हुआ है।

(घ) और (ङ) जी, हां। सरकार ने जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विज्ञान पृष्ठभूमि के साथ नवोन्मेषकों द्वारा चलाए गए निजी उद्योगों (विशेष रूप से लघु और मध्यम कंपनियों) में उच्च-जोखिम प्री-प्रूफ-ऑफ-कंसेप्ट अनुसंधान तथा परवर्ती स्तर विकास में सहायता करने के लिए ग्यारहवीं योजना के दौरान लघु व्यवसाय नवोन्मेष अनुसंधान पहल (एसबीआईआरआई) प्रारंभ की है। हाल ही में लागत हिस्सेदारी आधार पर सार्वजनिक सहायता हेतु उद्योगों के साथ भागीदारी में कार्यान्वयन के लिए जैव प्रौद्योगिकी उद्योग भागीदारी कार्यक्रम (बीआईपीपी) नामक एक नई स्कीम को भी मंजूर किया गया है। इसी तरह, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उभरते हुए क्षेत्र में संबंधित संरचना/स्कीम को शुरू करने की योजना है।

अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को आगे और प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने आयकर अधिनियम की धारा 35 (2 ए बी) के अधीन अनुमोदित आन्तरिक और विकास इकाइयों पर हुए परिव्यय पर भारित कटौती को 150 प्रतिशत से बढ़ाकर 200 प्रतिशत कर दिया है। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम की धारा 35 (2 ए ए) के अधीन संचालित वैज्ञानिक अनुसंधान पर अनुमोदित कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों अथवा आई आई टी को किए गए भुगतान पर भारित कटौती को भी 125 प्रतिशत से बढ़ाकर 175 प्रतिशत कर दिया गया है।

विवरण

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय विभागों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए आवंटित एवं उपयोग की गई निधियां

(करोड़ रुपये)

क्षेत्र एवं विभाग	आवंटित निधियां				उपयोग की गई निधियां			
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 (अक्तूबर, 2010 तक)
विज्ञान और प्रौद्योगिकी - डीएसटी	1270.00	1523.00	1672.50	2025.00	1266.89 (99.7%)	1517.42 (99.6%)	1666.95 (99.7%)	1116.35 (55.1%)
जैव प्रौद्योगिकी - डीबीटी	683.00	879.00	902.00	1200.00	616.68 (90.3%)	869.98 (98.9%)	928.75 (100%)	604.75 (50.3%)
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान - डीएसआईआर	1060.00	1190.00	1279.00	1600.00	1054.98 (99.5%)	1180.49 (99.2%)	1278.77 (100%)	793.17 (50%)

टिप्पणी: डीएसटी - विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

डीबीटी - जैव प्रौद्योगिकी विभाग

डीएसआईआर - वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

कोष्ठक में दी गई राशि उपयोग के प्रतिशत को प्रदर्शित करती है।

[हिन्दी]

नदियों को आपस मे जोड़ना

370. **श्री सुमित्रा महाजन :**
श्रीमती मीना सिंह :
डॉ. किरोड़ी लाल मीणा :
श्री हंसराज गं. अहीर :
श्री एस. सेम्मलई :
डॉ. एम. तम्बिदुरई :
श्री राधा मोहन सिंह :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विभिन्न नदियों को आपस में जोड़ने की दीर्घकालिक मांग की समीक्षा कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय ने नदियों को आपस में जोड़ने के संबंध में कोई निदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या किसी पड़ोसी देश ने नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना पर आपत्ति जताई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय (तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय)

ने 1980 में जल संसाधन विकास संबंधी एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की जिसमें जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जल के अंतर-बेसिन अंतरण की योजना है जिसमें दो घटक अर्थात् हिमालयी नदी विकास घटक और प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक शामिल हैं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत परिकल्पित नदियों को परस्पर जोड़ने के प्रस्तावों की व्यवहार्यता स्थापित करने और इसे अमली जामा पहनाने के उद्देश्य से तरह-तरह के तकनीकी अध्ययन कराने की दृष्टि से 1982 में जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) का गठन किया गया था।

विभिन्न प्रकार के कराए गए अध्ययनों के आधार पर एनडब्ल्यूडीए ने व्यवहार्यता रिपोर्टें (एफआरएस) तैयार करने के लिए 30 संपर्कों (प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 16 और हिमालयी घटक के अंतर्गत 14) की पहचान की है। इनमें से प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 14 संपर्कों और हिमालयी घटक के अंतर्गत 2 संपर्कों (भारतीय भाग) की व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार कर ली गई हैं।

प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत पांच घटकों नामतः (i) केन बेतवा (ii) पार्वती-कालीसिंध-चंबल (iii) दमनगंगा-पिंजाल, (iv) पार-तापी-नर्मदा एवं (v) गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) को विस्तृत रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना प्रारंभ करने के लिए संबंधित राज्यों के बीच मतैक्य स्थापित करने के लिए प्राथमिकता संपर्कों के रूप अभिज्ञात किया गया था। एक प्राथमिकता संपर्क नामतः केन-बेतवा की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पूरी कर ली गई थी और मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सरकारों को टिप्पणियों हेतु भेज गयी थी। मध्य प्रदेश सरकार ने एक वैकल्पिक प्रस्ताव सुझाया है। अब परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को दो चरणों में संशोधित किया जाना है। चरण-I की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूरी कर ली गई है और मई, 2010 में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार को टिप्पणियों हेतु भेज दी गई है। साथ ही एनडब्ल्यूडीए ने संबंधित राज्यों को सहमति के पश्चात् दूसरे दो संपर्कों नामतः पार-तापी-नर्मदा और दमनगंगा-पिंजाल की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्रारंभ कर दी हैं जिन्हें दिसंबर, 2011 तक पूरी कर लिए जाने की योजना है। गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) संपर्क आंध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना का हिस्सा है। योजना आयोग ने पोलावरम परियोजना को निवेश स्वीकृत दे दी है तथा आंध्र प्रदेश सरकार ने उनके प्रस्तावों के अनुसार संपर्क घटक सहित उपर्युक्त परियोजना प्रारंभ कर दी है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य परियोजना के अंतर्गत संपर्क प्रस्तावों के नाम एवं वर्तमान स्थिति संबंधी ब्यौरा विवरण में दिया गया है। एनपीपी के अंतर्गत अंतर्बेसिन जल हस्तांतरण संबंधी प्रस्तावों से संबंधित मुद्दों पर शासी निकाय में राज्य सरकारों और एनडब्ल्यूडीए की समिति के अधिकारियों के साथ नियमित रूप से विचार-विमर्श किया जा रहा है। अभी तक शासी निकाय की 55 बैठकें और समिति की 29 बैठकें आयोजित की गई हैं। जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थाई समिति ने भी 12.4.2008 को आयोजित अपनी बैठक में नदियों को परस्पर जोड़ने के विषय की जांच की है।

सरकार ने अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की अध्यक्षता में एक मतैक्य समूह का भी गठन किया है। जिसमें संबंधित राज्यों के सिंचाई/जल संसाधन विभागों के सचिव शामिल हैं जो अधिशेष जल की साझेदारी पर मतैक्य बनाने और एनडब्ल्यूडीए द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के मुद्दे पर चर्चा करते हैं। अभी तक मतैक्य समूह की दस बैठकें आयोजित की गई हैं। महानदी-गोदावरी- कृष्णा-पेन्नार-वैगाई-गंडर संपर्क प्रणाली के अंतर्गत अन्य आठ संपर्कों के लिए संबंधित राज्यों के साथ डीपीआर तैयार करने के लिए मतैक्य स्थापित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

एनडब्ल्यूडीए की गतिविधियों की समीक्षा योजना-दर-योजना आधार पर की जाती है। XIवीं योजना के लिए परिव्यय के अंतिम रूप देते हुए सरकार ने एनडब्ल्यूडीए की गतिविधियों की समीक्षा की है।

(ग) और (घ) नदियों से तंत्र के संबंध में उच्चतम न्यायालय में वर्ष 2002 की रिट याचिका सं. 512 दायर की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय नदियों को परस्पर जोड़ने के कार्यक्रम (आईएलआर) की प्रगति की स्थिति की नियमित रूप से मानीटरी कर रहा है। भारत सरकार द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए शपथ पत्रों में आईएलआर की प्रगति दर्शाई गई है। दिनांक 5.4.2010 की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने भारत सरकार की ओर से उपस्थित सालिसिटर जनरल को भारत सरकार द्वारा दायर की गई स्थिति रिपोर्ट की प्रति सभी दलों को देने का आदेश दिया।

(ङ) और (च) संयुक्त नदी आयोग (जेआरसी) की सितंबर, 2005 को ढाका में आयोजित की गई 36वीं बैठक के दौरान बंगलादेश पक्ष ने भारत की नदियों को परस्पर जोड़ने की प्रस्तावित बैठकों के बारे में चिंता जताई तथा उल्लेख किया कि भारत की नदियों की परस्पर जोड़ने की प्रस्तावित परियोजना के संबंध में एकतरफा निर्णय नहीं लेना चाहिए जिससे बंगलादेश पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। भारत की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि एनपीपी के हिमालयी

घटक के 14 संपर्कों में से किसी पर जब तक कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा तब तक पड़ोसी देशों की चिंताओं की जांच और समाधान उचित और पारदर्शी रूप में न किया जाए। यह उल्लेख किया गया कि एनपीपी के प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत अन्य 16 संपर्क का हिमालय से निकलने वाली किसी नदी से कोई संबंध नहीं है अतएव, इस बारे में बंगलादेश को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।

संयुक्त नदी आयोग की 18-19 मार्च, 2010 को दिल्ली में आयोजित 37वीं बैठक के दौरान भारत की नदियों को परस्पर जोड़ने की प्रस्तावित बैठक के संबंध में बंगलादेश पक्ष के दोबारा अपनी चिंता व्यक्त की। भारत ने अपने पूर्व मत की पुनरावृति की है कि भारत हिमालयी घटक की नदियों को परस्पर जोड़ने की प्रस्तावित बैठक के संबंध में कोई एकतरफा निर्णय नहीं लेगा जिससे बंगलादेश को कोई नुकसान हो।

विवरण

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत अभिज्ञात जल हस्तांतरण संपर्कों की सूची एवं वर्तमान स्थिति

प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक

1.	महानदी (मणिभद्रा) — गोदावरी (दोलेश्वरम) संपर्क	एफआर पूरी की गई
2.	गोदावरी (पोलावरम) — कृष्णा (विजयवाड़ा) संपर्क*	राज्य द्वारा उनके स्वयं के प्रस्ताव के अनुसार शुरू की गई
3.	गोदावरी (इंचमपल्ली) — कृष्णा (पुलिचिंताला) संपर्क	एफआर पूरी की गई
4.	गोदावरी (इंचमपल्ली) — कृष्णा (नागार्जुन सागर) संपर्क	एफआर पूरी की गई
5.	कृष्णा (नागार्जुन सागर) — पेन्नार (सोमासिला) संपर्क	एफआर पूरी की गई
6.	कृष्णा (श्री सैलम) — पेन्नार संपर्क	एफआर पूरी की गई
7.	कृष्णा (अलमट्टी) — पेन्नार संपर्क	एफआर पूरी की गई
8.	पेन्नार (सोमासिला) — कावेरी (ग्रैण्ड एनीकट) संपर्क	एफआर पूरी की गई
9.	कावेरी (कट्टालाई) — वैगई — गुन्डार संपर्क	एफआर पूरी की गई
10.	पार्वती-कालीसिंध-चंबल संपर्क*	एफआर पूरी की गई
11.	दमनगंगा-पिंजाल संपर्क*	एफआर पूरी की गई एवं **डीपीआर** शुरू की गई
12.	पार-तापी-नर्मदा संपर्क*	एफआर पूरी की गई एवं **डीपीआर** शुरू की गई
13.	केन-बेतवा संपर्क*	**चरण-I की डीपीआर पूरी की गई**
14.	पंबा-अचनकोविल-वैप्पार संपर्क	एफआर पूरी की गई
15.	नेत्रावती-हेमावती संपर्क	पीएफआर पूरी की गई
16.	बेदती-वर्दा संपर्क	एफआर प्रारंभ की गई

हिमालयी नदी विकास घटक

1.	कोसी-मेची संपर्क	पूरी तरह से नेपाल में स्थित
2.	कोसी-घाघरा संपर्क	एस एवं आई कार्य शुरू किये गए
3.	गंडक-गंगा संपर्क	एस एवं आई कार्य शुरू किये गए
4.	घाघरा-यमुना संपर्क	एफआर पूरी की गई (भारतीय भाग के लिए)
5.	सारदा-यमुना संपर्क	एफआर पूरी की गई (भारतीय भाग के लिए)
6.	यमुना-राजस्थान संपर्क	एस एवं आई कार्य पूरे किये गए
7.	राजस्थान-साबरमती संपर्क	एस एवं आई कार्य पूरे किये गए
8.	चुनार सोन बैराज संपर्क	एस एवं आई कार्य पूरे किये गए
9.	सोन बांध – गंगा संपर्क की दक्षिणी वितरिकाएं	एस एवं आई कार्य पूरे किये गए
10.	मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एमएसटीजी) संपर्क	एस एवं आई कार्य पूरे किये गए
11.	जोगीघोपा-तीस्ता-फरक्का (एमएसटीजी प्रत्यावर्ती) संपर्क	एस एवं आई कार्य पूरे किये गए
12.	गंगा-सुन्दरबन संपर्क	एस एवं आई कार्य पूरे किये गए
13.	गंगा-दामोदर-सुवर्ण रेखा संपर्क	एस एवं आई कार्य पूरे किये गए
14.	सुवर्ण रेखा-महानदी संपर्क	एस एवं आई कार्य पूरे किये गए

*प्राथमिकता संपर्क

पीएफआर – व्यवहार्यता पूर्व रिपोर्ट; एफआर – व्यवहार्यता रिपोर्ट; डीपीआर – विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

एस एवं आई – भारतीय भाग में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण

[अनुवाद]

ग्रेजुएशन सहित बी.एड. पाठ्यक्रम

371. **श्री गजानन ध. बाबर :**
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री आनंदराव अडसुल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चयनित विश्वविद्यालयों में विज्ञान और कला विषयों में ग्रेजुएशन सहित विशेष बी.एड. पाठ्यक्रम शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस पाठ्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने इस पाठ्यक्रम को शुरू करने की सहमति जताई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह पाठ्यक्रम 2011 से शुरू किया जाएगा और वाणिज्य के छात्र इस पाठ्यक्रम के पात्र नहीं होंगे; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (च) विभिन्न अध्ययन-विषयों में शिक्षण-प्रशिक्षण तथा इन विषयों के शिक्षाशास्त्र को संयोजित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) का 4 वर्षीय समेकित बी.एड. पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। इसके द्वारा बी.ए./बी.एससी./बी.एड. डिग्री प्रदान की जाएगी। इस पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम विषयवस्तु, पात्रता तथा अन्य अनुदेशात्मक एवं अवसंरचनात्मक सुविधाएं एनसीटीई द्वारा गठित एक समिति के विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

चंदन वृक्षों की तस्करी

372. **श्री राम सुंदर दास :**
श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी :
कुमारी सरोज पाण्डेय :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चंदन, सागवान आदि जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण वृक्षों और वन उत्पादों की बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है और यह वन अधिकारियों की सांठगांठ से किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जानकारी में आए मामलों का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा तस्करी किए गए वृक्षों का मूल्य कितना है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार कितने व्यक्ति दोषी पाए गए और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) चंदन के वृक्षों की ऐसी तस्करी को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है?

पर्यावरण और मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) संबंधित राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

एनसीएचईआर के लिए कृतक बल

373. **श्रीमती सुप्रिया सुले :**
डॉ. संजीव गणेश नाईक :
श्री संजय दिना पाटील :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शिक्षा और अनुसंधान विधेयक का प्रारूप तैयार करने में सरकार के सहायतार्थ सरकार द्वारा गठित कृतक बल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके सदस्य कौन-कौन हैं तथा तत्संबंधी प्रमुख विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या कृतक बल ने भारत की बार काउंसिल और भारतीय चिकित्सा परिषद तथा अनेक हितधारकों से भी परामर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस विधेयक को संसद में कब तक पेश किया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां।

(ख) कृतिक बल ने उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान विधेयक, 2010 नामक एक प्रस्तावित प्रारूप कानून प्रस्तुत किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग (एनसीएचईआर) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।

कृतिक बल का गठन निम्नानुसार है:—

(i) प्रो. एम. आनन्दकृष्णन, अध्यक्ष, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर एवं पूर्व कुलपति, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई।

(ii) प्रो. एम.के. भान, सचिव, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार।

(iii) बेगम सैयद सैय्यीदैन हमीद, कुलाधिपति, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (एमएएनएनयू) तथा सदस्य, योजना आयोग।

(iv) डॉ. नरेन्द्र जाधव, सदस्य, योजना आयोग एवं पूर्व कुलपति, पुणे विश्वविद्यालय।

(v) प्रो. गोवर्धन मेहता, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, बैंगलोर।

(vi) प्रो. एन.आर. माधव मेनन, सदस्य, केन्द्र-राज्य संबंध आयोग, भारत सरकार।

(vii) प्रो. मृणाल मिरि, पूर्व कुलपति, पूर्वोत्तर-पर्वतीय विश्वविद्यालय।

अपर-सचिव (उच्चतर शिक्षा) कृतिक बल के संयोजक हैं। कृतिक बल के समक्ष विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:-

(i) उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग की स्थापना में केन्द्र सरकार को सलाह एवं सहायता प्रदान करना।

(ii) विश्वविद्यालयों एवं उच्चतर शिक्षा की अन्य संस्थाओं में दाखिले हेतु राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली की स्थापना करने में केन्द्र सरकार को सलाह एवं सहायता प्रदान करना।

(iii) विश्वविद्यालयों हेतु नए अभिशासन ढांचे को विकसित करने में केन्द्र सरकार को सलाह एवं सहायता प्रदान करना।

(iv) उच्चतर शिक्षा के नवाचार एवं कायाकल्पन पर सलाह देने के लिए समिति या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों, जैसा केन्द्र सरकार कार्यान्वित करने का निर्णय करती है, के कार्यान्वयन को मानीटर करना।

(v) विश्व-स्तरीय मानक प्राप्त करने के लक्ष्य वाले नवाचारी विश्वविद्यालयों की स्थापना में केन्द्र सरकार को सलाह एवं सहायता प्रदान करना।

(ग) और (घ) कृतिक बल द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग (एनसीएचईआर) की स्थापना करने संबंधी प्रारूप कानून के जनवरी, 2010 में परामर्श हेतु आम जनता के लिए उपलब्ध करवा दिया गया था। राज्य सरकार सहित विशेषज्ञों एवं आम जनता से सुझाव एवं टिप्पणियां प्राप्त करने के अलावा कृतिक बल ने देश के विभिन्न भागों में ग्यारह परामर्श सेमिनारों का भी आयोजन किया जिसमें सभी स्टेकहोल्डर शामिल थे। दिनांक 29 मई, 2010 को विज्ञान भवन में एक विचार-विमर्श सत्र का आयोजन किया गया जिसमें लब्धप्रतिष्ठित शिक्षाविदों, औद्योगिक संघों के मुखियाओं तथा व्यावसायिक निकायों को आमंत्रित किया गया था। क्षेत्रीय परामर्श एवं दिनांक 29 मई, 2010 के विचार-विमर्श सत्र के बाद अंतिम रूप दिए गए इस विधेयक को इसके बाद इसे केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (कैब), देश में शिक्षा क्षेत्र में उच्चतम निर्णय करने वाला निकाय, के समक्ष इसकी दिनांक 19 जून, 2010 को आयोजित बैठक में रखा गया था। उच्चतर शिक्षा एवं अनुसंधान विधेयक की संपूर्ण विषय-वस्तु को कैब के सभी सदस्यों के बीच रखा गया था। कैब द्वारा प्रारूप विधेयक का निर्विरोध रूप से समर्थन किया गया। कैब ने यह निर्णय लिया कि सभी राज्यों से एक माह के भीतर प्रस्तावित विधेयक पर औपचारिक रूप से अपनी टिप्पणियां/रिमार्क्स/सुझाव प्रस्तुत करने के लिए एक बार पुनः कहा जाए। तदनुसार, मंत्रालय द्वारा विधेयक की प्रति के साथ एक पत्र सभी राज्यों को भेजा गया था। टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख 20.07.2010 निर्धारित की गई थी। जिन राज्यों ने एक माह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया नहीं भेजी उन्होंने एक सप्ताह का समय देते हुए पुनः स्मरण करवाया गया था।

भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई), बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटी), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के साथ अलग से विचार-विमर्श दिनांक 13 फरवरी, 2010 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), नई दिल्ली में किया गया था।

(ङ) उपयुक्त विधेयक को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व कृतिक बल की रिपोर्ट पर संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श किया जाएगा।

[हिन्दी]

नाभिकीय ईंधन का आयात

374. डॉ. संजय जायसवाल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आणविक रिएक्टरों के लिए ईंधन की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न देशों से आयातित यूरेनियम की मात्रा और उस पर हुए व्यय का देशवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की योजना आणविक ईंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की है; और

(ङ) यदि हां, तो यह कब तक किया जाएगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) उन्नीस रिएक्टर (4560 मेगावाट) हैं जिनमें से एक रिएक्टर आरएपीएस-1 (100 मेगावाट) को दीर्घावधि के लिए बंद किया गया है और केएपीएस-1 (220 मेगावाट) नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण का कार्य पूरा होने के बाद, पुनः चालू किए जाने के लिए ईंधन की प्रतीक्षा कर रहा है। सात रिएक्टर (1400 मेगावाट) आयातित यूरेनियम, जोकि उपलब्ध है, का उपयोग करते हैं। शेष दस रिएक्टर (2840 मेगावाट) स्वदेशी यूरेनियम का उपयोग करते हैं जोकि अपेक्षित मत्रा में उपलब्ध नही है। इन रिएक्टरों को घटाए गए विद्युत स्तर पर प्रचालित किया जा रहा है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न देशों से आयात किए गए यूरेनियम और उस पर हुए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

वर्ष	देश	मात्रा	कर और सांविधिक उगाही सहित व्यय (रु.)
2007-08		शून्य	
2009	फ्रांस	300 मीटरी टन यूरेनियम अयस्क सांद्र	266.08 करोड़
	रूस	58 मीटरी टन समृद्ध यूरेनियम डाइऑक्साइड गुटिकाएं	352.70 करोड़
		120 मीटरी टन प्राकृतिक यूरेनियम डाइऑक्साइड गुटिकाएं	223.33 करोड
2010	रूस	90 मीटरी टन प्राकृतिक यूरेनियम डाइऑक्साइड गुटिकाएं	137.37 करोड़
	कज़ाकिस्तान	300 मीटरी टन प्राकृतिक यूरेनियम अयस्क सांद्र	161.88 करोड़

(घ) सरकार नई खानों और संसाधन सुविधाओं को खोलकर ईंधन की आपूर्ति को बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

(ङ) स्वदेशी यूरेनियम की कमी उत्तरोत्तर लगभग दो वर्षों में पूरी होने की आशा है।

[अनुवाद]

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए समेकित कार्य योजना

375. **श्री प्रबोध पांडा :**

श्री गुरूदास दासगुप्त :

श्री एल. राजगोपाल :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने योजना आयोग को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के लिए विकास के लिए प्रस्तावित समेकित कार्य योजना (आईएपी) में संशोधन के लिए कहा है क्योंकि यह लागू करने योग्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संशोधित आईएपी के अंतर्गत राज्य-वार किन-किन जिलों को शामिल किया जाना है; और

(घ) इस कार्य योजना के कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कवर किए जाने वाले जिलों सहित चुनिन्दा जनजातीय और पिछड़े जिलों हेतु एकीकृत कार्य योजना के ब्यौरे को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अभी चल रही है। सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त होते ही एकीकृत कार्य योजना शुरू कर दी जाएगी।

जैव-प्रौद्योगिकी का व्यवसायीकरण

376. **श्री मुकेश भैरवदानजी गढ़वी :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने नई जैव-प्रौद्योगिकियों के व्यवसायीकरण की प्रक्रिया शुरू करने और इसमें तेजी लाने के लिए जैव-प्रौद्योगिकी विकास निधि की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक किन-किन उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने जैव-प्रौद्योगिकियों के विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्रारंभ की है; और

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा परियोजनावार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार नई जैवप्रौद्योगिकियों के वाणिज्यीकरण को संसाधित करने और उसकी गति में तेजी लाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी योजनाओं की दो योजनाओं (i) "लघु व्यवसाय नवीन अनुसंधान पहल (एसबीआईआरआई)" और (ii) "जैवप्रौद्योगिकी उद्योग भागीदारी कार्यक्रम (बीआईपीपी)" के द्वारा उद्योग को निधि प्रदान कर रहा है।

जैवप्रौद्योगिकी विभाग की उपर्युक्त सार्वजनिक-निजी भागीदारी योजनाओं के अतिरिक्त, निम्नलिखित योजनाएं भी जैवप्रौद्योगिकी की परियोजनाओं को सहायता प्रदान करती हैं:

(i) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) औषधीय एवं भेषजीय अनुसंधान कार्यक्रम (डीपीआरपी) क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ii) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) द्वारा न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनीशिएटिव (एनएमआईटीएलआई) क्रियान्वित की जा रही है।

(iii) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) द्वारा प्रौद्योगिकी विकास एवं प्रदर्शन। कार्यक्रम (टीडीडीपी) क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ivl) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड भी उद्योग की परियोजनाओं को सहायता प्रदान करता है।

जैवप्रौद्योगिकी विभाग की एसबीआईआरआई एवं बीआईपीपी योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाएं क्रमशः विवरण-I और II के रूप में संलग्न हैं। डीएसआईआर के टीडीडीपी के अंतर्गत सहायता प्राप्त परियोजना विवरण-III के रूप में संलग्न है। डीपीआरपी एनएमआईटीएलआई और टीडीबी योजनाओं के अधीन परियोजनाओं के विवरण एकत्र किए जा रहे हैं जिन्हें बाद में प्रस्तुत किया जाएगा।

विवरण-I

लघु व्यवसाय नवीन अनुसंधान पहल कार्यक्रम (एसबीआईआरआई) के अंतर्गत निधि प्रदान की गई परियोजनाओं की सूची

क्रम सं.	परियोजना का नाम	कंपनी एवं सहयोगी	वित्तीय सहयोग के स्वरूप (लाख रुपये)		
			ऋण	सहायता अनुदान	कंपनी अंशदान
1	2	3	4	5	6
1.	नोवल मैथड्स ऑफ आइसोलेशन ऑफ बायोकेमिकल्स फ्रॉम क्रस्टासील एग्जोस्केलेटन	पेलिकन बायोटेक एंड केमिकल लैब्स, केरल	13.00	6.89	4.99
2.	टिश्यू इंजीनियरिंग ऑफ होमोलोगस नेचुरल बायोमेटिरियल फॉर क्लीनिकल यूज	फ्रंटियर लाइफ लाइन प्रा.लि., चेन्नई	50.00	50.00	482.00
3.	कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंडीबोडीज एज एन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट विद स्पेशल रेफरेन्स टू रेड ब्लड सैल फेनोटाइपिंग	मेडीकलोन बायोटेक प्रा.लि., चेन्नई	676.65	—	351.60
4.	डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ ए रिकाम्बीनेंट यूरीकेस फार द प्रवीवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर लाइसेस सिन्ड्राम एशोसिएटिड विद ल्यूकेमिया, लिम्फोमा एंड सालिड ट्यूमर मेलिग्नेसीज	विरकोव बायोटेक प्रा.लि., हैदराबाद	525.00	—	377.00
5.	जेनेटिकली मोडीफाइड वेजीटेबल क्राप्स फॉर इन्सेक्ट्स पेस्ट एंड डिसीज रजिस्टेन्स	बेजो-शीतल सीड्स लि., जालना	43.99	50.00	116.40
6.	डवलपमेंट ऑफ ए वैकसीन केपेबल फॉर एलीसिटिंग इम्यूनोलोजीकल मेमोरी फॉर द प्रीवेंशन ऑफ टाइफाइड	यू एस वी लि., मुम्बई	156.50	—	56.00
7.	कंट्रोल ऑफ व्हाइट स्पाट सिन्ड्रोम वायरस (डब्ल्यूएसएसवी) ऑफ श्रीम्प इन द कल्चर सिस्टम बाइ नेनोपार्टिकल्स/मोडिफाइड नेनो सिस्टम	पोसीडोन बायोटेक लि., चेन्नई	10.00	29.44	47.53

1	2	3	4	5	6
8.	डवलपमेंट ऑफ अल्टरनेट टेक्नोलाजी टू एंटी स्नेक वेनम सेरम (एएसवीएस) यूजिंग मोनोक्लोनल एफ (ए.बी.) 2 काक्टेल	मेडीक्लोन बायोटक प्रा.लि., चेन्नई	65.00	35.00	40.00
9.	डवलपमेंट एंड स्टैन्डर्डाईजेशन ऑफ मेनूफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग मथोडोलोजीज फार ह्यूमन नैनो नेटल रोटावाइरस वैक्सीन कैन्डीडेट	भारत बायोटेक इंटरनेशनल लि., हैदराबाद	693.78	—	471.24
10.	सस्टेण्ड डेलिवरी ऑफ एमएसपी 36	एक्टीस बायोलोजिकल्स प्रा.लि., मुम्बई	942.62	—	300.00
11.	डवलपमेंट ऑफ ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबाडीज अगेन्स्ट ह्यूमन एपीडरमल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर	जेनोटेक लेबोरेटरीज लि., हैदराबाद	16.80	19.00	60.80
12.	प्रोसैस रिसर्च फॉर कमर्शियल प्रोडेक्शन ऑफ डेकोसाहेक्सानोइक एसिड (डीएचए) फ्रॉम स्किजोकाइट्रियम बाई सबमर्ज्ड फरमन्टेशन	एबीएल बायोटेक्नोलाजी प्रा.लि., चेन्नई	600.00	—	1648.42
13.	सिल्क प्रोटीन ब्लैन्ड फिल्म डवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन फॉर बर्न वून्ड मेनेजमेन्ट	हैल्थ लाइन प्रा.लि., बंगलौर	30.00	18.00	37.00
14.	नैनोटेक्नोलोजी बेस्ड डेलीवरी ऑफ पेप्टाइड इनहिबीटर्स फार द ट्रीटमेंट ऑफ आस्ट्रियोपोरोसिस	इमेजिनेक्स इंडिया प्रा.लि., भुवनेश्वर इन कोलोबेशन विद इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस, भुवनेश्वर	45.00	22.39	32.45
15.	एनहेन्सिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ न्यूक्लीयोपोलीहैड्रो वाइरसिस ऑफ हेलीकोवरपा अर्मिजेरा (एचएएनपीवी) स्पोडोपटेरा लिटूरा (एसआईएनपीवी) थ्रू इनकारपोरेशन ऑफ एनहेन्सिंग इनक्लूजन प्रोटीन एंड सनलाइट यू वी प्रोटेक्टेन्टस इन कमर्शियली प्रोडयूज्ड एचएएनपीवी हेलीमर एंड एसआईएनपीवी (स्पोडोमर)	मल्टीप्लैक्स बायोटेक प्रा.लि., बंगलौर	25.56	19.64	33.50
16.	डिजाइन मोडिफिकेशन एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ नाइट्रीफाइ बायोरिएक्टर टेक्नोलोजी फॉर द स्टेब्लिशमेंट ऑफ आर्गेनिक रिसरकुलेशन प्रान सीड प्रोडक्शन सिस्टम	ओरिएन्टल ऐवामैरीन बायोटेक इंडिया प्रा. लि., कोयम्बटूर इन कोलोबेशन विद नेशनल सेंटर फॉर एक्वेटिक एनीमल हैल्थ, कोचीन यूनीवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलाजी (सीयूएसएटी), कोच्ची	30.72	10.37	45.22

1	2	3	4	5	6
17.	सस्टेन रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम विद लाइपोजोम्स एंड माइक्रो स्फेयर्स	एबीएल बायोटेक्नोलोजीज प्रा.लि., चेन्नई	53.25	15.00	68.25
18.	एक्सपरेशन ऑफ रिकाम्बीनेंट प्रोटीन्स फॉर डवलपमेंट ऑफ सिन्थेटिक पल्मोनरी सरफेक्टेन्ट फॉर रेसपिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम	भारत सेरम एंड वैक्सीन लि., मुम्बई	—	50.00	53.89
19.	एचएचपी-II/पी-एल डी एच बेस्ड डायग्नोस्टिक किट्स फॉर द डिफरेन्शियल डिटेक्शन ऑफ मलेरियल पेरासाइट्स	भाट बायो-टेक इंडिया प्रा.लि., बंगलौर इन कोलेबेशन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च (एनआईएमआर), बंगलौर	—	20.00	5.00
20.	डवलपमेंट ऑफ आटोमेटिड बायो-इन्स्ट्रूमेन्ट्स विज ओटोमेटिड डिस्पेन्सिग सिस्टम (एडीएस) एंड आटोमेटिड सैल काउन्टर (एसीसी)	कस्टमाइज्ड टेक्नोलाजी प्रा.लि., बंगलौर	86.10	—	63.55
21.	नोवेल टिश्यू इंजीनियरिंग एंड थ्री-डाइमेन्शनल सेल कल्चर टेक्नोलाजी	एक्सेल मैट्रिक्स बायोलोजिकल डिवाइसिस प्रा. लि., हैदराबाद इन कोलेबोरेशन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी (एनआईआई), नई दिल्ली	49.97	50.00	66.98
22.	माइक्रोप्रोपगेशन ऑफ जेट्रोफा कर्कस एल. फॉर सस्टेनेबल एंड एनहेन्स्ड प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल	लैबलैण्ड बायोटेक प्रा.लि., मैसूर	247.65	—	192.73
23.	डवलपमेंट ऑफ कोस्ट इफैक्टिव प्रोसैस फार फाइटेस प्रोडक्शन एंड इंट्स एप्लीकेशन स्टडीज	मैप्स इंडिया लि., अहमदाबाद	8.50	10.24	6.25
24.	डवलपमेंट ऑफ ए प्लेटफार्म फार प्रोडक्शन ऑफ काम्पलैक्स पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स	नव्या बायोलोजिकल्स प्रा.लि., बंगलौर	—	48.44	38.05
25.	डवलपमेंट ऑफ ड्राउट टोलरेंट जेजोटाइप्स ऑफ राइस कार्न एंड कॉटन थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग	बायोसीड रिसर्च इंडिया प्रा.लि., हैदराबाद इन कोलेबोरेशन विद श्रीराम बायोसीड जेनेटिक इंडिया लि. हैदराबाद एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी (आईसीजीईबी) नई दिल्ली	34.00	50.00	85.00

1	2	3	4	5	6
26.	डवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक सेलेनिटी टालरेंट राइस हाइबिड्स	बायोसीड रिसर्च इंडिया प्रा.लि., हैदराबाद इन कोलेबोरेशन विद श्रीराम बायोसीड जेनेटिक इंडिया लि. हैदराबाद एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी (आईसीजीईबी) नई दिल्ली	263.50	28.00	72.50
27.	अप-स्केलिंग एंड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग ऑफ इंडस्ट्रियली इंपोटेंट एनजाइम्स फ्रॉम सॉलिड स्टेट फरमन्टेशन टू सबमर्ज्ड फरमनटेशन फॉर इंपोर्ट सब्स्टीट्यूशन विद एक्सपोर्ट पोटेंशियल	मैप्स इंडिया लि., अहमदाबाद	400.00	—	334.02
28.	डवलपमेंट ऑफ हाइली स्पेसिफिक इम्यूनोएसेज फार प्रोस्ट्रेट एंड ब्रेस्ट कैंसर थ्रू मालीक्यूलर करेक्टराइजेशन ऑफ एक्जिस्टिंग मार्कर एंड स्टेब्लिस्मेंट ऑफ नोबल मार्कर	यशराज बायोटेक्नोलॉजी लि., नवी मुम्बई	266.56	30.00	224.60
29.	रिसर्च, डिजाइन, इंजीनियर एंड मैनूफैक्चर ऑफ मल्टीडेकसेकर	साइजेनिक्स बायोटेक प्रा.लि., चेन्नई	120.00	—	101.70
30.	क्लीनिकल डवलपमेंट, प्रोसैस डवलपमेंट एंड स्केल-अप ऑफ कमर्शियली वायेबल मैनूफैक्चरिंग प्रोसैस ऑफ रिकम्बीनेंट फालिकल स्टीमुलेटिंग हारमोन (आर-एफएसएच) एकसप्रेस्ड इन रिकम्बीनेंट चाइनीज हैम्सटर ओवरी (सीएचओ) सेल लाइन	भारत सेरम एंड वैक्सीन लि., मुम्बई	1000.00	—	1484.42
31.	माइक्रोबिल प्रोसेस डवलपमेंट फॉर बीटा केरोटीन प्रोडक्शन इन ब्लेकसेलिया ट्राइस्पोरा एंड अप-स्केलिंग द डाउन स्ट्रीम प्रोसेस	श्री सूर्या अंजनया इंडस्ट्रीज, विजाग, आंध्र प्रदेश	35.00	12.00	47.00
32.	प्रोसेसिज फॉर मैनूफैक्चर ऑफ (एस)-3-हाइड्रोक्सीब्यूटाइरोलेक्टोन फ्रॉम बायोमॉस एंड (एस)-4-हाइड्रोक्सी-2-पाइरोलीडिनोन देयरफ्रॉम	भारवी लेबोरेटरीज प्रा.लि., बंगलौर	—	40.00	49.00
33.	इवेल्यूएशन ऑफ ट्रांसजेनिक कॉटन कंटेनिंग एंटीसेंस एवी-2 जीन फॉर रजिस्टेंस टू कॉटन लीफ कर्ल डीसीज	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी लि., जालना इन कोलेबोरेशन विद इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ सांइस, बंगलौर	—	48.01	30.92

1	2	3	4	5	6
34.	पैट एनीमल फूड, फिश लैदर एंड अदर मरीन बायोटेक्नोलाजी प्रोडक्ट्स फ्रॉम फिश वेस्ट	मिलेनियम एक्सपोर्ट, चेन्नई इन कोलेबोरेश्न विद एक्वाकल्चर फाउंडेशन ऑफ इंडिया (एएफआई), चेन्नई	35.00	21.75	71.95
35.	मैनूफैक्चरिंग एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ लो-कोस्ट एंड रिलायेबल क्लीनिकल केमिस्ट्री एनालाइजर	सपन डायग्नोस्टिक्स लि., अहमदाबाद	200.00	—	135.00
36.	ट्रांसजेनिक कसावा प्रोडक्शन विद जीन्स कनफेयरिंग टू इंडियन कसावा मोजाइक वायरस डीसीज	रासी सीड्स प्रा.लि., अट्टूर, तमिलनाडु इन कोलेबोरेश्न विद तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनीवर्सिटी (टीएनएयू) कोयम्बटूर	60.00	38.00	27.00
37.	मैनूफैचर एंड क्लीनिकल इवेल्यूशन ऑफ नॉन-पालिमरिक (नैनो कार्बन पोरस मैट्रिक्स) ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट (डीईएस)	रेलीसिस मेडिकल डिवाइसिस लि., हैदराबाद	800.00	—	456.60
38.	प्रोडक्शन, फार्मुलेशन एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ माइक्रोबियल एजेन्ट्स फॉर वीड मेनेजमेंट इन राइस (ओरिजा सतीवा)	श्री बायोटेक लेबोरेटरीज इंडिया प्रा.लि., हैदराबाद इन कोलेबोरशन विद यूनीवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद	—	18.40	5.00
39.	एंजाइम केटेलाइज्ड मैनुफैक्चर ऑफ इस्टर	प्रीवी आर्गेनिक्स लि., नवी मुम्बई	62.40	30.00	157.00
40.	डवलपमेंट ऑफ लीपिड लोवरिंग साइटो फार्मुलेशन	टी. स्टेन्स एंड कंपनी प्रा.लि., कोयम्बटूर इन कोलेबोरशन विद पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कोयम्बटूर	3.50	16.50	14.30
41.	डवलपमेंट ऑफ एम.ई.एम.एस. बेस्ड सेंसर फॉर न्यूट्रोफिल जिलेटिनेज एशोसिएटिड लिपोकेलिन (एनजीएएल) फॉर डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी (एकेआई)	बिगेटक प्रा.लि., बंगलौर	20.00	30.00	26.50
42.	प्रोडक्ट डवलपमेंट, रेगुलेटरी टॉकसीकोलोजी एंड फार्माकोलोजी एंड फेज-I ह्यूमन क्लीनिकल ट्रायल ऑफ थ्री रि-कम्बीनेंट थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स	एरा हैल्थ केयर प्रा.लि., गुड़गाँव	486.00	40.00	528.50
43.	सिन्थेसिस ऑफ नोवल मॉलीक्यूलर ड्रग्स थ्रू बायोपोलीमिराइजेशन ऑफ एक्टिव प्रिन्सीपल्स फ्रॉम मेडिसिनल प्लान्ट्स लक्कासे एन्जाइम	माइकोटेक प्रा.लि., गोवा इन कालेबोरेशन विद अस्थागिरी हर्बल फाउंडेशन, चेन्नई	10.00	40.85	17.08

1	2	3	4	5	6
44.	स्टाकिंग ऑफ केन्डीडेट जीन्स (वेलिडेटिड इन प्लान्टा) एड्रेसिंग डिफरेंट माइश्चर स्ट्रेस रजिस्टेंस स्ट्राटेजीज इन मेज (जिया मेज)	न्यूजिवीडू सीड्स प्रा.लि., हैदराबाद इन कालेबोरेशन विद इंटरनेशनल सेंटर फार जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलाजी (आईसीजीईबी) नई दिल्ली	75.00	45.00	70.00
45.	कम्प्यूटेशनल डिजाइन एंड डवलपमेंट ऑफ इनहिबिटर्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लूसिस	लैड इनवेंट टेक्नोलोजी प्रा.लि., नई दिल्ली इन कोलेबोरेशन विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी, नई दिल्ली एंड ए.आई.आई.एम.एस., नई दिल्ली	—	16.98	5.00
46.	डवलपमेंट ऑफ अफोरडेबल, टॉक्सीसिटी फ्री एम्फोटेरिसन बीलोडेड लाइपासोमल प्रिपरेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कालाजार: ए प्री-प्रूफ-ऑफ कन्सेप्ट	लाइफकेयर इनोवेशंस प्रा.लि., गुड़गांव	25.00	25.00	70.00
47.	डवलपमेंट ऑफ माइक्रो बेक्टिरियम डब्ल्यू एज एन एजूवेंट फॉर एंटी-रेबीज वैक्सीन	कैडिला फार्मास्यूटिकल लि., अहमदाबाद	60.00	20.00	49.30
48.	डिजाइन, सिन्थेसिस, इवेल्यूएशन एंड डवलपमेंट ऑफ द नोवेल एच 3 एंड अदर जी.पी.सी. रिसेप्टर लीजेन्ड्स फॉर पेरियस थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन्स	आक्सीजन हैल्थ केयर प्रा.लि., अहमदाबाद	60.60	39.40	144.36
49.	टी.बी. स्क्रीन टेस्ट फार डायग्नोसिस ऑफ पलमोनरी एंड एक्ट्रा-पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस: इवेल्यूएशन ऑफ प्रोटोटाइप किट एट सलेक्टिड हास्पिटल/पेरीफेरल हैल्थ सेंटर/रिसर्च लेबोरेटरीज	बिसेन बायोटेक एंड बायोफार्मा प्रा.लि., ग्वालियर इन कोलेबोरेशन विद जिवाजी यूनिवर्सिटी, ग्वालियर	13.00	17.72	10.00
50.	प्रोव आई.टी. (प्रोमोटिंग रूरल अपोर्च्यूनिटीज बाइ वैल्यू एडीशन थ्रू एक्सट्रेक्शन इनटरवेंशन टेक्नोलोजीज टू एग्री/हार्टी क्राप्स-प्रोजेक्ट I: लाइकोपेन फ्रॉम टोमेटो)	हाइड्रोलीना बायोटेक प्रा.लि., चेन्नई	583.45	—	475.44
51.	कमर्शियलाइजेशन ऑफ एल्गी एज बायो-डीजल फीड स्टॉक	प्रोएल्जीन बायोटेक लि. चेन्नई	431.00	—	525.34
52.	इनडिग्नियस डवलपमेंट ऑफ ए रिकाम्बीनेंट फ्यूजियोन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ए.आई.डी.एस.	विरकोव बायोटेक प्रा.लि., हैदराबाद	700.00	—	600.00

1	2	3	4	5	6
53.	एक्सप्रैशन ऑफ पेपटाइडिल एमिडॉस एंड एप्रोटिनिन इन वेक्यूलो वायरल सिस्टम एंड डवलपमेंट ऑफ सिल्क वर्म एज ए बायोरिएक्टर	एंनजीन बायोसाइंसेस प्रा.लि.,	35.00	35.00	49.50
54.	सैलूलर बायोमार्क्स आफ रिजेक्शन एंड इम्यूनोसप्रेशन इन ट्रांसप्लांटेशन	सेनडोर प्रोटियोमिक्स प्रा.लि.	30.00	30.00	80.67
55.	अपोप्टोसिस-इन्डयूसिंग ह्यूमन-ओरिजिन फिजे-बेस्ड काइमेरिक प्रोटीन्स फॉर टारगेटिड एलीमिनेशंस ऑफ मास्ट सैल्स एंड बासोफिल्स: ए न्यू अप्रोच फॉर एलर्जी एंड अस्थमा ट्रीटमेंट	सेन्चुरी फार्मास्यूटिकल्स लि., वडोदरा	90.00	10.00	103.00
56.	डवलपिंग सेन्सटिव, इनएक्सपेन्सिव एंड हैंड-हैल्ड डायग्नोस्टिक पाइंट ऑफ केयर (पीओसी) इन्स्ट्रूमेंटेशन टू डिटेक्ट मलेरिया एंड अदर पैथेजीन्स	जिनोमिक्स मोलीक्यूलर डायग्नोस्टिक्स प्रा. लि., हैदराबाद	29.00	40.00	35.00
57.	डवलपमेंट एंड क्लीनिकल वेलीडेशन ऑफ मैथड फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड बैक्टिरियल ड्रग्स रजिस्टेंट बाई स्मियर माइक्रोस्कोपी, कल्चर एंड पालीमियर्स चेन रिएक्शन यूजिंग प्रोसेस्ड क्लीनिकल सैम्पल्स एंड किट देयरआफ	आरब्रो फार्मास्यूटिकल्स लि., नई दिल्ली इन कोलेबोरेशन विद ऑल इंडिया इस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस, नई दिल्ली एंड एल. आर.एस. इंस्टीट्यूट ऑफ टी.बी. एंड रेसपिरेटरी डिसीसिज, नई दिल्ली	23.02	31.70	43.80
58.	हेप्टोसाइट-लाइक सैल्स जेनेरेटिड फॉर ह्यूमन इम्ब्रायोनिक स्टेम सेल (एचईएससी) हप्टोटोक्सीसिटी स्क्रीनिंग ऑफ जेनोबायोटिक्स इन द ड्रग डिस्कवरी प्रोसैस	अवस्थाजेन लि., बंगलौर	25.00	40.00	134.00
59.	प्रोडक्शन आफ वायरस फ्री गार्लिक थ्रू टिश्यू कल्चर	देवलीला बायोटेक्स, रायपुर, छत्तीसगढ़	20.88	—	16.92
60.	सिल्क प्रोटीन ब्लैन्ड फिल्म डवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन फॉर बर्न वून्ड मेनेजमेंट	हैल्थलाइन प्रा.लि., बंगलौर	82.87	—	55.13
61.	इनडिग्नियस प्रोडक्शन ऑफ डेक्ट्रानेस यूजिंग एसएसएफ टेकनीक	वरूण बायोसेल प्रा.लि., वाराणसी	30.00	48.47	64.30

1.	2	3	4	5	6
62.	डवलपमेंट, इंडस्ट्रियल मैनूफेक्चर एंड मार्किटिंग ऑफ सलेक्टेड प्रोबायोटिक टेबलेट्स कंटेनिंग लैक्टोवेसिलस स्ट्रेन (एस) अलोंग विद पोलीहर्बल माइक्रो बाइसाइड फॉर रिलीविंग वेगिनोसिस/वेजीनिटीज एंड रिप्लेनिसमेंट प्रोबायोटिक लेक्टोवेसिलस स्ट्रेन्स	माइक्रोबेक्स (इंडिया) लि., हैदराबाद इन कोलेबोरेशन विद तलवार रिसर्च फाउंडेशन (टीआरएफ), नई दिल्ली	—	700.00	458.65
63.	कमर्शियलाइजेशन ऑफ पी.आई.जी.ए.: ए प्लेटफार्म ऑफ मेडिकल टूल पोजिशनल फॉर यूज इन इमेज गाइडिड इंटरवेंशनल प्रोसीजर	परफिन्ट हैल्थ केयर प्रा.लि., चेन्नई	380.00	—	918.00
64.	डवलपमेंट ऑफ डायग्नोस्टिक टूल्स फॉर जी. एम.ओ. टेस्टिंग एंड एग्रीकल्चर डीसीज डायग्नोस्टिक्स	अमर इम्यूनोडायग्नोस्टिक्स प्रा.लि., हैदराबाद	30.00	20.00	72.70
65.	ड्यूटेरियम लेबलिंग ऑफ मॉलीक्यूल्स फॉर ड्रग डिस्कवरी एंड क्लीनिकल रिसर्च	बायो-आर्गेनिक्स एंड एप्लाइड मेटेरियल्स प्रा. लि., बंगलौर	50.00	30.00	80.50
66.	डवलपमेंट, आप्टिमाइजेशन एंड करेक्टराजेशन ऑफ लीजेंड (आरजीडी पेप्टाइड्स) टारगेटिड नैनो कंस्ट्रक्ट एनकेप्स्यूलेटिंग एंटी कैंसर कीमोथेरेप्यूटिक एजेन्ट्स फॉर इफेक्टिक ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर (जेमसिटाबाइन) स्टेबलाइजेशन आफ लाइपोफिलाइज्ड ऑर स्प्रै ड्राइड फारमुलेशन फार डायरेक्ट लोकल डेलीवरी ऑर बाई इंजेक्शन थ्रू सिस्टमेटिक सरकुलेशन	जुपिटर बायोसाइंसेस लि., सिकन्दराबाद इन कोलेबोरेश्न विद एम.एस. यूनिवर्सिटी ऑफ वडोदा, वडोदरा	135.00	38.01	138.00
67.	डिटेक्शन ऑफ ए 1 एंड ए 2 बीटा केशइन वेरिएंट्स इन काऊस एंड डवलमेंट आफ हाई थ्रू पुट जेनोटाइप स्क्रीनिंग टेक्नोलाजी	आरोप्रोब लेबोरेटरीज, नई दिल्ली इन कोलेबोरेश्न विद महर्षि दयानन्द गोसंवर्धन केन्द्र गाजियाबाद	9.09	26.89	128.10
68.	कन्वर्शन ऑफ लेक्टोज एंड ग्लूकोज बेस्ड फीड स्टॉक टू ब्यूटोनल-फिजीबिलिटी स्टडी	आई क्यूब नेनोटेक इंडिया प्रा.लि., नोएडा, इन कोलेबोरेशन विद आई एम टेक, चंडीगढ़	—	18.60	5.60
69.	नोवल प्रोसैस डवलपमेंट एंड आप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोसैस पैरामीटर्स फॉर आरलिस्टेट प्रोडक्शन	ट्रांसजेन बायोटेक लि., हैदराबाद	567.00	—	665.00

1	2	3	4	5	6
70.	डवलपमेंट ऑफ कमर्शियल स्केल माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्नोलॉजी फॉर एलाइट डेट पाम	सन एग्रीजिनेटिक्स प्रा.लि., वडोदरा	24.00	35.00	27.90
71.	जेनेरेशन ऑफ इंडयूज्ड प्लूरीपोटेन्ट स्टेम (आईपीएस) सैल्स फ्रॉम एडल्ट सोमेटिक सैल्स यूजिंग नान-जिनोमिक प्रोटीन ट्रांसडक्शन मैथड	इमेजिनेक्स इंडिया प्रा.लि., भुवनेश्वर	25.00	10.00	42.66
72.	स्केल-अप एंड इवेल्यूएशन ऑफ हाई-वैल्यू बायोसिमिलर प्रोडक्ट (इटेनरसेप्ट) एम् ड एट प्रोवाइडिंग कोस्ट-इफेक्टिव हैल्थ केयर सोल्यूशंस टू द इमरजिंग मार्केट्स (फेज-III)	अवस्थाजेन लि., बंगलौर	400.00	—	500.00
73.	वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स फ्रॉम क्रस्टासीन एक्जो स्केल्टन एंड कोयर पिथ इंटीग्रेटिड जीरो डिस्चार्ज प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट (फेज-II)	पेलिकन बायोटेक एंड केमिकल लैब्स प्रा. लि., केरल	200.00	—	200.00

विवरण-II

जैवप्रौद्योगिकी उद्योग भागीदार कार्यक्रम (बीआईपीपी) के अंतर्गत निधि प्रदान की गई परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	परियोजना का नाम	निजी क्षेत्र के भागीदार और सहयोगी का नाम	क्षेत्र	परियोजना परिव्यय (करोड़ रुपये)	सरकार का अंश (करोड़ रुपये)	निजी क्षेत्र के भागीदार का अंश (करोड़ रुपये)
1	2	3	4	5	6	7
1.	डिवेलपमेंट एंड पायलट स्केल प्रोडक्शन ऑफ एंटी-टीएनटी-एंटीबॉडी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फलेमेट्री डिजीजिस एससीएफवी	एआरए हैल्थकेयर प्रा.लि.	स्वास्थ्य रक्षा	1.72	0.86	0.86
2.	फेज III टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ सेफ्टी एंड एफीकेसी ऑफ ऑरल रोटावायरस वैक्सीन कैंडिडेट 116ई	भारत बायोटेक इंटरनेशनल लि., क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वैल्लोर टीएचएसटीआई, नई दिल्ली, केईएम, पुणे, सोसाइटी फॉर अप्लाईड स्टडीज, नई दिल्ली, पीएटीएच, नई दिल्ली	स्वास्थ्य रक्षा	110.75	15.00	95.75
3.	ए मल्टीसेंटर, रेंडोमाईज्ड, डबल ब्लाइंड,	बायोकॉन लिमिटेड	स्वास्थ्य रक्षा	11.41	5.30	6.11

1	2	3	4	5	6	7
	प्लेसेबो कंट्रोल स्टडी ऑफ आईएन-105 टेब्लेट्स (ऑरल इंस्यूलिन) इन पेशंट विद टाइप 2 डायबीटीज मैलाइटस हू हैव इनएडिकुवेट ग्लाईसीमिक कंट्रोल ऑन आप्टीमल डोजेज ऑफ एक्सटेंडिड रिलीज मेटफॉरमिन टेबलेट्स					
4.	डिवेलपमेंट ऑफ ए कॉस्ट इफेक्टिव प्रोफेलेक्टिक एंड थेराप्यूटिक रीकंबीनेंट ह्यूमेन पैपीलोमावाइरस वैक्सीन	जीनोवा बायोफॉरमास्यूटिकल्स लि.	स्वास्थ्य रक्षा	1.50	0.75	0.75
5.	प्रोसेस फॉर एसीमेट्रिक सिंथेसिस ऑफ हैक्सीहाइड्रोबेंजोफैनानथ्रेनस डाप्माइन डी1 एगोनिस्ट	टीसीजी लाइफ साइंसेज लि.	स्वास्थ्य रक्षा	0.60	0.30	0.30
6.	ए स्ट्रेटेजी फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ आल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स फॉर हार्ट फेलियर काम्प्लीकेटिड विद डायबीटीज मेलेटस	टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स लि.	स्वास्थ्य रक्षा	27.78	13.09	14.69
7.	डिवेलपमेंट ऑफ ए नॉवल म्यूकॉसल वैक्सीन फॉर एचपीवी	विरकों बायोटेक प्रा.लि.	स्वास्थ्य रक्षा	1.35	0.68	0.68
8.	इस्टैबलिशमेंट ऑफ बायोप्रोसेस फैसिलिटी फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबियल एंटीजेन्स एंड मोनोक्लोनल एंटीबाडीज अंडर द कंडीशन्स कंप्लायंट विद सीजीएमपी	स्पैन डायग्नोस्टिक्स लि.	स्वास्थ्य रक्षा	5.79	2.11	3.68
9.	क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट इंटीग्रटिड फैसीलिटि फॉर हाई-एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल करैक्टराइजेशन ऑफ प्रोटीन थैराप्यूटिक्स एंड पेप्टाइड्स	इन्टास बायोफार्मास्यूटिकल्स प्रा.लि.	स्वास्थ्य रक्षा	7.71	2.50	5.21
10.	आईडेंटिफिकेशन एंड डिवेलपमेंट ऑफ प्रोमिसक्यूअस एंटीकैंसर कंपाउंड्स फ्रॉम माइक्रोआर्गेनिजम्स	अमृता थैराप्यूटिक्स लि., नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी	स्वास्थ्य रक्षा	3.90	1.95	1.95

1	2	3	4	5	6	7
11.	पोरसीन पलमोनरी जेनोग्राफ्ट एज अ वर्सेटाइल कंड्यूट इन कार्डियोवास्क्यूलर सर्जरी	फ्रंटियर लाइफ लाइन प्रा.लि.	स्वास्थ्य रक्षा	1.86	0.93	0.93
12.	प्रोसेस डिवेलपमेंट एंड स्केल अप ऑफ ए कमर्शियली वायेबल मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ एन एसेन्शियली सिमिलर थैराप्यूटिक पेप्पटाइड बेस्ड इम्प्लांट विद एंटी-कैंसर प्रापर्टीज एंड डिवेलपमेंट ऑफ ए टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म फॉर इंप्लांट बेस्ड सस्टेन्ड रिलीज फार्मुलेशन इन कार्पोरेटिंग थैराप्यूटिक पेप्टाइड/रिकाम्बीनेंट प्रोटीन्स	भारत सीरम्स एंड वैक्सीन लि.	स्वास्थ्य रक्षा	3.30	1.65	1.65
13.	डिवेलपमेंट ऑफ एनीमल कंपोनेंट फ्री बायोसिमिलर रिकाम्बीनेंट प्रोटीन थैराप्यूटिक्स यूजिंग मैमेलियन प्लेटफार्म टेक्नोलॉजी	वॉकहार्ड रिसर्च सेन्टर	स्वास्थ्य रक्षा	6.00	3.00	3.00
14.	एसे वैलिडेशन एनैबलिंग इनफैक्शियस डिजीज डिटेक्शन एट प्वाइंट-ऑफ-केयर यूजिंग बिगटैक हैंडहैल्ड माइक्रोपीसीआर	बिगटैक प्रा.लि.	स्वास्थ्य रक्षा	8.00	4.00	4.00
15.	डिवेलपमेंट ऑफ ए एच1 एन1 पैंडेमिक इनफ्लुएंजा वैक्सीन	पनेशिया बायोटेक लि.	स्वास्थ्य रक्षा	38.95	10.00	28.95
16.	"डिजाइन एंड इवेल्यूएशन ऑफ नावल, इम्यूनोजेन्स एंड मोनोक्लोनल एंटीबाडीज अगेंस्ट पैंडेमिक एच1 एन1" सबमिटिड बाई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे अंडर द बीआईपीपी स्पेशल कॉल फॉर इंफ्लुएंजा वैक्सीन डिवेलपमेंट	सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लि., इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी	स्वास्थ्य रक्षा	8.20	1.92	6.28
17.	डिवेलपमेंट ऑफ सकिंग इंसेक्ट पेस्ट टॉलरेंट राइस एंड कॉटन	महिको रिसर्च सेंटर	कृषि	6.22	1.70	4.52
18.	ए प्रोपोजल फॉर फंडिंग ऑफ डीरेग्यूलेशन ट्रायल्स ऑफ ट्रांसजेनिक राईस इवेंट्स एक्सप्रेसिंग मेटाहेलिक्स सिंथेटिक क्राई 1 सी, क्राई 1 एसी एंड क्राई 1 एबी जीन्स फॉर टोलरेन्स टू राईस येलो बोरर, स्किरपोफेगा इन्सरट्यूलस	मेटाहेलिक्स लाइफ साइंसेज प्रा.लि.	कृषि	2.81	1.40	1.40

1	2	3	4	5	6	7
19.	डिवेलपमेंट ऑफ 'हर्बिसाइड एंड स्ट्रेस टॉलरेंट' ट्रांसजेनिक अनियन	बेजो शीतल सीड्स प्रा.लि.	कृषि	2.38	1.38	1.01
20.	मल्टी-स्टेकिंग जीन्स टू डिवेलप इंजीनियर्ड राइस; विद एनहान्स्ड ड्राउट एंड मल्टीपल डिजीज एंड पेस्ट टालरेंस	अदवंता इंडिया लि.	कृषि	4.18	2.09	2.09
21.	कंट्रोल ऑफ शूट एंड फ्रूट बोरर इनसेक्ट पेस्ट (ल्यूसिनोड्स आर्बेनेसिल ज्यूनी) इन ब्रिंजल थ्रू आरएनए इंटरफेरन्स	श्री बायोटेक लेबोरेटरीज इंडिया लि.	कृषि	1.04	0.84	0.20
22.	डीरेग्यूलेशन्स ट्रायल्स फेज 1 ऑफ ट्रांसजेनिक मेज इवेंट्स एक्प्रेसिंग मेटाहेलिक्स सिंथेटिक क्राई 1 सी, क्राई 1 एसी एंड क्राई 1 एबी जीन्स फॉर टोलरेन्स टू स्टेम एंड कॉब बोरर्स	मेटाहेलिक्स लाइफ साइंसेज प्रा.लि.	कृषि	3.62	1.81	1.81
23.	टू कंडक्ट कन्फाइन्ड फील्ड ट्रायल्स एंड बायोसेफ्टी स्टडीज ऑन जेनिटिकली इंजीनियर्ड ब्रासिका जुन्शिया (मेल स्टेरिलिटी एंड रिस्टोरर लाइन्स एज पॉलीनेशन कंट्रोल मकैनिज्म) फॉर हिटरोसिस ब्रीडिंग एंड यील्ड इम्प्रूवमेंट	मदर डेयरी फ्रूट एंड वेजीटेबल प्रा.लि.	कृषि	9.00	8.00	1.00
24.	स्ट्रेस टोलेन्ट राईस	महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी लि.	कृषि	6.98	1.76	5.22
25.	इन्हांसमेंट ऑफ इथानॉल यील्ड फ्रॉम मोलासिस फर्मेन्टेशन बाई एडिंग अ स्पैसिफिक एंजाइम टू कन्वर्ट एन अनफर्मन्टेबल शुगर टू अ फर्मन्टेबल शुगर	रिचकोर लाइफ साइंसेज प्रा. लि.	जैव उर्जा	1.60	0.80	0.80
26.	ट्रांसफॉरमेशनल टेक्नोलॉजी प्लेटफार्म डेवेलपमेंट फॉर बायोलॉजिकल हाइड्रोजन	नागार्जुना फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स लि.	जैव उर्जा	36.26	10.00	26.26
27.	डिवेलपमेंट ऑफ एनेरोबिक मेम्ब्रेन बायारिएक्टर (एएनएमबीआर) फॉर वेस्ट टू एनर्जी सॉल्यूशन्स	थरमैक्स लि.	जैव उर्जा	1.05	0.53	0.53

1	2	3	4	5	6	7
28.	डिवेलपमेंट ऑफ प्रोसेस नो-हाऊ फॉर बूटानोल प्रॉडक्शन फ्रॉम लिगनोसेल्यूलोसिक बायोमास	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि.	जैव उर्जा	3.38	1.36	2.02
		द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट		10.00	5.00	5.00
29.	सेटिंग-अप के 10 टन लिगनोसेल्यूलोसिक बायोमास/डे प्रोसेसिंग प्लांट टू प्रोड्यूस अबाउट 3000 लीटर ईथानॉल/डे	इंडिया ग्लाईकोल्स लि.	जैव उजा	3.00	1.50	1.50
30.	डिवेलपमेंट ऑफ सेल्फ-ग्लूकोजेनिक पर्ल मेलिट अडाप्टिड फॉर मार्जिनल लैंड्स	अवेस्थाजेन लि.	जैव उर्जा			
				330.34	102.20	228.14

विवरण-III

डीएसआईआर के प्रौद्योगिकी विकास एवं प्रदर्शन कार्यक्रम (टीडीडीपी) के अंतर्गत निधि प्रदान की गई परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	परियोजना का शीर्षक	कंपनी	वित्तीय सहायता के प्रकार (लाख रुपये)	
			परियोजना की कुल लागत	डीएसआईआर द्वारा सहयोग
1.	माइक्रोबियल प्रोडक्शन ऑफ एराकीडोनिक एसिड, एन ओमेगा-6 पालि अनसैचुरेटिड फैटी एसिड एसैन्शियल फॉर ह्यूमन हैल्थ	एबीएल बायोटेक्नोलॉजी लि., चेन्नई	471.00 लाख रु.	180.00 लाख रु.
2.	डिवेलपमेंट ऑफ प्रोसेस फॉर दि मैनुफैक्चर ऑफ नैनो लेबल्ड डीएनए/आरएनए कम्पाउंड	ओजीन सिस्टम्स (इंडिया) प्रा.लि. हैदराबाद	308.00 लाख रु.	110.00 लाख रु.
3.	ग्लैरजिन प्रोसेस इम्प्रूवमेंट	बायोकॉन लि., बंग़लौर	429.50 लाख रु.	170.00 लाख रु.
4.	मैनुफैक्चर ऑफ ए फास्ट एक्टिंग एंटी-डायबेटिक रिकॉम्बीनेंट ड्रग प्रॉडक्ट इन्सूलिन लिस्प्रो	बायोकॉन लि., बंगलौर	1474.00 लाख रु.	120.00 लाख रु.

[हिन्दी]

संस्कृति का संरक्षण, परिरक्षण तथा संवर्द्धन

377. **श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा भेजे गए संस्कृति के संरक्षण, परिरक्षण तथा संवर्द्धन के प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में मांगी गई और आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) संस्कृति मंत्रालय ''क्षेत्रीय व स्थानीय संग्रहालयों की स्थापना, संवर्धन व सुदृढ़ीकरण'' नामक स्कीम चलाता है जिसके तहत मध्य प्रदेश सरकार ने ''संग्रहालयों के उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता'' की मांग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार को प्रारंभिक धनराशि के रूप में 100 लाख रु. की राशि मंजूरी की गई थी और उसे विभिन्न संग्रहालयों के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने आदि जैसे प्रारंभिक कार्य करने के बाद प्रथम चरण में उन्नयन हेतु 3 संग्रहालयों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए कहा गया था।

[अनुवाद]

भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग

378. **श्री सी.आर. पाटिल :**
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि भारतीय विश्वविद्यालयों का विश्व के सौ श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में कोई स्थान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) उन भारतीय विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जिनका स्थान विश्व के पांच सौ श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में है; और

(घ) देश में उच्चतर शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (घ) हालांकि कतिपय संस्थाएं अथवा एजेंसियां अपने मानदंडों के अनुसरण में विश्वविद्यालयों अथवा शिक्षा संस्थाओं की रैंकिंग की सूची कभी-कभार प्रकाशित करती हैं, अत: विश्वविद्यालयों की वैश्विक रैंकिंग के लिए कोई प्रामाणिक शासकीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नहीं है।

उच्चतर शिक्षा की कोटि सुधार एक सतत् प्रक्रिया है। ग्यारहवीं योजना में योजनागत आवंटन में पर्याप्त वृद्धि की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य, मौजूदा उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा संस्थाओं की अवसंरचना के सुधार के लिए बढ़ाए गए आवंटन तथा शामिल न किए गए राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों जैसे नई कोटिपरक संस्थाओं की स्थापना, विश्वस्तरीय मानकों वाले नवाचारी विश्वविद्यालयों की स्थापना, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंधन संस्थानों, भारत विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों, आयोजना एवं वास्तुकला विद्यालयों जैसी गुणवत्तापरक संस्थाओं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान हेतु 50 केन्द्रों की स्थापना करके, कोटि-सुधार करना है। देश में उच्चतर शिक्षा की कोटि में विभिन्न वैधानिक कार्यक्रमों जिसमें सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के लिए प्रत्यायन को अनिवार्य बनाया जाना भी शामिल है, माध्यम से और सुधार करने की भी योजना है।

महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण

379. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी आस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन विभिन्न देशों का ब्यौरा क्या है जहां प्रतिमाओं का अनावरण किया गया है; और

(ग) इस प्रकार की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए सरकार द्वारा क्या सहायता मुहैया करायी जा रही है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने अक्तूबर, 2009 के दौरान आस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय को महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा प्रदान की है। आवक्ष प्रतिमा को औपचारिक रूप से स्थापित करके 1 सितंबर, 2010 को जनता के लिए खोला गया।

(ख) 2001 से आज तक भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रदान की गई महात्मा गांधी की मूर्तियों/आवक्ष प्रतिमाओं के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद चुनिंदा शिल्पियों द्वारा आवक्ष प्रतिमा/मूर्ति के निर्माण के लिए और उनके लिए अनुरोध करने वाले मिशनों के पास उन्हें भेजने के लिए परिवहन व्यय का भुगतान करता है।

विवरण

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा प्रदान की गई महात्मा गांधी की मूर्तियों/ आवक्ष प्रतिमाओं के ब्यौरे

2001-02

क्र. सं.	आवक्ष प्रतिमा का प्रकार	देश	अवधि	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5
1.	महात्मा गांधी की मूर्ति	आस्ट्रेलिया	जुलाई, 2001	कैनबरा स्थित भारतीय उच्चायोग और कैनबरा की मंदिर सोसाइटी के अनुरोध पर परिषद ने ग्लेब पार्क, कैनबरा, आस्ट्रेलिया में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की आदम कद कांस्य मूर्ति भेजी (शिल्पकार: श्री राम सुतर)
2.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	मोरक्को	अगस्त, 2001	रबात स्थित भारतीय राजदूतावास के अनुरोध पर परिषद ने अल अख्वायन विश्वविद्यालय, मोरेक्को में स्थापित किये जाने हेतु गांधीजी की आदम कद के डेढ़ गुना ऊंची कांस्य आवक्ष प्रतिमा भेजी (शिल्पकार: श्री सुतर)
3.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	मैक्सिको	अगस्त, 2001	परिषद ने ग्वाडलाजारा में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की आदम कद के डेढ़ गुना ऊंची कांस्य आवक्ष प्रतिमा भेजी (शिल्पकार: श्री गौतम पाल)
4.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	दक्षिण अफ्रीका	सितंबर, 2001	महात्मा गांधी मेमोरियल हास्पिटल, फोनिज, डर्बन में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की आदम कद के डेढ़ गुना ऊंची कांस्य आवक्ष प्रतिमा भेजी गई (शिल्पकार: श्री राम सुतर)
5.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	पेरू	अक्तूबर, 2001	लीमा स्थित भारतीय राजदूतावास के अनुरोध पर महात्मा गांधी की कांस्य आवक्ष प्रतिमा भेजी गई जिसे ट्रुजिलो में स्थापित किया गया (शिल्पकार: श्री गौतम पाल)

1	2	3	4	5
6.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	सेशल्स	दिसंबर, 2001	विक्टोरिया राजधानी नगर में प्रमुख स्थल पर स्थापित (शिल्पकार: श्री रमेश बिष्ट)
7.	महात्मा गांधी की मूर्ति	ब्राजील	दिसंबर, 2001	साओ-पावलो नगर में स्थापित किये जाने हेतु एक आदम कद मूर्ति भेजी गई (शिल्पकार: श्री गौतम पाल)
8.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	ब्रिटेन	जनवरी, 2002	नौटिंघम नगर काउंसिल हॉल में स्थापित (शिल्पकार: श्री गौतम पाल)
9.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	चिली	मार्च, 2002	क्यूरिको प्रांत, प्लाजा डि अर्मास में स्थापित (शिल्पकार: श्री गौतम पाल)
			2002-03	
1.	महात्मा गांधी की मूर्ति	अमरीका (शिकागो)	जून, 2002	परिषद ने मिलवोकी में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की आदम कद के डेढ़ गुना ऊंची कांस्य मूर्ति भेजी (शिल्पकार: श्री गौतम पाल)
2.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	दक्षिण अफ्रीका	जून, 2002	उच्चायोग के अनुरोध पर परिषद ने महात्मा गांधी मेमोरियल हास्पिटल, फोनिक्स में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की आदम कद के डेढ़ गुना ऊंची कांस्य आवक्ष प्रतिमा भेजी (शिल्पकार: श्री रमेश विष्ट)
3.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	त्रिनिडाड और टोबेगो	जुलाई, 2002	उच्चायोग के अनुरोध पर परिषद ने दिवाली नगर के एनसीआईसी परिसर में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की आदम कद कांस्य आवक्ष प्रतिमा भेजी (शिल्पकार: श्री रमेश विश्ट)
4.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	कनाडा	अगस्त, 2002	रेगिना के मेयर और भारत-कनाडा संघ, सस्कैट्चेवान के अनुरोध पर परिषद ने सिटी हॉल, रेगिना, वैकुवर के बाहर एक प्रमुख स्थल पर स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की आदम कद के डेढ़ गुना ऊंची कांस्य प्रतिमा भेजी (शिल्पकार: श्री राम सुतर)
5.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	आइवरी कोस्ट	अगस्त, 2002	अबिदजैन स्थित महात्मा गांधी स्कूल में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की आदम कद के डेढ़ गुना ऊंची कांस्य प्रतिमा भेजी गई (शिल्पकार: श्री गौतम पाल)

1	2	3	4	5
6.	महात्मा गांधी की दो आवक्ष प्रतिमा	फिजी	अक्तूबर, 2002	परिषद ने महात्मा गांधी मेमोरियल प्राइमरी स्कूल, लौतका और महात्मा गांधी प्राइमरी स्कूल, फिजी में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की आदम कद के डेढ़ गुना ऊंची कांस्य दो आवक्ष प्रतिमाएं भेजीं (शिल्पकार: श्री गौतम पाल और श्री राम सुतर)
7.	महात्मा गांधी की दो आवक्ष प्रतिमा	म्यांमा	अक्तूबर, 2002	परिषद ने नए पुनर्निमित राजदूतावास ऑडोटोरियम और मंडलाय में नए खोले गए कोंसलावास में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की आदम कद के डेढ़ गुना ऊंची कांस्य दो आवक्ष प्रतिमाएं भेजीं (शिल्पकार: श्री गौतम पाल और श्री राम सुतर)
8.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	चिली	फरवरी, 2003	परिषद ने सैंटियागो स्थित शांति चौराहे पर रैंकागुआ प्रान्तीय राजधानी नगर में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की आदम कद के डेढ़ गुना ऊंची कांस्य आवक्ष प्रतिमा भेजी (शिल्पकार: श्री गौतम पाल)
9.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	इक्वाडोर	फरवरी, 2003	परिषद ने क्विटो नगर, सैंटियागो में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की आदम कद के डेढ़ गुना ऊंची कांस्य आवक्ष प्रतिमा भेजी (शिल्पकार: श्री गौतम पाल)
10.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	तजाकिस्तान	मार्च, 2003	परिषद ने वीवीआईपी विजिट के दौरान दुसान्बे में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की आदम कद के डेढ़ गुना ऊंची कांस्य आवक्ष प्रतिमा भेजी (शिल्पकार: श्री राम सुतर)
			2003-2004	
1.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	रूस	अगस्त, 2003	भारतीय राजनयिक मिशन के अनुरोध पर परिषद ने रूसी राज्य परिसंघ के पुस्तकालय के कोर्टयार्ड में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा भेजी (शिल्पकार: श्री गौतम पाल)
2.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	सीरिया	अगस्त, 2003	भारतीय राजनयिक मिशन के अनुरोध पर परिषद ने न्यू चांसरी भवन में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा भेजी (शिल्पकार: श्री गौतम पाल)
3.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	ब्राजील	सितंबर, 2003	परिषद ने लोंड्रना नगर, ब्राजील में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा भेजी (शिल्पकार: श्री गौतम पाल)

1	2	3	4	5
4.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	जिबुती	सितंबर, 2003	परिषद ने महात्मा गांधी के नाम से जिबौटी स्थित एक सड़क के उद्घाटन के दौरान स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा भेजी (शिल्पकार: श्री गौतम पाल)
5.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	जर्मनी	सितंबर, 2003	भारतीय राजनयिक मिशन के अनुरोध पर परिषद ने बर्लिन में एशिया प्रशांत सप्ताह उत्सव के दौरान स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा भेजी (शिल्पकार: श्री गौतम पाल)
6.	महात्मा गांधी की मूर्ति	कजाखस्तान	सितंबर, 2003	भारतीय राजनयिक मिशन के अनुरोध पर परिषद ने अल्माती में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की एक कांस्य मूर्ति भेजी (शिल्पकार: श्री गौतम पाल)
7.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	सेनेगल	सितंबर, 2003	भारतीय राजनयिक मिशन के अनुरोध पर परिषद ने डकार, सेनेगल में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की एक आवक्ष प्रतिमा भेजी (शिल्पकार: श्री गौतम पाल)
8.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	दक्षिण अफ्रीका	सितंबर, 2003	भारतीय राजनयिक मिशन के अनुरोध पर परिषद ने डर्बन, दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की दो आवक्ष प्रतिमाएं भेजीं (शिल्पकार: श्री गौतम पाल और श्री राम सुतर।
9.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	कनाडा	नवंबर, 2003	भारतीय राजनयिक मिशन के अनुरोध पर परिषद ने क्वेबेक नगर में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की एक आवक्ष प्रतिमा भेजी (शिल्पकार: श्री गौतम पाल)
10.	महात्मा गांधी की मूर्ति	फ्रांस	नवंबर, 2003	भारतीय राजनयिक मिशन के अनुरोध पर परिषद ने गुआडेलोप में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की एक मूर्ति भेजी (शिल्पकार: श्री राम सुतर)
11.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	द्वीप मार्टिनिक	नवंबर, 2003	भारतीय राजनयिक मिशन के अनुरोध पर परिषद ने महात्मा गांधी की एक आवक्ष प्रतिमा भेजी (शिल्पकार: श्री राम सुतर)
12.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	कोलंबिया	दिसंबर, 2003	भारतीय राजनयिक मिशन के अनुरोध पर परिषद ने महात्मा गांधी की एक आवक्ष प्रतिमा भेजी (शिल्पकार: श्री गौतम पाल)

1	2	3	4	5
13.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	फ्रांस	दिसंबर, 2003	भारतीय राजनयिक मिशन के अनुरोध पर परिषद ने गुआडेलोप में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की एक आवक्ष प्रतिमा भेजी (शिल्पकार: श्री राम सुतर)
14.	महात्मा गांधी की मूर्ति	अमरीका	दिसंबर, 2003	भारतीय राजनयिक मिशन के अनुरोध पर परिषद ने महात्मा गांधी की एक मूर्ति हौसन भेजी (शिल्पकार: श्री राम सुतर)
15.	महात्मा गांधी की मूर्ति	कनाडा	मार्च, 2004	भारतीय राजनयिक मिशन के अनुरोध पर परिषद ने औट्टावा में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की एक मूर्ति भेजी (शिल्पकार: श्री राम सुतर)
			2004-05	
1.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	फ्रांस	अक्तूबर, 2004	भारतीय राजनयिक मिशन के अनुरोध पर परिषद ने महात्मा गांधी के नाम से फौजेरेस स्थित हाई स्कूल में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की एक आवक्ष प्रतिमा भेजी (शिल्पकार: श्री राम सुतर)
2.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	अर्जेंटीना	नवंबर, 2004	भारतीय राजनयिक मिशन के अनुरोध पर परिषद ने प्लाजा मेंडोज नगर में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की एक आवक्ष प्रतिमा भेजी (शिल्पकार: श्री रमेश बिष्ट)
			2005-06	
1.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	कजाखस्तान	सितंबर, 2005	भारतीय राजनयिक मिशन के अनुरोध पर परिषद ने गांधी स्कूल, अल्माटी में स्थापित किए जाने के लिए महात्मा गांधी की एक कांस्य आवक्ष प्रतिमा भेजी (शिल्पकार: सुश्री रत्नाबली कांत)
2.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	बेल्जियम	सितंबर, 2005	भारतीय राजनयिक मिशन के अनुरोध पर परिषद ने एंटवर्प, बेल्जियम में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की एक कांस्य आवक्ष प्रतिमा भेजी (शिल्पकार: सुश्री रत्नाबली कांत)
3.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	साइप्रस	सितंबर, 2005	भारतीय राजनयिक मिशन के अनुरोध पर परिषद ने निकोसिया में संसद भवन के बाहर स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की एक कांस्य आवक्ष प्रतिमा भेजी (शिल्पकार. सुश्री रत्नाबली कांत)

1	2	3	4	5
4.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	सर्बिया और मॉण्टेनेग्रो	दिसंबर, 2005	भारतीय राजनयिक मिशन के अनुरोध पर भा.सां.सं.प. ने महात्मा गांधी एवेन्यू, न्यू बेलग्रेड में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की एक कांस्य आवक्ष प्रतिमा भेजी (शिल्पकार: सुश्री रत्नाबली कांत)
5.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	जर्मनी	मार्च, 2006	भारतीय राजनयिक मिशन के अनुरोध पर परिषद ने जर्मनी के संसद में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की एक कांस्य आवक्ष प्रतिमा भेजी (शिल्पकार: सुश्री रत्नाबली कांत)
6.	महात्मा गांधी की मूर्ति	इटली	मार्च, 2006	भारतीय राजनयिक मिशन के अनुरोध पर परिषद ने जिनोआ के सार्वजनिक पार्क में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की एक कांस्य मूर्ति भेजी (शिल्पकार: श्री गौतम पाल)
			2006-07	
1.	महात्मा गांधी की मूर्ति	इटली, रोम	मई, 2006	भारतीय राजनयिक मिशन के अनुरोध पर परिषद ने जिनोआ के सार्वजनिक पार्क में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थान पर स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की एक आदम कद (72") कांस्य मूर्ति भेजी (शिल्पकार: श्री गौतम पाल, कोलकाता)
2.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	रोम, इटली	अगस्त, 2006	भारतीय राजनयिक मिशन के अनुरोध पर परिषद ने नार्नी, इटली स्थित एक स्कूल परिसर में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की पूरे आकार की 30" कांस्य आवक्ष प्रतिमा भेजी (शिल्पकार: सुश्री रत्नाबली कांत, दिल्ली)
3.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	फ्रैंकफर्ट, जर्मनी	सितंबर, 2006	भारतीय राजनयिक मिशन के अनुरोध पर परिषद ने हेस्से शांति प्रतिष्ठान परिसर में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की पूरे आकार की 30" कांस्य आवक्ष प्रतिमा भेजी (शिल्पकार: सुश्री रत्नाबली कांत, दिल्ली)
4.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	ओस्नाब्रुएक, जर्मनी	सितंबर, 2006	भारतीय राजनयिक मिशन के अनुरोध पर परिषद ने ओस्नाब्रुएक शहर में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की पूरे आकार की 30" कांस्य आवक्ष प्रतिमा भेजी (शिल्पकार: सुश्री रत्नाबली कांत, दिल्ली)

1	2	3	4	5
			2007-08	
1.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	हैंबर्ग, जर्मनी	मार्च, 2008	भारतीय राजनयिक मिशन के अनुरोध पर परिषद ने हैंबर्ग के ब्रेमेन शहर के रथाउस के गोब्लिन कक्ष में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की 42" की एक कांस्य आवक्ष प्रतिमा भेजी (शिल्पकार: श्री गौतम पाल, कोलकाता)
2.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	आदिस अबाबा, इथोपिया	अगस्त, 2007	भारतीय राजनयिक मिशन के अनुरोध पर परिषद ने आदिस अबाबा स्थिति अफ्रीकी यूनियन कमीशन के मुख्यालय में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की पूरे आकार की 42" एक कांस्य आवक्ष प्रतिमा भेजी (शिल्पकार: श्री गौतम पाल, कोलकाता)
3.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	रोम, इटली	फरवरी, 2008	भारतीय राजनयिक मिशन के अनुरोध पर परिषद ने नेपल्स, रोम में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की पूरे आकार 42" कांस्य आवक्ष प्रतिमा भेजी (शिल्पकार: श्री गौतम पाल, कोलकाता)
4.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	रोम, इटली	मार्च, 2007	भारतीय राजनयिक मिशन के अनुरोध पर परिषद ने ट्यूरिन, रोम में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की पूरे आकार की 42" कांस्य आवक्ष प्रतिमा भेजी (शिल्पकार: श्री गौतम पाल, कोलकाता)
5.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	बर्लिन, जर्मनी	जून, 2007	भारतीय राजनयिक मिशन के अनुरोध पर परिषद ने उडो केलर प्रतिष्ठान में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की पूरे आकार की 42" कांस्य आवक्ष प्रतिमा भेजी (शिल्पकार: श्री गौतम पाल, कोलकाता)
6.	महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा	ओटावा, कनाडा	मई, 2008	भारतीय राजनयिक मिशन के अनुरोध पर परिषद ने कनाडा में क्यूबेक के बोसार्ड शहर में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की पूरे आकार की 42" कांस्य आवक्ष प्रतिमा भेजी (शिल्पकार: श्री गौतम पाल, कोलकाता)
7.	महात्मा गांधी की मूर्ति	वेलिंगटन, न्यूज़ीलैंड	अक्तूबर, 2007	भारतीय राजनयिक मिशन के अनुरोध पर परिषद ने न्यूजीलैंड के वेलिंगटन शहर में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की आदम कद (72") कांस्य प्रतिमा भेजी (शिल्पकार: श्री गौतम पाल, कोलकाता)

1	2	3	4	5
8.	महात्मा गांधी की मूर्ति	बर्न, स्विट्ज़रलैंड	अक्तूबर, 2007	भारतीय राजनयिक मिशन के अनुरोध पर परिषद ने जिनेवा में स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी (ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए) की आदम कद डेढ़ गुना ऊंची (60'') कांस्य मूर्ति भेजी (शिल्पकार: श्री गौतम पाल, कोलकाता)
9.	महात्मा गांधी की मूर्ति	वाशिंगटन, अमरीका	मार्च, 2008	भारतीय राजनयिक मिशन के अनुरोध पर परिषद ने बर्जिनिया के हेरिसनबर्ग स्थित जेम्स मैडिसन विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थान पर स्थापित किये जाने हेतु महात्मा गांधी की आदम कद डेढ़ गुना ऊंची (78'') कांस्य मूर्ति भेजी (शिल्पकार: श्री गौतम पाल, कोलकाता)

इंदिरा प्वाइंट का पानी में डूबना

380. **श्री एंटो एंटोनी :** क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2004 में आए सुनामी के दौरान इंदिरा प्वाइंट के पानी में डूबने के वास्तविक स्तर का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा प्वाइंट के पुनर्निर्माण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) अंतरिक्ष विभाग (डीओएस) ने सुनामी के बाद 26, दिसंबर, 2004 के उपग्रह सुदूर संवेदी डेटा और 6 जनवरी, 2005 की हवाई फोटोग्राफी का उपयोग कर अध्ययन किए हैं। अध्ययन से पता चलता है कि कैम्पबेल खाड़ी प्रभावित हुई है और इंदिरा प्वाइंट पानी में डूब गया है। तट के किनारे भू कटाव और वनस्पति क्षति देखी गई है। लगभग 150 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ/डूब गया है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में घरों, भवनों और ढांचों के पुनर्निर्माण के लिए डिजाइन संबंधी मानदंड तैयार करने में सरकार ने भूकंप, चक्रवात, बाढ़, तूफान महोर्मि और सुनामी आदि के प्रति समग्र संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर बहु-संकट दृष्टिकोण पर विचार किया है। लगभग 10,000 घरों, सड़कों, ढांचों, पत्तनों और जेट्टी, संचार आदि के पुनर्निर्माण के लिए परियोजनाएं सफलतापूर्वक कार्यान्वित की गई हैं।

[हिन्दी]

अध्यापकों हेतु शिक्षा

381. **श्रीमती दीपा दासमुंशी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2009-10 के दौरान अध्यापक शिक्षा हेतु स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अध्यापकों के कौशल को बढ़ाने हेतु कार्यक्रम प्रारंभ करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) अध्यापक शिक्षा संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत वर्ष 2009-10 के लिए 500.00 करोड़ रुपए के बजट अनुमान और 325 करोड़

रुपए के संशोधित अनुमान की तुलना में 326.13 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई थी। यह मुख्यतया दो तथ्यों— (i) योजना संशोधित नहीं की जा सकी थी, (ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना के तहत शामिल अध्यापक शिक्षा संस्थाओं में रिक्त पड़े शैक्षिक और गैर-शैक्षिक पदों को नहीं भरा था, के कारण है।

(ग) और (घ) "राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना में अन्य बातों के साथ-साथ सतत् रूप से दक्षता संवर्धन हेतु माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को प्रत्येक वर्ष पांच दिन का सेवाकालीन प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था है। सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम अध्यापक शिक्षा कॉलेजों और उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थाओं द्वारा आयोजित किए जाते हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम में चीनी भाषा

382. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम में मंदारिन प्रारंभ करने की योजना के एक भाग के रूप में भारतीय शिक्षकों को प्रशिक्षण में सहायता देने के लिए चीन से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई समझौता हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में इस भाषा को प्रारंभ करने के प्रयोजन और उद्देश्य क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा चीन के हाल ही में हुए दौरे के दौरान चीनी पक्ष द्वारा भारतीय शिक्षकों के प्रथम बैच को भारतीय स्कूलों में चीनी भाषा सिखाने का प्रशिक्षण देने में अपनी मदद देने और मूल्यांकन मानकों के निर्धारण के लिए भारतीय पक्ष के साथ कार्य करने की पेशकश की गई। इस संबंध में किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

(ग) चूंकि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) देश के विभिन्न भागों में छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, वह माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 32 भाषाएं पढ़ने की व्यवस्था करता है जिनमें से 12 विदेशी भाषाएं हैं। चीन विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के कारण तथा मंदारिन बहुत अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा होने के कारण, सीबीएसई मानता है कि स्कूल स्तर पर अन्य भाषाओं में से एक भाषा के रूप में मंदारिन भाषा का शिक्षण शुरू करना लाभदायक होगा।

शीतल पेय कंपनियों द्वारा प्रदूषण

383. **श्री ए. गणेशमूर्ति :**
डॉ. रत्ना डे :
श्री अशोक अर्गल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है कि कई शीतल पेय तथा डिस्टिलरी कंपनियां भारी मात्रा में जल का दोहन कर रही हैं और इस के कारण इनके आस पास का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने कारखानों के विरुद्ध कार्रवाई की गयी है; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है कि ये कारखाने पर्यावरण को प्रदूषित न करें?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) शीतल पेय और आसवनी इकाइयां सतही जल का उपयोग करने के साथ-साथ, भूजल के उत्पादन प्रयोजन हेतु उसकी उपलब्धता और गुणवत्ता के अनुसार सतही जल निकालती हैं और अपनी विनिर्माण प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप बहिस्राव को निर्मुक्त करती हैं।

इन इकाइयों को जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अंतर्गत निर्धारित किए गए बहिस्राव मानदंडों का पालन करना अपेक्षित है। प्रदूषण उत्पन्न कर रहे उद्योगों को उनके बहिस्राव को शोधित करने के लिए उपयुक्त जल प्रदूषण नियंत्रण तंत्रों की स्थापना करना भी अपेक्षित है। इस संबंध में, बहिस्रावों की मात्रा में कमी लाने के लिए डाइजेस्टर और वाष्पकों अथवा सान्द्रक अधिकांश आसवनियों में रिवर्स ओसमोसिस (आर ओ) जैसी सुविधाएं स्थापित हैं। के.प्र.नि. बोर्ड ने "तरल स्राव को शून्य करने" के लिए सीमेन्ट

भट्टों में आसवनियों से उत्पादित स्पेन्ट वॉश को सह-संसाधित करने के लिए परीक्षणों का निरीक्षण किया है।

देश में लगभग 650 शीतल पेय और 400 आसवनी इकाइयां हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने निरीक्षण किए हैं और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18 के अंतर्गत गैर-अनुपालन 19 आसवनियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को निदेश देने के अलावा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत 18 आसवनियों को 'समाप्ति निदेश' जारी किए हैं।

नाभिकीय हथियार

384. **श्री यशवंत सिन्हा : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाशिंगटन स्थित इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इन्टरनेशनल सिक्योरिटी ने प्राप्त हुए नए उपग्रह चित्रों के आधार पर रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान में नाभिकीय हथियारों के विकास की गतिविधियां तेज हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) जी, हां। सरकार ने पाकिस्तान के नाभिकीय हथियार कार्यक्रम संबंधी कार्यकलापों के बारे मे इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्यूरिटी, वाशिंगटन की रिपोर्ट देखी है।

(ख) सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी घटनाओं को लगातार मॉनीटर करती है और इसकी रक्षा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती है।

अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा भारतीय पत्नियों का परित्याग

385. **श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक प्रत्येक वर्ष अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं की राज्यवार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) सरकार द्वारा प्रभावित महिलाओं को कितनी सहायता मुहैया करायी गयी है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मामले निपटाए गए; और

(घ) इस समय तक लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) ब्यौरे विवरण-I के रूप में संलग्न हैं।

(ख) भारतीय महिलाओं, जिन्हें उनके प्रवासी भारतीय पतियों ने छोड़ दिया है, की सहायता करने संबंधी योजना विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) मंत्रालय द्वारा ऐसी शिकायतों को, मामले में उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को भेजा जाता है जिनमें विदेशों में भारतीय मिशन, पुलिस अधिकारी, राज्य सरकारें आदि शामिल हैं।

अनिवासी भारतीयों से संबंधित विषयों की देखरेख के लिए राष्ट्रीय स्तर की समन्वय एजेंसी, राष्ट्रीय महिला आयोग में प्राप्त शिकायतों पर आयोग के एनआरआई प्रकोष्ठ द्वारा देख-रेख की जाती है और प्रत्येक मामले की आवश्यकतानुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और राज्यवार सूचित मामलों की संख्या

क्र. सं.	राज्यों के नाम/केन्द्र शासित प्रदेश	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय			राष्ट्रीय महिला आयोग सितम्बर, 2009 से जुलाई, 2010 तक
		2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	11	3	10	15

1	2	3	4	5	6
2.	असम	1	1	—	—
3.	बिहार	1	—	2	2
4.	चंडीगढ़ (यूटी)	—	—	—	2
5.	छत्तीसगढ़	—	1	—	2
6.	दिल्ली	22	9	6	—
7.	गुजरात	5	7	4	14
8.	गोवा	—	—	—	1
9.	हरियाणा	8	1	4	16
10.	हिमाचल प्रदेश	—	—	1	3
11.	जम्मू और कश्मीर	2	—	5	—
12.	कर्नाटक	—	1	1	9
13.	केरल	2	3	3	1
14.	महाराष्ट्र	10	1	2	22
15.	मध्य प्रदेश	1	—	2	4
16.	उड़ीसा	1	1	—	3
17.	पंजाब	1	13	6	23
18.	पुदुचेरी (यूटी)	—	—	1	—
19.	राजस्थान	3	1	1	8
20.	तमिलनाडु	8	8	3	5
21.	उत्तर प्रदेश	4	2	3	24
22.	उत्तराखंड	—	—	2	5
23.	पश्चिम बंगाल	8	3	—	12
	कुल	138	55	56	171

विवरण-II

प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त महिलाओं को कानूनी/वित्तीय सहायता देने की योजना

उद्देश्य

योजना का उद्देश्य बेसहारा महिलाओं, जिन्हें उनके प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त कर दिया गया है, को परामर्शी और कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करना है। "प्रवासी भारतीय" शब्दों में अप्रवासी भारतीय और भारतीय मूल के विदेशी नागरिक शामिल होंगे। योजना के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और खाड़ी में भारतीय मिशनों में पंजीकृत भारतीय महिला संगठनों/भारतीय सामुदायिक एसोसिएशनों और गैर-सरकारी संगठनों की मार्फत परामर्शी और कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। योजना स्थानीय भारतीय समुदाय को एकजुट करके और सरकार से कुछ वित्तीय सहायता देकर भारतीय मूल की उन महिलाओं, जो परेशानी में हैं, की सहायता का एक कल्याणकारी उपाय है।

योजना का कार्यक्षेत्र और पात्रता

योजना उन भारतीय महिलाओं के लिए होगी जिनका उनके प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्याग कर दिया गया है अथवा जो विदेशों में तलाक प्रक्रियाओं का सामना कर रही हैं बशर्ते कि वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हों:

1. महिला एक भारतीय पासपोर्ट धारक हो।

2. महिला का विवाह भारत में हुआ हो।

3. महिला का परित्याग भारत में अथवा विदेश पहुंचने पर विवाह के पांच वर्ष के भीतर किया गया हो।

4. उनके प्रवासी भारतीय पति द्वारा तलाक की प्रक्रिया विवाह के पांच वर्ष के भीतर शुरू की गई हो।

5. उसके प्रवासी पति द्वारा विवाह के दस वर्ष के भीतर एकतरफा तलाक प्राप्त कर लिया हो और पालन-पोषण और निर्वाह खर्च का मामला दायर किया गया हो।

6. योजना उस महिला के लिए उपलब्ध नहीं होगी जिसके विरुद्ध आपराधिक मामला चल रहा हो अथवा किसी आपराधिक मामले का फैसला उसके विरुद्ध हो चुका हो।

7. योजना के अंतर्गत सहायता चाहने वाली महिला का जन्म स्थान लाभ की अनुमति देने के लिए तर्कसंगत नहीं है। महिला आवेदन करने के समय अपने प्रवासी पति के देश में अथवा भारत में रह रही हो सकती है।

8. आवेदनों को वित्तीय आवश्यकताओं के आधार पर वरीयता दी जा सकती है।

9. सहायता भारतीय महिला संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा महिला की ओर से दस्तावेज तैयार करने और मामले को दायर करने के लिए प्रारम्भिक लागत और सामयिक प्रभारों तक सीमित होगी।

10. सहायता प्रति मामले में एक हजार अमेरिकी डालर तक सीमित होगी और यह संबंधित भारतीय समुदाय संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को रिलीज की जाएगी ताकि वे मामले को दायर करने के लिए दस्तावेज तैयार करने और अन्य तैयारी के कार्य को पूरा करने में महिला की सहायता करने के लिए कदम उठा सकें।

11. महिला संगठन/गैर-सरकारी संगठन बिना पारिश्रमिक की मांग के आधार पर कानूनी सहायता/न्यायालय में पेश होने आदि की सहायता के लिए समुदाय के वकीलों, जिसमें महिला वकीलों को प्राथमिकता दी गई हो, की सूची तैयार करने का प्रयास करेंगे।

सहायता का स्वरूप

योजना के अंतर्गत संबंधित देशों में भारतीय मिशन अच्छी साख वाले महिला संगठनों/भारतीय समुदाय की एसोसिएशनों/गैर-सरकारी संगठनों और उनके सदस्य वकीलों, जिनमें प्राथमिकता महिला वकीलों को दी गई हो, का पैनल तैयार करेंगे ताकि परेशानी की शिकार और जिनके नाम प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिए हों, को कानूनी सहायता प्रदान की जा सके, मिशनों द्वारा कानूनी सहायता देने के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच प्रत्येक मामले के आधार पर मिशन के प्रमुख द्वारा नामित एक अधिकारी द्वारा की जाएगी और उसे मिशन के प्रमुख/उपप्रमुख द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में प्राप्त आवेदनों की जांच एक आन्तरिक समिति द्वारा की जाएगी जिसमें एक कानूनी सलाहकार

और निदेशक/उपसचिव स्तर का एक अधिकार होगा और इनका अनुमोदन सचिव द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात मंत्रालय कानूनी सहायता देने के लिए संबंधित मिशन से सिफारिश करेगा। आवेदक को इस संबंध में संबंधित मिशन से संपर्क करने के लिए भी सूचित किया जाएगा।

कोयला उत्पादन

386. **श्री नरहरि महतो :**
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में खुली खानों तथा भूमिगत खानों से कोयला उत्पादन का प्रतिशत अलग-अलग कितना है;

(ख) देश में भूमिगत खानों से बहुत कम उत्पादन होने के कारण क्या हैं;

(ग) क्या भूमिगत खानों से कोयला निकालने के लिए अपनायी जाने वाली प्रौद्योगिकी बहुत पुरानी है; और

(घ) यदि हां, तो भूमिगत खानों से कोयला निकालने के लिए अद्यतन प्रौद्योगिकी प्रारंभ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) 2008-09 के दौरान कोयला के कुल उत्पादन में ओपनकास्ट और भूमिगत खानों का प्रतिशत हिस्सा क्रमशः 88.03 और 11.97 था।

(ख) भूमिगत उत्पादन का प्रतिशत हिस्सा कुछ वर्षों में धीरे-धीरे कम हुआ है। यह सरकार के अपेक्षाकृत कम निर्माण अवधि वाले उच्च क्षमता वाली यांत्रिकीकृत ओपनकास्ट खानों को अधिकतर संख्या में शुरू कर बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन बढ़ाने के संगठित प्रयासों के कारण बढ़ा है क्योंकि भूमिगत खानों से उत्पादन बढ़ाने की संभावना कठिन भू-खनन स्थितियों, व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए बड़े आकार के भंडारों की अनुपलब्धता, भूमिगत खानों के यांत्रिकीकरण में अपर्याप्त अनुभव, व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकी के लिए आयात किए गए उपकरणों पर पूर्ण निर्भरता के कारण सीमित थी। इसके अलावा, मोटी और लंबवत् झुकाव वाले तथा अनेक सीमों से कोयला खनन करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों की कमी, विशिष्ट ध्यान दिए जाने वाले सीमों की गैसीयता, भारी मात्रा में जल गिराने, प्रतिकूल छत स्थितियों और समीपस्थ/अनेक सीम खानों से जुड़ी समस्या भूमिगत कोयला के उत्पादन के अन्य प्रमुख कारण हैं।

(ग) और (घ) सीआईएल की विरासत में मिली खानों में अपनायी गई प्रौद्योगिकी पुरानी और अप्रचालित है।

तथापि, राष्ट्रीयकरण के बाद जहां भी संभव हुआ, सीआईएल ने अपनी भूमिगत खनन में एसडीएल/एलएचडी शुरू कर एवं जहां भूगर्भीय खनन स्थितियां अनुकूल होती हैं नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाकर मैनुअल खनन को चरणबद्ध रूप में समाप्त किया गया है।

सीआईएल द्वारा भूमिगत खानों से कोयला के उत्पादन में नवीनतम प्रौद्योगिकी शुरू करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है:

- सतत खनिकों और यांत्रिकीकृत ड्रिलिंग प्रणाली एवं उपयुक्त स्थानों पर लोंगवाल प्रौद्योगिकी के साथ शटल कार वाले व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकियों को शुरू किया जा रहा है।
- मैनुअल लोडिंग के स्थान पर एसडीएल/एलएचडी की तैनाती की जा रही है और जहां भी संभव हो, ढुलाई प्रणाली को फिर से संगठित किया जा रहा है।
- उच्च दीवाल खनन प्रौद्योगिकी भी उन खानों में लगाने की योजना है जहां भू-खनन स्थितियां अनुकूल हैं।
- खाली करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए ड्राइविंग अतिरिक्त शाफ्ट और इनक्लाइन शिफ्ट।
- अतिरिक्त कोयला खनन उपकरण लगाए जा रहे हैं।
- सात उच्च क्षमता वाली ग्रीन-फील्ड भूमिगत खानों की पहचान जोखिम लाभ बंटवारा आधार पर निजी सार्वजनिक भागीदारी से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी विकसित करने/उपयोग करने के लिए की गई है।
- नामी खनन कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम बनाकर उपयुक्त प्रौद्योगिकी से इसकी तीन सहायक कंपनियों नामतः ईसीएल,

बीसीसीएल, और सीसीएल के कुछ परित्यक्त खानों में फिर से खनन शुरू करना।

समुद्र जल का अलवणीकरण

387. **श्री वरुण गांधी :**
श्री जी.एम. सिद्देश्वर :

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक प्रक्रिया से समुद्री जल को पेयजल में बदला जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो एक लीटर समुद्री जल का प्रसंस्करण करने में कितनी लागत आती है;

(ग) देश में वर्तमान में प्रचालित संयंत्रों का स्थान और उनकी क्षमता क्या है;

(घ) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) समुद्री जल से पेयजल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) ने समुद्री जल को पेय जल में परिवर्तित करने के लिए निम्न तापमान वाली तापीय विलवणीकरण (एलटीडीडी) प्रौद्योगिकी का विकास किया है, जो तट के निकट स्थित द्वीप प्रदेशों और बिजली संयंत्रों की स्थापना के लिए अधिक उपयुक्त है।

(ख) प्रति लीटर विलवणीकृत जल की लागत प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी और बिजली के खर्च पर निर्भर करती है जो अलग-अलग जगह अलग-अलग होती है। एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा हाल ही में एलटीटीडी प्रौद्योगिकी के लिए किए गए लागत संबंधी आकलन के अनुसार विलवणीकृत जल की प्रचालनात्मक लागत 19 पैसे प्रति लिटर है।

(ग) वर्तमान में दो संयंत्र, एक कावारती, लक्षद्वीप और दूसरा उत्तरी चेन्नई तापीय पावर स्टेशन (एनसीटीपीएस), चेन्नई में प्रचालित है जिनकी क्षमता क्रमशः 1 और 1.5 लाख लिटर प्रतिदिन है।

(घ) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को एलटीटीडी संयंत्रों के लिए अनुसंधान, प्रदर्शन और स्थापना की व्यवस्था के लिए चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान 210 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

(ङ) एलटीटीडी प्रौद्योगिकी विकास के चरण में है और अभी वाणिज्यिक रूप से प्रामाणिक नहीं है। परंतु, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी की संभावनाएं तलाशने के लिए अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की है।

सरकारी-निजी भागीदारी आधार पर अनुसंधान और विकास केन्द्रों की स्थापना

388. **श्री रुद्रमाधव राय :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का विचार सरकारी-निजी भागीदारी आधार पर अपने अनुसंधान और विकास केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप इसके सभी साझेदारों को क्या लाभ होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड निजी सार्वजनिक भागीदारी प्रणाली के आधार पर निर्धारण, मूल्यांकन तथा अनुसंधान हेतु एक केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव करता है। केन्द्र के उद्देश्य हैं:-

(i) अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अनुसंधान क्षमता तथा मूल्यांकन संसाधन को सृजित करना।

(ii) निदान मूलक परीक्षण के माध्यम से एक ऐसी प्रणाली की स्थापना जिससे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को छात्रों की शिक्षा के साथ-साथ व्यवसायिक विकास तथा नेतृत्व प्रशिक्षण दिलाने की जानकारी मिल सके।

(iii) नीतियों और कार्यक्रमों का अनुसंधान करना जिससे छात्रों की शिक्षा और शिक्षण गुणवत्ता में सुधार हो सके।

(ग) विद्यालयों के शिक्षकों को विद्यालयों की मूल्यांकन नीतियों और संसाधनों के संबंध में प्रशिक्षण दिलाकर, केन्द्र शिक्षकों को उनके विषय में विद्वता दिलाना, छात्रों की शिक्षा को सुसाध्य बनाना, छात्रों को जीवनपर्यन्त साझेदार बनाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा उनके और उनकी शिक्षण पद्धति के लगातार विकास में मदद करेगा।

केन्द्र अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्कूलों में गुणवतायुक्त शिक्षा हेतु आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक सार्थक शिक्षण वातावरण तैयार करने में मदद करेगा।

समेकित नाभिकीय पुनर्चक्रण ईंधन

389. **श्री पी.टी. थॉमस** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस्तेमाल हुए ईंधन के पुन:प्रसंस्करण तथा अपशिष्ट प्रबंधन दोनों सुविधाओं से युक्त नए समेकित नाभिकीय पुनर्चक्रण संयंत्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके स्थान कौन-कौन से हैं; और

(ग) इन संयंत्रों में कार्य कब से प्रारंभ होने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां। तीन संयंत्रों को लगाने की योजना है और पहले संयंत्र की डिजायन तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है।

(ख) पुन:प्रसंस्करण और अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन का काम समेकित तरीके से करने के लिए एक एकीकृत नाभिकीय पुन:चक्रण संयंत्र (आईएनआरपी) का निर्माण देश में पहली बार किया जाएगा। यह संयंत्र, अलग-अलग अपेक्षाकृत छोटे संयंत्रों की डिजाईन तैयार करने में, उनके निर्माण और प्रचालन के मामले में परमाणु ऊर्जा विभाग में उपलब्ध अनुभव और विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए दाबित भारी पानी रिएक्टरों से निकले भुक्तशेष ईंधन का प्रसंस्करण करेगा। यह एकीकृत संयंत्र, जिसकी इस समय डिजाईन तैयार की जा रही है, पूर्णत: स्वदेशी होगा और इसमें भारत में उपलब्ध आधुनिकतम प्रौद्योगिकी को काम में लाया जाएगा। पहला एकीकृत नाभिकीय पुन:चक्रण संयंत्र तारापुर में अवस्थित होगा जिसके लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने का काम चालू कर दिया गया है। अन्य दो संयंत्रों के लिए स्थल का निर्णय अभी लिया जाना है।

(ग) तारापुर स्थित पहला संयंत्र वर्ष 2017 तक चालू हो जाने की आशा है। शेष संयंत्रों के दो से तीन वर्षों के अंतराल पर कमीशन किया जाएगा।

पर्यावरण अनुकूल उत्पादों पर लेबल लगना

390. **श्री के.सी. वेणुगोपाल** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "पर्यावरण अनुकूल उत्पादों पर लेबल लगाना" कार्यक्रम के अंतर्गत और अधिक उत्पादों को शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के उत्पादों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एच 1 बी वीजा

391. **श्री सर्वे सत्यनारायण** :
श्री पोन्नम प्रभाकर :
श्री के.आर.जी. रेड्डी :
श्री पी. बलराम :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच 1 बी वीजा प्रदान करने की नीति को कड़ा बनाए जाने से अमेरिका में भारत के निवेश तथा जनशक्ति के निर्यात के प्रवाह में कमी आने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अमेरिकी सरकार के साथ इस मुद्दे का समाधान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय राष्ट्रिकों के लिए विनिर्दिष्ट एच-1 बी वीजा के वार्षिक कोटे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ग) भारत सरकार ने अमरीका में संरक्षणवादी भावना और आपातकालीन अनुपूरक विनियोग विधेयक, जिसका लक्ष्य अमरीकी कांग्रेस में हाल ही में पास एच-1 बी तथा एल श्रेणी के वीजा के शुल्क में वृद्धि करके अमरीकी सीमा सुरक्षा के संवर्धन हेतु 600 मिलियन अमरीकी डालर एकत्रित करना है, जिसका भारतीय उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, पर अपनी चिन्ता सम्प्रेषित की है। संयुक्त राष्ट्र अमरीका की सरकार जी-20 के संदर्भ सहित संरक्षणवाद के सभी रूपों का विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बच्चों की शारीरिक स्वस्थता

392. **श्री प्रताप सिंह बाजवा :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विद्यालय जाने वाले बच्चों के मोटापे के स्तर के संबंध में हाल ही में हुए राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थता सर्वेक्षण की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें स्कूल जाने वाले बच्चों में मोटापे के चिन्ताजनक स्तर को दर्शाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच मोटापे को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा, 2005 स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को एक कोर विषय मानता है और सिफारिश करता है कि प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक यह अनिवार्य विषय तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर वैकल्पिक विषय होना चाहिए। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) ने अपने संबद्ध विद्यालयों को निदेश दिए हैं कि वे प्रत्येक छात्र/छात्रा का अपनी पसंद के कम से कम दो खेल कार्यकलापों में सतत तथा व्यापक मूल्यांकन स्कीम (सीसीई) के तहत भाग लेना सुनिश्चित करें। उसने विद्यालय को यह भी निदेश किये हैं कि वे व्यापक विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण क्लबों की स्थापना करें। इसने विद्यालयों को यह भी सलाह दी है कि वे विद्यालय की कैंटीन में स्वास्थ्यवर्धक नाश्ता उपलब्ध कराने को प्रोत्साहन दें और जंक एवं फास्ट फूड का परहेज करें।

[हिन्दी]

विदेशी नीति की समीक्षा

393. **श्री शत्रुघ्न सिन्हा :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश की विदेश नीति की समीक्षा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) और (ख) भारत की विदेश नीति देश की मूलभूत तथा विकासात्मक प्राथमिकताओं से संबद्ध है। हम एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था के इच्छुक है, जिसमें भारत के हित आश्वस्त हों, भारत की निर्णय लेने की स्वायत्तता सुरक्षित हो तथा जो भारत के तीव्र, सतत व व्यापक सामरिक एवं आर्थिक विकास के संयुक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के अनुकूल हो।

हमारे नीतिगत उद्देश्य पड़ोस में शक्ति व सुरक्षा सुनिश्चित करने, बड़ी शक्तियों के साथ सौहार्दपूर्ण व संतुलित संबंध कायम करने तथा विकासशील देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी सहभागिता स्थापित करने पर केंद्रित है। भारतीय विदेश नीति के भी सशक्त बहुपक्षीय पहलू हैं, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई सहित शांति व सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार, खाद्यान्न व ऊर्जा सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे-हमारे समय की कई मुख्य चुनौतियों के वैश्विक पहलू हैं तथा उनसे प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए सहयोगात्मक वैश्विक कार्रवाई अपेक्षित है।

सरकार विश्व में विद्यमान तथा उभरती स्थिति का सतत् रूप से अनुवीक्षण करती है। भारतीय विदेश नीति में अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में परिवर्तनों के प्रगतिशील अनुकूलन के साथ हमारे मुख्य राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति संयुक्त ठोस प्रतिबद्धता शामिल है।

[अनुवाद]

विश्वस्तरीय शैक्षणिक संस्थान

394. **श्री विलास मुत्तेमवार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विश्वस्तरीय शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना में विशेषज्ञ मार्ग-दर्शन मुहैया कराने के लिए उत्कृष्ट वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जा चुका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) कितने वैज्ञानिकों का चयन किया जाना है और उन्हें विश्वविद्यालयों में तैनात किया जाना है; और

(च) उनकी भर्ती में कुल कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (च) मानव संसाधन विकास मंत्रालय नवाचारी विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा उन्हें नवाचारी विश्वविद्यालयों के रूप में शामिल किए जाने के लिए एक कानून को अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया में है। प्रारूप विधेयक में ऐसे विश्वविद्यालयों को भारत से बाहर भी शिक्षण एवं अनुसंधान हेतु श्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए लचीलापन अपनाने का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित प्रारूप विधेयक नामत: नवाचारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2010 को अंतरमन्त्रालयी परामर्श हेतु परिचालित किया गया है।

आउटसोर्सिंग पर प्रतिबंध और वीजा शुल्क में बढ़ोतरी

395. **श्री प्रहलाद जोशी :**
श्री सोनवणे प्रताप नारायणराव :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री के अमरीका दौरे के दौरान अमरीकी सेक्रेट्री ऑफ स्टेट्स के साथ हुई बातचीत में भारत को दिए जाने वाले आउटसोर्सिंग व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाने के अमरीकी सरकार के प्रस्ताव के मुद्दे की बात हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस मुद्दे पर अमरीका की सरकार की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीका की सरकार द्वारा वीजा शुल्क में असाधारण वृद्धि के मुद्दे पर भी बातचीत हुई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अमरीका की सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार भारत में अमरीका के राष्ट्रपति के दौरे के दौरान इस मुद्दे को उठाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) से (छ) भारत सरकार ने अमरीका में संरक्षणवादी भावना और 2010 के आपातकालीन अनुपूरक विनियोग अधिनियम, जिसका लक्ष्य एच-1 बी तथा एल श्रेणी के वीजा के शुल्क में वृद्धि करके अमरीकी सीमा सुरक्षा के संवर्धन हेतु 600 मिलियन अमरीकी डालर एकत्रित करना है, जिसका भारतीय उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, पर अपनी चिन्ता सम्प्रेषित की है। संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार जी-20 के संदर्भ सहित संरक्षणवाद के सभी रूपों का विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा दाय स्थल का दर्जा प्रदान किया जाना

396. **श्रीमती जे. शांता : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में ऐसे ऐतिहासिक पुरावशेषों की संख्या कितनी है जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित दाय स्थल का दर्जा प्रदत्त किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि इनमें से अधिकतर स्थलों पर

न तो कोई नाम पट्टिका है और न ही उनका रख-रखाव किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की उपेक्षा के क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) कर्नाटक में राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित 507 प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष हैं जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रणाधीन हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। कर्नाटक में प्राचीन स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों पर मूलभूत संरक्षण सूचना पट्ट मुहैया कराए गए हैं। यहां तक कि अधिकांश संरक्षित प्राचीन स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों पर सांस्कृतिक सूचना पट्ट मुहैया कराए गए हैं। तथापि, राज्य के सभी संरक्षित स्मारकों पर हाल ही में विस्तृत सूचना पट्ट लगाने के लिए नई पहल की गई है।

कुलपतियों की बैठक

397. **श्री प्रदीप माझी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की अकादमिक प्रगति तथा विकास से जुड़े मुद्दों पर हाल ही में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक आयोजित की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आगामी अकादमिक सत्र से विद्यार्थियों के लिए चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ङ) जी हां, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रवेश प्रक्रिया में सुधार, क्रेडिट और क्रेडिट अंतरण लागू करने, आईसीटी के माध्यम से शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण, विश्वविद्यालय में आचार संहिता के बारे में सहमति प्राप्त की गई। इस सम्मेलन में अवधारित सिफारिशों में एक सिफारिश यह थी कि आगामी शैक्षिक सत्र से चार-वर्षीय बी.ए./बीएससी-सह-बीएड पाठ्यक्रम शुरू किया जाए। कुलपतियों की समिति निर्धारित समय-अवधि में सुधार संबंधी कार्यसूची प्रस्तुत करने के तौर-तरीके विकसित करेगी।

रीयल टाइम भूकंपीय निगरानी नेटवर्क

398. **श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत मौसम-विज्ञान विभाग का देश में रीयल टाइम भूकंपीय निगरानी नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) ऐसे नेटवर्कों की स्थापना करने पर अनुमानित व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में ऐसे स्टेशन कब कार्य करना आरंभ कर देंगे?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी हां, वास्तविक समय संबंधी भूकंपीय मॉनीटरन नेटवर्क (आरटीएसएमएन) पहले से ही पूरी तरह कार्य कर रहा है।

(ख) आरटीएसएमएन प्रणाली में 17 ब्रॉडबैंड भूकंपीय क्षेत्र स्टेशन हैं जो धर्मशाला, शिमला, देहरादून, भुज, भोपाल, बोकारो, शिलोंग, पुणे, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, गोवा, चेन्नै, मिनीकॉय तिरुवनंतपुरम, डिग्लीपुर, पोर्ट ब्लेयर और कैम्पबेल खाड़ी में स्थित हैं। इन क्षेत्रीय स्टेशनों से डेटा भूकंप स्रोत पैरामीटरों के शीघ्र आकलन के लिए वास्तविक समय में वीसेट आधारित संचार प्रणालियों के माध्यम से भारत मौसम-विज्ञान विभाग, (आईएमडी), नई दिल्ली और भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (इंकॉइस), हैदराबाद स्थित दो केंद्रीय अभिग्रहण स्टेशनों (सीआरएस) को भेजा जाता है।

यह आरटीएसएमएन प्रणाली संभवतया कम से कम समय में (15 मिनट से कम समय में) ऐसी सुनामी पैदा करने वाले भूकंपों से जुड़ी सूचना (भूकंप आने का समय, अक्षांतर, देशांतर, भूकंप की गहराई और परिणाम) देने में सक्षम है, जो भारतीय तटों को प्रभावित कर सकती है। यह आरटीएसएमएन प्रणाली वास्तविक समय में वैश्विक भूकंप स्टेशनों से डेटा प्राप्त करती है और इसका इस्तेमाल भूकंप के स्रोत संबंधी पैरामीटरों का भी बेहतर ढंग से आकलन करने के लिए बेहतर दिगंशीय कवरेज उपलब्ध कर सकती है। भूकंप सूचना का प्रसारण विभिन्न प्रयोक्ता एजेंसियों और निर्णय लेने वाले प्राधिकरणों को विभिन्न बहुविध संचार साधनों जैसे एसएमएस, फैक्स, ई-मेल के माध्यम से किया जाता है और साथ ही इसे आईएमडी की वेबसाइट पर भी डाला जाता है।

(ग) कुल 11.19 करोड़ रुपए की लागत से वास्तविक समय भूकंपीय मॉनीटरिंग नेटवर्क की स्थापना की गई।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा

399. **श्री निलेश नारायण राणे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में वीडियो क्रांफ्रेंसिंग सुविधा के साथ सभी विश्वविद्यालयों को जोड़ने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का यह सुविधा देने हेतु निजी उद्योगों को शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) में हो रहे विकास के साथ गति बनाए रखने हेतु विश्वविद्यालयों एवं कालेजों की विभिन्न सामान्य एवं विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से सहायता कर रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इनफोनेट इंटरनेट कनेक्टिविटी कार्यक्रम के तहत, अब तक लगभग 157 विश्वविद्यालयों को 256 केवीपीएस से 2 एनबीपीएस के दायरे में वैंडविड्थ इंटरनेट प्रदान किया गया है। सम्पूर्ण नेटवर्क की स्थापना तथा अनुरक्षण का कार्य टर्न-की आधार पर एरनेट इंडिया द्वारा किया जा रहा है। आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन (एनएमईआईसीटी) के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एन के एन) से जोड़े जाने का प्रस्ताव है, जहां वे वास्तव में वर्चयुल प्राइवेट नेटवर्क होंगे। इस कनेक्टिविटी का प्रयोग विश्वविद्यालयों के बीच तथा बाहरी दुनिया से विभिन्न प्रकार से सम्पर्क स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। यदि विश्वविद्यालयों द्वारा अपने स्तर पर पारदर्शी चयन प्रक्रियाओं के आधार पर प्राइवेट स्रोतों सहित विभिन्न स्रोतों से वीडियो कांफ्रेंसिंग उपकरणों को स्थापित किया जाता है तो इस कनेक्टिविटी का प्रयोग वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए भी किया जा सकता है। विश्वविद्यालयों के कनेक्टिड कम्प्यूटरों का उपयोग साफ्टवेयर आधारित श्रव्य-दृश्य संचार के लिए भी किया जा सकता है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों को पर्यावरणीय अनुमति

400. **श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजामाबाद-जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 16 को पर्यावरणीय और वन अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं तथा ऐसी अनुमति कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) मंत्रालय को निजामाबाद-जगलदपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 के लिए पर्यावरणीय मंजूरी हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के निजामबद से जगदलपुर तक 7/2 से 24/0 तक घुमाव के ज्यामितीय सुधार हेतु मनिक बंदर रिजर्व वन में वन भूमि के 0.825 हेक्टेयर के अपवर्तन का प्रस्ताव दिनांक 29.06.2010 को बंगलौर में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था और दिनांक 05.08.2010 को चरण-I का अनुमोदन स्वीकृत किया गया था।

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर के संदर्भ में यह प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पड़ोसी देश में चीन की मौजूदगी

401. **श्री असादूद्दीन ओवेसी :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर और नेपाल में अनेक परियोजनाएं आरंभ करने के बाद चीन ने कोलम्बो पत्तन के लिए ठेका हासिल किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी भारतीय कंपनी ने कोलम्बो पत्तन के लिए बोली में भागीदारी की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री, (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) से (ङ) सरकार विकासशील देशों में आधारभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं के निष्पादन में चीन की संवर्द्धित और प्रौद्योगिकी क्षमताओं के बारे में अवगत है। ऐसा सूचित किया गया है कि कोलम्बो दक्षिण कंटेनर टर्मिनल के निर्माण हेतु श्रीलंका बंदरगाह प्राधिकरण के साथ चीनी कंपनी ने संविदा की है तथा आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसा समझा गया है कि भारतीय कंपनियों ने निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। सरकार भारत की सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले सभी घटनाओं पर सतत नजर रखती है तथा इसकी संरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।

[हिन्दी]

उर्दू शिक्षकों के रिक्त पद

402. **श्री पन्ना लाल पुनिया :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उर्दू शिक्षकों के संस्वीकृत पदों की तुलना में रिक्त पदों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का उक्त रिक्तियों को भरने के लिए कोई विशेष अभियान चलाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक अभियान चलाए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) उर्दू शिक्षकों के रिक्त पदों की राज्य-वार संख्या संबंधी सूचना केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है चूंकि अधिकांश स्कूल राज्य सरकारों के होते हैं तथा रिक्त पदों को भरने की मानीटरिंग करने का उत्तरदायित्व उनका है।

(ख) और (ग) विशेष अभियानों के संबंध में निर्णय लेना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। केन्द्र सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

प्रमाणपत्रों का सत्यापन

403. **श्री आर. थामराईसेलवन :**
श्री पी. विश्वनाथन :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में नौकरी खोजने वालों के प्रमाण-पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया में विश्वविद्यालयों द्वारा अत्यधिक विलम्ब होने की घटनाओं की जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा सत्यापन के अनुरोधों पर कार्यवाही करने में बिलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का देश भर में विश्वविद्यालयों को समयबद्ध आधार पर प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु अनुदेशों पर कार्यवाही करने का अनुदेश देने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो अकादमिक अर्हता का राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक आंकड़ा आधार तथा एक प्राधिकृत डिपोजिटरी द्वारा इसके अनुरक्षण की मौजूदा स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) ऐसी कोई जानकारी केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जा रही है।

(ख) से (घ) भाग (क) के उत्तर के संबंध में प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग

404. श्रीमती रमा देवी :
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :
श्री अंजनकुमार एम. यादव :
श्री लालचन्द कटारिया :
श्री महेन्द्र कुमार राय :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन माह के दौरान राज्य-वार शैक्षणिक संस्थानों में रैंगिंग की कितनी घटनाएं हुई हैं, जिसमें जान जाने तथा घायल होने की जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) इस संबंध में राज्य-वार कितने मामले दर्ज किए गए;

(ग) चूककर्ता व्यक्तियों/प्राधिकरियों/संस्थान के प्रबंधन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/किए जाने का प्रस्ताव है जहां ऐसी घटनाएं हुईं;

(घ) रैगिंग की घटनाओं में वृद्धि होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस अभिशाप को समाप्त करने के लिए क्या कड़े उपाय किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा स्थापित रैगिंग रोधी हैल्पलाइन द्वारा एकत्रित की गई जानकारी के अनुसार पिछले तीन महीनों में हैल्पलाइन के द्वारा रैगिंग के बारे में 248 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनका राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:—

क्र. सं.	राज्य	अगस्त, 2010	सितम्बर, 2010	अक्तूबर, 2010	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3	3	1	7
2.	असम	5	1	0	6
3.	बिहार	4	4	2	10
4.	छत्तीसगढ़	1	4	0	5
5.	दिल्ली	2	2	0	4
6.	गुजरात	0	1	1	2
7.	हरियाणा	3	1	2	6
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	1	1
9.	जम्मू और कश्मीर	0	1	1	2
10.	झारखंड	5	2	1	8
11.	कर्नाटक	2	7	1	10
12.	केरल	2	2	1	5
13.	मध्य प्रदेश	2	10	1	13
14.	महाराष्ट्र	4	8	4	16
15.	उड़ीसा	3	8	7	18
16.	पुदुचेरी	0	1	1	2
17.	पंजाब	2	12	0	14
18.	राजस्थान	2	2	4	8
19.	तमिलनाडु	3	3	4	10
20.	उत्तर प्रदेश	16	31	8	65
21.	उत्तराखंड	2	1	1	4
22.	पश्चिम बंगाल	21	11	0	32
	कुल	82	115	51	248

(ग) से (ङ) वर्ष 2009 में उसी अवधि के दौरान शिकायतों का मासिक पंजीकरण 71 (अगस्त, 2009), 62 (सितम्बर, 2009) और 49 (अक्तूबर, 2009) था, जिसकी कुल संख्या 182 थी। इस बढ़ोत्तरी का श्रेय अन्य कारणों, हैल्पलाइन की व्यापक जागरूकता को दिया जा सकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में 17 जून, 2009 को "उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमन, 2009" को अधिसूचित किया है। यह विनियम आम जनता की जानकारी हेतु *www.ugc.ac.in/ragging* पर उपलब्ध है। रैगिंग की घटनाओं में लागू दंडात्मक कानूनों के संबंध में सभी स्टेक होल्डरों के बीच जागरूकता लाने तथा रैगिंग के अमानवीय प्रभावों के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु इन विनियमों में उच्चतर शिक्षण संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है।

इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिनांक 20 जून, 2009 को टोल-फ्री रैगिंग रोधी हैल्पलाइन शुरू की गई, जिसमें अंग्रेजी, हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं (तमिल, तेलुगू, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, मराठी, उड़िया, असमी, गुजराती तथा बंगाली) में ऐसी घटनाओं के संबंध में कारगर कार्रवाई करने की सुविधा के साथ-साथ रैगिंग के पीड़ितों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कॉल सेंटर की सुविधाएं भी हैं।

भारत-नेपाल संपर्क

405. **योगी आदित्यनाथ : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत-नेपाल संपर्क में नेपाल को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों को शामिल करने की किसी योजना पर कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में नेपाल सरकार को निम्नलिखित बुनियादी ढांचों के उन्नयन में सहायता प्रदान कर रही है– (i) सड़क, (ii) रेल संपर्क, तथा (iii) समन्वित जांच चौकियां। पहले चरण में नेपाल के तराई क्षेत्र में लगभग 660 किमी. लंबी सड़क के उन्नयन, जोगबनी-विराटनगर और जयनगर-बीजलपुरा-बार्दीवास में दो सीमा-पार संपर्कों तथा बीरगंज और विराटनगर में समन्वित जांच चौकियों के निर्माण के कार्य किया जा रहा है। पश्चिमी नेपाल को भारत से जोड़ने के लिए महेंद्रनगर-टनकपुर सड़क संपर्क का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है। सीमावर्ती अवसंरचना के विकास से नेपाल के तराई क्षेत्र के साथ भारत की संपर्क सुविधा का संवर्धन होगा और दोनों देशों के बीच आर्थिक संपर्क मजबूत बनेंगे।

(ग) संविदा दिए जाने की तारीख से सड़क निर्माण कार्य पूरा करने की अवधि 30 महीने, रेल संपर्कों के लिए लगभग 3 वर्ष और समेकित जांच चौकियों के लिए 14 महीने की रखी गयी है।

[अनुवाद]

'परफार्मिंग आर्ट फेस्टिवल'

406. **श्री राजय्या सिरिसिल्ला :**
श्री पी. बलराम :
श्री सुरेश कुमार :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमंडल खेलों के समय ही 'फेस्टिवल ऑफ परफार्मिंग आर्ट्स ट्रेडिशन्स' का सरकार तथा उनकी एजेंसियों द्वारा आयोजन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन उत्सवों पर कितनी धनराशि व्यय की गई?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

परफर्मिंग फेस्टिवल आर्ट

संस्था	उत्सवों का ब्यौरा	राशि (करोड़ रुपए)
1	2	3
संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली	संगीत नाटक अकादमी में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 4-13 अक्तूबर, 2010 तक 10 दिन का "देश पर्व-भारत का मंच कला उत्सव" आयोजित किया	4.5 लगभग
	(i) कुल वर्णिका-प्रदर्शन में राष्ट्रमंडल साहित्य: 10 दिन 21 कला प्रस्तुतियां	
	(ii) देशज-राष्ट्र की विविध अभिव्यक्तियां 9 दिन 36 समूह तथा दिल्ली एवं उत्तरी दिल्ली में 100 से अधिक कला प्रस्तुतियां	
	(iii) नाट्य दर्शन: भारत में रंगमंच का दृष्टिकोण: 10 दिन, 14 कला प्रस्तुतियां	
	(iv) संगीत मार्ग: भारतीय संगीत के पथ: 10 दिन, 16 कला प्रस्तुतियां	
	(v) नृत्य रूप-भारत के नृत्य: 7 दिन 11 कला प्रस्तुतियां	
	(vi) शुभारंभ - इसके अलावा, 10 समूहों की 10 कला प्रस्तुतियों के साथ प्रत्येक सुबह पावन संगीत का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया	
उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र इलाहाबाद	लोक तरंग 4-13 अक्तूबर, 2010	1.01 लगभग
सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र	(i) सीसीआरटी के सहयोग से उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा सप्तरंग का आयोजन किया गया	0.15 लगभग
	(ii) सीसीआरटी द्वारा शिक्षावृत्तिधारियों के साथ निम्न मंच कला कार्यक्रमों का आयोजन किया गया	
	• राजस्थान का लंगर तथा मंगनियार	0.02 लगभग
	• केरल का कलारीप्पयटटु	
	• पंजाब का भागंडा-गिद्धा	

1	2	3
	• कठपुतली कला, कच्ची घोड़ी; कालबेला तथा कलाकार बस्ती, दिल्ली द्वारा अन्य पारंपरिक मंच कला प्रस्तुति • दिल्ली से कव्वाली कलाकार (कुतुवी भाई)	
नेहरू मेमोरियल संग्रहालय तथा पुस्तकालय, नई दिल्ली	(i) **सत्य के रूप** 2 तथा 4 अक्तूबर 2010 को महात्मा गांधी की विचारधारा की गहन समझ (ii) **कुछ अनखुले पन्ने-सम अनओपन्ड पेजिस** (ऑडियो-वीडियो जर्नीविद शैडो 9, 11 तथा 12 अक्तूबर, 2010 को कठकथा द्वारा कठपुतलियां (iii) **महादेव भाई** 7, 8, तथा 10 अक्तूबर, 2010 को अंग्रेजी में एकल नाट्क जिसमें गांधी के सचिव के वृत्तांत तथा गांधी के जीवन तथा अन्य अनेक नेताओं के जीवन का वर्णन किया गया है। (iv) **मुलाकात (एक भेंट)** 5 तथा 6 अक्तूबर, 2010 को एनएमएमएल बाल केन्द्र तथा मल्टी मीडिया लाइब्रेरी द्वारा अंग्रेजी में नाटक का आयोजन	0.04 लगभग

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन

407. **श्री हरीश चौधरी :**
श्री इज्यराज सिंह :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग के उद्देश्य तथा लक्ष्य क्या हैं;

(ग) आयोग द्वारा अब तक क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा 'एनकेसी' की सिफारिशों पर क्या कार्रवाही की गई है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एनकेसी) का गठन 13 जून, 2005 को योजना आयोग के अधीन तीन वर्षों के अवधि के लिए किया गया था। इसकी अवधि 31 मार्च, 2009 तक बढ़ाई गई थी।

एनकेसी के विचारार्थ विषय थे:—

- 21वीं सदी में भारत की ज्ञान संबंधी चुनौतियों को पूरा करने के लिए शिक्षा प्रणाली में उत्कृष्टता निर्माण और ज्ञान के क्षेत्रों में भारत की प्रतिस्पर्धी श्रेष्ठता को बढ़ाना।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना।

- बौद्धिक सम्पदा अधिकार संबंधी कार्यों में लगे हुए प्रबंधन संस्थानों में सुधार लाना।
- कृषि और उद्योग में ज्ञान अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना।
- सरकार को प्रभावी, पारदर्शी व नागरिकों के प्रति जवाबदेह सेवा प्रदाता बनाने में ज्ञान क्षमताओं के उपयोग को बढ़ावा देना और सार्वजनिक लाभ को अधिकतम बनाने के लिए ज्ञान को व्यापक रूप से सांझा करने को बढ़ावा देना।

(ग) और (घ) एनकेसी ने अपनी कार्यावधि के दौरान 27 ध्यान केंद्रण क्षेत्रों में लगभग 300 सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, और इस समय इसकी कई सिफारिशों पर कार्रवाई की जा रही है। एनकेसी की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए कुछ प्रमुख निर्णय विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए कुछ प्रमुख निर्णय इस प्रकार है:-

(i) देश में व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार रिडिजाइन व गुणवत्ता में वृद्धि तथा प्रशिक्षण के लिए, राष्ट्रीय दक्षता विकास मिशन (एनएसडीएम) के अंतर्गत एक त्रि-स्तरीय संरचना का गठन किया गया है।

(ii) बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम; 2009 का अधिनियमन किया गया है।

(iii) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग और प्रोफेसर यश पाल की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा नवीकरण व पुनरुद्धार पर परामर्श देने के लिए गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं में उच्च शिक्षा में शीर्ष प्राधिकरण की स्थापना की आवश्यकता के बारे में कहा है। शीर्ष निकाय की स्थापना में केन्द्र सरकार की सहायता के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया है और कार्यदल द्वारा तैयार किया गया मसौदा व्यापक परामर्शों हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया है।

(iv) अनुचित कार्यों के निषेध व दंड देने संबंधी व्यवस्था हेतु एक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया गया है। विधेयक में इसकी विवरणिका के माध्यम से तकनीकी व चिकित्सा शैक्षिक संस्थानों की कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं को अनिवार्य रूप से समाप्त करने का प्रावधान है।

(v) विदेशी शिक्षा संस्थानों के विनियमन व प्रविष्टि की व्यवस्था हेतु संसद में एक विधेयक पेश किया गया है।

(vi) स्वतंत्र प्राधिकरण के साथ पंजीकृत विविध मान्य एजेंसियों के माध्यम से सभी उच्च शिक्षा संस्थानों की अधिदेशात्मक मान्यता की व्यवस्था हेतु संसद में विधेयक पेश किया गया है।

(vii) व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन स्कीम के अंतर्गत प्राप्त किए गए विद्यार्थी शिक्षा ऋणु हेतु ब्याज सब्सिडी स्कीम शुरू की गई है।

(viii) केन्द्र सरकार ने उच्च गुणवत्ता अनुवाद के माध्यम से भारतीय भाषाओं व साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिए मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय में राष्ट्रीय अनुवाद मिशन के कार्यान्वयन का अनुमोदन कर दिया है, ग्यारहवीं योजना में इसके लिए 75 करोड़ रु. का परिव्यय है।

(ix) केन्द्र सरकार ने संस्कृति मंत्रालय में राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की स्थापना का प्रस्ताव किया है। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन के कार्यों में राष्ट्रीय पुस्तकालय गणना, पुस्तकालयों की नेटवर्किंग सहित आधुनिकीकरण: ज्ञान केन्द्रों की स्थापना और डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना का कार्य शामिल है।

(x) केन्द्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क के कार्यान्वयन को सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है जो ज्ञान संसाधनों और अनुसंधान को साझा करने के लिए ज्ञान संस्थानों को गीगाबाइट क्षमतओं के साथ अंतरसंबंधित करेगा।

(xi) शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आईसीटी की क्षमता को लीवरेज करने के लिए सूचना व संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन आरंभ

किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत, 20,000 उच्च शिक्षा संस्थानों को सम्पर्कता उपलब्ध कराई जाएगी।

(xii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देश के सभी विश्वविद्यालयों को शैक्षिक सुधार करने के लिए लिखा है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के अनुच्छेद 6(2) में इसके आरंभ से ही नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सुधार उपायों का प्रावधान है।

(xiii) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के अंतर्गत 16 नए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है, और विश्व स्तरीय 14 नवप्रवर्त्तन विश्वविद्यालयों की परिकल्पना की गई है।

(xiv) पांच राष्ट्रीय वेब आधारित पोर्टल हैं; एक पोर्टल जल (इंडियावाटरपोर्टल.ओआरजी) पर होगा जो आरगियम ट्रस्ट द्वारा समर्थित है, एक पोर्टल ऊर्जा (इंडियाएनर्जीपोर्टल.ओआरजी) पर है जो ऊर्जा अनुसंधान संस्थान (टीईआरआई) द्वारा समर्थित है: एक पर्यावरण पर (इंडियाएनवायर्नमेंटपोर्टल.ओआरजी.इन) है जो विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र द्वारा समर्थित है और एक अध्यापकों के लिए (टीचरऑफइंडिया.ओआरजी) जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा समर्थित है; और एक जैव विविधता पर (इंडियाबायोडायवर्सटी.ओआरजी) आरंभ किया गया है जो अशोक ट्रस्ट द्वारा समर्थित है जो पारिस्थितिकी व पर्यावरण में अनुसंधान के लिए है। योजना आयोग, जो इस संबंध में नोडल एजेंसी है, समय-समय पर सिफारिशों के कार्यान्वियन की निगरानी कर रहा है।

[अनुवाद]

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में यूनीसेफ की मदद

408. **श्री नित्यानंद प्रधान :**
श्री वैजयंत पांडा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनीसेफ तथा इसके भागीदारों ने देश में बाढ़ प्रभावित लोगों को अपनी राहत आपूर्तियों के साथ सेवाएं देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित विभिन्न राज्यों के लोगों को पेशकश की गई ऐसी राहत सामग्रियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कतिपय अन्य विदेशी एजेंसियों ने भी ऐसी ही मदद की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) से (ङ) पूर्व में यूनीसेफ ने देश में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत आपूर्तियों के साथ अपनी सेवाएं देने की पेशकश की थी। चालू वर्ष के दौरान यूनीसेफ एवं अन्य विदेशी एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित राहत सामग्रियों के ब्यौरों का संकलन किया जा रहा है, जिसे उपलब्ध होने के उपरांत प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

विद्यालयों में शिक्षण मानदंड

409. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर :**
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री के.आर.जी. रेड्डी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौजूदा शिक्षा प्रणाली छात्रों के कौशल तथा अभिवृति के विकास में योगदान नहीं देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विद्यालयों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण के मानदंड को ऊपर उठाने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) शिक्षा एक समवर्ती विषय होने के नाते अधिकांश स्कूल राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। जहां तक भारत सरकार का संबंध है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 जिसे 1992 में संशोधित किया गया, में चरित्र निर्माण तथा कौशल विकास की आवश्यकता को सुस्पष्ट

किया गया है। उक्त नीति के पैरा 5.13 में, अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख है कि:

"........ जहां तक संभव हो सके अधिक से अधिक संख्या में माध्यमिक स्तरीय संस्थाओं में कंप्यूटर साक्षरता की व्यवस्था करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि बच्चों को अपेक्षित कंप्यूटर कौशलों से लैस किया जा सके जो उदीयमान प्रौद्योगिकीय जगत में कारगर हो। यथोचित रूप से तैयार पाठ्यचर्या के जरिए कार्य लोकाचार और एक मानवोचित एवं सामासिक संस्कृति के मूल्यों के बारे में एक उचित समझबूझ विकसित की जाएगी। इस स्तर पर विशेषज्ञतायुक्त संस्थाओं अथवा माध्यमिक शिक्षा में पुनपर्रिवर्तन के जरिए व्यावसायोन्मुखीकरण से आर्थिक विकास हेतु मूल्यवान जनशक्ति की व्यवस्था हो पाएगी।"

(ग) और (घ) जी, हां। सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जैसी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं में ऐसे घटक हैं जो प्रारंभिक तथा माध्यमिक स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। ऐसे घटकों में शामिल हैं - स्कूलों से निर्धारित मानदंडों का अनुपालन करवाना, शिक्षकों के कौशल उन्नयन हेतु उनका नियमित सेवाकालीन प्रशिक्षण और छात्र शिक्षक अनुपात में सुधार करने हेतु अतिरिक्त शिक्षकों की भर्ती करना।

[हिन्दी]

वर्षा जल संचयन

410. **श्री हर्ष वर्धन :**
श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में जल संचयन क्षमता का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा वर्षा जल संचयन प्रणाली सहित जल संरक्षण हेतु जागरूकता पैदा करने के कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का जल संचयन योजनाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को "भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी मास्टर योजना (2002)" शीर्षक की एक रिपोर्ट तैयार करके परिचालित की है। इसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 39.25 लाख कृत्रिम पुनर्भरण और छत के वर्षा जल संचयन की संरचनाओं का निर्माण करके 4.5 लाख वर्ग कि. मी. क्षेत्र में लगभग 36 बिलियन घन मी. अधिशेष अपवाह का पुनर्भरण करने की योजना है। कृत्रिम पुनर्भरण के लिए अभिज्ञात क्षेत्र तथा पुनर्भरणीय अधिशेष जल की मात्रा का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जल के संरक्षण के लिए जन जागरूकता लाने के लिए जल संसाधन मंत्रालय और केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा किए गए विभिन्न उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) जल संसाधन मंत्रालय की केन्द्रीय योजना स्कीम नामत: "भूमि जल प्रबंधन एवं विनियमन" और "सूचना शिक्षा एवं संप्रेषण" के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करना।

(ii) वर्षा जल संचयन तथा भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं को मंजूर करना।

(iii) विभिन्न राज्यों में भूमि जल स्तरों की कार्यरत पर्यवेक्षकों/ग्रामीण लोगों द्वारा सहभागी मानीटरिंग को प्रारंभ करना।

(iv) कृषि के लिए पानी के उपयोग में किफायत के लिए प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने के मद्देनजर 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अभिज्ञात 60 संस्थानों द्वारा किसान सहभागिता कार्रवाई अनुसंधान कार्यक्रमों (एफपीएआरपी) का कार्यान्वियन करना।

(v) भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण संबंधी सलाहकार परिषद् का गठन करना।

(vi) भूमि जल संवर्धन संबंधी नवप्रवर्तन पद्धतियों को अपनाने

को बढ़ावा देने के लिए भूमि जल संवर्द्धन पुरस्कार और राष्ट्रीय जल पंचाट जारी करना।

(vii) प्रयोक्ताओं सहित सभी पणधारियों को भूमि जल संबंधी सूचना के प्रसार के लिए भूमि जल सूचना प्रणाली को प्रारंभ करना।

(viii) जल संरक्षण की आवश्यकता के संबंध में जागरूकता लाने के लिए विद्यालयों के बच्चों के बीच चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करना।

(ङ) और (च) XIवीं योजना की अवधि के दौरान जल संसाधन मंत्रालय को प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं के वास्ते 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें "भूमि जल प्रबंधन एवं विनियमन" संबंधी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत वर्षा जल संचयन शामिल है। केरल, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश राज्यों को कुल 25.07 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

विवरण

कृत्रिम पुनर्भरण के लिए अभिज्ञात क्षेत्र तथा पुनर्भरणीय अधिशेष जल की मात्रा का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुनर्भरणीय हेतु अभिज्ञात क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	पुनर्भरणीय किए जाने वाले अधिशेष जल की मात्रा (एमसीएम)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	65333	1095
2.	बिहार और झारखंड	4082	1120
3.	छत्तीसगढ़	11706	258
4.	दिल्ली	693	444
5.	गोवा	3701	529
6.	गुजरात	64264	1408
7.	हरियाणा	16120	685
8.	हिमाचल प्रदेश	—	149
9.	जम्मू और कश्मीर	—	161
10.	कर्नाटक	36710	2065
11.	केरल	4650	1078
12.	मध्य प्रदेश	36335	2320
13.	महाराष्ट्र	65267	2318
14.	उड़ीसा	8095	06
15.	पंजाब	22750	1200
16.	राजस्थान	39120	861
17.	सिक्किम	—	44
18.	तमिलनाडु	17292	3597
19.	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	45180	14022
20.	पश्चिम बंगाल	7500	2664
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र	—	3
22.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	33	26

अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्रों को कृत्रिम पुनर्भरण के लिए व्यवहार्य नहीं किया गया।

[अनुवाद]

भारतीय राज्यों को विकृत करने वाले चीनी नक्शे

411. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री मिथिलेश कुमार :
श्री जितेन्द्र सिंह मलिक :
श्री मधुगौड यास्खी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी ऑनलाइन मैप सर्विसेज और चीन में कार्य करने वाली कंपनियों ने भारतीय राज्यों को अपने नक्शों में चीनी भू-भाग के रूप में दर्शाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारतीय राज्य जिन्हें चीनी भू-भाग के रूप में दर्शाया गया है उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि चीन के विदेश मामलों के मंत्रालय ने गिलगिट-बालटिस्तान को उत्तरी पाकिस्तान के भाग के रूप में दर्शाया है तथा जम्मू और कश्मीर के लिए भारत के "कब्जे वाला कश्मीर", शब्दों का उपयोग किया है परंतु चतुराईपूर्वक पाकिस्तान वाले कश्मीर का कोई भी उल्लेख करने से बचा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त मुद्दों को चीनी सरकार के साथ उठाया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा निष्कर्ष क्या हैं तथा यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) और (ख) चीन पूर्वी सैक्टर में भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विरोध करता है और अरुणाचल प्रदेश राज्य में लगभग 90000 वर्ग किलोमीटर के भारतीय भूक्षेत्र पर अपना दावा करता है। जम्मू और कश्मीर में लगभग 38000 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूक्षेत्र चीन के कब्जे में है। इसके अतिरिक्त 2 मार्च, 1963 को चीन और पाकिस्तान के बीच हुए तथाकथित चीन-पाकिस्तान "सीमा करार" के तहत पाकिस्तान ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में भारतीय क्षेत्र के 5180 वर्ग किलोमीटर भूक्षेत्र को अवैध ढंग से चीन में मिला दिया है। ऑन-लाइन मानचित्र सेवा प्रदाता एक देश में अपनी सेवाओं के लिए उस विशेष देश के अधिकृत मानचित्र का प्रयोग करता है।

(ग) से (च) चीन जम्मू और कश्मीर को एक विवाद के रूप में देखता है, जिसका उचित ढंग से निराकरण भारत और पाकिस्तान के बीच की वार्ता द्वारा होना चाहिए। सरकार ने मामले को चीनी पक्ष के साथ उठाया है और उन्हें सरकार के स्पष्ट और स्थायी रुख से अवगत कराया है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।

यूएनएफएओ द्वारा विकृत मानचित्र

412. **श्री नीरज शेखर :**
श्रीमती जयाप्रदा :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (यूएनएफएओ) की एक रिपोर्ट में जम्मू और कश्मीर तथा अरुणाचल प्रदेश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दिखाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यूएनएफएओ के प्रति अपना विरोध दर्ज कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) और (ख) "डेयरी क्षेत्र से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन: जीवन-चक्र मूल्यांकन" संबंधी खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की एक परियोजना रिपोर्ट में जम्मू और कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को "क्षेत्रीय और देशों की सूची" संबंधी रिपोर्ट के एक अनुबंध में पूर्व एशिया में स्वतंत्र क्षेत्रों के रूप में दर्शाया गया है।

(ग) से (ङ) सरकार ने इस मामले को एफएओ के साथ उठाया था, जिसने उपर्युक्त परियोजना दस्तावेज के संबंधित अनुबंध से जम्मू और कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के उल्लेख को हटा दिया है।

दिल्ली में प्रदूषण

413. **चौधरी लाल सिंह :**
श्री सुदर्शन भगत :

श्री एस.एस. रामासुब्बू :
श्री शत्रुघ्न सिन्हा :
श्री रमेश बैस :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अत्यंत प्रदूषित शहरों के राज्य-वार नाम क्या हैं;

(ख) क्या राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान दिल्ली की वायु की गुणवत्ता में और गिरावट आई है तथा दिल्ली का वायुप्रदूषण भारतीय शहरों के औसत की तुलना में अधिक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(घ) क्या अधिकांश खेल के स्थानों में लगातार 'धूल कण' के उच्च स्तर का पता चला जिसमें सांध्यकाल तक ओजोन तथा नाईट्रोजन डाईआक्साईड एनओ$_2$ के स्तरों में भी वृद्धि पाई गई;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा समन्वित, राष्ट्रीय वायु मॉनीटरिंग कार्यक्रम (एनएएमपी) के अंतर्गत, 175 नगरों शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में परिवेशी वायु गुणवत्ता की मॉनीटरिंग की गई है। सल्फर डाईऑक्साइड (SO_2) का वार्षिक औसत संकेन्द्रण सभी शहरों में अनुज्ञेय सीमाओं के भीतर है। तथपि, नाईट्रोजन डाईऑक्साईड (NO_2) का संकेन्द्रण दिल्ली सहित 09 शहरों में मानकों से अधिक है और विविक्त पदार्थ का संकेन्द्रण झारिया, लुधियाना, दिल्ली आदि जैसे 94 शहरों में 10 माईक्रोन (पीएम$_{10}$) से कम है।

सीपीसीबी, दिल्ली में 24x7 आधार पर 6 स्थलों में नियमित रूप से परिवेशी वायु की मॉनीटरिंग कर रहा है। राष्ट्रमंडल खेलों की अवधि के दौरान एकत्रित डाटा दर्शाते हैं SO_2, NO_2 और PM_{10} स्तर उर्ध्वगामी चलन नहीं दर्शाए हैं। सीमाओं में गैर-दिल्ली अवरोध यातायात का विपथन, दिल्ली में स्कूलों और विश्वविद्यालयों के लिए पूजा अवकाशों का रिशेड्यूलिंग, सार्वजनिक यातायात को पूर्ण क्षमता से परिचालन, राजघाट विद्युत संयंत्र का अस्थायी समापन आदि ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायता की है।

राष्ट्रमंडल खेल 2010 के दौरान खेल स्थलों में भारतीय उष्ण कटिबंधीय प्रसंधन संस्थान (आईआईटीएम), पुणे द्वारा परिवेशी वायु की मॉनीटरिंग की गई थी। आईआईटीएम ने रिपोर्ट दी है कि ओजोन का स्तर अधिकता अच्छी श्रेणी पर थी और कभी-कभी संतुलित स्तर से अधिक थी, जबकि, NO_2 संतुलित श्रेणी में रही।

(च) दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं जिसमें दिनांक 01.04.2010 से नए चार पहिए के लिए बीएस-IV उत्सर्जन मानकों और दो एवं तिपहिए वाहनों के लिए बीएस-III मानकों का क्रियान्वयन, सीडब्ल्यूजी-2010 के पहले दिल्ली मेट्रो के चरण-2 की समाप्ति, सार्वजनिक यातायात हेतु सीएनजी ऑटो, कोयला आधारित आईपी विद्युत संयंत्र को हटाना और सीमाओं पर ट्रकों/मालवाहक वाहनों का विपथन शामिल है।

सार्वजनिक तंत्रों में नवोन्मेष हेतु केन्द्र

414. श्री नामा नागेश्वर राव : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक तंत्रों में नवोन्मेष हेतु केन्द्र की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र के उद्देश्य तथा लक्ष्य क्या हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, भारत सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ, वर्ष 2010-15 के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को सार्वजनिक व्यवस्था में नवाचार हेतु केन्द्र

(सीआईपीएस) जिसका उद्घाटन अगस्त, 2010 को भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज (एएससीआई), हैदराबाद में किया गया था, की स्थापना करने के लिए उपयोग किए जाने हेतु भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद को आगे हस्तांतरित करने के लिए 20 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे। कार्यक्रम का निरीक्षण करने और कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है। महानिदेशक, भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का भी गठन किया गया है जो सलाहकार समिति को रिपोर्ट करेगी।

(ग) सार्वजनिक व्यवस्था में नवाचार हेतु केन्द्र का मिशन तथा उद्देश्य ये हैं:

मिशन

सार्वजनिक व्यवस्था में नवाचार हेतु केन्द्र का मिशन सार्वजनिक व्यवस्था में नवाचार की गति बढ़ाने तथा प्रसार करने के लिए वातावरण बनाना एवं संस्कृति के विकास में सहायता करना है।

उद्देश्य

1. विभिन्न राज्यों में आम जनता के कल्याण में सुधार हेतु जन प्रबंधन, प्रक्रिया (लागत और गुणवत्ता), पद्धतियों (प्रौद्योगिकी) तथा सेवाओं के क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था में नवाचार की पहचान करना, मान्यता देना एवं संवर्धन करना।

2. राज्यों के अंदर नीतियों एवं प्रथाओं में कार्य अनुसंधान परियोजनाओं, दीर्घ स्तरीय परिवर्तनों और नवाचार की शुरूआत करने के लिए पार्श्विक शिक्षण का उत्प्रेरण करना एवं संवर्धन करना।

3. प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सम्मेलनों, सेमिनारों, सर्वेक्षणों प्रकाशनों के माध्यम से क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न स्टेकहोल्डरों को शिक्षा प्राप्ति के अवसर और सेवाओं की रेंज प्रदान करना तथा सार्वजनिक सेवा में सुधार करने हेतु सार्वजनिक व्यवस्था में नवचार के लिए एक राष्ट्रीय कैटलॉग/डाटाबेस का विकास करना।

4. सार्वजनिक व्यवस्थाओं के गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों एवं जानकारी के आदान-प्रदान को सरल एवं सुविधाजनक बनाना।

समान प्रवेश परीक्षा

415. श्री आनंदराव अडसुल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय कालेजों तथा संस्थानों में स्नातक पूर्व तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए समान प्रवेश परीक्षा आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्नातक पूर्व तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मौजूदा प्रणाली में कोई कमी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) छात्रों पर ओर बोझ डालने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ङ) हाल ही में आयोजित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन में इस बात पर सर्वसम्मति हुई थी कि स्नातक स्तर से नीचे के पाठ्यक्रमों में प्रवेश की कालेज/संस्था की वर्तमान विशिष्ट प्रणाली छात्रों/आवेदकों पर तथा साथ ही माता-पिता पर बहुत अधिक बोझ डालती है। इसलिए, प्रवेश की प्रक्रियाविधि में इस ढंग से संशोधन किए जाने की आवश्यकता है कि कक्षा-12 में प्राप्त किए गए अंकों और सामूहिक राष्ट्रीय स्तर की अभिक्षमता परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को समुचित महत्व मिलना चाहिए। स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश का आधार स्नातक स्तर पर प्राप्त अंक तथा संबंधित विषय में अभिक्षमता और ज्ञान का निर्धारण करने के लिए सामूहिक परीक्षा हो सकती है। तथापि इस संबंध में कार्य करने का तरीका प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा।

कच्छ वनस्पति का नष्ट होना

416. प्रो. रंजन प्रसाद यादव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी तथा अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई) तथा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोआ को संयुक्त

रूप से अगस्त, 2010 में मुंबई तट पर दो पोतों के टकराने से तेल रिसाव के कारण कच्छ वनस्पति को हुई हानि का आकलन करने हेतु एक अध्ययन करने का कार्य सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार को कब तक प्रतिवेदन सौंपे जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ङ) महाराष्ट्र सरकार के पर्यावरण विभाग ने राष्ट्रीय पर्यावरण अनियांत्रिकी तथा अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई) को सामाजिक-आर्थिक पहलुओं सहित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन करने और अगस्त, 2010 में दो पोतों के टकराने से तेल रिसाव के कारण जल गुणवत्ता, तलछट गुणवत्ता और कच्छ-वनस्पति पर प्रभाव के अध्ययन करने का कार्य राष्ट्रीय समुद्र-विज्ञान संस्थान (एनआईओ) को सौंपा है। एनईईआरआई और एनआईओ को अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए तीन महीनों की समय सीमा दी गई है।

पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब

417. **श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े :**
श्री के. सुगुमार :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री पी. करूणाकरन :
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री एम.बी. राजेश :
श्री पी. विश्वनाथन :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पासपोर्ट कार्यालयों तथा उनसे संबंधित सर्किल का पासपोर्ट कार्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान प्रत्येक योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों, जारी पासपोर्टों तथा लंबित पासपोर्टों का वर्ष-वार, पासपोर्ट कार्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पासपोर्ट जारी करने में पासपोर्ट कार्यालय-वार औसतन कितना समय लिया गया है;

(घ) क्या पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब होने का पता चला है;

(ङ) यदि हां, तो पासपोर्ट शीघ्र जारी करने में बाधक विभिन्न कारकों का ब्यौरा क्या है; और

(च) इस मुद्दे का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसके परिणामस्वरूप कितनी सफलता मिली है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) से (च) देश के सभी 37 पासपोर्ट कार्यालयों के अधिकार-क्षेत्र (जिला), वर्ष 2007, 2008, 2009 और 2010 (जनवरी से अक्तूबर) के दौरान उनमें प्राप्त किए गए पासपोर्ट आवेदनों की संख्या, नवीन श्रेणी, पुनः जारी श्रेणी और तत्काल श्रेणी के तहत जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या, लम्बित पासपोर्ट आवेदनों की संख्या से संबंधित जानकारी का एक विस्तृत विवरण तैयार किया जा रहा है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

पासपोर्ट अधिनियम, 1967 और समय-समय पर यथा संशोधित पासपोर्ट नियम 1980 के अनुसार पासपोर्ट जारी किए जाते हैं। पासपोर्ट जारी करने से पहले, सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत पासपोर्ट जारीकर्ता प्राधिकारी को आवेदक की नागरिकता, पहचान तथा आपराधिक रिकार्ड के न होने को स्थापित करना होता है। इसके लिए सत्यापन कराया जाता है, जिसका कार्य पुलिस प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए सरकार को यह जानकारी है कि कई मामलों में पासपोर्ट नवीन पासपोर्ट के लिए 30 दिनों और पासपोर्ट पुनःजारी करने के लिए 15 दिनों के लक्ष्य के भीतर जारी नहीं हो पाते, क्योंकि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने में विलम्ब होता है तथा अपूर्ण रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है। विलम्ब के लिए अन्य कारण हैं (i) पासपोर्ट की मांग में बढ़ोतरी के अनुसार कर्मचारियों के संख्याबल में बढ़ोतरी का न हो पाना; (ii) पासपोर्ट के लिए तेजी से बढ़ती मांग; (iii) आवेदकों द्वारा अपूर्ण सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना।

सरकार ने पासपोर्ट सेवा प्रदान करने की व्यवस्था को व्यापक तौर पर परिवर्तित करने के लिए पासपोर्ट सेवा परियोजना शुरू की है, ताकि पासपोर्ट संबंधी सेवाएं समय से, पारदर्शी, और पहुंच योग्य,

भरोसेमंद ढंग से आरामदेह वातावरण में प्रदान की जाएं। पासपोर्ट सेवा परियोजना पहले ही कर्नाटक स्थित चार केन्द्रों और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, चंडीगढ़ के अधीन तीन केन्द्रों में शुरू की जा चुकी है। सरकार परियोजना को पूरी तरह कार्यान्वित करने के लिए कार्य कर रही है।

श्रम गतिशीलता भागीदारी समझौता

418. **श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :**
श्री एस. अलागिरी :

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय देशों सहित विभिन्न देशों के साथ श्रम गतिशीलता भागीदारी समझौता करने के बाद भारत से श्रमिकों को विभिन्न देशों में भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन्हें किन-किन देशों में भेजा गया था;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) धीमे कार्य के कारण क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) जी, नहीं। यूरोपीय देशों के साथ श्रम आवागमन साझेदारी करार करने का उद्देश्य, एक द्विपक्षीय दस्तावेज का होना है, जो, वैध उत्प्रवास को कारगार बनाएगा; प्रवासियों के संघटन को बढ़ाएगा; सभी प्रकार के अनियमित उत्प्रवास का सामना करेगा व उसकी रोकथाम करेगा; अनियमित प्रवासियों की वापसी को सरल बनाएगा; प्रवासियों की सुरक्षा व कल्याण को बढ़ाएगा और कौशल उन्नयन के क्षेत्र में विशेष कौशल की कमियों को दूर करने और द्विपक्षीय प्रवाह को भली प्रकार से नियन्त्रित करने हेतु क्षमता सृजन और अच्छी प्रणालियों को विकसित करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाएगा।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

डेनमार्क के साथ एक श्रम आवागमन साझेदारी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मंत्रालय, अन्य यूरोपीय देशों जैसे नीदरलैंड, फ्रांस आदि के साथ श्रम आवागमन साझेदारियां करने पर बातचीत कर रहा है।

जैव-प्रौद्योगिकी संबंधी विनियामक

419. **श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :**
श्री सर्वे सत्यनारायण :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारतीय जैव-प्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण की स्थापना हेतु कानून बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित प्राधिकरण की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में सभी राज्य सरकारों में परामर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह कानून कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने भारतीय जैवप्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण की स्थापना संबंधी एक विधेयक का मसौदा तैयार किया है। विधेयक के अनुसार, भारतीय जैवप्रौद्योगिकी विनियामक प्राधिकरण (बीआरएआई) एक स्वायत्तशासी तथा सांविधिक अभिकरण होगा जो आधुनिक जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जीवों एवं उत्पादों के अनुसंधान परिवहन, आयात, विनिर्माण और प्रयोग को विनियमित करेगा। इस प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, दो पूर्णकालिक सदस्य और दो अंशकालिक सदस्य होंगे, जिन्हें जीवविज्ञान और कृषि, स्वास्थ्य रक्षा, पर्यावरण और सामान्य जीवविज्ञान में जैवप्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में विशेषज्ञता प्राप्त होगी। इस विधेयक में प्राधिकरण की निष्पादन क्षमता की देख-रेख के लिए एक अंतर-मंत्रालयी शासी बोर्ड की स्थापना; समाज में जैवप्रौद्योगिकी के जीवों और उत्पादों के प्रयोग तथा अंतिम अनुमोदन से पूर्व आवेदनों के मूल्यांकन के लिए विशेष लोक समीक्षा प्रणाली सहित विशेषज्ञों के वैज्ञानिक पैनलों और संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया को परिष्कृत करने के संबंध में प्रतिपुष्टि करने के लिए स्टेक-होल्डरों का राष्ट्रीय

जैवप्रौद्योगिकी सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान है।

(ग) और (घ) एक विधेयक अंतर-विषयक और अंतर-मंत्रालयी विशेषज्ञों, राज्य सरकारों और अन्य स्टेक होल्डरों को शामिल करके एक परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया गया था। राज्य स्तरीय विनियामक गतिविधियों की भूमिका, क्रियाविधियों और कार्यों के संबंध में एक परस्पर सहमत दस्तावेज तैयार करने के लिए राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों की एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। परस्पर सहमत दस्तावेज को सभी राज्यों को परामर्श के लिए परिचालित किया गया था। सूचना के आधार पर प्रत्येक राज्य में मॉनीटरिंग और अनुपालन के लिए राज्य जैवप्रौद्योगिकी सलाहकारी समिति की स्थापना के संबंध में बीआरएआई विधेयक (2010) में प्रावधान किया गया है।

(ङ) इस समय कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास

420. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास हेतु कोई उपयुक्त कार्य योजना बनाई है अथवा बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) देश में सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास के मुद्दे का विशिष्ट रूप से समाधान करने के लिए केन्द्र सरकार ने वर्ष 2006-07 में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) का आरंभ किया है। बीआरजीएफ के दो घटक हैं अर्थात् (i) बिहार और उड़ीसा के अविभक्त कालाहांडी-बलांगीर-कोरापुट (केबीके) जिलों हेतु विशेष योजनाएं और (ii) 27 राज्यों में पिछड़े क्षेत्र के रूप में पहचान किए गए 250 जिलों को कवर करने वाला जिला घटक। बिहार के लिए विशेष योजना का उद्देश्य विद्युत, सड़क सम्पर्कता, सिंचाई, वानिकी और जलसंभर विकास जैसे क्षेत्रकों में सुधार लाना है। उड़ीसा के केबीके जिलों के लिए विशेष योजना सूखा प्रूफिंग, गरीबी उपशमन, स्वास्थ्य व पोषण, सम्पर्कता आदि के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रकों पर ध्यान केन्द्रित करती है। जिला घटक का उद्देश्य निम्नलिखित के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों में विकास के अभिसरण व उत्प्रेरण में सहायता करना है:– (i) अवसंरचना में महत्वपूर्ण अंतरालों का समाधान, (ii) अच्छे अभिशासन को बढ़ावा देना; और (iii) इन जिलों में पूरक अवसंरचना व क्षमता निर्माण के माध्यम से अभिसरण, विद्यमान विकास का पर्याप्त अंत:प्रवाह।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कावेरी नदी से जल का छोड़ा जाना

421. श्री के. सुगुमार : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने कावेरी नदी से जल के बंटवारे संबंधी पंचाट के निर्णय के अनुसार तमिलनाडु के लिए जल छोड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु के लिए जल छोड़ने के लिए कहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कर्नाटक सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) से (ङ) कावेरी जल विवाद अधिकरण के अंतरिम आदेश दिनांक 25 जून, 1991 के अनुसार 1.6.2010 से 31.10.2010 तक तमिलनाडु के मैत्तुर जलाशय में लोक उद्यम विभाग (पीडब्ल्यू) द्वारा 167.170 टीएमसी के संचयी अन्तर्वाह के विपरीत 86.13 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसी) मापा गया है।

कावेरी नदी प्राधिकरण की मानीटरिंग समिति (एमसी) की

24 अगस्त, 2010 को सम्पन्न हुई 25वीं बैठक के दौरान, सचिव (जल संसाधन) तथा अध्यक्ष, एमसी ने मैत्तुर जलाशय के कमी को पूरा करने के लिए कदम उठाने तथा इस आश्वासन के लिए कि तमिलनाडु अपनी धान की फसल आरम्भ करने के लिए तमिलनाडु के मैत्तुर जलाशय के अंतर्वाह की निरन्तर आपूर्ति के लिए भी ऐसे कदम उठाने की अपील की। मुख्य सचिव, कर्नाटक ने बताया कि तमिलनाडु की तरह कर्नाटक राज्य को पूर्वोत्तर मानसून का लाभ नहीं मिलता है। जारी किए जाने वाले जल की मात्रा तथा इस की अनुसूची के संबंध में, उन्होंने बताया कि उन्हें उनकी सरकार से आदेश की आवश्यकता है।

जल संसाधन मंत्रालय ने पत्र दिनांक 6.10.2010 द्वारा कर्नाटक के मुख्य मंत्री को कर्नाटक जलाशय से मैत्तुर को प्राप्त अंतर्वाह में कम से कम कमी के भाग को पूरा करने के लिए पर्याप्त जल जारी करना सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया।

कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने पत्र दिनांक 20.10.2010 द्वारा निम्न प्रकार से बताया "यह जल वर्ष निःसंदेह कावेरी बेसिन के ऊपरी क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के न आने के कारण विपत्ति का वर्ष है। 17 अक्तूबर, 2010 को कर्नाटक जलाशय में अंतर्वाह 30% तक कम हो गया। इस विपत्ति भरी परिस्थिति में, 17 अक्तूबर, 2010 तक बिलीगणडलू को लगभग 80 टीएमसी सुनिश्चित किया। दोनों राज्यों में उपलब्ध भंडारण के साथ मध्यवर्ती आवाह प्रवाह (बिलिगणडलू पर कर्नाटक जलाशय तथा अंतर्राज्यीय सीमा के मध्य) के साथ, अंतर्राज्यीय सीमा बिलिगणडलू पर प्रवाह में शीघ्र सुधार की आशा है। कर्नाटक सरकार आशा करती है तथा विश्वास रखती है कि दोनों राज्यों के किसानों की आवश्यकताएं इस जल वर्ष में उनकी खड़ी फसलों का संरक्षण, पेयजल आवश्यकता इत्यादि समान रूप से समायोजित की जाएंगी। कर्नाटक सरकार इस कठिन परिस्थिति में दिशा-निर्देश हेतु सीआरए से अपेक्षा करती है।"

[हिन्दी]

शिक्षा का व्यवसायीकरण

422. श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री मिथिलेश कुमार :
श्री एम.के. राघवन :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शिक्षा का लगातार व्यवसायीकरण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सर्वोच्च न्यायालय और अनेक संगठनों ने शिक्षा के कतिपय क्षेत्रों के व्यवसायीकरण पर गंभीर चिन्ता व्यक्त की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति और इसके साथ-साथ कई न्यायिक उद्घोषणाओं में इस बात पर बल दिया गया है कि शिक्षा "एक अलाभकर व्यवसाय" है तथा शिक्षा के वाणिज्यिकरण का परिहार करना होगा। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुसार आयोग को यह सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने का अधिकार है कि कोई भी छात्र आर्थिक शक्ति से किसी पाठ्यक्रम में दाखिला प्राप्त न करे जिसके कारण अपेक्षाकृत अधिक योग्य छात्र को उस अध्ययन पाठ्यक्रम में दाखिला न मिल सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में प्रावधान है कि कोई भी कॉलेज किसी भी विद्यार्थी से, अथवा उसके रिश्तेदार से किसी भी पाठ्यक्रम में उसके दाखिले, और दाखिले की पैरवी के रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शुल्क के अतिरिक्त कोई राशि; या किसी भी प्रकार का उपहार (नकद या वस्तु रूप में) नहीं लेगा।

टीएमए पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम कर्नाटक सरकार के मामले में दिनांक 31 अक्तूबर, 2002 के अपने निर्णय में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि गैर-सहायता प्राप्त गैर-अल्पसंख्यक निजी शिक्षा संस्थाओं द्वारा यथोचित फीस संरचना बनाने पर मुनाफाखोरी के तत्व अभी भारतीय माहौल में स्वीकार्य नहीं हैं। फीस संरचना में शिक्षा संस्थाओं की बेहतरी और उन्नति के लिए उपयोग की

जाने वाली निधियों की आवश्यकता पर, उस संस्था में शिक्षा की बेहतरी पर और छात्रों के लाभार्थ आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने पर विचार किया जाना चाहिए। कठोर शुल्क संरचना निर्धारित करना अस्वीकार्य होगा।

इस्लामिक अकादमी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निदेश दिया कि टीएमए पाई के मामले के निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए, "संबद्ध राज्य सरकारें/प्राधिकरण प्रत्येक राज्य में सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिसे उस राज्य के न्यायमूर्ति द्वारा नामित किया जाएगा, कि अध्यक्षता में एक समिति गठित करेंगी....। समिति को संस्थान द्वारा प्रभारित शुल्क संरचना के अनुमोदन का अथवा किसी अन्य शुल्क का प्रस्ताव करने का अधिकार होगा..."

पी.ए. इनामदार और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कैपिटेशन फीस चार्ज करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और कैपिटेशन फीस के भुगतान द्वारा किसी सीट की अनुमति का औचित्य नहीं होना चाहिए।

सरकार ने शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए कई पहलें की हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 13 कोई भी कैपिटेशन शुल्क लेने पर प्रतिबंध लगाती है। उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में एक विधायी प्रस्ताव नामतः "तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं, मेडिकल शैक्षणिक संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अनुचित व्यवहार पर प्रतिबंध विधेयक, 2010" पहले ही संसद में लाया गया है।

[अनुवाद]

सार्वभौमिक स्वास्थ्य संबंधी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ दल

423. श्री गजानन ध. बाबर : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु रूपरेखा तैयार करने तथा निवेश योजना बनाने के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य संबंधी उच्च स्तरीय विशेषज्ञ दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त दल के विचारार्थ विषय क्या है तथा इसके सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) यह विशेषज्ञ दल केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगा?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, हां।

(ख) विशेषज्ञ दल के ब्यौरे सहित इसके सदस्यों की सूची एवं विचारार्थ विषय विवरण में दिए गए हैं।

(ग) विशषज्ञ दल अपनी प्रथम मसौदा रिपोर्ट चार महीने के अंदर तथा अंतिम रिपोर्ट इसके गठन की तिथि 5.10.2010 से आठ महीने के अंदर प्रस्तुत कर देगा।

विवरण

बारहवीं योजना में स्वास्थ्य के लिए एक व्यापक कार्यनीति पारिभाषित करने के महत्व को महसूस करते हुए प्रधानमंत्री के अनुमोदन से, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज संबंधी एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ दल गठित करने का निर्णय लिया गया है। विशेषज्ञ दल का सचिवालय भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान में स्थित है तथा योजना आयोग द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक सहायता प्रदान की जा रही है।

विशेषज्ञ दल का गठनः

अध्यक्षः डॉ. के. श्रीनाथ रेड्डी, अध्यक्ष, भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान

सदस्यः

1	डॉ. अभय बैंग	समुदाय स्वास्थ्य में शिक्षा, कार्य एवं अनुसंधान सोसायटी (एसईएआरसीएच), गढ़चिरौली

2.	डॉ. ए.के. शिव कुमार	सलाहकार, यूनीसेफ एवं सदस्य राष्ट्रीय परामर्शदात्री परिषद
3.	श्री अमरजीत सिन्हा	पूर्व संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
4.	सुश्री अनु गर्ग	प्रमुख सचिव-सह-आयुक्त (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), उड़ीसा सरकार
5.	डॉ. गीता सेन	प्रोफेसर, सेंटर फार पब्लिक पॉलिसी, आईआईएम, बंगलोर
6.	डॉ. जी.एन. राव	डिस्टिंग्विस्ड चेयर आफ आई हेल्थ, एल.वी. प्रसाद आई इंस्टीच्यूट, हैदराबाद
7.	सुश्री जशोधरा दासगुप्त	समन्वयक, सहयोग, लखनऊ
8.	डॉ. लीला कैलब वार्केय	सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुसंधानकर्ता
9.	प्रो. एम. गोविन्द राव	निदेशक, राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान
10.	डॉ. मिराई चटर्जी	निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, स्वरोजगार प्राप्त महिला संगठन (सेवा)
11.	श्री नचिकेत मोर	अध्यक्ष, सुघावाइवू स्वास्थ्य देखभाल (पूर्व अध्यक्ष, आईसीआईसीआई फाउंडेशन)
12.	डॉ. विनोद पाल	विभागाध्यक्ष, पेडियाट्रिक्स, एम्स
13.	डॉ. योगेश जैन	जन स्वास्थ्य सहयोग, बिलासपुर
14.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रतिनिधि	मिशन निदेश (एनआरएचएम)
15.	प्रो. एन.के. सेठी	वरिष्ठ सलाहकार (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), योजना आयोग-संयोजक

विचारार्थ विषय

(क) वर्ष 2020 तक सभी के लिए स्वास्थ्य हासिल करने हेतु मानव संसाधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक ब्लू प्रिण्ट एवं निवेश योजना तैयार करना।

(ख) गुणवत्ता, सार्वभौमिक पहुंच एवं स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, विशेषकर सेवा से वंचित क्षेत्रों तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक भौतिक एवं वित्तीय मानक पुन: तैयार करना तथा इस परिप्रेक्ष्य में निजी एवं सार्वजनिक सेवा प्रदाताओं की संबंधित भूमिका दर्शाना।

(ग) स्वास्थ्य डिलीवरी प्रणाली की निपुणता, प्रभावोत्पादकता और जबावदेही में सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन सुधारों का सुझाव देना।

(घ) स्वास्थ्य देखभाल डिलीवरी में समुदायों, स्थानीय चयनित निकायों, एनजीओ(ज़), निजी लाभ हेतु अथवा लाभ हेतु नहीं वाले क्षेत्रकों की रचनात्मक भागीदारी के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना।

(ङ) उत्पादन, आयात, मूल्य निर्धारण, वितरण और आवश्यक औषधियों, वैक्सीन्स तथा अन्य आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सामग्रियों के विनियम से संबंधित नीतियों में सुधार का प्रस्ताव रखना जिससे कि उनकी उपलब्धता में वृद्धि हो सके तथा उपभोक्ताओं को कम लागत देनी पड़े।

(च) स्वास्थ्य बीमा प्रणाली की ऐसी भूमिका तैयार करना जिसमें गरीबों के लिए उच्च सब्सिडी सहित स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच हो सके तथा भुगतान आधार पर सुरक्षा का अतिरिक्त स्तर तैयार करने की संभावना हो।

भारत-अमरीकी समझौते

424. **श्रीमती सुप्रिया सुले:**
डॉ. संजीव गणेश नाईक :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और संयुक्त राज्य अमरीका ने अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने वार्ता के दौरान भारत को बड़ा महत्व दिया है और कम महत्व वाले मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने का निर्णय किया है;

(घ) यदि हां, तो सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर किस हद तक विचार-विमर्श हुआ है;

(ङ) क्या आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के तरीकों पर चर्चा हुई है और संयुक्त राज्य अमरीका ने इस संबंध में भारत को सहयोग करने पर सहमति दी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या भारत ने पाकिस्तान की भारत विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करने और रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका से आग्रह किया है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संयुक्त राज्य अमरीका ने इन मुद्दों पर किस हद तक सहयोग करने के लिए सहमति दी है?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) और (ख) भारत और अमरीका ने 2010 में भारत-अमरीका आतंक निरोध पहल, कृषि और खाद्य सुरक्षा में सहयोग पर भारत-अमरीका समझौता ज्ञापन और व्यापार तथा निवेश में सहयोग के ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) और (घ) नवम्बर, 2009 में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की अमरीका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री और अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत-अमरीका वैश्विक सामरिक भागीदारी की पुनः पुष्टि की। इसके अतिरिक्त, विदेश मंत्री श्री एस.एम. कृष्णा और अमरीकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने जून, 2010 में प्रथम मंत्रिस्तरीय भारत-अमरीका सामरिक वार्ता शुरू की। उस ढांचे के अंतर्गत दोनों देश द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों; जिनमें (i) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और नवाचार; (ii) रणनीतिक सहयोग; (iii) ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन; (iv) शिक्षा और विकास; तथा (v) आर्थिक, व्यापार और कृषि भी शामिल हैं, पर रणनीतिक वार्ता करते हैं।

(ङ) से (ज) भारत सदैव से पाकिस्तान से चलाए जाने वाले आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ अपनी चिंताएं साझा करता रहा है। भारत और अमरीका ने आतंकवाद निरोध के क्षेत्र में उत्पादक सहयोग स्थापित किया है, जिसमें 2000 में स्थापित आतंकवाद निरोध संबंधी भारत-अमरीका संयुक्त कार्य दल का तंत्र और जुलाई, 2010 में हस्ताक्षर किए गए आतंकवाद-निरोध पहल के माध्यम से किए जा रहे सहयोग भी शामिल हैं।

अमरीका ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उन्होंने बार-बार पाकिस्तान को आतंकी गुटों को समाप्त करने के लिए कहा है, जिनमें भारत से संबंध रखने वाले आतंकी गुट भी शामिल हैं। इसका अमरीका के 2009 के पाकिस्तान के साथ विस्तारित भागीदारी

अधिनियम में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, अमरीका ने कहा है कि उन्होंने बार-बार पाकिस्तान को मुम्बई आतंकी हमले के दोषियों को कानून के अनुसार सजा देने के लिए कहा है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में अस्थायी सीट

425. **श्री चंद्रकांत खैरे :**
डॉ. मन्दा जगन्नाथ :
श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री मानिक टैगोर :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में अस्थायी सीट हासिल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सुरक्षा परिषद् में स्थायी सीट सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) और (ख) 12 अक्तूबर, 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में संपन्न हुए चुनाव में भारत को 1 जनवरी, 2011 से दो वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के अस्थायी पद पर सफलतापूर्वक चुना गया। भारत को 190 वैध मतों में से 187 मत प्राप्त हुए।

(ग) भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का विस्तार किए जाने और उसका एक स्थायी सदस्य बनने के लिए सक्रियतापूर्वक प्रयास कर रहा है। इस उद्देश्य के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्य राष्ट्रों के साथ द्विपक्षीय रूप से तथा जी-4 (भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान) के भीतर संपर्क बनाए रखा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्सरकारी वार्ताओं में भारत ने सदृश विचारों वाले देशों के साथ मिलकर स्थायी एवं अस्थायी दोनों श्रेणियों में सुरक्षा परिषद् के विस्तार की आवाज उठाई है।

गुजरात की वन विकास क्षेत्र परियोजना

426. **श्री रामसिंह राठवा :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को गुजरात सरकार से वन विकास अभिकरण (एफडीए) परियोजनाओं संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं और उनके लिए जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी परियोजनाएं अभी तक लंबित हैं और तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(घ) लंबित परियोजनाएं कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) जी, हां। गुजरात के राज्य वन विकास अभिकरण (एसएफडीए) ने संशोधित प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष 2010-11 के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) के अंतर्गत अवक्रमित वनों के पुनरुद्धार के लिए वन विकास अभिकरणों (एफडीए) एक समेकित प्रस्ताव हेतु प्रस्तुत किया है।

(ख) वर्ष 2009-10 तक राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) के अंतर्गत गुजरात राज्य के 25 एफडीए परियोजना प्रस्तावों को अनुमोदित किए गए थे। इस मंत्रालय ने वर्ष 2008-09 और 2009-10 के दौरान क्रमशः 25.75 करोड़ रुपए और 24.44 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। चालू वर्ष के दौरान, राज्य वन विकास अभिकरण का समेकित प्रस्ताव 26.82 करोड़ रुपए के लिए मंजूर किया गया है और 13.41 करोड़ रुपए की प्रथम किश्त जारी कर दी गई है।

(ग) इस मंत्रालय में गुजरात राज्य की कोई भी एफडीए परियोजना लंबित नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भार्गव समिति की सिफारिशें

427. **श्री रुद्रमाधव राय :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर.सी. भार्गव की अध्यक्षता वाली समिति

की सिफारिशों के आधार पर वर्तमान भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) के बोर्डों को भंग करने की सरकार की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में समिति के अन्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) भारतीय प्रबंधन संस्थानों के बोर्डों को ज्यादा प्रभावी और जिम्मेवार बनाने के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, नहीं। मौजूदा भारतीय प्रबंधन संस्थान बोर्डों को भंग करने की कोई योजना नहीं है। तथापि श्री आर.सी. भार्गव की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसकी मंत्रालय में जांच की जा रही है।

(ख) भार्गव समिति ने भारतीय प्रबंधन संस्थानों की सोसायटी तथा शासी बोर्ड का पुनर्गठन, अध्यक्ष तथा निदेशक का चयन तथा नियुक्ति के लिए बोर्ड को और शक्तियां, निदेशक को अध्यक्ष तथा डीन के रूप में पुनर्पदनामित करने, संकाय सदस्यों के दायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने, पेंशन भुगतान हेतु प्रावधान आदि जैसी सिफारिशें की हैं।

(ग) सरकार ने नए भारतीय प्रबंधन संस्थानों के मामले में लघु बोर्डों को पहले ही गठित कर दिया है। पुराने भारतीय प्रबंधन संस्थानों को उनके संगम ज्ञापन तथा नियमों में संशोधन करने तथा उन्हें अनुमोदन हेतु मंत्रालय को भेजने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

लोक संस्कृति की सुरक्षा हेतु योजना

428. कुमारी सरोज पाण्डेय :
श्री नारनभाई कछाड़िया :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की झारखंड और गुजरात सहित देश के विभिन्न राज्यों की लोक कला और कलाकारों के संरक्षण, विकास और संवर्धन हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी कलाओं और कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा इस शीर्ष के तहत जारी निधियों का ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने के लिए उन्हें योग्य बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, हां। भारत सरकार, झारखंड व गुजरात राज्यों सहित पूरे देश में लोक कलाओं व कलाकारों सहित के सभी रूपों व कलाकारों के संरक्षण, विकास व संवर्धन हेतु स्कीम कार्यान्वित करती है।

इसके अलावा, सरकार ने देश की पारम्परिक/लोक कलाओं के परिक्षण, संवर्धन व प्रसार के प्राथमिक उद्देश्य से सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किए हैं।

(ख) और (ग) 2010-11 के दौरान स्कीम और उन्हें आवंटित राशि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र. सं.	स्कीम का नाम	स्कीम का ब्यौरा	2010 के दौरान आवंटित राशि (करोड़ रु.)
1	2	3	4
1.	विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को शिक्षावृत्ति की स्कीम।	इन स्कीमों के तहत सहायता कला के सभी रूपों तथा कलाकारों के संरक्षण, विकास व संवर्धन हेतु तथा कलाकारों द्वारा राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय	7.00

1	2	3	4
2.	संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को अध्येतावृत्तियां देने की स्कीम।	स्तर पर कला प्रस्तुति में सहायता करने के उद्देश्य से कलाओं व कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए दी जाती है।	10.00
3.	लाभ न कमाने वाले संगठनों द्वारा सांस्कृतिक विषयों पर सेमिनारों, उत्सवों तथा प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता की स्कीम।		
4.	विशिष्ट मंच कला परियोजनाओं के लिए व्यावसायिक समूहों तथा व्यक्तियों को वित्तीय सहायता।	वित्तीय सहायता, नाट्य समूहों, रंगमंच समूहों, संगीत मंडलियों, बाल रंगमंच, एकल कलाकरों को तथा ऐसे कार्यकलापों सहित मंच कला कार्यकलापों की सभी विधाओं के लिए दी जाती है जो जनजातीय कला, संस्कृति व लोकनृत्य का संवर्धन करते हैं। इस सकीम के दो घटक हैं, नामत: वेतन अनुदान और निर्माण अनुदान	26.55
5.	क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र	विभिन्न कार्यकलाप संचालित करना और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय व स्थानीय स्तरों पर कार्यक्रम आयोजित करना। कई बार जेडसीसी विदेशों के कला प्रदर्शन व उत्सवों के लिए लोक कलाकारों को भी भेजती है। इसके अलावा, संगीत नाट्य अकादमी, नई दिल्ली लोक कलाओं सहित भारत की पारम्परिक मंच कलाओं के परिरक्षण व संवर्धन के लिए भी कार्य करती है और समय-समय पर देश के विभिन्न भागों में संगीत, नृत्य, रंगमंच, कठपुतली कला आदि के उत्सव आयोजित करती है।	18.27

[अनुवाद]

शवों का परिवहन

429. **श्री के.सी. वेणुगोपाल :**
श्री के. सुगुमार :

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं के कारण विदेशों में विशेषकर खाड़ी में मरने वाले कर्मचारियों के शव बड़ी संख्या में वापस लाए जाने के इंतजार में पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) ऐसे दिवंगत कर्मकारों के परिवारों की सहायता करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) जी, नहीं। सूडान, सीरिया, कतर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात के दूतावासों ने ऐसे किसी विलम्ब के न होने की सूचना दी है। तथापि सऊदी अरब में भारत के दूतावास ने सूचित किया है कि 03.11.2010 की स्थिति के अनुसार शवों के मामलों, जिन्हें भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, के बारे में सूचित किया है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सऊदी श्रमिक कानूनों के अंतर्गत प्रक्रिया की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने का उत्तरदायित्व प्रयोजक/नियोक्ता का है जिनमें श्रम मंत्रालय (देयताओं के निपटान के लिए), पुलिस

प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट कार्यालय (निकासी अनुमति), गवर्नर आदि के कार्यालय से स्वीकृति लेना शामिल है और साथ ही उसे अस्पतालों की औपचारिकताओं को पूरा करना होता है जैसे शव का संलेपन, मृत्यु प्रमाण-पत्र, हवाई टिकटों का प्रबंध, निकट संबंधियों से अनुमति (स्थानीय तौर पर दफनाया जाना है अथवा शव को भारत भेजना है), दूतावास अथवा कोन्सूलेट में मृत्यु का पंजीकरण करना और स्थानीय तौर पर दफनाने अथवा शव को भारत भेजने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना शामिल है।

प्राकृतिक मृत्यु के मामले में और यदि कामगार की स्थिति कानूनी है तो इन सब प्रक्रियाओं को पूरा करने में 3-4 सप्ताह लग जाते हैं। अप्राकृतिक मृत्यु के मामले में ऊपर बताई गई औपचारिकताएं पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही पूरी की जाती हैं जिसमें मृत्यु के स्वरूप आदि के आधार पर काफी समय लगता है। यदि कामगार अवैध है अथवा प्रायोजक/नियोक्ता ने उसे भगौड़ा करार दिया है तो सभी औपचारिकताएं दूतावास द्वारा पूरी की जाती हैं जिसमें समय लगता है।

मिशन/पोस्ट शव को सभी कारगर तरीकों से यथाशीघ्र भेजने में सभी सम्भव सहायता प्रदान करते हैं। मामले को स्थानीय विदेशी कार्यालय अथवा सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है और उसके साथ बराबर सम्पर्क बनाए रखा जाता है कि यदि प्रायोजक/कम्पनी सहयोग नहीं करती है तो वे उस पर दबाव डालें। मिशन मृत्यु के मामलों का पंजीकरण करने और अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने पर शीघ्र कार्रवाई करते हैं और मृत्यु के मामले में कार्यालय सप्ताह में सातों दिन खुले रहते हैं।

अवैध/भागे हुए कामगार के मामले में मिशन/पोस्ट न केवल सभी औपचारिकताएं पूरा करता है बल्कि पार्थिव शरीर को भेजने, शव के संलेपन, परिवहन/कार्गो प्रभार और अन्य लागतों को भी वहन करता है।

सरकार ने आपात मामलों में भारतीय नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए 42 भारतीय मिशनों (खाड़ी देशों सहित) में भारतीय समुदाय कल्याण कोष की स्थापना की है। भारतीय मिशनों द्वारा भारतीय कामगारों, जो अपने परिवार/घर से दूर मर जाते हैं, के शवों के परिवहन के मामलों में सहायता करने के लिए इस कोष को इस्तेमाल किया जाता है।

भारत सरकार ने सात देशों अर्थात् मलेशिया, जोर्डन, बहरीन, कतर, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, और कुवैत के साथ श्रमिक कल्याण सम्बन्धी द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। श्रमिकों के कल्याण के उपायों, जिनमें विदेशों में मरने वाले भारतीय कामगारों के शवों का परिवहन शामिल है, की इन समझौता ज्ञापनों के अंतर्गत दोनों देशों के संयुक्त कार्यकारी दलों की वार्षिक बैठकों में समीक्षा की जाती है और प्रक्रिया की क्षमता में सुधार करने के प्रबंध किए जाते हैं ताकि मृतक कामगारों के परिवारों को राहत प्रदान की जा सके।

विवरण

ई/आई रियाद के सम्बन्ध में 03.11.2010 की स्थिति के अनुसार परिवहन के प्रक्रियाधीन शवों की सूची

क्र. सं.	राज्य	मृतक का नाम	मृत्यु की तारीख	मृत्यु का स्थान	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	उत्तर प्रदेश	जुबेर अहमद	04.05.2010	रियाद	मामले की जांच की जा रही है।
2.	आंध्र प्रदेश	मो. अब्दुल रहीम	10.03.2010	खोबार	दूतावास ने परिवार को मो. अब्दुल रहीम की मृत्यु के बारे में सूचित कर दिया है और उनसे कहा है कि वे पार्थिव शरीर को भारत लाने अथवा दक्षिण अफ्रीका में दफनाने के बारे में सूचित करें। कई तार देने के बाद भी परिवार ने कोई जवाब नहीं दिया है।

1	2	3	4	5	6
3.	आंध्र प्रदेश	शेख अथौल्ला	11.05.2010	अल-हसा	मामले की जांच की जा रही थी। परिवार को रिपोर्ट भेज दी गई थी। ताकि वह उसका अध्ययन करे और पार्थिव शरीर को भारत लाने की इच्छा व्यक्त करे। हमें उनका उत्तर 2.10.10 को मिला है। प्रायोजक जो कुवैती नागरिक है ने आश्वासन दिया है कि वह औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अगले सप्ताह सऊदी अरब आएगा। परिवार को इसकी सूचना दे दी गई है।
4.	बिहार	अहसास अहमद	13.06.2010	अल-खोबार	मामले की जांच की जा रही थी। न्यायिक रिपोर्ट परिवार को भेज दी गई थी और उनसे कहा गया था कि वे पार्थिव शरीर को भारत लाने की इच्छा व्यक्त करें। परिवार से कोई उत्तर नहीं मिला है।
5.	आंध्र प्रदेश	पतन फक्रूद्दीन	04.07.2010	रियाद	एनओसी परिवार के अटार्नी को 30.08.2010 को दे दिया गया है। उसने लम्बे समय तक पार्थिव शरीर को न भेजे जाने की समस्या से अवगत नहीं कराया है। अन्तत: उसने सूचित किया है कि मृतक प्रायोजक के यहां से भाग गया था और मृतक शरीर को भेजने की लागत को कोई देने के लिए तैयार नहीं था। अब दूतावास खर्च वहन कर रहा है और अटार्नी द्वारा औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। पार्थिव शरीर को शीघ्र भेज दिया जाएगा।
6.	आंध्र प्रदेश	श्रीनिवास मश्ति	30.06.2010	दम्मम	मृतक एक भगौड़ा है जिसका कोई प्रायोजक अथवा पासपोर्ट नहीं है। दूतावास ने एक स्थानीय भारतीय को औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कहा है। 26.10.2010 को एनओसी जारी किया गया है। लगभग सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं और अगले सप्ताह तक पार्थिव शरीर को भारत भेज दिया जाएगा। पूरी लागत को दूतावास द्वारा वहन किया जा रहा है।
7.	तमिलनाडु	मनीवन्नम राजागोबाल	24.05.2010	रियाद	एनओसी 01.08.2010 को जारी किया गया। प्रायोजक ने पार्थिव शरीर को भारत भेजने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और उसे परिवार की सूचना की प्रतीक्षा है कि भारत में कौन से हवाई अड्डे पर पार्थिव शरीर लेना चाहेगा। परिवार को निकटतम हवाई अड्डे से पार्थिव शरीर को लेने की इच्छा व्यक्त करनी है। दूतावास परिवार कई तार भेज चुका है। परिवार के उत्तर की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5	6
8.	केरल	राजन चेल्लप्पन अंसारी	09.09.2010	रियाद	मामले की जांच की जा रही है।
9.	राजस्थान	नफीस खान	26.08.2010	रियाद	-वही-
10.	उत्तर प्रदेश	श्याम राठी राम	11.08.2010	मजमाह	एनओसी 27.09.2010 को भेज दिया गया है। सभी औपचारिकताएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। पार्थिव शरीर को 3-4 दिन में भेज दिया जाएगा।
11.	केरल	कु. जिन्टू जेम्स	04.08.2010	रियाद	मामले की जांच की जा रही है क्योंकि ऐसी सूचना है कि उसने आत्महत्या की है।
12.	उत्तर प्रदेश	मो. दानिश	25.08.2010	रियाद	मामले की जांच की जा रही है क्योंकि ऐसी सूचना है कि उसने आत्महत्या की है।
13.	उत्तर प्रदेश	यशवन्त यादव	15.09.2010	रियाद	प्रायोजक सहयोग नहीं कर रहा था। हमने मामले को सऊदी प्राधिकारियों के साथ उठाया। प्रायोजक को 25.08.2010 को एनओसी दे दिया गया। वह औपचारिकताएं पूरी कर रहा है और उसने आश्वासन दिया है कि पार्थिव शरीर को इस सप्ताह के अंत तक भेज दिया जाएगा।
14.	आंध्र प्रदेश	कु. मरियामा शेख	14.09.2010	रियाद	प्रायोजक ने दूतावास को मृत्यु की सूचना दी। परिवार पार्थिव शरीर को भारत में लेने अथवा स्थानीय तौर पर दफनाने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं था। परिवार ने शव को भारत में लेने की सहमति देने में काफी समय लगा दिया। अब प्रायोजक सहयोग नहीं कर रहा है। हमने मामले को सऊदी प्राधिकारियों के साथ उठाया है।
15.	केरल	कुत्तप्पन सुरेश कुमार	10.09.2010	रियाद	मामले की जांच की जा रही है क्योंकि पुलिस को मृत्यु के कारण पर संदेह है।
16.	उत्तर प्रदेश	धानेश प्रसाद	11.09.2010	रियाद	एनओसी 27.09.2010 को जारी कर दिया गया था। परिवार के अटार्नी ने सूचित किया है कि अब प्रायोजक सहयोग नहीं कर रहा है। हम मामले को सऊदी प्राधिकारियों के साथ उठा रहे हैं।

1	2	3	4	5	6
17.	उत्तर प्रदेश	प्रयाग	06.09.2010	करयत	प्रायोजक ने सूचित किया है कि स्व. प्रयाग ने आत्महत्या की है। हमने परिवार को सूचना देने के लिए तार भेज दिया है जिसमें शव को भारत में लेने पर सहमति मांगी है। बार-बार सूचित करने पर भी कोई उत्तर नहीं मिला है।
18.	आंध्र प्रदेश	पण्डारी अप्पत्री	23.09.2010	सफावा, अल-हसा	01.10.2010 को एनओसी जारी कर दिया गया है। प्रायोजक औपचारिकताओं को पूरा कर रहा है। दूतावास प्रायोजक के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए है।
19.	बिहार	मन्सूर आलम अन्सारी	08.09.2010	दम्मम	पोस्टमार्टम के बिना शव को भेजने के लिए एनओसी 06.10.2010 को जारी कर दिया गया है। पुलिस अभी भी जांच कर रही है। अधिकारी जांच के दौरान शव को भेजने के लिए नहीं देते हैं।
20.	जम्मू और कश्मीर	मो. जीमल	08.09.2010	अल-हसा	परिवार की इच्छा के अनुसार मामले की जांच की जा रही है।
21.	तमिलनाडु	मनोनमणी मुथईयन	31.08.2010	कातिफ	11.10.2010 को एनओसी जारी कर दिया गया है। अब अटार्नी ने सूचित किया है कि प्रायोजक सहयोग नहीं कर रहा है। हम मामले को सऊदी प्राधिकारियों के साथ उठा रहे हैं।
22.	केरल	समीम कुन्हीबी		अल-हसा	मृतक का प्राबोजक कतारी था जो उसे सऊदी अरब लाया था जहां उसकी मृत्यु हो गई। परिवार की इच्छा के अनुसार मामले की जांच की जा रही है।
23.	आन्ध्र प्रदेश	डण्डम नारायण	07.07.2010	अल-खर्ज	मृतक प्रायोजक के यहां से भाग गया था और उसके पास कोई पासपोर्ट नहीं था। दूतावास में 06.10.2010 को मृत्यु की सूचना दी गई थी। परिवार का अटार्नी शव को भेजने की औपचारिकताओं को पूरा कर रहा है और उसने आश्वासन दिया है कि पार्थिव शरीर को अगले सप्ताह तक भेज दिया जाएगा।
24.	पश्चिम बंगाल	नराजुल होक		अल-हसा	पुलिस अधिकारियों ने मृत्यु की सूचना दी। यह भाग जाने का मामला है। पुलिस जांच कर रही है। पीपीटी विवरण के आधार पर परिवार से संपर्क किया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6
25.	केरल	बिनुराज मोहनन	28.09.2010	अल-खोबार	मामले की जांच की जा रही है क्योंकि ऐसी सूचना मिली है कि मृतक ने आत्महत्या की है।
26.	केरल	थोमस कूदाथेगिल मेथ्यु	17.8.2010	जुबेल	मामले की जांच की जा रही है क्योंकि पुलिस को लगता है कि मृत्यु के कारण में कोई धोखेबाजी की गई है।
27.	उत्तर प्रदेश	मेहराज	03.10.2010	रियाद	09.10.2010 को एनओसी जारी कर दिया गया है। प्रायोजक औपचारिकताओं को पूरा कर रहा है।
28.	तमिलनाडु	जेबिन	01.10.2010	कैफ	दूतावास में मृत्यु की सूचना 11.10.2010 को दी गई थी। 25.10.2010 को एनओसी जारी कर दिया गया था। प्रायोजक शव को भेजने की औपचारिकताएं पूरी कर रहा है।
29.	केरल	हसन कुंजू मोहम्मद कुंजू	01.10.2010	अल-खोबार	दूतावास में मृत्यु की सूचाना 11.10.2010 को दी गई थी। 17.10.2010 को एनओसी जारी कर दिया गया था। प्रायोजक ने सूचित किया है कि पुलिस कुछ जांच कर रही है इसलिए देरी हो रही है।
30.	तमिलनाडु	करूप्पिया सक्कीलर	11.10.2010	अल-हसा	27.10.2010 को एनओसी जारी किया गया था। शव भेजने की सभी औपचारिकताएं पूरी करने में आमतौर पर 3-4 सप्ताह लग जाते हैं। प्रायोजक ने अगले सप्ताह तक शव भेज देने का आश्वासन दिया है।
31.	तमिलनाडु	कुमारेवल इरूसन	11.08.2010	अल-हसा	दूतावास में मृत्यु की सूचना 01.10.2010 को दी गई थी और उसी दिन एनओसी जारी कर दिया गया था। प्रायोजक औपचारिकताएं पूरी कर रहा है।
32.	पश्चिम बंगाल	निरंजन राज बन्सी	02.08.2010	रियाद	दूतावास में मृत्यु की सूचना 12.10.2010 को दी गई थी। एनओसी अभी तक जारी नहीं किया गया है क्योंकि आश्वासन के बाद भी प्रयोजक अपेक्षित दस्तावेजों के साथ दूतावास में न आकर सहयोग नहीं कर रहा है। हम मामले को सऊदी अधिकारियों के साथ उठा रहे हैं।
33.	तमिलनाडु	कृष्णा मूर्ती नारायनन	24.09.2010	अल-हसा	दूतावास में मृत्यु की सूचना 12.10.2010 को दी गई थी। एनओसी 25.10.2010 को जारी किया गया था। प्रायोजक औपचारिकताओं को पूरा कर रहा है।
34.	तमिलनाडु	जेवियर गाना प्रकासुम माइकल	23.09.2010	रियाद	दूतावास में मृत्यु की सूचना 13.10.2010 को दी गई थी। एनओसी 18.10.2010 को जारी किया गया था। प्रायोजक औपचारिकताओं को पूरा कर रहा है।

1	2	3	4	5	6
35.	केरल	विजया मोहनन असारी	22.09.2010	रियाद	दूतावास में मृत्यु की सूचना 13.10.2010 को दी गई थी। प्रायोजक सहयोग नहीं कर रहा है। मामले को सऊदी अरब प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है।
36.	तमिलनाडु	पोन्निया महालिंगम	14.10.2010	रियाद	मृत्यु सुमेसी डीपोर्टेशन सेन्टर में हुई थी। दूतावास के एक स्टाफ को औपचारिकताएं पूरी करने के लिए लगाया गया है। शव को शीघ्र ही भेजा जाएगा और भेजने के सभी खर्च को वहन किया जाएगा।
37.	उत्तर प्रदेश	विष्णु प्रसाद माली	12.08.2010	दम्मम	दूतावास में मृत्यु की सूचना 16.10.2010 को दी गई थी और उसी दिन एनओसी जारी कर दिया गया था। प्रायोजक औपचारिकताएं पूरी कर रहा है।
38.	पश्चिम बंगाल	मो. अबु सैद मोल्ला	13.09.2010	अल-हसा	दूतावास में मृत्यु की सूचना 19.10.2010 को दी गई थी और उसी दिन एनओसी जारी कर दिया गया था। प्रायोजक औपचारिकताएं पूरी कर रहा है।
39.	आंध्र प्रदेश	कदे काद्रियाम्मा	19.10.2010	आर्टेविया	परिवार की इच्छा के अनुसार मामले की जांच की जा रही है।
40.	तमिलनाडु	सुरेश थंग्रसू	06.10.2010	रियाद	मृतक ने तथाकथित आत्महत्या की है। मामले की जांच की जा रही है।
41.	केरल	सुकुमारन मनोहरन	23.08.2010	दम्मम	तथाकथित आत्महत्या के लिए जांच की जा रही है।
42.	हिमाचल प्रदेश	तारसेम लाल	15.08.2010	बुराइदाह	दूतावास में मृत्यु की सूचना 20.10.2010 को दी गई थी और उसी दिन एनओसी जारी कर दिया गया था। प्रायोजक औपचारिकताएं पूरी कर रहा है।
43.	केरल	रमेसन पनायाथारा करूनप्पा मेनन	29.09.2010	अल खेफजी	दूतावास में मृत्यु की सूचना 20.10.2010 को दी गई थी और उसी दिन एनओसी जारी कर दिया गया था। प्रायोजक औपचारिकताएं पूरी कर रहा है।
44.	हिमाचल प्रदेश	चरण दास	18.10.2010	रियाद	एनओसी 24.10.2010 को जारी कर दिया गया था। प्रायोजक औपचारिकताएं पूरी कर रहा है।
45.	तमिलनाडु	नारायण मुथु रामालिंगम	22.10.2010	रियाद	प्रायोजक सहयोग नहीं कर रहा है। मामले को सऊदी प्राधिकारियों के साथ उठाया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6
46.	आंध्र प्रदेश	जेल्ली राजनार्सू	06.09.2010	हैल	एनओसी 23.10.2010 को जारी कर दी गई थी। प्रायोजक ने औपचारिकताएं पूरी करने के लिए किसी एजेंट को लगाया है। एजेंट ने शीघ्र शव को भेजने का आश्वासन दिया है।
47.	आंध्र प्रदेश	किशन कत्ता	05.09.2010	अल-ग्वाईयाह	दूतावास को मृत्यु की सूचना 23.10.2010 को दी गई थी। एनओसी 30.10.2010 को जारी किया गया था। प्रायोजक शव को भेजने की औपचारिकताएं पूरी कर रहा है।
48.	राजस्थान	अबिद खान	—	—	परिवार के मृत्यु के स्थान और प्रयोजक के संपर्क नं. के ब्यौरे व मृतक के किसी जानकार का कोई विवरण नहीं दिया है। शव की तलाश की जा रही है। हमने परिवार से और ब्यौरे देने का अनुरोध किया है ताकि शव को यथाशीघ्र भेजा जा सके।
49.	तमिलनाडु	गोविन्द राजू पोन्नक गाउन्डर	30.09.2010	मलाज	मामले की जांच की जा रही है क्योंकि मृतक के आत्महत्या करने की सूचना मिली है।
50.	महाराष्ट्र	शेख मो. हुसैन	12.10.2010	रियाद	दूतावास को मृत्यु की सूचना 25.10.2010 को दी गई थी। एनओसी 30.10.2010 को जारी किया गया था। प्रायोजक शव को भेजने की औपचारिकताएं पूरी कर रहा है।
51.	तमिलनाडु	साकिद अली मो. कासिम	03.10.2010	जुबेल	दूतावास को मृत्यु की सूचना 25.10.2010 को दी गई थी और उसी दिन एनओसी जारी कर किया गया था। प्रायोजक औपचारिकताएं पूरी कर रहा है।
52.	केरल	कुरूणाकरण वैध्यार जैठा	23.10.2010	रियाद	दूतावास को मृत्यु की सूचना 25.10.2010 को दी गई थी। एनओसी 30.10.2010 को जारी किया गया था। प्रायोजक औपचारिकताएं पूरी कर रहा है।
53.	तमिलनाडु	विजय कुमार हरिकृष्णन	26.10.2010	दम्मम	मामले की जांच की जा रही है क्योंकि मृतक के आत्महत्या करने की सूचना मिली है।
54.	बिहार	संजय कुमार मांझी	02.10.2010	रफियाह	दूतावास को मृत्यु की सूचना 26.10.10 को दी गई थी। एनओसी जारी नहीं किया गया। मामले की जांच की जा रही है
55.	केरल	जैकब जॉर्ज	25.10.2010	खामिस मुश्चइयत	दूतावास को मृत्यु की सूचना 26.10.10 को दी गई थी और उसी दिन एनओसी जारी किया गया था। प्रायोजक औपचारिकताएं पूरी कर रहा है।

1	2	3	4	5	6
56.	केरल	चन्द्रन लक्ष्मणन	26.10.2010	खामिस मुश्चइयत	दूतावास को मृत्यु की सूचना 26.10.10 को दी गई थी और उसी दिन एनओसी जारी किया गया था। प्रायोजक औपचारिकताएं पूरी कर रहा है।
57.	राजस्थान	अब्दुल लतीफ शाह	04.10.2010	रियाद	एनओसी 03.11.2010 को जारी किया गया था। प्रायोजक औपचारिकताएं पूरी कर रहा है।
58.	केरल	जे.एस. साजी कुमार	23.09.2010	दम्मम	दूतावास को मृत्यु की सूचना 27.10.2010 को दी गई थी और उसी दिन एनओसी जारी किया गया था। प्रायोजक औपचारिकताएं पूरी कर रहा है।
59.	केरल	सुकुर चक्कोत्ता परमबिल	08.10.2010	हफर अल बतिन	एनओसी 27.10.2010 को जारी किया गया था। प्रायोजक औपचारिकताएं पूरी कर रहा है।
60.	आंध्र प्रदेश	बोनागिरी		साकेका	सऊदी प्राधिकारियों द्वारा स्वयं जांच की जा रही है।
61.	तमिलनाडु	नागूर कानी कासी राउथर	29.10.2010	रियाद	एनओसी 02.11.2010 को जारी किया गया था। प्रायोजक औपचारिकताएं पूरी कर रहा है।
62.	केरल	सियाद कोयाकुत्ती	30.10.2010	दम्मम	दूतावास को मृत्यु की सूचना 30.10.2010 को दी गई थी। एनओसी अभी तक जारी नहीं किया गया है। प्रायोजक सहयोग नहीं कर रहा है। हम मामले को सऊदी अरब प्राधिकारियों के साथ उठा रहे हैं।
63.	बिहार	पान मो.	25.10.2010	जुबैल	एनओसी 30.10.2010 को जारी किया गया था। प्रायोजक पार्थिव शरीर को भेजने के लिए औपचारिकताएं पूरी कर रहा है।
64.	केरल	कनाकाराज पुश्पाकरण	20.10.2010	दम्मम	एनओसी अभी तक जारी नहीं किया गया है। प्रायोजक मृत्यु दस्तावेज इकट्ठे कर रहा है और उसने शीघ्र दूतावास में आने का आश्वासन दिया है। हम मामले पर नजर रखे हुए हैं।
65.	पश्चिम बंगाल	शेख चन्द मो.	02.10.2010	हफर अल बतिन	दूतावास को मृत्यु की सूचना 31.10.2010 को दी गई थी। एनओसी अभी तक जारी नहीं किया गया है। प्रायोजक ने एनओसी लेने के लिए एक सप्ताह के भीतर दूतावास में आने का आश्वासन दिया है।

1	2	3	4	5	6
66.	बिहार	मो. परवेज आलम	26.10.2010	खोबार	दूतावास को मृत्यु की सूचना 31.10.2010 को दी गई थी। 01.11.2010 को एनओसी जारी किया गया था। प्रायोजक औपचारिकताएं पूरी कर रहा है।
67.	केरल	मैथ्यू जोन	27.10.2010	मुजाहमियाह	दूतावास को मृत्यु की सूचना 31.10.2010 को दी गई थी। एनओसी अभी तक जारी नहीं किया गया है। प्रायोजक ने एनओसी लेने के लिए शीघ्र ही दूतावास में आने का आश्वासन दिया है।
68.	आन्ध्र प्रदेश	रामाकृष्णा दुनाबोइना		साकेका	दूतावास को मृत्यु की सूचना 31.10.2010 को दी गई थी। एनओसी अभी तक जारी नहीं किया गया है। प्रायोजक ने एनओसी लेने के लिए शीघ्र ही दूतावास में आने का आश्वासन दिया है।
69.	उत्तर प्रदेश	अहसान अली	21.10.2010	साकेका	दूतावास को मृत्यु की सूचना 31.10.2010 को प्रायोजक द्वारा दी गई थी। परिवार से भारत में शव लेने या उसे वहीं दफनाने की सहमति लेने के लिए सम्पर्क किया जा रहा है।
70.	आन्ध्र प्रदेश	मो. अली शेख	31.10.2010	रियाद	दूतावास को मृत्यु की सूचना 31.10.2010 को दी गई थी। एनओसी 02.11.2010 को जारी किया गया है। प्रायोजक ने एनओसी लेने के लिए शीघ्र ही दूतावास में आने का आश्वासन दिया है।
71.	बिहार	इजहार	12.10.2010	रियाद	दूतावास को मृत्यु की सूचना 31.10.2010 को दी गई थी। एनओसी अभी तक जारी नहीं किया गया है। प्रायोजक ने एनओसी लेने के लिए शीघ्र ही दूतावास में आने का आश्वासन दिया है।
72.	आंध्र प्रदेश	अजाने यूलू वेल्लेपू	21.11.2008	हफर अल बेतिन	दूतावास को मृत्यु की सूचना 29.04.2009 को दी गई थी। पासपोर्ट में लिखे विवरण के आधार पर हमने परिवार का पता लगाया। परिवार ने लम्बे समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं की। टेलीफोन पर उन्होंने कहा कि वो पार्थिव शरीर नहीं लेना चाहते। सरकारी प्राधिकारियों के द्वारा हमारे लिखित संदेश की प्रतिक्रिया में परिवार ने मामले की छानबीन कराने की इच्छा व्यक्त की और छानबीन की रिपोर्ट उन्हें नहीं भेजी गई। हमने मामले को छानबीन के लिए सऊदी प्राधिकारियों के साथ उठाया और छानबीन की रिपोर्ट के

1	2	3	4	5	6
					लिए कई अनुस्मारक भेजे। छानबीन की रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है। परिवार को अब इस मामले मे कोई रुचि नहीं है और उसके बाद परिवार से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है।
73.	तमिलनाडु	ए. बालाचन्दर (बाढ़ में खो गया)		जेद्दाह	जामा में बाढ़ आई है। परिवार से अभी तक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।
74.	उत्तर प्रदेश	मो. यूसुफ	22.01.2010	अलबहार, गिजान	परिवार शव को भारत लाने के लिए कह रहा है। प्रायोजक ने एसआर 10000 का ऑफर दिया है यदि शव को सऊदी अरब में ही दफना दिया जाए। हमने 19.10.2010 को इस बात को स्वीकार न करने का संदेश भेज दिया है। परिवार ने एसआर 10000 लेने से मना कर दिया है और वह शव को भारत में चाहता है। हमने अटॉर्नी से बात की है और उसे तद्नुसार सूचित कर दिया है। उसने आश्वासन दिया है कि वह इस कोन्सूलेट से अगले सप्ताह सम्पर्क करेगा। एनओसी 02.11.10 को जारी कर दी गई है।
75.	दिल्ली	अशीष चावला	31.01.2010	नाजरन	पुलिस जांच कर रही है।
76.	तमिलनाडु	सयेद ववासी मिथर	26.06.2010	देहरान अल्जोनूब	एनओसी जारी नहीं की गई है, परिवार पीओए नहीं भेज रहा है।
77.	एम.एस.	अब्दुल गनी इस्माइल शेख	04.06.2010	जेद्दाह	एनओसी जारी नहीं कि गई है। प्रायोजक शव को भारत भेजने के लिए तैयार नहीं है। हमने एफओ को लिखा है श्री जावेद आलम 01.11.2010 को पुलिस स्टेशन गए थे और पुलिस अधिकारियों से अनुरोध किया था कि वे प्रायोजक पर शव को भारत भेजने के लिए दबाव डालें। पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रायोजक से सम्पर्क करने पर प्रायोजक किसी भी कीमत पर शव को भारत भेजने के लिए तैयार नहीं है।
78.	केरल	अब्दुल अजीज पोदुवन्नी	15.07.2010	जेद्दाह	पीओए को बन्दी बना लिया गया है। अटॉर्नी को दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं, अटॉर्नी का कोई सम्पर्क नं. नहीं है। श्री जावेद आलम शार्फिया पुलिस स्टेशन गए थे, उन्हें सूचित किया गया कि अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है।
79.	उत्तर प्रदेश	मुनेब शर्मा	05.07.2010	नाजरन	एनओसी जारी कर दिया गया है। शव के एक सप्ताह में भेज दिए जाने की सम्भावना है। शव को 06.11.2010 के लिए बुक कर दिया गया है।

1	2	3	4	5	6
80.	केरल	भास्करण यसोधरण		बदर, मदिनाह	एनओसी जारी नहीं किया गया है, प्रायोजक की जानकारी नहीं है, आज सम्पर्क करने की कोशिश की गई लेकिन कोई भी मोबाइल नं. काम नहीं कर रहा है।
81.	तमिलनाडु	जॉनी बाशा शेख कासिम	15.09.2010	नाजरन	एनओसी जारी कर दिया गया है, अटार्नी के साथ अभी भी प्रक्रिया चल रही है।
82.	केरल	विल्सन मैथ्यु	22.08.2010	जेद्दाह	27.10.2010 को शव भारत जा रहा था लेकिन उत्प्रवास अधिकारियों ने उसे भारत ले जाने की अनुमति नहीं दी क्योंकि मृतक की जेद्दाद, गवर्नर के कार्यालय में जरूरत थी। प्रायोजक ने मामले की छानबीन के लिए मना कर दिया इसलिए अब्दुल अजीज कार्गो को शव को भारत भेजने की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अधिकृत किया गया है। एक टिप्पणी 31.10.2010 को एफओ को भी भेजी गई थी। 03.11.2010 को श्री सलीम से सम्पर्क किया गया था, उसने सूचित किया कि वह सम्बन्धित अधिकारियों के साथ मामले पर कार्रवाई कर रहा है और कुछ दिनों में यह पूरी हो जाएगी। लेकिन।
83.	राजस्थान	बनवारी लाल बलाई	24.09.2010	जेद्दाह	एनओसी जारी कर दिया गया है, अटार्नी के साथ अभी भी प्रक्रिया चल रही है। 04.11.2010 को पार्थिव शरीर ले जाने को बुक किया गया है।
84.	एमएस	जीत बहादुर सोनर	12.10.2010	जेद्दाह	एनओसी जारी कर दिया गया है, अटार्नी के साथ अभी भी प्रक्रिया चल रही है। 03.11.2010 को पार्थिव शरीर ले जाने को बुक किया गया है।
85.	पश्चिम बंगाल	पाथा हिरा	12.10.2010	यान्बू	एनओसी जारी कर दिया गया है, अटार्नी के साथ अभी भी प्रक्रिया चल रही है।
86.	केरल	उन्नी कृष्णण नायर श्रीधरण पिल्लाई	12.10.2010	जेद्दाह	एनओसी जारी कर दिया गया है, अटार्नी के साथ अभी भी प्रक्रिया चल रही है। अटार्नी ने परिवहन भत्ता देने में असमर्थता प्रकट की है, इसलिए आईसीडब्ल्यूएफ से 5400/- एसआर अनुमोदित हुआ है। अब्दुल अज़ीज़ कार्गो सभी औपचारिकताएं पूरी कर रहा है।
87.	उत्तर प्रदेश	मो. फकरूद्दिन	17.10.2010	मक्काह	एनओसी जारी कर दिया गया है, अटार्नी के साथ अभी भी प्रक्रिया चल रही है।

1	2	3	4	5	6
88.	त्रिपुरा	मो. मन्सूर अली	18.07.2010	नाजरन	एनओसी जारी कर दिया गया है, अटार्नी के साथ अभी भी प्रक्रिया चल रही है।
89.	तमिलनाडु	विजयरंजन सेलवराज	25.10.2010	जेद्दाह	एनओसी जारी कर दिया गया है, अटार्नी के साथ अभी भी प्रक्रिया चल रही है।
90.	पंजाब	चाम कौर सिंह	25.10.2010	ताइफ	एनओसी जारी कर दिया गया है, अटार्नी के साथ अभी भी प्रक्रिया चल रही है।
91.	केरल	बलराज थांगइय्यन	21.10.2010	खामिस मुशायत	एनओसी जारी कर दिया गया है, अटार्नी के साथ अभी भी प्रक्रिया चल रही है।
92.	तमिलनाडु	कनाकराज पुश्पाकरण	20.10.2010	नाजरन	एनओसी जारी कर दिया गया है, अटार्नी के साथ अभी भी प्रक्रिया चल रही है।
93.	राजस्थान	महेश कुमार	28.10.2010	दुबा	एनओसी जारी कर दिया गया है, अटार्नी के साथ अभी भी प्रक्रिया चल रही है।

अजित बालकृष्णन समिति की सिफारिशें

430. **श्री प्रताप सिंह बाजवा :**
श्री अब्दुल रहमान :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) में संकाय और अनुसंधान पर अजित बालकृष्णन समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस समिति की सिफारिशों की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उन सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय प्रबंधन संस्थान, कलकत्ता के शासी बोर्ड के अध्यक्ष श्री अजित बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली भारतीय प्रबंधन संस्थानों में संकाय और अनुसंधान संबंधी समिति की मुख्य सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय प्रबंधन संस्थानों के डॉक्टोरल कार्यक्रमों के आउटपुट में वृद्धि, तिमाही व्यवसायोन्मुख पत्रिका आईआईएम बिजनेस रिव्यू प्रकाशित करना, प्रबन्धन पर वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना, भारतीय प्रबंधन संस्थानों के बीच संकाय आदान-प्रदान करने के लिए हाई एंड वीडियो सम्मेलन प्रणाली की स्थापना, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके शैक्षणिक उपकरण तैयार करने, संस्थानों के लक्ष्यों के साथ संकाय के प्रयासों को जोड़ने के लिए प्रत्येक भारतीय प्रबंधन संस्थान में वार्षिक कार्य योजना और तिमाही समीक्षा प्रणाली स्थापित करना इत्यादि शामिल है।

(ग) जी, हां।

(घ) अजित बालकृष्णन समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

[हिन्दी]

विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता

431. **श्री सैयद शाहनवाज हुसैन :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विद्यालयों में अवसंरचना का विकास कर और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाकर विद्यालयी शिक्षा से वंचित बालकों को विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत लाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत विशेष अभियान योजना चलाने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का सर्व शिक्षा अभियान का सफलतापूर्वक कार्यान्वियन करने वाले राज्यों को विशेष सहायता देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम 6-14 वर्ष के आयु समूह में बच्चों के बीच प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण का प्रावधान करता है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन अनुसंधान ब्यूरो की एक इकाई सामाजिक ग्रामीण अनुसंधान संस्थान द्वारा किया गया नमूना सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि स्कूल बाह्य बच्चों की संख्या 2005 में 1.34 करोड़ थी जो घटकर 2009 में 81.5 लाख रह गई है। 30.6.2010 तक सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 10.30 लाख अध्यापक नियुक्त किए गए हैं, 2,19,867 स्कूल भवन, 9,45,635 अतिरिक्त शिक्षण कक्ष तथा 2,88,880 शौचालयों का निर्माण किया गया है और 1,87,151 पेयजल सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

(ग) और (घ) सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वियन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यक्रम के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाता है। हाल ही में सर्व शिक्षा अभियान के मानदंडों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुरूप बनाया गया है। कार्यक्रम के कार्यान्वियन के लिए केन्द्र तथा राज्यों के बीच निधीयन पद्धति जो एक स्लाइडिंग स्केल पर आधारित थी [अर्थात् 11वीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के लिए 63:35, तीसरे वर्ष के लिए 60:40, चौथे वर्ष के लिए 55:45 और उनके पश्चात् 50:50 (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10)] को 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए संशोधित करके 65:35 कर दिया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निधीयन शेयरिंग पद्धति 90:10 के अनुपात में जारी रहेगी।

[अनुवाद]

सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना

432. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना कब तक हो जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत मौसम-विज्ञान

433. श्री प्रदीप माझी : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत मौसम विज्ञान-विभाग (आईएमडी) का स्तरोन्नयन किया है और इसे और सुदृढ़ बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत मौसम-विज्ञान विभाग द्वारा स्थापित नई पूर्वानुमान प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) भारत मौसम-विज्ञान विभाग को सुदृढ़ करने के लिए आवंटित राशि और उस पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)

वर्तमान में आधुनिकीकरण कार्यक्रम के चरण-I का कार्यान्वयन कर रहा है।

(ख) आईएमडी के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के मूल उद्देश्य हैं:—

- स्वचालित मौसम स्टेशन (एडब्ल्यूएस), स्वचालित वर्षामापी (एआरजी) तथा डॉप्लर मौसम रेडार (डीडब्ल्यूआर) की संस्थापना के साथ प्रेक्षणात्मक प्रणालियों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल करना।
- डिजिटल डेटा संचार तथा डेटा आधार एकीकरण।
- अपारंपरिक डेटा का संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान (एनडब्ल्यूपी) मॉडलों में सम्मिश्रण।
- उन्नत पूर्वानुमान मॉडलों के प्रचालनात्मक सेट के कार्यान्वयन के लिए उच्च कार्य-निष्पादन वाली संगठन (एचपीसी) प्रणाली को प्राप्त कर चालू करना।
- जनता तक बेहतर पहुंच/उपयोगिता (सहक्रिया) के लिए प्रौन्नत डेटा दृश्यीकरण, मूल्य वृद्धि, प्रसारण।
- अधिक लक्ष्य केंद्रित पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करना।
- सार्वजनिक मौसम सेवाओं (पीडब्ल्यूएस) तथा पूर्व चेतावनी सेवाओं में सुधार।
- किसानों के लिए 5 दिन की अवधि के लिए कृषि-मौसम विज्ञानी परामर्श-सूचनाएं तैयार कर इनका प्रसारण करना।

प्रौन्नत प्रेक्षण प्रणालियां चालू करने संबंधी विस्तृत प्रगति नीचे दी गई है:—

प्रेक्षणात्मक उपकरण	चरण-I के लिए नियोजित संख्या	31 अक्तूबर, 2010 तक उपलब्धि
1	2	3
एआरजी	1350	334
एडब्ल्यूएस	550	494
डीडब्ल्यूआर	16	2
वायु प्रोफाइलर	7	कार्य चल रहा है।
पायलट बैलून	70	65
वैमानिकी यंत्रीकरण	28	8
अद्यतन किए गए आरएस/आरडब्ल्यू	25	11

प्रेक्षण प्रणाली की उच्च कार्य निष्पादन वाली संगठन प्रणाली के साथ संयोजकता, डिजिटाइज्ड पूर्वानुमान प्लेटफार्म की संस्थापना तथा वास्तविक समय में प्रेक्षणों, पूर्वानुमान और चेतावनी का वास्तविक प्रयोक्ताओं में प्रसारण करने के साथ-साथ इस प्रणाली को अपग्रेड करने का कार्य आधुनिकीकरण कार्यक्रम के चरण-I के अंतर्गत मार्च, 2011 तक किया जाना है।

(ग) नई पूर्वानुमान प्रणाली की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:—

- 7 दिनों तक पूर्वानुमान के लिए वैश्विक पूर्वानुमान प्रणाली।
- 3 दिनों तक पूर्वानुमान के लिए क्षेत्रीय पूर्वानुमान प्रणाली।
- 48 घंटों तक पूर्वानुमान के लिए मध्यमापक्रम पूर्वानुमान प्रणाली।
- 3-6 घंटे की भविष्यवाणी।
- डिजिटाइज्ड मौसम विश्लेषण और पूर्वानुमान प्लेटफार्म।

  सहक्रिया एक सशक्त यंत्र है जिसमें प्रचालनात्मक मौसम विज्ञान पूर्वानुमानकर्ता के लिए प्रयोक्ता अनुकूल अंतरापृष्ठ होता है। सहक्रिया से, न केवल मौसम विज्ञान डेटा का प्रदर्शन करना संभव है बल्कि इस डेटा से सूचना निकालना भी संभव है तथा इस तरह से पूर्वानुमानकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए विशेषीकृत डेटा अथवा प्रारूप दस्तावेज को दर्ज किया जा सकता हे।

प्रकार्यात्मक आवश्यकता के रूप में, सहक्रिया प्रणाली में निम्नलिखित क्षमताएं शामिल हैं:—

- सभी उपलब्ध डेटा के अंतर्ग्रहण के लिए प्रणाली की क्षमता।

- प्रदर्शन एवं पूर्वानुमान यंत्र।
- मौसमे चार्टों पर प्रेक्षणों का आलेखन।
- संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान मॉड्यूल।
- उपग्रह, रेडार, उष्णदेशीय चक्रवात तथा चेतावनी मॉड्यूल।

पीडब्ल्यूएस प्रणाली अंतरपृष्ठों तथा स्वचालित प्रक्रियाओं का सेट है, जो उत्पादों का डिजाइन तैयार करने, बनाने और उसका प्रसारण करना आसान करता है।

(घ) आईएमडी के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के चरण-I के लिए 920 करोड़ रुपए के आवंटित अनुदान में से अक्तूबर, 2010 के अंत तक 316 करोड़ रुपए तक की राशि खर्च हो चुकी है।

कास पठार को विश्व विरासत का दर्जा

434. **श्री निलेश नारायण राणे : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कास पठार को विश्व विरासत स्थल का दर्जा देने के लिए यूनेस्को को प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्ताव की स्थिति क्या है और इस संबंध में यूनेस्को की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) कास पठार में वन्य फूलों को बचाने तथा संरक्षित करने के लिए सरकार तथा यूनस्को द्वारा दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) भारत सरकार ने पश्चिमी घाटों में 39 श्रेणीबद्ध स्थलों को यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए यूनेस्को विश्व विरासत केन्द्र को एक प्रस्ताव भेजा है। ये स्थल केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों में हैं। महाराष्ट्र में कास पठार भारत के प्रस्ताव में शामिल 39 श्रेणीबद्ध स्थलों में से एक है।

(ख) यूनेस्को के विश्व विरासत कन्वेंशन के प्रचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्राकृतिक विरासत के सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन विश्व विरासत केंद्र, पेरिस और प्राकृतिक संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संघ (आई.यू.सी.एन.), स्विट्ज़रलैंड द्वारा किया जाता है। प्रस्तावित स्थलों का फील्ड मूल्यांकन करने के लिए आई.यू.सी.एन. का दो सदस्यों वाला तकनीकी दल 10 से 23 अक्तूबर, 2010 तक भारत में था। आई.यू.सी.एन. तकनीकी दल ने महाराष्ट्र के कास पठार का भी मुआयना किया था। इस दल की रिपोर्ट यूनेस्को, पेरिस को प्रस्तुत की जाएगी और उसके आधार पर भारत के प्रस्ताव पर यदि कोई अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण वांछित होगा तो वह निकट भविष्य में अपेक्षित होगा।

(ग) सरकार और यूनेस्को ने कास पठार में वन्य फूलों को परिरक्षित करने के लिए कोई धनराशि नहीं दी है।

कोयला क्षेत्रों का वर्गीकरण

435. **श्री असादुद्दीन ओवेसी :**
श्री हंसराज गं. अहीर :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में कोयला क्षेत्रों के वर्गीकरण के लिए विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं तथा इसकी संरचना क्या है;

(ग) क्या इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ङ) रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वियन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) सरकार द्वारा देश में कोयला क्षेत्रों के वर्गीकरण के लिए स्पष्ट नीति कब तक घोषित किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न के भाग (क) में दिए गए उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय विरासतों/स्मारकों का संरक्षण

436. **श्री पन्ना लाल पुनिया : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताजमहल सहित अन्य राष्ट्रीय विरासत के स्मारकों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस उद्देश्य हेतु पृथक्/समर्पित बजट उपलब्ध कराने के लिए कोई प्रावधान है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों का संरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। देशभर में ताजमहल सहित सभी ऐसे स्मारक भलीभांति संरक्षित हैं और किसी प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जाते हैं। एहतियात के तौर पर, जहां कहीं आवश्यक है, स्मारकों का अनुरक्षण (रेट्रोफिटिंग) कार्य, जल अवरोधक, तड़ित चालक आदि लगाये गए/मुहैया कराए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। इसके लिए कोई विशिष्ट बजट प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेताओं को निःशुल्क शिक्षा

437. **श्री आर. थामराईसेलवन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल खेल, 2010 में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को निःशुल्क शिक्षा देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सररकार प्रतिभावान खिलाड़ियों की सहायता करने तथा शैक्षिक संस्थानों में खेलकूद संबंधी अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन संबंधी योजना बनाने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार का उन खिलाड़ियों जिन्होंने अभी हाल ही में आयोजित कॉमनवैल्थ गेम्स, 2010 में पदक जीते हैं, को समूची अध्ययन अवधि के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का प्रस्ताव है। स्कूल जाने वाले छात्रों तथा कॉलेज जाने वाले छात्रों की शिक्षा पर होने वाले व्यय को क्रमशः केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वहन किया जाएगा।

(ग) और (घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उन उत्कृष्ट खिलाड़ियों तथा एथलीटों जिन्होंने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वार्षिक राष्ट्रीय खेल एवं खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान 15 विभिन्न खेलों में नए रिकॉर्ड बनाए हैं, को 6000/-रु. प्रति छात्र की दर से चाचा नेहरू खेल पुरस्कार प्रदान कर रहा है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को सम्बद्धता प्रदान करने से पहले यह प्रावधान किया है कि सम्बद्ध स्कूल में पर्याप्त अवसंरचना होनी चाहिए।

[हिन्दी]

एकसमान शिक्षा नीति

438. **योगी आदित्यनाथ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश भर में एक समान शिक्षा प्रणाली को लागू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में क्या पद्धति तैयार की जा रही है; और

(घ) इस एकसमान नीति को कब तक लागू करने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (घ) सरकार

पहले ही 1992 में यथासंशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का अनुपालन कर रही है जिसमें जाति, धर्म, स्थान अथवा बालक-बालिका संबंधी भेदभाव किए बगैर सभी छात्रों को एक निर्धारित स्तर तक समाज गुणवत्ता की शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में समान शैक्षिक अवसंरचना पर विचार किया गया है। 10+2+3 ढांचे को अब देश के अधिकांश भागों में स्वीकार कर लिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या अवसंरचना पर आधारित है जिसमें अन्य घटक, जो लोचशील हैं, के साथ एक समाज पाठ्यचर्या शामिल है। समान पाठ्यचर्या में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, संवैधानिक बाध्यताएं और राष्ट्रीय पहचान को सम्पुष्ट करने के लिए अनिवार्य अन्य विषय-वस्तु शामिल है। ये तत्व विषय क्षेत्रों की सीमाओं से परे हैं और भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत, समानतावाद, लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता, महिला-पुरुष समानता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक अवरोध दूर करना, छोटे परिवार के मानदंडों का अनुपालन तथा वैज्ञानिक सोच को अपनाने जैसे मूल्यों का संवर्धन करने के लिए तैयार किए गए हैं।

[अनुवाद]

उच्च शिक्षा का विस्तार

439. **श्री राजय्या सिरिसिल्ला :**
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा का विस्तार तथा उत्कृष्टता हासिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या नई पहल की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर झारखंड राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों तथा आधारभूत सुविधाओं की कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार उच्च शिक्षा के उन्नयन तथा विकास हेतु लंबित योजनाओं को लागू करने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान आवंटित तथा उपयोग की गयी निधियों का राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ग) नई पहलों के रूप में, संसद में चार विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं; ये हैं (i) विदेशी शिक्षा संस्थाओं का प्रवेश और प्रचालन विनियम, (ii) शैक्षिक न्यायाधिकरणों की स्थापना, (iii) तकनीकी और चिकित्सा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में कदाचारों की रोकथाम, तथा (iv) उच्चतर शिक्षा संस्थाओं का अनिवार्य प्रत्यायन।

उपर्युक्त के शामिल, कवर न किए गए राज्यों में केन्द्रीय विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं की स्थापना, विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों की स्थापना, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंधन संस्थानों, भारतीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों और आयोजना तथा वास्तुकला विद्यालयों जैसी संस्थाएं स्थापित करके उच्चतर शिक्षा का विस्तार करने के लिए 11वीं योजना में योजना आवंटन में पर्याप्त वृद्धि की गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा 11वीं योजना में राज्यों को नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना करने तथा मौजूदा विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक स्कीम का अनुमोदन किया गया है। इसी प्रकार से, राष्ट्रीय सकल नामांकन अनुपात से कम सकल नामांकन अनुपात वाले 374 जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना करने हेतु राज्यों को सहायता प्रदान करने की स्कीम पहले ही शुरू की जा चुकी है। झारखंड राज्य के 12 जिलों को सकल नामांकन अनुपात के मामले में शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों के रूप में चिन्हित किया गया है। राज्य संस्थाओं में अध्यापकों तथा मूलभूत सुविधाओं की कमी के संबंध में केन्द्रीय स्तर पर कोई जानकारी नहीं रखी जाती है। तथापि, राज्य सरकारों से बार-बार अध्यापकों तथा मूलभूत सुविधाओं की कमी की समस्या का समाधान करने का अनुरोध किया गया है क्योंकि जहां तक राज्य संस्थाओं का संबंध है, वहां नई उच्चतर शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने तथा सुविधाओं में सुधार करने की मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। केन्द्र सरकार केवल कुछ संस्थाओं की स्थापना करके, जो उच्चतर शिक्षा में मॉडल गुणवत्ता मानकों का कार्य करती हैं, उनके प्रयासों को पूरा करने का कार्य करती है।

(घ) ऐसी कोई स्कीमें लंबित नहीं हैं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केन्द्र

440. **श्री नित्यानंद प्रधान :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कंधमाल जिले में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय केन्द्र खोले जाने के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) इसे कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (आईजीएनटीयू) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, विश्वविद्यालय को उड़ीसा के कंधमाल जिले में एक क्षेत्रीय केन्द्र खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। कार्यकारी परिषद् द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार करने के उपरान्त, विश्वविद्यालय जनजाति बहुल क्षेत्र में राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग से सम्बद्धता और बिजली एवं पानी की सुनिश्चित आपूर्ति जैसी पर्याप्त बुनियादी अवसंरचना से सम्पन्न 300 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए उड़ीसा सरकार से अनुरोध किया है। इस संबंध में राज्य सरकार की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

वन क्षेत्रों में खनन

441. **श्री हर्ष वर्धन :**
श्री महाबल मिश्रा :
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य और संघ राज्यक्षेत्र-वार विभिन्न राज्यों में कितने वर्ग कि.मी. वन-क्षेत्र अवैध कब्जे के अधीन हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले अवैध रूप से कार्यरत खनन एककों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने हाल में देश के घने वन-क्षेत्रों में की जा रही खनन गतिविधियों के प्रभाव के आकलन के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) देश के वन क्षेत्रों में खनन गतिविधियों पर पाबंदी/प्रतिबंध लगाए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (घ) राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

यमुना के लिए समिति

442. **श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री मधु गौड यास्खी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2007 में गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने यमुना नदी को पुनरुज्जीवित किए जाने के लिए गंगा प्राधिकरण की तर्ज पर यमुना नदी विकास प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है;

(ग) सरकार द्वारा यमुना नदी को पुनरुज्जीवित करने हेतु स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन राज्यों में जहां से यमुना गुजरती है वहां उसे साफ करने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ग) यमुना नदी के विकास के लिए उच्चाधिकार संपन्न समिति ने नदी के दिल्ली विस्तार के पुनरुज्जीवन हेतु प्रचालनात्मक योजना सुझाते हुए भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

राष्ट्रीय नदी प्राधिकरण और राज्य नदी बेसिन विकास प्राधिकरण से बने दो–स्तरीय सांविधिक कार्य–ढांचे की सिफारिश की गई है। इस समिति की सिफारिशों पर अभी विचार किया जाना है।

(घ) यमुना नदी के प्रदूषण की समस्या के समाधान में राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरण के लिए भारत सरकार, जापान सरकार की जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी के सहयोग से यमुना कार्य योजना (वाई.ए.पी.) की चरणबद्ध रीति से क्रियान्वित कर रही है। वाई.ए.पी. के अंतर्गत लिए गए इस निर्माण कार्य में कच्चा मलजल का अवरोधन और विपथन, मलजल शोधन संयंत्रों की स्थापना, निम्न लागत स्वच्छता सुविधाओं का सृजन, विद्युत/उन्नत काष्ठ शव दाह गृह की स्थापना और नदी तटाग्र विकास शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के 21 शहरों में 38 मलजल संयंत्रों सहित कुल 276 स्कीमें पूर्ण की गई हैं और मलजल शोधन क्षमता का प्रतिदिन 753.25 मिलियन लीटर का सृजन किया गया है जिसमें से उत्तर प्रदेश में 401.25 एम.एल.डी., हरियाणा में 322 एम.एल.डी. और दिल्ली में 30 एम.एल.डी. है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि यमुना नदी के दिल्ली विस्तार में केवल शोधित बाहिःस्राव छोड़ा जाए, जो नदी में अधिकतम प्रदूषण भार में योगदान देता है, दिल्ली जल बोर्ड (डी.जे.बी.) ने नजफगढ़, शाहदरा और सप्लीमेण्ट्री नामक तीन प्रमुख नालों के साथ अवरोधक सीवर बिछाने के लिए मलजल शोधन क्षमता का संवर्धन, नालों का अवरोधन, ट्रंक सीवरों की पुनर्स्थापना, गैर-सीवर कॉलोनियों और ग्रामीण क्षेत्रों में मलजल प्रणाली बिछाना और बाह्य परिधीय/आंतरिक सीवरों से गाद हटाने की स्कीमें तैयार की हैं। अवरोधक सीवर परियोजना, 1357 करोड़ रुपए की लागत पर जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत सी.सी.ई.ए. द्वारा अनुमोदित की गई है।

मध्याह्न भोजन योजना

443. श्री नामा नागेश्वर राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी केन्द्रीय दल ने हाल में आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यकरण की समीक्षा/निरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उस केन्द्रीय दल के निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) उस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है; और

(घ) राज्य में इस योजना के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए किए गए अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां। केन्द्रीय दल ने 23 अगस्त से 1 सितम्बर, 2010 के दौरान आन्ध्र प्रदेश के दो जिलों अर्थात् चित्तूर और विशाखापटनम का दौरा किया।

(ख) निरीक्षण के आधार पर, केन्द्रीय दल ने राज्य सरकार से निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:—

(i) मॉनीटरिंग और मूल्यांकन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण।

(ii) परिवहन लागत का समय पर भुगतान।

(iii) भारत सरकार के निर्धारित मानदंडों के अनुसार रसोइया एवं सहायकों को कार्य पर लगाना।

(iv) रसोई एवं स्टोर का निर्माण।

(v) समेकित जनजातीय विकास एजेंसी क्षेत्र के खाद्य मानदंडों पर अध्ययन।

(vi) विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों को प्रशिक्षण।

(vii) अन्य विभागों के साथ संकेन्द्रण।

(viii) संबंधित विभागों के साथ समन्वय; और

(ix) राज्य में शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।

(ग) और (घ) सिफारिशें उपचारात्मक कार्रवाई करने हेतु राज्य सरकार के ध्यान में लाई गई हैं।

प्रौढ़ शिक्षा योजनाएं

444. श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े :
श्री यशवंत लागुरी :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में विभिन्न व्यस्क शिक्षा योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन योजनाओं के अधीन लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं में राज्य-वार, वर्ष-वार व्यय की गई राशि क्यां है;

(घ) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कई राज्यों में संस्वीकृत राशि अन्य योजनाओं में लगाई जा रही है; और

(ङ) इन राज्यों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) से (ग) साक्षर भारत एक ऐसी केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जो 1.10.2009 से विभिन्न राज्यों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना अपने कार्यान्वयन के उदीयमान स्तर में है और संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियां योजना के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित प्रारंभिक कदम उठा रही हैं। मूल साक्षरता कार्यक्रम योजना के तहत 29.76 लाख प्रौढ़ों के नामांकित होने की सूचना प्राप्त हुई है। योजना के तहत जारी की गई राशि का राज्य-वार, विवरण संलग्न है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र. सं.	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	2009-10 (लाख रु.)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	6899.55
2.	अरुणाचल प्रदेश	403.68
3.	असम	1447.59
4.	बिहार	449.40
5.	छत्तीसगढ़	1902.78
6.	गुजरात	2399.11
7.	हरियाणा	120.11
8.	झारखंड	546.67
9.	कर्नाटक	1844.41
10.	महाराष्ट्र	1782.27
11.	मणिपुर	262.25
12.	उड़ीसा	349.89
13.	राजस्थान	4410.59
14.	सिक्किम	62.63
15.	तमिलनाडु	936.32
16.	त्रिपुरा	82.68
17.	उत्तर प्रदेश	6488.37
18.	उत्तराखंड	794.11
19.	पश्चिम बंगाल	1415.69
	कुल	32598.10

[हिन्दी]

संस्कृत संस्थानों के लिए निधि

445. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में संस्कृत शिक्षा के संवर्धन के लिए चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन संस्थानों और विश्वविद्यालयों को जारी निधियों का संस्थान/विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) देश में संस्कृत शिक्षा के संवर्धन के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही शैक्षिक संस्थाएं और विश्व-विद्यालय महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को दी गई सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(लाख रुपये)

क्र. सं.	संस्था/विश्वविद्यालयों के नाम	2007-08	2008-09	2009-10
1.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली	5365.59	7012.55	8862.62
2.	महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन	520.00	1100.00	1200.00
3.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति, आन्ध्र प्रदेश	842.86	1694.45	1709.56
4.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	1025.72	1858.53	372.20

हज यात्रा पर खर्च की गई राशि

446. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान अब तक केन्द्र सरकार द्वारा हज यात्रियों पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का इस राशि में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) सूचना नीचे तालिका में दी गई है:—

वित्त वर्ष	हज पर व्यय (राज सहायता सहित)	हर राज सहायता पर व्यय (नागर विमानन मंत्रालय द्वारा प्रबंधित)
2009-10	30.49 करोड़ रुपए	611 करोड़ रुपए*
2010-11 (अभी तक)	5.24 करोड़* रुपए	हज की समाप्ति पर आंकड़े उपलब्ध होंगे।

*अनंतिम आंकड़े।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) अनुमानित व्यय के अनुसार बजट का आवंटन किया गया है।

[अनुवाद]

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम में संशोधन

447. श्री चंद्रकांत खैरे :
श्री कोडिकुन्नील सुरेश :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बाघों के अवैध शिकार और जहर दिए जाने की घटनाओं को रोकने के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम में उक्त संशोधन के आधार पर उठाए गए नए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2006 में यथा संशोधित, वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अनुसार बाघों के अवैध शिकार के लिए दंड हेतु उपबंध को बढ़ाया गया है। कोई व्यक्ति जो बाघ रिजर्व के प्रमुख क्षेत्र में कोई भी अपराध करता है या बाघ रिजर्व क्षेत्र में अवैध शिकार करता है या बाघ रिजर्व क्षेत्र की सीमाओं में अवैध घुसपैठ करता है तो पहली बार ऐसा अपराध सिद्ध पाए जाने पर तीन वर्ष की अवधि की सजा दी जाएगी और यह अवधि सात वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है और इसके साथ-साथ पचास हजार रुपए से दो लाख रुपए तक की जुर्माना राशि भी भरनी होगी और दूसरी बार ऐसा अपराध सिद्ध पाए जाने पर सात वर्ष की अवधि का कारावास और दो लाख रुपए से पांच लाख रुपए तक का जुर्माना भरना होगा।

(ग) और (घ) वन्यजीव अपराध के नियंत्रण के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबंधों का क्रियान्वयन प्रथमत: संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों का उत्तरदायित्व है राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के प्रयासों को संपूरक करने के लिए अंतर राज्य, सीमा-पार और अंतरराष्ट्रीय प्रशासन से निपटने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत बहु-अनुशासनिक अभिकरण के रूप में वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है।

नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन

448. श्री रामसिंह राठवा :
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में दसवीं और ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान निर्धारित वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां क्या हैं;

(ख) यदि इनमें कोई कमी रही है, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्तमान योजना और आगमी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या कार्य-योजना बनाई गयी है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण) : (क) दसवीं योजनावधि में 82,495 मिलियन यूनिट के लक्ष्य की तुलना में नाभिकीय ऊर्जा का उत्पादन 90,354 मिलियन यूनिट हुआ था। ग्यारहवीं योजनावधि के लिए 1,63,395 मिलियन यूनिट का लक्ष्य था, जिसे मध्यावधि-मूल्यांकन (एमटीए) के चरण पर संशोधित करके 1,24,608 मिलियन यूनिट कर दिया गया था। ग्यारहवीं योजनावधि के पहले तीन वर्षों में 50,714 मिलियन यूनिट उत्पादन हुआ है और पूर्ण योजनावधि में अनुमानित उत्पादन लगभग 1,06,000 मिलियन यूनिट है।

(ख) सुरक्षोपायों के अधीन आने वाले रिएक्टरों के लिए आयातित यूरेनियम की उपलब्धता के पूर्वानुमान के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से आयातित यूरेनियम प्राप्त करने में काफी समय लगा है। इसके अतिरिक्त, स्वदेशी स्रोतों से होने वाली यूरेनियम की आपूर्ति में वृद्धि में विलंब हुआ है।

(ग) स्वदेशी ईंधन की आपूर्ति में अब उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। सुरक्षोपायोंरहित रिएक्टरों के लिए पूर्ण मांग की पूर्ति, वर्ष 2012 में आंध्र प्रदेश में तुमल्लापल्ली में नई यूरेनियम खान और मिल के प्रचालन से की जाएगी। आशा है कि सुरक्षोपायों वाले रिएक्टरों

के लिए आयातित यूरेनियम और सुरक्षापायोंरहित रिएक्टरों के लिए स्वदेशी यूरेनियम उपलब्ध होने से, अगली पंचवर्षीय योजना के दौरान नाभिकीय विद्युत संयंत्र उच्च संयंत्र भार गुणकों का प्रचालन करेंगे।

पाकिस्तान द्वारा वर्षा जल का विपथन

449. श्री प्रताप सिंह बाजवा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी अधिकारियों के कहने पर वर्षा जल को सतलुज नदी के माध्यम से भारत में विपथित करने की जानकारी सरकार को है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान अधिकारियों ने अपनी सीमा के अंदर नदी के किनारे बांध बना कर नदी के प्राकृतिक प्रवाह पर भी रोक लगायी हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) पाकिस्तानी बंध निर्माण से रावी नदी को भारत की ओर धकेलने के संभावित प्रभाव के विषय में कुछ जानकारी मिली है लेकिन इसके कारण प्राकृतिक प्रवाह पर रोक लगाने की कोई सूचना नहीं हैं।

(घ) दूसरी ओर भूमि कटाव के संभावित प्रभावों के साथ बंधों के निर्माण समेत नदी प्रशिक्षण कार्य एक मद है जिस पर पिछले कुछ वर्षों में स्थायी सिन्धु आयोग की बैठकों में चर्चा हुई है।

(ङ) प्रत्येक पक्ष का मत है कि रावी नदी के साथ साथ प्रशिक्षण कार्य, उनके अपने-अपने क्षेत्र को दूसरी ओर किए गए ऐसे कार्यों के दुष्प्रभावों से सुरक्षा करने के लिए किए जाते हैं।

[हिन्दी]

विरासत स्मारक स्थलों का संरक्षण

450. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा यूनेस्को के दिशानिर्देशों के अनुरूप बिहार सहित विभिन्न राज्यों में विरासत-स्मारक स्थलों के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) विश्व के आश्चर्यों की सूची में भारतीय सांस्कृतिक विरासत स्थलों को शामिल किए जाने के लिए इन्हें विश्व विरासत स्मारक स्थलों के मुकाबले में लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यह सुनिश्चित करता है कि बिहार सहित इसके क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी संरक्षित स्मारकों और विश्व विरासत स्थलों का संरक्षण, संरक्षण के लिए स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानकों तथा यूनेस्को द्वारा तथा प्रख्यापित विभिन्न चार्टरों के अनुसार किया जाता है।

(ख) इस मामले में नोडल एजेंसी होने के नाते भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व विरासत कन्वैंशन 1972 की अपेक्षानुसार विश्व विरासत सूची में और अधिक सांस्कृतिक विरासत स्थलों को शामिल करने, प्रत्येक मामले में नामांकन डोजियर तैयार करने और उनके उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य को बनाए रखने, उनकी प्रामाणिकता एवं अखंडता बनाए रखने के लिए ठोस कार्यवाई करने हेतु पूर्वापेक्षा के रूप में पहले से ही पूर्व-संभावित कदम उठाए हैं।

[अनुवाद]

स्वायत्त संगठनों के निधीयन की पद्धति

451. श्री प्रदीप माझी : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सांस्कृतिक क्षेत्र में आने वाले अपने स्वायत्त संगठनों के निधीयन की पद्धति में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संशोधन को अंतिम रूप दिए जाने से पहले विभिन्न स्वायत्त संगठनों के विचार जानने चाहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रकार के परिवर्तनों की प्रभाविता की जांच किस प्रकार किए जाने का प्रस्ताव हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (घ) जी, हां। स्वायत्त संगठनों को पर्याप्त समय पहले अपने कार्यकलापों/कार्यक्रमों की योजना बनाने के योग्य बनाने तथा बेहतर व्यय प्रबंधन में सहायता करने के उद्देश्य से, निधियों को जारी करने के तरीके को संशोधित किया गया है और वर्ष 2010-11 से निधियां 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत की दो किस्तों में जारी की जा रही हैं।

स्वायत्त संगठनों को निधियां जारी करने की संशोधित पद्धति पूर्णत: सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के उपबंधों के अनुरूप है।

स्वायत्त संगठनों को निधियां जारी करने के उदारीकरण के मुद्दे पर निधियों को 40:30:30 के अनुपात में जारी करने की तत्कालीन मौजूदा परिपाटी के संबंध में समय-समय पर विभिन्न संगठनों द्वारा व्यक्त चिंता के आधार पर विचार किया गया था।

(ङ) संस्कृति मंत्रालय ने सभी स्वायत्त संगठनों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि अनुदानों से व्यय केवल ऐसी मदों/परियोजना/स्कीम पर खर्च किया जाना चाहिए जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो। इसके अलावा, निधियों के अधिक खर्च करने या जमा रखने की स्थिति से बचने के लिए स्वायत्त संगठनों को यह सुनिश्चित करने के लिए वर्ष भर एक समान व्यय करना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि निधियों का इष्टतम उपयोग किया गया है और वर्ष के अंत में एकमुश्त व्यय नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

गंगा में प्रदूषण

452. **श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी :**
श्री हर्ष वर्धन :
डॉ. मुरली मनोहर जोशी :
श्री अनंत कुमार हेगड़े :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री मनोहर तिरकी :
श्री प्रशान्त कुमार मजूमदार :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत गंगा नदी की सफाई पर अब तक खर्च की गयी राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इसमें राज्य-वार कितनी सफलता प्राप्त हुई है तथा ऐसे स्थान कौन-कौन से हैं जहां गंगा अभी भी प्रदूषित है एवं कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे उद्योगों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है जो गंगा नदी को प्रदूषित कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा ऐसे दोषी उद्योगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इस नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा और कौन से कदम उठाए जाने की संभावना है तथा इस नदी की सफाई कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (ङ) गंगा नदी के चिन्हित प्रदूषित विस्तारों में प्रदूषण उपशमन के लिए वर्ष 1985 में गंगा कार्य योजना (जीएपी) प्रारंभ की गई थी। जीएपी-I के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा 429.27 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई थी, जबकि जीएपी-II के अंतर्गत अभी तक 410.49 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है।

जीएपी-I और II के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अक्तूबर, 2010 तक जारी की गई निधियों के राज्य-वार ब्यौरे और सृजित मलजल शोधन क्षमता निम्नलिखित है:–

क्र. सं.	राज्य	गंगा कार्य योजना (करोड़ रुपए)			सृजित मलजल शोधन क्षमता (एमएलडी)
		चरण-I	चरण-II	कुल	
1	2	3	4	5	6
1.	उत्तराखंड	–	31.38	31.38	66.00

1	2	3	4	5	6
2.	उत्तर प्रदेश	190.12*	138.28	328.40	386.29
3.	बिहार	53.55	6.52	60.07	122.00
4.	पश्चिम बंगाल	185.60	234.31	419.91	480.25
	कुल	429.27	410.49	839.76	1054.54

*इसमें जीएपी-I में वर्तमान उत्तराखंड शहरों की जांच की गई निधियां शामिल हैं।

प्रतिष्ठित स्वतंत्र संस्थानों द्वारा गंगा की जल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग पूर्व-जीएपी अवधि से जैव-रासायनिक ऑक्सीजन माँग (बीओडी) और द्रवीभूत ऑक्सीजन (डीओ) जैसे नदी जल गुणवत्ता सूराकों में सुधार दर्शाते हैं। तथापि फीकल कोलीफोर्म के संबंध में जीवाणु संदूषण का स्तर नदी सहित अधिकांश मॉनीटरिंग स्टेशनों पर अधिकतम अनुदेय सीमा से अधिक है।

पिछले कुछ वर्षों में तीव्र शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण नदियों में प्रदूषण भार बढ़ा है। औद्योगिक और प्रदूषण के अन्य गैर-बिन्दु स्रोतों के साथ-साथ नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत घरेलू मलजल है। गंगा नदी के साथ शहरों में लगभग 3000 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) अपशिष्ट जल उत्सर्जित हो रहा है जबकि जीएपी के दो चरणों के अंतर्गत 1055 एमएलडी की मलजल शोधन क्षमता सृर्जित की गई है। सिंचाई, पेयजल, औद्योगिक उपयोग आदि के लिए जल का पृथक्करण चुनौती प्रस्तुत करता है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) उद्योगों द्वारा बहिःस्राव प्रवाह मानकों के अनुपालन की मॉनीटरिंग करते हैं। सीपीसीबी ने सकल रूप से प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों (विवरण संलग्न है) की पहचान की है जो गंगा बेसिन में प्रतिदिन 100 कि. ग्राम अथवा अधिक का बीओडी भार प्रवाहित कर रहे हैं। सीपीसीबी और एसपीसीबी द्वारा दोषी उद्योगों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवम नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के संगत उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। अन्य उपायों में लघु पैमाने के उद्योगों और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के प्रोत्साहन के लिए साझा बहिःस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना हेतु सहायता राशि प्रदान करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, सीपीसीबी ने गंगा नदी के महत्वपूर्ण विस्तार में औद्योगिक बहिःस्रावों के प्रवाह की मॉनीटरिंग करने के लिए समर्पित प्रकोष्ठ की स्थापना की है।

नदियों का संरक्षण, केन्द्र और राज्य सरकारों के चालू और सामूहिक प्रयास हैं। राष्ट्रीय जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन, लघु और मध्यम शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम जैसी राज्य क्षेत्र स्कीमों के साथ-साथ अन्य केन्द्रीय स्कीमों के अंतर्गत मलजल प्रबंधन और निपटान हेतु नागरिक अवसंरचना की सृजन जैसी नदी संरक्षण गतिविधियां भी क्रियान्वित की जा रही हैं।

केन्द्र सरकार ने योजना की इकाई के रूप में नदी बेसिन के साथ एक समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए गंगा नदी के प्रदूषण का उपशमन और इसके संरक्षण हेतु एक सशक्त प्राधिकरण के रूप में फरवरी, 2009 को राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) की स्थापना की है।

विवरण

सीपीसीबी द्वारा सकलरूप से अभिज्ञात फैलाने वाले उद्योगों के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य	अभिज्ञात उद्योग	प्रवाह मानकों के साथ अनुपालन करने वाली इकाइयां	बन्द इकाइयां	दोषी/कानूनी कार्रवाई का सामना कर रही इकाइयां
1.	उत्तराखंड	49	29	4	16
2.	उत्तर प्रदेश	569	391	116	62
3.	बिहार	22	16	6	0
4.	पश्चिम बंगाल	32	22	5	5
	कुल	672	458	131	83

[अनुवाद]

पाक अधिकृत कश्मीर में चीन की संक्रियाएं

453. श्री मनीष तिवारी :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री भूदेव चौधरी :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

श्रीमती मीना सिंह :
श्री हंसराज गं. अहीर :
श्री रमेश बैस :
श्री मधु गौड यास्खी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीपल्स लिबेरशन आर्मी (पीएलए) की एक बड़ी सैनिक टुकड़ी पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से अधिकृत अविभाजित जम्मू और कश्मीर के गिलगिट और बालटिस्तान क्षेत्रों में स्थायी रूप से तैनात है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस तथ्य की पुष्टि या खंडन के लिए चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ इस मामले को उठाया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में इन देशों की क्या प्रतिक्रिया है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने उत्तरी सेना कमांडर सहित वरिष्ठ रक्षा/सुरक्षा अधिकारियों को चीन द्वारा वीजा देने से इंकार करने का मामला भी उठाया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर चीन सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या चीन अभी भी जम्मू और कश्मीर तथा अरुणाचल प्रदेश के लोगों को स्टेपल्ड वीजा जारी कर रहा है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों के दौरान चीन द्वारा कितने स्टेपल्ड वीजा जारी किए गए हैं; और

(ज) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) से (ग) सरकार ने गिलगिट-बालटिस्तान क्षेत्र में चीनी सैनिक टुकड़ियों की मौजूदगी संबंधी समाचार माध्यमों की रिपोर्टों को देखा है। चीनी और पाकिस्तानी दोनों पक्षों ने इन मीडिया रिपोर्टों से इंकार किया है। सरकार भारत के राष्ट्रीय हित से जुड़े सभी घटनाक्रमों के प्रति सतर्क है और उसके सुरक्षोपाय के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।

(घ) से (ज) चीनी पक्ष ने जीओसी-इन-सी उत्तरी कमान की यात्रा को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है, क्योंकि वह एक संवेदनशील क्षेत्र का नियंत्रण करते हैं और उस क्षेत्र के लोगों के पास विशेष प्रकार का वीजा होता है। सरकार ने इस मामले को चीनी पक्ष के साथ उठाया है और स्पष्ट कहा है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और निवास एवं नृजाति के आधार पर भारतीय राष्ट्रिकता के वीजा आवेदनों के साथ किसी तरह भेदभाव नहीं किया जााना चाहिए। पासपोर्ट के साथ अलग से कागज नत्थी करके जारी किए जाने वाले वीजा को देश के बाहर यात्रा के लिए वैध नहीं समझा जाता है। सरकार चीन की यात्रा करने वाले यात्रियों का राज्य-वार डेटा नहीं रखती है।

[हिन्दी]

भारत के विरुद्ध चीन के कदम

454. **श्री जगदीश शर्मा :**
श्री एस.आर. जेयदुरई :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
योगी आदित्यनाथ :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन हमारे पड़ोसी देशों में विकास परियोजनाएं चलाकर भारत के विरुद्ध विभिन्न रणनीतिक कदम उठा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में भारत के थलसेनाध्यक्ष द्वारा क्या विचार व्यक्त किए गए हैं;

(घ) भारतीय हितों की रक्षा तथा चीन के राजनयिक रणनीतियों का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों/पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार चीन तथा पड़ोसी देशों संबंधी विदेश नीति की समीक्षा करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री एस.एम. कृष्णा) : (क) से (च) सरकार विकासशील देशों में आधारभूत ढांचागत परियोजनाओं के निष्पादन में

चीन की संवर्द्धित आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षमताओं से अवगत है। सरकार भारत के राष्ट्रीय हित पर प्रभाव डालने वाले सभी घटनाक्रमों पर निकटतम नजर रखती है तथा इसकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है।

[अनुवाद]

विश्वस्तरीय मानक विश्वविद्यालयों की स्थापना

455. **श्री चार्ल्स डिएस :**
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :
श्री आर. थामराईसेलवन :
श्री वैजयंत पांडा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में विशेषकर उड़ीसा और केरल राज्य में विश्वस्तरीय मानक प्राप्त करने के लक्ष्य हेतु नए विश्वविद्यालयों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु पहचान किए गए स्थान कौन-से हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यक भूमि की पहचान कर ली है और केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जा चुकी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ऐसे विश्वविद्यालयों को सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) आधार पर स्थापित किए जाने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु अवधारणा को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) इन विश्वविद्यालयों द्वारा कब तक प्रचालन शुरू किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय विकास परिषद् ने विश्वस्तरीय मानकों तथा प्रतिष्ठित नवाचार वाले चौदह विश्वविद्यालयों की स्थापना को अनुमोदन प्रदान किया है। इन विश्वविद्यालयों को उड़ीसा में भुवनेश्वर, केरल में कोच्चि, पंजाब में अमृतसर, उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा, बिहार में पटना, असम में गुवाहाटी, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, मध्य प्रदेश में भोपाल, गुजरात में गांधी नगर, तमिलनाडु में कोयम्बटूर, कर्नाटक में मैसूर, महाराष्ट्र में पुणे, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम तथा राजस्थान में जयपुर में खोले जाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) कुछेक राज्यों में विभिन्न स्थान प्रस्तावित किए हैं। तथापि, अपेक्षित विधान को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही इस संबंध में निर्णय संभव है।

(ङ) से (ज) सरकार द्वारा तैयार किया गया कंसैप्ट पेपर www.education.nic.in वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसमें निजी सार्वजनिक भागीदारी के क्षेत्र को शामिल किया गया है।

(झ) नवाचार के लिए प्रस्तावित विश्वविद्यालयों को ग्यारहवीं तथा बारहवीं योजना अवधियों के दौरान खोले जाने का प्रस्ताव है।

तटीय क्षेत्र के संरक्षण के लिए विनियमन

456. **श्री वैजयंत पांडा :**
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
श्री नित्यानंद प्रधान :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तटीय क्षेत्र के संरक्षण के लिए नए विनियम अधिसूचित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो विनियम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) असुरक्षित तटीय क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा उड़ीसा सहित राज्य-वार क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या तटीय पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत सुझावों और आपत्तियों को आमंत्रित करते हुए दिनांक 15 सितम्बर, 2010 को प्रारूप तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) अधिसूचना, 2010 जारी की है। इस अधिसूचना की प्रमुख विशेषताओं में तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना तैयार करने में समाविष्ट किए जाने के लिए संकट मानचित्रण, क्षेत्रीय सीमाओं तक जल क्षेत्र का अंतर्वेशन सी.आर.जेड. अधिसूचनाओं के लिए मंजूरी प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाना तथा ग्रेटर मुम्बई, केरल और गोवा के लिए विशेष अवसर्जन शामिल है।

(ग) यह प्रारूप सी.आर.जेड. अधिसूचना, 2010 संकटपूर्ण भेद्य तटीय क्षेत्रों, (सीवीसीए) के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए अभिज्ञात पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों के लिए एकीकृत प्रबंधन योजना से तैयार करने का प्रावधान करती है। ऐसी सी.वी.सी.ए. की निर्देशक सूची में गुजरात में खंभट की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, महाराष्ट्र में मलवन, अचरा-रत्नगिरि, तथा उड़ीसा में भितरकनिका सहित केरल में विम्बानद शामिल हैं।

(घ) और (ङ) यद्यपि प्रारूप सी.आर.जेड. अधिसूचना के अंतर्गत कोई भी उच्च स्तरीय सुविज्ञ समिति प्रस्तावित नहीं है तथापि इस मंत्रालय ने तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 1991 को लागू करने सहित तटीय पर्यावरण के सुरक्षित और संरक्षित रखने के अधिदेश सहित पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत सभी 13 तटीय राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों प्रत्येक में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य/संघ शासित क्षेत्र स्तरीय तटीय क्षेत्र पर राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

457. श्री अर्जुन चरण सेठी :
श्री किरोड़ी लाल मीणा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नए विद्यालयों की स्थापना करने तथा मौजूदा विद्यालयों में सुधार करने हेतु वर्ष 2009-2010 के दौरान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए/लंबित हैं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान मौजूदा विद्यालयों में सुधार करने तथा नए विद्यालयों की स्थापना के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रत्येक विद्यालय के लिए अलग-अलग कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) केन्द्रीय प्रायोजित योजना "राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" (आरएमएमए) के तहत वर्ष 2009-10 हेतु वार्षिक योजना प्रस्ताव 31 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुए थे। इन सभी प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया था और प्रस्तावों की व्यवहार्यता के आधार पर 2478 नए स्कूल वर्ष 2009-10 में 18 राज्यों में संस्वीकृत किए थे। इसके अलावा, 18 राज्यों में 7264 मौजूदा माध्यमिक स्कूलों में सुधार लाने हेतु संस्वीकृति दी गई थी। संस्वीकृत किए गए नए स्कूलों, सुदृढ़ बनाने के लिए मौजूदा स्कूलों और संस्वीकृत की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

"राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान" वार्षिक योजना 2009-10 के लिए सुदृढ़ बनाने/सुधार लाने हेतु नए स्कूलों और मौजूदा स्कूलों की राज्य-वार संस्वीकृत संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	संस्वीकृत नए स्कूलों की संख्या	अनुमोदित राशि* (करोड़ रुपए)	सुदृढ़ बनाने के लिए संस्वीकृत मौजूदा स्कूलों की संख्या	अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए)
(1)	(2)	(3क)	(3ख)	(4क)	(4ख)
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0		0	

(1)	(2)	(3क)	(3ख)	(4क)	(4ख)
2.	आंध्र प्रदेश	0		1656	610.40
3.	अरुणाचल प्रदेश	0		0	
4.	असम	0		0	
5.	बिहार	350	203.42	0	
6.	छत्तीसगढ़	218	126.70	0	
7.	गोवा	0		74	1.11
8.	गुजरात	0		143	25.80
9.	हरियाणा	0		0	
10.	हिमाचल प्रदेश	69	32.90	0	
11.	जम्मू और कश्मीर#	69	40.10	360	33.33
12.	झारखंड	300	174.36	24	8.85
13.	कर्नाटक	80	46.50	1646	299.86
14.	केरल	60	34.87	0	
15.	लक्षद्वीप	4	2.32	11	3.37
16.	मध्य प्रदेश	341	198.19	1459	257.42
17.	महाराष्ट्र	0		120	1.80
18.	मणिपुर	44	25.57	224	49.92
19.	मेघालय	0		20	4.51
20.	मिजोरम	23	13.37	154	51.98
21.	नागालैंड	35	20.34	126	26.61
22.	उड़ीसा	300	174.36	0	
23.	पुदुचेरी	0		24	7.04
24.	पंजाब	70	40.68	0	

(1)	(2)	(3)	(3इ)	(4)	(4इ)
25.	राजस्थान	0		0	
26.	सिक्किम	0		61	9 05
27.	तमिलनाडु	200	116.24	0	
28.	त्रिपुरा	0		97	34.44
29.	उत्तर प्रदेश	254	147.62	0	
30.	उत्तराखंड	23	11.56	969	33.03
31.	पश्चिम बंगाल	38	19.81	96	29.73
	कुल	2478	1428.91	7264	1488.25

*अनुमोदित राशि में राज्य का हिस्सा शामिल है।

#निधि का केन्द्रीय हिस्सा 69 नए स्कूलों के लिए जम्मू और कश्मीर को जारी नहीं किया गया है।

भारत के विरुद्ध चीन के कदम

458. **श्री सी. राजेन्द्रन :**
श्री मिलिंद देवरा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में सुनामी, अत्यधिक वर्षा और सूखे की असामान्य मौसम स्थितियां ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जलवायु परिवर्तन के द्वारा कौन से क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं;

(ग) विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे पर हुई चर्चाओं और इनमें हुए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(घ) जलवायु परिवर्तन के मुद्दे का निवारण करने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है;

(ङ) क्या सरकार और यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन 'ऑन क्लाइमेट चेंजेज' (यूएनएफसीसी) चीफ के बीच हाल में बैठक बुलाई गई थी; और

(च) यदि हां, तो इस बैठक में किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इनके क्या परिणाम निकले?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) और (ख) एक ओर ग्लोबल वार्मिंग और दूसरी ओर सुनामी, अत्यधिक वर्षा और सूखे के बीच कोई स्पष्ट स्थापित कारण और प्रभाव संबंध नहीं हैं। सुनामी घटनायें, प्रमुखत: समुद्रीय भूकम्पों के कारण होती है। मानसून वर्षा विभिन्न आकाशीय और अल्पकालिक पैमाने पर भिन्न-भिन्न होती हैं। ऐसी अत्यधिक वर्षा की घटनाएं जो कुछ एकांत स्थलों (अर्थात मुम्बई अथवा राजस्थान में भारी वर्षा) के दौरान होती हैं, ये स्थल अत्यधिक सीमित होते हैं जो स्वयं भारतीय मानसून प्रणाली की प्राकृतिक परिवर्तनशीलता के भाग हैं। यद्यपि कुछ नवीनतम अध्ययन पिछले 40-50 वर्षों के दौरान वर्षा में बढ़ रही बारंबारता और सघनता की तीव्रता को इंगित करते हैं तथापि, ग्लोबल वार्मिंग में उनका योगदान अभी सिद्ध नहीं हुआ है। जलवायु परिवर्तन (आई.पी.सी.सी.-ए.आर. 4, 2007) संबंधी अन्तर-शासकीय पैनल की रिपोर्ट यह इंगित करती है कि भारत सहित विश्व के 21वीं शताब्दी के बाद के भाग में अत्यधिक वर्षा की घटनाएं संभवत: अधिकाधिक बार होंगी। यद्यपि अन्य चरम जलवायु घटनाक्रम तक परिवर्तनशीलता पाई गई हैं तथापि, इसके उच्च अंशों को इसके विषम मौसम परिवर्तन से संबद्ध नहीं किया जा सकता।

(ग) अनुकूलन की वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय और प्रौद्योगिक संसाधनों के एक समुचित संस्थागत प्रबंधन और उपबंध के सृजन के माध्यम से संवेदनशील क्षेत्रों और समुदायों पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के मुद्दों का हल ढूंढने के लिए जलवायु परिवर्तन से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र कार्यढांचा सम्मेलन के तत्वावधान में जलवायु परिवर्तन वार्ताएं की जा रही हैं।

(घ) जलवायु परिवर्तन के मुद्दों का निराकरण करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाईयों में जलवायु परिवर्तन के मूल्यांकन, अनुकूलन और उपशमन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना समन्वित करने के विचार से जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री परिषद स्थापित करने और जलवायु परिवर्तन से संबद्ध राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) जारी करने के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन और विज्ञान के क्षेत्र में अंतर-विधा संबंधी अनुसंधान आयोजित करने के लिए भारतीय ऊष्ण कटिबंधीय संस्थान में एक सुसज्जित अत्याधुनिक जलवायु परिवर्तन अनुसंधान केंद्र सहित उच्च प्राथमिकता कार्यक्रम शुरू करने के लिए सौर ऊर्जा, संवर्धित ऊर्जा, कुशलता सतत पर्यावास, जल, सतत हिमालयी पारि-प्रणाली, हरित भारत, सतत कृषि एवं कार्यनीति संबंधी ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में आठ मिशनों सहित जलवायु परिवर्तन से संबद्ध राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) जारी करना शामिल है।

(ङ) और (च) सचिवालय के एजिक्यूटिव सेक्रेटरी (यूएनएफसीसीसी) ने दिनांक 8 सितंबर, 2010 को पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) से मुलाकात की थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दिसंबर, 2010 में कॉनकून में अनुसूचित आगामी सीओपी-16 में एक संतुलित और विविध निर्णयों के भाग के रूप में जारी जलवायु परिवर्तन वार्ताओं तथा उनके सहमत परिणामों को प्राप्त करने की संभावना संबंधी मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया। जलवायु परिवर्तन वार्ता संबंधी मुद्दों पर : यूएनएफसीसीसी, क्योटो प्रोटोकॉल तथा बाली कार्य योजना के सिद्धांतों और उपबंधों के अनुरूप विचार-विमर्श किया गया।

बांधों का निर्माण

459. **श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में निर्माणाधीन बांधों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) किस वर्ष से उक्त बांधों पर निर्माण कार्य शुरू किया गया तथा केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग कितनी धनराशि निर्माण कार्य हेतु आवंटित तथा व्यय की गई;

(ग) नहरों/उपनहरों/विद्युत गृहों के संदर्भ में बांधवार कितना प्रतिशत कार्य पूरा किया गया;

(घ) प्रत्येक बांध के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(ङ) इन बांधों को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विन्सेंट एच. पाला) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ई-कचरे का पाटन

460. **श्री मोहम्मद ई.टी. बशीर :**
श्री अर्जुन राम मेघवाल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अनुमान के अनुसार भारत में ई-कचरे का पाटन अगले दस वर्षों में 50 प्रतिशत तक बढ़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या विकसित देशों से ई-कचरे की बड़ी खेपें आ रही हैं;

(घ) यदि हां, तो देश में ई-कचरे के आयात को विनियमित करने वाले मौजूदा विनियम क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार सुसंगत कानूनों में संशोधन करने तथा ई-कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगाने का भी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश) : (क) से (च) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने ई-कचरे सहित खतरनाक अपशिष्टों के समुचित प्रबंधन और हथालन के लिए खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियमवाली, 2008 को

अधिसूचित किया है। इन नियमों के अनुसार पाटन के लिए ऐसे अपशिष्टों के आयात की अनुमति नहीं है। आयात की अनुमति केवल पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अनुमति से पुन: संसाधन के लिए है ई-कचरे का हथालन करने वाली इकाइयों को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीकरण और प्राधिकार प्राप्त करना अपेक्षित है। इस मंत्रालय ने ई-कचरे सहित विशेषकर खतरनाक अपशिष्टों का अवैध व्यापार रोकने के लिए खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियमावली, 2008 के क्रियान्वयन का निरीक्षण करने के लिए समन्वय समिति गठित की है। इन नियमों के अनुसार, सीमाशुल्क प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि प्रत्येक नौभरण संचलन दस्तावेज युक्त हों और गलत घोषणा को रोकने के लिए भेजे हुए माल का यादृच्छिक नमूने लिए जाएं और उनका विश्लेषण किया जाए।

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने सभी पणधारियों से टिप्पणियां मंगाने के लिए ई-कचरा (प्रबंधन और हथालन) नियमावली, 2010 की प्रारूप अधिसूचना प्रकाशित की है ये प्रारूप नियम ई-कचरे के सुरक्षित हथालन के लिए निर्माताओं, वितरकों, पुन:सज्जित करने वालों, उपभोक्ताओं, बड़े उपभोक्ताओं, सज्जा रहित करने वालों और पुन: चक्रण कर्ताओं के उत्तरदायित्व को निर्धारित करते हैं।

अध्यक्ष महोदया : अब सभा मध्याहन 12 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याहन 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई

अपराह्न 12.01 बजे

लोक सभा अपराहन 12.01 बजे पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महादेय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे श्री पवन कुमार बंसल।

संसदीय कार्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल) : महोदय, मैं श्री पृथ्वीराज चव्हाण की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) कंसल्टेन्सी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) कंसल्टेन्सी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3170/15/10]

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.01½ बजे

इस समय श्री कमलेश पासवान, श्री पी. कुमार, श्री गणेशमूर्ति और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अपराह्न 12.02 बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : उपाध्यक्ष महोदया, मैं 27 जुलाई, 2010 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् 15वीं लोक सभा के पांचवें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त 12 विधेयक सभा पटल पर रखता हूं:—

1. विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2010;
2. झारखण्ड विनियोग विधेयक, 2010;
3. औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 2010;
4. विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010;
5. विनियोग (रेल) संख्यांक 4 विधेयक, 2010;

6. स्वीय विधि (संशोधन) विधेयक, 2010

7. खान और खनिज (विकास ओर विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010

8. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2010;

9 नालन्दा विश्वविद्यालय विधेयक, 2010;

10. व्यापार चिह्न (संशोधन) विधेयक, 2010;

11. विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक, 2010; और

12. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010

मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 12 विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं:—

1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (संशोधन) विधेयक, 2010;

2. नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) विधेयक, 2010

3. प्रतिभूति और बीमा विधि (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2010;

4. भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) विधेयक, 2010;

5. ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2010;

6. भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2010;

7. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2010;

8. झारखण्ड पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2010;

9. आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2010;

10. संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2010;

11. परमाणवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व विधेयक, 2010; और

12. दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2010;

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 3171/15/10]

अपराह्न 12.02½ बजे

न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अंतर्गत जांच समिति

प्रतिवेदन और साक्ष्य

[अनुवाद]

महासचिव : मैं न्यायाधीश (जांच) नियम, 1969 के नियम 9 और 10 के साथ पठित न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 4 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक) न्यायमूर्ति सौमित्र सेन, न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय के संबंध में न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 के अंतर्गत नियुक्त जांच समिति का प्रतिवेदन, खण्ड एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा खण्ड दो; और

(दो) जांच समिति के समक्ष दिए गए साक्षियों के साक्ष्य तथा जांच के दौरान प्रदर्शित दस्तावेज की एक-एक प्रति।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.03 बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

147वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री नवीन जिन्दल (कुरुक्षेत्र) **:** मैं बंदी संप्रत्यावर्तन (संशोधन) विधेयक, 2010 के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का

147वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.03½ बजे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति

(एक) 47वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर) : मैं जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी (संशोधन) विधेयक, 2010 के बारे में समिति का 47वां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(दो) साक्ष्य

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर) : मैं जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी (संशोधन) विधेयक, 2010 के बारे में समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

नियम 377 के अधीन मामले**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, 'नियम 377 के अधीन मामले' सभा पटल पर रखे जाएंगे। माननीय सदस्य, परम्परा के अनुसार अपनी-अपनी पर्चियां अविलम्ब सभा पटल को भेज दें।

---

*प्रतिवेदन राज्य सभा के सभापति के निदेश के निदेश 30 के अनुसार 29 अक्तूबर, 2010 को राज्य सभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत किया देखिए।

**सभा पटल पर रखे माने गए।

(एक) देश में विशेषकर तमिलनाडु के डिंडीगुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वस्त्र उद्योग के हितों की रक्षा के लिए सूती धागे की कीमतों में कमी लाए जाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल) : सूती धागे की कीमत फिर आसमान छूने लगी है। मंत्रालय द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद कताई मिलें सूती धागे की कीमतें बढ़ा रही हैं। पिछले कुछ दिनों में. सूती धागे की कीमत 10% प्रति किलो बढ़ी हैं जबकि हाल ही में माननीय वस्त्र मंत्री ने तिरुपुर में कहा था कि एक सप्ताह के भीतर कीमतें कम हो जाएंगी।

वस्त्र उद्योग, बुनकर उद्योग, बुनाई उद्योग, हथकरघा, विद्युत करघा और सिले-सिलाये वस्त्र उद्योग सूती धागे की कीमत में वृद्धि के कारण उत्पादन के कई क्षेत्रों में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं जो कि नियंत्रण से बाहर हो रही हैं और वस्त्र निर्माता नए क्रयादेशों की संपुष्टि नहीं कर पा रहे हैं और पूर्व में लिए गए क्रयादेशों पर उन्हें काफी घाटा हो रहा है क्योंकि उन्हें लिए गए क्रयादेश के मूल्य की तुलना में उच्च कीमत पर सूती धागे खरीदने पड़ रहे हैं। परिणामत: विनिर्माताओं को भारी घाटा हो रहा है और उद्योग खत्म हो जाने के कगार पर है जिससे भारी मात्रा में श्रमिक ह्रास हो रहा है।

बुनकर समुदाय और श्रमबल की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार को नए माल को विदेशों में निर्यात की अनुमति नहीं देनी चाहिए। करीब सात विदेशी कंपनियां हैं जिन्हें सूती धागे के निर्यात के लिए पंजीकृत किया गया है। कामगारों और बुनकरों द्वारा विरोध को देखते हुए उनके द्वारा सूती धागे के निर्यात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह मामला सिर्फ धागे का उपयोग करने वाले उद्योग के लिए कच्चे माल की कमी का नहीं है। बल्कि यह अच्छी गुणवत्ता वाले धागे का निर्यात करने तथा घटिया किस्म के धागे को घरेलू बाजार को उपलब्ध कराने से संबंधित है। इसके अलावा कताई मिलें वायदा व्यापार करती हैं और धागे की आपूर्ति करने से मना कर देती हैं। जहां तक वस्त्र उत्पादन का संबंध है, सबसे बड़ा हिस्सा तमिलनाडु से आता है। जो लगभग 70% है। इसलिए यदि बुनकरों के हितों की रक्षा के लिए कोई उपयुक्त उपाय नहीं किये गए तो तमिलनाडु के बुनकरों पर इसका काफी विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

[श्री एन.एस.वी. चित्तन]

मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र डिंडीगुल के चिन्नालापट्टी, जिसे सस्ती कीमत की साड़ियों के निर्माण के लिए जाना जाता है, में बुनकर सूती धागे की कीमत में वृद्धि के कारण बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह सूती धागे की कीमत को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाए ताकि हथकरघा उद्योग को बचाया जा सके।

(दो) केरल के कोचीन शहर में इडाप्पिल्ली, पलावरिवत्तम, वित्तिला और कुंदन्नूर में यातायात चौराहों पर उपरिपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री चार्ल्स डिएस (नामनिर्देशित) : केरल के कोचीन शहर में अब भीड़-भाड़ बढ़ गई है और इसकी जनसंख्या लगभग सात लाख हो गई है तथा यहां यातायात जाम आम बात हो गई है। यहां पर कोई समुचित यातायात नियामक तंत्र नहीं है और यहां की सड़कें यातायात की सघनता के अनुरूप निर्मित नहीं की गई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47 का बाईपास, जो कि इडाप्पिल्ली से कुन्दन्नुर तक जाती थी, लम्बी दूरी के यात्रियों के लिए बहुत राहत थी जिससे शहर के यातायात जाम से निजात मिल जाती थी लेकिन अब इस बाई-पास पर भी यातायात बढ़ गया है और इडाप्पिली, पलारिवत्तम, विरिला और कुन्दन्नुर के चारों जक्शनों पर जहां सड़कें एक-दूसरे से मिलती है, यातायात जाम का केन्द्र बन गए हैं। यातायात के व्यस्तता के समय इन जक्शनों को पार करने में 20 से 30 मिनट का समय लग जाता है।

उपर्युक्त जंक्शनों पर फ्लाईओवर के निर्माण का प्रस्ताव वर्षों पहले तैयार किया गया था लेकिन इन फ्लाई ओवरों की आयोजना तथा इनके निर्माण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं और शहर के लोग काफी परेशानियों से जूझ रहे हैं।

यह पता चला है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण उपयुक्त चारों प्रमुख जंक्शनों पर फ्लाईओवर के लिये एक संभाव्यता अध्ययन कराने की योजना बना रहा है।

मैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अनुरोध करता हूं कि वह संभाव्यता अध्ययन कराए तथा शीघ्र ही योजना और अनुमान तैयार करे और उपर्युक्त जंक्शनों पर फ्लाईओवर के निर्माण के लिए तत्काल कदम उठाए।

(तीन) पूर्वी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कमल किशोर कमांडो (बहराइच) : उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में एन्सेफ्लाइटिस से पिछले 33 वर्षों से प्रतिवर्ष काफी संख्या में मौतें हो रही हैं। इस बीमारी का सर्वाधिक कुप्रभाव नवजात शिशुओं तथा कम उम्र के बच्चों पर पड़ता है। इस बीमारी से प्रतिवर्ष एक हजार से तीन हजार बच्चों की मौत हो रही है। देश में लगभग तीन दर्जन बीमारियों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसमें फाइलेरिया तथा घेंघा रोग के लिए भी राष्ट्रीय कार्यक्रम है। जबकि पिछले 33 सालों से अब तक लगभग 50 हजार बच्चे केवल पूर्वांचल में मर चुके हैं उसके लिए कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं है। इस महामारी से 95 प्रतिशत ग्रामीणों, दलितों तथा किसानों के मासूम ही प्रभावित होते हैं।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि भारत जैसे ग्रामीण प्रधान देश में एन्सेफ्लाइटिस की महामारी रोकने के लिए प्रत्येक वर्ष में दो बार टीकाकरण, एरियल फॉगिंग, सर्विलांस व शोध केन्द्र प्रभावित जिलों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, समुचित निदान व उपचार की व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय एन्सेफ्लाइटिस उन्मूलन प्रोग्राम चलाने की कृपा करें।

(चार) केरल में कालीकट तक ट्रेन सेवाओं को बढ़ाए जाने और वेस्ट हिल में पिट लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एम.के. राघवन (कोझिकोड) : मैं गाड़ी सं. 6517 के विस्तार के लिए अनुरोध करता रहा हूं जो वर्तमान में कुन्नूर पर समाप्त होती है को कालीकट तक कर दिया जाये जिससे बंगलोर से बेहतर संपर्क स्थापित हो जाएगा। इसके अलावा बेस्ट हिल (कालीकट) की पिट लाइन पर भी चलेगी। कालीकट-त्रिवेन्द्रम जनशताब्दी एक्सप्रेस जो घोषित की गई है को तत्काल शुरू किया जाये। गाड़ी सं. 6343 (अमृता एक्सप्रेस) के रेल के साथ कोयम्बटूर-कालीकट इंटरसिटी एक्सप्रेस शुरू की जाये और कालीकट-मंगलौर के बीच एक अन्य गाड़ी को चलाना अत्यंत आवश्यक है।

इसी प्रकार, सबसे लम्बी दूरी की रेल यात्रा शायद

दिल्ली से केरल के किसी स्थान की होगी। अधिकांश समय में केरल को जाने वाली गाड़ियां अपनी क्षमता तक भरी होती हैं और कभी-कभी यात्रियों को आरक्षण टिकट मिलना भी मुश्किल हो जाता है।

इसलिए वर्तमान साप्ताहिक गाड़ियों को इस तरह चलाया जाना चाहिए कि दोनों मार्गों अर्थात विजयवाड़ा और कोंकण से केरल पर प्रत्येक दिन एक अतिरिक्त गाड़ी उपलब्ध हो।

रेलवे को समय के अनुरूप ढालना चाहिए और अतिरिक्त पुलिस अच्छा भोजन और डिब्बों की समुचित रखरखाव प्रदान करके यात्रियों को सुरक्षा और आराम उपलब्ध कराना चाहिए और अच्छे रखरखाव वाले डिब्बे प्रदान करने चाहिये जो कि इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

(पांच) केरल के चेंगन्नूर रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय स्टेशन घोषित किए जाने तथा स्टेशन के नजदीक रेलवे की खाली भूमि पर एक रेलवे चिकित्सा कॉलेज/अस्पताल की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मवेलीकारा) : चेंगन्नूर रेलवे स्टेशन केरल में सबसे अधिक व्यस्त और सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक है। सबरीमाला आने वाले भक्त प्रतिवर्ष सबरीमाला तीर्थ ऋतु के दौरान इस स्टेशन का उपयोग करते हैं। सबरीमाला आते अथवा वहां से वापस जाते समय लाखों अय्यप्पा भक्त चेंगन्नूर रेलवे स्टेशन का उपयोग करते हैं। मध्य त्रावणकोर क्षेत्र में चेंगन्नूर रेलवे स्टेशन मुख्य स्टेशन है और कोल्लम, अल्लेपी और पट्टानामथिट्टा जिले के लोग यहां से आने वाले यात्री नियमित रूप से इस स्टेशन का उपयोग करते हैं। तथापि, चेंगन्नूर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों और अय्यप्पा भक्तों हेतु न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। इसलिए, चेंगन्नूर रेलवे स्टेशन को आगामी बजट में विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन घोषित किया जाना चाहिए।

चेंगन्नूर रेलवे स्टेशन से लगभग 4 कि.मी. की दूरी पर रेलवे की 40 एकड़ भूमि है जिसका रेलवे द्वारा अब तक उपयोग नहीं किया गया है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि रेलवे उक्त भूमि का रेलवे चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल की स्थापना करने हेतु उपयोग कर सकता है। क्योंकि पूरे मध्य त्रावणकोर क्षेत्र में कोई चिकित्सा महाविद्यालय/अस्पताल नहीं है। इससे स्थानीय निवासियों और अय्यप्पा आने वाले भक्तों को भी लाभ होगा।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि पूर्वोक्त स्थान पर खाली पड़ी रेलवे भूमि पर रेलवे चिकित्सा महाविद्यालय/अस्पताल की स्थापना करने के अतिरिक्त चेंगन्नूर रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने हेतु तत्काल कदम उठाए।

(छह) विभिन्न अखिल भारतीय इंजीनियरिंग/मेडिकल परीक्षाओं के आयोजन के लिए परीक्षा केंद्रों की सूची में राजस्थान के कोटा शहर को शामिल किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री इज्यराज सिंह (कोटा) : मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरा संसदीय क्षेत्र कोटा राजस्थान का तीसरा बड़ा शहर है जो कृषि एवं व्यापार का बड़ा केन्द्र बन चुका है। कोटा में बड़े-बड़े शिक्षा संस्थान हैं, जिसमें आई.आई.टी., ए.आई.ई.ई.ई. इंजीनियरिंग एवं ए.आई.पी.एम.टी. मेडिकल प्रवेश संबंधी कोचिंग क्लास इन शिक्षा संस्थानों द्वारा चलाई जाती है, जिसके कारण कोटा को एक शिक्षा शहर के नाम से भी जाना जाता है, परंतु अभी तक उपरोक्त तकनीकी एवं चिकित्सा प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए कोटा में कोई परीक्षा केन्द्र नहीं है, जिसके कारण कोटा में कर रहे कोचिंग क्लासों के छात्रों को अन्य जगह दूर जाना पड़ता है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि कोटा में आई.आई.टी. प्रवेश ए.आई.ई.ई.ई. इंजीनिंयरिंग एवं ए.आई.पी.एम.टी. मेडिकल शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश संबंधी परीक्षा केन्द्र कोटा में किये जायें।

(सात) व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने तथा अवैध तस्करी को रोकने के लिए भारत-बांग्लादेश सीमा व्यापार चौकी स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बहरामपुर) : भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार बढ़ रहा है और व्यापार में और वृद्धि का वादा किया गया है क्योंकि दोनों देशों के व्यापारियों और व्यवसाय समुदायों को प्रोत्साहन देने हेतु दोनों देशों के बीच संबंधों में सकारात्मक बढ़ोतरी हुई है।

पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ लंबी थलीय और तटवर्ती सीमा है। प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद अवैध व्यापार चल रहा

[श्री अधीर चौधरी]

है और सीमावर्ती जिलों में तस्करी लोगों की जीवनचर्या बन गई है। पश्चिम बंगाल में ऐसे जिलों में से एक जिला मुर्शिदाबाद है जहां सीमा व्यापार की अपार संभावनाओं का आसानी से दोहन किया जा सकता है बशर्ते कि सरकार जिले की भौगोलिक-आर्थिक स्थिति पर विचार करे और मुर्शिदाबाद जिले में सीमा व्यापार चौकी स्थापित करने और इस मामले को बांग्लादेश सरकार के साथ उठाने पर विचार करे।

(आठ) छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में हुडको रेलवे क्रासिंग पर एक रेल उपरिपुल/रेल अंडर ब्रिज का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

कुमारी सरोज पाण्डेय (दुर्ग) : छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित हुडको रेलवे क्रासिंग पर ट्रैफिक का अत्यधिक दबाव रहता है क्योंकि यह दो शहरों को जोड़ती है। भिलाई में भिलाई इस्पात संयंत्र एवं अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्थापित हैं और जहां पर कार्य करने वाले अधिकतर अधिकारी एवं कर्मचारी दुर्ग जिले में निवास करते हैं। इसके अलावा अनेक शैक्षणिक संस्थान भी भिलाई में स्थित हैं, जहां पर स्कूली बच्चों और विद्यार्थियों का सतत आवागमन जारी रहता है। उक्त क्रासिंग से क्योंकि भारी मात्रा में ट्रेनों की आवाजाही होती है, यह क्रॉसिंग अक्सर बंद हो जाती है, जिससे जाम की स्थिति बन आती है एवं जनता को भारी असुविधा भी होती है एवं उसका समय भी बर्बाद होता है। अत: यह उचित होगा कि उक्त क्रॉसिंग पर एक ओवरब्रिज या अंडरब्रिज का निर्माण किया जाये, जिससे क्षेत्र की जनता को आवागमन में सुविधा हो एवं अनावश्यक समय की बर्बादी न हो।

(नौ) अरुणाचल प्रदेश की पारिस्थितिकी पर संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र में सुबानसिरी बांध के निर्माण की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री रमेन डेका (मंगलदोई) : निचले सुबानसिरी पर बड़े बांध के निर्माण के कारण असम में काफी विवाद उत्पन्न हुआ है जिससे 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन किए जाने की संभावना है। विशेषज्ञों की राय से यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि भौगोलिक और भूकंप के खतरे के आधार पर पूर्वोत्तर भारत जैसे संवेदनशील क्षेत्रों हेतु बड़े बांध व्यवहार्य नहीं है। यह ज्ञात हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश में 132 बांधों का निर्माण करने का प्रस्ताव है और इनमें से 23 बड़े बांध हैं। 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन के बांध के निर्माण से जलजीव नष्ट हो जाएंगे जिनमें गंगा नदी की डाल्फिन जैसी संकटापन्न प्रजातियां भी सम्मिलित हैं।

इन बांधों का खतरा उससे कहीं अधिक है जितना हम सोचते हैं। यह पूरी ब्रह्मपुत्र सभ्यता को नष्ट कर देंगे। इसको देखते हुए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह ऊपरी, मध्य और निचली सुबानसिरी परियोजना की समीक्षा करे और असम की जनता को आश्वस्त करे कि वे किसी बड़ी आपदा से सुरक्षित हैं।

(दस) हिमाचल प्रदेश में खड़ी फसलों को वन्य जीवों से संभावित खतरे को रोकने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 300 प्रहरियों की नियुक्ति का प्रावधान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर) : महोदय, मैं आपके माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से जंगली जानवरों एवं बंदरों की संख्या में अप्रत्याशित रूप से बहुत वृद्धि हुई है। इसके कारण हर वर्ष करोड़ों रुपए की फसल बर्बाद हो रही है। जंगली जानवरों से तंग आकर बहुत से किसानों ने खेती करना ही छोड़ दिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य वन्यप्राणी संरक्षक ने वन परिक्षेत्राधिकारियों को बंदरों को मारने के परमिट जारी करने, बंदरों की संख्या को काबू करने के लिए उन्हें पकड़कर दूर-दराज के क्षेत्रों में छोड़ने तथा उनकी नसबंदी करने के कारगर उपाय किए हैं, परंतु समस्या काबू से बाहर हो रही है। इसलिए मेरा आग्रह है कि बंदरों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाये और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जंगली जानवरों एवं बंदरों से फसलों की रखवाली के मामले में ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श करके ऐसी व्यवस्था करें, जिससे महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ में कम से कम 300 वॉचमैन नियुक्त किए जा सकें।

(ग्यारह) डोंगिया और अहरोरा बांधों को जल उपलब्ध कराने के लिए सोन लिफ्ट कैनाल का पूरी क्षमता से संचालन किए जाने तथा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के किसानों की सिंचाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाणसागर परियोजना को पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री बाल कुमार पटेल (मिर्जापुर) : विगत सात वर्षों से पर्याप्त वर्षा न होने से किसान सूखे से प्रभावित हैं। आजीविका का मुख्य साधन कृषि होने के कारण सिंचाई के अभाव में विषम स्थिति उत्पन्न है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र मिर्जापुर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जलाभाव के कारण किसान बेकार हैं। यदि सोन लिफ्ट को पूरी क्षमता से चलाकर डोंगिया बांध व अहरौरा बांध को पानी उपलब्ध करा दिया जये तो 175 ग्रामों की उपजाऊ कृषि भूमि को अहरौरा मेन कैनाल व गरई प्रणाली की नहरों के माध्यम से पानी मिल जायेगा और किसान मजूदर अपनी आजीविका में लगे रहेंगे, मुख्य धारा से विरत नहीं होंगे। बाण सागर नहर परियोजना के तृतीय चरण, जिसमें जरगो बांध से हुसैनपुर बीयर को जोड़ने के लिए 13.50 कि.मी. की सिंचाई कार्य योजना, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाई गई थी, को वर्ष 2006 में रोक दिया गया, जिससे सिंचाई समस्या का वास्तविक समाधान अवरुद्ध सा हो गया है। अत: पूर्व की भांति सोन लिफ्ट कैनाल को पूर्ण क्षमता से चलाकर डोगिया व अहरौरा डैम को पानी उपलब्ध करवाना तथा बाण सागर परियोजना के तृतीय चरण को पूरा कराकर स्थाई समस्या का निदान अत्यंत आवश्यक है।

(बारह) केरल के विशेषकर कासरगोड और होसदुर्ग के 'मराठी' समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड) : मैं केरल में मराठी समुदाय के सामने आ रही गंभीर समस्या के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। इस समुदाय को वर्ष 1952 से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सूची में सम्मिलित किया गया था। उन्हें अनुसूचित जनजाति समुदाय के सभी लाभ मिल रहे थे। केरल के कुछ भागों विशेषकर कासरगोड और होसदुर्ग में तथा केरल के उत्तरी भाग के अति निकट कर्नाटक में भी लोगों को इस सूची में सम्मिलित किया गया था। वर्ष 2002 में अभी भी ये अ.ज.जा. की सूची में हैं वर्ष 2002 में सरकार ने केरल राज्य की इस सूची से इन्हें निकाल दिया था।

केरल विधान सभा, केरल के अनुसूचित जनजाति समुदाय और अल्पसंख्यक आयोग ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से उन्हें अनुसूचित जनजाति सूची में सम्मिलित करने का अनुरोध किया था। जनजातीय समुदाय का मुख्य स्वभाव उनका अन्य वर्गों से अलग रहना है, जनजातीय स्वभाव शैक्षिक और वित्तीय रूप से पिछड़े हुए होना है और उनके रीति रिवाज अलग होते हैं। जहां तक केरल में अनुसूचित जनजाति समुदाय का संबंध है ये विशेष प्रकृति अब भी है। अत: उन्हें यह दर्जा देने से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं है। हाल में केरल सरकार ने रिपोर्ट के साथ केंद्र सरकार से कदम उठाने के लिए पुन: अनुरोध किया है। मराठी समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में सम्मिलित करना संसद में संशोधन पारित करके ही संभव है। अत: मैं सरकार से पुन: अनुरोध करता हूं कि वह इस मुद्दे पर अविलंब विचार करे।

(तेरह) राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 पर कार्य के बेहतर समन्वयन और उसे शीघ्र शुरू किए जाने हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना उड़ीसा के भुवनेश्वर में किए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन चरण सेठी (भद्रक) : भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जिसका मुख्यालय दिल्ली के नजदीक नोएडा में स्थित है, का पूरे पूर्वी क्षेत्र में कोई शाखा कार्यालय नहीं है। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में सरकार चाहती है कि 623 किलोमीटर के ब्राह्मणी और महानदी के डेल्टा को पूर्वी तटीय नहर के साथ 5वें राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में विकसित किया जाए जैसा कि नवम्बर, 2008 में घोषित किया गया था। इसलिए मैं पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राष्ट्रीय जलमार्ग सं. 5 पर शीघ्र कार्य शुरू करने और बेहतर समन्वयन के लिए भुवनेश्वर में इसका क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करे।

(चौदह) देश में कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद) : मैं केन्द्र सरकार का ध्यान देश की मौजूदा खेल-कूद अवसंरचना में खेल-कूद सुविधाओं का अभाव विशेषकर कुश्ती की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यद्यपि भारतीय खेल प्राधिकरण ने देश में अनेक स्थानों पर अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना की है जिनमें औरंगाबाद (महाराष्ट्र) भी सम्मिलित

[श्री चंद्रकांत खैरे]

हैं लेकिन इसमें सुविधाओं का अभाव है। कुश्ती देश का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण खेल-कूद है और हमारे नवयुवकों ने इस पर पूरा ध्यान दिया है और देश के लिए विभिन्न अवसरों पर इसमें सम्मान दिलाया है। तथापि, पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में ये युवा समुचित प्रशिक्षण नहीं पा सके हैं।

हाल ही में राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता, हिन्द केशरी, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) में आयोजित हुई थी और आयोजन समिति का एक हिस्सा होने के नाते इसमें संबंधित जमीनी हकीकतों से मैं अवगत हूं।

इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह देश में खेल-कूद के विकास के हित में भारतीय खेल प्राधिकरण के मौजूदा अवंसरचना के भीतर तथा अन्य स्थानों में विशेषरूप से कुश्ती के लिए खेल-कूद सुविधाओं की स्थापना करने हेतु आवश्यक कदम उठाये।

(पंद्रह) तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में श्रीरंगम रेलवे स्टेशन के पास रेल लाइन पर रेल अंडर ब्रिज का निर्माण किए जाने तथा एरिस्टो होटल रौंताना से इडामलाइपट्टी पुडुर ओवरब्रिज के बीच रेल उपरिपुल के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री पी. कुमार (तिरुचिरापल्ली) : मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तिरुचिरापल्ली में श्रीरंगम एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। श्रीरंगम रेलवे स्टेशन पर रेलवे लाइन शहर को दो भागों में बांटती है। शहर के यातायात को सिंगापेरुमल कोइल स्ट्रीट से राजकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक रेल लाइन को पार करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस रेल फाटक पर एक भूमिगत पुल के निर्माण की लम्बे समय से मांग की जा रही है। सरकार को इस रेलवे फाटक पर एक भूमिगत पुल के निर्माण हेतु आवश्यक वित्त आवंटित करने के लिए आगे आना चाहिए। वर्तमान में एरिस्टो होटल रोनतान से एडामलाइपाटी पुडुर ऊपरिपुल के बीच एक ऊपरिपुल स्वीकृत है और आरओबी के निर्माण हेतु 25.14 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन पहले ही अलग किया गया है। अभी तक निर्माण हेतु निविदा को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि कार्य में तेजी लाएं और इस कार्य को शीघ्र पूर्ण करें।

(सोलह) पश्चिम बंगाल में खड़गपुर और उसके आसपास रेलवे की खाली पड़ी भूमि पर रह रहे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित लोगों का समुचित पुनर्वास किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर) : खड़गपुर में और इसके आसपास रेलवे भूमि पर 50 हजार से अधिक लोग रह रहे हैं और विभिन्न साधनों से अपना जीवनयापन कर रहे हैं और ये सभी लोग अत्यधिक गरीब श्रेणी के हैं। इनमें से कुछ लोगों को समय-समय पर जगह खाली करने के नोटिस भी मिले हैं परंतु लोकप्रिय विरोध और आंदोलन के कारण इन्हें उस रेलवे भूमि पर कुछ और समय के लिए रहने का अवसर मिल जाता है। इस प्रकार ये लोग लगातार अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं। इसलिए, वक्त की मांग यह है कि इन लोगों का सही ढंग से पुनर्वास किया जाए चूंकि खड़गपुर के पास काफी रेलवे भूमि खाली पड़ी है, अतः उन्हें सही ढंग से जीवन जीने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। इसलिए, मैं माननीया रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे मामले में हस्तक्षेप करें और इन गरीब और अहसाय लोगों का पुनर्वास करने के लिए आवश्यक निर्णय लें।

(सत्रह) केरल और देश के अन्य भागों में सीमेंट और इस्पात की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए एक विनियामक आयोग का गठन किए जाने की आवश्यकता

श्री जोस के. मणि (कोट्टयम) : निर्माण उद्योग, जोकि आर्थिक मंदी के कारण पिछले तीन वर्षों से संकट में है। अब उसे सीमेंट की बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। यह प्रवृति पिछले कुछ हफ्तों में काफी बढ़ गई है। प्रसिद्ध सीमेंट ब्रांडों ने अपने मूल्य में प्रति 50 कि.ग्राम बैग में 80-120 रुपये तक वृद्धि की है। केरल में, पिछले माह तक एक 50 किलो का सीमेंट का बैग, 180 और 200 रुपये के बीच बेचा जा रहा था जो अब 280 रुपये से 320 रुपये तक बेचा जा रहा है। निर्माण उद्योग द्वारा प्रयुक्त लोहे के दाम भी 32000 रुपये प्रति टन से बढ़कर 38,000 रुपये प्रति टन हो गए हैं। देश में बदलते आर्थिक परिदृश्य के साथ रियेलटर अपनी विगत की हानियों से धीरे-धीरे उबरने का प्रयास कर रहे हैं। इस गंभीर स्थिति में निर्माण साम्रगियों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। गरीब और मध्यवर्गीय परिवार जो मकान का निर्माण प्रारंभ कर रहे हैं वे निर्माण सामग्री की कीमतों में वृद्धि के कारण परेशान हैं। यह निर्माण क्षेत्र में लाखों श्रमिकों के जीवनयापन को भी प्रभावित कर करा है।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वे हस्तक्षेप करें और इस 'कृत्रिम कमी' और सीमेंट उद्योग में कार्टेलाइजेशन के परिणामत: सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि को नियन्त्रित करें। मैं सरकार से केरल सहित सभी राज्यों में सीमेंट और इस्पात के मूल्य निर्धारण हेतु विनियामक आयोग नियुक्त करने का अनुरोध करता हूं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अंब सभा कल 11 नवम्बर, 2010 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.04 बजे

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 11 नवम्बर, 2010/ 20 कार्तिक, 1932 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री असादूद्दीन ओवेसी श्री दत्ता मेघे	21
2.	श्री पी. विश्वनाथन	22
3.	श्री पन्ना लाल पुनिया	23
4.	श्री आर. थामराईसेलवन श्री अनन्त वेंकटरामी रेड्डी	24
5.	श्रीमती रमा देवी श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	25
6.	योगी आदित्यनाथ	26
7.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी श्री नामा नागेश्वर राव	27
8.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला श्री मनोहर तिरकी	28
9.	श्री जे.एम. आरुन रशीद श्री सुमित्रा महाजन	29
10.	श्री हरीश चौधरी श्री यशवंत लागुरी	30
11.	श्री नित्यानंद प्रधान श्री वैजयंत पांडा	31
12.	डा. रतन सिंह अजनाला	32
13.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	33
14.	श्री हर्ष वर्धन चौधरी लाल सिंह	34
15.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर श्रीमती जयाप्रदा	35
16.	श्री कपिल मुनि करवारिया	36
17.	श्री नीरज शेखर	37
18.	श्री ओम प्रकाश यादव	38
19.	श्री संजय धोत्रे	39
20.	श्री पी. कुमार डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	40

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन् रशीद, श्री जे.एम.	346
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	280, 360
3.	आदित्यनाथ, योगी	343, 405, 438, 454
4.	अडसुल, श्री आनंदराव	259, 275, 359, 371, 415

1	2	3
5.	अग्रवाल, श्री जय प्रकाश	272, 368, 420, 446, 456
6.	अहीर, श्री हंसराज गं.	244, 363, 370, 435, 453
7.	अलागिरी, श्री एस.	418
8.	एंटोनी, श्री एंटो	273, 287, 297, 380
9.	अर्गल, श्री अशोक	383
10.	आवले, श्री जयवंत गंगाराम	258, 354
11.	बाबर, श्री गजानन ध.	259, 275, 359, 371, 423
12.	बैस, श्री रमेश	296, 413, 453
13.	बाजवा, श्री प्रताप सिंह	238, 280, 392, 430, 449
14.	बलराम, श्री पी.	265, 302, 391, 406
15.	बनर्जी, श्री अम्बिका	296
16.	बशीर, श्री मोहम्मद ई.टी.	460
17.	भगत, श्री सुदर्शन	278, 413
18.	बुन्देला, श्री जितेन्द्र सिंह	292, 377
19.	चौधरी, श्री हरीश	342, 347, 407
20.	चौधरी, श्री जयंत	233
21.	चौहाण, श्री महेन्द्रसिंह पी.	364, 418
22.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	278, 326, 398, 409, 417
23.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	258, 273, 386, 459
24.	चौधरी, श्री भूदेव	265, 273, 286, 459
25.	चौधरी, श्रीमती श्रुति	234, 344
26.	चौधरी, श्री अधीर	296, 304

1	2	3
27.	दास, श्री राम सुन्दर	279, 360, 372
28.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	283, 288, 301, 304, 375
29.	दासमुंशी, श्रीमती दीपा	265, 277, 300, 381
30.	डे, डॉ. रत्ना	317, 383
31.	देवरा, श्री मिलिंद	250, 266, 363, 458
32.	देवी, श्रीमती रमा	342, 404
33.	धनपालन, श्री के.पी.	267
34.	डिएस, श्री चार्ल्स	455
35.	गढ़वी, श्री मुकेश भैरवदानजी	291, 376
36.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	351, 411, 442, 453
37.	गांधी, श्री वरूण	235, 387
38.	गणेशमूर्ति, श्री ए.	303, 383
39.	गौडा, श्री डी.बी. चन्द्रे	268, 351, 366, 419
40.	हुड्डा, श्री दीपेन्द्र सिंह	361
41.	हेगड़े, श्री अनंत कुमार	452
42.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	251, 335, 362, 431, 450
43.	जगन्नाथ, डॉ. मन्दा	265, 425
44.	जायसवाल, डॉ. संजय	285, 374
45.	जायसवाल, श्री गोरख प्रसाद	280, 394
46.	जाखड़, श्री बद्रीराम	291
47.	जरदोश, श्रीमती दर्शना	316
48.	जयाप्रदा, श्रीमती	412

1	2	3
49.	जेयदुरई, श्री एस.आर.	259, 295, 454
50.	झांसी लक्ष्मी, श्रीमती बोचा	452
51.	जोशी, डॉ. मुरली मनोहर	452
52.	जोशी, श्री प्रहलाद	324, 395
53.	कछाड़िया, श्री नारनभाई	273, 310, 428
54.	करूणाकरन, श्री पी.	417
55.	कटारिया, श्री लालचन्द	274, 404
56.	खैरे, श्री चंद्रकांत	252, 304, 336, 425, 447
57.	खतगांवकर, श्री भास्करराव बापूराव पाटील	351, 411, 442, 453
58.	कोवासे, श्री मारोतराव सैनुजी	261, 337, 400, 445
59.	कुमार, श्री कौशलेन्द्र	283
60.	कुमार, श्री मिथिलेश	411, 422
61.	कुमार, श्री विश्व मोहन	258, 280, 364
62.	कुमार, श्री पी.	354
63.	कुमारी, श्रीमती चन्द्रेश	269
64.	कुरूप, श्री एन. पीताम्बर	239
65.	लागुरी, श्री यशवंत	286, 444
66.	लिंगम, श्री पी.	301, 304
67.	मादम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	246, 265, 332, 432, 441
68.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	370, 410, 422
69.	महतो, श्री नरहरि	247, 265, 386
70.	माझी, श्री प्रदीप	325, 360, 397, 433, 451

1	2	3
71.	मजूमदार, श्री प्रशान्त कुमार	362, 452
72.	मलिक, श्री जितेन्द्र सिंह	287, 411
73.	मणि, श्री जोस के.	263, 359, 361
74.	मीणा, श्री रघुवीर सिंह	349
75.	मीणा, डॉ. किरोड़ी लाल	301, 370, 457
76.	मेघे, श्री दत्ता	261
77.	मेघवाल, श्री अर्जुन राम	460
78.	मिश्रा, श्री महाबल	265, 277, 441
79.	मुत्तेमवार, श्री विलास	301, 322, 394, 452
80.	नागर, श्री सुरेन्द्र सिंह	261, 365
81.	नाईक, डॉ. संजीव गणेश	281, 373, 424
82.	नारायणराव, श्री सोनवणे प्रताप	260, 280, 395
83.	नटराजन, श्री पी.आर.	231, 330
84.	निरूपम, श्री संजय	273, 362
85.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	338, 401, 435, 454
86.	पक्कीरप्पा, श्री एस.	232, 292, 360
87.	पाल, श्री जगदम्बिका	266, 275, 306
88.	पांडा, श्री वैजयंत	348, 408, 455, 456
89.	पांडा, श्री प्रबोध	288, 375
90.	पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार	258, 357, 439
91.	पाण्डेय, कुमारी सरोज	248, 275, 333, 372, 428
92.	पाटिल, श्री सी.आर.	293, 378

1	2	3
93.	पटेल, श्री देवजी एम.	288
94.	पटेल, श्रीमती जयश्रीबेन	243, 358, 404, 411, 455
95.	पटेल, श्री बाल कुमार	290
96.	पाटील, श्री संजय दिना	373
97.	पाटील, श्री ए.टी. नाना	258, 278, 360
98.	प्रभाकर, श्री पोन्नम	237, 265, 302, 391
99.	प्रधान, श्री नित्यानंद	348, 408, 440, 456
100.	पुनिया, श्री पन्ना लाल	340, 402, 436
101.	रादड़िया, श्री विट्ठलभाई हंसराजभाई	273
102.	राघवन, श्री एम.के.	307, 350, 422
103.	रहमान, श्री अब्दुल	259, 275, 328, 351, 430
104.	राजगोपाल, श्री एल.	257, 299, 375
105	राजेन्द्रन, श्री सी.	260, 265, 284, 458
106.	राजेश, श्री एम.बी.	282, 417
107.	राम, श्री पूर्णमासी	271, 367
108.	रामकिशुन, श्री	283, 308
109.	रामासुब्बू, श्री एस.एस.	255, 304, 339, 413
110.	राणे, श्री निलेश नारायण	241, 329, 331, 399, 434
111.	राव, श्री नामा नागेश्वर	356, 414, 443
112.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	237, 265, 302, 425
113.	राठवा, श्री रामसिंह	249, 278, 334, 426, 448
114.	रावत, श्री अशोक कुमार	327

1	2	3
115.	राय, श्री रूद्रमाधव	256, 270, 275, 388, 427
116.	रेड्डी, श्री के.आर.जी.	265, 302, 391, 409
117.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	242, 260, 287, 378, 382
118.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	294, 369, 379
119.	रेड्डी, श्री अनन्त वेंकटरामी	385
120.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	319
121.	राय, श्री नृपेन्द्र नाथ	247, 265, 309, 386
122.	राय, श्री महेन्द्र कुमार	404
123.	सेम्मलई, श्री एस.	370
124.	सम्पत, श्री ए.	313, 317
125.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	245, 261, 391, 419
126.	सत्पथी, श्री तथागत	283
127.	सेठी, श्री अर्जुन चरण	457
128.	शांता, श्रीमती जे.	240, 396
129.	शर्मा, श्री जगदीश	454
130.	शेखर, श्री नीरज	352, 412
131.	शेटकर, श्री सुरेश कुमार	254, 406, 425, 435
132.	शिवाजी, श्री अधलराव पाटील	264, 363, 417, 444
133.	सिद्देश्वर, श्री जी.एम.	296, 349, 387, 409
134.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	265, 266
135.	सिंह, श्री इज्यराज	258, 347, 407
136.	सिंह, श्री जगदानंद	323

1	2	3
137.	सिंह, श्रीमती मीना	276, 370, 453
138.	सिंह, श्री राधा मोहन	276, 296, 370
139.	सिंह, चौधरी लाल	355, 413
140.	सिंह, श्री धनंजय	299
141.	सिंह, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन	350, 410
142.	सिंह, राजकुमारी रत्ना	258, 273, 444
143.	सिंह, डॉ. संजय	258, 280
144.	सिंह देव, श्री कालीकेश नारायण	320
145.	सिन्हा, श्री यशवंत	305, 384
146.	सिन्हा, श्री शत्रुघ्न	280, 318, 369, 393, 413
147.	सिरिसिल्ला, श्री राजय्या	237, 406, 439
148.	शिवासामी, श्री सी.	236, 369, 275
149.	सोलंकी, डॉ. किरीट प्रेमजीभाई	273, 315, 448
150.	सुगावनम, श्री ई.जी.	304
151.	सुगुमार, श्री के.	274, 369, 417, 421, 429
152.	सुले, श्रीमती सुप्रिया	281, 373, 424
153.	सुरेश, श्री कोडिकुन्नील	321, 447
154.	सुशान्त, डॉ. राजन	298
155.	स्वामी, श्री एन. चेलुवरया	287, 345
156.	टैगोर, श्री मानिक	253, 303, 425
157.	तिवारी, श्री मनीष	262, 453
158.	ठाकोर, श्री जगदीश	269

1	2	3
159.	थामराईसेलवन, श्री आर.	341, 403, 437, 455
160.	तम्बिदुरई, डॉ. एम.	265, 304, 314, 362, 370
161.	थॉमस, श्री पी.टी.	267, 311, 389
162.	तिरकी, श्री मनोहर	362, 452
163.	तिवारी, श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल	279, 360, 372
164.	तोमर, श्री नरेन्द्र सिंह	279, 289, 349
165.	वर्धन, श्री हर्ष	350, 410, 441, 452
166.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	273
167.	वेणुगोपाल, श्री के.सी.	288, 312, 390, 429
168.	विजयन, श्री ए.के.एस.	304
169.	विश्वनाथन, श्री पी.	304, 403, 417
170.	वाकचौरे, श्री भाउसाहेब राजाराम	273
171.	वानखेड़े, श्री सुभाष बापूराव	264, 363, 417, 444
172.	यादव, श्री अंजनकुमार एम.	404
173.	यादव, श्री धर्मेन्द्र	259, 275, 302, 359, 371
174.	यादव, श्री दिनेश चन्द्र	441, 454
175.	यादव, श्री ओम प्रकाश	353
176.	यादव, प्रो. रंजन प्रसाद	260, 360, 416
177.	यास्खी, श्री मधु गौड	351, 411, 442, 453

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	
कोयला	:	27, 28, 34
संस्कृति	:	33, 38
पृथ्वी विज्ञान	:	31
पर्यावरण और वन	:	23, 29, 30, 35, 40
विदेश	:	26, 37
मानव संसाधन विकास	:	21, 22, 25, 36, 39
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
संसदीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	
योजना	:	
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	
अंतरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
जल संसाधन	:	24, 32

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	316, 323, 333, 374, 389, 448
कोयला	:	232, 262, 277, 278, 288, 299, 303, 327, 336, 346, 351, 357, 386, 435
संस्कृति	:	241, 242, 264, 272, 289, 292, 314, 331, 334, 343, 355, 368, 377, 396, 406, 428, 432, 434, 436, 450, 451

पृथ्वी विज्ञान	:	290, 297, 320, 350, 354, 380, 387, 398, 433
पर्यावरण और वन	:	235, 237, 239, 250, 258, 259, 265, 266, 268, 270, 274, 283, 295, 296, 301, 308, 324, 332, 339, 349, 356, 358, 360, 361, 363, 372, 383, 390, 400, 413, 416, 423, 426, 441, 442, 447, 452, 454, 456, 458, 460
विदेश	:	247, 252, 254, 285, 302, 304, 305, 306, 312, 315, 322, 338, 348, 366, 379, 384, 391, 393, 395, 401, 405, 408, 411, 412, 417, 424, 425, 446, 453, 457
मानव संसाधन विकास	:	234, 238, 243, 245, 246, 251, 253, 255, 263, 267, 269, 275, 276, 279, 287, 294, 300, 307, 311, 318, 321, 328, 330, 335, 340, 344, 347, 359, 367, 371, 373, 378, 381, 382, 388, 392, 394, 397, 399, 402, 403, 404, 409, 415, 422, 427, 430, 431, 437, 438, 439, 440, 443, 444, 445, 455, 459
प्रवासी भारतीय कार्य	:	282, 310, 326, 362, 385, 418, 429
संसदीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	249, 256, 293, 313, 352, 364, 414
योजना	:	231, 248, 257, 260, 271, 281, 284, 286, 309, 329, 342, 345, 353, 375, 407, 420, 458
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	291, 319, 369, 376, 419
अंतरिक्ष	:	236
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	317
जल संसाधन	:	233, 240, 244, 261, 273, 280, 298, 325, 337, 341, 365, 370, 410, 421, 449

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/13/2/2010 (एन०)
230

© 2010 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।